राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सातवीं विधान सभा के अष्टम् सत्र का 33 वां दिवस [संख्या 22

सोमवार

दिनांक 9 अप्रेल, 84

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती डा. उजला अरोड़ा।

पंचायत वासना में पशु चिकित्सालय खोलना

563. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या पशु पालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) पशु चिकित्सालय खोले जाने के आधार क्या हैं ?

(2) क्या पंचायत समिति जमवारामगढ़ के पंचायत वासना के पशुओं की संख्या को देखते हुए पशु चिकित्सालय खोले जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री पशु पालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) जी नहीं, क्योंकि वह ग्राम वर्तमान में कार्यरत पशु औषधालय, भानपुर कलां से केवल 5-6 किलोमीटर ही दूर है।

(2) पशु चिकित्सालय खोले जाने के आधार निम्न प्रकार से हैं :

1. पशुओं की संख्या,

2. पूर्व से कार्यरत पशु चिकित्सालय से दूरी,

3. नगरपालिका/पंचायत समिति मुख्यालयों को प्राथमिकता,

4. जनसंख्या,

5. आवास व्यवस्था आदि।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पहले प्रश्न के जवाब में कहा, जी नहीं। तो मेरा निवेदन है, क्या पंचायत वासना से पशु चिकित्सालय भानपुर कलां 5-6 किलो मीटर दूर नहीं है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति जमवारामगढ़ की पंचायत वासना में पशुओं की संख्या को देखते हुए वहां पर पशु चिकित्सालय खोलने की कोई योजना नहीं है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, भानपुर कलां में पशु चिकित्सालय है और रास्ते की दूरी का जहां तक सवाल है, वे तो स्वयं उस क्षेत्र की विधायिका, माननीय सदस्या हैं, वह जानती हैं कि वहां पर पशुओं की संख्या कितनी है और दूरी कितनी है। इसमें पशुओं की संख्या निम्न प्रकार है : 452 भैंसें, 473 गायें और 423 भेडे, 413 बकरियां है और 10 गधे हैं। इस प्रकार कुल वहां पर पशु हैं। इतने पशुओं पर पशु चिकित्सालय नहीं खोला जा सकता है। पशु चिकित्सालय 23 हजार पशुओं की जनसंख्या पर खोला जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह 23 हजार पशुओं पर चिकि-

(2)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

त्सालय खोलने की बात मन्त्री महोदय ने बतायी है वह गलत है क्योंकि अभी 30-3-1984 को विधान सभा में मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है उसमें उन्होंने 13 हजार पशुओं पर पशु चिकित्सालय खोलने की बात कही थी और अब कह रहे हैं कि 23 हजार पशुओं पर पशु चिकित्सालय खोला जाता है । इसके अलावा माननीय मन्त्री महोदय ने जो पंचायत समिति वासना में सिर्फ 1693 पशु ही बताये हैं । मेरी जहां तक जानकारी है वहां पर पशुओं की संख्या बहुत अधिक है, वह 25 हजार से कम नहीं है । मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आप एक बार वहां पर पशुओं की गणना कराने की तकलीफ करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्रीमती उजला अरोड़ा : और, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सदस्या, आप पहले मेरी बात चुपचाप सुन लें क्योंकि जब आप बोल रही थी तो मैं चुपचाप आपकी बात सुन रहा था । इसके अलावा माननीय सदस्या ने जो पंचायत समिति वासना की बात कही है वह तो पंचायत ही है और उसकी पंचायत समिति जमुवारामगढ़ है । इसके अलावा माननीय सदस्या ने जो यह कहा कि वहां पर पशुओं की संख्या 25 हजार से अधिक है, यह बात सही नहीं । है वहां पर सन् 81 में पशुओं की गणना हुई थी उसमें जो फिगर्स पता लगे उनके अनुसार मैंने यह फिगर्स प्रस्तुत किये हैं ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने विधान सभा में यह कहा था प्रश्नोत्तर काल दिनांक 30-3-84 को कि बहरोड़ में 13 हजार पर एक पशु चिकित्सालय खोला है । अब आपने यह कहा है कि 23 हजार पर पशु चिकित्सालय खोला जाता है, तो इसमें कौनसी बात सही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे, अध्यक्ष महोदय, फिर माननीय सदस्या को सही करना पड़ेगा । मैंने यह कहा था, मैंने तो यह कहा था कि बहरोड़ में 13 हजार पर एक पशु चिकित्सालय खोला हुआ है । तो इन दोनों में अन्तर है

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री अनंग कुमार

प्रश्न सं. 564

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न सं. 565

श्री सूरजपालसिंह

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न स. 565

श्री आत्माराम

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री रंगजी और श्री कैलाश मेघवाल

उदयपुर नगर व जिले में अधिशासी अभियन्ता द्वारा खुदाये गये हैंड पम्पों की जांच

567. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) एवं **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व)

(श्री रंगजी मीणा)

क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर व जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के नगरखण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 1980 व वर्ष 1981 में खुदाये गये हैण्ड पम्पों के बारे में भ्रष्टाचार करने की शिकायत विभाग के ही कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों एवं प्रमुख नागिरिकों के 24 हस्ताक्षरों से की गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इस शिकायत पर दिनांक 23-7-81 को प्रत्येक पैरा टिप्पणी सहित जांच रिपोर्ट अविलम्ब भेजने हेतु मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को आदेश दिये थे और पुन: दिनांक 8-9-81 को रिमाइण्डर भी भेजा था ?

(3) यदि हां, तो वह जांच किसके द्वारा कराई थी और जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता को कब भिजवाई थी और मुख्य अभियन्ता ने सरकार को कब रिपोर्ट भेजी ?

(4) कृपया शिकायत की प्रति, जांच रिपोर्ट की प्रति एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) जी हां। शिकायत पत्र पर 25 में से केवल 11 व्यक्तियों के हस्ताक्षर थे।

(2) जी हां।

(3) यह जांच अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, उदयपुर द्वारा कराई गई थी। जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट मुख्य अभियन्ता को दिनांक 15-11-81 को भेजी गयी किन्तु इस रिपोर्ट के नहीं मिलने के कारण मुख्य अभियन्ता के चाहने पर जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की दूसरी प्रति दिनांक 2-8-82 को भेजी गयी। मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा जांच रिपोर्ट सरकार को दिनांक 19-8-82 को भेज दी गयी थी।

(4) शिकायत की प्रति, जांच रिपोर्ट की प्रति एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा भेजे गये पत्र की प्रति संलग्न है। क्योंकि शिकायती पत्र फर्जी पाया गया था अत: उस पर कार्यवाही की जाना सरकार द्वारा अपेक्षित नहीं समझा गया।

(शिकायत, जांच रिपोर्ट व पत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल अध्यक्ष महोदय, जांच की रिपोर्ट जो सदन की मेज पर रखी गई है उसमें जो तथ्य बताये हैं उस पर 13 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं और माननीय मन्त्री महोदय ने 11 ही के हस्ताक्षर की बात कही है। दूसरे जो जांच करायी गई है, और उसमें जो 11 आदमी बताये गये हैं उसमें एक जगदीशलाल, निशान्त व्यास, कृष्णकांत पालीवाल, वाटर वर्क्स तागुम एडवोकेट, जो कि कांग्रेस आई का है और कुन्जविहारी आचार्य है इन्होंने उसके खिलाफ में शिकायत की है। यह शिकायत उस अधीक्षण अभियन्ता के खिलाफ है जिससे ही आप ने जाच करायी है।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, 11 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये उनमें से सात

(श्री देवेन्द्रसिंह)

आदमियों ने एक तरह के बयान दिये हैं। उन बयानों की कापी मेरे पास मौजूद है। उसमें उन्होंने कहा है, "उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवानसिंह दर्दी अभिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है। मेरा इस शिकायत से कोई संबंध नहीं है।" यह सभी एक तरह के बयान दिये हैं। इसलिए कार्यवाही करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह बयान साइक्लोस्टाइल है या टाइप किया हुआ है ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह बयान फोटो स्टेट है। यह विभागीय कर्मचारी हैं जिस अभियन्ता के खिलाफ शिकायत थी उसी से जांच कराई गई। इसमें 11 नाम बताये गये थे उनमें से एक से पूछताछ नहीं की गई। उस पर 11 के दस्तखत हैं, पत्र में 13 नाम थे, जांच अधिकारी ने खुद इस बात को स्वीकार किया है, जो 13 नाम पत्र में थे उन 13 की टिप्पणियां आपके पास आई ?

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आप स्वयं पढ़ें तो इससे पता लग जायेगा कि यह बोगस है। बनवारी लाल शर्मा, जो पहले मंत्री थे, एक्स. ईएन. के खिलाफ जांच के बारे में कहा था कि जांच को समाप्त कर दिया। इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को इन्वोल्व किया गया। सबने यह बात कही कि यह एक तरह के बयान हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसके दूसरे पैराग्राफ को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। "25 हैण्ड पम्प सरपच वाटर पर लगे हैं जो जमीन पर ऊपर-ऊपर का पानी था वह आकर अब बन्द हो गये हैं" उदयपुर प्रापर में देहली गेट पर गुरुथा के बाहर ही देख लीजियेगा। वह खराब हो गये हैं, उनकी जांच कर ली जाए। आपने कहा है कि शिकायत सही नहीं है। इसके बावजूद भी तीन महीने तक हैण्ड पम्प और लगाये गये। इसमें यह भी लिखा है "90 फीट की हैण्ड पम्प की खुदाई 120 फीट पाइप इश्यू हुआ है। आपने बनवारी लालजी का नाम क्यों लिया है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : इसीलिये जांच कराई है और अधीक्षण अभियन्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने स्वयं दिनांक 11-8-81 को दस एवं दिनांक 11-8-81 को पांच चेक किये तथा पेमाइश पुस्तिका में अंकित पेमाइश पुस्तिका सही पाई गई है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री छीतरलाल आर्य, श्री हीरालाल आर्य, श्री दाऊदयाल जोशी

मल्टीपर्पज वर्कर्स के महिला व पुरुष कर्मचारियों के वेतनमानों में विसंगति

568. **श्री छीतर लाल आर्य** (अटरू) व **श्री हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा)।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान चिकित्सा एवम् परिवार कल्याण मल्टीपर्पज वर्कर्स के महिला व पुरुष के वेतनमानों में अन्तर है जब कि इनका कार्य एक जैसा ही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त विसंगति को शीघ्र दूर करने के आदेश प्रदान करेगी ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़) : (1) यह सही है कि मल्टीपर्पज वर्कर्स, के महिलाएं एव पुरुषों के वेतनमानों में अन्तर है। पुरुषो का वेतनमान 380–610 रुपये है, जब कि महिलाओं का वेतन–मान 490–840 रुपये है। किन्तु यह सही नहीं है कि दोनों का कार्य एक जैसा है। महिला वर्ग को पुरुष वर्ग के कार्यों के अतिरिक्त मातृ शिशु कल्याण तथा प्रसव पूर्व, प्रसव व प्रसवोत्तर सेवायें भी प्रदान करनी होती हैं। महिला वर्ग का प्रशिक्षण काल 18 माह से लेकर 2 वर्ष है, जब कि पुरुष वर्ग का प्रशिक्षण काल एक से तीन माह का ही है।

(2) वर्तमान में नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं। आपको ध्यान होगा कि यह वर्कर्स आपसे मिले थे। आपने वेतनमान में असमानताओं को दूर करने के लिए सदन से बाहर वायदा किया था, आज आप सदन में वायदा कर लें तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : न मैंने कोई वायदा किया है और न ही मैं वायदे में विश्वास करता हूं। मेरा निवेदन यह है कि जब इनकी ड्यूटी में इतना अन्तर है तो तनख्वाह में भी अन्तर होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने लिखित में कहा था कि मैं इनकी बातें पूरी करूंगा और समान काम के लिए समान वेतन का प्रयास करूंगा। यह आपने कहा था, आज आप भूल गये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस प्रश्न के भाग (2) में मैंने कहा है, "वर्तमान में नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है।"

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । 569

जोधपुर नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष द्वारा भू–खण्डों की नीलामी में अनियमितता

569. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवा-महल): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अध्यक्ष ने वर्ष 1982-83 में भूखण्डों की नीलामी की बोली प्रतिग्रहण करने में पूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेकर न्यास कोष को रुपये 75, 394/- की हानि पहुंचाई जिसका उल्लेख लोकल फण्ड आडिट के प्रतिवेदन में भी किया गया ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध इण्डियन पेनल कोड के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी एवम् राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा 93 (ए) के अनुसार उनसे उपरोक्त धनराशि की वसूली की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया सम्बन्धित आडिट पैरा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

राज्य मन्त्री, नगर आयोजना (श्री प्रद्युम्नसिंह) :(1) नगर विकास न्यास जोधपुर के वर्ष 1982-83 के आडिट प्रतिवेदन में भूखण्डों की नीलामी की बोली में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेने से न्यास कोष को रुपये 84, 978.19/- हानि बताई गई है।

(2) जहां तक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है आडिट प्रति वेदन के परीक्षण पश्चात ही उचित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। सम्बन्धित आडिट पैरा की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(आडिट पैरा के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आडिट रिपोर्ट आपको कब प्राप्त हुई ? उसके प्राप्त होने के बाद इस प्रकार की अनियमितताओं के कारण जो हानि हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आडिट रिपोर्ट पिछले माह की 13 तारीख को प्राप्त हुई थी। हमारा अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट है उसकी धारा 93 (ए) के तहत आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सम्बन्धित न्यास या नगर पालिका तीन मास के समय के अन्दर उत्तर प्रस्तुत करे। उसके बाद अगर लोकल फण्ड आडिट उसके उत्तर से संतुष्ट है तो वह ड्रोप करते हैं, अन्यथा सरकार को भेजते हैं तो सरकार उस पर कार्यवाही करती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न यह है कि जब किसी को कोई जमीन नीलामी से अलाट होती है, अलाट होने के बाद नीलामी की 3/4 राशि जमा कराने का नोटिस दिया जाता है उसके बाद जमा नहीं कराने पर ब्याज व शास्ति वसूल की जाती है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने का जिक्र आपने किया है उसके उत्तर में उन्होंने स्थिति बता दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट में किसने बताया है, यह मैं पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उसकी जांच होगी, न्यास से पूछा जायेगा। यदि सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह प्रश्न ऐसा नहीं है। पूर्व में नियम बनाये हुए हैं उनका इन्होंने उल्लंघन किया है उसके कारण से न्यास को लाखों रुपयों की क्षति हो रही है। आगे क्षति नहीं हो, इसके लिए आपने कोई आदेश दिये हैं या नहीं ?

प्रश्न संख्या 570

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बालचन्द आर्य, श्री अनंग कुमार जैन।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखे)

श्री रामधन। 571।

तहसील लाडनूं में आयुर्वेदिक औषधालय खोलना

571. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं तहसील में पिछले पांच वर्षों में एक भी आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोला गया ?

(2) क्या राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में ग्राम ओडींट, तंवरा व छप्पारा व रीडमलास में आबादी तथा भवन की व्यवस्था देखते हुए आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का इरादा रखती है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद(श्री दिनेश डांगी) (1) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1983-84 में ग्राम ओडींट में नवीन औषधालय स्वीकृत किया गया है।

(2) वर्ष 1983-83 में ग्राम ओडींट में औषधालय खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष स्थानों पर वित्तीय वर्ष 1984-85 में खुलने वाले औषधालयों के साथ, यदि ये ग्राम मापदण्ड में आते होंगे तो विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 572

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सुरजा राम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री महाराम चौधरी। 573

भेड़ विकास चरागाहों पर निर्माण कार्य

573. **श्री महाराम चोधरी** (नागौर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या संचालन परिषद जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की प्रत्येक बैठक में भेड़ विकास चरागाह कार्यक्रम के सुचारु रूप से नहीं चलाने की जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की ? यदि हां, तो किस-किस बैठक में किस-किस परियोजना अधिकारी, भेड़ विकास के खिलाफ ?

(2) क्या भेड़ विकास चरागाहों पर कराया गया निर्माण कार्य घटिया व अपूर्ण है तथा सही भी है नहीं? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं ?

(3) भेड़ विकास चरागाहों पर कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कराये गये टांके (होज) से कौन-कौन से टांके बन कर तैयार होते ही टूट गये है ? इन टांकों के निमार्ण कार्य में किसकी जिम्मेदारी रही है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या सरकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए निर्माण कार्य की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हा, तो क। तक ?

राज्य मंत्री कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) (1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण नागौर की बैठक दिनांक 23-9-82,

(8)

(श्री देवेन्द्र सिंह)

20-4-83 एवम 10-2-84 में जन प्रतिनिधियों द्वारा भेड़ विकास कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने के सम्बन्ध में कुछ शिकायत की गई है ।

(2) जी नहीं । केवल नागौर जिले के दो भूखण्ड गोल एवम लाखोना पर कार्य अपूर्ण है क्योंकि स्थगन आदेश थे ।

(3) भेड़ विकास कार्यक्रम के अन्तगर्त निर्माण कराये गये टांकों में से केवल एक टांका बनकर तैयार होते ही टूट गया । इसकी जांच की गई और ठेकेदार को पूर्ण भुगतान नहीं किया है।

(4) जहां कहीं भी इन कार्य के सम्बन्ध में व कार्य के बारे में विशेष प्रकार की शिकयत आवेगी तो इसकी जांच कराई जायेगी ।

श्री महाराम चौधरी : मंत्री जी ने बताया कि 23-9-82, 20-4-83 एवम् 10-2-84 को जन प्रतिनिधियों ने प्रोजेक्ट अधिकारी को चरागाह कल्याण कार्यक्रम के संबंध में और टाका बनाने के संबंध में अनेक शिकायतें की हैं । आपने सिर्फ यह कहा कि कोई विशेष शिकायत नहीं है । इससे ज्यादा विशेष शिकायत क्या हो सकती है । जिले की बैठक के अन्दर बताया है गोगोंवाल पालड़ी जोधा। पंचरन्डा, दालिए, खमियाद, नबरणपुरा, पंचोड़ी प्रथम, हरसौर द्वितीय मूण्डवा, यह सभी टांके टूटे हुए पाये गये थे । उसका मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया । इसी प्रकार से मंत्री जी ने कहा कि विशेष शिकायतें नहीं आई । यह जन प्रतिनिधियों की शिकायतें थी इससे ज्यादा और क्या शिकायतें हो सकती हैं । इसको भी नहीं मानते । मैं आज विधान सभा में यह निवेदन करता हूं कि प्रोजेक्ट आफिसर, भेड़ एवं ऊन अधिकारी, नागौर, विकास अधिकारी, नागोर के द्वारा तीन साल में जो कार्य कलाप किये गये हैं निमार्ण कार्य हुए हैं, तारबन्दी की गई है उन सब की शिकायतें हुई हैं । इस प्रसंग में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हू कि आप इसकी जांच करवाने की कार्यवाही करें। आपको स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है। भयंकर भ्रटाचार व्याप्त है ।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसको शीप एण्ड वूल डिपाटमेंट करता है । माननीय सदस्य को शिकायत है तो लिखकर दे दें, उसकी जांच करवा ली जायेगी ।

श्री महाराम चौधरी : मैने जो प्रश्न पूछा है उहमें नियत वही थी कि ये जो कार्यक्रम चलाये गये इनमें भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है । जांच कराने की आवश्यकता है ....

श्री देवेन्द्र सिंह : आप लिख कर दे दीजिये........

श्री महाराम चौधरी : आपको भेड़ ऊन विभाग को प्रश्न ट्रांसफर कर देना चाहिये था....

श्री देवेन्द्र सिंह : लिखकर दे दीजिये । आपने जो बात कही है उसको प्रोसीडिंग्स में देखकर उसके अनुसार जांच करा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रोसिडिंग्स के आधार पर जांच कराई जायेगी ।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैने पिछले साल एक शिकायत की थी। जो भेड़ों के लिये तारबन्दी की गई थी उसमें चारे के लिये प्रोविजन है उसमें बुवाई की गई। चार्ज हो गई एप्रूव भी हो गइ। बाजरा वहां मौजूद था। उसके बावजूद कार्यवाही नहीं हुई। क्या मंत्री महोदय इसमें कार्यवाही करेंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : यह भेड़ ऊन विभाग से सम्बन्धित है, यह प्रश्न उनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशु पालक संघ की सांचोर शाखा ने लिखकर शिकायत की है। भयंकर घोटाला है। खेती है नहीं। टांके टूटे फूटे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, इस संबंध में जांच की है तो उसके क्या परिणाम निकले, इसकी जानकारी देंगे ?

श्री देवेन्द्र सिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप जो कह रहे हैं, इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 574

श्री कमलर भाई मीणा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री नंदलाल मीणा।

पापुलराइजेशन स्कीम को पुनः स्वीकृति

575. **श्री नंदलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि कृषि विभाग में पापुलराइजेशन स्कीम का कार्य पुनः स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो पूर्व में समाप्त हुई पापुलराइजेशन स्कीम (एफ. रिसर्च स्कीम) को समाप्त करने के क्या कारण रहे हैं ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : जी नहीं।

श्री नंदलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब में जी नहीं कहा है। मैं कहना चाहता हूं, सन् 80 में स्कीम को खतम कर दिया। वह स्कीम खतम होने के बाद आपने उसका चार्ज किस को हैण्ड ओवर किया ? क्या अब तक इसका फिजिकल वेरीफिकेशन किया गया है ? उसमें जो लाखों रुपयों का सामान शोर्ट पाया गया है उसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री देवेन्द्र सिंह : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केवल प्रदर्शन करता था जहां से सामान लाते थे, वहीं लौटा देते थे।

श्री नंदलाल मीणा : लाखों रुपयों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है। इसको अलग से पूछ लेते।

(व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा : सामान किसको हैण्ड ओवर किया, उसका फिजिकल वेरीफिकेशन किया ?

(10)

श्री अध्यक्ष : जिस तरह से इस प्रश्न को प्रारुपित किया है' उसमें अभी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वे सब बातें कहीं नहीं हैं। सामान कम था, इसकी जांच वर्तमान प्रश्न में नहीं आती हैं, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी।

बाड़मेर जिले में घटित चोरी व डकेती की घटनाए

५७६. श्री हेमाराम चौधरी (गुढा-मालानी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1983 में थानेदार, चोरी, व डकेती के कुल कितने मुकदमे दर्ज हुए एवं कितने मुकदमों में चोरी व डकेती का माल बरामद हुआ एवं कितने मुकदमों में नहीं ? कृपया पुलिस स्टेशन बीजारोड़, गडरा रोड, ढ़ामसर, शिव एवं चोहटन में चोरी एवं डकैती के वर्ष 1983 के मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्तस्थानों के चोरी एवं डकैती के मुकदमों की बहुत कम बरामदगी का कारण वहां के थाना प्रभारियों का अपने कर्तव्यों का मुस्तैदी से निर्बहन नहीं करना है ? यदि हां तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा 1983 में उक्त स्थानों पर ऐसी वारदातें अधिक हुई ? यदि हां, तो किस कारण ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये निवेदन किया है। बड़ी विस्तृत सूचना चाही है।

श्री हेमाराम चौधरी : मेरा एक ही प्रश्न लगा है सारे सत्र में।

मंत्री, संसदीय कार्य (श्री खेतसिंह राठौड़) : आप इतनी लम्बी सूचना क्यों मांगते हैं।

श्री हेमाराम चौधरी ; बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :— स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न। श्री राम प्रसाद (148)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में आयेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 577

श्री राम प्रसाद :
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)।

राजस्थान नहर परियोजना पर वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास योजना

578. श्री मानसिंह देवड़ा (जोधपुर) : क्या पशु पालन राज्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान नहर परियोजना पर वृक्षारोपण, पशुधन हेतु चरागाह विकास योजना कब से आरम्भ की गई ?

(श्री मानसिंह देवड़ा)

(2) उक्त योजना पर कितनी लागत आयेगी और इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

राज्य मन्त्री, पशुपालन (श्री श्रीराम गोटेवाला) : (1) यह योजना 23 जुलाई, 1983 से बीकानेर जिले के बज्जू एवं अमर पुरा ग्राम से प्रारम्भ की गई है।

(2) इस वृहत परियोजना के क्रियान्वयन पर लगभग 55.46 करोड़ रुपये लागत आने की सम्भावना है। योजना के लक्ष्यों के अनुरूप पूर्ण रूप से चलाये जाने पर सात वर्ष की अवधि में पूर्ण किये जाने की आशा है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आपने यह जो योजना चालू की है, जो भूमि एक्वायर करने जा रहे हैं और जो एक्वायर कर ली है उसको कम्पेन्सेट करके परियोजना चालू करेंगे या उससे पूर्व कर देंगे ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिस भूमि पर कार्य प्रारम्भ हुआ है वह जमीन सरकारी है। आगे कोई भविष्य में ऐसी जमीन आई जिस जमीन पर किन्हीं का हक निकलता होगा तो उसमें निर्णय यह लिया गया है कि उसकी एवज में दूसरी जमीन दी जायेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कार्यक्रम बज्जू और अमरपुरा में चालू किया गया है, ऐसा माननीय मन्त्री महोदय कह रहे हैं। अमरपुरा में स्पेशल स्कीम का कोई कार्यक्रम चालू नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है।

श्री अध्यक्ष : गांवों के नाम लिये हैं, भूमि कहां की है, कहां की नहीं है, इसकी जानकारी नहीं चाही है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी जानकारी लेना चाहता हूं, मन्त्री महोदय फर्मा रहे हैं कि कोई ऐसी जमीन नहीं है लेकिन मुझे जानकारी है, मेरे पास ऐसे केसेज हैं कि खातेदारी की जमीन इसमें आयी है। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि ....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसी के दायरे में है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई खातेदारी की जमीन आयी है तो ऐसा कोई क्लेम अभी तक नहीं आया है। वैसे मैंने निवेदन किया कि राजस्थान नहर के लैफ्ट बैंक पर बिल्कुल सूनी हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है और 50 हजार एकड़ जमीन के अन्दर यह योजना क्रियान्वित कराये जाने की बात है। मैंने शुरू में निवेदन किया कि कहीं जमीन ली जाती है तो यह निश्चय किया गया है कि दूसरी जमीन एवज में दी जायेगी। माननीय सदस्य को तो इस योजना का स्वागत करना चाहिए कि इतने बड़े रेगिस्तान को चेंज करके उसमें वृक्षारोपण

(12)

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

का कार्यक्रम, चरागाह डवलपमेंट का कार्यक्रम हाथ में लिया है। उस कार्यक्रम में हम आपके सहयोग की कामना करते हैं। जहां तक खातेदारी का सवाल है, क्योंकि राज्य सरकार की नीति है कि वहां पर राज्य सरकार उन चरागाहों को डवलप करके अच्छी नस्ल की गायों को बचाने का कार्य करेगी, दूध का संकलन करेगी, डिस्पेन्सरी खोलेगी। यह बहुत बड़ी योजना है। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह 55 करोड़ के आसपास की योजना है इसकी क्रियान्विति में मैं तो निवेदन करूंगा कि ....

श्री देवीसिंह भाटी : मैं कार्यक्रम की प्रशंसा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सरकार इस काम के लिए धन्यवाद की पात्र है। उस क्षेत्र में दो किलोमीटर बैल्ट है जहां चरागाह विकास कर रहे हैं। सरकार उस क्षेत्र को बिल्कुल आबाद कर देगी और उस क्षेत्र को बिल्कुल हरा भरा कर देगी। पर मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप भूमि अवाप्त करें उसके पूर्व उन्हें अलाट करने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कनक राज मेहता।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल। अध्यक्ष महोदय, मेरे यहां पुराना चरागाह विकास कार्यक्रम जिस तरह से चलाया है क्या उसी तरह से पशुपालन के लिए चरागाह आप विकसित करेंगे या उनसे ठीक करेंगे?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो टैरीटोरियल आर्मी के माध्यम से चलाया जा रहा है, इसमें कार्य प्रारम्भ हो चुका है। आप हर चीज में शंका ही शंका मत किया करो।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कनक राज मेहता।

जालौर जिले में दानदाताओं द्वारा भेंट वस्तुएं

579. **श्री कनकराज मेहता** (सांचौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर जिले में किस किस स्थान पर दान दाताओं द्वारा एक्सरे–मशीन व रेफ्रिजरेटर किस किस साल में कितने कितने भेंट किये हैं?

(2) क्या उक्त दानदाताओं द्वारा भेंट की गई वस्तुएं कार्यरत हैं? यदि हां, तो तो कितने व कहां कहां? नहीं तो कब से व कहां कहां?

(3) क्या सरकार उक्त भेंट की गई वस्तुओं को ठीक कराना उचित नहीं समझती? नहीं, तो ये कब तक ठीक हो जायेंगे?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़) : (1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) मरम्मत करायी जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री कनकराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ में मेरा निवेदन है कि स्थान स्थान पर अस्पताल हैं और वहां पर दानदताओं द्वारा कई बिस्तर, फिज वगैरह दान में दिये जाते हैं, आक्सीजन सिलेण्डर दिये जाते हैं लेकिन उनको मेन्टेन नहीं किया जाता, जो करना बहुत जरूरी है। कई लोगों के पास दवाइयां नहीं होती हैं तो वह लोग देते हैं। यह व्यवस्था नहीं है तो हर हास्पिटल में यह व्यवस्था चालू की जाय ताकि दान में दी हुई चीजों को सही रूप में मेन्टेन किया जा सके। इनका रिकार्ड भी रखा जाना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनका रिकार्ड रखना चाहिए। ऐसे स्थान तो कम ही हैं जहां दान में चीजें आती हैं बाकी तो सरकार ही मेन्टेन करती है। आपके इलाकों में कुछ स्थानों पर कुछ सेठों ने दान में ये रेफ्रिजरेटर दिये हैं या एकाध जगह पर एक्स–रे मशीन भी दी हैं ....

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अब विडियो और टेलीविजन भी दिये हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विडियो, टेलीविजन नहीं दिये हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : विडियो दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : हमारे रेगिस्तान के इलाके को मत भूल जाना इसमें।

प्रश्न संख्या 580

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री राजबहादुर।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 581

अगला प्रश्न। श्री भगवान दास शास्त्री।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 582

अगला प्रश्न। श्री शिवदान सिंह राठौड़।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 583

अगला प्रश्न। श्री धारा राम फुलवारिया।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 584

अगला प्रश्न। श्री राधेश्याम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।

प्रश्न संख्या 585

अगला प्रश्न। श्री बहादुर सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह। प्रश्न संख्या 586।

(अनुपस्थिति : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल।

(15)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : नाथूसिंह वाले प्रश्न को पूछने की मुझे इजाजत दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल। श्री हीरालाल।

नैनवा एवं करवर कस्बों में पेयजल की समस्या

587 : **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बून्दी जिले के नैनवा एवं करवर कस्बे में पेयजल की समस्या है ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने उक्त समस्या को दूर करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की तथा की जा रही है ?

(3) क्या सरकार उक्त समस्या को शीघ्र हल करने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : जन स्वास्थ्य मंत्री जी।

जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां।

(2) उक्त समस्या को दूर करने हेतु नैनवां नगर में भू-जल का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। करवर ग्राम की जल योजना पर एक नलकूप बनवाया है जिसे शीघ्र चालू किया जा रहा है।

(3) जी हां।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा नैनवा के बारे में आपने फर्माया कि भू-जल का अभी तक सर्वेक्षण चल रहा है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जो अभी इस वक्त परियोजना कार्यरत है वह बहुत पुरानी है। जिस वक्त यह स्वीकृत की गयी थी उसके कम्पैरीजन में सारे कनेक्शन्स लग गये हैं। आबादी बहुत बढ़ गयी जिससे लोगों को असुविधा होती है। अभी तक सर्वे चल रहा है और सर्वे चलने के बाद क्या स्थिति बनेगी, कैसे उन लोगों की पानी की समस्या दूर होगी। अध्यक्ष महोदय, गर्मी आ रही है और वहां पानी का संकट गहराता जा रहा है अतः पीने के पानी की शीघ्र व्यवस्था करें। पहले भी वहां के नागरिकों ने शिकायत भेजी है। इसी तरह से करवर में भी समस्या है। वहां बहुत वर्षों पहले योजनाएं स्वीकृति की गई थीं। आबादी बढ़ने की वजह से और कनेक्शन अधिक बढ़ने की वजह से टैंकों की क्षमता छोटी पड़ती है और उसके अनुरूप दोनों को पानी पहुंचाने में वर्तमान टैंक सक्षम नहीं है। अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करें, इस समस्या को दूर करें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अभी वर्तमान में नैनवा कस्बे की पानी की समस्या जटिल है और सरकार इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करा रही है। बाद सर्वेक्षण के यह पता चल जायेगा कि जल है या नहीं। उसके बाद पुनर्गठन या आगमेन्टेशन की योजना शुरू की जायेगी, आगमेन्टेशन के बाद साधनों की उपलब्धता की ओर देखा जायेगा और फिर

(श्री परसराम मदेरणा)

इस योजना का क्रियान्वयन होगा ।जहां तक करवर ग्राम की समस्या है इसके बारे में उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि कुआं खोदा गया है और उसको चालू करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न । क्या यह सही है कि नैनवा नगर की जल योजना में जो पहले कुए थे उनसे पानी इकट्ठा किया जाना था और उन कुओं मे इस पानी को टैंकों में इकट्ठा किया जाना था ? उन कुओं से पानी इकट्ठा न किया जाकर नये कुए खुदवाये जाने का क्या कारण है, उनसे ही पानी क्यों नहीं लिया जाता है ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी योजना का सर्वेक्षण हो रहा है कि पानी की उपलब्धता है या नहीं है । यदि नैनवा के वर्तमान के सार्वजनिक कुओं में पानी की उपलब्धता है और पानी प्रेस्क्राइब्ड पैरामीटर के अन्दर है तो उनको एक्सप्लोइट कर लिया जायेगा ।

श्री सूर्यकुमार : मेरा प्रश्न है कि नैनवा नगर की जो मूल योजना बनी वह योजना बनी, उस योजना में पुराने कुओं से ही पानी इकट्ठा किया जाना था तो उन कुओं से इकट्ठा न करके नये कुए क्यों खुदवाने जा रहे हैं ? इसको समझाइये मुझे ।

श्री परसराम : मूल में क्या योजना बनी उसका मेरे पास में बायो डेटा नहीं है । अगर आप मूल योजना के बारे में पूछते तो पुरानी फाइल को देखकर आता । मूल योजना के सम्बन्ध में जो प्रश्न है मैं निर्मूल नही मानता आपके कथन को लेकिन मेरे पास में अभी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

सीकर के राजकीय श्री कल्याण अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

588. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही कि वर्ष 1983 में सीकर स्थित राजकीय श्री कल्याण अस्पताल में 45 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन हेतु नियोजन कार्यालय के मार्फत नाम मांगे गये थे ? यदि हां, तो क्या उनका पूर्ण चयन कर लिया गया ? यदि नहीं, तो कितनों का ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी गई ? यदि हां, तो चयनित अभ्यर्थियों को कहां कहां लगाया गया ? यदि नहीं, तो वजों ?

(3) उक्त चयन में कौन कौन प्रतिनिधि साक्षात्कार हेतु बैठे थे ? कृपया, उनके नाम की सूची मय चयनित अभ्यर्थी के सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान ज़िला मुख्य चिकित्सा अधिकारी नये सिरे से चयन करने के इच्छुक हैं एवं पूर्व के चयनित अभ्यर्थियों की सूची रद्द करने का प्रयास कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो पूर्व के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(16)

(श्री घनश्याम तिवाडी)

(5) क्या सरकार उक्त नियुक्ति में विलम्ब होने की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

(6) क्या यह भी सही है कि स्वास्थ्य मन्त्रीजी के आदेश से नियुक्तियां हुई हैं ? क्या उनमें से अधिकांश सीकर जिले के बाहर के हैं ? यदि हां, तो कितने व क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़) :(1) जी नहीं। वर्ष 1983 में किन्हीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का चयन नहीं किया गया। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) जब वर्ष 1983 में कोई नियुक्तियां ही नहीं दी गई तो पदस्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(6) वर्ष 1983 में रोस्टर प्रणाली के तहत स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी को नियुक्ति दी गई जो सीकर जिले के बाहर का था जिसका नाम श्री सीताराम खटीक पुत्र छीतरलाल निवासी जयपुर है।

श्री घनश्याम तिवाडी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न का जिस तरह का जवाब दिया है उतना असत्य जवाब इस विधान सभा में कभी नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पूरे फैक्ट रख रहा हूं कि डा. जाजू, सी.एम.एच.ओ. के पद से रिटायर होने से पहले डिप्टी डायरेक्टर जयपुर के रूप में वहां पर गए थे और उन्होंने 45 आदमियों का सलेक्शन करके सूची लगाई थी।

श्री अध्यक्ष : आपका वर्ष तो सही है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वर्ष भी बिल्कुल सही है। वर्ष 1983 के फ़रवरी में 45 आदमियों का सलेक्शन हुआ था, उनके नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज से आए थे, उनका इण्टरव्यू लेकर सूची बनाई गई थी और यह कह करके कि इस समय नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है, जिस समय यह प्रतिबन्ध हट जाएगा यह सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। आपकी जानकारी लिए भी बता दूं कि रिटायर होने से दो महीने पहले डिप्टी डायरेक्टर ने एक एक व्यक्ति से पैसे खाकर 45 आदमियों की सूची बनाई थी।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि उसके बाद डा. दास गुप्ता वहां गए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यहां पर काम कर रहे हैं उनको लगा दिया जावे। उसके बाद में उन आदमियों को लगा दिया गया, वह जो टेम्प्रेरी काम कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा और सप्रमाण निवेदन करूंगा कि उसके बाद में उस लिस्ट को कैंसल कर दिया गया। उन आदमियों को नोकरी से निकाल दिया गया और उस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिस्ट को कैंसल कर दिया गया । उसके बाद में 13 आदमियों की माननीय मंत्री महोदय ने नियुक्ति की । आपने एक आदमी की नियुक्ति की बात कही है लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 13 आदमियों, जो सीकर से बाहर के हैं, को सीकर जिले में नियुक्ति दी गई और जो सीकर में टेम्प्रेरी रूप में काम कर रहे थे उनको नियुक्ति नहीं दी गई । माननीय मंत्री महोदय का यह उत्तर सरासर गलत और असत्य है जो वे सदन में दे रहे हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ जवाब दे रहा हूं वह सरकारी रिकार्ड के आधार पर दे रहा हूं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं भी रिकार्ड के आधार पर ही कह रहा हूं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप ही हैं स्वास्थ्य मंत्री ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं स्वास्थ्य मंत्री तो नहीं हूं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि इतना अजानकार स्वास्थ्य मंत्री भी इस डिपार्टमेंट में हो सकता है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप जवाब दे दीजिए ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपको फिर जवाब दे रहा हूं कि जो मैंने जवाब दिया है वह सही है । मैं जानता था कि यह श्री घनश्याम तिवाड़ी का प्रश्न है जो बोलने वाले अच्छे वक्ता हैं । पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । इसमें कहीं कोई गलती नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपको फिर कहता हूं कि डा. जाजू डिप्टी डायरेक्टर यहां से गए हैं, उन्होंने इण्टरव्यू लिया है, और 45 आदमियों का सलेक्शन किया है ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इण्टरव्यू लिया था लेकिन नियुक्ति एक भी व्यक्ति को नहीं दी गई ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस समय सलेक्शन किया गया था । सलेक्शन को आपने निरस्त कैसे कर दिया ? 45 आदमियों का सलेक्शन हुआ था ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 45 आदमियों में से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं कि सलेक्शन हुआ था । मेरे पास पूरी सूची है । डिप्टी डायरेक्टर यहां से गए थे और 45 आदमियों का सलेक्शन हुआ था और उसके बाद में यह कहा गया कि इस समय नियुक्तियों पर बैन है, बैन हटने के बाद में नियुक्तियां दी जाएगी । बाद में उस सलेक्शन को कैंसल कर दिया और जिन बाहर के लोगों को नियुक्तियां दी गई उनकी एप्लीकेशन पर ही लिख दिया गया कि इनको लगा दिया जाय । खेतसिंहजी राठौड़ ने लिखा कि इनको लगा दिया जाय । इस तरह से सीकर जिले के बाहर के लोगों को

(१८)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियुक्ति दी गईं और जो लोग टेम्प्रेरी पहले से काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। सीकर जिले के बाहर के लोगों को नियुक्ति दी गई, यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा तो एक ही जवाब है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बिल्कुल गलत जवाब है। आपने 13 आदमियों, को जो सीकर जिले के बाहर के हैं, को वहां पर लगाया है और × × × × उनको नियुक्तियां दी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। ऐसा है कि अगर आप समझते हैं कि मंत्री जी का उत्तर गलत है तो अपने नियमों के अन्दर और भी प्रावधान हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × × बाहर के लोगों को लगा दिया और पिछले सलेक्शन की लिस्ट बनी थी उसको केंसल कर दिया ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन पर कार्यवाही नहीं थोपें, माननीय सदस्य। मैंने निवेदन किया था ....

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री शिव-राम शर्मा।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे सप्ली-मेंट्री की इजाजत दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री शिव राम शर्मा।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। जिले का मामला है। मैं मंत्री महोदय को जानकारी देना चाहता हूँ। इनको जो जानकारी दी गई है वह गलत है। यह सही है कि 10-11 बाहर के व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जांच करके आपको बता दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जांच क्या करेंगे। आपके हाथ से लिखा हुआ है। × × × खुद ने नियुक्तियां दी हैं सीकर जिले के बाहर के लोगों को।

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्री जी के आदेश से नियुक्ति दी गई या किन के आदेश से दी गई, यह तो पता नहीं लेकिन नियुक्ति हुई हैं।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 45 आदमियों का सलेक्शन कर दिया ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं आपको फिर कहता हूँ कि 1983 में कोई नियुक्ति नहीं हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपको फिर कहता हूँ कि 45 आदमियों का सलेक्शन ××× किया गया, उनके इण्टरव्यू हुए ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया।

प्रश्न संख्या 589

श्री शिवराम शर्मा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कमलेन्द्रसिंह

देबारी जिंक स्मेल्टर से बेड़च नदी के पानी में प्रदूषण

590. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) देबारी जिंक स्मेल्टर से बेड़च नदी के पानी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(2) इस प्रदूषण का प्रभाव बेड़च नदी में कितने किलोमीटर तक पड़ता है ?

(3) कितने गांवों में इस प्रदूषित पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता है ?

राज्य मंत्री, पर्यावरण (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) वर्तमान में हिन्दुस्तान जिंक के देबारी जिंक स्मेल्टर द्वारा उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र लगाने के बाद उससे वाहित उच्छिष्ठ से बेड़च नदी में प्रदूषण होना परीक्षण के बाद नहीं पाया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आपने यह बताया, जिलाधीश महोदय ने अभी अभी आपके पास रिपोर्ट भेजी है कि 27 गांवों में प्रदूषित पानी पाया गया है, आप कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष, महोदय, यह बात सही है कि आपने जो सवाल रखा है, हमने कलेक्टर से पूछा है। कलेक्टर की रिपोर्ट तकनीकी आधार पर नहीं होकर गांव के लोगों की भावना के आधार पर है। लेकिन मैं आपके सामने रिकार्ड के आधार पर निवेदन कर रहा हूँ, जो जांच होती है साइंटिफिक वे में उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो मात्रा है प्रदूषण की वह इतनी नहीं है कि वह सीमा से बाहर हो।

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(20)

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जिलाधीश की जो रिपोर्ट है उसके लिये आपने कह दिया कि वह गांव वालों की भावना के अनुरूप उन्होने रिपोर्ट दे दी है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही नहीं है कि बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो संयंत्र वहां पर लगाया गया है वह 60 प्रतिशत ही प्रदूषण साफ करता है और 40 प्रतिशत प्रदूषण अभी तक बेड़च नदी में जा रहा है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ऐसी कोई रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कमलेन्द्र सिंह : आपको जो फिगर दिए गए हैं उससे ही स्पष्ट हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसमें जो फिगर दिए गए हैं वह बता देता हूं मैं आपको।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता अपने फिगर बता दें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास फिगर हैं उनके अनुसार उसमें आयरन 3 पर्सेंट है, निकिल 3 पर्सेंट है, जिंक 1 पर्सेंट है, फास्फेट 5.5 पर्सेंट है, फ्लोराइड 1 पर्सेंट है, क्लोराइड 2.0 से 5 पर्सेंट है। क्लोराइड, माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिमम 3.75 पर्सेंट से ज्यादा अलाऊ नहीं है। यह प्रदूषण अभी भी 40 पर्सेंट से ज्यादा है। जो वहां पर संयंत्र लगाया गया है, लगाया जरूर है 1982 में किन्तु वह 60 पर्सेंट ही प्रदूषण को साफ करता है और 40 पर्सेंट प्रदूषण साफ नहीं करता है। 27 गांवों की लिस्ट जिलाधीश ने आपको दी है। 27 गांवों में अभी तक पानी उपयोग में नहीं आ रहा है। उस पानी को गाय भैंस तक नहीं पी सकती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार कोई व्यवस्था करेगी या कोई कार्यवाही करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर साहब ने जो फिगर दिये हैं वह मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास जो फिगर आये हैं वह हैं पी एच 2.4 पर्सेंट जिंक सर्किट में और 1.97 पर्सेंट फास्फेट सर्किट में और डिस्चार्ज हुआ था 11.07 पर्सेंट। मण्डल द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 5.5 से 9 पर्सेंट तक है। टी एस एस 90.4 पर्सेंट जिंक सर्किट का है और 143 पर्सेंट फास्फेट सर्किट और डिस्चार्ज है 414....

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका तात्पर्य यह है कि जो प्रदूषण हो रहा है वह 40 प्रतिशत से कम है। आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जी हां।

श्री कमलेन्द्र सिंह : तो क्या इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से और कोई कार्यवाही करने का कह सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जी हाँ, यह मैं कह सकता हूं

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 591

श्री शिवदान सिंह।

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : आगे देखिये)

श्री महावीर प्रसाद।

टोंक के पास बनास नदी पर पुलिया का निर्माण

592. **श्री महावीर प्रसाद जैन**(टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 12 जयपुर से कोटा तक निर्माण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है ? टोंक के पास बनास नदी पर पुलिया का कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान पुलिया जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो चुकी है ? इसके कारण नयी पुलिया निर्माण कराया जाना शीघ्र ही आवशक है ? यदि हां, तो इसके बारे में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? कब तक पुलिया का कार्य पूर्ण हो सकेगा ? विभाग के नार्म्स के अनुसार कब तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ?

राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री चेतराम मीणा) : (1) व (2) राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 12 (जयपुर से कोटा) तक के निर्माण हेतु वर्ष 83-84 में लगभग 74.05 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित है। टोंक के पास बनास नदी पर बना पुल उपयोग में लिया जा रहा है और उसकी अवस्था जीर्ण शीर्ण नहीं है। नया पुल वाहनों की अधिकता एवं भार क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक है इसलिये नये पुल निर्माण की एक योजना भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेज दी है। पुल तथा सड़क निर्माण के कार्य भारत सरकार द्वारा स्वीकृति एवं प्रति वर्ष दी जाने वाली राशि के अनुसार हाथ में लिये जा जा सकेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह पुलिया जो बनास नदी पर बनी हुई है राज मार्ग नं. 12 पर है, क्या इसके पिलर्स खिसक चुके हैं? दूसरी बात यह कि क्या इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ? तीसरा, यह पुलिया है....

श्री अध्यक्ष : पुलिया नहीं है पुल है। पुलिया तो छोटी होती है। यह तो बड़ा पुल है। इसकी क्षति होने के बाद कोई दूसरा राजमार्ग भी नहीं है इसलिए सारा राजमार्ग जो जयपुर से कोटा जाता है, अवरुद्ध हो जायगा। इसकी अगर तुरन्त व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था करना जरूरी है।

श्री चेतराम मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पुलिया के बारे में कह रहे हैं वह 542 फीट लम्बा पुल है। इसका 1936 में निर्माण हुआ था, बी क्लास की लोडिंग के लिए निर्मित किया गया पुल है। अब लोडिंग भार बढ़ गया इसलिए दूसरी पुलिया की आवश्यकता समझी जा रही है। 1967 में इस पुल में क्रेक आ गया था उसको रिपेयर कर दिया गया है। दो वर्ष पूर्व नदी में ज्यादा पानी आ गया था इसलिए यह पुल डेमेज हुआ था लेकिन अब इस पर वन वे ट्रेफिक किया हुआ है। इसके साथ साथ सरकार उचित समझती है कि वाहनों का लोड बढ़ गया है और वर्तमान लोड के अनुसार यह पुल नहीं

(श्री चेतराम मीणा)

है इसलिए दूसरे पुल का सर्वे करा चुके हैं और उसके- निर्माण की स्वीकृति के लिये भारत सरकार को भेज दिया है । वहां से स्वीकृति आ जायेगी तो निश्चित रूप से कार्य शुरू करा दिया जायेगा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में इस पुल की इतनी क्षमता नहीं है । जो ट्रकों का भार बढ़ गया है, उसके मुकाबले में उपयुक्त नहीं हैं । जब उपयुक्त नहीं है तो जो केन्द्र सरकार को भेजा गया है उसकी कब तो स्वीकृति आयेगी और कब पुल बनकर खड़ा होगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इसके काबिल नहीं है कि लोड वहन कर सके और कभी भी टूट सकता है इसलिए कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था अवश्य की जाय ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । स्थगित प्रश्न ।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरे सत्र में एक प्रश्न आया है। 601 नम्बर का प्रश्न है । इसके अलावा एक भी प्रश्न पूरे सत्र में नहीं आया है इसलिए इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी ।

खण्डेला में बान्ध निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

601. **श्री मोहन लाल मोदी** : (नीमकाथाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग द्वारा खण्डेला जिला सीकर में बांध निर्माण हेतु श्री सत्य नारायण, श्री सूरज मल एवं श्री काशी नाथ के बाग मय जमीन के विधिवत् अवाप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर भूमि अवाप्ति अधिकारी नीमकाथाना द्वारा अवाप्त करवाई गई थी ?

(2) क्या अवाप्ति शुदा भूमि पर बांध बन चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(3) भूमि अवाप्ति अधिकारी ने उक्त अवाप्त शुदा भूमि का कितना मुआवजा किस तारीख को निश्चित किया ?

(4) मुआवजे की रकम उपरोक्त व्यक्तियों को कब भुगतान की गई ?

(5) क्या यह सही है कि मुआवजे की रकम का चैक उपरोक्त व्यक्तियों को दिया गया था ? जिसका बैंक ने भुगतान नहीं किया तथा चैक वापिस लौटा दिया गया ? यदि हां, तो चैक वापिस लौटाने के क्या कारण थे ?

(6) चैक के भुगतान नहीं होने में जिस अधिकारी की गलती है उसके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा उपरोक्त व्यक्तियों को कब तक भुगतान करा दिया जावेगा ?

सिंचाई मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां । खण्डेला जिला सीकर में बाध निर्माण हेतु श्री सत्यनारायण, श्री सूरजमल, श्री रिछपाल एवं श्री काशी नाथ के बाग में जमीन के अवाप्त करने की कार्यवाही, भूमि अवाप्ति अधिकारी नीमकाथाना द्वारा दी गई ।

(श्री परसराम मदेरणा)

(2) अवाप्त शुदा भूमि पर खण्डेला बांध का निर्माण हो चुका है । यह बांध वर्ष 1978 में पूर्ण हो चुका है ।

(3) भूमि अवाप्ति अधिकारी, नीम-काथाना द्वारा अवाप्त शुदा भूमि एवं बाग का मुआवजा श्री सत्यनारायण, श्री रिछ-पाल, श्री सूरज मल एवं श्री काशी नाथ के पक्ष में कुल राशि 2,03,250) रु. का दिनांक 4-6-81 को तय किया ।

(4) मुआवजे की रकम के तीन चैक कुल 2,03,250) रु. के सम्बन्धित काश्त कारों को भुगतान करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी को अधिशाषी अभियन्ता के पत्र क्रमांक स्पेशल । जे पी आर । केम्पे 1-3 दिनांक 30-3-83 मार्फत खण्डीय खजान्ची भिजवाये गये । परन्तु इन चैकों में से मात्र एक चैक 15300 रुपये श्री सूरज मल पुत्र श्री शिव दयाल एवं श्री काशीनाथ पुत्र श्री शिव प्रसाद ही ले सके । दो चैकों की रकम बैंक से काश्तकार प्राप्त नहीं कर सके ।

(5) मुआवजे की रकम के दो चैक निम्न . काश्तकारों को दिये गये थे :—

नाम	राशि
श्री सूरज मल पुत्र श्री शिव दयाल तथा श्री सत्य-नारायण पुत्र श्री शिवप्रसाद	1,73,850/-
श्री सूरज मल पुत्र शिव दयाल तथा श्री काशी. नाथ पुत्र श्री शिव प्रसाद	15,300/-

श्री रिछपाल की मृत्य होने कारण उसका चैक 14100)रु. का नहीं दिया गया था । क्रम सं. 1 के चैक का भुगतान बैंक ने नहीं किया था । चैक की समयावधि समाप्त होने के कारण बैंक ने चैक वापिस लौटा दिया था ।

(६) सर्व श्री सूरज मल पुत्र श्री शिव-दयाल तथा श्री सत्यनाराण पुत्र श्री शिव-प्रसाद को 1,73,850)रु. का चैक दिनांक 28-3-84 को और श्री रिछपाल के वारिस श्री मदन लाल पुत्र श्री रिछपाल व श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री हर दयाल को 14100) रु. का चैक दिनांक 31-3-84 को भुगतान प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी के माध्यम से दे दिये गये हैं ।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह चैक पहले भी दे दिया गया था लेकिन भुगतान नहीं हुआ था । उसको बैंक ने वापिस कर दिया । यह कह कर वापिस कर दिया कि खाते में पैसे नहीं हैं । अधिकारी ने बड़ी रकम चाही थी और रकम नहीं होने की वजह से चैक वापिस हुआ । मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने स्वयं ही यह आदेश दिया था कि इसको मुआवजे की रकम का भुगतान दिलाया जाय । पहले आपके विभाग ने आदेश दिया था कि उसको मुआवजा नही देंगे । आपने स्वयं राशि दिलवाई लेकिन चैक देने के बाव-जूद पेमेन्ट नहीं हुआ । अब कब तक पेमेन्ट हो जायगा, कृपा करके बताने का कष्ट करें ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष-महोदय, इस प्रश्न का उत्तर इसलिये ही लम्बा लिखा है कि पहले वाले चैक में लेटर

(२५)

(श्री परसराम मदेरणा)

आफ क्रेडिट का जो अमाउन्ट था वह कम था। लेटर आफ क्रेडिट जो दे दिया गया था वह अमाउन्ट कम था और उसी आधार पर जरी चैक को एनकेश करती है वह वापिस आ गया। जब मेरे सामने प्रश्न आया, तो सभी चैक वापस भेजे गये हैं और अब अमाउन्ट पूरा का पूरा भेज दिया ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

(12.00 मध्याह्न)

श्री देवीसिंह भाटी :एक मेरा ही तो रह गया है, अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये–598

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं। इजाजत नहीं दी जावेगी। अव्यवस्था न फैलायें।

स्थगित प्रश्न संख्या 324

श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 337

श्री सुरजाराम।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 564

श्री अनंग कुमार जैन।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री सूरजपाल सिंह

कृषि उपज मण्डी भीनमाल द्वारा निर्माण कार्य हेतु बजट स्वीकृत न करना

565. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी भीनमाल का बजट गत चार साल से निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बजट स्वीकृत न होने के कारण सब यार्ड रामसीन व रानीवाड़ा का निर्माण कार्य बार बार रोकना पड़ता है ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) मण्डी समिति भीनमाल हेतु निर्माण के बजट की स्वीकृति गत चारों वर्षों में दी गई है।

(2) जी नहीं। रामसीन सब यार्ड के निर्माण हेतु वर्ष 82-83 व 83-84 में बजट स्वीकृत किया गया है।

श्री सूरजपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मण्डी समिति भीनमाल का बजट पिछले चार वर्षों में, आप कह रहे हैं, पास किया गया है। निर्माण कार्यों का बजट बिल्कुल पास नहीं किया गया उसकी वजह से निर्माण कार्यों का बार-बार काम को रोकना पड़ा है, क्या यह सही है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : जी नहीं, हमने हर वर्ष बजट स्वीकृत किया है जो वर्षवार मैं आपको निवेदन कर सकता हूं। 1981 में 14,07,039.50 व्यय हुए हैं, 81-82 में 10,99,400), 82-83 में 4,77,800), 83-84 में 3,45,000) की स्वीकृति मण्डियों पर हुई और खर्च हुए हैं।

प्रश्न संख्या 566

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री आत्मा राम

(अनुपस्थितिः कृपया आगे देखें)

श्री बालचन्द आर्य, श्री अनंगकुमार जैन।

जिला झालावाड़ में लगाये गये पेड़

570. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) व **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

झालावाड़ जिले में सन् 1980 से से1983 तक कितने पेड़ किस किस जाति के लगाये गये और उनमें से वर्तमान में कितने जीवित हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं बैठा हुआ हूं मेरा नम्बर नहीं आ रहा है। उनको आप दो दो बार पुकार रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दुबारा प्रक्रिया यह रहती है कि शुरू से फिर पुकारा जाय। इसका उत्तर दे दीजिये।

राज्य मंत्री वन : (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : वन विभाग द्वारा लगाये गये पेड़ों की वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 4 देखें)

श्री बालचन्द आर्यवीर : एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

अगला प्रश्न 595

श्री बालचन्द आर्यवीर ; अध्यक्ष महोदय, हमारे झालावाड़ जिले का प्रश्न है 564 इसका भी उत्तर दिला दें। ग्रामीण अंचल का मामला है, अध्यक्ष महोदय,।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें। बाधा न डालें।

हरिजन बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर पेयजल व्यवस्था

595. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पेयजल समस्याग्रस्त गांव में व्यवस्था करने में सबसे पहले हरिजन बस्ती में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाती है ?

(2) यदि हां, तो जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के ग्राम रजवास, माधोगढ़, हीरावाला जहां काफी तादाद में

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

हरिजन परिवार रहते हैं, उन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था नहीं करने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) जी नहीं, अनुसूचित जाति एवं जन जाति की बस्ती में हैण्डपम्प लगाने को प्राथमिकता दी जाती है जिनमें हरिजन बस्ती भी शामिल है। केवल हरिजन बस्ती के नाम से अलग से प्राथमिकता देने की नीति नहीं है।

(2) जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति के प्रश्न में वर्णित गांवों में पेयजल व्यवस्था की गांववार स्थिति इस प्रकार है:—

रजवास :— एक हैण्ड पंप रैंगर, बलाई बस्ती के पास लगाया गया है।

माधोगढ़ :— वर्ष 83-84 में 7 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए हैं जिनका कार्य शीघ्र शुरू किया जा रहा है।

हीरावाला :— एक हैण्ड पम्प बलाई, रैंगर बस्ती के करीब लगाया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसको बिल्कुल असत्य कहूं तो न मेरे लिये और न उनके लिये अच्छी बात है। आपकी जानकारी बिल्कुल गलत है। रजवास में कोई रैंगर बस्ती ही नहीं है, वहां बैरवा बस्ती है। रैंगर बस्ती नहीं हैं और वहां बैरवा बस्ती में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है। मेरे यहां बी. जे. पी. का ठेकेदार है हैण्ड पम्प लगाने वाला, वह जान बूझकर हरिजन बस्तियों को हैण्ड पम्प लगाने से वंचित रखता है। हरिजन बस्ती एक ही नहीं, कम से कम 25 गांवों में हरिजन बस्तियां हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी का ठेकेदार है जिसने आज तक एक भी बस्ती को लाभान्वित नहीं होने दिया है।

श्री यदुनाथ सिंह : इनको दे दीजिये ठेका।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने केवल रैंगर ही नहीं, रैंगर एवं बलाई बस्ती कहा है और उनके पास लगाये गये हैं, मैंने यह कहा है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, अगर वहां हरिजन बस्ती में भी हैण्ड पम्प लगा हो तो मैं विधान सभा से त्याग पत्र दे दूंगा। मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे यहां जो जान बूझकर हरिजन बस्तियों को वंचित रखा है उसके बारे में जांच करवाई जाये। जो हरिजन बस्तियां वंचित रही हैं उन्हें लाभान्वित कराया जाय।

श्री देवेन्द्र सिंह : इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। विराज जाइये।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं 11 बजे से बैठा हूं और लाखों

(श्री देवीसिंह भाटी)

पशुओं को....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक दफा मेरा प्रश्न पढ़ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वालों को भी मौका दे दिया, पश्चात् वालों को भी मौका दे दिया।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों का एक भी प्रश्न नहीं आया था उन्होंने निवेदन किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। आपके बहुत से प्रश्न, प्रस्ताव हैं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही लाइन का है, अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे साथ बड़ी ज्यादति कर रहे हैं आप

(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

झालावाड़ जिले की पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना

564. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की राज्य सरकार के पास कोई योजना है ?

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 1983-84 तथा इससे पूर्व कितने पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़े जा चुके हैं ? शेष पंचायत मुख्यालयों कब तक सड़क मार्ग से जोड़ने का का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव प्रत्येक जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है।

(2) झालावाड़ जिले में वर्ष 1983-84 तक 87 पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़े जा चुके हैं। शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने के कार्य मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् धनकी उपलब्धता एवं प्राथ-मिकता के आधार पर किये जावेंगे।

एकीकृत विकास योजना के तहत निर्धनों को आर्थिक सहायता

566. **श्री आत्माराम चौधरी** (हनुमानगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) एकीकृत विकास योजना के तहत एक निर्धन परिवार को अधिक से अधिक कितनी सरकारी सहायता देने का प्रावधान है और उसके लिए क्या शर्तें जरूरी हैं ?

(2) उद्योगों के विकास के लिए पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए कितनी अधिक से अधिक सहायता एक यूनिट को दी जा सकती है और कितने वर्ष तक सैल्स टैक्स की रकम के बराबर ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है ?

(28)

(श्री आत्माराम चौधरी)

(3) एकीकृत विकास योजना के तहत कुल कितनी सहायता कितने व्यक्तियों को इस वर्ष दी गई ? कृपया सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, जिनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 700/ से कम है, को अनुदान देय हैं। लघु कृषक 25%, सीमान्त कृषक को 33, 1/3% व अनुसूचित जाति / जनजाति को 50% अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिक से अधिक सीमा सूखा संभावित क्षेत्र में 400/-, गैर सूखा संभावित क्षेत्र में 3000/- व अनुसूचित जाति व जनजाति 5000/- है।

(2) पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिये अधिक से अधिक 25 लाख सहायता दी जा सकती है। सेल्स टैक्स की रकम के बराबर ब्याज मुक्त ऋण देने की सुविधा 5 वर्ष तक उपलब्ध है।

(3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 1983-84 माह फरवरी, 84 तक 16.87 करोड़ रुपये का अनुदान 1.33 लाख परिवारों को सरकार की ओर से दिया गया हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1983-84 वर्ष में फरवरी, 84 तक जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा 2173 इकाइयों को 19.96 लाख रुपये वितरित किये गये। बैंको द्वारा 5523 इकाइयों को 96.97 लाख रुपये वितरित किये गये।

राज्य में फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन का गठन

572. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा): क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में फिल्म डवलपमेंट कार्पोरेशन के गठन का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन हेतु सिनेमा गृहों के लिए सरकार रियायती दरों पर भूमि व ऋण की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सयकार सस्ता मनोरंजन योजना के तहत बीकानेर जिले में ग्रामीण पिछड़े इलाकों में(चलचित्र मोंविग) प्रचार एवं प्रसार की योजना पर अमल करेगी ?

उत्तर

(1) परीक्षण किया जा रहा है। अन्य राज्यों से जानकारी एकत्रित जा रही है।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम से आवेदन कर ऋण प्राप्त किया जा सकता है।

(3) जनता सिनेमा (लोक छविगृह) के निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रियायतें देने का निर्णय लिया जा चुका है। राज्य के अन्य क्षेत्रों की तरह बीकानेर जिले में भी जन सम्पर्क निदेशालय तथा भारत सरकार की क्षेत्रीय प्रचार इकाई द्वारा निःशुल्क चलचित्र दिखाये जाते हैं।

बलीसा से मानपुर सड़क का निर्माण

574. **श्री कमला भाई मीणा**(लसाड़िया): क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बलीसा से पारसोला वाया ढिकीया, कालीभींत, भेरव गाटा, धामणीया, दातलीया तलाई, गडरा, विगरूण, काली कांकर, साणीया, अवली, गागा गोपालपुरा, आखिया मानपुर सड़क आज तक नहीं बन पाई है ?

(2) क्या इस सड़क को प्लान में लेकर सरकार बनाने का विचार रखती है ?यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1 व 2) प्रस्तावित सड़क बनाने की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह सड़क मास्टर प्लान की गाइड लाइन्स में नहीं आती है। इस सड़क पर पड़ने वाले कुछ पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से जोड़ने हेतु जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है जो विचाराधीन है। मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जाने पर इन सम्पर्क सड़कों के कार्यों को धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जायेगा।

तहसील रूपवास के गांवों में नल योजना लागू करना

577. **श्री राम प्रसाद** (रूपवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सही है कि तहसील रूपवास के बहुत से गांवों में खारा पानी उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में नल योजना लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं। कुल 142 गांवों में से केवल 27 गांवों में पानी खारा पाया गया है, जिनमें सर्वेक्षण के पश्चात् जहां सम्भव होगा नल योजना उपलब्ध करवायी जा सकेगी।

भरतपुर के किले की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों की योजना

580. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगर परिषद्, भरतपुर के प्रशासक ने लगभग दस मास पूर्व अपने पत्र दिनांक 31-5-83 के द्वारा भरतपुर के किले के अन्दर की सड़कों एवं ड्रेन की मरम्मत एवं निमार्ण हेतु तथा ड्रेनों-नालों की दिशा अन्यत्र मोड़ने के लिए तेरह लाख, एक सौ चार रुपये की योजना व तखमीना उप सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान को मंजूरी के लिए भेजे थे ?

(2) यदि हां, तो उक्त योजना एवं तखमीने के संबंध में विभाग द्वारा क्या निर्णय लिया गया और कितनी धनराशि इस हेतु नगर परिषद् को सहायतार्थ दी गई ?

(3) क्या इस योजना पर अब तक कोई कार्यवाही अमल में आई है ?

(30)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) योजना के तखमीने में कमियां पाई जाने के कारण उसे दिनांक 21-1-84 को नगर परिषद, भरतपुर को लौटा दिया गया, जो अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। तखमीने की कमियों की पूर्ति होने के बाद ही मामले पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) नगर परिषद, भरतपुर द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है।

अजमेर नगर में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था

581. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था अस्त-व्यस्त है? यदि हां, तो इस कारण अजमेर नगर की मध्यम वर्गीय जनता को काफी परेशानी अनुभव होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जलाऊ लकड़ी की नीति दोष पूर्ण होने के कारण मुर्दे जलाने की लकड़ी भी गायब पायी जाती है और ऐसी स्थिति रही तो आम नागरिकों को परिवार के मुर्दे जलाने के बजाय और कोई साधन जुटाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ? इस नीति में कब तक सुधार लाया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं इन्धन की व्यवस्था आपूर्ति विभाग करता है। अजमेर शहर में वन विभाग द्वारा चालित विक्रय केन्द्र से लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर विक्रय की जाती है। मुर्दे जलाने के लिए लकडी उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(2) वन विभाग द्वारा संचालित बिक्री केन्द्र पर दाह संस्कार हेतु जलाऊ लकडी का स्टाक रिजर्व रखा जाता है। इसके अतिरिक्त भी दाह संस्कार हेतु लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए उक्त कार्य से सम्बन्धित संस्था पुष्कर गो आदि पशुशाला अजमेर को प्रति वर्ष उनकी मांग के अनुसार जलाऊ लकड़ी आवंटित की जाती है।

होमियोपैथिक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरुपयोग

582. **श्री शिवदान सिंह राठौड़** (जैतारण) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि होमियोपैथिक बोर्ड के अध्यक्ष श्री कृष्ण गोपाल राजवंशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए परीक्षा परिणामों को बदलने की कोशिश की थी ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या राज्य सरकार की ओर से वहां प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी द्वारा अध्यक्ष

(श्री शिवदान सिंह राठौड़)

के विरुद्ध राज्य सरकार को शिकायतें भेजी गई थीं ? यदि हां, तो कब कब तथा उन शिकायतों की कृपया एक एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इन शिकायतों पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि सरकार के आदेश से इन शिकायतों की जांच को रोका जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। शिकायतों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) बोर्ड से प्राप्त शिकायतों की जांच राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा जांच हेतु कुछ और बिन्दुओं पर बोर्ड से जानकारी मांगी जा रही है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 6 देखें)

समदड़ी, लूनी नदी काज-वे (रपट) का निर्माण

583. **श्री धाराराम फुलवारिया** (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बाड़मेर में समदड़ी लूनी नदी काज-वे (रपट) को बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है? यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(2) क्या समदड़ी काज-वे (रपट) का कार्य चालू है ? यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है ?

(3) क्या समदड़ी काज वे (रपट) का कार्य आगामी वर्षा तक राज्य सरकार पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 में 40 लाख रु. की लागत के समदड़ी, लूनी नदी काज वे को बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 1983-84 में पुन: अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस कार्य हेतु 11,00लाख रु. की स्वीकृति दी गई।

(2) अकाल राहत कार्यों के बन्द होते ही यह कार्य भी बन्द कर दिया गया। अब तक इस कार्य पर कुल 9,42,449 रु0 व्यय किये जा चुके हैं।

(3) इस कार्य को पूरा करने हेतु बाड़मेर जिले के मास्टर प्लान के प्रारूप में 30.00 लाख रुपये का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है तथा मास्टर प्लान के स्वीकृत होने के पश्चात् धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य हाथ में लिया जायेगा।

कृषि उपज मंडी समिति, श्रीगंगानगर द्वारा निर्मित दुकान का आवंटन

584. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर)-क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(32)

(श्री राधेश्याम)

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, श्रीगंगानगर के नव निर्माणाधीन मण्डी यार्ड में 180 थोक दुकानें, 60 फुटकर दुकानें, सड़क, नीलमी चबूतरा, बिजली आदि का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो दुकान आवंटन कार्य क्यों नहीं किया गया है? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान. धान मंडी, जो अत्यधिक तंग और कृषकों के लिये असुविधापूर्ण है एवं ट्रैफिक समस्या भी उत्पन्न करती है, से व्यापार नवनिमत मण्डी यार्ड में अप्रेल, 1984 तक हस्तांतरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

नव निर्माणाधीन मण्डी यार्ड में निर्माण कार्य अभी अधूरे हैं, जिन्हें पूर्ण कराया जाकर सितम्बर, 1984 तक व्यापार हस्तान्तरित किये जाने की संभावना है।

स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रदत्त ऋण

585. **श्री बहादुर सिंह**(दानपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत कितने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराये गये? कृपया जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इन ऋणों की वापसी के लिए कितने समय की किश्तें निश्चित हैं तथा कितना प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया गया है?

(3) इस योजना के तहत ऋण की सुविधा कब तक जारी रखी जायेगी?

उत्तर

(1) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में दिनांक 29.3.1984 तक 8099 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिलेवार ब्यौरा संलग्न है।

(2) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रसारित योजना के अनुसार ऋण की वापसी 3 से 7 वर्षों की अवधि में किश्तों में की जानी है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है अपितु भारत सरकार द्वारा कुल ऋण का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में बैंक के माध्यम से ऋणी को उपलब्ध कराया जाता है।

(3) इस योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश द्वारा कोई अंतिम अवधि निर्धारित नहीं की गयी है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 7 देखें)

राजस्थान में लोकायुक्त का पद

586. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान में लोकायुक्त का पद खाली है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) लोकायुक्त के सामने इस समय कुल कितने मामले कब से विचाराधीन है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) 7 अगस्त, 82 से 29 फरवरी, 84 तक 605 मामले विचाराधीन हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास करने की जटिल प्रक्रिया

589. **श्री शिवराम शर्मा** (वनीपार्क): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर विकास विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास करने की जटिल प्रक्रिया के सरलीकरण का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक धनी आबादी वाले इलाकों में सड़कें न बनाकर बिना आबादी की कृषि भूमि पर सड़कों का निर्माण किया है ?

(3) क्या सरकार जयपुर में घनी आबादी वाली कालोनियों में प्राथमिकता के आधार पर सड़क व बिजली की सुविधायें शीघ्र देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितनी अवधि में क्रियान्विति की आशा है ?

उत्तर

(1) जी हां। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। घनी आबादी वाले इलाकों में 40 फीट व इससे अधिक चौड़ाई की सड़कों का काम हाथ में लिया जा रहा है जबकि कम आबादी वाले क्षेत्रों में केवल 60 फीट व उससे ऊपर की चौड़ाई की सड़कों का निर्माण किया जा रहा हैं।

(3) घनी आबादी वाली कालोनियों में बिजली की सुविधा व 40 फीट से कम चौड़ाई वाली सड़कों का निर्माण वहां बसे लोगों से विकास शुल्क की राशि प्राप्त होने पर ही किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित अवधि नहीं बताई जा सकती क्योंकि विकास शुल्क आने पर ही ऐसा कार्य सम्भव हो पायेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 8 देखें)

आयुर्वेदिक औषधालय भिरी को पुनः खोलना

591. **श्री शिवसिंह रावत** (बाड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष पूर्व आयुर्वेदिक औषधालय भिरी तहसील बसेड़ी को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस चिकित्सा अधिकारी के कार्यकाल में और किस आधार पर ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस औषधालय को पुनः प्रारम्भ कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम भिरी का आयुर्वेद औषधालय वर्ष 1979-80 में अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया था। औषधालय स्थानान्तरण आदेश राज्यादेश क्रमांक प. 1 (5) आयु0/79 दिनांक 29-8-79 द्वारा जारी किये गये थे। औषधालय स्थानान्तरण के समय वैद्य श्री राजेन्द्र शर्मा चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

(2) वर्ष 1984-85 में नवीन औषधालय खोलते समय यदि यह ग्राम मापदंड में आता है, तो विचार किया जावेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26 मार्च, 1984)

जयपुर शहर के सरकारी आवास

324. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर शहर में सरकारी आवास आवटन में किसी विशिष्ट वर्ग के अधिकारियों को प्राथमिकता प्राप्त है ?

(2) अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृत्ति पर सरकारी आवास खाली कराये जाने सम्बन्धी नियमों में भारतीय प्रशासनिक सेवा व अन्य भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए क्या-क्या प्रावधान है ?

(3) राज्य सरकार के किन-किन अधिकारियों का विगत तीन साल में स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकारी आवास में रहना नियमित किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण के पश्चात् आवास को नियमित करने सम्बन्धी क्या प्रावधान है ? जिन-जिन अधिकारियों का आवास, स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियमित किया गया, वह किन परिस्थितियों में किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अधिकारियों के स्थानान्तरण अथवा सेवानिवृत्ति पर सरकारी आवास खाली कराये जाने सम्बन्धी नियम भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं अन्य भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के लिये एक ही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात् दो माह एवं स्थानान्तरण पर

(मुख्य मंत्री)

कार्यभार संभालने के पश्चात् एक माह तक राजकीय आवास गृह में अधिकारी रहने का पात्र होता है इससे अधिक अवधि का निवास अनधिकृत निवास होता है । अधिकारी जिस श्रेणी के आवास गृह में अनधिकृत रूप से निवास करता है उस श्रेणी के आवास गृह के अधिकतम सामान्य किराये की दर का नियमानुसार दुगुना या तिगुना या वेतन का क्रमशः 20% या 30% जो भी अधिक हो, किराया देय होता है । यदि अधिकारी विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण या सेवानिवृत्ति के बाद आवास में रहना चाहता है तो राज्य सरकार को आवेदन करता है तथा राज्य सरकार सन्तुष्ट होने पर विशेष परिस्थितियों में जैसे शिक्षा सत्र के मध्य स्थानान्तरण होना, पुनः पदस्थापन होना व अन्य पारिवारिक समस्याओं के आधार पर व बढ़े हुए किराये पर आवास में रहने की अनुमति दी जाती है तथा निर्धारित अवधि के बाद आवास रिक्त न किये जाने पर अधिकारी के खिलाफ सम्पदा अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के न्यायालय में बेदखली कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(3) सूची संलग्न प्रस्तुत है ।

(4) आवास आवंटन नियमों के अन्तर्गत अधिकारी के स्थानान्तरण पर 6 माह तक राजकीय आवास में विशेष परिस्थितियों में साधारण किराये पर रहने की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है । जिन अधिकारियों के आवास में रहना गत तीन वर्षों में नियमित किया गया है उनके कारण संलग्न सूची में दर्शाये गये हैं ।

(सूची के लिए परिशिष्ट 9 देखें)

(दिनांक 27 मार्च, 1984)

बेरोजगार युवकों को रोजगार

337. **श्री सुरजाराम टाक** (नोखा): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह [redacted] की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1982-83, 1983-84 की घोषित नीति के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों/स्नातकोत्तर हरिजन/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या तीन हजार बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 14 जनवरी, 1982 को प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित नये 20 सूत्री आर्थिक/सामाजिक कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े गरीब तबके के परिवारों एवं बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने ऐसे लोगों एवं परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये सीधा रोजगार देने हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं है । किन्तु उक्त कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों के क्रियान्वयन से इन वर्गों के परिवारों एवं बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के अवसर अवश्य प्राप्त होते है ।

(36)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बेरी वेतन आयोग के तहत अलाउन्स

712. **श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बेरी वेतन आयोग के तहत प्रदेश के कुछ जिलों के पुलिस वायरलैस अधिकारियों/कर्मचारियों को रिमोट डिस्ट्रिक्ट अलाउन्स हेतु चयनित कर प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से जिले हैं ?

(2) क्या उक्त जिलों के वायरलैस अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अलाउन्स दिया जा रहा हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह अलाउन्स देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक दे दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सुदूर एवं सीमा जिलों के लिये यह प्रावधान रखा गया है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

भू-संरक्षण विभाग सीकर द्वारा नाला बाइण्डिग कार्यों का सर्वेक्षण

713. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भू-संरक्षण विभाग सीकर द्वारा नाला बाइण्डिग हरिपुरा, खिरोती, मुराणी के प्रस्ताव विशिष्ट योजना संगठन को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या भू-संरक्षण विभाग उपरोक्त नाला बाइण्डिग कार्यों का सर्वेक्षण कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उपरोक्त कार्यों का होना जनहित में होगा ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर आगामी वर्ष में पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नाला बाइण्डिग के प्रस्ताव विशिष्ट योजना संगठन में प्राप्त नहीं हुये हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी के अन्तर्गत एनीकट हरीपुरा, एनीकट खारोली तथा चकडैम झारली, मुराणी के प्रस्ताव परियोजना प्रारूप के रूप में नहीं थे। अतः यह स्पष्ट नहीं होता था कि एनीकट तथा चकडैम से कितने क्षेत्र के कृषकों को लाभ होगा तथा इन कार्यों का क्या प्रयोजन है। पूर्ण परियोजना रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) परियोजना रिपोर्ट के अभाव में यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि भू-संरक्षण इकाई कृषि विभाग द्वारा एनीकट तथा चकडैम के सर्वेक्षण किये व उससे क्या

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

सामाजिक तथा आर्थिक परिलाभ होगा, क्योंकि भू-संरक्षण इकाई द्वारा केवल अनुमान लागत ही भेजे गये हैं, जिनसे कोई परिलाभ होना स्पष्ट नहीं है।

(3) सम्पूर्ण रिपोर्ट होने पर ही योजना के लाभ आदि की जानकारी हो सकती है, इसके पश्चात् ही इसकी क्रियान्विति के बारे में विचार संभव हो पायेगा।

मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पं. स. में उद्योग

714. **श्री भैरूंसिंह गुर्जर**(खारची) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-,

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में विभिन्न प्रकार के कितने उद्योग कार्यरत हैं? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जून 1980 से दिसम्बर, 1983 तक कितने उद्योग प्रारम्भ हुए? कृपया नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये अब क्या प्रस्ताव है?

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं देसूरी पंचायत समितियों में कार्यरत उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है :-

पंचायत समिति	संख्या
1. मारवाड़ जंक्शन	112
2. रानी	86
3. देसूरी	19
योग :-	217

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'अ')

(2) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं देसूरी पंचायत समितियों में माह जून, 1980 से माह दिसम्बर, 1983 तक प्रारम्भ हुए उद्योगों की सूचना निम्न प्रकार से है :-

पंचायत समिति	जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक प्रारम्भ हुए उद्योगों की संख्या
मारवाड़ जंक्शन	104
रानी	65
देसूरी	12

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट 'ब')

(3) मारवाड़ जंक्शन, रानी एवं पंचायत समिति देसूरी के सादड़ी कस्बे में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भावी संभावनायें हैं ताकि छोटे उद्यमियों को अपनी इकाइयों की स्थापना में कठिनाई न हो और सभी आधारभूत सुविधायें उन्हें अपने प्लाट पर मिल सके। इन क्षेत्रों में 25, 35, व 10 क्रमश: कुल 70 उद्योगों के स्थापना की संभावनायें हैं।

(उद्योग मन्त्री)

इसके अतिरिक्त इन तीनों पंचायत समितियों में औद्योगिक विकास हेतु लघु उद्यमियों को वे सभी सहायता/सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जो कि राज्य के अन्य भागों में उपलब्ध हैं जैसे कि विनियोजन पर 15 % राज्य अनुदान, जिला उद्योग केन्द्र ऋण, विद्युत अनुदान, डीजल जनरेटिंग सैट अनुदान।

(सूचियों के लिए परिशिष्ट 10 देखें)

टोंक के उद्यमियों को आवंटित कच्चा माल

715. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

टोंक जिले में वर्ष 1982-83 एवं 83-84 में उद्यमियों को आवंटन हेतु कौन-कौनसा कच्चा माल, कब-कब, कितना-कितना और क्या-क्या प्राप्त किया गया ? तथा किन-किन उद्योगों को कितना-कितना माल कब-कब वितरित किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

टोंक जिले में वर्ष 1982-83 एवं 83-84 में उद्यमियों को आवंटन हेतु आगार में जो कच्चा माल प्राप्त किया गया उसकी सूचना परिशिष्ट "अ" पर दी गई है तथा जिन जिन उद्योगों को कच्चा माल इस अवधि में आवंटित किया गया उसकी सूची मय कच्चा माल एवं दिनांक के परिशिष्ट "ब" पर दी गई है।

(सूचना व सूची के लिए परिशिष्ट 11 देखें।)

राजस्थान में हाथकरघा बुनकरों को आटोमेटिक करघा देने का प्रावधान

716. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) व **श्री कुन्जी लाल** (बामनवास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थाम में वर्ष 1983-84 में हाथ करघा बुनकरों को सेमी आटोमेटिक करघा देने का विभाग द्वारा निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा तथा राजस्थान में कितने ऐसे करघे अब तक खरीदे गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त करघा खरीदने से पूर्व उनकी रेटों का टेण्डर लिया गया था ? यदि हां, तो किन-किन के किस किस रेट के टेण्डर आये ?

(3) क्या विभाग के पास शिकायत आई है कि जो करघा दिया जा रहा है उसकी कीमत ज्यादा है ? यदि हां, तो उसकी जांच का क्या परिणाम आया ?

उत्तर

(1) जी हां। सेमी आटोमेटिक करघे पर 75 % अनुदान दिया जावेगा। राजस्थान हाथकरघा परियोजना मण्डल द्वारा अब तक मात्र 16 करघों पर अनुदान राशि का भुगतान किया गया है।

(उद्योग मन्त्री)

(2) जी हां। टेण्डर देने वाले संस्थानों तथा उनके द्वारा दिये गये मूल्य की सूची संलग्न है।

(3) जी हां। शिकायत की जांच उप निदेशक जिला उद्योग केन्द्र, सवाईमाधोपुर से कराई गई थी तथा उनकी रिपोर्ट के अनुसार करघे की लागत को देखते हुए मूल्य अधिक नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में उपभोक्ता संघ के दर्ज मामले

717. **श्री नाथू सिंह** (बांदीकुई) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में सत्र 1975-76 से लेकर 31 जनवरी, 1984 तक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. के कितने केस रजिस्टर्ड हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) रजिस्टर्ड केसों में से किस किस की जांच जा चुकी है तथा किस किस की कब तक की जावेगी ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में सत्र 1975-76 से लेकर 31 जनवरी, 1984 तक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. के तीन प्रकरण, अपराध संख्या 13/83, 35/83, 36/83 इस विभाग में दर्ज किये गये हैं। (सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है)।

(2) 1. अपराध संख्या 13/83 विरुद्ध श्री अशोक जैमन भू. पू. महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर का अन्वेषण पूर्ण कर प्रकरण (अपराध) में अंतिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया जाकर दिनांक 13-2-84 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

2. अपराध संख्या 35/83 विरुद्ध अधिकारीगण सहकारी उपभोक्ता संघ लि. राज., जयपुर का अन्वेषण शीघ्र पूर्ण किया जावेगा।

3. अपराध संख्या 36/83 विरुद्ध श्री रामबल्लभ शर्मा, प्रभारी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (मेडिकल ब्रांच) जयपुर का अन्वेषण पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया जाकर दिनांक 3-9-83 को न्यायालय में पेश किया जा चुका है। (विस्तृत रिपोर्ट परिशिष्ट "ख" में अंकित है।)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

गंगानगर में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों के उत्थान की योजना

718. **श्री पीरूराम** (टीबी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला गंगानगर मे नवीन बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों के उत्थान की कोई योजना है ? यदि हां, तो

(श्री पीरूराम)

क्या और उक्त योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया गया तथा उन्हें क्या क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है ?

(2) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को ऋण भी स्वीकार किये गये हैं ? क्या उन्हें किसी प्रकार का अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना और कितने व्यक्तियों को ?

उत्तर

(1) जी हाँ, गंगानगर जिले में नवीन बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबों के उत्थान की कई योजनायें कार्यशील हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में दी गई विभिन्न सुविधाओं व लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या की सूचना संलग्न है ।

(2) जी हां । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को ऋण स्वीकार किये गये है । अनुदान भी दिया गया है। उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1983-84 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 6048 परिवारों को 93.92 लाख रुपये अनुदान दिया गया है । इसी प्रकार गरीब को छप्पर कार्यक्रम के अन्तर्गत 524 परिवारों को 4.50 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

बीकानेर के अकालग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध वाटर टेंकर

719. **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बीकानेर के अकालग्रस्त क्षेत्र में वर्ष 1981 व 1982 में पेयजल हेतु कितने कितने वाटर टेंकर उपलब्ध थे ? क्या पिछले वर्ष की व्यवस्था से पूरे क्षेत्र में पेयजल वितरण की पूर्ण व्यवस्था हो पाई थी ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस वर्ष प्रत्येक जिले में कितने कितने वाटर टैंकर व अन्य व्यवस्था कर रही है ?

(2) क्या सरकार ऐसे क्षेत्र में जहां टैंकर या अन्य व्यवस्था नहीं हो सकती वहां 150 फीट से कम गहरे कुओं की पिवाई की की मन्जूरी देगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1981 व 1982 में पेयजल के परिवहन के लिये 20 राजकीय वाटर टैंकर उपलब्ध थे । इन वर्षों के अभाव की स्थिति में पेयजल की समुचित व्यवस्था बीकानेर जिले में की गयी थी । इस वर्ष केवल तीन जिलों यथा बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के 282 गांवों में अभाव स्थिति की घोषणा की गयी है । जल का परिवहन करने की आवश्यकता होने की दशा में इस हेतु पर्याप्त वाटर टैंकर संबंधित जिलाधीशों के पास उपलब्ध है ।

(2) पिवाई की स्वीकृति केवल उन्हीं कुओं के लिये दी जाती है जहां कुओं की गहराई 50 फीट या इससे अधिक हो । इससे कम गहराई के कुओं के लिये पिवाई स्वीकृत करने की राज्य सरकार की नीति नहीं है ।

मार्बल उद्योग मकराना में कार्यरत श्रमिकों के परिवारों के मकान जलाने की घटना

721. **श्री रामेश्वर लाल** (नावां): क्या गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना उद्योग में कार्यरत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के करीब 250 परिवारों के बोरावड के राजस्व सीमा में स्थित पक्के व कच्चे मकान दिनांक 2-8-83 को बोरावड के असामाजिक तत्वों के गिरोह द्वारा जला दिये व तहस नहस कर दिये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस घटना की जानकारी पुलिस व जिला प्रशासन को कर दी गई थी और उन्होंने मौका निरीक्षण भी किया था ?

(3) इस मामले में किन को गिरफ्तार किया गया है व किसका चालान प्रस्तुत कर दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। 207 मकानों की तोड़-फोड़ की गई है।

(2) जी हां।

(3) वान्छित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

पुलिस विभाग में गृह जिले में पद-स्थापन पर रोक

722. **श्री यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निरीक्षक पुलिस या इससे बड़े पद पर कार्य कर रहे अधिकारियों के एक ही जिले में 8 साल या इससे अधिक समय तक पद-स्थापन पर रोक लगाई हुई है ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही कि उपरोक्त आदशों की अवहेलना करते हुए श्री ओमप्रकाश सैनी एवं श्री घनश्याम दत्ता, निरीक्षक पुलिस, दोनों का ही उनके गृह जिले में पद-स्थापन किया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) श्री घनश्याम दत्ता, निरीक्षक पुलिस का गृह जिला तो अलवर है, किन्तु वे वर्तमान में जयपुर में पदस्थापित हैं। श्री-ओमप्रकाश सैनी को अवश्य उनके गृह जिला जयपुर में पदस्थापित किया हुआ है किन्तु पुलिस स्टेशन में अथवा अन्य संवेदनशील पद पर नहीं बल्कि जयपुर स्थित पुलिस कन्ट्रोल रूम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कन्ट्रोल रूम ड्यूटीज में लगाया है।

(आदेश के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन

723. श्री कनकराज मेहता (साँचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्यस्थान सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन पर विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक यह व्यवस्था कर दी जायेगी ?

(2) जालोर जिले की सांचोर पंचायत समिति में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समिति अवसायन में हैं और कब से ? क्या इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अवसायन में होने पर पंचायत क्षेत्र के सदस्यों को बीज, खाद, ऋण व आई. आर. डी की सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है ? यदि तो हां, क्या राज्य सरकार इन अवसायनाधीन समितियों को पुनर्जीवत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित दांते कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने की दृष्टि से पुनर्गठन किया गया था। प्रत्येक ग्राम सेवा पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की नीति विषयक मामला राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । रांज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(2) जालोर जिले की सांचोर पंचायत समिति क्षेत्र की 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायन में हैं। इनमें से 3 समितियां दिनांक 30.9.76 से एवं 3 समितियां 21.10.76 से अवसायन में हैं । इन अवसायनाधीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र इनके समीप की कार्यशील ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित कर दिया गया है। इस प्रकार अवसायनाधीन समितियों के क्षेत्र के सदस्यों को बीज, खाद, ऋण एवं आई आर. डी की सुविधा से वंचित रहने का प्रश्न ही नहीं उठता । यदि इन अवसायनाधीन सहकारी समितियों के अवसायक नियमानुसार इनको पुनर्जीवित करने की सिफारिश करते हैं तो ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन पर नियम एवं नीति के अनुसार विचार किया जाकर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

संयुक्त निदेशक, उद्योग, कोटा का रिक्त पद

724. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी), **श्री बालचन्द आर्य** (डग) व **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कोटा में संयुक्त निदेशक, उद्योग का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों एवं कब से ? इस पद की स्वीकृति कब हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि 31 मार्च, 1983 तक इस पद को भरे जाने को

(श्री हरिश शर्मा)

घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो इसे क्यों नहीं भरा गया ?

(3) कोटा एक औद्योगिक नगर होने के कारण राज्य सरकार उक्त पद को अब कब तक भरने का विचार रखती है ताकि वहां के उद्यमियों को कोई कठिनाई नहीं हो ?

उत्तर

(1) जी हां। संयुक्त निदेशक का पद दिनांक 31.10.81 से पूर्व अधिकारी की सेवानिवृत्ति होने के कारण रिक्त है। इस पद की स्वीकृति दिनांक 4.6.79 को हुई थी।

(2) व (3) जी नहीं। 31.3.83 तक ही भर दिये जाने की कोई घोषणा नहीं की गई। थी. अपितु पदोन्नति द्वारा पद को शीघ्र ही भरे जाने की घोषणा की गई थी। अभी पदोन्नति हेतु वरिष्ठता निर्धारण का प्रकरण तय नहीं हो पाया है। ज्योंही प्रकरण तय होगा रिक्त पद की पूर्ति कर दी जावेगी।

होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार (भरतपुर) में माल की खरीद

725. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है की भरतपुर होलसेल सहकारी उभोक्ता भण्डार लि. भरतपुर द्वारा अपने काउन्टर एवं जनता दुकानों से विक्रय हेतु माल खरीदने के लिये कोई पर्चेज कमेटी बनी हुई नहीं है ? यदि हां, तो अब तक माल किस प्रक्रिया से खरीदा जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह खरीदा गया माल तथा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर से प्राप्त नहीं बिकने से भण्डार में डम्प हो रहा है ? यदि हां, तो इस तरह का एक साल से पहले तक प्राप्त माल कितनी कीमत का भण्डारों के स्टाक में पड़ा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस तरह खरीदे गये माल को भारी डिस्काउण्ट/ रिबेट पर बेचा गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्चेज कमेटी बनी हुई है।

(2) उपभोक्ता संघ से भी माल क्रय नीति के अन्तर्गत पर्चेज कमेटी द्वारा ही ही क्रय किया गया है। भण्डार में एक वर्ष से पहले की अवधि का केवल रु 87960 के मूल्य का माल स्टाक में है, जिसे डम्प नहीं कहा जा सकता।

(3) पर्चेज कमेटी द्वारा एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्त संघ से खरीदे गये माल में से वर्ष 1983-84 में 19160-00 का माल 2553-00 का डिस्काउन्ट देकर बेचा गया है।

"कार्य के बदले अनाज" योजना के तहत डीडवाना तहसील के ग्रामों में बनाई गई सड़कें

726. **श्री उम्मेद सिंह** (डीडवाना) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि नागौर जिले में डीडवाना तहसील के ग्राम नुवा में सरदार-पुरा खुर्द एवं ग्राम नुवा से बेरी कलां वाया तौलियासर ग्रेवल सड़क "काम के बदले अनाज" योजना एवं अकाल राहत कार्य के तहत बनवाई गई मगर बीच में ही बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो क्या इस सड़क को दुबारा चालू करने का सरकार का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

नुवा से सरदारपुरा खुर्द सड़क का कार्य अकाल राहत कार्यों के रूप में सम्वत् 2037 में कराया गया था। नुवा से बेरी कलां वाया तालियासर सड़क का कार्य अकाल राहत कार्य के रूप में सम्वत् 2038 में कराया गया था परन्तु इन अभाव वर्षों में राहत कार्यों को बन्द करने के आदेश होने पर अन्य राहत कार्यों के साथ साथ इनका कार्य भी बन्द कर दिया गया। राहत व्यवस्था के अन्तर्गत सहायता कार्य अभाव स्थिति होने पर रोजगार उपलब्ध कराने की जरूरत होने की दशा में ही चालू किये जाते हैं। इस वर्ष नागौर जिले में अभी तक किसी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में इन सड़क कार्यों को सहायता कार्यों के रूप में फिर से चालू करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जयपुर में रामलीला मैदान पर आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी

727. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में रामलीला मैदान पर 1984 में आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में राजस्थान स्टेट इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्ट-मेंट कार्पोरेशन लि. ने किसके आदेश से मण्डप लगाया तथा उसमें अपना माडल अथवा प्रगति के आकड़ों का प्रदर्शन किया ?

(2) कृपया पिछले 3 सालों में आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में प्रतिवर्ष सम्मिलित होने पर हुए कुल खर्च का निम्न मदों के अनुसार वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें —

(क) मण्डप या स्थल सुरक्षित कराने एवं प्रदर्शनी के सम्पूर्ण समय का दिया गया किराया।

(ख) प्रदर्शनी स्थल तथा वहां पर सुरक्षित मण्डप या स्थान पर प्रदर्शन हेतु क्या क्या सामग्री कहां कहां से लाई गई और उसके लाने व ले जाने पर हुआ खर्च।

(ग) प्रदर्शनी कितने दिन लगी व इस दौरान वहां पर तैनात अधिकारियों/कर्म-चारियों के टी. ए. एवं डी. ए. पर हुआ खर्च।

(घ) प्रदर्शनी में लगाये गये मण्डप या स्थान पर बिजली पानी पर हुआ खर्च व फर्नीचर आदि के किराये पर किया गया खर्च।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(ड.) अन्य खर्च।

(च) प्रदर्शनी से कोई आय हुई तो कितनी।

उत्तर

(1) जयपुर में रामलीला मैदान में 1984 में आयोजित गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी में राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन लि. द्वारा कोई मण्डप नहीं लगाया गया।

2. (क) स्थल सुरक्षित कराने में 2500/- रु0

(ख) (ग) (घ) व (ड) रीको टेली-विजन का प्रदर्शन किया गया। जयपुर में तख्तेशाही मार्ग स्थित कार्यालय से प्रदर्शनी तक लाने, दो कर्मचारियों के ओवर टाइम (प्रदर्शनी काल 26 जनवरी से 30 मार्च), बिजली व्यय, टेन्ट, मेज कुर्सी किराया, चौकीदार आदि पर कुल व्यय 8,355.75 रु0।

(च) कोई आय नहीं हुई।

जैतपुरा डेम में स्पिल के गेट्स लगाने का ठेका

728. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवा-महल) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के मेजा फीडर प्रोजेक्ट के जैतपुरा डेम में स्पिल वे गेट्स लगाने का ठेका मैसर्स ओम मैटल्स (ओम मैटल्स एण्ड मिनरल प्रा. लि., ट्रेडिंग कार्पोरेशन, श्याम वे काटेज इन्डस्ट्रीज, ओम कोठारी उद्योग एवं एग्रो इन्डस्ट्रीज) कोटा को दिया था ?

(2) यदि हां, तो यह ठेका किस तारीख को दिया गया और यह काम कब पूरा होना था ? कृपया एग्रीमेंट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस फर्म ने न केवल बहुत घटिया स्तर का काम किया, बल्कि यह काम पूरा नहीं कर बीच में ही अधूरा छोड़ दिया तथा विभाग एवं फर्म के बीच विवाद चल रहे हैं ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी। नहीं, जैतपुरा प्रोजेक्ट मांडलगढ़ जिला भीलवाड़ा के लिये स्टील गेट्स लगाने का ठेका मैसर्स ओम मैटल्स, कोटा नाम की फर्म को नहीं दिया गया था। यह ठेका मैसर्स श्याम इण्डस्ट्रीज, कोटा को दिया गया था।

(2) उक्त फर्म को यह ठेका दिनांक 20-7-70 को दिया गया एवं कार्य संविदा के अनुसार 19-1-71 की तिथि तक पूर्ण किया जाना था।

(3) जी हां। यह मामला न्यायालय में लम्बित है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्राप्त भू-भाग

729. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर ने सेन्ट एन्सलम्स स्कूल अजमेर के निकट एक भू-भाग अपने उपयोगार्थ नगर परिषद्, अजमेर से सन् 1967 में प्राप्त किया था और उसमें एक पम्प भी लगवाया था ?

(2) यदि हां, तो इस भू-भाग का क्षेत्रफल कितना है और इसे किन शर्तों पर किस उद्देश्य से प्राप्त किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा इस भू-भाग को सेन्ट एन्सलम्स स्कूल को बेच दिया गया है ? यदि हां, तो बेचने का निर्णय कब क्यों लेना पड़ा व कितने रुपयों में बेचा है ? कृपया विक्रय पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भू-भाग का क्षेत्रफल लगभग 300 वर्गगज है। भू-भाग को प्राप्त करने के लिये नगर परिषद्, अजमेर से कोई शर्त तय नहीं की गई थी। भू-भाग को प्राप्त करने का उद्देश्य बनास नदी से प्राप्त पानी को सीता गऊ शाला आदि ऊंचाई के क्षेत्रों में वितरित करने हेतु बूस्टर पम्प का लगाना था।

(3) जी हां। भू-भाग को बेचने का निर्णय 28.1.82 को लिया गया था क्योंकि इस भू-भाग पर स्थित बूस्टर से ऊंचाई के सभी क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचने के कारण केसरगंज दयानन्द मार्केट अजमेर में नया बूस्टर बना दिया गया। सेन्ट एन्सलम्स स्कूल अजमेर के पास स्थित बूस्टर को बन्द कर दिया गया तथा वहां पर जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता का कार्यालय बनाया गया। तदुपरान्त इस कार्यालय को केसरगंज में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अत: प्रश्न में उल्लिखित भू-भाग का अब कोई उपयोग नहीं रहने के कारण इसे बेचने का निर्णय लिया गया। भू-भाग का बेचान रु. 43.459.00 में किया गया है। विक्रय पत्र जारी करने पर विचार किया जा रहा है।

डूंगरपुर में सोम कामला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण

730. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में सोम कामला अम्बा सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो चुका है ?

(2) निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से इस परियोजना पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एस्टब्लिशमेन्ट पर कुल कितना कितना व्यय हुआ एवं निर्माण कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखें।

(3) इस सिंचाई बांध परियोजना का मूल डिजाइन क्या था, इसको कितनी बार

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

किस किस कारण से बदला गया और क्या अब भी बदला जाना विचाराधीन है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस योजना की मूल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एस्टीमेट्स के अनुसार कितना व्यय होना था, उसमें कब कब क्या क्या वृद्धि किस किस कारण से की गई और अब कुल कितना व्यय होने पर पूरी होगी ?

(5) मूल योजना के अनुसार इसे कब पूर्ण होना था और अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? इस विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) सोम कामला अम्बा सिंचाई परियोजना के बांध का निर्माण कार्य सितम्बर 1977 से चालू है।

(2) वित्तीय वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	परियोजना पर कुल खर्चा (बांध व नहर)	परियोजना पर स्थापन पर व्यय प्रोरेटा चार्ज के अनुसार
1976-77	28.50 लाख	
1977-78	102.48 ,,	4.53 लाख
1978-79	160.65 ,,	9.78 ,,
1979-80	109.95 ,,	8.16 ,,
1980-81	99.92 लाख	9.37 लाख
1981-82	159.99 ,,	14.68,,
1982-83	169.97 ,,	15.60,,
1983-84 1/84	129.53 ,,	30.93,, (प्रस्तावित)
योग :–	960.99 लाख	93.05 लाख

(3) मूल तखमीना, जिसकी लागत 448.43 लाख थी व जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जनवरी "77, में हुई के अनुसार उदयपुर व डूंगरपुर जिले की 19200 एकड़ भूमि में सिंचाई एवं बांध भण्डारण क्षमता 83.1 मिलियन घन मीटर प्रस्तावित थी। इस प्रस्तावित बांध की बाढ़ जल निस्तारण क्षमता 3.75 लाख क्यूसेक्स रखी गई थी। प्रथम बार वर्ष 1978 में संशोधित तखमीना राशि रुपया 1563 लाख का राज्य सरकार को प्रेषित किया जिसको जांच हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भिजवाया गया। इस तखमीने में मुख्य रूप से इस बांध की बाढ़ निस्तारण क्षमता 3.75 से बढ़ाकर 4.80 लाख क्यूसेक्स की गई। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई मजदूरी व सामग्री की दरों हेतु प्रावधान पूर्व के अपर्याप्त प्रावधानों की वांछित प्रावधान व नहरों को पार्शियल पक्का किये जाने हेतु भी प्रावधान किये गये। संशोधित आंकल्प दूसरी बार निम्न कारणों से बनाकर सन् 1983 में राज्य सरकार को प्रेषित किया गया :—

1. निर्माणाधीन बांध की साइट पर अधिक जल उपलब्ध होने के कारण बांध की

(५९)

(सिंचाई मंत्री)

भराव क्षमता को 83.10 से बढ़ाकर 118.65 मिलियन घन मीटर किया एवं नदी में पैरीनियल फ्लो के रूप में जो जल प्राप्त होता है उसके उपयोग का प्रावधान किया जाकर इस बांध से 33,626 एकड़ भूमि में सिंचाई किया जाना प्रस्तावित किया। अधिक सिंचाई हेतु नहरों की कैपेसिटी बढ़ाना व पक्का किया जाना प्रस्तावित किया।

2. इस बांध की बाढ़ निस्तारण क्षमता जो मूल तखमीने में 3.75 लाख क्यूसेक्स थी उसे बढ़ा कर 8 लाख क्यूसेक्स केन्द्रीय जल आयोग के सुझाव पर किया गया जिससे स्पील वे की लम्बाई 22 मी. बढ़ी है।

3. बढ़ी हुई मजदूरी व सामग्री की दरों का प्रावधान किया गया।

डिज़ाइन में उपरोक्तानुसार सुधार करके एक संशोधित तखमीना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सन् 1983 में रुपया 2820 लाख का बनाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है जिसको जांच हेतु केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित किया गया है।

(3) आंकलन की जांच के दौरान केन्द्रीय जल आयोग ने सुझाव दिया है कि बांध की बाढ़ निस्तारण क्षमता 10.63 लाख क्यूसेक्स की जावे। यह सुझाव विचाराधीन है।

(4) मूल तखमीना रुपया 448.43 लाख का स्वीकृत था। प्रथम बार संशोधित तखमीना 1978 में बनाया गया जिसमें लागत 1536 लाख रुपये आई थी। दूसरी बार वर्ष 1983 में संशोधित तखमीना प्रस्तुत किया गया जिससे अनुमानित लागत रुपया राशि 2820 लाख आंकी गई है। वृद्धि के कारण निम्न हैं :–

1. विभिन्न निर्माण सामग्री एवं मजदूरी की दरों में निरन्तर वृद्धि।

2. मूल तखमीने में विभिन्न कार्यों के लिए अपूर्ण प्रावधान।

3. बांध व नहर के कार्य का डिजाइन में परिवर्तन के कारण कार्य की विभिन्न मात्राओं में वृद्धि।

वर्ष 1981 की बी. एस. आर पर जो संशोधित तखमीना राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है उसके अनुसार लागत 28.20 करोड़ अनुमानित है।

(5) मूल योजना के अनुसार परियोजना वर्ष 1982-83 में पूर्ण होनी थी जो संशोधित तखमीने के अनुसार वर्ष 1986–87 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। विलम्ब के कारण निम्न हैं :–

1. डिजाइन में आवश्यक परिवर्तन।

2. कीमतों में वृद्धि व धन का अभाव।

3. बांध की आवंटित कार्यों को ठेकेदारों द्वारा अधूरा छोड़ देने के कारण बचे हुए

(सिचाई मंत्री)

कार्यों को पूर्व के ठेकेदारों के हर्जे खर्चे पर करवाने हेतु जो निविदाएं 7.12.81 को प्राप्त हुई वे काफी ऊंची दरों पर व कई शर्तों सहित प्राप्त हुई जिन्हें हटवाने एवं दरों को कम करने के लिए कई बार नेगोशियेशन करने पड़े।

सिरोही जिले में भैंसासिह बांध का निर्माण

731. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) व **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही जिले में भैंसासिह बांध का निर्माण हुआ है? यदि हां, तो इस निर्माण पर अब तक किस वर्ष में कितना कितना खर्चा हो चुका है ?

(2) इस बांध की मूल योजनानुसार कितना व्यय अनुमानित था और इसका निर्माण कार्य किस वर्ष में पूरा होना चाहिए था ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो इस जांच का परिणाम क्या निकला ?

(4) इस बांध से अब तक कितने क्षेत्र की सिंचाई हुई है ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में भैंसासिह परियोजना का कार्य वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ हुआ। इस पर वर्षवार अब तक का खर्चा निम्न प्रकार है :—

1978-79	11, 22, 411. 44	रुपये
1979-80	17, 66, 621. 70	,,
1980-81	6, 38, 045. 07	,,
1981-82	5, 89, 626. 74	,,
1982-83	5, 37, 029. 86	,,
1983-84 (2/84 तक)	76, 260. 67	,,
योग—	47, 29, 995. 48	रुपये

(2) प्रशासनिक स्वीकृत योजना की अनुमानित लागत 50.196 लाख रुपये थी। इस परियोजना को पूर्ण करने का वर्ष मूल योजना के तखमीने में वर्णित नहीं है।

(3) चुनाई के मसाले की जांच जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज में करवाई गई थी। जांच परिणाम संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(4) अभी योजना अपूर्ण है अतः कोई सिंचाई नहीं हुई है।

(जांच परिणाम के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

(50)

झड़ोल बांध (भीलवाड़ा) डूब में आई कृषकों की भूमि

732. **श्री भूपाल सिंह** (निम्बाहेड़ा) व **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले के झड़ोल बांध के डूब में कितने कृषकों की कितनी भूमि आई ?

(2) जिन कृषकों की भूमि डूब में आई उनमें से कितनों को मुआवजा नहीं मिला व क्यों ?

उत्तर

(1) झाड़ोल बांध के बनने से 171 खातेदारों की 1051 बीघा 5 बिस्वा जमीन डूब में आई ।

(2) केवल एक काश्तकार को देव-स्थान की भूमि के मुआवजे का 8, 400 रु. का भुगतान चुकाना शेष है। यह भुगतान ट्रस्ट एवं कमेटी बनने पर ही सम्भव होगा।

सरकार द्वारा गांवों में बांध बनाने की योजना

733. **डा. उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार गांवों के बांध बनवाने व मरम्मत किये जाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त कार्य की उपादेयता पर सरकार ने कभी सर्वे कराया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट कृपया सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यदि प्रश्न का तात्पर्य गांवों के पास छोटी नाड़ियां बनाना या छोटे सिंचाई के तालाब बनाकर 50 एकड़ से कम क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं करवाना है तो ऐसे कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से नहीं कराये जाते हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

पं. स. बाली के क्षतिग्रस्त बांध व एनीकट

734. **श्री असलम खां** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 29 व 30 जून, 1983 को पंचायत समिति बाली, जिला पाली में आई बाढ़ से सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बनाये गये तथा वर्ष 982-83 व 1983-84 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाये गये बांधों व एनीकटों में से कितने क्षतिग्रस्त हुये व इससे राज्य सरकार को कितनी धनराशि का नुकसान हुआ ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त हुये उक्त बांधों व एनीकटों के पुनर्निर्माण के लिये कोई निर्णय लिया है ? यदि हां तो पुनर्निर्माण कब तक करवा दिया जायेगा ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) 29 व 30 जून, 1983 को पंचायत समिति बाली जिला पाली में आई बाढ़ से सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बनाये गये एवं वर्ष 1982-83 व 1983-84 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाये गये बांधों व एनीकटों में से 12 बांध व 7 एनीकट क्षतिग्रस्त हुए। इससे राज्य को 6.85 लाख राशि का नुकसान हुआ। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष इनमें से 6 कार्यों को ठीक कराने हेतु 3.50 लाख रुपये की राशि आवंटित की है। इन छः कार्यों एंव अन्य 13 कार्यों को पूर्ण कराना वांछित धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

बीसलपुर बांध निर्माण योजना

735. **श्री रामकंवार बैरवा** (फागी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला टोंक के बीसलपुर बांध की योजना काफी अर्से से विचाराधीन है ?

(2) क्या इसके निर्माण हेतु वर्ष 1983-84 में कोई धनराशि का प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) बीसलपुर बांध की योजना के प्रारूप की प्रति कृपया सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त बांध के जल का उपयोग पेयजल के रूप में गांवों को उपलब्ध कराये जाने की भी योजना है ? यदि हां तो किन-किन गांवों को उपलब्ध होगा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) योजना का तखमीना भारत सरकार के विचाराधीन है। परन्तु मुख्य मुख्य आंकड़े परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

जलदाय विभाग में कार्यरत डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियर

736. **श्री कमलेन्द्र सिंह** (वल्लभनगर) : क्या जलदाय विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जलदाय विभाग में कितने डिप्लोमा प्राप्त इंजीनियर कार्यरत हैं ?

(2) इनमें से कितने अस्थाई सेवा में चल रहे हैं ?

(3) क्या इनको स्थाई करने की कोई योजना है ?

(52)

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

(4) यदि हां, तो कितने साल की सेवा पूरी करने पर इनको स्थाई कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जलदाय विभाग में डिप्लोमा प्राप्त लगभग 923 इन्जीनियर नियमित रूप से कार्यरत हैं।

(2) इनमें से 505 अस्थाई पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं।

(3) जी हां, पदों के उपलब्ध होने पर स्थाईकरण किया जावेगा।

(4) स्थाईकरण सामान्यतया दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने एवं स्थाई पदों के उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

बाड़मेर क्षेत्रीय साउलगिरी व सालरिया नल योजना

737. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की क्षेत्रीय नल योजना साउलगिरी व सालारिया में 35 ग्राम आते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन 35 ग्रामों में बरसात के सिवाय एक बून्द भी पीने के पानी का स्रोत नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में सालों साल सरकार को टैंकरों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है ?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना का कार्य चालू है और इस योजना के नलकूप भी तैयार किए जा चुके हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इन 35 ग्रामों के लोगों को 10-10 मील की दूरी से पीने का पानी लाना पड़ता है ?

(6) अभी तक इस योजना में कितने ग्रामों तक पानी पहुंच गया है और बाकी ग्रामों में कब तक पानी पहुंचा दिया जायेगा ?

(7) क्या इन संकटग्रस्त ग्रामों की योजना को शीघ्र सम्पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास किया गया है और भविष्य में क्या कार्यवाही की जाएगी और कब तक योजना का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा और इसकी क्रियान्विती में देर के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) अभी तक इस योजना के 3 गांवों में पानी पहुंच गया है तथा 4 गांवों में पानी एक दो माह में पहुंचाने के प्रयत्न जारी हैं। शेष गांवों में पानी अगले वित्तीय वर्ष 84-85 के अन्त तक पहुंचाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(7) जी हां। इन संकटग्रस्त ग्रामों की योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे अप्रेल-मई, 84 के अन्त तक इस योजना के कुल 7 ग्रामों को लाभान्वित किया जा सकेगा तथा शेष ग्रामों को अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक लाभान्वित करने का पूर्ण प्रयास किया जावेगा। योजना के क्रियान्वयन में देरी का कारण योजना के विस्तृत सर्वे करवाने में लगे समय, सीमित साधनों का होना, विद्युत सम्बन्धों का समय पर न मिलना तथा इस इलाके की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों का होना है।

कटराथल-दौलतपुरा (सीकर) जल प्रदाय योजना

738. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के कटराथल-दौलतपुरा, जल प्रदाय योजना द्वारा उक्त ग्राम की लगभग 10 हजार आबादी को पेयजल सप्लाई किया जाता है? यदि हां, तो क्या वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों में पेयजल सप्लाई नियमित एवं आवश्यतानुसार सप्लाई किया जा रहा है? क्या इस बाबत विभाग को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त योजना में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हरिजन एवं अन्य अल्प-संख्यक वर्ग के लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या वहां कार्यरत स्टाफ को हटाकर उचित व्यवस्था करने का सरकार का इरादा है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि पूर्व में ग्राम दौलतपुरा के हरिजन मोहल्ले के कुए पर बोरिंग करने का निर्णय हुआ था? यदि हां, तो अब तक इसमें प्रगति नहीं होने के क्या कारण हैं?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कुए का कार्य इसलिये रुका हुआ है, क्योंकि विद्युत विभाग के साथ राशि के अनुबन्ध में विवाद है? यदि हां, तो यह समस्या कब तक सुलझा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां, कटराथल–दौलतपुरा जल-प्रदाय योजना द्वारा इन ग्रामों की 1981 की जनगणना के अनुसार 7763 की आबादी को लाभान्वित किया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां, योजना का निर्माण उक्त आबादी को सुचारु रूप से पेयजल वितरण करने हेतु किया गया था, परन्तु कभी-कभी विद्युत के पूर्ण समय तक उपलब्ध न होने के कारण पेयजल वितरण में व्यवधान पड़ता है जिसके संबंध में वहां के निवासी खण्ड कार्यालय में अधिशासी अभियन्ता से पानी की शिकायत के लिए मिलने आते हैं।

(3) जी नहीं, पेयजल का वितरण सुचारु रुप से किया जा रहा है, परन्तु विद्युत कटौती होने पर वितरण में व्यवधान आता है।

(4) जी नहीं, विद्युत विभाग से कनैक्शन न मिलने के कारण ग्राम दौलतपुरा के हरिजन मौहल्ले के कुएं पर वोरिंग का कार्य नहीं कराया जा सका।

(5) जी नहीं, विद्युत विभाग डिमांड-नोट की राशि अधिक (रु. 34508/-) होने के कारण विभाग द्वारा जमा नहीं करवाई गई। उक्त मामला विद्युत विभाग के विचाराधीन है, निर्णय होने के उपरान्त शीघ्र राशि जमा कराई जायेगी। कनैक्शन मिलते ही कार्य शुरु कराया जायगा।

पी. एन. टी. द्वारा पेयजल सुविधा

739. **वैद्य भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़) : क्या जल प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार निम्नलिखित बड़े कस्बों में पी. एन.टी. (बड़ी योजना) बना कर यहां के निवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(1) चांवडिया (2) थौलाई
(3) गठवाडी (4) बूज
(5) डांगरवाडा (6) नौरंगपुरा
(7) भामोद

(2) क्या सरकार जमवारामगढ़ क्षेत्र के गांवों की पुन: जांच करवाकर पेयजल समस्याग्रस्त घोषित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गांवों की नवीनतम स्थिति संलग्न सूची में दर्शायी गई है।

(2) जी नहीं। समस्याग्रस्त ग्राम केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित। हैं समस्या-रहित ग्राम को समस्याग्रस्त घोषित करने हेतु समस्याग्रस्त की सूची में उतने ही ग्राम जो पूर्व में किसी योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं, हटाने पड़ते हैं। जिसके लिये जिला परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव आने पर विचार किया जाना सम्भव है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

बाड़मेर जिले में स्वीकृत उपकेन्द्र

730. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हेमाराम चौधरी)

(1) बाड़मेर जिले में आज तक स्वीकृत उपकेन्द्रों की सूची पं. स. वार सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(2)क्या राज्य सरकार वर्ष 1984-85 में उपकेन्द्र खोलते समय आबादी एवं दूरी को आधार मानकर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितनी आबादी पर एवं कितनी दूरी पर उपकेन्द्र खोलने का विचार है ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) राज्य सरकार की नीति के अन्तर्गत 5,000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र खोलने का प्रावधान है ।

जनजाति योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रति 3,000 की आबादी पर एक उपकेन्द्र खोलने का लक्ष्य है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

सी. ए. एस. डाक्टर्स की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची

741. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) व **श्री जगदीश तिवाड़ी** (दस्सी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्ष 1981 में सी. ए. एस. डाक्टर्स की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची प्रसारित की गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सूची पर आपत्तियां भी प्राप्त हुई थीं ?

(3) क्या यह सही कि उक्त सूची को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों तथा वरिष्ठता सूची के अभाव में पदोन्नतियां किस आधार पर की जा रही हैं ?

(4) उक्त अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात् अब तक की गई पदोन्नतियों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) अस्थाई वरिष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु एक समिति का गठन किया गया है । समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनों की जांच की गई तथा 32 ऐसे सी.ए.एस. चिकित्सकों के नाम वरिष्ठता सूची में जोड़े गये हैं जिनके नाम अस्थाई वरिष्ठता सूची में सम्मिलित होने से रह गये हों । शेष प्रतिवेदन समिति के विचाराधीन है । अन्तिम वरिष्ठता सूची के अभाव में अस्थाई सूची के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां राज्य सरकार द्वारा दी जा रही हैं ।

(4) सी. ए. एस. चिकित्सकों की उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी होने के पश्चात् जो पदोन्नतियां दी गई हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

(56)

प्रदेश जिला मुख्यालयों पर 'बी' श्रेणी के अस्पताल

742. श्री घनश्याम जैन (वेगू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कौन कौन से जिला मुख्यालयों पर बी श्रेणी के अस्पताल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर बी श्रेणी का अस्पताल नहीं है ? यदि नहीं है तो क्यों ?'

(3) चित्तौड़गढ़ के अस्पताल को कब तक बी श्रेणी में क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान के पांच जिला मुख्यालयों पर "बी" श्रेणी के अस्पताल हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां।
इसे समुचित वित्तीय प्रावधान के अभाव में क्रमोन्नत नहीं किया जा सका था। अब मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) वर्ष 1984-85 में क्रमोन्नत किये जाने की सम्भावना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 23 देखें)

बांसवाड़ा में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सामग्री

743. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल कितने रुपयों की चिकित्सा सामग्री वर्ष 1983-84 में उपलब्ध कराई गई ? इसमें कितनी ग्रामीण क्षेत्र में व कितनी शहरी क्षेत्र में वितरित हुई ?

(2) क्या मांग के अनुरूप पूर्ण चिकित्सा सामग्री उपलब्ध हुई ? यदि नहीं, तो मांग के अनुरूप कितने प्रतिशत की चिकित्सा सामग्री वितरित हुई ?

(3) क्या इस पिछड़े जिले में चिकित्सा सुविधाओं के लिये कोई विशेष अनुदान राज्य सरकार से दिया गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में बांसवाड़ा जिले के विभिन्न अस्पतालों के लिये कुल 17.15 लाख रुपये की चिकित्सा सामग्री उपलब्ध कराई गई। इनमें से 3.57 लाख रुपये की दवाइयां शहरी क्षेत्रों में व 7.60 लाख रुपयों की दवाइयां ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित की गई। शेष आवश्यकतानुसार वितरण हेतु भण्डार में उपलब्ध हैं।

(2) जी हां, मांग के अनुरूप ही आवश्यकतानुसार स्वीकृत बजट राशि से भी अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध करा कर सेवायें प्रदान की गई।

(3) इस क्षेत्र में सामान्य विभागीय बजट के अलावा भी जनजाति क्षेत्रीय विकास परियोजना विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के लिये समय समय पर सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।

स्वास्थ्य उप केन्द्र पीपल्दा

744. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पीपल्दा क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा कलां एवं बमोरी कलां के अन्तर्गत कहां कहां पर स्वास्थ्य उप केन्द्र स्वीकृत हैं ? क्या उक्त स्थानों पर स्वीकृत पदों पर कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो कब से कितने स्थान रिक्त हैं तथा कब तक उक्त पद भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

पीपल्दा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा कलां में 16 एवं बमोरी कलां में 19 उपकेन्द्र स्वीकृत है, जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । इनमें से तीन उपकेन्द्रों पर प्रसाविका के पदों के अलावा शेष पर कर्मचारी नियुक्त हैं । प्रसाविका का एक पद जनवरी, 1984 से व दो पद फरवरी, 84 से रिक्त है । रिक्त पदों को शीघ्र भरने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

आइसोनेक्स व स्ट्रेप्टोमाइसीन दवाइयों की कीमत

745. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाजारों में आइसोनेक्स और स्ट्रेप्टोमाइसीन दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित बजट प्रावधानों में महंगाई के कारण उक्त दवाइयां अनुमानित से कम मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं, जिससे अस्पतालों में दवाइयों का भारी अभाव है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में उक्त दवाइयों पर चुंगी भी लगाना प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो कब से और कौन कौन सी दवाइयों पर और कितनी ?

उत्तर

(1) औषधियों का अधिकतम खुदरा मूल्य भारत सरकार द्वारा औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1979 के अन्तर्गत किया जाता है । इसके अन्तर्गत आइसोनेक्स के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है, स्ट्रेप्टो-माइसीन की कीमतों में अगस्त, 1982 में वृद्धि की गई है ।

(2) जी नहीं, हर वर्ष दवाइयों के मद में वृद्धि की जाती है जिससे दवाइयों के मूल्य में हुई वृद्धि से दवाइयों की कमी नहीं होने पाती ।

(3) दवाइयों पर चुंगी पूर्व से ही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 104 के अन्तर्गत आरोपित है । अलग अलग दवाइयों के नाम पर कोई अलग दर से चुंगी नहीं ली जाती है ।

सीकर में टैक्सी, आटोरिक्शा एवं तांगा स्टैण्ड

746. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में आर. आर. टी. टैक्सी, आटो रिक्शा एवं तांगाओं का कोई स्टेण्ड नियत नहीं है और इस कारण वे यत्र-तत्र खड़े रहते हैं ?

(2) क्या नगर परिषद, सीकर इनके लिये विभिन्न स्थानों पर स्टैण्ड कायम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नही । सीकर नगर क्षेत्र में टैक्सी तांगा स्टेण्ड नियत किये हुए हैं ।

(2) उपरोक्त नियत स्थानों के अलावा आवागमन को ध्यान में रखते हुए आर. आर. टी., आटो रिक्शा वाहनों के लिए नये स्टैण्ड हेतु स्थानों का चयन कर रही है शीघ्र । ही स्थानों का चयन कर स्टैण्ड कायम करेगी ।

नगरपालिका नरायना द्वारा भूमि का नियमन

747. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नरायना जिला जयपुर ने दिनांक 25-10-83 को रेलवे स्टेशन नरैना के पीछे स्थित भूमि खसरा न. 2302, 2309 का नियमन किया है ? यदि हां, तो उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में किसके नाम दर्ज है और उक्त नियमन किस आधार पर किसको किया गया है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या ऐसी शिकायत है कि उक्त भूमि का नियमन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो राजस्व रेकार्ड के आधार पर भूमि की मिलकियत का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त नियमन की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो, क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि केवल खसरा नम्बर 2309 में एक छोटा भूखण्ड 15 फीट × 20 फीट नियमन किया गया है, जो राजस्व रिकार्ड में कैलाश, शंकर पुत्र स्व0 श्री हरबक्स व रामप्यारी पत्नी स्व0 हरबक्स के नाम दर्ज है । नगरपालिका ने नियमन प्रार्थी के पुराना कब्जा होने के शपथ-पत्र एवं दो व्यक्तियों के प्रमानीकरण के आधार पर किया है ।

(2) इस बारे में एक प्रार्थना-पत्र पेश होने पर पट्टा बनाने की कार्यवाही रोक दी गई है । वर्तमान में मामला न्यायालय में चल रहा है ।

राजस्व रेकार्ड के आधार पर विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) मामला न्यायालय में चल रहा है । निर्णय के बाद ही उचित कार्यवाही की जा सकेगी ।.

(विवरण केलिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा आवासीय भू-खण्डों का आवंटन

748. **श्री गोविन्द आमलिया** (चौरासी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पिछले दिनों "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान के अन्तर्गत नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा बांटे गये आवासीय भूखण्डों में उन्हें भी जमीन दी गई जिनके पास भू-खण्ड थे और उन्हें नहीं दी गई जिनके पास नहीं थे ? यदि हां, तो ऐसे आवंटन का विवरण व कारण बतायें तथा क्या उन्हें निरस्त किया जायेगा ?

उत्तर

जी नहीं । अभी तक किसी को भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है ।

नगर न्यास उदयपुर द्वारा हैण्ड पम्पों की खुदाई

749. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) नगर न्यास उदयपुर ने वर्ष 1982-83 एवं 83-84 में अपने द्वारा कितने हैण्ड पम्प खुदवाये ? कृपया सूची मय स्थान, दिनांक एव कुल लागत तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त हैण्ड पम्प खोदने हेतु समय-समय पर टेण्डर मांगे गये ?

(3) क्या यह सही है कि जिस सहकारी समिति को वर्क आर्डर दिया उसके अध्यक्ष स्वयं अध्यक्ष, नगर न्यास हैं ?

उत्तर

(1) नगर न्यास, उदयपुर ने वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में कुल 130 हैण्ड पम्प खुदवाये जिनकी सूची मय स्थान दिनांक एवं कुल लागत की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । वर्ष 1983-84 में हैण्ड पम्प खोदने हेतु टेण्डर आमन्त्रित किये गये थे तथा वर्ष 82-83 में टेण्डर आमन्त्रित न कर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की स्वीकृत दरों पर 1/2 प्रतिशत रिबेट प्राप्त करते हुए कार्य कराया गया ।

(3) जी हां । वर्ष 83-84 में जिस सहकारी समिति को वर्क आर्डर दिया, उसके अध्यक्ष, स्वयं अध्यक्ष, नगर न्यास ही हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

नगर परिषद् अजमेर में प्रशासन शहरों की ओर अभियान

750. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान में नगर परिषद, अजमेर में किस किस दिन कहां कहां पर केम्प लगाये और प्रत्येक केम्प में क्या क्या कार्य सम्पन्न किया

(श्री भगवानदास शास्त्री)

और किस काम के भविष्य में करने का आश्वासन दिया ?

(2) क्या भविष्य में सम्पन्न किये जाने वाले कामों को निपटाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितने निपटा दिये गये हैं और कितने निपटाया जाना शेष हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद, अजमेर द्वारा "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान के दौरान लगाये गये कैम्प, प्रत्येक कैम्प में सम्पन्न किये गये कार्यों का विवरण संलग्न है। इसके अलावा नगर परिषद प्रशासन ने सड़क, नालियां मूत्रालयों के निर्माण, नये विद्युत पोल एवं स्ट्रीट लाइटों से संबंधित आश्वासन दिये थे।

(2) जी हां। 54 विकास कार्यों के कार्यादेश दिये जा चुके है और 25 निर्माण कार्य विचाराधीन हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 26 देखें)

राज्य में टाउन प्लानिंग एक्ट का परिचालन

751. **श्री राजबहादुर** (भरतपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य में कोई टाउन प्लानिंग एक्ट परिचालन में अथवा लागू है ? यदि नहीं तो, क्या इस अभाव को दूर करने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य में इस समय कोई टाउन प्लानिंग एक्ट परिचालन में नहीं है। राज्य में इस एक्ट को बनाने का मामला विचारधीन है।

रामलीला मैदान (जयपुर) गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी

752. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद जयपुर के रामलीला मैदान में प्रतिवर्ष लगने वाली गणतन्त्र मेला प्रदर्शनी पिछले तीन सालों में किस तारीख से किस तारीख तक लगी और उससे नगर परिषद को किराये से प्रतिवर्ष कितनी आय हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किराये के अलावा और भी यदि बिजली, पानी व अन्य मद से प्रदर्शनी के आयोजकों ने नगर परिषद को राशि जमा कराई हो तो कृपया पिछले तीन सालों का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद जयपुर के रामलीला मैदान में पिछले तीन वर्षों से दिनांक 20-1-82 से 15-3-84 तक लगी गणतन्त्र

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

मेला प्रदर्शनी से कुल 3403/- रु. की आय हुई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगर परिषद, जयपुर को उक्त किराये की राशि के अलावा अन्य कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 27 देखें)

खण्डार ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करना

753. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकर खण्डार ग्राम पंचायत को इसकी जनसंख्या देखते हुए नगरपालिका में परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

ग्राम पंचायत खण्डार की वर्तमान जनसंख्या 6745 है, जिसको ध्यान में रखते हुए नगरपालिका में परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं होगा।

नगर न्यास अलवर की सफाई एवं सौन्दर्यकरण योजना

754. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर में जिलाधीश कार्यालय के पीछे स्थित "सागर" की सफाई एवं सौन्दर्यकरण हेतु नगर न्यास द्वारा योजना बनाई गयी थी? यदि हां, तो कितने रुपये की योजना बनी थी?

(2) क्या योजना की क्रियान्विति हेतु सागर की सफाई का कार्य न्यास द्वारा प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य किये गये एवं कितना धन खर्च हुआ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना के कार्य को बीच में छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि जिलाधीशकार्यालय अलवर के पीछे स्थित तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यकरण हेतु नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा एक बैठक दिनांक 31-5-82 में 5 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। इसके पश्चात् इस कार्य हेतु तखमीना बनाया गया था जो लगभग 10 लाख रुपये का था तथा निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं जिसमें न्यूनतम 13 लाख 75 हजार 800 रुपये की थी।

(2) यह सही नहीं है कि योजना की क्रियान्विति हेतु सागर की सफाई का कार्य न्यास द्वारा प्रारम्भ किया गया था। परन्तु यह सही है कि विभागीय स्तर पर सर्वे एवं जांच हेतु रु० 31514·58 पै. खर्च किये गये थे। इस राशि को सागर के पानी की निकासी एवं कीचड़ की गहराई व दीवारों की मरम्मत की जांच करवाई गई थी ताकि इसका प्रारम्भिक तखमीना बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त सागर तालाब के सूख जाने

(नगर आयोजना राज्य मंत्री)

पर आम जनता को सूचित किया गया था कि यदि जनता चाहे तो इस सागर तालाब का मलबा अपने कार्य हेतु उठा कर ले जा सकती है। यह इसलिए किया गया था कि कुछ मलबा यदि आम जनता उठा लेती है तो इस कार्य को कराने में न्यास पर वित्तीय भार कम होगा।

(3) यह सही नहीं है कि उक्त योजना को बीच में छोड़ दिया गया है। यह सही जरूर है कि न्यास की आपातकालीन बैठक दिनांक 30-4-83 में यह निर्णय लिया गया कि सागर की सफाई की जो न्यूनतम निविदा प्राप्त हुई है वह काफी ऊंची है तथा ठेकेदार द्वारा जो शर्तें लगायी गई हैं वह भी अनुचित थीं. इस वजह से न्यास ने यह निर्णय लिया कि उक्त कार्य को फिलहाल स्थगित कर दिया जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण की गौरव नगर आवासीय योजना

755. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइन जयपुर के पास गौरव नगर योजना में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये थे और उन पर लगने वाले भूमि रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, पैरा फैरी चार्जेज वसूल किये थे ? यदि हां, तो क्या उनके नक्शे पास कर दिये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब से ये मामले अनिर्णीत पड़े हुये हैं तथा अब प्राधिकरण का क्या विचार है ?

उत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइन जयपुर के पास गौरव नगर योजना में कोई आवासीय भू-खण्ड आवंटित नहीं किये हैं। स्वास्तिक गृह निर्माण सहकारी समिति की गौरव नगर योजना के 85 भू-खण्डों के लिए आवासीय भूमि में रूपान्तरण किये जाने के अन्तिम आदेश अतिरिक्त जिलाधीश भूमि रूपान्तरण, जयपुर द्वारा दिये जा चुके हैं। यह एक कृषि सम्बन्धी निजी योजना है जो प्राधिकरण में अनुमोदनार्थ प्राप्त हुई थी। इसके ले-आउट प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है। विकास शुल्क की एक किश्त जमा होने के पश्चात् भवन मानचित्र अनुमोदित कर दिये जाते हैं। प्राधिकरण बनने के बाद इस योजना से सम्बन्धित केवल एक भवन मानचित्र प्राप्त हुआ था जिसे अनुमोदित कर दिया गया है।

भैंसरोडगढ़ अभारण्य क्षेत्र अवैध कटाई

756. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, मरु विकास, जोधपुर ने 13 जनवरी, 1984 को प्रधान पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ व जिला वन अधिकारी चित्तौड़गढ़ के साथ भैंसरोडगढ़ अभारण्य क्षेत्र में की जा रही अवैध लकड़ी की कटाई एवं बिना टी. पी.

(श्री नन्दलाल मीणा)

के कोयला निकासी का पंचनामा बनाया गया था ? यदि हां, तो पंचनामे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अभयारण्य क्षेत्र में अवैध कटाई एवं बिना टी. पी. कोयला निकासी की काफी शिकायतें राज्य सरकार एवं विभाग को जन-प्रतिनिधियों ने भेजी हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचनामे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। अगस्त, 1983 से फरवरी, 1984 तक जन प्रतिनिधियों की शिकायतों तथा इन पर की गई कार्यवाही की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(पंचनामे और सूची के लिए परिशिष्ट 28 देखें)

सन् 1983-84 में आयुर्वेद विभाग द्वारा क्रय की गई औषधियां

757. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 1983-84 में आयुर्वेद विभाग में औषधियों में क्रय हेतु कुल कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई थी ?

(2) उपरोक्त आवंटित धनराशि को ध्यान में रखते हुये आयुर्वेद विभाग द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कितनी कितनी राशि की कौन कौनसी औषधियां क्रय की गई ?

(3) क्या इन कच्ची औषधियों का उपयोग निर्माण कार्यों में कर लिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन सी औषधियों का निर्माण करवाया गया यदि नहीं, तो क्यो नहीं?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1983-84 में औषध क्रय मद हेतु 59.16 लाख रुपये का बजट प्रावधान था।

(2) उक्त वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में क्रय की गयी औषधियों का विवरण (परिशिष्ट-1) में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। कई कच्ची औषधियों का उपयोग कर लिया गया है। जिन कच्ची औषधियों का उपयोग निर्माण में किया गया है उनकी सची मय निर्मित औषधियों के (परिशिष्ट-2) सदन के पटल पर रख दी गई है। उपयोग में ली गई कच्ची औषधियों की सूची में वही औषधियां सम्मिलित की गई हैं, जो वर्ष 1983-84 में क्रय की गई, में से उपयोग में आई हैं, निर्मित योग में प्रयुक्त अन्य घटक गत वर्ष की अवशिष्ट कच्ची औषधियों में से लिये गये हैं।
(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

रानीवाड़ा डेयरी योजना

758. **श्री कनकराज मेहता** (सांचोर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रानीवाड़ा डेयरी पर राज्य सरकार ने कितनी लागत लगाई और इसमें प्रति रोज कितने लीटर दूध की आवक थी ? इस डेयरी

(श्री कनकराज मेहता)

में कितने लोगों को रोजगार वर्ष 1982–83 में मिलता था ?

(2) क्या यह सत्य है कि रानीवाड़ा डेयरी वर्ष 1983—84 में बन्द हो चुकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस डेयरी के भविष्य के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा डेयरी पर राज्य सरकार की कोई धनराशि लगी हुई नहीं है, तथा दूध संकलन एवं लोगों को रोजगार की सूचना राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(2) जी हां। ऐसी सूचना राज्य सरकार को मिली है।

(3) अभी राज्य सरकार के पास इसकी कोई योजना नहीं है।

फेट दुग्ध की कीमत निर्धारण की प्रक्रिया

759. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू) : क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पशुपालकों को 1 मार्च, 1984 से प्रति किलो फेट दुग्ध का कितना पैसा दिया जा रहा है तथा प्रति किलो फेट दुग्ध का पैसा निर्धारित करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? कृपया फेट एस. एन. एफ. एवं सी. एल. आर. का चार्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) फैडरेशन द्वारा देहली स्थित मदर डेयरी एवं डी. एम. एस. को प्रतिदिन कितना दुग्ध भेजा जा रहा है एवं इन दोनों संस्थानों से प्रति लीटर, किलो फेट कितना भुगतान मिल रहा है ? पशुपालकों को 4 के. जी. फेट एवं 6.5 के. जी. फेट पर दुग्ध का कितना भुगतान दिया जा रहा है एवं फैडरेशन को देहली की संस्थाओं से 4 के. जी. एवं 6.4 के. जी. फेट का क्या भुगतान प्राप्त हो रहा है ? दोनों के मध्य कितना अन्तर है ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासनिक व्यय अधिक होने के कारण पशु पालकों को दुग्ध की कीमत उचित नहीं मिल रही है एवं राज्य के समस्त संयंत्र एवं दुग्ध उत्पादक संघ घाटे में चल रहे हैं ? अगर हां, तो इसके सुधार हेतु क्या प्रयास किये गये ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले माह 27-2-84 को देहली में हुये समझौते के अनुसार 40 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है ? अगर हां, तो पशु पालकों को इस 40 पैसे की वृद्धि के अन्तर्गत कितनी वृद्धि 4 के. जी. फेट पर दी गई है ?

उत्तर

(1) राज्य में दिनांक 1—15 मार्च, 1984 तक 4 प्रतिशत वसा व 8.4 प्रतिशत वसा रहित ठोस वाले गाय के दूध का मूल्य 54.25 रु० प्रति किलो फेट व 6.5 प्रतिशत वसा व 8.8 प्रतिशत वसा रहित ठोस वाले भैंस के दूध का मूल्य 43.00 रु० प्रति किलो फेट की दर पर पशु पालकों को दिया गया।

(राज्य मंत्री, डेयरी विकास)

दिनांक 16 मार्च, 1984 से उक्त गुणवत्ता वाले गाय व भैंस के दूध का मूल्य क्रमश: 56 25 रु. व 44.61 रु. प्रति किलो फेट की दर से दिया जा रहा है।

प्रचलित बाजार भाव व दिल्ली स्थित डेयरीज से प्राप्त मूल्य को ध्यान में रखकर दूध की दर निर्धारित की जाती है।

दूध की दर का चार्ट फैट व एस. एन. एफ. के आधार पर निर्धारित किया जाता है, चार्ट की प्रति संलग्न है।

(2) दिल्ली स्थित मदर डेयरी एवं डी. एम. एफ. को फैडरेशन से लगभग 2 लाख लीटर दूध प्रतिदिन भेजा जा रहा है उक्त डेयरीत द्वारा वर्तमान वर्ष के लिये दर निर्धारित्त नहीं की गई है व न कोई अभी तक अनुबन्ध हुआ है। केवल तदर्थ वृद्धि की है। जिसके अनुसार वर्तमान में, प्रति किलो दूध का मूल्य निम्नि है :—

गाय	मिश्रित
14 प्रतिशत वसा व 8.4 प्रतिशत वसा रहित ठोस	6.5 प्रतिशत वसा व 9.0 प्रतिशत वसा रहित ठोस
(रु०) 2.84+0.18 यातायात व्यय	3.56 रु० इसमें यातायात व्यय सम्मिलित है।

उक्त प्राप्त मूल्य के विरुद्ध प्रति लीटर निम्न मूल्य पशुपालकों को दिया जा रहा है :—

गाय	भैंस
4.0 प्रतिशत वसा व 8.4 प्रतिशत वसा रहित ठोस	6.5? प्रतिशत वसा व 8.8 % वसा रहित ठोस
2.25 रु०	2.90 रु०

दिल्ली से प्राप्त मूल्य एवं पशुपालकों को दय भुगतान के पश्चात् गाय व भैंस के दूध का अन्तर क्रमश: 59 व 66 पैसे रहता है। जिसका विवरण निम्न है:—

	गाय (पैसा)	भैंस (पैसा)
ऊपरी खर्च संघ	34	38
संयत्र से दिल्ली तक यातायात व्यय:—		
ऊपरी व्यय		18
डेयरी सयत्र	25	10
	59	66

(3) जी नहीं।

(4) 27 जनवरी, 1984 को हुए समझोते के अनुसार 6.5 प्रतिशत वसा व 9.0 प्रतिशत वसा रहित ठोस वाले मिश्रित दूध की कीमत में 40 पैसे व 4.0 प्रतिशत वसा व 8.4 प्रतिशत वसा रहित ठोस वाले गाय के मूल्य में 14 पैसे प्रति किलो वृद्धि की गई है। जिसके विरूद्ध 4.0 प्रतिशत वसा व 8.4 प्रतिशत वसा रहित ठोस वाले दूध की कीमत में 15 पैसे की वृद्धि की गई।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 29 देखें)

नागौर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु टेण्डर

760. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में सड़कों के निर्माण हेतु जनवरी, 1982 से फरवरी, 1984 तक कुल कितने टेण्डर निकाले गये ?

(2) क्या यह सही है कि एक ही सड़क पर एक ही प्रकार के काम एक ठेकेदार को बी. एस. ग्रार. दरों से ज्यादा प्रतिशत पर व अन्य ठेकेदार को कम प्रतिशत की दर पर दिये गये ? यदि, हां तो उसके क्या कारण रहे है ? कृपया ऐसे ठेकों की नामवार दरें उद्धृत करें ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 197 कार्यों के टेण्डर निकाले गये।

(2) जी नहीं।

डग कस्बे के विश्राम गृह पर कब्जा

761. **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग कस्बे के विश्राम गृह में विभाग के एक ग्रोवरसियर ने एक कमरे पर काफी समय से कब्जा कर रखा है ? ग्रत: बाहर से ग्राने वाले सभी लोगों को ठहरने में कठिनाई ग्राती है ?

(2) विश्राम गृह में एक व्यक्ति के कितने समय तक रहने का नियम है ? क्या सरकार उक्त कमरे का किराया वसूल कर खाली करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) साधारणतया एक व्यक्ति 10 दिन तक नियमानुसार ठहर सकता है। कमरे के किराया वसूल करने ग्रथवा खाली करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

भीलवाड़ा के पास बनास पर बनाये गये काज - वे पर कुल-व्यय

762. **श्री बंसी लाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा के ग्रकोला तथा खटवाड़ा के पास बनास पर बनाये गये दो काज-वे पर ग्राज तक कब-कब कितना खर्च ग्राया ?

(2) उक्त दोनों काज-वे पर सीमेंट का जो कार्य करवाया गया, क्या वह पिछली एक बरसात में बह गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) उक्त काज-वे पर सीमेन्ट के कार्य के बह जाने से विभाग को कुल कितनी क्षति पहुंची ?

(4) उक्त काज-वे पर उपयोग में लेने हेतु विभाग ने जो सीमेन्ट जारी किया क्या वह समस्त सीमेन्ट नियामानुसार लगाया गया ? क्या कुछ ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उक्त प्रयोग हेतु जारी सीमेन्ट बेच दिया गया ?

उत्तर

(1) आकोला के पास बनास नदी पर बनाये गये काज वे पर सम्वत् 2037 में रु. 11.36 लाख, सम्वत् 2038 में 1.20 लाख एवं सम्वत् 2039 में 1.31 लाख रु. खर्च किये गयें। खटवाड़ा के पास बनास नदी के काज जे पर सम्वत् 2039 में 6.73 लाख रु. खर्च किये गये।

(2) आकोला काज वे पर एक ताजा बनाई गई सीमेंट की 7 लम्बी मीटर दीवार नदी में अचानक पानी आने से क्षतिग्रस्त हो गई तथा खटवड.ा के पास बन रहे काज वे पर चूने में एक ताजा बनाई गई दीवार 20 मी. लम्बाई में नदी में अचानक पानी आने से क्षतिग्रस्त हो गई।

(3) आकोला काज वे पर सीमेंट में बनाई गई दीवार के क्षतिग्रस्त होने से लगभग 2000/- रु. की हानि हुई।

(4) सीमेंट नियमानुसार लगाया गया है। सीमेन्ट बेचने की कोई शिकायत आई हुई प्रतीत नहीं होती।

राजकीय उच्च मार्ग नं. 2 की मरम्मत हेतु धनराशि

763. **श्री शिवसिंह रावत** (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दौसा से धौलपुर जाने वाले राजकीय उच्च मार्ग नं. 2 की मरम्मत के लिये कोई भी धन राशि पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत नहीं की गई? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कितनी और कब-कब कहां-कहां पर पूर्ण मरम्मत कराई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय उच्च मार्ग नं. 2 करौली से धौलपुर के बीच में चलने वाले भारी वाहनों के मार्गों में सबसे ज्यादा राजस्व आय वाला मार्ग है? यदि हां, तो अब कब तक इसकी मरम्मत करा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1981-82 में 16,31,570 रु की, वर्ष 1982-83 में 15,79,555 रु. की एवं वर्ष 1983-84 में (फरवरी तक) लगभग 21,76,894 रु. की मरम्मत सम्पूर्ण सड़क पर आवश्यकतानुसार कराई गई है।

(2) भारी वाहनों के मार्गों पर होने वाली आय का सम्बन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग से नहीं है। धन की उपलब्धता के अनुसार उक्त सड़क की मरम्मत का कार्य समय समय पर कराया जाता रहा है और सड़क का उपयोग बराबर हो रहा है।

कृषि उपज मंडी द्वारा बालाजी मोड़ को जोड़ना

764. **श्री राम किशोर मीणा** (सिकराय): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मंडी, बांदीकुई द्वारा बांदीकुई से बालाजी वाया बडियाल कलां लोटवाड़ा चांदेरा से बालाजीमोड़ को

(68)

(श्री रामकिशोर मीणा)

जोड़ा जा रहा है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि नेशनल हाइवे नं. 11 पर लोटवाड़ा से आगे चांदेरा होकर बालाजी मोड़ तक के नये मार्ग को भी कृषि उपज मंडी तैयार करवा रही है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

उत्तर

(1) बांदीकुई से बडियाल तक सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है । बड़ियाल से लोटवाड़ा तक की सड़क कार्य निर्माणाधीन है, जो कि जून, 85 तक पूर्ण होने की सम्भावना है । लोटवाड़ा से बालाजी मोड़ तक की सड़क के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(2) जी नहीं । इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राजस्थान राज्य बीज निगम में बकाया गेहूं

765. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य बीज निगम में कितना गेहूं इस वर्ष वितरण करने के बाद शेष रह गया और इसका क्या कारण है ?

(2) गेहूं के रख-रखाव पर प्रति वर्ष प्रति क्विटल कितना रुपया व्यय होता है ? पुनः प्रमणीकरण तथा पुनः टेग्स लगवाने यातायात आदि में औसतन प्रति क्विटल कितना खर्चा निगम को वहन करना पड़ेगा ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा टेग्स् उपलब्ध न कराने के कारण गेहूं के बीज का वितरण न किया जा सका ?

(4) गेहूं के बीज को बेचने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

(5) गेहूं का बीज वितरण न करने से इस गेहूं के बीज पर निगम को कितना व्यय करना पड़ेगा इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

(6) क्या यह सच है कि निगम में आवश्यकता से अधिक गेहूं खरीदा गया ? क्या उम्मेदगंज फार्म से निगम ने गेहूं राज 821 का फाउन्डेशन बीज धुना हुआ भी खरीदा ?

(7) क्या यह भी सच है कि 22 कट्टे गेहूं बगर टैक्स के भी खरीदे गये तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा स्टेन्डर्ड में न होने पर भी पास किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष राजस्थान बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, सीड फार्म्स कार्पोरेशन आदि का 1,57,372 क्विटल गेहूं के बीज का प्रमापीकरण हुआ था

(राज्य मंत्री कृषि)

उसमें से राजस्थान राज्य बीज निगम का 1 लाख क्विटल बीज था। राज्य बीज निगम का गेहूं के बीज के वितरण के बाद करीब 40,000 क्विटल गेहूं का बीज शेष रह गया था जिसका कि मुख्य कारण इस वर्ष किसानों द्वारा अधिक क्षेत्र में सरसों बोना, बीज का राज्य के बाहर निर्यात पर पाबन्दी आदि हैं।

(2) गेहूं के रख-रखाव पर 15/- प्रति क्विटल तथा पुन: प्रमाणीकरण पर रु. 7.50 प्रति क्विटल व्यय होता है यातायात आदि में कोई व्यय नहीं होता है।

(3) जी नहीं।

(4) इस वर्ष गेहूं के बीज को बेचने के लिये अन्य राज्यों से सम्पर्क किये जा रहे हैं। पूर्व में भी गेहूं का बीज राज्य के बाहर बेचा गया है। राज्य में गेहूं के बीज को बेचने के लिये हैण्डलिंग एजेन्ट एवं सहकारी संस्थाओं के विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाई गई है। अधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं कि वह बीज को समय पर बिक्री के लिये अधिक सक्रिय हों।

(5) निगम को लगभग 5 लाख रुपया व्यय करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नही है।

(6) जी नहीं। गेहूं का बीज कृषि विभाग द्वारा निर्धारित मात्रा से भी कम खरीदा गया।

(7) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

राज्य बीज निगम की स्थापना

766. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? निगम के अकाउन्ट्स का आडिट कब हुआ? प्रतिवर्ष के हानि-लाभ का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 28 मार्च, 1978 को हुई।

निम्नांकित वित्त वर्षों की आडिट की तिथी उक्त वर्षों के सम्मुख अंकित है :–

वर्ष	आडिटर्स प्रमाण-पत्र की तिथी
1978-79	9-8-1979
1979-80	25-8-1980
1980-81	30-9-1982

उक्त वर्षों के लाभ.हानि की राशि निम्नांकित है :–

वर्ष	हानि-लाभ (रु. में) (कर व लाभांश पूर्व)
1	2
1978-79	(–) 11,927

(राज्य मन्त्री कृषि)

1	2
1979-80	4,49,472
1980-81	5,17,546

लाभ-हानि (रु. में) (कर एवं लाभांश के बाद)	सम्मिलित लाभ-हानि (रु. में) (वर्ष अन्त तक अर्जित)
(-) 11,927	(-) 11,927
1,40,239	1,28,312
2,89,207	4,17,519

सांगानेर तहसील में कृषि उपज मंडी द्वारा स्वीकृत सड़कें

767. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सांगानेर तहसील में सांगानेर से शिकारपुरा, सोडाला रोड से मांग्यावास, मुहाना से कपूरावाला तीनों 3-3 कि. मी. सड़कें कृषि उपज मंडी द्वारा वर्ष 1982-83 में स्वीकृत की गई थीं ?

(2) वर्तमान में क्या सड़कें बन कर तैयार हो चुकी है ?

(3) उन सड़कों पर क्या-क्या कार्य किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये तीन सड़कों में से दो का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सम्भव हो सका।

1. सोडाला रोड से मांग्यावास सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण प्रगति पर है।

2. मुहाना से कपूरावाला—स्वीकृत लम्बाई तक सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है।

(3) 1. सोडाला रोड से मांग्यावासकुल-2 कि. मी. डब्ल्यू. बी. एम. सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है।

2. मुहाना से कपूरावाला—ढाई कि. मी. में डामर कार्य पूर्ण एवं शेष 800 मीटर में डब्ल्यू बी. एम. कार्य पूर्ण हो गया है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री छीतरलाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 23 मार्च को भवानी-मण्डी, जिला झालावाड़ व भरतपुर जिले के दो पत्रकारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा किये गये घातक हमले के विषय में।

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य विधान सभा की ओर से पुलिस थाना, रामगंज मण्डी, जिला कोटा के कर्मचारियों के दो गुटों में विभक्त होने के विषय में।

(3) सर्व श्री फतेसिंह व बहादुरसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुशलगढ़ के शिक्षा विभाग की लापरवाही से गत 23 मार्च को राष्ट्रीय झण्डों की नीलामी के के विषय में।

(4) श्री समरथलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बरकतनगर जयपुर स्थित एक फ्लोर मिल की अनुसूचित जाति की एक महिला प्रोपराइटर को विजली कनेक्शन न देने के विषय में।

(5) श्री हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम ढिगल, गटवाड़ा तहसील सवाई माधोपुर में गोचर भूमि में ईंट भट्टा लगाने की अनुमति देने के विषय में।

(6) श्री मेघराज तावड़, सदस्य विधान सभा की ओर से गत एक अप्रेल को दिल्ली बीकानेर रेल मार्ग पर पुलिस द्वारा जनता की पिटाई के विषय में।

(7) श्री उम्मेदसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 6 अप्रेल को पिपल्या जिला पाली स्थित पी पी मिल्स के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन करने पर उनके घरों पर गुण्डों द्वारा हमला करने के विषय में।

(8) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक, अजमेर के ज्वार घोटाला काण्ड की जांच बन्द करके बैंक द्वारा कर्जों की वसूली में किसानों को परेशान करने के विषय में।

(9) श्री महाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से सरकार द्वारा स्पेशल रोड टैक्स के विरोध में नागौर जिले में प्राइवेट बस आपरेटरों द्वारा बसों को बन्द करने के विषय में।

(10) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 18 मार्च की रात्रि को सुदर्शनपुरा जयपुर में एक फोटोग्राफर तथा उसके परिवार के सदस्यों की गुण्डों द्वारा पिटाई के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(11) श्री नंदलाल मीणा व श्री राम किशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों द्वारा गरीब आदिवासियों को परेशान करने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

इस प्रस्ताव का संबंध किसी घटना विशेष से नहीं है और इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु सरकार को भेजा जा रहा है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो आज पुलिस की मांगों पर चर्चा के समय इस पर चर्चा कर सकते हैं।

पूर्व में श्री त्रिलोकसिंह व श्री महाराम चौधरी ने राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 11 पर आगरा से बीकानेर तक सड़क के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा किसानों को न देने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी इस पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16 अप्रेल, 1984 को सदन में एक वक्तव्य दिया जायेगा।

निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री बंसीलाल पटवा—राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को रियायती दर पर आवासीय भू-खण्ड न देना। राज्य सरकार ने सूचित किया गया है कि सरकार द्वारा इस विषय में कोई घोषणा नहीं की गई है और न कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) भीलवाड़ा तहसील की अटून् पंचायत में आवंटित भू-खण्डों को निरस्त करना। सरकार ने सूचित किया है कि 3189 आवंटित भू-खण्डों में से पंचायत नियमों की पालना न होने के कारण 1550 पट्टे न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये हैं और शेष कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

(3) भीलवाड़ा नगर के सुभाष नगर बस्ती में हरिजनों को आवंटित भू-खण्डों का कब्जा न देना। सरकार ने सूचित किया हैं कि सुभाष नगर में 40 वर्षों से काबिज हरिजन परिवारों को पट्टे दिये गये और अन्य योजनाओं में 30 परिवारों को राशि जमा कराने पर पट्टे दे दिये गये हैं व कब्जा भी दे दिया गया है।

(4) श्री कैलाश मेघवाल—गत 24 मार्च को अजमेर क्लब में म्युजिकल नाइट के समय तस्करी से लाई गई शराब का उपयोग। सरकार ने सूचित किया है कि आबकारी विभाग को इस कार्यक्रम में तस्करी से शराब लाने की कोई सूचना नहीं है और किसी प्रकार का नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया।

(5) श्री गुलाबचन्द कटारिया—राजस्थान परिवहन निगम के संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन की मांगों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन। सरकार ने सूचित किया है कि यह फैडरेशन मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी निगम के कर्मचारियों के संबध में परिवीक्षा के बाद सेवा पर रखने के विषय में जो कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार है।

(6) श्री फतेसिंह—ग्राम मूराकुंआ क्षेत्र कुशलगढ़ के काश्तकारों से ऋणों की वसूली। सरकार ने सूचित किया है कि बकाया के कारण जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गये थे उन्हें नियमानुसार राशि जमा कराने पर कनेक्शन दिया जा सकता है।

(7) श्री बालचन्द आर्यवीर—आगामी 14 अप्रेल को सार्वजनिक अवकाश घोषित

(श्री अध्यक्ष)

करना व उच्च न्यायालय के सर्किल पर डा. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करना। सरकार ने सूचित किया है कि प्रतिमा स्थापित करने के विषय में एक समिति का गठन किया गया है और डाक टिकट जारी करने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की गई है।

(8) श्री बंसीलाल पटवा, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री घनश्याम तिवाड़ी आदि भीलवाड़ा जिले में खसरे से 13 बच्चों की मृत्यु। सरकार ने सूचित किया है कि बीमारी की रोक थाम एवं उपचार हेतु कदम उठाये गये हैं और स्थिति अब नियंत्रण में है।

अत: मैं इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्लिप स्थगन प्रस्तावों के साथ लगाई थी, जिसमें बंजारियों गांव के....

श्री अध्यक्ष: आप आज फरमा देना, आज होम की डिमाण्ड के वक्त अवसर दूंगा आपको।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, इन्हीं से सम्बन्धित है।....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): जो स्थगन प्रस्ताव है, सरकार को 24 घन्टों में रिपोर्ट दे देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री मेघराज तावड़: इसमें साफ लिखा है, उनके ड्राइवरों ने जाकर इस तरह पिटाई की, बलात्कार करने की कोशिश की, मारपीट करने की पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस वालों ने इस केस को दर्ज नहीं किया और न ही पुलिस ने कोई कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष: यह जब गृह विभाग की चर्चा हो तो उस वक्त माननीय सदस्य अवसर दे दूंगा।

श्री महाराम चौधरी (नागौर): अध्यक्ष महोदय, हमारे नागौर जिले के.......

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। यह आज आया है, माननीय सदस्य, नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी: वहां की जनता परेशान है, बेचारों का आना जाना बन्द हो गया।

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर। श्री बंसीलाल।

श्री महावीर प्रसाद जैन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अपने सदन में इस प्रकार की परम्परा है और इसमें दिया हुआ है कि 24 घण्टों में स्थगन प्रस्तावों की तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने यहां की जानी चाहिए, लेकिन 7 को, 8

(74)

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

तारीख को हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसकी व्यवस्था नहीं दी गई है। सात तारीख से आज एक महीना हो गया। एक एक महीने तक इस प्रकार कार्यवाही नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कौनसा मसला है। कृपया मुझसे मिलने का कष्ट करें, मैं मंगवा लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं मिल लूंगा, लेकिन आखिर यह सरकार इस प्रकार सदन की बार बार अवहेलना करे, सबसे बड़ा सवाल यह है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी जो समस्या है, मैं पूरी तरह सुनने की कोशिश करता हूं, यथासम्भव।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी तो बड़ी कृपा है। आप तो पूरा करते हैं, लेकिन मेरा जो ·······

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बता दीजिये मैं उसको देख लूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यदि इतना नम्र आप रहें, आसन इतना नम्र होगा तो यह सरकार कैसे चलेगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सदन को इस प्रकार उपेक्षा करें, यह अवमानना सदन की·······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर।

श्री बंसीलाल पटवा, श्री कैलाश मेघवाल।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। एक मेरा निवेदन है कि कोर्ट जे0 एम0 छीतरगढ़ में अपने माननीय सदस्य के प्रति प्राइमाफेसी केस में 323, 504, 341 में उनको प्राइमाफेसी दोषी बताया गया है और इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य किसी प्रार्थी से, किसी प्रस्ताव से या किसी मान्यता प्राप्त अन्य कोई तरीके से उठाया जा सकता है। आप तत्काल किसी विषय को इस तरह सदन के समक्ष लायेंगे तो····

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस प्रकार का सवाल है। उसमें अपने सदन की गरिमा का, एक माननीय सदस्य छोटूलाल जी, इनके नाम से जो है, उनको दोषी माना गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको सदस्य बना रहने का अधिकार नहीं है और उसकी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य बैठ जायें। कृपया बैठ जायें। श्री कैलाश मेघवाल, श्री गुलाबचन्द, श्री फतेसिंह।

श्री बालचन्द आर्यवीर,

(अनुपस्थित)

उसमें सरकार ने कमेटी गठित की है। मूर्ति स्थापित करें, डाक टिकट जारी हो, इस सम्बन्ध में मेरे ख्याल से चर्चा की जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): थोड़ा सा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूज्यनीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक गरीब तबके के व्यक्ति थे, जिन्होंने गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था भारत के संविधान के निर्माता थे। कई बार इस सत्र में उनके जन्म पर हमने सार्वजनिक अवकाश मांगा था लेकिन अभी तक भी विचार विमर्श ही चल रहा है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट सर्किल है, यह संविधान निर्माता......

श्री अध्यक्ष : सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है, इस पर विचार हो रहा है।

श्री बालचन्द आर्यवीर : इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं शीघ्र ही कमेटी निर्णय ले और उनके जन्म पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करे और हाई कोर्ट सर्कील पर मूर्ति स्थापित करे यही मेरी सरकार से मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्री बंसीलाल, श्री गुलाब चन्द।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है, मैं एक दो मिनट निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, आर्डर। बैठ जायें। श्री बंशीलाल, श्री कटारिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी,

(अनुपस्थित)

खसरे में मृत्यु हो गयी, संक्षेप में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : संक्षेप में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि सरकार ने कहा कि रोग पर नियन्त्रण पाने के लिए व्यवस्था कर ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दो महीने से, जब से यह मौसम रहा, भीलवाड़ा जिले के गांवों में बच्चों की मृत्यु हुई है, अन्य स्थानों पर यह बीमारी इतनी भयंकर, इतनी व्यापक रूप से फैली और छोटे-छोटे बच्चों को अस्पताल में लाया गया वहां पर दवाइयों की व्यवस्था नहीं, डाक्टर देखने के लिए नहीं जा सकें। अभी जब मेरे प्रश्न का जवाब आ रहा था तो चिकित्सा मन्त्री, कह रहे थे कि मैं चिकित्सा मन्त्री हूं या आप चिकित्सा मन्त्री हैं। अध्यक्ष महोदय जब से ये चिकित्सा मन्त्री बने हैं सारे अस्पतालों का दिवाला निकाल रखा है। भीलवाड़ा जिले में इतने लोग मर गये, उनको दवा उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन जब तक मरने की खबर अखबारों में नहीं छपी, जब तक मरने का यहां पर स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया गया। जब तक यह हुआ नहीं तब तक स्वास्थ्य मंत्रीजी की नींद नही टूटी, स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद नहीं टूटी। अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि उस बीमारी की दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं थीं, टीके नहीं लगाये गये और खसरा के अलावा छोटी बोदरी जिसे लोग कहते हैं सारे प्रदेश भर में दो महीने तक फैली रही। सैकड़ों बच्चे बीमारी से मारे गये और चिकित्सा विभाग इनकी सहायता करने में पूर्णत: असफल रहा। अध्यक्ष महोदय, यह छोटी बात नहीं है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसके अलावा अलवर जिले में भी इस बीमारी से सात मरे । इसके अलावा रावकिन बीमारी जिससे 11 आदमी मरे थे । आज जो इन्होंने विधान सभा में बार बार कहा कि इसकी जांच करवा रहे हैं, रिपोर्ट मंगाई जा रही है । लेकिन जब से ये चिकित्सा मंत्री बने इस प्रकार की बीमारियां फैली । आज-तक किसी की जांच रिपोर्ट नहीं आयी । ये कारण पता नहीं लगा सके कि किस कारण में मृत्यु हुई है । पूछ लें उनसे, आज अलवर जिले में 16 बीमारी से मरे, लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा सके कि किस कारण से मरे ? अध्यक्ष महोदय, खसरे की बीमारी से लोग मरे, अज्ञात बीमारी लोग मरे । सारा चिकित्सा विभाग एक प्रकार से सोया हुआ है । सारे चिकित्सा विभाग का दिवाला निकल गया । आज बीमारी एपेडेमिक फैल जाती है कोई भी उसका नियंत्रण करने में चिकित्सा विभाग पूरी तरह से फैल है और इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मरे हैं, सारे के सारे क्यों मरे, चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण इन बच्चों की मृत्यु हुई है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बीमारी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दिया जाय और सरकार पर इसके लिये केस चलाया जाये, मुकदमा दायर किया जाय कि गवर्नमेंट जो छोटे-छोटे बच्चों के इलाज की व्यवस्था नहीं कर सकी, अस्पतालों में में दवाइयां नहीं रख सकी और बीमारी किस कारण थी, इसकी जांच नहीं कर सकी । इस प्रकार से इन चिकित्सा मंत्री का रहना चिकित्सा के नाम पर एक कलंक है । इसीलिये ये कहते हैं कि मैं चिकित्सा मंत्री हूं और इन चिकित्सा मंत्री जी से राजस्थान को भगवान बचाये ।

शासकीय वक्तव्य

गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र के सायरा थाने में एक चोरी के मामले में 1 अप्रेल, 1984 को पुलिस की पिटाई से पन्ना गरासिया की मृत्यु

श्री अध्यक्ष : मंत्रियों द्वारा वक्तव्य । श्री मेघराज तावड़ का प्रस्ताव चोरी के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की पिटाई से मृत्यु । गृह राज्य मंत्रीजी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह(राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ।

दिनांक 7 दिसम्बर, 1983 को थाना सायरा जिला उदयपुर के अन्तर्गत स्थित जैन मन्दिर में रात्रि को किन्हीं अज्ञात मुजरिमों ने पसरे का मुख्य दरवाजा तोड़कर चांदी के जेवरात वजनी करीब 15-20 किलो चुरा लिये । इसकी सूचना दिनांक 8 दिसम्बर, 1983 को प्राप्त होने पर थाना सायरा में अभियोग नं. 132/83 धारा 457-380 तजेरात हिन्द दर्ज होकर अनुसंधान आरंभ किया गया । अनुसंधान के दौरान थाना प्रबंधकों को पैमा पुत्र मना गरासिया और उसके साथी रेशमा आदि पर उपरोक्त जैन मदिर में चोरी का संदेह हुआ । इस संदेह के आधार पर थाना प्रबंधक ने पेमा और रेशमा को बुलावाया । दिनांक 29 मार्च को दिन के 11 बजे पेमा स्वयं थाने पर उपस्थित हुआ जिससे पूछ-ताछ कर उसी रोज वापस जाने की इजा-जत दे दी गयी और तब दो अप्रेल, को 8.30 बजे श्री पेमा स्वयं थाने पर उपस्थित हुआ । 9 बजे गिरफ्तार किया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जाकर थानाधिकारी द्वारा पूछताछ कर दिन के 12 बजे थाने की हवालात में बन्द कर दिया गया। उसी रोज दिनांक 2 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे जब थानाधिकारी उससे पूछताछ हेतु हवालात पहुंचे, पेमा को आवाज देने पर कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने हवालात को खुलवाया और अन्दर जाकर देखा। मुजरिम पेमा हवालात के अन्दर दायीं ओर के कोने में फांसी लगाकर लटका हुआ पाया गया। इस पर थाना प्रबंधक द्वारा तत्काल पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ए. डी. एम. एवं वृत्त अधिकारी, एस. डी. एम. एवं वृत्त अधिकारी गेरूआ को सूचना दी गयी। उसी रात अपर अधीक्षक, पुलिस, उदयपुर, वृत्ताधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, गेरूआ सायरा पहुंच गये। उप खण्ड अधिकारी गेरूआ ने धारा 176 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत जांच की तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया। मृतक पेमा की लाश का मेडिकल बोर्ड के पास पोस्टमार्टम करवाया गया और एस. डी. एम. द्वारा लाश को गांव भिजवाकर परिवारजनों को दाह संस्कार हेतु सौंपा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने फांसी से दम घुटने के कारण मृत्यु होना बताया है। अगले रोज दिनांक 4 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक एवं उप महानिरीक्षक, उदयपुर ने थाना सायरा पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं सारी जानकारी प्राप्त कीं। माननीय विधायक श्री तावड़ भी उसी दिन 12 बजे थाना सायरा पहुंचे। उन्हें भी थानाधिकारी ने हवालात में घटनास्थल का निरीक्षण करवा दिया। अभी एस. डी. एम. गेरूआ द्वारा जांच जारी है। जांच निष्कर्ष पर आगे आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है....

श्री अध्यक्ष : इसमें आपने कोई प्रस्ताव दिया है क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो वक्तव्य सदन की प्रोपर्टी है उसके संबंध में पूछ लेता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बहुत गम्भीर मामला है। दो प्रश्न ही पूछ रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो यह है कि 12 बजे जब उसको हवालात में बन्द किया गया तो 12 बजे से 6 बजे तक वह व्यक्ति हवालात में बन्द रहा और उस समय तक हवालात के बाहर आपके सारे पुलिस के कर्मचारी घूमते फिरते रहे, देखते रहे, तो फांसी लगाकर किस चीज से लटका है ? अमूमन हवालात के अन्दर कोई इस प्रकार का पंखा या ऐसी गड़ी, कोई खूंटी नहीं होती है जिसके अन्तर्गत फांसी लगाकर आदमी लटक जाय लटकता रहे और दम घुट जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : समझ गया, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो। मेरे दोनों प्रश्नों का जवाब दे दीजिये आप। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, फांसी उसने किस चीज से लगायी ? दम घुटने से मृत्यु की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कही है डाक्टरी रिपोर्ट में। जब दम घुटने से मृत्यु हुई तो, अध्यक्ष महोदय, कोई इस प्रकार का सामान नजर नहीं आता इस स्टेटमेन्ट के अन्दर कि वहां पर फांसी लगाने से हुई। कोई वहां पर खूँटी नहीं हो सकती या पुलिस जहां बाहर खड़ी थी....

श्री अध्यक्ष : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : स्पष्ट है कि दम घोंटकर उसको अन्दर बन्द किया गया और मर गया मृत्यु की सारी जिम्मेदारी आपकी पुलिस पर है।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़। पेमा गरासिया की मृत्यु के संबंध में वक्तव्य दिया है मंत्रीजी ने।

श्री मेघराज तावड़ : (गोगुन्दा) अभी तो मैंने सुना ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आपको उपस्थित रहना चाहिये। ये तो व्यवस्था........

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : जो यहां थे उनको बोलना चाहिये था। मैं पानी पीने गया था। मुझे क्या मालूम था कि अभी 12.30 ही बजे थे....

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि सरकार से वक्तव्य उसी समय दिया जायेगा जब माननीय सदस्य का उपस्थित होना सुविधाजनक हो।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने बात यह कही है कि उसको बुलाया गया और हवालात में फांसी लगा करके उसने खुदकुशी कर ली।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : और तावड़ साहब भी वहां गये थे और उन्होंने भी मौका मुआयना किया था।

श्री मेघराज तावड़ : इसीलिये मुझे शामिल किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि ये राजस्थान की सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार आदिवासियों, गरीबों की बात करती है। गरीबों को ऊपर उठाने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम को लेकर के आदिवासियों और गरीबों को बसाने की बातें करती हैं। उनके रक्षक बनने का दम भरती है। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है ? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो आदिवासी गरीब आदमी जिसको बोलने का हौसला नहीं, जिसके घर पर उसकी जो बड़ी भाभी थी मरने वाले की और उसके-औरत की डिलीवरी हुई, बच्ची हुई। उसकी डिलिवरी हुई उसको सभालने वाला नहीं। एक बच्चा था 15-16 साल का, उसके सिवाय घर में कोई नहीं था। पुलिस उसको उठाकर ले आयी 6 दिन पहले और पुलिस ने यहां गिरफ्तार बताया दो तारीख को। अध्यक्ष महोदय, दो तारीख को सुबह 7 बजे जब मैं थाने गया था तो मुझे सिपाहियों ने बताया कि 8 बजे गिरफ्तार किया, थानेदार ने बताया कि 9 बजे गिरफ्तार किया। कंट्रोवर्सी तो यहीं पैदा हो गयी। उसके बाद

(श्री मेघराज तावड़)

5—6 दिन रखा है। और उसके बाद इस तरह से उसको पीटा है, अध्यक्ष महोदय, और बहाना ये किया कि हमने इसको यहां रखा। कुछ लोगों को और बुलादा और यह कहा गया है कि कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमने उसको बुलाया, यहां पर प्लान बनाया था, चोरी करने का, डाका डालने का तो वे तो बच गये लेकिन यह कहा गया था। तो मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसमें दो प्रश्नों के जवाब दे दीजिये। एक तो यह कि मेडिकल बोर्ड में कौन-कौन से डाक्टर्स थे ?

श्री मेघराज तावड़ : मुझे तो यही कहा था। मैं वहां गया था तो मुझे कहा गया था कि मेडिकल बोर्ड में तीन डाक्टर्स उदयपुर से आये थे। मैं तो वहां था ही नहीं, मैं चला आया था।

श्री अध्यक्ष : और जिस कमरे में फांसी लगायी उस कमरे को आपने देखा ? उसमें कोई ऐसी जगह है जहां से आदमी फांसी पर लटक सकता है ?

श्री मेघराज तावड़ : बिलकुल नहीं। मैं वही बताना चाहता हूं। पहली बात तो, हवालात में अगर किसी आदमी को रखते हैं तो कोई ऐसी चीज रखते नहीं हैं, पुलिस पहले ही नहीं रखती कि फांसी खाकर मर जाय। इसलिए हवालात में बन्द करते समय ऐसी कोई चीज नहीं रखते। सच्चाई यह है इसमें, कि उधर तो हवालात है, इस साइड में पुलिस का दूसरा कमरा है। मुलजिम को रखते हैं कहां ? या तो थानेदार के यहां ऊपर के कमरे में बैठा देते हैं या पुलिस सिपाहियों के और कमरे हैं, उधर रखते हैं। हवालात में उसको नहीं पीटा गया, दूसरे कमरे में पीटा गया। जब वह मर गया। अध्यक्ष महोदय, थाना बस्ती के बीच में है। ऊपर कुछ औरतें देख रही थीं। औरतें कहने की स्थिति में नहीं थीं क्योंकि हम कहां जायेंगे यह कहकर, भागीं। वहां के लोगों को औरतों ने इस तरह बताया कि यहां से मरा हुआ निकाला और निकालकर थोड़ा इधर-उधर देखा। फिर ले जाकर जेल के अन्दर रखा। जेल के अन्दर रखकर ताला बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और बता दूं। उसको बन्द करके फिर बताया कि सुबह नौ बजे पकड़ा है। उसके बाद कहते हैं कि 2 बजे आदमी को देखा, मर गया। मैं फैक्ट बताना चाहता हूं। यहां पर हवालात है, इतनी दूर। यहां बाहर है उनका आफिस जहां थानेदार वगैरह बैठते हैं। कुर्सी की यहां से मुश्किल से 10-15 फीट की दूरी होगी। यहां, सन्तरी इस साइड में घूमता रहता है। वह यह कहते हैं कि रस्सी चद्दर की किनार फाड़कर बनाई। चद्दर की किनार फाड़ी पुलिस वालों ने, निकाला वहां से, रस्सी उन्होंने जलाई। उसके बाद अन्दर ले जाकर जब देखा। 7 फीट के करीब ऊंचाई होगी। अध्यक्ष महोदय, टांड है उसकी पट्टियां होती हैं। पट्टी के ऊपर पुराने जमाने में लकड़ी का पाट लगाते थे। उसमें कहीं न तो रस्सी जा सकती है, न यह जा सकता है। एक तो कुरेद रखा है। मैंने दूसरी साइड भी जाकर देखा तो, वहां से न तो कपड़ा जा सकता है उनका कहना यह है कि यहां से चद्दर डाल-

(श्री मेघराज तावड़)

कर चद्दर को गांठ लगा दी। वहां टांड़ और पत्थर है, अगर ऊपर बैठूं तो पत्थर टूट सकता है, इतनी पतली है। मुझे यह बताया गया कि टांड पर यहां बैठ गया। जो पैरेलल डोरी बचती है, और जो पत्थर बताया गया, अध्यक्ष महोदय, वह यहां है, और जो लगता है वह यहां है। देखने वालों ने यह बताया, 3-4 वार्ड पंच गये। मिलने के बाद बताया कि वहां देखा तो उसके पांव लटके हुए नहीं थे, जमीन पर टिके हुए थे। अध्यक्ष महोदय, कतई ऐसी रस्सी नहीं बन सकती जो इतना वजन झेल ले। पहले तो चद्दर नहीं जाती है वहां अन्दर। उसके अन्दर लटकने की जगह जैसे खुरच रखा था। अध्यक्ष महोदय, जाले लगे हुए थे, मकड़ी के जाले, थोड़ा खुरचा हुआ था। कोई चीज गिराई हो तो कम्बल बिछाया होता। यह है पूरी कहानी। हकीकत यह है कि उसको मारा गया, पीटा गया।

मैं तो यह कहना चाहता हूं आज इस मौके पर, अध्यक्ष महोदय, कि हम लोगों को मजबूर होकर आदिवासियों का राज अलग करने की मांग करनी पड़ेगी। मैं दुःख के साथ यह कहता हूं कि आदिवासियों के साथ हर साल हर समय यहां अत्याचार होते रहते हैं। न तो आदिवासियों को पूरा हक मिल पाता है। अध्यक्ष महोदय, आपने ही इन्टरवीन किया था। खातिया को पुलिस ने मारा। पर आज तक उसकी लाश का पता नहीं, उसके जिन्दे होने का पता नहीं। इन्हीं मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि जांच की जायेगी। कहां गयी खातिया की लाश? पुलिस ने हवालात में मारा था। इसी तरह कल परसों एक आदिवासी को मारा हैड कांस्टेबिल ने। जिसमें भी कह रहे थे कि फांसी खाकर मर गया। अध्यक्ष महोदय, आज लोगों में इतना रोष है। तमाम कहानी बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथी के घर गया था, उनके घर पर जाकर आया हूं। भाभी रो रही थी उसकी। उसके यहां डिलीवरी हुई। मूली बेचकर गुड़ का पानी पी रही थी। जौ, मक्का, घी जापा सुजाने के लिए खिलाना तो अलग रहा, केवल मूली बेचकर गुड़ का पानी पिला रहे थे। मेरे सामने रो रही थी। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब उसकी हत्या थी, गार्डी भरकर पुलिस वाले, शायद डी. वाई. एस. पी. और दूसरे दो जीपों में थे, मेरे ख्याल से एस. एच. ओ. भी साथ थे, यहां ले जाकर दो तारीख को पांच बजे मारा है। पोस्ट मार्टम करने के बाद, मेडिकल वोर्ड बैठाने के बाद, सिक्योरिटी रखी थी इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच पाया। उसके बाद, गांव ले गये। विरोधी दल के नेता महोदय, मेरी बात का आप ध्यान रखें, थोड़ा इन्टरवीन करें, अध्यक्ष महोदय, फिर पुलिस ले जाकर इतनी जल्दी जलाया। 100 मीटर घर दूर है, श्मशान में जलाते हैं। अगर उसकी लाश गांव वालों को बुलाकर दे देते। बच्चे को बुलाया जबर्दस्ती, उसका बच्चा 16–17 साल का है बड़ा ही बड़ा, उसको डरा धमका कर साईन करवाये। 4 आदमी गये उन्हीं से लकड़ियां मंगवाई। पुलिस वाले लकड़ी लाये। उसके घर से 100 मीटर दूर ले जाकर जला दिया इतनी जल्दी। मैं यह कहना चाहता हूं, पुलिस वालों को इतनी जल्दी लाश को जलाने की क्या जरूरत थी? गांव वालों को, उसके परिजनों को लाश क्यों नहीं सौंपी गयी?

(श्री मेघराज तावड़)

इससे अपने आप जाहिर होता है कि पुलिस ने सरासर हत्या की। उसकी पिटाई से हत्या हुई। हत्या करने के बाद फांसी का केस बनाया गया है।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो–तीन स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न-मंत्री महोदय ने कहा है कि 29 तारीख को उसको थाने में बुलाया। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि पेमा, जिसकी मृत्यु हुई, की क्या पास्ट हिस्ट्री इस तरह की है कि वह क्रिमनल था? 29 तारीख को बुलाने के बाद पुलिस सैटिसफाई हो गयी, उसको घर भेज दिया, उसके बाद, क्या कारण था कि दुबारा उसको थाने के अन्दर बुलाया गया। दूसरा, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर, सम्भाग में अधिकांश आदिवासी रहते हैं उन आदिवासियों को कानून कायदे का इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए इस बात का इतना दुरुपयोग होता है।

क्या हवालात में ऐसी स्थिति है कि कोई आदमी आत्म हत्या कर सकता है? जहां तक मेरी जानकारी है और मंत्री महोदय भी जानते हैं कि हवालात के अन्दर जहां कैदी रहता है, स्वयं सरकार इस तरह की व्यवस्था नहीं करती है कि कैदी खुद फांसी पर लटक सके। तो मैं यह समझता हूं कि हवालात में जितने कैदखाने बना रखे हैं वे सब बेकार हैं। मैं समझता हूं, सरकार स्वयं इस बात को जानती है कि हवालात में, जहां जहां कैदी को रखते हैं, वहां एक प्रतिशत भी सम्भावना इस बात की नहीं रहती कि कोई आदमी वहां आत्म हत्या कर सके। क्या यह सच है कि उस आदमी को गिरफ्तार करने के पश्चात् मारा पीटा और उसकी मृत्यु हो गई और बताया यह गया कि कैदी ने थाने में आत्म हत्या कर ली। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार के द्वारा बनाये हुए किसी भी कैद-खाने में कैदी आत्म हत्या कर सके इसकी सम्भावना कितने कैद-खानों में है? यह बता दिया जाय पहले, जिससे भविष्य में हम यह प्रश्न न पूछें कि यह जो कैदखाने हैं वहां आत्म हत्या कर लेंगे। तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी घटनायें बराबर रिकर होती जा रही हैं। आदिवासी इलाके में आदमी का नाम आता है, और अधिकांश की मारपीट में मृत्यु हो जाती है। क्या राजस्थान सरकार यह विश्वास दिलाना चाहती है, वह किस तरह से व्यवस्था करना चाहती है। कोई भी आदिवासी, जो कानून से भिज्ञ नहीं है. जिसमें आर्टिक्यूलेशन नहीं है, जिसका नाम किसी अपराध के अन्दर भी इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी अपनी सिविल लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए राज्य सरकार कौनसी व्यवस्था कर रही है जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, वहां के स्थानीय थानेदार के बारे में पहले रिपोर्ट दी है क्या? होली के आस-पास कितने ऐसे केसेज हुए जो मार-पीट के थे?

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

मैं इस केस, पेमा के बारे में बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, एक ही केस नहीं इस तरह से आप देखेंगे, वह इतने अनपढ़ लोग हैं, उनकी पुलिस में किस तरह से मारपीट होती है, किस तरह से मारा जाता है। सबसे बड़ी व्यथा इस केस में है। हमारा वहां का आदिवासी अशिक्षित है, अनभिज्ञ है, कानून का इतना ज्ञान नहीं है, पुलिस के द्वारा आदिवासियों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, सरकार इसके बारे में क्या व्यवस्था करना चाहती है। वहां रहने वाले स्थानीय थानेदार के बारे में किस तरह से जांच करायेंगे, इसके बारे में आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी। इसमें बहुत चर्चा हुई....

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां के विधायक, जो मुण्डवा से आते हैं, अलखाराम जी, और जितने आदिवासी विधायक हैं, सारे आदिवासी इलाके की समस्या है, इसलिये मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इन घटनाओं को रोकने के बारे में....

श्री अध्यक्ष : वह तो गृह विभाग की मांग है, उस पर सब माननीय सदस्य बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : दो जानकारी मैं करना चाहता हूं। एक, माननीय राज्य मंत्री यह बतायें कि फांसी लगने की घटना हुई, क्या यह असाधारण घटना नहीं है? और क्या यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि जो आदमी लॉकअप में हो, वह किसी प्रकार से फांसी नहीं खा सके या किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं कर सके? यदि यह जो अपराध हुआ है, फांसी खाने का आत्म हत्या का, तो इस अपराध के सम्बन्ध में आपने किन किन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिये हैं, एक तो मैं आपसे यह जानकारी चाहूंगा।

दूसरा प्रश्न यह करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को चोरी के मामले में पकड़ा: चोरी, अध्यक्ष महोदय, ऐसा बड़ा अपराध नहीं है जिस अपराध के लिये एक व्यक्ति को आत्म हत्या करनी पड़े। आदिवासी हो या चाहे कोई और हो, चाहे मैं भी होऊं, अगर मामूली सी चोरी भी हो गई है तो उस चोरी के सम्बन्ध में मेरे दिमाग में यह बात नहीं आ सकती कि मुझे इस चोरी के अपराध से बचने के लिये फांसी खानी चाहिये। यह किसी भी प्रकार से उसके अपराध से जो कुछ अपराध किया गया है कमेनसुरेट नहीं करती है इसलिये मैं नहीं समझ पाया हूं आपके वक्तव्य से कि चोरी के मुलजिम को फांसी खाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह आवश्यकता जब ही पड़ सकती है जब या तो उसका टार्चरिंग किया हो या उसके दिमाग में यह बात बैठ जाय कि चोरी के मामले में मेरी इतनी पिटाई होगी और उस पिटाई को मैं सहन नहीं कर सकूंगा और उस पिटाई के डर से आदमी....

श्री अध्यक्ष : इस जिन्दगी से तो मरना अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब चोरी करना और चोरी करने में कोई आदमी यह समझे कि मेरा समाज में बहिष्कार हो जायेगा, मेरी शादी नहीं होगी या मेरी लड़कियों के लिये, बच्चों के लिये एक समस्या खड़ी हो जायेगी, यह तो बात मंत्री महोदय भी स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की उसके सामने कोई समस्या नहीं थी। चोरी भी इतनी बड़ी नहीं थी कि जिस चोरी में उसकी मारपीट करके माल बरामद किया जाये, 6 महीने की सजा होती, एक साल की सजा होती, 2 महीने की सजा होती। वह दो महीने की सजा पाने वाला व्यक्ति फांसी के ऊपर लटक जाये और अपने प्राण बिल्कुल खत्म कर दे, इन दोनों चीजों का कोई तालमेल नहीं है।

तीसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं जो आपने यह कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर और किसी प्रकार की इन्जरी नहीं आई और इस आधार पर आप यह मान कर चलते हैं कि उसकी डेथ केवल फांसी खाने से हुई है। मैं आप से यह जानकारी करना चाहूंगा कि पुलिस आज कल किस प्रकार के तरीके अपनाती है, जो तरीके शरीर के ऊपर विजिबल नहीं होते हैं। मारपीट के तरीके भी अलग हो गये हैं। आजकल कई जगह बिजली के करेन्ट लगाते हैं, कई जगह आदमी को सोने नहीं देते हैं। कई जगह आदमियों को इस प्रकार टार्चेट किया जाता है कि उसके शरीर पर नाम मात्र का भी निशान नहीं होता और व्यक्ति को इतनी ज्यादा वेदना होती है कि वह आदमी उसको सहन नहीं कर सकता है। इसलिये आप इस बहाने से निकलें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में केवल यह बात आयी है कि इस व्यक्ति ने फांसी खाई और इसकी बाडी पर और कोई एलीमेन्ट आपको नहीं मिले तो मैं आप से यह जानकारी करना चाहूंगा कि क्या आपने कभी किसी अधिकारी से इस बात की जांच करायी है कि उस व्यक्ति का टार्चर नहीं हुआ ?

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के के आधार पर उसकी जो पिटाई हुई है या उसको जिस प्रकार से यातना दी गयी है, उस यातना को लोगों ने देखा है और लोगों ने देखकर रिपोर्ट की है और यह सारा हो-हल्ला हुआ। यह हो-हल्ला इसलिये नहीं हुआ कि उसको फांसी लग गयी। लोगों की जानकारी में थी कि उसका टार्चरिंग किस प्रकार से हो रहा है और वह उस टार्चरिंग को टालरेट नहीं कर सका उसके कारण उसकी डेथ हो गयी तो फांसी का सारा फंदा रचा गया। मेरी समझ में नहीं आता कि लाकअप में कोई आदमी फांसी खा जाये, लाक अप में फांसी का सामान किस प्रकार से उपलब्ध होगा। लाकअप पर कुछ नहीं होता है। पानी की डोली भी नियमानुसार नहीं होती है। उसको पानी भी बाहर से पिलाया जाता है। पानी पीने के लिये उसमें बर्तन नहीं होता है। किसी प्रकार की रस्सी नहीं होती है। और कोई आदमी अपने कपड़े से फांसी खा ले यह मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है। मैं ऐसा समझता हूं कि कुर्ता जो मैं पहने हूं, उससे अपने हाथ से फांसी लगाने की कोशिश करूंगा तो सात जन्म में भी फांसी नहीं लग सकती। मैं अगर धोती से

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अपने आपको फांसी लगाने की कोशिश करूंगा तो धोती से भी फांसी नहीं लगायी जा सकती। जब तक फांसी इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हो, उसमें फंसने के बाद निकलने का रास्ता न हो तब जाकर वह फांसी इफेक्टिव हो सकती है। अपने कपड़ों से कोई आदमी फांसी नहीं खा सकता। और यदि ऐसी बात हो तो इसका डिमांस्ट्रेशन माननीय मंत्री महोदय दे दें कि क्या आदमी अपने रूमाल से या अपनी धोती से फांसी खा लेगा या अपने हाथ से फांसी ले लेगा जब तक फांसी इन्डिपेन्डेन्ट न हो। आदमी उस पर मजबूर नहीं हो जायेगा उस समय तक फांसी कभी भी आज तक कामयाब नहीं हुई है। ऐसी हालत में मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि आपने इस सम्बन्ध में किस से जांच करायी है? आप यह कहेंगे कि मजिस्ट्रेट से जांच हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा इस राजस्थान की विधान सभा में पुलिस लाक-अप में या जो फायरिंग हुई उनमें मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के सम्बन्ध में सरकार यहां घोषणा करती है लेकिन आज तक भी कोई ऐसी इन्क्वायरी नहीं हुई जिसमें कन्सर्ड पर्सन्स को या कन्सर्ड पार्टीज को मौका दिया हो बल्कि मौका इस बात का मिलता है कि यह आदमी गवाही बदल जाय, उसको किस प्रकार दबाया जाये ताकि यह गवाही बिल्कुल इस प्रकार की नहीं दे। कोई मजिस्ट्रियल इन्क्वारी आज तक किसी प्रकार से इफेक्टिव नहीं हुई है। मजिस्ट्रेट क्या इन्क्वायरी करते हैं, एस.डी.एम. को इन्क्वायरी करने के लिये दे दिया या बाकी और किसी आदमी को इन्क्वायरी के लिये दे दिया वह इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी नहीं हो सकती। यह तो इन्क्वायरी का नाटक है और उस नाटक से सरकार बचेगी।

अन्त में मैं राज्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि सरकार इस आदत को भी छोड़े कि जो कुछ कर दिया गया है उसको प्रोटेक्ट करें। यदि सरकार इन्डिपेन्डेटली खुद भी इन्क्वायरी करे, अध्यक्ष महोदय, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि किसी दूसरे से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार की यह आदत बन गयी है कि कोई भी सरकार के कर्मचारी किसी भी प्रकार का अपराध कर लें तो यह हमारा धर्म है कि उस अपराधी को इस विधान सभा में बचाया जाये। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का प्रांगण एक बहुत जिम्मेदारी का प्रांगण है। यहां तीन चार माननीय सदस्यों ने बात कही, तीन चार माननीय सदस्यों का मुकाबला उन अधिकारियों, से जिन्होंने उसको फांसी लगायी, से यदि यह सरकार करने लगी, हम 5-7 सदस्य जो बोल रहे हैं वह तो गलत साबित हो गए और मंत्री महोदय को जिसने इन्फार्मेशन दी वह सही हो गये तो आज डेमोक्रेसी के अन्दर इलेक्टेड मेम्बर की इज्जत यदि इस आधार पर गिराने की कोशिश की है तो यह मान कर चलिये कि यह इज्जत गिराने के कार्यक्रम में आपको भी किसी न किसी समय भागीदार होना पड़ेगा। आखिर इस विधान सभा में जो सदस्य बोलते है वे जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। यह हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत राजनैतिक पुट भी लगा दें। यह स्वाभाविक है लेकिन उसकी असलियत नहीं छिपायी जा सकती है। जब इतने सदस्य कह रहे हैं, गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य कह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, समाचार पत्रों में इस प्रकार के इसी आशय के समाचार छपे हैं, बात बिल्कुल सही साबित ही रही है तो केवल कुछ अधिकारियों के कहने से आप इस बात को बिल्कुल यह कह दें कि उसने फांसी लगायी, उसके साथ कोई टार्चरिंग नहीं हुआ यह उचित नहीं होगा। डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन आप जिस आधार पर डवलप करना चाहते हैं वह डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन इतने गलत साबित होंगे, एक पक्ष कहता है कि मर्डर हुआ और दूसरा पक्ष कहता है मर्डर नहीं हुआ। दूसरे पक्ष में सरकार नहीं बोली, आज मैं कह सकता हूं कि प्रद्युम्न सिंह नहीं बोल रहे हैं, प्रद्युम्नसिंहजी को बुलवाया जा रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आज के राजनैतिक आधार पर स्वतंत्र बात कहने के लिए उसने तो फांसी खाकर अपनी हत्या की और आप यह लोगों की लगायी हुई फांसी के आधार पर बोल कर इस स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करें यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसके परिणाम न आपके लिये अच्छे होंगे न मेरे लिये अच्छे होंगे और न आम जनता के लिये अच्छे होंगे। जो दोषी हो उसको हर हालत में दण्ड मिले। चाहे लाकअप में फांसी खाई हो, चाहे लाकअप के बाहर फांसी खाई हो लेकिन आप उसको बचाने का प्रयत्न नहीं करें, यहीं मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं दो एक क्वेरीज करना चाहूंगा। पहली तो यह कि क्या ऐसी कोई बात सामने आयी है कि किन कारणों से उस ने आत्महत्या की? दूसरा, मेडिकल बोर्ड के सदस्य कौन कौन डाक्टर थे? तीसरा यह कि जो वक्तव्य दिया गया है उसके अनुसार 28/29 तारीख को एक बार बुलाया गया और उसके बाद में 2 तारीख को बुलाया गया। थाने में बुलाने की प्रक्रिया है। इसके लिये लिख कर देना पड़ता है। दो ही तरीके हैं किसी व्यक्ति को पुलिस में बुलाने के लिये या लिख कर बुलाते हैं या वारंट द्वारा या बिना वारन्ट के पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। यदि उसको बुलाया गया है तो क्या लिख कर बुलाया गया है? पुलिस की जनरल डायरी, रोजनामचा होता है उसमें दर्ज किया है या नहीं कि आज 28/29 तारीख को इसको बुलाया गया इस वक्त वह आया और इसके बाद में उसको वापस छोड़ दिया गया। फिर दो क बुलाया इसके बारे में आप कृपया जब उत्तर दें तो इन बिन्दुओं पर भी प्रकाश डालें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, माननीय विपक्ष के नेता द्वारा, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय तावड़, माननीय देवेन्द्र कुमार द्वारा कुछ बातें यहां पर सुझाव, शंकाएं, और जानकारी चाही गयी है। श्री मान्, जब यह स्टेटमेन्ट मेरे सामने तैयार होकर आया तो जो प्रश्न आपने पूछा है वही प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि हवालात में कैसे मरा। रिकार्ड सामने आया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी सामने आयी। पूरी विस्तृत रिपोर्ट हाथ से लिखी हुई थी उसको टाईप करवाया इसलिये टाईप करवाया गया कि उसको आसानी से पढ़ सकें। डाक्टरों को बुला कर पूछा। अभी फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य से चर्चा कर रहा था

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

क्यों कि मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इतना ज्ञान नहीं है । अपनी जानकारी के लिये मैंने खुद ही सन्तुष्ट होने की चेष्टा की, यह किस तरह से हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, जो आपने पूछा कि हवालात में कैसे मरा ? तुमने बुलाया था ? उसको दुबारा क्यों बुलाया ? उसकी क्या हालत थी ? इसके उत्तर में जो मुझे सूचना दी गयी है, मौका नक्शा देखा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी । एक एक करके जो मेरी समझ में आया, मैं उत्तर देता हूं । इसके बाद भी, मेरे कहने के पश्चात् भी कोई शंकाएं रह जाती हैं "क्योंकि एक आदमी की मृत्यु हुई है, अध्यक्ष महोदय, तो कम से कम "अगर" वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर कोई दोषी है तो मैं पाप का भागी स्वयं नहीं बनना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : मन्दिर का कितना माल चोरी गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. रिपोर्ट के मुताबिक 15-20 किलो चांदी की बात है ।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे पास जो आधार है वह सबसे बड़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का है जो कि एक मेडिकल बोर्ड के द्वारा जिस प्रकार से सम्पन्न हुई, 3 डाक्टर्स मौजूद थे, श्रीमन्, उसके अन्दर डाक्टर एस. एस. झाला, डाक्टर एम. एल. महामाया, डाक्टर एम. एम. मंगल, दो उदयपुर के थे और एक वही सायरा की जो डिस्पेन्सरी है उसका डाक्टर था । अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहें तो इसको आप देख सकते हैं, मैं स्वयं आकर आपको दिखा दूंगा । अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कहीं पर भी चोट नहीं है , सिर्फ खरोंच है, पीठ के ऊपर और बदन के ऊपर एक्सटर्नल इन्जरी कहीं नहीं है-नम्बर एक । नम्बर दो-विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा कि आजकल नये नये तरीके ईजाद हो गये करन्ट लगाने, के उससे चोट शरीर के ऊपर पहुंचाई जाती हैं जिनकी एक इन्जरी मात्र कहीं बाडी पर नहीं रहती है, मूल में आपने यही कहा । अध्यक्ष महोदय, जहां तक करन्ट लगाने का सवाल है, जो बैटरी से करन्ट लगता है, या यह जो तरीका है, अध्यक्ष महोदय, हमेशा हल्की बर्न इन्जरी आती है । यह मैंने पूछा है, बहुत कोशिश छिपाने की की जाय लेकिन हल्की बर्न इन्जरी रह जाती है, तलुओं के ऊपर भी चोट पहुंचायें, अध्यक्ष महोदय, पहले जो तलुओं पर चोट पहुंचाते थे....

(व्यवधान)

It may be difference of opinion. It is not always. जो मैं जानता हूं....

श्री हरिसिंह (फुलेरा): बहुत ही एक्सपर्ट आदमी अगर लगाये तो नहीं होता है। Then we take so much protection. That protection cannot be taken in that Police Station. So in these circumstances what he is stating is right. रुटीनली माननीय मंत्री महोदय

(श्री हरिसिंह)

कह रहे हैं वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : कहीं जैसे जीप के प्लग का वायर उसको पकड़वा कर देवें तो आयेगी क्या इसकी बर्निंग?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक झटका लगेगा, हाथ में जब झटका आवेगा तो कान्स्टेन्ट पकड़ कर नहीं रख सकता, कान्स्टेन्ट पकड़ कर रखेगा तो हाथ जल जायेगा, स्पार्क निकलता है इसलिए, अध्यक्ष महोदय, झटका अगर लगेगा तो हट जावेगा।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, जीप में और उसमें बड़ा फर्क है। जीप के इंजन या मोटर गाड़ी के इंजन की फिक्वेन्सी इतनी नहीं होती है, उससे बर्न नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : जीप का तो सबसे ज्यादा सुगम माध्यम है, कहीं भी जीप हो और उसको पकड़ा दिया....

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, उससे आदमी मरता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मरता नहीं है, टार्चर तो होता है, दर्द तो बहुत होता है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिये, पहले मेरी बात सुन लीजिये, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं जानता नहीं हूं कि यह कौन है। करेगा सो भरेगा, कोई भी हो।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैंने इसको पढ़ा, इसको समझा भी, तीन आदमियों से समझने की कोशिश की, जितने सिम्पटम हैं उसके अन्दर दम घुटने से मृत्यु होना पाया गया है, अब, अध्यक्ष महोदय, दो ही तरीके हैं मरने के, उसने फांसी खायी या गला घोट कर मरा है,या फांसी दी गई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, फांसी देकर वहां लटकाना या मार पीट कर वहां फांसी दे देते और लटका देते समझ में आता है या गला घोट कर मार देते। लेकिन जो निशानात मौजूद हैं, जब हाथ से गला घोटा जाता है तो वह निशानात अलग तरीके के होते हैं। जब आदमी फासी खाकर मरता है तो उसके निशानात अलग तरीके के होते हैं। अध्यक्ष महोदय, फांसी के निशान हमेशा एक से आयेंगे। जब गला घोटेंगे किसी आदमी का तो निशान जो हैं वह हमेशा अंगुली की मोटाई के हिसाब से, अंगूठे के हिसाब से बनते चले जाते हैं। मैंने इसके अन्दर जो निशान देखे-फिर भी पढ़ दूं, इसके अन्दर फांसी क्लियर मालूम पड़ती है। आत्महत्या का मामला है। Dislocation of the second vertebra is present.

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लीजिये। हमेशा जो हाथ से किसी का नहीं हो सकता है या जो गुदा है दो जगह, अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह फांसी का इंगित है कि जीभ के अन्दर से दिमाग की तरफ वेन्स जाती हैं और जब लटक कर मरता है तो डिस्लोकेशन होता है और ब्रेन की जितनी

(88)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी नसें जाती हैं, जो ब्रेन को काम करने का फंक्शन करती हैं उसका डिस्लोकेशन होते ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। जो हाथ से कभी नहीं हो सकती। किसी के....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बताइये मरने के किसी आदमी को फांसी पर लटकाया जाय तो यह नहीं टूटती है क्या जो आपने बताई ?

श्री हरिसिंह : टूटती है, लेकिन अन्टी मार्टम और पोस्ट मार्टम में बड़ा फर्क होता है। आंख बाहर निकलेगी। सबसे बडा तो पोस्ट मार्टम में यह होगा कि the hanging has been done while was alive. सबसे महत्वपूर्ण बात । लेकिन आप जो शंका कर रहे हैं कि मारकर फिर लटका दिया, यह हो सकता है लेकिन जो अन्टी मार्टम में साइन्स और सिम्पटम होते हैं, मरने के बाद साइनोसिस नहीं होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इन सब बातों को मैं आपको कह सकता हूं कि this is a death by hanging. Definitely death by hanging. Any expert—and it is a true picture of death by hanging that you can understand. उसके बाद में वह फांसी पर लटकाया गया या खुद लटका है। this is a perfect case of death by hanging. इसमें कोई दो राय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : इसी के साथ मेरी एक बात भी सुन लीजिये, अध्यक्ष महोदय, में एक ही बात कहना चाहता हूं, जब किसी को फांसी दी जाती है या चढ़ता उसके सिम्पटम क्या है ? उसकी आंखें बाहर निकली होती हैं, जुबान बाहर निकली होती है यह भी सही है।

दूसरी, अध्यक्ष महोदय, क्या वह रस्सी का टुकड़ा आपके पास है जिसके द्वारा घटना घटी या कपड़ा लम्बा था वह भी आपके पास है। एक मिनट और....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये। उसके फोटो वगैरह आपके पास है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह फोटो तो अभी नहीं है।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, वह लटका हुआ था ही नहीं, पांव जमीन पर थे यह मैं आपको मौका दिखाना चाहता हूं मेरे साथ चलें....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो रही पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

शरीर की क्या स्थिति थी, आंखें बाहर निकली हुई थीं, निशान बने हुए थे।

अब रहा सवाल, अध्यक्ष महोदय जैसा मैंने पूर्व निवेदन किया था कि किसी को बचाने की नीयत से मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस मामले में, अध्यक्ष महोदय, लगता है कि अगर किसी ने गुनाह किया, हिनीयस क्राइम है, उसको बचाने में मैं अपने उपर ऐसे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, मेरे रिश्तेदार और दोस्त नहीं हैं, हमें क्या लेना इसके अन्दर....

(व्यवधान)

तिवाड़ी जी, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मुझे क्या लेना देना क्योंकि मैंने खुद प्रश्न पूछा कि भई, मरा कैसे ? आप भी पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो रिपोर्ट पढ़ रहा था उसका एक हिस्सा तो रख दिया, पर पुराने टाइप की हवालात बनी हुई है और उसके अन्दर लकड़ी के मगे, मारवाड़ और मेवाड़ी में उसको क्या कहते हैं, पट्टे कह लीजिये, हमारे यहां मगे कहते हैं और उसके ऊपर छत पड़ी हुई है। मैंने कहा इतना ऊंचा चढ़ा कैसे, इतना ऊंचा हाथ कैसे चला गया ? पुराना मकान है अध्यक्ष महोदय।

(1·00 म. प.)

वह, अध्यक्ष महोदय, टांड टाइप का बना हुआ है, न कहीं निशर्नी थी, उचक के, लटक के और जम्प करके पहुंच नहीं सकता, तो मैंने पूछा, यह कैसे हुआ ? यह सब प्रश्न मैंने पूर्व में ही पूछ लिये थे, अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न यहां पूछे गये हैं और अपेरेन्टली, एक सिरे को पहले, यही नहीं समझ में आ रहा था कि यह लगाया कैसे, एक सिरा ऊपर लगा दिया और एक सिरे को लेकर लटक गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, नम्बर। एक अब, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं, माननीय जोशी जी और माननीय देवेन्द्र सिंहजी से, मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी, इसके बावजूद कोई फैक्ट्स आपके पास हों, कोई नये फैक्ट्स हों I will take cognizance of those facts. मैं इसकी हाई लेवल इन्क्वायरी कराने को तैयार हूं। अगर उसमें थानेदार या पुलिस वालों ने कोई गफलत की हो तो, I will not spare them.

श्री अध्यक्ष : उसको दो दफा बुलाया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके अनुसंधान के दौरान माना निवासी पीपरान ने यह बात बतलाई कि इस आदमी ने पाली जिले के सुमेरपुर कस्बे में चोरी करने के लिये कहा कि मेरे संग चोरी करने चलो। चोरी तो 12 वें महीने हो गई थी लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टीगेशन वहां पर यह बात सामने आई, एक आदमी ने बताया कि इस आदमी ने बताया कि इस आदमी ने मुझे इन्वाइट किया था कि पाली जिले के अन्दर चोरी करने चलना है। इसने मना किया कि चोरी करने उसके साथ नहीं जाऊंगा। उसकी वहां पर तफतीश हुई, अध्यक्ष महोदय, उसको बुलाया गया, यह बात सही है कि कई दफा बुलाया गया।

(90)

श्री अध्यक्ष : लिखित में, लिखकर बुलाया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, लिखित में बुलाया या नहीं, लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, बुला सकते हैं, लिखित के अन्दर बुलाना आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कोई कानून है क्या ऐसा ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन किसी आदमी को एक निश्चित सीमा से अधिक समय, पूछताछ के लिए वहां पर, थाने के अन्दर नहीं रख सकते, मेरी जानकारी है। इसके बारे में वह यही है, अध्यक्ष, महोदय।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : बिना लिखित नहीं बुला सकते।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, वन) सीआर. पी. सी. में प्रोविजन है।

श्री अध्यक्ष : यह ऐसा है कि पुलिस अपने अधिकारों का इस तरह दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह से पुराने जमाने में सामन्त बुलाया करते थे उस आदमी को बुला लाओ, मेरे ख्याल से ऐसा प्रोविजन नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : बुला नहीं लाओ, पकड़ लाओ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बुलाते हैं, इसमें सात दिन बुलाकर या एक दिन....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, कानूनी मसला है, सात दिन रखा या एक दिन रखा, तो क्या 24 घण्टे में उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिये। उसकी पालना नहीं हो सकती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, अध्यक्ष महोदय, if he is arrested, he cannot be detained for more than a certain period.अगर ऐसा है तो 24 घण्टे अन्दर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : लिखित में है जब तो हो जायेगा वरना तो क्यों होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं बैठा सकते सात दिन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बैठाते हैं तो वह नियमों का, कानून का उल्लंघन करते हैं अगर कहीं करते हैं ऐसे, अध्यक्ष महोदय आपने बुलाने की जो प्रक्रिया पूछी लिखित में भी बुला सकते हैं और मुंह जुबानी भी फलां आदमी को बुला ला।

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता कि जब चाहा बुला लिया आपने, बैठा लिया और जब चाहा छोड़ दिया। अध्ययन कर लीजिए आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति थी, जो मैंने आपसे निवेदन की। अब आपने एक मुद्दा बनाया, क्योंकि रिकार्ड, मेरे पास अभी....

श्री अध्यक्ष : डायरीज वगैरह नहीं दिखाओगे कि उसको बुलाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इतनी गहराई में नहीं गया हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह भी हो सकता है कि इसकी पिटाई छः सात दिन तक होती रही, इसलिए तंग आ करके उसने आत्म-हत्या कर ली।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिटाई चलती तो इन्जरी के मार्क्स तो होता, अध्यक्ष महोदय। मै भी देखता हूं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं आती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब यह तो बड़ी मुश्किल है, माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं आती है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : करन्ट लगाओ।

श्री अध्यक्ष : आप तो डाक्टर हैं, पुराने तरीके से अगर खटिया पर चढ़ावें उसको तो निशानात आयेगा या नहीं ?

श्री हरिसिंह : जरूर आयेंगे, बिल्कुल, आयेंगे, खड़ा रखेंगे 6 घंटा तो पैरों में सूजन हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : 6 घण्टे क्यों पांच मिनट में ही तकलीफ का होता है इतना माचे पर चढ़ना कि कोई उसके अन्दर पूरे जन्म की बात बता देगा।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी को किसी शब्द से ही सदमा लग जाता है कि आपने किसी को कटु शब्द कह दिये तो वह भी टार्चर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप डाक्टर हैं, मैं यह कह रहा हूं कि माचे पर अगर चढ़ाया जाय तो आप जानते हैं माचे पर चढ़ाया जाये तो उसको कोई इन्जरी आयेगी क्या ?

श्री हरिसिंह : लिमिटेड एक्सटेन्ट तक तो आयेगी नहीं, अगर आपने एक मिनट के लिए चढ़ा दिया तो नहीं आयेगी।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट ही बहुत हैं। यह मान लेते हैं कि उसने खुदकशी की है, ऐसा यदि मानते हैं तो इन्ड्यूस क्यों हुआ, मोटिव क्या था ?

श्री हरिसिंह : लेकिन अपेरेन्टली तो उतना टार्चर नहीं हुआ है।

श्री. अध्यक्ष : I am Satisfied regarding that.

श्री देवदत्त तिवाडी : क्या उसका कारण बने, वह नहीं बताया गया है।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह स्वीकार करते हैं कि उसको थाने में बुलाया और थाने में मृत्यु हुई, आत्महत्या से। मेरा एक प्रश्न है, गोगुन्दा के सायरा से और उदयपुर के बीच में डिस्टेन्स ज्यादा नहीं है, गोगुन्दा के

(९२)

(श्री सी पी जोशी)

जब इस तरह का क्राइम हो गया, थाने के अन्दर आत्महत्या की पब्लिक के प्रोटेस्ट करने की संभावना थी, तो वहां के जो काम्पीटेन्ट डाक्टर थे उदयपुर के अन्दर, उनका मेड़िकल बोर्ड क्यों नहीं बैठाया ? तीनों आदमी केवल सी.ए.एस लेवल के हैं जब आपको मालूम है कि थाने के अन्दर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चाहे उसने आत्महत्या की हो या कुछ भी की हो जो आपके नियरेस्ट था उदयपुर वहां के काम्पीटेन्ट डाक्टर, रीडर हैं उन आदमियों का मेडिकल बोर्ड क्यों नही बैठाया. ये तीनों आदमी सी.ए.एस. हैं यह जो झाला साहब बताया यह भी दोनों आदमी सी. ए. एस. हैं उदयपुर के अन्दर क्वालिफाइ डाक्टर्स हैं। आप देख लीजिये मेडिकल कालेज में रीडर हैं या प्रोफेसर हैं, ये मेरी जानकारी के अन्दर तीनों व्यक्ति सी.ए.एस. लेवल के हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप कम से कम यह तो एश्योर कर लें कि थाने के अन्दर इस तरह का क्राइम हो गया है किसी ने किया या नहीं, यह बाद की बात है, लेकिन थाने में बुलाने के बाद में यह घटना हुई और राजस्थान के पुलिस वाले इतने काम्पीटेन्ट हैं कि सात दिन तक या तीन दिन तक थाने में बंद करें चोरी के मुकदमे में और उसके शरीर के ऊपर एक भी निशान नहीं आए, मैं समझता हू कि राजस्थान का ऐसा कोई पुलिस का थाना नहीं है जिस आदमी को थाने के अन्दर पुलिस ने बुलाया है उसको कहे कि तुम प्रेम से छोड़कर चले आओ, उस व्यक्ति को कहे कि भई पुलिस के सामने कुछ नहीं होगा। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात की जांच कर लें क्योंकि आदिवासी इलाके में बराबर इस तरह की घटना हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जैसा कहा, बिना नोटिस दिये उनको बुला लेते हैं थाने के अन्दर, यह रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता कि उसको गिरफ्तार किया या नहीं किया, चार दिन पांच दिन तक उसकी मारपीट होती है इन सब घटनाक्रम के आधार पर मेरा आपसे सानुरोध निवेदन है कि इस बात की खुले दिमाग से जांच करा कर भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो इस को चैक करने के लिए उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के और डूंगरपुर, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के थानेदारों को आप जब तक औरियेन्टेड नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनायें होती रहेंगी। और उदयपुर के मेडिकल कालेज के काम्पीटेन्ट डाक्टरों से मेडिकल मुआयना की इच्छा रखते हैं या नहीं ?

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि जो कारण आपने पूछे हैं कि उसका इमिजियेट कारण क्या रहा कि जिसकी वजह से उसने फांसी खाई। यह अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, कृपया स्पष्टीकरण करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय आत्महत्या उसने क्यों की इसका कारण तो मैं बता नहीं सकता हूं लेकिन मुझे जो रिपोर्ट मिली है वह बता रहा हूं। I cannot give any valid reason for it.

(व्यवधान)

मैं तो आपको जो उत्तर है वह बता रहा हूं

श्री नरेन्द्रदत्त तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो कहा कि मेरे पास आत्महत्या क्यों की इसका उत्तर नहीं है यह बात सही नहीं है। उनका उत्तर सही नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें माननीय सदस्य जोशी ने जो सुझाव दिया, माननीय सदस्य देवेन्द्र कुमार जी मीणा ने जो सुझाव दिया और, माननीय तावड़ साहब, आपका निर्वाचन क्षेत्र है, आपके सुझाव उनसे कुछ भिन्न थे और उनकी टोन भी भिन्न थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य तावड़ साहब का जो सुझाव है अगर उनकी जानकारी में कुछ तथ्य ऐसे हैं क्योंकि जो कि मैंने यहां बयान दिया, या सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स के अवसर दिए हैं उसके बावजूद भी अगर वे यह महसूस करते हैं कि कहीं पर कोई गफलत, कोई गलती हुई है तो कृपया आप मुझे बता दें, मैं उसकी जांच करूंगा। इसके अलावा जो जनरल बात कही गई वह तो अलग है, पर कोई स्पेसिफिक बात हो, कोई मारपीट की गयी हो या ऐसी कोई बात हो तो आप मुझे बतावें। मैं, अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय को फिर से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें 176 की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके अन्दर क्या कारण आते हैं उसके बावजूद भी जो तथ्य होंगे मैं उसको अपने लेवल पर देखूंगा। रिपोर्ट के अन्दर अगर उसमें मुझे यह लगा कोई जरा भी इसमें महसूस हुआ थानेदार द्वारा कोई गफलत या अनियमितता बरती गई है तो उसको बचाने का या माफ करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं पहली बात तो अध्यक्ष महोदय ने यह बताई कि लिखित में बुलाते या नहीं बुलाते हैं। इसके अलावा आठवें दिन लाश लेकर पुलिस गई तो सात दिन तक उसको रखा। सातवें दिन मृत्यु हो गई और आठवें दिन लाश लेकर पुलिस गई। दूसरी बात यह है कि उसकी लाश को पुलिस ने उस गांव के लोगों को क्यों नहीं सौंपा, उसके परिजनों को क्यों नहीं सौंपी? इसके अलावा इतनी जल्दी पता नहीं कहीं श्मशान था या नहीं उसके घर से सौ मीटर दूर पुलिस वाले जला करके आए। अध्यक्ष महोदय, ताज्जुब की बात है लाश जली नहीं, मैं खुद, अध्यक्ष महोदय, मौका देखकर आया हूं हड्डियां अभी भी पड़ी हैं, लाश पूरी जल भी नहीं पाई। इतनी जल्दी की पुलिस ने, यह क्या कारण था?

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि वह चादर कहां से आई थी और चादर से जो ऐसी बंटी गयी थी वह रस्सी कितनी जाड़ी थी, चादर कितनी मजबूत थी और कितनी लम्बी थी।

इसके अलावा चौथा मेरा प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें पंचनामा में जो लोग थे उनका यह कहना है कि न तो उस व्यक्ति की जुबान बाहर निकली हुई थी, न उसकी आंख बाहर निकली हुई थी और न वह लटका हुआ था, पांव पर उसको खड़ा कर रखा था, जमीन पर पैर उसके टिके हुए थे। यह

(श्री मेघराज तावड़)

वहां के लोगों की जानकारी है। पांचवां प्रश्न मेरा यह है कि आप पहले लोगों को वहां से हटायें। आज भी वहां पर राजनैतिक दबाव से, पुलिस के दबाव से वहां के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है इसलिए आप आज ही इमीजियेटली वहां पर जो पुराना स्टाफ है उसको वायरलेस मैसेज से हटाइये। इसके अलावा मैं यह चाहता हूं कि सदन को इस बात का पूरा विश्वास दिलाया जाय, वहां पर मौका देखा जाय कि वास्तव में वहां पर कोई फांसी हो सकती है या चद्दर आ सकती है मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं।

इसके अलावा मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप सदन की एक कमेटी बनायें और वह माननीय सदस्यों की कमेटी वहां पर मौके पर जावें कल छुट्टी है और उसकी जांच करके आये। ताकि सब तथ्य मालूम हो जायें और जो यह थानेदार है, मिस्टर पुरी, उसको वहां से पहले हटाया जाय। उनके लिये यह मशहूर है, वह इस बात के लिये माहिर है कि लोगों को थाने में बुलाकर हत्यायें करें। उनको हर जगह मारपीट के लिये डेप्यूट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो भानुपुरा में चोरी हुई उसके लिए बुलाया गया था, मारवाड़ की चोरी की बात नहीं थी, ढाई लाख की बड़ी चोरी आदिवासी नहीं कर सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित रह चुका हूं और वहां के लोग बड़े ही डरपोक होते हैं और यह थानेदार पुरी है इसके ऊपर पूर्व में भी चार हत्याओं के मामलों की रिपोर्ट है। मैंने भी गृहराज्य मंत्रीजी से इस बारे में रिपोर्ट की थी तो मैं यह पुनः निवेदन करता हूं कि उस थानेदार पुरी को हटाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दोषी थानेदार को सख्त से सख्त सजा दी जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तावड़ साहब ने जो प्रश्न पूछे कि वह चादर कितनी लम्बी थी, वहां चादर आ नहीं सकती है मैं उसचादर की लम्बाई, चौड़ाई क्या बता सकता हूं और आपके सामने जो मोटे मोटे तथ्य थे वह रखे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह रिपोर्ट है कि उस व्यक्ति के चाचा और उस व्यक्ति के चाचा के बेटे को लाश सुपुर्द की गयी थी। यह मेरे पास रिपोर्ट है। जो पंचनामा के अनुसार रिपोर्ट है, उसमें अध्यक्ष महोदय, वहां के सरपंच के और पंचों के दस्तखत हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तावड़ साहब ने जो प्रश्न पूछे हैं उसके बारे में मेरा यहीं निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। उस आदमी को थाने में बुलाया और उसको मार पीट करके उसकी हत्या कर दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त नहीं होगी, जब तक इस बात का पता नहीं लग जाता कि उसको लिखित में बुलाया या जुबानी बुलाया तब तक चर्चा समाप्त नहीं होगी। यह स्पष्ट ही होना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, कि कैसे बुलाया।

एक माननीय सदस्य : यह कैसे नहीं बता सकते हैं कि चादर कितनी लम्बी और चौड़ाई में थी।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के साथ बराबर ज्यादतियां हो रही हैं और उनको दबाया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आकर बैठ गया हूं धरना देकर....

(व्यवधान)

(श्री मेघराज तावड़ का धरना)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने धरना देकर बैठा हूं।

(व्यवधान)

(श्री मेघराज तावड़ का धरना समाप्त)

अध्यक्ष महोदय, जब तक मेरी बात का उत्तर नहीं आता है तब तक यही कार्यवाही चलनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पुलिस उसको कैसे ले गयी? क्या उसको लिखित में बुलाया था थाने में या जुबानी बुलाया था?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक केस हनुमानगढ़ जंक्शन में हो गया। उसको थाने में ले गये और उसको वहां पर मार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना....

(व्यवधान)

चाहता हूं कि क्या कोई फांसी लगाकर मर सकता है। मेरा यह निवेदन है कि उसको पुलिस में बुलाया होगा और वहां पर मार पीट की होगी और, अध्यक्ष महोदय, पुलिस अगर किसी के साथ मार पीट नहीं करे और बुलाकर 12 घन्टे या 24 घन्टे बैठा ले तो उसकी हालत तो मरे जैसी हो जाती है। वहां पर अगर किसी को बुलाकर 24 घन्टे बैठा दिया जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, वह मजबूर होकर मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही एक केस हनुमानगढ़ जंक्शन में हुआ

(श्री देवीसिंह भाटी)

और सूरतगढ़ में भी ऐसा ही केस हो चुका है। वहां ऐसे केसेज थाने में हो जाना नई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि गृह राज्य मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा; मेरा निवेदन यह है, उस थानेदार के द्वारा ही थाने में हत्या की गई है। क्या यह सही है कि उस थानेदार के खिलाफ में पूर्व में भी कुछ शिकायतें माननीय सदस्य देवेन्द्र कुमार ने गृह राज्य मंत्री को की थीं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं देवेन्द्र कुमार जी ने मुझे कोई शिकायत नहीं की।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, नहीं, यह कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार आदिवासियों के साथ इस तरह के अन्याय हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आज निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के अन्याय हमेशा से होते रहे हैं इसलिये मैं इस सदन में आज से यह मांग करता हूं कि आदिवासियों के लिए पृथक से राज्य होना चाहिये क्योंकि यह सरकार आदिवासियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है। मैं आज राजस्थान के आदिवासियों को यह नारा देता हूं कि आदिवासियों के लिए अलग से राज्य होना चाहिए और आप चाहे इसमें हमें कुछ भी समझें लेकिन मैं आज से यह नारा बुलन्द करूंगा और मांग करता हूं कि आदिवासियों के के लिये अलग से राज्य हो। आप चाहे कुछ भी समझें क्योंकि हमें यहां पर आपकी व्यवस्था से नहीं है और आपके यहां पर हम आदिवासियों को न्याय नहीं मिल सकता है। निर्दोष आदिवासियों को इस प्रकार से मारा गया है, हम अलग राज्य बनाने की मांग करेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें, आसन पैरों पर है।

श्री मेघराज तावड़ : हम अलग राज्य बनायेंगे, उसके लिए लड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शान्त रहें। मैं यह निवेदन करना चाहता था किसी आदिवासी व्यक्ति की मृत्यु हो गई पुलिस हिरासत में, क्योंकि यह सबके लिए, इस तरह की बात हो जाती है उसमें कोई अन्याय या गैर कानूनी कार्यवाही हो....

श्री मेघराज तावड़ : एक नहीं, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए आदिवासियों पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सदन को या माननीय सदस्यों को चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि इस तरह यदि कोई अन्याय हो हुआ पूरी जांच, छानबीन की जाए। आज भी इसीलिए मैंने अवसर दिया माननीय सदस्यों को, मंत्री महोदय से उत्तर दिलवाया उसके पश्चात् कुछ मुद्दे सामने आये। मैंने भी वही लीगल रिपोर्ट अपने सामने पढ़ाई, उसने खुदकशी की। वह कारण खुदकशी का भी हो सकता है, उसने फांसी कैसे लगाई यह भी हो सकता है। यह कहा गया कि उसको मारकर बाद में लटकाया गया। पुलिस ने उसको बाद में बुलाया यह बात भी सामने आई। इन सभी तथ्यों में विचार करके यह चर्चा चल रही थी तो स्वयं आसन ने भी दो तीन प्रश्न पूछे, लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि इस तरह की जो घटनायें होती हैं उसमें कई तरह की बातें, कई तरह के पक्ष होते हैं, मजिस्ट्रेट की ओर से जांच चल रही है, कानूनी प्रश्न बीच में यह है कि क्या पुलिस गवाह को सम्मन करके बुला सकती है, मुर्जरिम को गिरफ्तार कर सकती है, मगर यह प्रक्रिया कि आज पुलिस ने फिर बैठाया, फिर बुलाया, फिर बैठाया, फिर बुलाया हम चाहेंगे कि कानूनी पहलू का अध्ययन किया जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बहुत सी घटनायें हो जाती हैं इसलिए अपने यहां यह व्यवस्था है कि उसकी चर्चा करें, कोई गलती सामने आती है तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। काफी समय इस पर लग गया, कई तथ्य सामने आये हैं उस पर अलग तरीके से भी अपन विचार करेंगे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन अधिक समय तक, इस तरह के मामले होते हैं, अपन यहां चर्चा के विषय नहीं रखे जा सकते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक व्यक्ति ने किसी कारण से चाहे आत्महत्या कर ली, चाहे बुलाया गया और दम तोड़ दिया। हमारी कोशिश यह रहती है कि ऐसे व्यक्तियों को, ऐसी जो घटनायें होती हैं कोई दोषी व्यक्ति है उसको दण्डित किया जाए। यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। आगे चीज यह है कि मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी रिपोर्ट आयेगी। हम भी यह सोचकर बैठ जायें कि उसको मारकर फिर लटकाया गया, डाक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट, मैंने पूछा है कि डाक्टर कौन-कौन हैं, स्थानीय डाक्टर होते तो हो सकता है प्रभाव में हों, दो डाक्टर उदयपुर के हैं वह पक्ष भी देखा, लेकिन अदालत किस निर्णय पर पहुंचती है, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम पूरे साक्ष्य लेकर उसके बाद नतीजे पर पहुंचे। यह दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति को बुलाया उसकी मृत्यु हुई इससे सरकार इन्कार नहीं करती है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले में और गहराई में जाए और न्याय दिलाने की कोशिश करे। इसी के साथ मैं इस पर चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह है कि पुलिस थाने में पुलिस ने मारा था, यह तो न्याय की बात है, फैसला होगा, परन्तु इस आदिवासी इलाके में उसी पुलिसकर्मी के सेवारत रहने से वह उस इलाके में यह बात लोगों को कहेगा कि हमने एक तो मार दिया, भविष्य में कोई अगर....

श्री अध्यक्ष : यह तथ्य, माननीय सदस्य, सदन में पहले आ चुके हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा में मार दिया गया, खातिया स्टेशन में आदिवासी की हत्या कर दी, सलूम्बर के पास दो व्यक्तियों को फांसीपर लटका दिया गया। इस तरह की आदिवासियों के साथ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह पक्ष पहले ले लिये गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : उनके ऊपर जुल्म पुलिस ढाती रहेगी, अध्यक्ष महोदय, यह कब तक चलेगा।

श्री अध्यक्ष : सभी तथ्य सामने आ गये हैं, चर्चा हुई है आदेश दे दिये हैं कि जांच करके सरकार कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण करवा दें। माननीय सदस्य देवेन्द्र कुमार जी ने कहा कि चार मर्डर किये गये उसकी सूचना मैंने गृह राज्य मंत्री जी को दी है, उन्होंने अभी सदन को जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास इस तरह की सूचना नहीं आई है। माननीय सदस्य से मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की सूचना दी है या नहीं ?

श्री हरिसिंह : गोविन्दसिंहजी को दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी तो दी थी।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : इस सूचना वहां के सरपंच ने मुझे जब विधायक था उस वक्त दी, [illegible] गृह मंत्री को टाइप करके भेजी मैं। [illegible] जानना चाहता था कि जो मर्डर हुआ उसके बारे में क्या जांच हो रही है, [illegible] रिपोर्ट भेज दी है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई वक्तव्य देंगे, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो माननीय श्री रामधन द्वारा प्रस्तुत किया गया जन स्वास्थ्य मंत्री।

श्री नन्दलाल मीणा : मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं, [illegible] बतायें ?

श्री अध्यक्ष : आप बाध्य नहीं कर सकते, यह बात आ गयी है। तथ्य सामने आ गये।

लाडनू तहसील के चन्दराई लुकाश जल योजना में पाइप लाइन अवरुद्ध

श्री परसराम मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले की लाडनू तहसील चन्दराई-लुकाश में क्षेत्रीय जल योजना 12 गावों को जल सुविधा से लाभान्वित करने हेतु दिनांक 23-10-72 को 10·60 लाख रुपये की स्वीकृति की गई थी जिसे बाद में संशोधित योजना के के रूप में दिनांक 31-1-78 को 15·2[illegible]

ी परसराम मदेरणा)

रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना से सन् 1976 में 5 एवं '7 में 6 व सन् 1978 में 2 गांव न्वित किये गये थे। इस तरह इस जल ा के अन्तर्गत 12 गांवों में पेयजल ध करवाया गया।

र्तमान में 84,000 गैलन पानी वित- किया जा रहा है जो कि आबादी के र है।

र्वप्रथम ग्राम चूण्डासरिया में माह र, 1983 में पानी सप्लाई करने में त्पन्न हो गई तथा पाइप लाइन जांच र यह पाया कि पाइप लाइन में स्के- शन हो रहा है जिसके कारण सफेद पाउडर पाइप लाइन के अन्दरूनी र जमा हो गया है, जिससे पाइप री व्यास, एक इंच के लगभग पाउ- जमाव से घट गया है तथा जगह- यह ठोस जमा पदार्थ टूट-टूट कर बहाव के साथ बहकर पाइप लाइन -जगह पर इकट्ठा होकर अवरोध कर रहा है। इससे उक्त गांव की लाई बन्द हो गई। विभाग ने 4.25 टर लम्बी पाइपों में जमे इस पदार्थ ों को उखाड़ कर व साफ कर पुन: : जल वितरण नियमित कर दिया। धि में लगभग 15 दिन उक्त गांव रेया में पानी बन्द रहा। अब इस पानी नियमित रूप से सप्लाई हो

(1.29 म. प.)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

इसके बाद माह फरवरी, 1984 में उपरोक्त ग्राम चूण्डासरिया की तरह ही ग्राम हिरावती में जल वितरण में बाधा पड़ गई तथा विभाग ने 4.25 किलोमीटर पाइप को जगह-जगह से उखाड़कर पाइपों में जमा पदार्थ निकालकर तथा पम्प से पानी पम्प करके पाइपों की सफाई की तथा दिनांक 5.3.84 को इस गांव का जल वितरण नियमित कर दिया। इस कार्य के दौरान लगभग 20 दिन इस गांव का जल वितरण बन्द रहा। परन्तु अब नियमित सप्लाई हो रही है।

इस योजना के ग्राम मालासी, सुनारी, कासन, मरांगना में जल वितरण में कभी भी कोई शिकायत नहीं नहीं तथा मांग के अनुसार जल वितरण किया जा रहा है. शेष गांव लुकास, चन्दराई, टोकी में ग्राम तौर पर नियमित रूप से जल वितरण हो रहा है बशर्ते विद्युत सप्लाई या मशीनरी के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। ग्राम चूण्डासरिया व हिरावती की तरफ जाने वाली पाइप लाइन में जमे हुए पदार्थ को निकालने हेतु सफाई के लिये अतिरिक्त पानी इन लाइनों में देने से उन दिनों में ग्राम लूकास, चन्दराई व टोकी की जल वितरण व्यवस्था को कमी का सामना करना पड़ा परन्तु सप्लाई बन्द नहीं रही यद्यपि कम हुई। अब इन गांवों में जल वितरण सुचारू रूप से चल रहा है।

पाइप लाइन में जमे रहे पदार्थ के जमाव को देखते हुए पानी की जांच करवाई गई है तथा यह पाया गया कि पानी की कठोरता ज्यादा होने के कारण स्केलफारमेशन हो

(श्री परसराम मदेरणा)

रही हैं। इससे छुटकारा पाने के निम्न उपाय हैं :—

1. पानी की कठोरता लाइम-सोडा विधि अथवा आयन एक्सचेंज विधि द्वारा कम की जावे या पानी की पी. एच. वेल्यू (एसिड-द्वारा) घटाई जावे तथा पी. एच. 8 से 7.1 तक लाई जावे. परन्तु यह विधि मंहगी व जटिल है अतः दूसरा सुझाव भी विचारणीय है।

2. नागौर लाडनू सड़क पर नये स्रोत का निर्माण किया जावे तथा इस योजना को इस नये नल कूप से जोड़ा जावे।

वर्तमान में तुरन्त सुधार के बतौर ओडिट प्याऊ से ओडिट गांव तक की 3.25 कि. मी. पाइप लाइन को नई पाइप लाइन द्वारा बदलवा दी जायगी जिसकी लागत 1.80 लाख रुपये है। इससे ओडिट गांव व उसके बाद के 5 गांवों में नजदीक भविष्य में समस्या उत्पन्न न हो। जिस पाइप लाइन में स्केलफार्मेशन होने से व्यास कम हो गया है ऐसे पाइपों की सफाई हेतु रसायन-घोल युक्त पानी लम्बे समय तक प्रवाहित करना पड़ता है। परन्तु इस मामले में यह सम्भव नहीं रखा जा सकता. अतः इन लाइनों के स्थान पर जहां जरूरी होगा नई पाइप लाइन डालने हेतु तखमीने बनाये जा रहे हैं। इस योजना पर वितरण पाइप लाइनों की लम्बाई निम्न है :—

1. 3" व्यास की पाइप 23 कि.मी.

1. 4" व्यास की पाइप 12.5 कि.मी.

कुल 35.5 कि.मी.

जिसको बदलने की अनुमानित लागत 15 लाख रुपये होगी।

अतः यह कहना ठीक नहीं है कि योजना के किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। समस्या के प्रति सरकार पूर्णतया सतर्क एवं जागरूक हैं।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी स्वयं जानते हैं और पिछले साल उस क्षेत्र से गुजरे थे, लाडनू एक ऐसा इलाका है जहां अगर किसी भी गांव में एक दिन पानी नहीं पहुंचे तो वहां की जनता की क्या हालत होगी ? माननीय मंत्री जी रामायण के अच्छे ज्ञाता हैं और इसमें लिखा है, "बिनु तप तेज कि कर विस्तरा. जल बिनु रस कि होई संसार. मील कि मिल बिनु बुध सेवकाई. जिमि बिनु तेज न रुप गोसांई।"

सभापति महोदय, श्री मंजी एक दो अधिकारियों को अगर हटा देते तो, मैं समझता हूं, काफी कुछ सुधार हो जाता। सभापति महोदय, इसी प्रकार—

"रहीमन पानी राखिये बिन पानी सब सून,
पानी गये उबरे मोती मानस चून."

सभापति महोदय मंत्रीजी के पास जो रिपोर्ट आई है, मंत्रीजी विश्वास किस पर करेंगे ? अधिकारियों पर नहीं करेंगे। मेरे पर करें या उन पर करें लेकिन कल एक बजे मैं चूंडासरिया और ह्रिगावती जाकर आया हूं, एक बूंद पानी उन गांवों में नहीं हैं। सभापति महोदय, मंत्रीजी को मैंने आगे भी लिखा, मंत्री जी ने यहां से लिखा, मैं जे. ईएन. ए. ईएन., एक्स. ई एन. और चीफ

(श्री रामधन चौधरी)

इंजीनियर जोधपुर, सब.के पास बारी बारी गया और उनको सारी स्थिति समझायी। बावजूद इसके एक साल से उन गांवों की यही हालत है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरा खुद का गांव है चन्दराई, वहां तो मैं महीने में एक दो बार जाता ही जाता हूं, जब जाता हूं तो वहां पांच सात दिन से पानी नहीं आ रहा है, यह शिकायत रोज रहती है। उसमें पाउडर जमा हुआ है या नहीं, यह आपके देखने का मैटर है। मुझे पता नहीं कौन कौनसी लाइन में पाउडर है। जहां मैंने देखा, जहां से ये निकाल रहे हैं उसका सैम्पल लाया हूं, यह इस प्रकार का पाउडर है, जो पत्थर जैसा है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खुद सज्जन आदमी हैं, इनको खुद को जानकारी हैं, यह पत्थर, पाउडर मनुष्य के पेट में क्यों नहीं जमता जब कि पाइप लाइन में जमता है। पानी में तो मिस्टेक है ही है, आपके आगे मैं यह पेश करूंगा। मंत्री महोदय ने देखा होगा, डिपार्टमेंट वालों ने बताया होगा, जब भी मैं पी. एच. ई. डी.. के अधिकारी से मिला उनके पास एक ही उत्तर है। बेशक एक आदमी को मैं धन्यवाद दूंगा जो एक्स. ईएन. वहां अभी लगा है वह भागदौड़ बहुत करता है लेकिन सफल नहीं हुआ। उनको बताया जाता है, मेरे को बताया गया इस गांव में आज पानी जा रहा है, जब मैं जाकर देखता हूं तो गांव में पानी नहीं जा रहा है। सभापति महोदय, इस प्रकार की असत्य बात से कब तक काम चलने वाला है। उस जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो इनकी जो राजनल स्कीम बनती है उसमें गांवों को पाइप लाइन से जोड़ दिया जाता है। यह उसमें काउंटिंग कर लेते हैं कि हमने इतने समस्याग्रस्त गांवों की समस्या हल कर दी मगर समस्या एक में भी हल नहीं होती। गांवों को जहां पाइप लाइन से जोड़ा जाता है, समस्याग्रस्त गांव मान रही है सरकार, उसके बावजूद उस गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचे, सरकार का पैसा लग जावे, सभापति महोदय, मंत्री महोदय इस बात पर गहराई से विचार करेंगे। सभापति महोदय, आज मावामासी गांव को फिर जोड़ा गया, उसमें क्यों पाउडर जमा हुआ है? बीटूड़ा गांव को फिर पाइप लाइन से जोड़ा गया था उसमें भी पाउडर जमा हुआ है। क्या वह भी अवरुद्ध है? गोदां को पाइप लाइन से जोड़े एक साल हो गया, ये कहते हैं अभी हमने परमीशन लिस्ट में नहीं लिया। वहां पर एक साल से जो टेंडर बना था इनके ठेकेदार ही बस में नहीं है। ये अधिकारी लोग एक साल में उस काम को पूरा नहीं करवा सके, सभापति महोदय, आखिर हमें पीने का पानी चाहिये। राज्य सरकार का पैसा लग रहा है और पैसा लगाने के बावजूद जनता लाभान्वित नहीं हो तो उस योजना से क्या फायदा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय से, आज लाडनू तहसील के मात्र एक तालाब निम्बीजोधा में पानी हैं, वहां से लोग जब पानी नहीं पहुंचता है तो 15-15 किलोमीटर से पानी ले जाते हैं। मैंने सुझाव दिया, तो उन्होंने कहा, सरकार के पैसे कैसे खर्च करेंगे, यहां सरकार के ज्यादा पैसे लग जायेंगे; वहां से दो सौ मीटर लाइन हम कैसे डालेंगे। 15-15 लाख रुपये की लाइन हम बदलने को तैयार हैं और सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन 200-250 मीटर का जहां

(श्री रामधन चौधरी)

सवाल आ जाता है वहां सरकार के पैसे हम कैसे लगायेंगे ? मैंने सुझाव दिया, सभापति महोदय, अधिकारियों को, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, ग्राम टौंकी के गंवाई बेरे में आज शुद्ध पानी है, क्यों नहीं उसमें जी.एस.एस. लगाया जाय। ग्राम सुमारी के कुए में बहुत अच्छा पानी है, जो इसकी स्कीम के दोनों गांव हैं। आपने मंत्री महोदय, आज के 6 महीने पहले लिखा था लेकिन डिपार्टमेंट प्रपोजल बनाने को तैयार नहीं है। क्यों लगायेंगे आप इसमें बी.एच.एल., मन्त्री महोदय, मैं तो आपको बिल्कुल सत्यता से प्रामाणिकता के साथ निवेदन कर रहा हूं, अगर लाडनू तहसील में कोई स्कीम सक्सेज हुई, मैं दावे के साथ कहता हूं, लाडनूं, रताऊ, ये दो स्कीमें सक्सेज हुई जहां ओपन वैल या आपके ट्यूब वैल्स के कनेक्शन कर दिये गये हैं, दोनों सिस्टम जहां लगे हुए है वहां तो पानी पहुंचा है। आज तो कभी इनकी मोटरें जल जाती हैं। मंत्री जी, आपसे मैं निवेदन करूं, आप एक सवाल पूछिये कि लाडनूं तहसील में जितनी मोटरें जलती, हैं आज तक एक भी ठेकेदार है क्या उनको बांधने वाला ? उन्हीं तारों को लपेटकर दे देते हैं। पांच दिन तक मरम्मत करके देते नहीं, वह मोटरें वही पड़ी रहती हैं गांव वाले प्यासे मरते हैं। एक दिन तो इनकी मोटर जल गई, दो दिन इनके पास बिजली नहीं आती। आप स्वयं जानते हैं कि गांव में दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं है। उस गांव में अगर एक दिन या दो दिन ऐसी गर्मी में पानी नहीं पहुंचे तो उस गांव की क्या हालत होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, पाइप लाइन बदली करने से यह जो आपका मैटीरियल आता है, पाइप लाइन में या पानी में, यह बंद नहीं होगा। मैंने इस पानी को उबलवाकर देखा है मेरे घर में, क्योंकि इसी रीजनल स्कीम में मेरा गांव पड़ता है, जब हम इसे उबालकर रखते हैं तो यह नीचे जम जाता है, साधारणतः पानी के साथ चलता है। यह क्यों इकट्ठा होता है इसका भी कारण है। इन्होंने एक हीटर लगा रखा है पांच साल से, बीच में वह थोड़े दिन बदला। वे एक तरह से पूरे का पूरा प्रेशर इसमें डालते हैं, क्या कहते हैं वह लगाते हैं पूरा सिस्टम उससे, जब वह प्रेशर पड़ता है तो वह पाउडर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक जगह इकट्ठा होने के के बाद पाइप लाइन छः दिन तक सूखी रहती है तो यह बिल्कुल जाम हो जाता है और ये ठोक ठोक कर सरियों से निकलाते हैं तो भी उसको नहीं निकाल पाते। इसलिये मंत्री महोदय, मैं आज निवेदन करूंगा, इन अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ जोड़ कर मैंने तो मेरी अंगुलियां घिस लीं और उसका रत्ती भर असर नहीं पड़ा। लेकिन मैं तो आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनको सतर्क करें वरना तो त्राहि त्राहि गांवों में मची हुई है। यह जिम्मेदारी की, फैक्ट बात है कि लोगों को सात सात दिन तक पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं मिलता है तो इस गर्मी में क्या हालत होती है यह आप स्वयं जानते हैं। मैं ज्यादा इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता।

सभापति महोदय, मैं इसको मन्त्री महोदय को पेश कर दूं ....

श्री सभापति : बाद में दे दें। माननीय मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा नहीं कहना चाहते, जितना कहना चाहिए उतना ही कहा है और वे अपने कथन में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मन्त्री स्वयं जानते हैं। मैं स्वयं कुछ बातें जानता हूं लेकिन एक बात निश्चित तौर पर जानता हूं कि मैं इस क्षेत्र में गया हूं और चंदराई और मालासर के बीच में टौंकी गांव है वहां मैं जरूर गया हूं और टौंकी के पास क्योंकि चंदराई आया है, कल एक बजे तक की क्या स्थिति है इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कि उसमें पानी था या नहीं। यह बात जरूर है, सभापति महोदय, कि इस पानी का हमने केमिकल टैस्ट करवाया है। अब केमिकल टैस्ट की जो रिपोर्ट आई है, जयपुर के जो हमारे एस0 ई0 रेंक के जो सीनियर मोस्ट केमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी साल्ट्स हैं चाहे कैल्शियम है, क्लोराइड है, सल्फेट है, उन्होंने यह बताया है कि परमिसेबल 200 से 600 तक है और इन सभी साल्ट्स की जो पोजीशन आई है वह 356 के आसपास है, इसलिये पानी पीने लायक तो है लेकिन साल्टी है। साल्ट के सम्बन्ध में अब उसका जो दूसरा विकल्प दिया कि यह जो मैन पाइप लाइन है जिसको फीडर लाइन कहते हैं इसको जो हम रिप्लेस करना चाहते हैं क्योंकि सबसे बड़ी लाइन यही है और रिप्लेस रिजर्वायर से लेकर ओडिट की जी. एल. आर. तक है। लेकिन माननीय सदस्य ने एक दूसरा सजेशन भी दिया है और उन्होंने यह बात कही है कि सुनारी के गांव में जो ओपन वैल है उसका पानी भी है जिसमें साल्ट वगैरह कम है इसलिए यह पदार्थ उसमें नहीं जमेगा और स्केलफारमेशन नहीं होगा। इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आज प्रातःकाल मेरे विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहा था। अगर लाडनू के पास से इसको जोड़ दिया जाये क्योंकि लाडनू का पानी जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसमें इस प्रकार के साल्ट्स नहीं हैं उसमें व्यय तो ज्यादा होगा लेकिन हमेशा के लिए इस समस्या का निदान हो जायेगा। चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जो रीजनल पाइप लाइन है और जैसा कि माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, मैं सदन को भी सूचित करना चाहता हूं कि लाडनू के बहुत बड़े क्षेत्र में और डीडवाना तहसील के क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और रीजनल पाइप लाइन जो बनाई जायेगी उसमें केवल जनसंख्या का आधार मानकर जो पाइप लाइन है और पशुओं को पानी की जो आवश्यकता है, उसका उसमें समावेश नहीं है। इस संबंध में हम अलग से कार्यवाही कर रहे हैं। भारत सरकार और हमारे बीच में यह चर्चा चल रही है और हमें ऐसी उम्मीद है कि भारत सरकार राजस्थान के मामले में निश्चित तौर पर कोई न कोई एक्सेप्शन करेगी। लेकिन चूंकि इस क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में माननीय सदस्य का ग्राम भी आया हुआ है, ग्राम से ज्यादा मैं प्रभावित नहीं हो रहा हूं लेकिन दूसरे लोग उदाहरण दे सकते हैं कि आज आपके गांव की स्थिति यह है तो दूसरों की, विधान सभा सदस्य होकर, उनकी क्या जल व्यवस्था करोगे। क्योंकि माननीय सदस्य सत्तारूढ़ पार्टी से हैं इनको कई तरह के उपालम्भ और दूसरी तरह की बातें इनके

(श्री परसराम मदेरणा)

सामने आ सकती हैं, कुछ परेशानी पेश हो सकती हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि एक दो दिन में ही कोई न कोई दूसरा ऐसा सोर्स जिससे अच्छा पानी मिल सके, हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। उससे पूर्व अगर आवश्यकता पड़ी तो बीच में लाइन को ठीक करने के लिए उसका जो सम्बन्ध है परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन अलग निकलेगा, मैं समझता हूं उसके बाद माननीय सदस्य को रहीम के दोहे जो हैं, उनको दोहराने तो पड़ेंगे लेकिन वे अपने मस्तिष्क को ऊपर उठाकर स्वाभिमान के साथ दोहरायेंगे।

श्री रामधन : एक प्रश्न माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपको आश्वस्त किया है। केवल एक दो दिन की बात है और सदन में आश्वस्त किया है, अब क्या शेष रह गया ?

श्री रामधन : सुनारी और रूपवास में अच्छा पानी है। इसमें अगर पी. एस. एस. लगा दिया जाये तो कोई विशेष खर्चा नहीं होगा। जब तक आपकी लाइन चेन्ज होगी, लाडनू से आप जोड़ेंगे यह तो जोड़ें ही जोड़ें, 13 गांवों की स्कीम है और इसमें काफी गांव पड़ते हैं तो हमेशा के लिए परमानेंट सोर्स हो जायेगा। परन्तु इस समय मौजूदा स्थिति में अगर पी. एस. एस. लगा दिया जाता है तो मनू, चंदराई और टौकी को टौकी के कुए से सप्लाई हो सकती है। इरावती को सुनारी के कुए से सप्लाई हो सकती है और आपके अधिकारियों ने कहा है पानी अच्छा है, लगा देंगे। अब उनका क्या व्यू है, मुझे नहीं मालूम लेकिन इसको आप ध्यान में रखें तो अच्छा है।

श्री परसराम मदेरणा: अच्छा पानी अगर लुकास में है, आपका गांव पास में आया हुआ है, जरड़िया से अभी मनु को तो पानी दे ही रहे हैं और मनु और आपके गांव टौकी के बीच में जो पाइप लाइन बिछी हुई है, आप लुकास की बात कर रहे हैं ?

श्री रामधन : चंदराई और टौकी की।

श्री परसराम मदेरणा : पानी कहां अच्छा बता रहे हैं ?

श्री रामधन : टौकी में ओपन वैल का पानी अच्छा है उसका चंदराई, टौकी, और मनु को पानी पहुंच सकता है। जरड़िये से मनु को अभी भी पानी सप्लाई हो रहा है जबकि पाइप लाइन से जुड़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : यदि आपके स्वयं के गांव टौकी का पानी अच्छा है तो आपको, मालासर से लेकर लम्बा जो रिजर्वायर बनाया है, फिर एस. आर. बना, फिर दूसरा जी एल आर बनाया फिर तीसरा जी एल आर चंदराई में बनाया और चौथा जी एल आर आपके गांव में बनाया, क्या आवश्यकता थी यदि आपके यहां पानी बढ़िया है। आपके गांव में लम्बी पाइप लाइन डालने में सरकार का व्यर्थ खर्चा क्यों किया गया ?

श्री रामधन : आप रिपोर्ट मंगाकर देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : रिपोर्ट मंगा लेता हूं और अगर आपका सुझाव ठीक है तो जिन्होंने यह योजना बनाई है उनका एक्सप्लेनेशन काल करूंगा। टांकी का पानी बढ़िया है तो वहां इतनी लम्बी पाइप लाइन खींचने की आवश्यकता क्या थी। और टांकी का पानी अच्छा है तो मनु को पानी देने के लिए जरड़िया ट्यूब वैल से इतना लम्बा क्यों दिया गया ? टांकी से मनु बहुत नजदीक है।

श्री रामधन चौधरी : पाइप लाइन से पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिये जरड़िया से उसको और जोड़िये।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री रामधन चौधरी : मनु और चंदलाई के बीच में पाइप लाइन जुड़ी हुई है, अभी भी मौजूद है। इस लाइन से पानी नहीं पहुंच रहा है। ओपन वैल से इन्होंने कनेक्शन नहीं दिया है, वही तो रामायण है और मंत्री महोदय जो आप बता रहे हैं दोदोली गुणगुणा से 25 किलोमीटर है दोदोली में पानी आज तक नहीं पहुंचा। ओपन वैल का पानी है फिर भी उसको जोड़ा गया। यह तो अधिकारियों के दिमाग की बात है....

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सी बात यह ले रहे हैं ? अगर पानी अच्छा है मनु और चंदलाई के बीच में या मनु और टांकी के बीच में जोड़ने का प्रश्न है तो उसकी जांच करा लूंगा और निश्चित तौर पर ठीक है तो इसको कर दिया जायेगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 16 पुलिस एवं मांग संख्या 4 जिला प्रशासन

माननीय श्री शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 4 जिला प्रशासन को विचार एवं मतदान हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74, 60, 03, 000) रुपये की राशि, जिसमें लेखानुदान की राशि सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 12, 26, 65,000) रुपए तक की राशि, जिसमें लेखानुदान की राशि सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री सभापति : कटौती प्रस्ताव जो अलग से वितरित किये गये हैं माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय:

(106)

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री सूरज पाल सिंह (भीनमाल),
श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),
श्री राम सिंह बिश्नोई (लूणी),
श्री माणकमल मेहता (पाली),
श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची),
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा),
श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

1. पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरण उपलब्ध न कराने से पैदा हो रही कठिनाइयों की चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

2. पुलिस कर्मचारियों द्वारा बलात्कार से उत्पन्न स्थिति एवं उन्हें संरक्षण दिये जाने के कारण व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

3. प्रदेश में बढ़ती चोरियां, डकैतियां, नकबजनी, बलात्कार की घटनाओं से व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

4. राहजनी की घटनाओं से पुलिस में आम आदमी की आस्था घट रही है, की चर्चा के लिये।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) :

5. शहरों में ट्राफिक की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

6. पुलिस का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

7. प्रदेश में पुलिस के सिपाहियों की तनख्वाह कम होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इस पर चर्चा के लिये।

8. पुलिस द्वारा बेकसूर नागरिकों को परेशान करने के विषय में चर्चा के लिये।

9. तहसील फागी, चाकसू में बढ़ती चोरियों की संख्या को रोके जाने के विषय में चर्चा के लिये।

10. चाकसू, फागी के थानों में वाहन की व्यवस्था न होने पर अपराधियों को पकड़ने में विलम्ब हो जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

11. पुलिस चौकी टीडी थाना गोवर्धन विलास उदयपुर पर पुलिस की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

12. उदयपुर से केसरियाज तक राष्ट्रीय मार्ग नं0 8 पर दुर्घटना, चोरियां, झगड़े फसाद होते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

13. बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती पुलिस थानों में टेलीफोन की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये।

(श्री अमीन खां)

14. बाड़मेर जिले के पुलिस थाना गिरधा, गडरारोड़ व जैसलमेर जिले के थाना फिम्घनीयाली में पेट्रोल की जीपों की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

15. सीमावर्ती थानों की चौकियों के भवन निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) :

16. अजमेर नगर पुलिस के थानों से भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

17. प्रदीप चौधरी की अजमेर डी. ए. वी. महाविद्यालय के छात्र की सामूहिक हत्या के हत्यारों को पुलिस द्वारा बन्दी न बनाने पर चर्चा के लिये।

18. महिलाओं पर अत्याचार एवं बलात्कार की घटनाओं को समाप्त करने के लिये अजमेर नगर के प्रमुख स्थानों पर महिला पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

19. महिलाओं की सुरक्षा के लिये अजमेर, जोधपुर, कोटा के लिए प्रत्येक जिले में 50 महिला पुलिस कर्मियों की भरती की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) :

20. पुलिस के कार्य व्यवहार में आधुनिक तकनीक के उपयोग की ट्रेनिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

21. पुलिस थाने एवं चौकियों पर स्टाफ की वृद्धि हेतु चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) :

22. अशांत क्षेत्रों में शांति व व्यवस्था कायम करने हेतु पर्याप्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

23. अपराध अन्वेषण व रोकथाम के लिये पुलिस को आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

24. असामाजिक तत्वों की रोकथाम के लिये पुलिस को प्रभावी बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

25. पुलिस में फैल रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

26. प्रति थानेदार एक जीप सुलभ कराने की पूर्व घोषणा की क्रियान्विति के न होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

27. पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधारों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना) :

28. पुलिस विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

(108)

(श्री मोहनलाल मोदी)

29. पुलिस स्टेशन नीम का थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. थाना पाटन (नीम का थाना) पुलिस अधिकारियों द्वारा पैसे लेकर कई मामलों में एफ. आर. देने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) :

31. बांसवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा तपतीश में लापरवाही करतने व भ्रष्टाचार से जनता में उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

32. पुलिस बांसवाड़ा जिले में चोरियां व डकैतियां रोकने में असमर्थ रही, जिस पर चर्चा के लिये।

33. खान्दु पुलिस चौकी को आवापुरा में रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. बांसवाडा जीले की ग्राम चौकियों में स्टाफ की कमी दूर न करने पर चर्चा के लिये।

35. जिला बांसवाड़ा के थाना लोहारीया के पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों को आतंकित करने पर चर्चा के लिये।

36. राज्य सरकार बांसबाड़ा जिले में पुलिस की ज्यादतियां व भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही, जिस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

37. जिला बूंदी के मन्दिरों में हुई चोरियां बरामद करने से जिला पुलिस की लापरवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार किये जाने पर चर्चा के लिये।

39. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

40. एस. पी. से लेकर ए. एस. आई. तक को गृह जिले में नहीं रखने एवं तीन वर्ष में स्थानान्तरण अनिवार्य बनाने हेतु चर्चा के लिये।

41. पुलिस कांस्टेबिल एवं अन्य छोटे कर्मचारियों के निवास, भोजन एवं उनके बच्चों की मुफ्त शिक्षा हेतु चर्चा के लिये।

42. पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान अधिक होने चाहिये तथा प्रमोशन कार्य कुशलता के आधार पर मिलना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

43. खोरोदा थाने में मोहनसिंह हत्या के अभियुक्त कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं किये जाने की चर्चा के लिये।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

44. सुगाना गांव में लबाना जाति के पोतबीरों को अशोभनीय यातनायें देने एवं चार दिन तक थाने में बन्द रखने पर चर्चा के लिये ।

45. उदयपुर में चल रहे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को बिना कारण खेखाडा स्थानान्तरण करने की चर्चा के लिये ।

46. थाना लसाड़िया में दर्ज 302 के केस के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करने पर चर्चा के लिये ।

47. पुलिस द्वारा वर्ष 1983 में हल्दी घाटी फोरेस्ट के क्लोजर में एक महिला की गला दबाकर की गई हत्या एवं उसके शरीर के जेवर हाथ पैर काट कर ले जाने वाले फोरेस्ट के कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये ।

48. उदयपुर नगर में अवैध शस्त्र रखनेवालों को पुलिस द्वारा संरक्षण देने पर चर्चा के लिये ।

श्री फते सिंह (कुशलगढ़) :

49. कुशलगढ़ क्षेत्र के कारणी, राणजी व अन्य स्थानों पर हुई चोरी- डकैतियों में माल व मुलजिम पकड़ने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

50. पुलिस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

51. झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे से बच्चा अपहरणकर्त्ताओं को गिरफ्तार न करने पर चर्चा के लिये ।

52. झालावाड़ जिले में पुलिस विभाग बिलकुल निष्क्रिय है जिससे अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री पीरूराम (टीबी) :

53. टीबी निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के अभाव में अराजकता फैलने पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर):

54. जैसलमेर जिले में सशस्त्र तस्करों व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों के संबंध में चर्चा के लिये ।

55. जैसलमेर व बाड़मेर जिले से भारी मात्रा में पाकिस्तान को गायों की तस्करी किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

56. जैसलमेर जिले में पाक नागरिकों द्वारा प्रदेश की सीमा के अन्दर से मवेशी चुरा सीमा पार ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

57. जैसलमेर जिले के ग्राम बीदा में ग्रामीणों व सशस्त्र पाक डकैतों की मुठभेड़ होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु उचित प्रबन्ध नहीं करने पर चर्चा के लिये ,

58. जैसलमेर जिले के सीमावर्ती पुलिस थानों नाचाणा, रामगढ़; मोहनगढ़, सम, झीमन्याली थानों में जीपों के उपलब्ध न होने से तस्करी की रोकथाम नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

(110)

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

59. जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस स्टेशन एवं चौकियों में वृद्धि किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) :

60. करवर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस स्टेशन स्थापित करने एवं पंचायत मुख्यालय समीधी पर पुलिस चौकी स्थापित करने के संबध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू लाल बैरवा (कठूमर) :

61. समाज में फैल रही असुरक्षा की भावना एवं इसमें सुधार के उपाय पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

62. पुलिस भर्ती में अनुसूचित जाति के लोगों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

63. टोंक जिले में आग लगने, बाढ़ के समय होम गार्ड संगठन द्वारा सहायता करने में विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) :

64. कस्बा बहरोड़ एवं राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 के चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

65. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा पुलिस को आधुनिक बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री द्वारका प्रसाद बैरवा (निवाई) :

66. पंचायत मुख्यालय मण्डावर में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

67. कोटा जिले में आन्तरिक सुरक्षा कानून में निरपराध व्यक्तियों को बन्द करने तथा कुख्यात अपराधियों को पुलिस संरक्षण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. कोटा आवासन मंडल और आर. ए. सी पुलिस कोटा में गटर लाइन के संबंध में चल रहे विवाद पर चर्चा के लिये।

69. अन्ता थाने के क्षेत्र में ग्राम काचरी में हो रही निरन्तर चोरियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी),
श्री बाल चन्द आर्यवीर (डग) :

70. झालावाड़ व कोटा जिले में बिगड़ रही कानूनी व्यवस्था से बलात्कार, राहजनी तथा लूट के केसेज में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. कोटा जिले में पुलिस अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों में विवाद से कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इस पर चर्चा के लिये।

72. पुलिस के सिपाहियों को पर्याप्त वेतन, खान, सुविधायें और वर्दी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री हरीश शर्मा)

73. पुलिस अधीक्षक कोटा एवं झालावाड़ द्वारा असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) :

74. पुलिस की व्यवस्था में सुधार हेतु सिपाहियों एवं अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़) :

75. पुलिस स्टेशनों पर वाहन की व्यवस्था तथा एक लाख से अधिक के शहरों में थाना इन्चार्ज सी. आइ. पद के व्यक्ति को बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) :

76. थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

77. चौमू विधान सभाई क्षेत्र के ग्राम चीतवाड़ी में पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

78. चौमू क्षेत्र के निरन्तर बढ़ रही चोरियों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा),

श्री माधोलाल आर्य (जालोर) :

79. पुलिस स्टेशनों पर वाहन की व्यवस्था एवं चोरी, डकैती के मामलों में पुलिस द्वारा सतर्कता नहीं बरतने बाबत चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर),

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

80. जिला सवाईमाधोपुर में पुलिस की निष्क्रियता के कारण डकैतियां, चोरियां एवं बलात्कार के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) :

81. राज्य में वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक महिलाओं के साथ हुये बलात्कार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

82. प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) :

83. खण्डेला थाना में टेलीफोन व जीप की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) :

84. टोडा रायसिंह व देवली में पुलिस थानों एवं चौकियों की अपर्याप्त व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री नानालाल (राजसमंद) :

85. पुलिस स्टेशन रेल मगरा जिला उदयपुर में टेलीफोन व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामधन (लाडनूं) :

86. पुलिस के पास आधुनिक हथियार और वाहनों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

87. बाड़मेर जिले में कांस्टेबल के अधिक पद सृजित करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

88. बाड़मेर जिले के पुलिस स्टेशन गुडामालानी में टेलीफोन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

89. भीलवाड़ा जिले में पुलिस चौकियां व थानों की व्यवस्थाओं में सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

90. पुलिस अव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 पर आये दिन ट्रक द्वारा दुर्घटना से व्याप्त जन असंतोष होने पर चर्चा के लिये।

91. राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 उदयपुर में रतनपुर तक पुलिस की अव्यवस्था के कारण ट्रकों में होने वाली लूट-पाट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन),

92. सरकार पुलिस ट्रेनिंग में एटीटयूडनल परिवर्तन करने में अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

93. सरकार राज्य में कानून, व्यवस्था को नियंत्रण में रखने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री कुन्जी लाल मीणा (बामनवास),

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) :

94. जिला सवाईमाधोपुर में गत सालों के मुकाबले इस साल में मर्डर, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार आदि कार्यों में हुई बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये।

श्री कुन्जी लाल मीणा (बामनवास) :

95. जिला सवाईमाधोपुर में गत सालों में मकानों, मंदिरों तथा रास्तों में हुई चोरियों के माल को बरामद करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) :

96. छोटे पुलिस कर्मचारियों की संख्या और सुविधाओं में वृद्धि करने तथा पुलिस को जनसेवाओं में लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन),

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

97. राज्य सरकार पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री चाव खां (कामां) :

98. पुलिस विभाग द्वारा गरीब किसान मजदूरों पर जुल्म किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डोन) :

99. तहसील हिण्डोन में डकैतियां, हत्यायें, चोरियां रोकने में पुलिस की विफलताओं पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर),
श्री कुन्जीलाल मीणा (बामनवास),
श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

100. बढ़ते हुये अपराधों को रोकने में पुलिस को विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),
श्री चन्द्वीरसिंह भाटी (जैसलमेर),
श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

101. हत्या व डकैती के संगीन अपराधों के मामलों पर लम्बे समय तक स्थानीय पुलिस द्वारा सही तथ्यों तक नहीं पहुंचने व मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं की जाने की स्थिति में विशेष जांच अधिकारी अथवा स्पेशल सैल स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

102. पुलिस थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गऐ मुलजिमों का थाने में ले जाने से पूर्व डाक्टरी परीक्षण अनिवार्य किये जाने पर चर्चा के लिये।

103. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र की सीमा से पाकिस्तान की सीमा में पार किए गए पशुओं को रोकने में पुलिस विभाग असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

104. पुलिस थानेदार व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिये उप महानिरीक्षक पुलिस द्वारा ही अनिवार्य रूप से जांच करने की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

105. पुलिस आर. ए. सी., होम गार्ड के सिपाही व अधीनस्थ कर्मचारियों का मूल वेतन, मंहगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) :

106. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने एवं नकबजनी, गुण्डागर्दी, डकैती, चोरी को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर),

श्री छीतरलाल आर्य(अटरू) :

107. आशा दर्जी हत्या काण्ड परतापुर बांसवाडा के संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

108. इटावा में पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

109. इटावा पुलिस द्वारा दिवाली के दिन अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों की

(श्री हीरालाल आर्य)

शराब पीकर, पिटाई किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. इटावा पुलिस द्वारा ग्रामीणों की फसल को असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध तौर से कटाये जाने पर कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. खातौली के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नागरिकों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

112. पुलिस चौकियों व थानों पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. पुलिस का व्यवहार जनता से ठीक नहीं होने के संबंध में चर्चा लिये।

114. पुलिस कर्मियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

115. पुलिस के सिपाहियों का वेतन एवं भत्ता बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी).

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

116. पुलिस कर्मियो द्वारा लूटपाट बलात्कार हत्यायें किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर जीप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. पुलिस विभाग की अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मिली-भगत होती है, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. ठींपरी चम्बल में श्री दामोदर महाजन के यहां पकड़े गरीब व्यक्तियों के जेवर को वापिस दिलाये जाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :

120. कुम्हेर थाने (जिला भरतपुर) का वर्तमान भवन अपर्याप्त है, नवीन भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. भरतपुर जिले में डकेतियां बढ़ती जा रही हैं इसे रोकने के लिये जिले में आर. ए. सी. की एक कम्पनी और लगाई जावे तथा मुख्य-मुख्य स्थानों पर आर. ए. सी. की चौकियां कायम की जावें, इस पर चर्चा के लिये।

122. भरतपुर जिले में थानों पर तैनात किये जाने वाले स्टाफ की संख्या कार्य को देखते हुए कम है जिसको बढ़ाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

123. पुलिस के आधुनिकीरण पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं के बराबर है, इस पर चर्चा के लिये।

124. राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेवलरी की संख्या बढ़ाया जाना निहायत ही जरूरी है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराक मेहता (सांचोर) :

125. सांचोर मुख्यालय पर डी. एस. . का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता : चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी स्सी) :

126. जयपुर जिला भूमि विकास बैंक ा पुलिस थाना बस्सी में दर्ज कराये गये दमों में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये : पर चर्चा के लिये।

127. पुलिस थाना बस्सी द्वारा दर्ज दमों में चालान पेश करने में अना- क विलम्ब किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा गये।

128. जयपुर जिला सहकारी भूमि स बैंक द्वारा पुलिस थाना बनीपार्क में कराई गयी चोरी की रिपोर्ट पर रुपये द होने के बाद अग्रिम कार्यवाही द्वारा नहीं किये जाने के सन्दर्भ में के लिये।

29. तहसील बस्सी के ग्रामों को थाने से हटाकर पुलिस थाना बस्सी के त्र में सम्मिलित किये जाने के सन्दर्भ र्ा के लिये।

30. जयपुर जिले में कानोता. देवगांव स चौकी स्थापित किये जाने के में चर्चा के लिये।

31. पुलिस चौकी जखाड़ा एवं तूंगा उपयुक्त भवन बनाये जाने के संदर्भ के लिये।

132. पुलिस विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों को को आधुनिक आवासीय सुविधा सुलभ कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

133. पुलिस प्रशासन द्वारा असामा- जिक तत्वों से सख्ती से निपटने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

134. पुलिस के व्यवहार एव कार्य से गरीबों को न्याय मिले व उसके हितों की रक्षा, हो इस पर चर्चा के लिये।

135. पुलिस में ईमानदार एवं कर्त्तव्य निष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

136. गरीब नागरिकों के प्रति पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. पुलिस थाना बस्सी में हरिजनों के साथ की गयी मारपीट के मामले में मुल्जिमों के विरुद्ध चालान पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत),

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) :

138. बीकानेर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में समुचित सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

139. थाना जवाहर नगर के कर्मियों की मिलीभगत से जवाहर नगर में बढ़ रही

116

(श्रीमती विद्या पाठक)

गुण्डागर्दी से जनता में व्याप्त आक्रोश पर पर चर्चा के लिये।

140. थाना जवाहर नगर द्वारा पूनम हत्या काण्ड को दबा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

141. थाना जवाहर नगर द्वारा आग से जलाई गई महिलाओं (युवतियों) के चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

142. जवाहर नगर पुलिस की अकर्मण्यता से आये दिन होने वाली चोरियों की बरामदगियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

143. उदयपुर जिले में साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

144. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

145. पुलिस विभाग के प्रति आम आदमी के बढ़ते हुए असन्तोष व अविश्वास पर चर्चा के लिये।

146. श्री प्रमुलाल मीणा की हत्या को पुलिस द्वारा दबाये जाने पर चर्चा के लिये।

147. तरपाल थाना सायरा जिला उदयपुर में पुलिस चौकी कायम करने पर चर्चा के लिये।

148. पुलिस थानों में आधुनिकतम साधन मुहैया कराने पर चर्चा के लिये।

149. पुलिस विभाग के थानों पर स्टेशनरी उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

150. उदयपुर जिला की पुलिस की अकर्मण्यता से डकेती चोरी, हत्यायें बढ़ी, इस पर चर्चा के लिये।

151. पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधा मुहैया कराये जाने पर चर्चा के लिये।

152. पुलिस के यूनियन बनाने पर जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उन्हे ड्यूटी पर लिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) -

153. कोटा सम्भाग में जगह-जगह पत्रकारों की पिटाई होने के मामलों में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये।

154. झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में तस्करों द्वारा दिन दहाड़े हत्याएं, मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में पुलिस अधिकारियों की तस्करों

(श्री हरीश शर्मा)

एवं गुण्डों से सांठ गांठ होने पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) :

156. पुलिस थाना मण्डली व गिडा जिला बाड़मेर में जीप आवंटन करने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री शिव सिंह रावत (बाड़ी) :

157. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बाड़ी में डकैतों द्वारा फैलाये गये आतंक के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

158. अलवर शहर में बढ़ती हुई चोरियों की घटनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

159. कोटपूतली काण्ड के विरोध में अलवर जिले में हुई तोड़-फोड़ की घटनाओं में निर्दोष व्यक्तियों पर झूठे मुकदमे में फंसाने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. बीच गांव (जिला अलवर) में हुई सामूहिक हत्याओं के संबंध में चर्चा के लिये।

161. कोतवाली अलवर में लोगों को अमानुषिक यातनायें देकर उन्हें विकलांग बनाने की घटनाओं पर चर्चा के लिये।

162. एम. आई. थाना अलवर में दी गई अमानुषिक यातनाओं की घटनाओं पर चर्चा के लिये।

163. राज्य में बढ़ते हुये अपराध एवं बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

164. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टा-के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

165. भूपालगंज, भीलवाड़ा नगर, सदर थाने पर टेलीफोन की व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

166. ग्राम सेवा सहकारी समिति अवलेश्वर तहसील प्रतापगढ़ में जनवरी 1983 में हुई चोरी के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री भैरू लाल (मनोहरथाना) :

167. मनोहरथाना जिला झालावाड़ में बढ़ते हुये अपराध से पुलिस के प्रति बढ़ते हुए असंतोष पर चर्चा के लिये।

168. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पुलिस थाना मनोहरथाना में हुई डकैतियों के मुल्जिमों को पुलिस द्वारा न पकड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री भैरूलाल मीणा)

169. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत थाना मनोहरथाना के कर्मियों द्वारा जनता को अकारण ही परेशान कर चौथ वसूली पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण):

170. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

171. जयपुर शहर में हो रही चोरियां, गुण्डागर्दी, राहजनी, मारपीट आदि को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

172. प्रदेश में बैंक डकेतियां को रोकने एवं माल बरामद करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

173. जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को कन्ट्रोल करने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

174. प्रदेश की सीमा में चलने वाली रेलों में होने वाली चोरियां तथा लूटपाट एवं डकेतियों को रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना):

175. नीमकाथाना सब डिवीजन में तैनात आर. ए. सी. की टुकड़ी को हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा):

176. गोगुन्दा तहसील के थाना सायरा और गोगुन्दा में पिछले डेढ़ साल में हुई हत्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

177. उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास थाना के अन्तर्गत श्री प्रभुलाल की हत्या की सी. बी. आई. से जांच करने पर चर्चा के लिये।

178. उदयपुर जिले के सायरा थाना के अन्तर्गत श्री पेमा गरासिया की हवालात में हत्या पर चर्चा के लिये।

179. पुलिस के प्रति आम आदमी की गिरती हुई आस्था पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी):

180. खेतड़ी विधान सभा के क्षेत्र में पुलिस की लापरवाही के कारण बढ़ती हुई अराजकता के विषय में चर्चा के लिये।

181. पिछले वर्ष कटराथल जिला सीकर में पड़ी डकैती पर पुलिस की उदासीनता के कारण अभी तक कार्यवाही न होने के विषय में चर्चा के लिये।

182. पुलिस की लापरवाही के कारण प्रदेश में बढ़ती चोरियां, डकेतियां, बलात्कार, कत्ल की घटना पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद),
श्री छीतर लाल आर्य (अटरू):

183. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण राज्य में फैल रही अराजकता के विषय पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),
श्री बाल चन्दआर्य वीर (डग),
श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

184. सीमा क्षेत्र में तस्करी की वारदाते बढ़ती चली जा रही हैं व विभाग उसे रोकने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

185. राजस्थान के सीमा क्षेत्र में अपराधों को रोकने में पुलिस विभाग अक्षम रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

186. राज्य के विभिन्न थानों के अन्तर्गत गत दो वर्षों में जो बलात्कार काण्ड हुये उनमें पुलिस अधिकारी या कर्मचारी लिप्त थे जिससे पैरवी नहीं की गई उन मुकदमों को दुबारा से खोलकर पुनः मुकदमे कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

187. सीमत्या या दीगोद में थाना स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),
श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

188. कोटा जिले के सुल्तानपुर पंचायत समिति थाना सुल्तानपुर के तहत ग्राम मालाहेड़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. कोटा जिले के थाना पूढ़ादीत के तहत लाखसनीडार या मदनपुरा में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद),
श्री बालचन्द आर्यवीर (डग),
श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

190. कोटा जिले के कनवास थाने में गत दिनों छीतरमल भील की मृत्यु के सम्बन्ध में वहां के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. कोटा नगर के लिये अलग से एस.पी.एवं एडीशनल एस.पी. का पद सृजित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),
श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :

192. कोटा नगर में सबसे महत्वपूर्ण थाना मकबरा पर तुरन्त जीप की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),
श्री छीतरलाल आर्य (अटरू),
श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) :

193. प्रत्येक थानों को विभाग द्वारा जीप उपलब्ध न कर पाने से पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रहती है, इस पर चर्चा के लिये

194. गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष डाकेजनी लूटमार व राहजनी की वारदातों में वृद्धि हुई है उसे रोकने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

195. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

196. कोटा जिले में सांगोद स्थित थाने के लिये शहर के बाहर समुचित स्थान पर भवन बनाने बाबत चर्चा के लिये ।

197. कोटा नगर में दादाबाड़ी में जो थाना कायम किया गया है उसके लिय पृथक से भवन बनवाने हेतु चर्चा के लिये ।

198. बूंदी जिले के कापरेन नगर में पुलिस थाने को हिन्दू धर्मस्थल रामद्वारे से हटाकर उसके लिये पृथक से नया भवन बनाने हेतु चर्चा के लिये ।

199. कोटा नगर की पुलिस चौकियों व थाने की मरम्मत करवाने बाबत चर्चा के लिये ।

200. राज्य सरकार विभाग में उच्चाधिकारियों के नये नये पद तो सृजित कर रही है लेकिन कान्स्टेबलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

201. राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग प्रभावी रूप से भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ रहा, इस पर चर्चा के लिये ।

202. कोटा नगर में बढ़ रहे अपराधों को रोकने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

203. कोटा जिले में भ्रष्टाचार विभाग ने गत वर्षों में जो अपराध पकड़े हैं उनमें से अधिकांश में एफ. आर. लगा दी गई है, इस पर चर्चा के लिये ।

204. कोटा नगर में पुलिस के मैस में घटिया किस्म का भोजन दिया जाता है उसकी जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

205. कोटा जिले के पुलिस कर्मचारियों के निवास की समुचित व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।

206. कोटा नगर में तस्करी सामान अफीम, गांजा, चरस आदि की अवैध विक्री को विभाग रोकने में असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये ।

207. कोटा जिले की दीगोद तहसील में स्थित सुल्तानपुर एवं बूढ़ादीत थानों के क्षेत्र का पुनर्गठन करने बाबत चर्चा के लिये ।

208. पुलिस थानों में स्टेशनरी के अभाव चर्चा के लिये ।

209. कोटा नगर के अनेक थानों में वर्षों से चोरी में पकड़ी गई साइकिलें पड़ी हुई हैं उनको नीलाम करने हेतु चर्चा के लिये ।

210. कोटा नगर में महावीर नगर एवं तलमंडी क्षेत्र में थाने स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

211. राज्य के पुलिस कर्मचारियों के साथ मैस में भेद-भाव बरता जाता है उससे उनमें असंतोष है, इस पर चर्चा के लिये ।

(श्री दाऊदयाल् जोशी)

212. राज्य में सट्टे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है .उसे रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. कोटा जिले के थाना सांगोद में गत वर्षों में हुई हत्याओं के मामले में पुलिस अपराधियों को पकड़ पाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।

214. रेलों में हो रही लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिये पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाती, इस पर चर्चा के लिये।

215. गंगापुर से भवानी मंडी तक रेलें में तेजी से चोरियों के अपराध बढ़ रहे हैं उन्हें रोकने में विभाग असमर्थ रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

श्री छीतरलाल आर्य (पटरू) :

216. सदर थाना, भीलवाड़ा के स्थान (भवन) को न बेचने तथा अन्यत्र ले जाने पर चर्चा के लिये।

217. बड़ा महुआ (जि. भीलवाड़ा) में पुलिस चौकी कायम करने पर चर्चा के लिये।

218. भीलवाड़ा भीमगंज चौकी को भीमगंज क्षेत्र में स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

219. शास्त्री नगर भीलवाड़ा में पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

220. भीलवाड़ा के हरणी महादेव स्थान पर पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

221. राज्य के विभिन्न जिला केन्द्रों पर पुलिस कर्मचारियों में नैतिकता के अभाव पर चर्चा के लिये।

222. पुलिस विभाग के विभिन्न जिलों में कार्यरत कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों पर चर्चा के लिये।

223. राज्य की आबादी के अनुसार पुलिस के निश्चत पैटर्न पर अधिकारियों सब-इंस्पेक्टरों तथा अन्य स्टाफ की व्यवस्था सभी जिलों में करने पर चर्चा के लिये।

224. राज्य के प्रत्येक जिला केन्द्र पर पुलिस के उड़न दस्ते स्थापित करने पर चर्चा के लिये

225. भीलवाड़ा पुलिस कोतवाली में दो जीपों की अतिरिक्त व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।

226. भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक पुलिस थाने पर इन्चार्ज अफसर के उपयोग हेतु मोटर साइकिल मुहैया कराने पर चर्चा के लिये।

227. भीलवाड़ा नगर बस डिपो पर पुलिस थाना स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

228. भीलवाड़ा तहसील के दांथल ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

229. भीलवाड़ा जिले में 82 से लेकर फरवरी 84 तक भगाई गई लड़कियों की बरामदगी पर चर्चा के लिये।

(122)

(श्री बंसीलाल पटवा)

230. राजस्थान के विभिन्न जिला केन्द्रों तथा अन्य थानों पर चलने वाले लंगरों/मैसों की व्यवस्था में सुधार पर चर्चा के लिये ।

231. भीलवाड़ा नगर में हुए अशोक सिन्धी हत्याकांड का पता लगाये जाने पर चर्चा ।

232. भीलवाड़ा जिले में हुई विभिन्न डकेतियों, चोरियों तथा हत्याओं का पता न लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये ।

233. भीलवाड़ा तहसील के बरडोद में पुलिस चौकी स्थापित करने पर चर्चा के लिए ।

234. भीलवाड़ा स्थित लेबर कालोनी, सुभाष नगर, सदर थाने में टेलीफोन लगाने पर चर्चा के लिए ।

235. भोपाल गंज पुलिस चौकी को थाना बनाने पर चर्चा के लिए ।

236. पुलिस के सिपाहियों का वेतन बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिए ।

237. स्थानीय पुलिस कोतवाली भीलवाड़ा में स्टाफ बढ़ाने पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

238. गत 5 वर्षों में विभागीय परीक्षाओं में 4 बार निरन्तर फेल होकर थाना इन्चार्ज पद के लिए अयोग्य पाये गये थानेदार को उसके गृह जिला में रखने के लिए चर्चा के लिए ।

239. अभियुक्तों से मिलकर पुलिस द्वारा बलात्कार सम्बन्धी अनेक गम्भीर केसों में एफ. आर. लगा दिये जाने के क्रम में चर्चा के लिए ।

240. राज्य में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में यातायात पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिए ।

241. ग्रामीण क्षेत्रों में एफ. आई. आर. दर्ज करने में पुलिस द्वारा आनाकानी करने और घटना की जांच के लिए घण्टों तक मौके पर न जाने के क्रम में चर्चा के लिए ।

242. ग्रामीण थानों में पुलिस द्वारा लोगों को बिना वारंट व कारण बताये अनेक दिनों तक बन्द करने पर चर्चा के लिए ।

243. विष्णु हत्याकांड, गंगापुरसिटी में पुलिस द्वारा समुचित जांच न कर तफ्तीश बन्द कर देने और एफ. आर. लगा देने के क्रम में चर्चा के लिए ।

244. श्योपुर के श्री घीया के हत्याकांड के विषय में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिए ।

245. बगरू के नवयुवक की हत्या के वास्तविक सूत्र को पुलिस ने जांच के समय नजर अन्दाज कर हत्या करने वालों से सांठ गांठ की है, इस विषय पर चर्चा के लिए ।

246. अधिक स्मोक देने वाली कारें, टेम्पू, मिनी बस, बसें व ट्रकों को सड़क पर आने से रोकने में पुलिस विभाग असफल रहा है इस पर चर्चा के लिए ।

(श्री मती विद्या पाठक)

247. अस्पतालों, क्लिनिकों, स्कूल, संस्थाओं आदि के पास से और आबादी क्षेत्रों में भारी वाहनों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

248. जयपुर में चारदीवारी के भीतर बैलगाड़ियों पर लोहे के बड़े-बड़े सरिये सलाखे ले जाने से यातायात में उत्पन्न व्यवधान के विषय में चर्चा के लिए।

249. जयपुर में आयोजित यातायात सप्ताह की निष्फलता पर चर्चा के लिए।

250. शहर जयपुर की सडकों पर जेब्रा लाइन न होने से पैदल चलने वालों की सुरक्षा को खतरे के विषय पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

251. बाड़मेर जिले के पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

252. बाड़मेर जिले के पुलिस थाना गुडामालानी में टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

253. बाड़मेर जिले में पुलिस विभाग में चुस्ती लाने के लिए कांस्टेबल की अधिक भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

254. पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें न देने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

255. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

256. सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पर भारी व्यय के बावजूद भी यह विभाग भ्रष्टाचार समाप्त करने में असमर्थ रहा है, इससे उत्पन्न आक्रोश पर चर्चा के लिये।

257. पुलिस के बढ़ते शोषण एवं जनता के विश्वास में कमी को दूर करने के उचित कार्यवाही करने की आवश्यकता लिये परचर्चा के लिये।

258. पुलिस द्वारा जनता की उपेक्षा करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

259. जयपुर शहर में बढ़ते एक्सीडेंटों को रोकने में ट्रैफिक पुलिस असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

260. कई राजमार्गों पर बसें व ट्रकें लूटने एवं डकैतियों को रोकने में पुलिस असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

261. अनुसंधान एजेन्सी का आधुनिकीकरण कर जांच या शीघ्र उचित कदम उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

262. पुलिस की निष्क्रियता से राज्य में बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

263. पुलिस को आधुनिक साधन उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न असंतोष एवं कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

264. पुलिस विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. बड़े अस्पतालों के निकट पुलिस चौकियों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. पुलिस विभाग के ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण अधिकारियों को पुरस्कृत पर प्रोत्साहित किया जाने पर चर्चा के लिये।

267. पुलिस विभाग में प्रशासनिक सुधार हेतु समस्त राजस्थान में तहसील स्तरों पर समन्वय समितियों का गठन करने पर चर्चा के लिये।

268. पुलिस विभाग में जो अधिकारी चल तथा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं देता, उससे ब्यौरा लेने में निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

269. पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अपराधों की जांच करते समय जनता के साथ अमानवीय तरीकों को अपनाने पर चर्चा के लिये।

270. पुलिस विभाग के भ्रष्ट तथा बेईमान अधिकारियों के खिलाफ जनता द्वारा की जाने वाली शिकायतों को उच्च अधिकारियों द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से दबा लिया जाता है, इस पर चर्चा के लिये।

271. पुलिस थानों में रिश्वत लेकर एफ. आई आर. दर्ज करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेंगू) :

272. चित्तौड़गढ़ में पुलिस चोरों को पकड़ने में असमर्थ होने के संबंध में चर्चा के लिये।

273. चित्तौड़गढ़ में लगातार निरपराध एवं अनुसूचित जाति के लोगों की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई करने पर चर्चा के लिये।

274. रावतभाटा में दिनांक 3-11-83 को सेप्टिक टैंक में एक युवती व उसकी चार बच्चियों की लाशें बरामद होने पर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

275. पुलिस द्वारा अजमेर नगर में चलने वाले जुए व सट्टे को बन्द करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

276. अजमेर नगर के सिनेमा गृहों में टिकटों की ब्लैक को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

277. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पूरी हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा चालान प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देकर अभियुक्तों को संरक्षण देने पर चर्चा के लिये।

279. पुलिस के महानिरीक्षक द्वारा थानेदार एवं उससे ऊपर की रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी से सरकारी काम से जयपुर आने पर महानिदेशक के मिलना आवश्यक कर दिया, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी):

280. भ्रष्टाचार समाप्त करने में पुलिस असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

281. बस्सी पुलिस स्टेशन को प्रशासनिक दृष्टि से जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर, उप पुलिस अधीक्षक सांगानेर (जयपुर) व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा भिन्न-भिन्न स्थानों में बांट दिये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

282. जयपुर शहर में कानून व व्यवस्था कायम रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिये जयपुर शहर को जिला पुलिस अधीक्षक के कार्य क्षेत्र से अलग कर जयपुर शहर के लिये पुलिस कमिश्नर का पद स्थापित करने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

283. पुलिस थाने पर रिपोर्टकर्ता से कागज मंगाने की प्रथा को समाप्त करने के लिये स्टेशनरी का पर्याप्त प्रावधान न रखने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

284 अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गरीब तबके की एफ. आई. आर. न लिखने एवं उस के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

285. एन्टीकरप्शन डिपाटमेन्ट का पृथक अस्तित्व समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।

286. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को रखने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):

287. नाथद्वारा पुलिस सर्कल उदयपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के अधीन रखने पर चर्चा के लिये।

288. उदयपुर जिले की कानून-व्यवस्था की सुरक्षा में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

289. पुलिस कर्मचारियों को अधिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

290. नाथद्वारा में पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय एवं निवास निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

291. नाथद्वारा एवं राजसमन्द पुलिस उप अधीक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

292. पुलिस उप अधीक्षक सर्कल नाथद्वारा के गांव सांलौर, मोगा आरोदड़ा को अन्य सर्कल में मिलाने से लोगों को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

293. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के गांव दडवाल में बालक की हत्या के अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ने से लोगों में व्याप्त असंतोष हर चर्चा के लिये।

294. नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के थाना खमनोर में अनवास गांव की महिला की हत्या के अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ने से लोगों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़):

295. सुजानगढ़ व सांडवा के पुलिस स्टेशन भवनों के नव निर्माण बाबत चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

296. जयपुर शहर में जेबकतरों की गतिविधियों को रोकने हेतु जयपुर आमार, घाटगेट बस स्टेण्ड एवं जयपुर शहर में चलने वाली मिनी बसों पर सादा वेश में पुलिस तैनात किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

297. माह जून 1982 में पुलिस थाना आबूरोड जिला सिरोही में दर्ज रिपोर्ट द्वारा श्री रामा पिता भेरा गरासिया निवासी मोरड से सहकारी भूमि विकास बैंक आबूरोड के कर्मचारियों द्वारा जबरन कर्जा वसूल करने व मारपीट करने पर भी पुलिस द्वारा अब तक बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत नहीं करने बावत चर्चा के लिये।

298. अनुसुचित जाति एवं जनजातियों का प्रतापगढ़ उपखण्ड स्तर पर रेवेन्यू कम पुलिस प्रकोष्ठ वर्ष 1980 स्थापित किया गया है, इसके कार्यकरण की प्रणाली पर चर्चा के लिये।

299. मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चित्तौड़गढ़ जिले के प्रतापगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में डकैतियों की रोकथाम के लिये पुलिस बल की 12 चौकियां कायम नहीं करने पर चर्चा के लिये।

300. ग्राम आरिनेरा के आदिवासियों पर गैर आदिवासियों द्वारा हमला कर कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की शिकायत सितम्बर 1980 में की गयी जिस पर कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये।

301. फरवरी 1980 में मेवाड़ भील-की खेखाडा जिला उदयपुर में की गई भर्ती पर राज्य सरकार द्वारा तत्काल रोक लगा देने के सम्बन्ध में और तत्पश्चात् आज दिसम्बर 1983 तक भर्ती वापस नहीं करने बाबत चर्चा के लिये।

302. राजस्थान के चम्बल क्षेत्र में डेरे डालने वाले डाकुओं को खत्म करने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

303. राजस्थान में बैंक डकैतियों पर नियंत्रण पाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

304. वर्ष 1983-84 में राज्य में अवैध हथियारों कीधर पकड़ में बरामद हथियारों को रखने वालों के विरुद्ध पुलिस संरक्षण दिये जाने बाबत चर्चा के लिये।

305. सितम्बर 1980 में राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उदयपुर संभाग में तीन पुलिस कम्पनियां और बढ़ाई जाने को थीं, उस पर अमलन हीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

306. लच्छीपुरा अजमेर प्रकरण की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा बरते जाने पर चर्चा के लिये।

307. पुलिस थाना विश्वकर्मा जिला जयपुर में दर्ज रिपोर्ट 24 मई, 1981 श्री मोहन हत्या काण्ड पर पुलिस द्वारा बरती गई लापरवाही पर चर्चा के लिये।

308. पुलिस थाना सालमगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ की एक महिला द्वारा पुलिस

(श्री नन्दलाल मीणा)

कर्मियों द्वारा परेशान करने पर उच्च अधिकारियों को की गई शिकायतों पर कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

309. हरिजनों एवं आदिवासियों के खाते की कृषि भूमि पर सवर्णों द्वारा जबरन कब्जा व फसल को क्षति पहुंचाने की शिकायतों पर पुलिस द्वारा कमजोर लोगों को संरक्षण नहीं देना एवं न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

310. उपखण्ड प्रतापगढ़ के हरिजनों एवं आदिवासियों की गैर हरिजन एवं गैर आदिवासियों द्वारा खड़ी फसलों को नष्ट किये जाने की शिकायतों पर ध्यान नहीं देये जाने बाबत चर्चा के लिये।

311. नवम्बर 1981 में पुलिस थाना लुहारिया के थानाधिकारी एवं सहयोगियों द्वारा ग्राम पीपल्दा निवासी खातिया भील को गैर कानूनी पुलिस ढंग से हिरासत में रख कर मारपीट की गई। खातिया पुलिस थाने में मर गया। इस हत्या के संबंध में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही में लीपापोती की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।

312. मार्च 1982 में थाना धमोतर जिला चित्तौड़गढ़ के ग्राम ढोकणिया के श्री देवा पिता धुला मीणा की ट्रैक्टर द्वारा हत्या कर देने के मामले को दबा देने बाबत चर्चा के लिये।

313. थाना आमेर (जिला जयपुर) में कृषि विभाग के कृषि यन्त्रों की चोरी की तफ्तीश को दबाने के बारे में चर्चा के लिये।

314. गत तीन वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में चोरी, डकैती, नकबजनी में गये माल की पुलिस द्वारा बरामदगी नहीं कर पाने के संबंध में चर्चा के लिये।

315. मेवाड़ भील और उदयपुर संभाग के लिये तीन कम्पनियां और बढ़ाने के राज्य सरकार के निर्णय वर्ष 1981 से अब तक पूर्ण नहीं किये जाने बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

316. ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की ज्यादती से गांवों में व्यापक असंतोष पर चर्चा के लिए।

317. सरकार द्वारा गुण्डा एक्ट का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

318. टौंक रोड पर अनेक गांवों में नियमित रूप से अनैतिक व्यापार के अड्डे चल रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।

319. राज्य में आतंकवादी तत्वों के सक्रिय होने से लोगों में व्याप्त भय और बढ़ती डाकों की घटनाओं को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

320. पुलिस के घोड़ों और घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने हेतु चर्चा के लिये।

321. बांसवाड़ा क्षेत्र में पुलिस की सांठगांठ से बन्धुआ मजदूरों की मुक्ति व राहत में आ रहीं बाधा के विषय में चर्चा के लिए।

(श्रीमती विद्या पाठक)

322. राज्य में बलात्कार, बच्चे उड़ाने तथा दहेज के कारण जलाई जा रही वधुओं के केसों को पकड़ने में पुलिस की असफलता के विषय में चर्चा के लिए ।

श्री जीतमल जैन (अलवर) :

323. ग्राम बादसिदरी मांसल व्यापार के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) :

324. पुलिस के छोटे कर्मचारियों को विशेष सुविधायें प्रदान करने के लिए चर्चा के लिए।

325. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की चिन्ताजनक स्थिति पर चर्चा के लिए ।

326. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की अकर्मण्यता से बढ़ रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए ।

श्री अमर चन्द (गंगरार) :

327. चितौड़गढ़ में निरपराध अनुसूचित जाति के लोगों के साथ मारपीट करने वाले के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करने पर चर्चा के लिए ।

328. गंगरार में वराशमी क्षेत्र में इन दिनों लगातार बढ़ती हुई चोरियों व नकबजनी को रोकने में पुलिस की विफलता के संबध में चर्चा के लिए ।

329. चितौड़गढ़ में लगातार सट्टे एवं जुओं के अड्डे पुलिस की मिलीभगत से चलने पर चर्चा केलिए ।

330. चित्तौड़गढ़ में आये दिन सदर बाजार में चोरियां होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

331. टोंक जिले में प्रत्येक ग्राम मुख्यालय पर पुलिस चौकियों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

332. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वार विभिन्नप्र करणों में जांच में विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

333. टोंक जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाने से बढ़ते भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

334. राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुलिस थाना निवाई, मेन्दवास में वाहन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए ।

335. टोंक जिला भारत सरकार द्वारा घोषित साम्प्रदायिक संवेदनशील जिला है इस हेतु नाम के अनुसार पुलिस इन्तजाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

336. टोंक शहर की पुलिस चौकियों पर वायरलैस, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

337. टोंक से उनियारा एवं सवाई माधोपुर रोड पर पुलिस थाना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

338. टौंक जिले में अपराधों का समय पर अन्वेषण नहीं करने व समय पर चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न रोष पर चर्चा के लिये।

339. पुलिस चौकी छलेलसा (टौंक) को शहर थाना का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

340. टौंक जिले में पुलिस का प्रभावी इन्तजाम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

341. टौंक शहर में साम्प्रदायिक तनाव, छात्र आन्दोलन, बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए पुलिस उड़न दस्ता होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

342. टौंक जिले में अग्नि शमन सेवा के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

343. साम्प्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र टौंक में कोतवाली टौंक में निरीक्षक पुलिस का पद की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

344. प्रदेश में बैंकों को लूटकर आतंकवादी कार्यवाही को रोकने में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

345. टौंक जिले में उप समादेष्टा होम गार्ड का पद स्वतन्त्र रूप से स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

346. टौंक जिले में ग्रामीण होम गार्ड्स के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

347. टौंक जिले में शहरी होम गार्ड्स के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

348. टौंक जिले में थानों के भवनों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर):

349. सवाईमाधोपुर नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर गत सालों में मन्दिरों की चोरियों का पता लगाने में पुलिस असफल रही है, इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

350. जिला सवाई माधोपुर के प्रत्येक थाने पर गाड़ी तथा वायरलैस नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

351. तहसील बौंली को ग्राम पंचायत चाटोदा बरनाला क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र थाना बामनवास से हटा कर थाना मलारना डूंगर के अधिकार क्षेत्र में करने पर चर्चा के लिये।

352. तहसील सवाईमाधोपुर के ग्राम श्यामपुरा में पुलिस चौकी कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर):

353. प्रदेश में पुलिस विभाग का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

354. राज्य में पुलिस बल तथा थानों की संख्या राज्य की जनसंख्या तथा बढ़ते हुये अपराधों को देखते हुए बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

355. सीकर जिले के रामगढ़ सेठान, लक्ष्मणगढ़, खाटू, दांतारामगढ़ एवं पाटन थानों के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गई शिकायतों पर उच्चाधिकारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

356. सीकर जिले के रघुनाथगढ़ थाने के अन्तर्गत कटराथल ग्राम की डकैती के डकैतों को पुलिस द्वारा बचाने तथा एक व्यक्ति के विरुद्ध भी सही ढंग से मामला न बनाने पर चर्चा के लिये।

357. सीकर नगर मुख्य मार्ग–स्टेशन रोड तथा जाटीया बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

358. राज्य के विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

359. पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार राज्य के पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान तथा आवासीय सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

360. सीकर शहर की कोतवाली क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

361. सीकर जिले के रघुनाथगढ़ एवं खाटू थानों को मुख्य सड़क पर भवन बनाकर स्थानान्तरित करने हेतु चर्चा के लिये।

362. सीकर कोतवाली में पुलिस बल बढ़ाने एवं कोतवाली के जीर्ण शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

363. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के सम्बन्ध में तथा पुलिस को आधुनिक उपकरणों एवं ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

364. ईमानदार पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहन न देने तथा उनके लगातार अनुचित स्थानान्तरण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

365. सीकर जिले में हुई चोरियों, डकैतियों के बरामद न होने तथा अपराधों के बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

366. सीकर जिले के पलसाना ग्राम में नये थाने खोले जाने पर चर्चा के लिये।

367. सीकर जिले के थानों में ग्रामों को गलत ढंग से जोड़ने के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

368. सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाने के इन्चार्ज द्वारा एक बरात में घुसकर जबरदस्ती रुपया लाने तथा विरोध में बाजार बन्द होने तथा अभी तक कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

369. सीकर जिले में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर गलत वाद पंजीकृत करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

370. सीकर जिले के समर्थपुरा गांव में हुई घी चोरी को पुलिस द्वारा बरामदगी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) :

371. बीकानेर शहर के रामपुरा बस्ती लाल गढ़ के पास हरिजन मजदूरों को गुण्डों द्वारा शराब पीकर परेशान किये जाने को रोकने में विभाग की निष्फलता पर चर्चा के लिये।

372. पुलिस द्वारा फौजदारी मुकदमों के प्रति लापरवाही बरतने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

373. बीकानेर के पूगल क्षेत्र में चुराई गई गायों के बरामद होने पर भी सही कार्यवाही नहीं करने व अन्य पशुओं के मुकदमें दर्ज न करने पर चर्चा के लिये।

374. लाडनू में एक व्यापारी तथा उनके कर्मचारियों को गुण्डों द्वारा शारीरिक व मानसिक यातनायें देने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

375. बीकानेर शहर की पुरानी गिन्नाणी गोसियान बास के लोगों को गुण्डों द्वारा परेशान किये जाने पर व शहर में गुण्डागर्दी बढ़ने पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

376. जिला बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक द्वारा बिजावा गांव थाना गडरा रोड के कई लोगों को कड़ाके की सर्दी में नंगा करके घुमाये जाने से जनता में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये।

377. जिला बीकानेर में हत्या एवं चोरी के संगीन मामलों में भी अपराधियों का शीघ्र पता न लगाने पर विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

378. पुलिस के विरुद्ध सबूत या गवाह देने वालों की असुरक्षा पर चर्चा के लिये।

379. पुलिस द्वारा निरपराध जनता को बिना किसी कारण परेशान किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

380. थाना कोलायत के एस. एच. ओ. द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज करने में मानाकानी करने पर चर्चा के लिये।

38 . पुलिस कर्मचारियों द्वारा शराब पीकर गश्त लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

382. बीकानेर कचहरी में मालखाने की चोरी बरामद करने में जिला पुलिस असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

383. बीकानेर पुलिस गत दो वर्ष में चोरियां बरामद करने में बिल्कुल असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री देवी सिंह भाटी)

384. जिला बीकानेर थाना पूगल के ग्राम डबेर की डकैती व हत्या के अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

385. बीकानेर शहर के रामेश्वर सोनी की हत्या के अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

386. बीकानेर पुलिस द्वारा तहसील कोलायत के ग्राम सूरासर व मगनवाला के ग्रामीणों को जबरन उठाकर पाकिस्तान सीमा पार कराने पर अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

387. बीकानेर अनुसूचित जाति-जन जाति गृह निर्माण सहकारी समिति लि० के भूतपूर्व मंत्री व वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. पर कार्यवाही न करने पर पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

388. जिला गंगानगर के अधिकारियों द्वारा हिस्ट्री शीटर घोषित अपराधियों के पास से हथियार जब्त न करने पर चर्चा के लिये।

389. हनुमानगढ़ जंक्शन में थानाध्यक्ष द्वारा कुलदीप शर्मा को घर से पकड़कर गोली मारने के संबंध में जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

390. उच्च पुलिस अधिकारियों के यहां पुलिस कर्मियों से घरों पर ली जाने वाली बेगार से पुलिसकर्मियों में गिरते हुए स्तर पर चर्चा के लिये।

391. बीकानेर में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार एवं दहेज के कारण यातना दी जा रही या मार दी गई महिलाओं के केसों में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

392. पुलिस द्वारा राज्य में पत्रकारों, न्यायिक अधिकारियों आदि की पिटाई और अपमान किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

393. राज्य में गुण्डा एक्ट लागू होने के बावजूद भी निरन्तर बढ़ती जा रही गुण्डागर्दी को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।

394. गबन व अपराध के मामलों का शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

395. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सूत्र सूचनार्थ एकत्रित कर उनको विकसित एवं सत्यापित करने के कार्य में बरती जाने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये।

396. राज्य में रिश्वत लेने वालों के विरुद्ध शिकायत करने पर प्रभावी कार्यवाही नहीं करने से लोगों का पुलिस पर से विश्वास उठता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

(श्री देवी सिंह भाटी)

397. पुलिस के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को गृह जिले में ही नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

398. पुलिस बैण्ड कर्मचारियों को बैण्ड अलाउंस बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिये।

399. थानों में रिपोर्ट दर्ज करने वाला स्टाफ, गश्ती सिपाहियों से अलग से नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

400. पुलिस कर्मचारियों को हार्ड-ड्यूटी व ओवर टाइम भत्ता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

401. पुलिस चोरी की साइकिलें बरामद करने में असफल रहती है, इस पर चर्चा के लिये।

402. गुण्डों को उच्च स्तर संरक्षण से पुलिस कार्यवाही करने में असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

403. ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों द्वारा माल भरे ट्रकों से चौथ वसूल किये जाने से विभाग की गिरती छवि पर चर्चा के लिये।

404. पुलिस के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये निवास की सुविधा न जुटाई जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

405. जयपुर स्थित पुलिस चौकियों पर पानी, बिजली, पंखों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

406. बीकानेर नगर में सट्टे के बढ़ते जोर पर पुलिस द्वारा नियन्त्रण न कर पाने पर चर्चा के लिये।

407. थानों में दर्ज मामलों की तफ्तीश करने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

408. पुलिस थानों में लेखन सामग्री के अभाव पर चर्चा के लिये।

409. राज्य सरकार पुलिस के अत्याचार एवं दमन रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

410. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा बीकानेर जिले में पकड़े गये भ्रष्ट अधिकारियों के मामलों पर कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

411. बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले से भारी मात्रा में पशुधन की तस्करी रोकने में पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

412. पुलिस बल में व्याप्त अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिये कदम नहीं उठाये गये हैं, इस पर चर्चा के लिये।

413. ग्रामीणों को पुलिस द्वारा गलत फंसाये जाने वाले मुकदमों से मुक्ति दिलाने में राज्य सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

134

(श्री देवीसिंह भाटी)

414. बीकानेर नगर में पुलिस द्वारा गलियों में जुआ, शराब के अड्डों की रोक-थाम न करने पर चर्चा के लिये।

415. बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में ट्रैफिक पुलिस की असफलता पर पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

416. पांच शादी प्रकरण में लिप्त अभियुक्तों का पुलिस द्वारा न्यायालय में अभी तक चालान प्रस्तुत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

417. पुलिस द्वारा पांच शादी प्रकरण के अभियुक्तों को दिये जा रहे संरक्षण पर चर्चा के लिये।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

418. पुलिस थाना झोटवाड़ा जयपुर में दर्ज मामला पांचवी शादी प्रकरण के अभियुक्तों का न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं करने एवं सरकारी संरक्षण देने के कारण तीसरी शादी प्रकरण की पुनरावृत्ति पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

419. पांचवी शादी में लिप्त अभियुक्त का न्यायालय में चालान पेश नहीं करने से तीसरी शादी प्रकरण की पुनरावृत्ति पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) :

420. जयपुर झोटवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज पांचवी शादी प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों को सरकारी संरक्षण देने के बारे में चर्चा के लिये।

421. पांचवी शादी में लिप्त अभियुक्तों का पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

422. पांचवी शादी में लिप्त अभियुक्तों का पुलिस द्वारा चालान पेश करने में किया जा रहा विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) :

423. पांचवी शादी में लिप्त अभियुक्तों का न्यायालय में चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

424. जयपुर झोटवाड़ा पुलिस थाने में दर्ज पांचवी शादी प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों का कोर्ट में पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

425. पांचवी शादी में लिप्त अभियुक्तों का न्यायालय में चालान पेश नहीं

(श्री रामकिशोर मीणा)

करने से तीसरी शादी प्रकरण की पुनरावृत्ति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 4 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत),
श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी),
श्री रामनारायण डूडी (बिलाड़ा),
श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल),
श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण),
श्री माणकमल मेहता (पाली),
श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना),
श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची),
श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) :

1. जिलाधीश के पद पर सुपर टाइम स्केल के आई. ए. एस. अधिकारी को लगाने तथा फिजूलखर्च को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) :

2. जिलाधीश के पास प्रशासनिक आय एवं न्यायिक अधिकार होने से न्याय में विलम्ब होता है, इस पर चर्चा के लिये।

3. जिलाधीश एवं जिला दण्डनायक के पद अलग-अलग व्यक्तियों के पास हैं, इस पर चर्चा के लिये।

4. जिला प्रशासन को क्रियाशील बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) :

5. जिलाधीश एवं तहसील कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) :

6. जिला प्रशासन अनुसूचित जातियों को सरकार द्वारा दी गई जमीनों पर कब्जा कराने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

7. जिला प्रशासन कार्यालयों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव) :

8. जिला जैसलमेर की उप तहसील फतेहगढ़ के भवन का निर्माण कराने हेतु चर्चा के लिये।

9. जिला जैसलमेर की उप तहसील फतेहगढ़ के कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम) :

10. अजमेर जिला प्रशासन द्वारा शहर की समस्याओं के प्रति उदासीनता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

11. जिला प्रशासन को पुनर्गठित कर प्रशासन को चुस्त बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) :

12. जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

13. दौसा को अभी तक जिला घोषित नहीं किये जाने से व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये।

14. जिला प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) :

15. ग्राम हसानपुर को दो ग्राम पंचायतों में बांटने से नागरिकों को होने वाली प्रशासनिक कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

16. जिला प्रशासन में अनुसूचित जाति के अधिकारियों की नियुक्ति में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये।

17. जिला प्रशासन में जिलाधीश से न्यायिक कार्य पृथक करने हेतु चर्चा के लिये।

18. जिला प्रशासन के प्रशासन स्तर में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) :

19. जिला प्रशासन को पुनर्गठित कर चुस्त बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) :

20. राज्य सरकार जिला प्रशासन को चुस्त बनाने में असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

21. जिला प्रशासन को अनुसूचित जाति के लोगों के मामलों में तुरन्त सुनवाई व कार्यवाही करने हेतु सक्रिय बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर) :

22. बांसवाड़ा जिलाधीश कार्यालय द्वारा कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण समय पर उपलब्ध न कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

23. जिला प्रशासन को चुस्त करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी),

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

24. झालावाड़ एवं कोटा जिले में शीत लहर से हुई फसलों की क्षति का जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

25. कोटा जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करने में असमर्थता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

26. झालावाड़ एवं कोटा जिला प्रशासन गलत कार्यों को प्रोत्साहन दे रहा है जिससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़),

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

27. प्रतापगढ़ में अतिरिक्त जिलाधीश का कार्यालय स्थापित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

28. जिला प्रशासन चित्तौड़गढ़ द्वारा "पिछड़े को पहले" योजना में वितरित ऋणों में अनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

29. जिला प्रशासन सवाईमाधोपुर द्वारा गरीबों के हितों सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित न करने पर चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल (राजसमन्द) :

30. राजसमन्द को जिला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) :

31. जिला प्रशासन के अधिकारियों के कार्यालयों में न बैठने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :

32. जिला प्रशासन द्वारा पुराने पेण्डिंग मामले न निपटाने में ढील से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

33. सरकार जिला प्रशासन में लाल फीताशाही को रोकने में अक्षम रही है, पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर),

श्री कुन्जी लाल मीणा (बामनवास):

34. सवाई माधोपुर में अनुभवी आर. ए. एस अधिकारी को एस. डी. एम. के पद पर लगाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़) :

जयपुर शहर का अलग जिला बनाने तथा जिला स्तर पर अभाव, अभियोग सतर्कता समितियों को अधिक कारगर बनाये जाने की चर्चा के लिए,

श्री भरोसी (हिण्डोन),

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :

36. राज्य सरकार द्वारा जिला प्रशासन को प्रभावी बनाने हेतु प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भरोसी (हिण्डौन) :

37. तहसील हिण्डौन में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गरीब हरिजनों की काश्त की जमीनों पर कब्जा नहीं दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर),

श्री कुन्जी लाल मीणा (बामनवास),

श्री चुन्नी लाल (खण्डार) :

38. जिला प्रशासन की जिले के विकास में भेद-भाव पूर्ण नीति से उत्पन्न अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत),

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) :

39. बीकानेर जिले में एक और तहसील क्षेत्र की स्थापना तथा पुरानी तहसीलों में नये पदों का सृजन करने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

40. बीकानेर जिले में तहसीलों की संख्या बढ़ाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. बीकानेर जिले में जन अभाव-अभियोग निराकरण समिति में प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर शीघ्र निर्णय नहीं मिलने से चर्चा के लिये।

42. जिला बीकानेर में जिला प्रशासन द्वारा जन समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक देरी, लापरवाही बरतने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत),

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना),

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) :

43. बीकानेर व जैसलमेर जिलाधीश कार्यालय में लम्बी अवधि के विचाराधीन मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराने पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

44. चौमू में उपजिलाधीश कार्यालय स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा),

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

45. जिला स्तर की योजनायें जिला प्रशासन द्वारा वांछित सूचनाओं के अभाव में क्रियान्वित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय),

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) :

46. दौसा को अभी तक जिला घोषित न करने से व्याप्त जन असन्तोष पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

47. रामगंज मण्डी तहसील में खदान मालिकों द्वारा ग्राम रास्ते, चारागाह अवरुद्ध कर दिये जाने पर भी जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर) :

84. सब तहसील कुम्हेर की आय को देखते हुए जिले में इसे तहसील का दर्जा दिया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

49. जिला प्रशासन की निष्क्रियता से जिले में अपराध बढ़ने पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना):

50. नीमकाथाना सब-डिवीजन में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद),

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग),

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

51. झालावाड़ व कोटा जिले में प्रशासन कानून-व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में असमर्थ रहा है, पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली) :

52. जिलों में जिलाधीश के रूप में नये सीधी भर्ती के आई. ए. एस. के स्थान पर अनुभवी एवं पदोन्नत आई. ए. एस. रखे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

53. राज्य में जिलाधीशों के पास कार्याधिक्यता इतनी हो गयी है कि वे ठीक से अपने कार्य को निभा नहीं पाते, भिन्न भिन्न बैठक ही महीनों में इतनी होती है कि उन्हें उसमें ही समय नहीं मिल पाता अतः कार्य का पुर्नविभाजन करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बंसी लाल पटवा (भीलवाड़ा),

श्री छीतर लाल आर्य (अटरू) :

54. भीलवाड़ा जिला केन्द्र पर भूमि रूपान्तर कार्यालय प्रथम व द्वितीय में बरती जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

55. भीलवाड़ा जिले के सभी तहसीलों, उप तहसीलों में पेंडिग मामलों को नहीं निपटाने पर चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल पटवा)

56. भीलवाड़ा जिला कार्यालय में पुल की गाड़ियों में वृद्धि करने पर चर्चा के लिये।

57. भीलवाड़ा जिले के गंगापुर व रायपुर के लिये एस. डी. ओ. कार्यालय स्थापित करने पर चर्चा के लिये।

58. भीलवाड़ा एस. डी. ओ. के. क्षेत्र से अन्य क्षेत्र हटाने पर चर्चा के लिये।

59. हमीरगढ़ (भीलवाड़ा) में नायब तहसील को तहसील बनाने पर चर्चा के लिये।

60. भीलवाड़ा जिले के विभिन्न एस. डी. ओ. कार्यालयों में पैंडिंग मुकदमों व कार्यवाहियों को शीघ्र निपटाने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) :

61. बाड़मेर जिले के तहसील गुडामालानी के तहसीलदार किसानों को झूठे मुकदमें बनाकर परेशान करने पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर) :

62. प्रशासन गांवों की ओर में अवैध कब्जों के सारे मामलों का नियमन न करने व पट्टे न दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) :

63. जिला प्रशासन अजमेर के राजकीय भवनों में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों से कन्सेशनल रेट समाप्त करके स्टेण्डर्ड रेट से किराया वसूल करने अथवा खाली कराने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

64. जिला प्रशासन अजमेर द्वारा देय सुविधायें न देने पर चर्चा के लिये।

65. जिलाधीश अजमेर द्वारा अजमेर शहर को बाढ़ से बचाओ आन्दोलन को दिये गये आश्वासनों की पूर्ति करवाने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

66. अजमेर में सिनेमागृहों से नियमों की पालना कराने में जिला प्रशासन द्वारा असफल रहने पर चर्चा के लिये।

67. जिला प्रशासन अजमेर द्वारा अजमेर नगर में वीडियो पर दिखाई जाने वाली अनधिकृत फिल्म्स को रोकने में असफल रहने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

68. नाथद्वारा में ए. सी. एम. कार्यालय एवं निवास हेतु भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. नाथद्वारा में एस. डी. एम. का पद स्वीकृत नहीं होने से लोगों में होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री भंवर लाल मेघवाल (सुजानगढ़) :

70. सुजानगढ़ जिला चूरू में ए. सी.

(श्री भंवरलाल मेघवाल)

एम. कोर्ट की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

71. प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर जिले को दो भागों में विभक्त कर जयपुर शहर एवं जयपुर देहात दो जिले बनाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

72. जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालय समय में अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

73. कर्मचारियों में "आज का काम आज" की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने एवं कार्य के निपटारे में विलम्ब करने वाले कर्मचारी को दण्डित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर जिले की बस्सी तहसील के ग्राम बांसखो में सब तहसील हैडक्वार्टर स्थापित किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

75. प्रशासन शहर की ओर कार्यक्रम में बीकानेर गंगाशहर भीनाशहर में जनता द्वारा प्रस्तुत अभाव अभियोग का निपटारा नहीं करने में जिला प्रशासन की असफलता पर चर्चा के लिये।

76. जिलाधिकारियों द्वारा वाहनों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

77. बीकानेर जिला कार्यालय में अनेकों फाइलें लापता होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. जिला प्रशासन बीकानेर द्वारा बाढ़ से प्रभावितों को सर्वे सूची के अनुसार राहत राशि उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

79. जिला प्रशासन के अधिकारियों को अधिक लम्बे समय तक एक ही दफ्तर में रहने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, इस पर चर्चा के लिये।

80. बीकानेर जिला प्रशासन के ग्रामोन्मुखी होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. बीकानेर जिले के अधिकारियों द्वारा कार्यालय से बाहर रहने से जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

82. बीकानेर शहर में "प्रशासन शहर की ओर" कार्यक्रम में जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उदासीनता बरतने व जनता के साथ दुर्व्यवहार करने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

83. जिलाधीशों की शक्तियों का वीकेन्द्रीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(१५२)

मांग संख्या 16 व 4 पर विचार

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : सभापति महोदय, आज हम पुलिस और प्रशासन की डिमान्ड्स पर बहस कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम रखे। 1983 के अपराधों एवं शान्ति व्यवस्था की तरफ हम ध्यान दें तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थिति ठीक रही है। अपराधों की स्थिति....

(व्यवधान)

सरकार की स्थिति निवेदन कर रहा हूं, आपके राज के समय की और इस समय की तुलना भी करूंगा मैं। आज की स्थिति जो सारे देश में है, दूसरे प्रान्तों को देखते हुए जो स्थिति हमारे यहां की है उसमें मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में शान्ति व्यवस्था सुदृढ़ है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या, सुधर रही है।

श्री मोहनलाल मोदी : सुधर नहीं रही है, सुदृढ़ है। ऐसी स्थिति में 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान का हिन्दुस्तान में सर्वप्रथम आना इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में शान्ति व्यवस्था कायम है और इसी वजह से 20 सूत्री कार्यक्रम में हम आगे रहे हैं, यह स्थिति स्पष्ट है।

मैं, जब जनता पार्टी की सरकार थी, उसके बारे में निवेदन करना चाह रहा हूं कि उस वक्त की क्या स्थिति थी, अपराधों की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। यह भी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि मैं जनता पार्टी की 32 महीनों की सरकार की आंकड़ों से तुलना करने जा रहा हूं। 32 माह में 32448 अपराधों की वृद्धि हुई यानि प्रतिमाह 1014 अपराध बढ़े। डकेती में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हिंसा व लूट में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि, कत्ल में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि, बलवे में 50.9 प्रशित की वृद्धि, चोरी में 14.8 प्रतिशत की वृद्धि और अन्य अपराधों में 32.8 प्रतिशत की वृद्धि। यह उस टाइम का हिसाब है और आज की स्थिति मैं आपके सामने निवेदन करना चाह रहा हूं कि कांग्रेस शासन में 1980 की तुलना में वर्ष 1981 में अपराधों की माहवार वृद्धि 1084 से घटकर 517 रह गई, 1981-82 की तुलना में कुछ वृद्धि हुई वह 546 हो गई। 1982 और 1983 की अपराध में 187 अपराध हुए। 1982-83 वर्ष की तुलना मैं करना चाहूंगा, डकेती में 0·06 प्रतिशत की वृद्धि, लूट में 14.2 प्रतिशत की कमी, हत्या के मामले में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि, बलवे में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि, चोरी में 12.09 प्रतिशत की कमी, नकबजनी में 3.7 प्रतिशत की कमी और अन्य अपराधों में 0.07 प्रतिशत की कमी। 1984 के प्रथम दो माह के अपराधों की तुलना गत वर्ष 1983 से करें तो मालूम होगा डकेती में 50 प्रतिशत की कमी, लूट में 6.14 प्रतिशत की कमी, कत्ल में 8.49 की वृद्धि, बलवे में 6.80 प्रतिशत की कमी, नकबजनी में 8.27 प्रतिशत की कमी, चोरी में 9.50 प्रतिशत की कमी और अन्य अपराधों में 0.24 प्रतिशत की कमी।

(श्री मोहनलाल मोदी)

यह हमारे अपराधों की स्थिति मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि आज के जो हालात हैं और जिन स्थितियों से देश गुजर रहा है, उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अगर ध्यान दिया जाव तो चारों ओर कत्ल हो रहे हैं, चोरियां और इस तरह के हालात दूसरे प्रदेशों में हो रहे हैं, राजस्थान उस मुकाबले में बहुत ही सुरक्षित है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज राजस्थान में वह स्थिति नहीं है जो दूसरी जगह है। दूसरे प्रान्तों में रात को कोई निकल नहीं सकता, जा नहीं सकता। कुछ हालात इन पिछले दो- चार महीनों में हुए हैं जो कि हमारी पुलिस पकड़ नहीं पाई बाकी मैं निवेदन करना चाहूं हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैदी से कार्यवाही करती है वैसे। मैं अपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगा। पिछले दिनों मार्च में चौमू से एक कार किराये पर ले गये, ड्राइवर खलासी को नीचे गिरा दिया और कार लेकर भाग गये उनको पकड़ लिया गया ....

(व्यवधान)

जी हां, उनको पकड़ा। जनता पार्टी की सरकार की वात भी कहना चाहूंगा 23 मई, 1978 को इसी तरह की वारदात जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई। जयपुर से टैक्सी किराये पर ले गये। ड्राइवर की नदवई के मोड़ के पास हत्या कर दी और हत्यारे फरार हो गये, पकड़े नहीं गये। यह स्थिति मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। एक वारदात अभी हुई 14 मार्च, 1984 को इसी टैक्सी के बारे में उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च, 1978 को जनता पार्टी के राज में इसी तरह की घटना हुई, ड्राइवर की हत्या हो गई, वे पकड़े नहीं गये, फरार हो गये। इसी प्रकार की....

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान न डालें, माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : आप तो बोलते जायें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं निवेदन करना चाह रहा था कि इसी तरीके की, मई, 1983 को जयपुर—आगरा रास्ते पर एक जीप, जिसमें गोविन्द परतानी और उसका परिवार जा रहा था, को पांच हथियार बन्द लोगों ने लूट लिया, चार डकेत जयपुर की तरफ भाग निकले। शाहपुरा के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें एक डकेत मारा गया और चार को मय हथियार और माल के पकड़ लिया। इसी तरह जुलाई, 1983 के अन्दर जयपुर से अलवर जा रही रोडवेज की बस थानागाजी के पास लुटेरों ने लूट ली। डकेतों को बैराठ के नजदीक माल सहित पकड़ लिया। 27 अगस्त, 1983 को इसी तरह जयपुर—आगरा मार्ग पर ठाकुर गुढ़ाचन्द्रजी की कार को रोक कर पांच हजार रुपये लूट लिये गये। तुरन्त पुलिस ने सरगर्मी से नाकेबन्दी करके माल और मुल्जिम को पकड़ लिया, माल बरामद

(श्री मोहनलाल मोदी)

कर लिया और उनकी रायफल छीन ली। इसी तरह 3 सितम्बर, 83 को बूंदी में राजस्थान रोडवेज के केशियर, जो बैंक में रुपये जमा कराने जा रहा था, को लूट लिया। वे रुपये बरामद कर लिये और उन लुटेरों को पकड़ लिया। रायसिंहनगर में इसी तरीके से बैंक डकेती डालने वाले लोगों को माल सहित गिरफ्तार किया। सांगरिया में इसी तरह से बदमाशों ने एक कार किराये पर ली और उसको लेकर भाग गये, उनको गिरफ्तार किया और कार बरामद की।

(2.00 म.प.)

जनवरी, 1984 में शाहपुरा के निकट हरियाणा की बस को 7 डकेतों ने लूटा, 50 हजार का माल लेकर भागे, पुलिस ने मुस्तैदी से तलाश करके उन डकेतों को गिरफ्तार किया, माल बरामद किया। जनवरी, 1984 में मिर्जा इस्माइल रोड पर ज्वैलर्स एम्पोरियम में जो डकेती हुई थी उसमें लुटेरों को पकड़ा, माल बरामद किया। फरवरी, 1984 में अजमेर-किशनगढ़ मार्ग पर एक डॉक्टर स्कूटर पर जा रहे थे उनको लूट लिया, उन लुटेरों को गिरफ्तार किया और उनकी कार को जब्त किया। मैं यह कहना चाह रहा हूं····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) मुख्य मन्त्री जी का भाषण बोल गये।

श्री मोहनलाल मोदी : वह तो जो सही स्थिति है वह मुख्य मन्त्रीजी भी कहेंगे, वह दूसरे माननीय सदस्य भी कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर वह क्या बोलेंगे ?

श्री मोहनलाल मोदी : मैं आपसे कहने की बात यह कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान की स्थिति····

श्री परसराम मदेरणा (मन्त्री, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) : हमारी पार्टी के सदस्य हैं। ये तो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, ये जैसा चाहेंगे वैसे बोलेंगे। आपकी तरह कैसे बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मन्त्री जी को फिर क्या बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : इनको ज्यादा जानकारी है। आप जानकारी के अभाव में कुछ भी बातें कह देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। मुख्य मन्त्रीजी ने जो परसों भाषण दिया वह इन्होंने पढ़कर सुना दिया। मेहनत क्या की ?

श्री मोहनलाल मोदी : परसों वाला भाषण नहीं है, सारा मामला ढाई साल का है।

श्री परसराम मदेरणा : आप ढाई साल सत्ता में रह गये वह तो कहना पड़ता है। कम्पेरेटिव है, तुलनात्मक है। आप कहें तो तुलनात्मक आंकड़े नहीं रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सैन्स क्या है, मेहनत करते तो बहुत सी बातें निकलतीं।

श्री परसराम मदेरणा : मसला इतना ही है कि उनका कहने का दूसरा ऐंगल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे क्या बोलेंगे उससे ऐंगल मालूम पड़ जायेगा।

श्री सभापति : जारी रखिये, माननीय सदस्य। जारी रखें, माननीय सदस्य, अपनी बात कृपया।

एक माननीय सदस्य : ऐंगल बदल दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय विपक्ष के नेता को यह महसूस हो रहा है कि जिस वक्त मुख्य मन्त्री जी बोल रहे थे उस वक्त तो ये थे नहीं और अब ये उन बातों को सुन रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि हाउस में उनके सामने ये बातें....

श्री भैरों सिंह शेखावत : क्यों कही जा रही हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सीकर की भी बोलो।

श्री मोहन लाल मोदी : सीकर की भी आ जायेगी। सीकर की भी आपको बता दूंगा मैं थोड़ा सा और वह बता देना चाहता हूं। पुलिस काम मुस्तैदी से करती है और जहां सही ढंग से काम नहीं करे वहां उनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। जो सही काम करते हैं उनको हमको प्रमोशन भी देना चाहिए, उनको इनाम भी देना चाहिए। आज जिस तरह से हमारे एक गुलाबपुरा के पास बैंक डकैती हुई मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, जैसी कि मेरे को जानकारी मिली उसके अन्दर अगर पुलिस उस वक्त सतर्क रहती और सही समय पर वहां पहुंचती, और मुस्तैदी से काम किया होता तो मैं समझता हूं यह तुरन्त डकेत गिरफ्तार हो सकते थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि या तो हमारी व्यवस्था में वहां कमी है, वहां के थाने में वायरलैस नहीं है या जीप की व्यवस्था नहीं है, जिस तरह से इस बैंक डकैती के अन्दर ये मिल के जो लोग गये जिनमें दो की हत्या हो गयी, एक को गोली लगी, यह बैंक मैनेजर की पत्नी के टेलीफोन के बाद वहां पहुंचे, तो इसका मतलब यह है कि यह सूचना पुलिस को भी मिल चुकी थी और इतनी देर में जब एक मिल के लोग वहां पहुंच गये तो पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंच पायी? क्या व्यवस्था में कमी थी? मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें पूरी तौर से वे इस बात की जांच करायेंगे कि पुलिस की तरफ से क्या कमजोरी रही। जब इतनी जल्दी इन्फार्मेशन मिल गयी और दूसरे लोग वहां पहुंचे, उन डकैतों से उनका मुकाबला हुआ और उसमें राजकुमार चौधरी व जितेन्द्र जैन, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट थे, की हत्या हो गयी और एक जिनके सिर में गोली लगी मिस्टर लड्ढा के, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को हमको मरणोपरान्त पुरस्कृत करना चाहिए। इन तीनों व्यक्तियों जो इस बहादुरी के साथ ऐसी घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंचे, को अगर हम पुरस्कृत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि दूसरे लोगों के मन में ऐसी घटनाओं के सुनने के वक्त कोई मदद करने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस मामले में पूरा ध्यान देंगे और पुलिस के कर्मचारियों

(श्री मोहनलाल मोदी)

की इसमें जो कमजोरी रही है उस के बारे में भी पूरी जानकारी करेंगे।

मैं थोड़ा अपने जिले के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले में नीमकाथाना में आर. ए. सी. की आपने एक टुकड़ी लगा रखी थी। मुख्य मन्त्री जी, आपने आर. ए. सी. की जगहजगह उप-जिला हैडक्वार्टर पर टुकड़ियां लगा रखी थीं। यह इसलिए लगायी गयी थीं कि अपराधों की रोकथाम हो सके और तुरन्त उसकी व्यवस्था की जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि आर. ए. सी. की टुकड़ियां आपने सब जहग से हटा लीं तो आप किस तरह व्यवस्था करना चाहेंगे। आज आपके एक थाने में8–10 सिपाही रहते हैं जिनमें कोई तामील में चला जाता है, कोई और किसी इन्तजाम में चले जाते हैं तो इस तरह के अपराध की अगर सूचना मिलेगी, जिस तरह के अपराध की गुलाबपुरा में सुचना मिली, ऐसे अपराधों की सूचना दूसरी जगह मिले तो एक थाने के 2–4 सिपाही क्या कर सकते हैं। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो व्यवस्था पहले से चल रही थी, आर. ए. सी. की टुकड़ी उप-जिला हैडक्वार्टर पर थीं. उनको आप निश्चित रूप से वापस वहां रखेंगे ताकि अपराधों में बहुत कमी हो सके। मैंने ये पुलिस विभाग का प्रशासनिक आकार देखा, उसके अन्दर स्पेशल आई. जी. पी. की आपने बहुत सारी पोस्टें कर दीं। मुख्य मन्त्री जी, जो काम डी. आई. जी. कर सकते हैं उसके ऊपर आपने स्पेशल आई. जी. पी. की पोस्टें इतनी बढ़ा दी हैं तो मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस पर आप पुनर्विचार करेंगे। पुलिस के अन्दर सिपाही बढ़ा सकें, और दूसरे उपकरण दे सकें, थानों में जीप प्रोवाइड कर सकें, इस तरह का काम हम कर सकें जिससे हमको आम नागरिकों को सुविधा देने में सहयोग हो सके, परन्तु इसके बजाय हम एक पर एक आफिसर मुकर्रर कर दें तो मैं समझता हूं यह व्यवस्था उचित नहीं होगी। इसी तरह से एडीशनल आई. जी. पी. हैडक्वार्टर की भी पोस्टें कर रखी हैं। यह देखने से महसूस होता है कि बड़े-बड़े अधिकारियों की अधिक पोस्टें करके उचित नहीं किया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें।

मैं सीकर जिले की मेरी अपनी 2–4 बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एस. पी., सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, जो आप जिले में लगाते हैं वह आप विशेष तौर से ईमानदार लोगों को लगायें। आप दूसरी जगह लगा सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर आप जिन लोगों को लगायें वह बहुत ईमानदार व्यक्तियों को लगायें। कम से कम जो पुलिस की आज बदनामी है वह आपके सामने है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बहुत थोड़ा ही समय लूंगा।

श्री भैरों सिंह शेखावत : एक ही बात तो खिलाफ बोले सरकार के और आपने घण्टी बजा दी।

श्री मोहन लाल मोदी : पुलिस की बदनामी हो उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई कह नहीं सकता लेकिन मैं आपसे एक

(श्री मोहनलाल मोदी)

बात कहना चाहूं कि एस. पी. लेवल का व्यक्ति अगर हमारा ईमानदार नहीं होगा तो हम जिले के अन्दर किस तरह से व्यवस्था कर पायेंगे। मैंने मेरे दो चार केसेज के कटमोशन भी दिये हैं। इसके अन्दर मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि मुकदमों में मामले में किस तरह से जिला एस. पी. की तरफ से उसमें से कार्यवाही की गई है। उसमें उनकी शिकायतें हैं और मैं तो यह मानता हूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें हैं। वहां सीकर में एडीशनल एस. पी. आपने उनके एक रिश्तेदार को लगा रखा था, अब तो आपने उसको हटा दिया लेकिन उससे ही जांच नहीं करवायें। दो चार मुकदमों का मैंने दिया है। दो तीन केसों का मैंने इसमें हवाला दिया है। मेरे इन केसों के बारे में आप ध्यान देंगे कि 32/83 थाना पाटन का एक केस है, धारा 147, 452, 379 में मुलजिमानों की गिरफ्तारी हो गई। डीवाई. एस. पी. ने चालान का आदेश दे दिया, ए. पी. पी. की राय हो गई, उसके बाद एस. पी. महोदय ने उसमें एफ. आर. लगा दी। इन कारणों की आप डिटेल में जांच करवायें। अगर यह सही है, तो ठीक है, अगर इसमें किसी तरह की गलत कार्यवाही हुई है तो एक्शन लेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर रिपोर्ट कुनिन्दा लीलाराम फकीर है उसने इनके खिलाफ रिपोर्ट की, जसवन्त सिंह, मोहन सिंह, उघमसिंह, रामसिंह, पूरणसिंह। ये एक किसी देशी शराब के ठेकेदार के नौकर हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट दी। केस चालान के लिए तैयार हुआ तो एस. पी. महोदय ने उसमें मना करके उस केस की एफ. आर. देने के लिये लिख दिया। इसी तरीके से जिन देशी शराब के ठेकेदारों के खिलाफ 32/83 का केस था, इन्होंने 25/83 का केस कुछ लोगों के खिलाफ बनाया। उसमें उन लोगों का चालान कर दिया। इस तरह की स्थिति से थोड़ा आम लोगों के अन्दर सन्तोष नहीं होता। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस मामले में आप विशेष तौर से ध्यान देंगे और अन्त में मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में ला एण्ड आर्डर की स्थिति सही है और हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वह अच्छे ढंग से और उचित ढंग से काम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बातें नहीं माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल मोदी : नजरिया अलग-अलग है देखने का इसमें।

सभापति महोदय, मैं जिला प्रशासन के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहन लाल मोदी : एक दो मिनट में। हसनपुर मेरा एक विलेज है। उस विलेज के दो भाग कर रखे हैं। एक राजपुर पंचायत में है। एक ही गांव है, एक ही छोटा सा कस्बा है और उसको दो पंचायतों में बांट रखा है। इसलिए मैं निवेदन

(श्री मोहन लाल मोदी)

करना चाहूंगा कि इसकी तरफ पूरा ध्यान देकर और एक कस्बे के लोगों को एक ही पंचायत में रखें, यह मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंह, कुम्हेर।

श्री हरि सिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस सर्वमान्य सिद्धांत को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी उत्तरदायी सरकार का, किसी भी सजग सरकार का, किसी भी संवेदनशील सरकार का यह प्रथम दायित्व होता है कि वह अपने प्रदेश मे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ला एण्ड आर्डर भलीभांति मेंटेन करे और, श्रीमन्, मैं कोई बहस के लिए बहस नहीं करना चाहता, तर्क के लिए कोई तर्क नहीं देता, यह कोई दलील की बात नहीं, किसी भी प्रदेश में व्यवस्था सुरक्षा की अच्छी है या नहीं इसका जो स्पष्ट मापदण्ड होता है, इसका जो बेरोमीटर हुआ करता है वह यह होता है कि उस समय, जिस वर्ष का हम मूल्यांकन करने जा रहे हैं, का उत्पादन कैसा रहा, उस समय की बिजनेस एक्टीविटीज कैसी रहीं, उस समय के लोगों का जो कि उनका आम तौर से रहने-सहने का, कामकाज का है वह कैसा चला। यदि हम इस बेरोमीटर के हिसाब से देखते हैं तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि गत वर्ष के मुकाबले मे और पिछले वर्षों के मुकाबले में भी हमारे राजस्थान के अन्दर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक्टीविटीज बढ़ रही हैं, बिजनेस एक्टीविटिज बढ़ रही हैं, कामर्शियल एक्टीविटीज बढ़ रही हैं और प्रोडक्शन बढ़ रहा है और यह इस बात का स्पष्ट रूप से इंडीकेशन है कि हमारे यहां कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती, श्रीमन्, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी समाज, कोई भी जनता अपना कामकाज कर नहीं सकती और जब अपना कामकाज भली प्रकार कर नहीं सकती तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन गिरेगा। प्रोडक्शन भी गिरेगा, कार्मशियल एक्टीविटीज भी गिरेंगी और अगर यह एक्टीविटीज बढ़ रही है, श्रीमन्, तो यह बात का क्लियर कट इण्डीकेशन है कि उस जगह की, उस प्रदेश के अन्दर जो कानून और व्यवस्था, ला एण्ड आर्डर की स्थिति है वह अच्छी है।

अब मैं आपको इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे करके यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां कि इस समय की जो एक्टीविटीज हैं, हमारे यहां का जो प्रोडक्शन है, यह बात भी सही है कि जनरल बात आपके सामने आई कि राजस्थान अपने बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात तो प्लानिंग कमीशन ने कही है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि आज राजस्थान पूरे समूचे देश में प्रथम है उस कार्यक्रम के अन्दर कि जो कार्यक्रम आर्थिक स्थिति का, आर्थिक प्रगति का एक बैंक बोन है। उसमें जब राजस्थान सर्वश्रेष्ठ हैं तो राजस्थान की सुरक्षा की व्यवस्था, कानून व्यवस्था निश्चित रूप से अच्छी होनी चाहिए। आप राजस्थान के इतिहास को उठा कर देख लें कि जब कभी कानून-व्यवस्था, ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था

(श्री हरिसिंह)

खराब रही है तब हमारे यहां का प्रोडक्शन गिरा है, हमारे यहां की व्यवस्था खराब हुई है। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 78–79 और 79–80 के सालों में। उस समय, अभी मेरे मित्र आंकड़े बता रहे थे उन आंकड़ों से जाहिर हुआ इस बात के लिए कि निरन्तर अपराधों की संख्या बढ़ रही थी। उन्होंने सम्भवत: यह बात बताई कि एक वर्ष के अन्दर 1014 अपराध प्रति-माह बढ़े। कुल 32 महीनों के अन्दर वह बता रहे थे कि 32 या 34 हजार अपराधों की यह संख्या बढ़ गई। और जब यह संख्या बढ़ी तो उस समय का उत्पादन देखें, श्रीमन्, राजस्थान के उस समय के करेंट प्राइस के हिसाब से राजस्थान का उत्पादन 78–79 में 36 अरब, 32 करोड़, 88 लाख का था और 79–80 में यह उत्पादन राजस्थान का, श्रीमन् घट करके 33 अरब, 81 करोड, 62 लाख रह गया। 3 अरब का राजस्थान में उत्पादन, श्रीमन्, गिरा। यह इस बात का द्योतक है, श्रीमन्, कि उस समय की ला एण्ड आर्डर की जो कण्डीशन थी वह राजस्थान में खराब थी और यह इस बात का प्रमाण आपको मिलता है 78–79 के अन्दर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इन्कम, श्रीमन्, 1139 रुपये थी वह 79–80 में घट करके 1030 रह गई। राजस्थान के इतिहास में, श्रीमन्, आपको मिलेगा नहीं एक उदाहरण कि एक वर्ष के अन्दर 109 रु. प्रति व्यक्ति आय गिरे। आज हम देखते हैं, राजस्थान की आज जो स्थिति है, 81–82 में जो हमारा सकल उत्पादन 50 अरब का था, श्रीमन्, वह 82–83 में बढ़ करके 56 अरब 23 करोड़, 50 लाख रुपयों का हो गया। ये जो आंकड़े हैं आपके सामने, हमारे राजस्थान की बिजनेस एक्टीविटीज के, हमारे राजस्थान के औद्योगिक उत्पादन के, वह आपको स्पष्टतया इस बात को प्रमाणित करते है कि हमारी कानून-व्यवस्था अच्छी है। यह अगर व्यवस्था अच्छी नहीं होती तो इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, श्रीमन्, बढ़ नहीं सकता।

हो सकता है कि दूसरे पक्ष के लोग यह दलील दें कि 78–79 के अन्दर अकाल का वर्ष था इसलिए उत्पादन गिरा लेकिन अकाल के अन्दर उत्पादन, श्रीमन्, गिर सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। और प्रोडक्शन हैं, आपके इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन है वह क्यों गिरा? उसकी ओर मैं आपको, श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि 78 के अन्दर राजस्थान के अन्दर पैदा करते थे सीमेंट 20 लाख 59 हजार मैट्रिक टन। 79 के अन्दर, श्रीमन्, वह घट कर रह गया 19 लाख 24 हजार मैट्रिक टन। सीमेंट के अलावा और जो आपके केमिकल्स के प्रोडक्शन हैं, सुपर फास्फेट को आप देखें जो कि राजस्थान में 78 में 43 हजार मैट्रिक टन था, 79 के अन्दर 24 हजार मैट्रिक टन रह गया। मैं यहां कोई प्रोडक्शन के मामले में बहस नहीं कर रहा, मैं तो इन आंकड़ों के माध्यम से यह साबित करना चाहता हूं, श्रीमन्, कि जो मैंने प्रथम आपके सामने बात रखी कि जब किसी भी देश के अन्दर, किसी भी प्रदेश के अन्दर अर्थ व्यवस्था अच्छी होती है तो वह इस बात की द्योतक होती है कि कानून-व्यवस्था भी ठीक है। अन्यथा कानून व्यवस्था खराब होते हुए

(श्री हरिसिंह)

किसी देश की अर्थ व्यवस्था सुधरे, प्रोडक्शन बढ़े, लोगों की खुशहाली बढ़े, यह बात नामुमकिन है। श्रीमन्, आप देखें कि पर-कैपिटा-इन्कम आज के हिसाब से 83-84 में बढ़ करके 1574 हुई जो कि 70-71 में 240 थी। जब कि 81-82 में 1441 थी। एक वर्ष में 133 रुपये प्रति व्यक्ति आय मे बढ़ोतरी हुई तो न केवल यह राजस्थान की प्रगति का सूचक है बल्कि इस बात का भी सूचक है कि हमारे यहां की कानून और व्यवस्था सुन्दर है।

मैं इन बातों की ओर अभी नहीं ले जाना चाहता जिनकी ओर आज हमारा पूरा सदन चिन्तित है। आज जो राजस्थान में उग्रवादी, आतंकवादी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं वह निश्चित रूप से चिन्ताजनक हैं लेकिन उससे पूरे राजस्थान के जनरल ला एण्ड आर्डर को रिजेक्ट कर दें, हमारी पुलिस, जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मूल्यांकन हमें बहुत ही संतुलनात्मक ढंग से करना चाहिये उसको हम रिजेक्ट कर दें, उसको ऐसा मान लें कि निष्क्रय हो गई है, ऐसी बात हो नहीं सकती। जहां तक उग्रवादियों की कार्यवाही का सवाल है, वह राष्ट्रीय समस्या की बात है। आज उसके पीछे जो शक्तियां हैं, श्रीमन्, उनको नकारा नहीं जा सकता कि यह जो उग्रवादी और आतंकवादी शक्तियां बढ़ी हैं इनके पीछे उन विदेशी शक्तियों का हाथ है जो भारतवर्ष की प्रगति को बढ़ने देना नहीं चाहतीं। वह शक्तियां कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि भारतवर्ष को प्रधानमंत्री, उस भूखे और नंगे देश की प्रधान मंत्री, जो बाहर से अनाज मंगाता था उस देश प्रधान मंत्री आज विश्व के दो तिहाई मुल्कों, 101 से अधिक मुल्कों की चेयरमैन बने। आज वह शक्तियां कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि भारतवर्ष का एक सपूत नभमण्डल के अन्दर वैज्ञानिक परीक्षण करे। वह शक्तियां कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि आज भारतवर्ष पूरे विश्व में 7 वें नम्बर पर उद्योग में आ जाय। वह शतियां कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं कि भारतवर्ष के सामने दो लाख पाकिस्तान की फोजो ने हथियार डाले। वह शक्तियां इसके पीछे है कि भारतवर्ष को कमजोर करें। भारतवर्ष के टुकड़े हों, श्रीमन्, और वही शक्तियां उग्रवादियों को प्रेरित कर रही हैं इस बात के लिये कि जगह जगह जाकर अर्थ व्यवस्था को, कानून और व्यवस्था को झकझोर दें। और उसी का यह हिस्सा है कि राजस्थान में ये ताकतें काम कर रही हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार को सजग होना पड़ेगा, हमारी पुलिस को सतंक होना पड़ेगा और उसमें मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारी पुलिस जगेगी, सतर्क होगी और मुख्य मंत्रीजी के सफल नेतृत्व में वे शक्तियां जो राजस्थान की पवित्र भूमि को कलंकित करना चाहती हैं, उनका यहां पर कब्रिस्तान बनेगा, श्मशान बनेगा और वे शतियां सदा के लिये यहां पर दफना दी जायेंगी।

श्रीमन्, मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रारंभ में ही निवेदन कर चुका हूं कि यह सही होते हुए भी कि आपकी पुलिस पूरी सतर्क है, यह सही होते हुए भी कि वह काम करना चाहती है, आपके पास जो ताकत है, जो स्ट्रेन्थ है, क्या वह पर्याप्त है इस काम के

(श्री हरिसिंह)

लिये, क्या निभा सकेंगे ? आज पूरी जनसंख्या को देखें। जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों के कामकाज के तरीके बढ़ते जा रहें हैं, पुलिस पर जिम्मेदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले जमाने में जिम्मेदारी इतनी नहीं थी। आज दिन-प्रतिदिन जुलूस निकलते हैं उन्हें अटेण्ड करना पड़ता हैं। आज औद्योगिक विवाद पैदा होते हैं उनको पुलिस को देखना पड़ता है, पुलिस को मेले–ठेले में जाना पड़ता है। वी.आई.पीज. की ड्यूटी पुलिस को अटैण्ड करनी पड़ती है। इन सब डाइवर्सिफिकेशन आफ जोब के होते हुए भी क्या आपके पास पुलिस की ताकत है, जो स्ट्रेन्थ है वह पर्याप्त है या नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पुलिस की जो ताकत है श्रीमन्, कुल पुलिस की स्ट्रेन्थ है वह 46050 है, उसमें से 35331 सिपाही, 5736 एच. सी. और 2023 एस. आई, और करीब 1400 स्थान रिक्त हैं। तो हम देखें कि एक आदमी को कितनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। श्रीमन्, राजस्थान की आबादी जो 3.43 करोड़ है उसके हिसाब से एक कांस्टेबल को राजस्थान में एक हजार व्यक्तियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। एक हजार व्यक्तियों की एक पुलिस के सिपाही को व्यवस्था करनी पड़ती है जब कि एक हजार भेड़ों को एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह हांक कर नहीं ले जा सकता। लेकिन आज आप देखेंगे कि एक एस. आई. 16240 व्यतियों के अपराधों पर नियंत्रण करता है। इसी प्रकार आपके पास जो फोर्स है यह आपके सीमित साधनों के कारण आप बढ़ा नहीं सकें यह दूसरी बात है लेकिन हम इस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकते कि आपके पास पुलिस कि स्ट्रेन्थ निश्चित रूप से कम है। और उसमें भी, श्रीमन्, आपके पास जो स्ट्राइकिंग फोर्स है, जो रीजनल, जो राजस्थान आर्मी फोर्स है वह तो आपके पास बहुत ही कम है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर डकैतियों का प्रकोप होता है। महीने में एक या दो डकेती तो पड़ ही जाती हैं और मैं इससे भी इन्कार नहीं करता कि ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई होगी कि घटना हुई हो तो उसी रात को पुलिस का थानेदार नहीं पहुंचा हो, एस. पी. नहीं पहुंचा हो और कम से कम 50 प्रतिशत घटना पर तो डी. आई. जी. स्वयं पहुंचे हैं डकेती की, लेकिन उसको रोक नहीं सके.। इसका कारण यह है कि आपके पास जो स्ट्राइकिंग फोर्स है, जो आर. ए. सी. है वह बहुत कम कम है। आज आर. ए. सी. की टोटल स्ट्रेन्थ कोई पांच हजार के करीब है। आठ बटालियन आपने खड़ी की जिनमें से दो बटालियन तो इण्डियन रिजर्व के नाम से राजस्थान से सदैव बाहर रहती हैं। फिर आपके पास कुल 6 बटालियन रह जाती हैं जिनमें से दो कम्पनी जब कभी केन्द्र सरकार को जरूरत पड़ती है, कभी आसाम, कभी कहीं बुला लेते हैं। तो आपके पास में 3/4 स्ट्रेन्थ आर. ए. सी. की जो रह जाती है, बहुत सी स्ट्रेन्थ बाहर रहती है। तो आपके पास जितनी भी आर. ए. सी. रह जाती है वह आपके पास स्ट्राइकिंग फोर्स है जो उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, डेकोइट्स को फेस कर सकती है। उस ताकत का जब तक सफल रूप से उपयोग नहीं तो तब तक इन्हें फेस करने में अड़चन आयेगी,

(श्री हरिसिंह कुम्हेर)

दिक्कत आयेगी । तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि येन-केन-प्रकारेण इस ताकत को, स्ट्रेन्थ को बढ़ावें । वैसे मुझे कहने में संकोच नहीं, मैंने बजट को देखा है उसमें आपने इस साल प्रयास किये हैं । पुलिस को माडर्नाइज करने के लिये, आधुनिकीकरण के लिये पैसा इसमें काफी दिया है । पिछले वर्ष के मुकाबले में इसका मूल्यांकन करें तो आप ने इस बात का प्रयास किया है कि पुलिस को जितने आधुनिक तरीकों से सुसज्जित कर सकें उतना ही अच्छा है । आपने राजस्थान पुलिस अकादमी के आधुनिकीकरण के लिये जो गत वर्ष में 3,12 लाख खर्चा किया, इस वर्ष आपने इस प्रावधान को बढ़ा कर पांच-लाख किया है । आपने आपराधिक शाखा के आधुनिकीकरण जिस पर गत वर्ष में 4.21 लाख का खर्चा किया, इसका प्रावधान बढ़ा कर 6.11 लाख किया है । विधि-विज्ञान शाला के आधुनिकीकरण में वर्ष 83-84 में 10.53 लाख खर्चा किया था उसको बढ़ा कर 12.30 लाख किया है और सामान्य पुलिस और वितन्तु आधुनिकीकरण के लिये गत वर्ष जो 45 लाख खर्चा किया था उस पर इस वर्ष 1 करोड़ खर्चा कर रहे हैं । यह तो सही है कि आधुनिकीकरण में, माडर्नाइजेशन में आप अपना बजट बढ़ा रहे हैं लेकिन यह आधुनिकीकरण जब तक अपर्याप्त रहेगा जब तक कि हमारी स्ट्राइकिंग फोर्स बढ़ेगी नहीं ।

मैं यहां एक बात और निवेदन कर दूं कि पुलिस के कल्याण में हमें कभी कोताही नहीं करनी चाहिये । यह ऐसे कर्मचारी हैं जो रात दिन ड्यूटी पर रहते हैं । इनकी आवासीय व्यवस्था में या इनके सामान्य कल्याण कोष के लिये प्रावधान करते हैं बजट में बहुत ही ऐसा लोभ होगा, कच्चा लोभ जिसे कहेंगे वह होगा । मैं इसके बजट के आंकड़े देख रहा था, इसमें मैंने देखा कि इस वर्ष इस पर कमी हुई है । कहीं पर तो इन्हीं दो हैड्स में कमी हुई है । आवासीय व्यवस्था पर 83-84 में आपने 58.9 लाख का खर्चा किया और 84-85 में इसका प्रावधान किया है 40 लाख का । 18 लाख की इसमें कमी नजर आई और, श्रीमन्, एक और पुलिस सहायतार्थ या अनुदान वर्ष 83-84 में 5 लाख हुआ जो 84-85 में बजट के खण्ड 2 के हैड जिला पुलिस के सामान्य पुलिस में, 8वें स्थान पर प्रोविजन है, 83-84 में 5 लाख और 84-85 में 19 हजार । तो मैं मुख्य मंत्रीजी से इस बात का निवेदन करूंगा कि यह क्यों है, कैसे है, कोई प्रिंटिंग एरर है या रह गया है, इस वर्ष भी उतने ही पैसे का प्रावधान करें, जितना इसमें था । अब, श्रीमन्, हम कुछ नजर डालें, पुलिस की जो गतिविधियां इस वर्ष में रही हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के ऊपर, जहां तक एक-दो चीजों का सवाल है, हम आज डिस्कस करते हैं किस जगह पर कहां पर कैसे एक्सीडेन्ट हुआ, कैसे हुआ, एक एक केस को, एक एक इन्डिविजुअल को सदन में हमने एग्जामिन किया है । लेकिन जो ओवर आल पिक्चर रही है उसको आप देखें, उस पर आज हम नजर डालें तो आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो स्थिति है वह सन्तोषजनक कही जा सकती है इस वर्ष में । श्रीमन्, जहां 1982 में 73610 अपराध कुल पंजीकृत हुए थे वह इन्डेक्स गिरा है और 1983 में, श्रीमन्, वह घट कर 71367 अपराध का आ गया है । मतलब यह हुआ कि 3.5 पर्सेन्ट इन्डेक्स अपराधों का इस वर्ष में गिरा है ।

(श्री हरिसिंह)

इसको हम पापुलेशन के आधार पर देखें, जहां एक लाख पर गत वर्ष में हमारा इन्डेक्स था 215.8 अपराधों का वह इस वर्ष में घट कर के 209.2 रह गया है। तो पापुलेशन के हिसाब से हम देखें तो अपराधों में घटोतरी हुई है। अगर इनकी संख्या को देखें तब भी अपराध घटते जा रहे हैं। पुलिस कुछ अपराधों को चैक कर सकती है और कुछ अपराधों को चैक होने के बाद में उसका इन्वेस्टीगेशन करके जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिला सकती है। सभी अपराधों को पुलिस चैक नहीं कर सकती है। किसी गांव में दो पार्टियों में झगड़ा होता है तो उसको पुलिस नहीं रोक सकती है। क्योंकि जो उसका मूवमेन्ट है दो पार्टियों में झगड़ा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, फौजदारी हो जाती है, पुलिस इसमें पहले क्या कर सकती है सिवाय इसके कि पुलिस उसका बाद में, सही इन्वेस्टीगेशन कर के उनका चालान करे। इस नजर से हम देखें, श्रीमन्, कितने केसेज का इन्वेस्टीगेशन करके, कितने मुल्जिमों को, कितने दोषियों को अदालत के सामने पहुंचाया है ताकि निर्दोष के साथ न्याय हो सके और दोषी को दण्ड मिल सके। इस दृष्टि से देखें तो इसमें इस वर्ष 71367 कुल अपराध हुए और जैसा मैंने निवेदन किया था, इसमें से 77.93 केसेज में, मतलब 40788 केसेज का, श्रीमन्, चालान हो गया और 15615 मामले झूठे पाये गये। इस स्थिति को आप देखें कि पुलिस जो कर सकती है, अपराध होने के पश्चात् उसमें पुलिस ने वहां कार्यवाही करने का प्रयास किया है। इसमें, श्रीमन्, उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जिन्हें हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, जो दबे हुए तबके हैं, जिनकी रक्षा करने का, प्रोटेक्ट करने का मुख्य उद्देश्य होता है, उनके प्रति भी हमारा विभाग सन्तोषप्रद ढंग से सजग रहा है। यह मैं नहीं कहना चाहता हूं, यह आपके आंकड़े कहते हैं जिसको आपने हम को दिया है। श्रीमन्, इसको आप देखें, गत वर्ष में, इस वर्ष से सम्बन्धित 353 गंभीर अपराध पंजीकृत हुए थे, वह संख्या गिरी है। यह घट कर के 100 रह गयी है। इनको आप देखें 1982 में हत्या के मामले 35 पंजीकृत हुए थे वहां 1983 में 9 हत्या के मामले पंजीकृत हुए हैं। बलात्कार के 75 मामले पंजीकृत हुए थे इन वर्गों के और उसमें 19 रह गये हैं। गंभीर चोटों के 114 मामले पंजीकृत हुए थे जो घट कर 53 रह गये हैं। यानि वन थर्ड कमी इन मामलों में हुई है। जितने अपराध हुए, श्रीमन् उनमें से शत प्रतिशत मामलों के अन्दर अदालत में चालान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर रहा था कि इस वर्ग के प्रोटेक्शन के लिये हमारे विभाग ने सजगता से काम लिया है और यही नहीं, श्रीमन्, हर डिविजन स्तर पर उनको टाइम पर प्रोटेक्शन देने के लिये आपने विशेष सैल स्थापित कर रखे हैं।

मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक चोरियों का सवाल है श्रीमन्, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सदन के सामने इस बात को रखा है कि किस प्रकार से 32 महीनों के दौरान, गत वर्ष में और इस वर्ष में इनमें कैसे कैसे कमी आई। लेकिन जहां कमी हुई है उसके साथ साथ यह भी देखने की

(श्री हरिसिंह)

बात होती है कि इन चोरियों को कितनी बरामदगियां हुई हैं। बरामदी के सिलसिले में देखने की बात यह होती है-सभी चोरियों को रोका नहीं जा सकता है। यह किसी युग में नहीं हुआ है कि अपराध नहीं हुए हों। हर युग में अपराधी होते हैं चाहे कितना ही अच्छा प्रशासन हो। कम्पलीट चैक अपराधों पर होना नामुमकिन है। लेकिन अपराध होने के बाद में पुलिस का काम होता है, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, चालान करे, बरामदगी करे। यह भी देखने की बात है, तो इस बात को हम देखें, जहां इस वर्ष में जितनी भी चोरियां हुई हैं उसमें से 60.98 प्रतिशत बरामदगियां पुलिस के रिकार्ड में हैं।

अब मैं, श्रीमन्, आपको निवेदन करना चाह रहा था, हमारी पुलिस के जो थाने हैं उनमें हमें क्या इम्प्रूवमेन्ट की जरूरत है। यह तो सही है कि गत वर्ष हमारी सरकार ने हर थाने को वायरलेस सैट से सुसज्जित किया है और जैसा मुझे देखने को मिला है आपने 1983-84 में 10 लाख रुपये नये वायरलेस सैट पर खर्च किये हैं और सभी थानों पर वायरलैस लग गये हैं और जो इम्पाटेन्ट चौकी हैं वहां पर भी लगाये हैं और राजमार्गों पर 22 थानों पर भी आपने वायरलैस सेट लगा दिये हैं। लेकिन इसके बाद भी जो मोबिलिटी थानों की है, वहां की पुलिस की मोबिलिटी का प्रश्न है, वह अभी भी सन्तोषप्रद नहीं है। राजस्थान में जहां आपके 552 के करीब थाने हैं उनमें से केवल 161 थानों को आपने जीप प्रोवाइड कर रखी है और 361 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी जीप नहीं है। इस वर्ष का बजट देखने पर, इस वर्ष में जो आपने प्लान कर रखा है उसमें लगभग 30/35 थानों पर और जीप आप प्रोवाइड कर देंगे। मतलब यह हुआ कि 30/35/40 थानों को आप एक वर्ष में जीप प्रोवाइड कर देंगे, इस प्रकार तो आपको 9/10 साल लग जायेंगे। आज की परिस्थितियों में, जैसा कि आप देखते हैं, जैसा कि वातावरण बन रहा है उसमें इतने समय तक इन्तजार करना कानून और व्यवस्था के लिये, श्रीमन्, अहितकार होगा। इसलिये मैं सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार मोबीलाइज करें कि हर थानों पर एक जीप प्रोवाइड कर सकें।

दूसरा, श्रीमन्, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ अपने यहां पर यह देखें कि आपका फोर्स, कहीं आपका पैसा सही उपयोग में नहीं आ रहा है? जैसा मैं आपको निवेदन करूं, पहले ए.पी.पी. का आफिस होता था और वह पुलिस का होता था। उसमें पुलिस का स्टाफ होता था। चार-पांच आदमी, एक हैड कान्स्टेबल, चार सिपाही लगे हुए होते थे। आज भी ये ही प्रोसीक्यूटिंग स्टाफ लगा हुआ है लेकिन असिस्टेन्ट प्रोसीक्यूटर अलग है और उनको अलग से एल. डी. सी. प्रोवाइड कर दिये गये हैं। तो इस स्टाफ को आप विथड्रा कर सकते हैं और दूसरी जगह, जहां पर आवश्यकता है वहां लगा सकते हैं। यह मैं आप से निवेदन करना चाहता था।

दूसरा जो पुलिस एक्ट है उसमें तरमीम करनी पड़ेगी। यह पुलिस एक्ट 50 वर्ष पहले का है। उसमें आप तरमीम नहीं लावेंगे तो कैसे काम चल सकेगा। श्रीमन्,

(श्री हरिसिंह)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पर्टीकूलर थानों पर आपका बजट होता है इसमें भी आपको थाने की गरिमा को देखते हुए, कामकाज को देखते हुए, जिम्मेदारी को देखते हुए पैसा अधिक लगाना पड़ेगा। हमारा एक सब इन्सपेक्टर पुलिस थाने में कागज व स्टेशनरी भी नहीं खरीद सकता या कोई उम्मीद करता है जैसा लिखा रहता है कि हमारे योग्य कोई सेवा, हमारे लिए कोई काम, वहां कोई आदमी जाये तो उसको बैठने के लिए स्थान भी नहीं मिल सकता। कुर्सी, टेबल या बेन्च भी नहीं होगी। यह भी आपको इसमें प्रावधान करना पड़ेगा। बिल्डिग भी कैसी है यह भी करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं एक चौकी है, वह धर्मशाला में है और धर्मशाला में टीन लगे हुए हैं और टीन में कोई कमरा नहीं है, उसी में सिपाही सोता है, बैठता है, सब काम करता है। अगर कोई ऐसा मौका आ जाय, बाहर चले गये सिपाही तो वह चौकी खुली पड़ी रहेगी। उसमें किवाड़ और ताले भी नहीं हैं। तो ऐसी जगह जहां बिल्डिग की आवश्यकता है हमारे कुम्हेर थाने में बिल्डिग की बड़ी खराब हालत है, तो जहां ऐसी आवश्यकता है उसके लिए बजट प्रोविजन इस हिसाब से करें कि काम अपने ढंग से, अपने हिसाब से ठीक कर सकें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितने भी राजमार्ग हैं, जितने भी राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाई-वे हैं, इन पर और अधिक सतर्कता बरतनी होगी। अखबारों में मैंने पढ़ा है कि आपके बोर्डर है, आपने अधिक आदमी लगा दिये है, उनको चैक भी करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि किसी भी क्रिमनल को इन्टर करने के लिए यह कोई जरूरी थोड़े ही है कि वह नेशनल हाई-वे पर ही चाले और आगे बाद में उसी पर चलता जाय। लेकिन फिर भी कोई आदमी जाता है और तेजी के साथ में, गश्त के साथ जाना पड़ता है तो उसको कोई न कोई व्हीकल यूज करना पड़ेगा और व्हीकल यूज करने के लिए सड़क पर होकर जाना जरूरी होगा। जितने भी आपके ऐसे नेशनल हाई-वे पर पाइन्ट हैं, उन सब पर आप अधिक फोर्स लगायें, अधिक प्रोविजन करें, जो मोबाइल फोर्स है उसकी गश्त ज्यादा बढ़ायें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने निवेदन किया सिवाय इस बात के आंतकवादी शक्तियां, उग्रवादी शक्तियां राजस्थान की व्यवस्था को, शान्ति व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती हैं इसके अतिरिक्त यदि प्रदेश में इसका मूल्यांकन करें तो यह कहा जा सकता है कि हमारे गत वर्ष में शान्ति व्यवस्था अच्छी रही है, पुलिस का कामकाज अच्छा रहा है। इसके लिए सराहना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, मैं निःसंकोच यह कहने का साहस कर रही हूं कि इस राज्य के मुख्य मंत्री जो घर और घर से बाहर नारी ही की पूजा करते हैं, उस मुख्य मंत्री के राज में अगर सबसे ज्यादा तोहीन होती है तो वह नारियों की होती है। सभापति महोदय,

(156)

(सुश्री पुष्पा जैन)

यू.पी. और बिहार के बारे में हमने सुना था कि वहां महिलाओं पर घिनौने अत्याचार होते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री के राज में पहली बार यह अहसास हुआ कि राजस्थान में महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय होता है शायद ही हिन्दुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। वैसे मैंने आम तौर से देखा है कि जब भी सदन में विरोधी दल ने घटनाओं का उजागर किया है तो महज यह कह कर कि जनता शासन के राज में ऐसा हुआ था इसलिए आज भी हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आज मैं जो कुछ भी बोल रही हूं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जनता राज से उसकी तुलना न करें। आंकड़े घटायें या बढ़ाये जा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि आप आम जनता में चल जाये, आम जनता में आज इस सरकार की छवि क्या है? निश्चित रूप से मैं कह सकती हूं कि आज राजस्थान में कहीं भी आम जनता में अगर खड़े हो जायें, जिस तरह की घटनाएं, अत्याचार, जिस तरह कानून की अवहेलना माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री शिवचरणजी माथुर के राज में हुई है इससे पहले कभी भी नहीं हुई।

सभापति महोदय, दहेज के संबंध में मैं कुछ नामों से बताना चाहूंगी। दहेज के संबंध में राज. में कई हत्याएं हुई। माननीय मुख्य मंत्री, जी आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इन हत्याओं के बाद कितने केसेज में चालान पेश हुए? चालान पेश नहीं हुए और हत्यारों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हत्यारों का दुस्साहस हो गया और आज राजस्थान में दहेज के मामले में हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। मैं कुछ घटनाओं के बारे में इंगित करूंगी। माननीय सभापति महोदय, लालसोट में कस्तूरी की हत्या हुई 3-4-84 को, अजमेर में शान्ती की हत्या हुई, शान्ताबाग जैतारण में 26-3-83 को हत्या हुई, सादड़ी में वर्षा की 16-2-82 को हत्या हुई, बगड़ में मीना की 2.8.83 को हत्या हुई, राजीव में शकुन्तला की 2.8.83 को हत्या हुई, जैतारण में 16.7.83 को हुई, खैरथल में आशा की 2.8.83 को हत्या हुई, अजमेर में मधुबाला की 10.2.83 को हत्या हुई, बसन्ती की 6.6.83 को हत्या हुई, जोधपुर में हंसारानी जो बहुत चर्चित काण्ड रहा है, की हत्या हुई, फलौदी में सुवाबाई की हत्या हुई, सोजत में महर्षि श्री मनोहर लाल माथुर की लड़की हत्या और इसके अलावा कई हत्याएं हुई। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहती हूं कि आपने कितने केसेज के चालान पेश किये, कितनों के बारे में तफ्तीश करायी। जहां तक मेरी जानकारी है इनमें से आपके जो तफ्तीश के केसेज हैं, वे नगण्य हैं।

(2.44 म. प)

(श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सभापति, पीठासीन)

इसके अलावा राजस्थान में बलात्कार के केसेज बहुत बढ़ गये हैं। मैं कुछ केसेज के नाम बताऊंगी—करूणा चतुर्वेदी 26 जून, चार अभियुक्त थे जिस पर कार्यवाही नहीं हुई। लाली उर्फ बेला सिचाई विभाग के कर्मचारियों द्वारा बलात्कार किया गया, अध्यापिका के साथ भीलवाड़ा में सुबह साढ़े

(सुश्री पुष्पा जैन)

पांच बजे 18 जुलाई, 1983 को, मुरलीधर त्रिपाठी द्वारा 22 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार किया गया भीलवाड़ा में, जो, मुख्य मन्त्री, आपका होम टाउन है। बारह वर्षीय बिमला का अपहरण, जयपुर में तीन युवकों द्वारा बलात्कार हुआ 25 अगस्त को। 15 वर्षीय ऊषादेवी इकबाल द्वारा बलात्कार पाली में, धौलपुर में दो औरतों की बिक्री। सभापति महोदय, ये बहुत केसेज हैं जिन्हें गिनाकर मैं समय खराब नहीं करूंगी। अभी हाल ही में कोटपूतली में बलात्कार हुआ। मैं पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में इस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार, अस्पताल में जायें तो उनके साथ बलात्कार हो जाये, जोधपुर अस्पताल में इसका एक सबूत है। थाने में जाये तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाये, अगर रास्ते में चले तो महिलाओं को पकड़ कर पुलिस कर्मचारी ले जायें, बलात्कार करलें। ऐसे माहौल में अगर जनता थानों पर प्रदर्शन करें तो मैं समझती हूं कि इसे कोई अपराध नहीं, कहते। मुख्य मन्त्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार के कितने केसेज में आपने कार्यवाही की? तो निश्चित रूप से आपके ऐसे केसेज नगण्य के बराबर हुए हैं। यही कारण था कि कोटपूतली में जनता के द्वारा थाने पर प्रदर्शन किया गया। अगर जनता इन केसेज के खिलाफ प्रदर्शन करें तो आप गोली चला दें, यानी राजस्थान की जनता न न्याय प्राप्त कर सकती है और न न्याय के लिए खुद कदम उठा सकती है। सभापति महोदय, माननीय राज्य मन्त्रीजी यहां मौजूद है, महिलाओं का व्यापार अगर राजस्थान में कहीं होता है तो वह धौलपुर में होता है। मैं एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगी जिसमें इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है राज्य सरकार ने कि धौलपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह): आधा प्रश्न मत पढ़िये, पूरा ही पढ़ दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : पूरा ही पढ़ रही हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूरी जानकारी तो आपको है ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जो उत्तर दिया था उसमें जिन जिलों में राजस्थान में केसेज हुए थे उनके बारे एक्चुअल पोजीशन मैंने यहां पर एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी थी, मुझे पूरा ध्यान है। कृपया पूरा पढ़ दीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, "क्या यह सही है कि राजस्थान में धौलपुर जिले में लड़कियों का व्यापार होता है, जिसकी सर्वत्र चर्चा है? यदि हां तो किस स्थान पर?"

"प्रकाश में आने के बाद आज तक कितनी ऐसी महिला या लड़कियों को वहां से पकड़ा गया और पुलिस हिरासत में लिया गया?" आपने उत्तर दिया है, "विभिन्न समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में समाचार छपा है। समाचार पत्रों में सर्वप्रथम अप्रेल, 81 में दैनिक इण्डियन एक्सप्रेस ने प्रकाश डाला था उसके बाद रिपोर्टों के आधार पर इसमें लिप्त 28 महिलाओं को पुलिस ने

(सुश्री पुष्पा जैन)

बरामद किया।" सभापति महोदय, मैं स्वयं धौलपुर गयी, मैंने स्वयं भी बस्ती देखी जहां महिलाओं का व्यापार होता है। हजारों महिलाओं को इधर-उधर से लाया जाता है, सजाकर उनको बेचा जाता है। राज्य मंत्री जी, आप धौलपुर से बिलोंग करते हैं और आप कहते हैं कि पत्र के आधार पर आपने बरामद की थी। बड़े शर्म की बात है। दूसरा प्रश्न है, "क्या धौलपुर में यह व्यापार लम्बे समय से चल रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसे बन्द करने की क्या व्यवस्था की?" उत्तर है, "समस्याग्रस्त बस्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं।" यह सरकार बोल रही है मैं नहीं बोल रही हूं, "राज्य सरकार द्वारा इस पर रोक लगाने हेतु पुलिस द्वारा प्रभावी क्षेत्रों की समय-समय पर विशेष चौकिंग के अतिरिक्त सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।"

यह कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैंने तो आपको उत्तर पढ़ दिया, मैंने पूरा उत्तर पढ़ दिया। सभापति महोदय, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जनसत्ता 6-4-84 के समाचार का वह भाग पढ़ना चाहती हूं जिसमें गुण्डों और पुलिस द्वारा जुल्म किया गया। सभापति महोदय, हरियाणा के ट्रक ड्राइवर ने खैरबाड़ा इलाके के आदिवासी की झोंपड़ियों पर हमला कर लूट पाट की और मारपीट की। हमला उनकी महिलाओं की इज्जत लटने के लिए किया गया था। वारदात 21 मार्च की रात की है। "खैरवाड़ा के पास तंजारिया गांव के लोगों का कहना है कि आये दिन ट्रक के ड्राइवर उनकी बहू-बेटियों की इज्जत लूटने के लिए शराब के नशे में होकर हमला बोलते रहते हैं। दो वर्ष पहले भी वहां के लाडली ओवरी गांव में हमलावरों ने आदिवासियों का घर लूटा और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। लेकिन आज तक एक भी अपराधी को सजा नहीं मिली। आदिवासी कहते हैं कि रुपये की चमक के सामने गरीबों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। डरे हुए ग्रामीणों ने बताया कि हरियाणा, पंजाब और सवाई-माधोपुर के ट्रक ड्राइवरों ने राष्ट्रीय राज-मार्ग के पास गांव में आतंक, गुण्डागर्दी मचा रखी है। शाम को काम करके घरों को लौटती लड़कियों को अंधेरे में ट्रक में डाल-कर पंजाब, हरियाणा और सवाईमाधोपुर के दूर क्षेत्रों में ले जाकर बेच रहे हैं। आदि-वासी अपनी गरीबी के कारण रोकर बैठ जाते हैं। खैरवाड़ा का अंग, तंजारिया गांव में हुई घटना की रिपोर्ट थावड़चन्द जब पुलिस थाने में लिखवाने गया तो उसे नंगा कर भगा दिया गया। थावड़चन्द का भाई बदरी जिसे ड्राइवरों ने बुरी तरह से पीटा था, उल्टे उसे ही गिरफ्तार कर थाने में बन्द करवा दिया। सेना में भर्ती बदरी के भाई लछमी ने बताया की हम देश की सुरक्षा के लिए जान हथेली पर लेकर सीमा पर तैनात रहते हैं लेकिन हमारी बहन-बेटियां और औरतों की सुरक्षा की किसी को चिन्ता नहीं।" सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगी, आखिर महिलाओं पर इतना अत्याचार है तो वे महिलाएं किस से उम्मीद करती हैं। आप राजस्थान के हैड हैं, राज-स्थान के मुख्य मंत्री हैं, क्या आप कोई ऐसा तरीका इजाद नहीं कर सकते, क्या पुलिस को सतर्क नहीं कर सकते। सतर्क करना तो

(सुश्री पुष्पा जैन)

दूर रहा, सभापति महोदय, मैं आप पर चार्ज लगाना चाहती हूं कि आपने पुलिस को इतने अधिकार, इतनी छूट दे दी, इतनी लापरवाही बरतने का अधिकार दे दिया कि आज पुलिस द्वारा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जब पुलिस ही अत्याचार करेगी, महिलाओं के साथ बलात्कार करेगी, उनका अपमान करेगी तो आम जनता का सलूक महिलाओं के साथ किस तरह का होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय, आज इस राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। समाज का वह अंग जो सबसे ज्यादा उपयोगी है, जो एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, पत्रकार, सभापति महोदय, आज वह भी सुरक्षित नहीं। मुख्य मंत्रीजी कम से कम एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। मैं समझती हूं कि अगर वह हो सकते थे तो पत्रकार ही हो सकते थे, आपने वह घर भी नहीं छोड़ा। सभापति महोदय, पत्रकारों की आज जगह जगह पिटाई हो रही हैं। पत्रकार आन्दोलन कर रहे हैं। आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं। चूरू जिला पत्रकार संघ का एक ज्ञापन आया, मुख्य मंत्रीजी, आपके पास जिसकी कापी मेरे पास है, "15-3-84 को स्टेशन क्षेत्र में पुलिस चौकी के पास 6 बजे चूरू जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एवं दैनिक राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि श्री बनवारी लाल दीक्षित पर एक अपराधकर्मी अरूण कुमार गोहरिया ने कातिलाना हमला कर दिया और वह अपराधकर्मी जा छिपा। पाली समाचार के सम्पादक एवं श्री रामनारायण लिम्बा के साथ 27 फरवरी को पुलिस थाना में कर्मचारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार की निन्दा की गयी। खैरपुर पुलिस द्वारा एक पत्रकार के साथ की गयी ज्यादती के सम्बन्ध में अलवर जिला पत्रकार संघ की जांच रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है, साथ ही इस सम्बन्ध में पत्रकार संघ की ओर से पारित प्रस्ताव की एक प्रति भी संलग्न की जारही है।" यह निन्दा प्रस्ताव है, सभापति महोदय, जिसमें "अलवर जिला पत्रकार संघ की आपात बैठक में खैरथल के प्रमुख पत्रकार श्री प्रहलाद मंगलानी की खैरथल पुलिस थाना के इंचार्ज गिरधरसिंह चौधरी द्वारा की गयी अनुचित गिरफ्तारी और उन्हें झूठे मामले में परेशान करने एवं उन्हें बेइज्जत करने की बददयानती की घोर निन्दा करती है और इन मामलों को अत्यन्त गंभीरता से लेती है।" सभापति महोदय, श्री अनिल विश्नोई की पुलिस द्वारा की गई पिटाई के विरोध में यहां विधान सभा में पिछली दफा एक सवाल उठाया गया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री शिवचरण जी माथुर ने ये स्वीकार किया था कि इस पत्रकार की पिटाई जोहरी बाजार में हुई, वे इस पर कार्यवाही करेंगे। "पत्रकारों की पिटाई के मामले में 6 के खिलाफ मुकदमा-स्थानीय दैनिक जय राजस्थान के सम्पादक निशान्त व्यास की पिटाई के मामले में पुलिस अधीक्षक अरूण कुमार दुग्गड़ ने आज एक सहायक थानाध्यक्ष और एक हैड कांस्टेबल सहित 6 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।" यानि पुलिस कर्मचारी ही पत्रकारों को पीटें। और तो और, सभापति महोदय, उदयपुर मनु टाईम्स

(सुश्री पुष्पा जैन)

का पत्रकार अभी हाल ही में आन्दोलन पर भी बैठा था, "24 फरवरी को करीब 5 बजे समाचार पत्र कार्यालय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गयी किन्तु खेद है कि 13 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस उन व्यक्तियों से पूछताछ नहीं कर पायी है जो आगजनी की घटना से करीब 32 घंटे पूर्व 22 फरवरी को रात्रि 9 बजे मुझे मेरे गांव में एक विधवा सरसी बाई के परिवारजनों की पिटाई एवं उसके घर को आग लगा देने की घटना का समाचार प्रकाशित नहीं करने के लिए दबाव डालने एवं धमकाने आये थे।" मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि समाज में अगर पत्रकारों को भी आप इस तरह से डराने धमकाने लगेंगे तो आप चाहते क्या हैं? आखिर इस राज्य में आप गुण्डों के दम पर राज करना चाहते हैं? बिहार और यू. पी. में जैसा कि मैंने पहले सुना था कि सरकार गुण्डों के दम पर शासन करती है, राजस्थान में भी आपने यह तरीका इजाद कर दिया। सभापति महोदय, राजस्थान में पुलिस की गोली से व्यक्ति मर रहे हैं, बलात्कार हो लेकिन शिकायत करो तो पुलिस गोलियां चला दे और कोई काम हो, पब्लिक थाने पर जाय तो पुलिस गोलियां चला दे। सभापति महोदय, जब से मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण जी माथुर ने राज संभाला है तब से गोलीकांड की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं। एक प्रश्न था, सभापति महोदय, विधान सभा में जिसमें सरकार ने स्वीकार किया जैन मन्दिर में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस संबंध में राज्य सरकार ने जिलाधीश सीकर को जांच करने के लिये आदेश दिया था। इस गोलीकाण्ड के गरीबों को राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता दी गयी? कोई सहायता नहीं दी गयी। बधाई है, आपकी सहायता के लिये भी अलग-अलग मापदण्ड हैं। सभापति महोदय, कहीं भी कोई मर जाय दस हजार की घोषणा कर दें, कहीं कोई मर जाय एक लाख की घोषणा कर दें, इनके जिले के अन्दर कोई मर जाय तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं और कहीं कोई मर जाय तो कुछ भी घोषणा नहीं करते। मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इंसान इंसान सब एक हैं। आप कोई फर्क न करें। अगर सरकार की लापरवाही से कोई मृत्यु का शिकार होता है तो निश्चित रूप से आपको उनके मुआवजे का एक पैमाना तय करके देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी को 10 हजार दे दिया, किसी को 10 रुपया दे दिया। सभापति महोदय, पुलिस द्वारा मारपीट। जैसा कि मैंने कहा, मुख्य मंत्रीजी आप, पुलिस को पनाह दे रहे हैं, आप पुलिस को शह दे रहे हैं यही कारण है कि पुलिस जिसे चाहे उसे मार देती है, जिसको चाहे उसे जलील कर देती है। अलवर में मोहर लाल का केस किया था। सभापति महोदय, बेचारा गरीब मजदूर जो चिराई का काम करता था, चिराई का काम करके अपने घर आया, थाने वाले बुलाने आये कि पुलिस थाने चलो, चला गया। अब उसके बाद कोई गुनाह नहीं बना, कोई केस बना नहीं, लेकिन उसको एक प्लेट पर खड़ा कर दिया गया, बिजली का नंगा तार भी उसको छुआया, हाथों में दे दिया, नतीजा क्या हुआ? वह आज जिन्दा भी मुर्दे की तरह से पड़ा हुआ है। उसका एक हाथ

(सुश्री पुष्पा जैन)

डाक्टर को मजबूर होकर काट देना पड़ा। मैं पूछना चाहूंगी, मुख्य मंत्रीजी, इन सबके लिए कौन जिम्मेदार है आखिर यह अत्याचार क्यों हो रहे हैं? लोग किसको कहें? निश्चित रूप से आप ही से कहेंगे। आप जिम्मेदार हैं। आपने उन अधिकारियों को क्या सजा दी? मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसे केस में क्यों नहीं उन्हें कठोर सजा देते हैं कि उन्हें आगे सबक मिल जाय कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर बदसलूकी करेंगे तो उनके साथ इससे भी ज्यादा सरकार द्वारा बदसलूकी होगी। इस तरह से आप तय करके चलेंगे, पुलिस को इसी तरीके से आप ताना देकर चलेंगे इससे पुलिस आपके काबू में आयेगी वरना मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि आपने पुलिस के सामने घुटने टेका दिये हैं। सभापति महोदय, भरतपुर में गोलीकांड हुआ। पुलिस अपराधी थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जांच का बहाना करके उन पुलिस अधिकारियों को कोई दण्ड नहीं दिया, फिर कोटपूतली में गोलीकांड हुआ। पुलिस अपराधी थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कोई दण्ड नहीं दिया और एक घोषणा कर दी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपने विधान सभा में घोषणा की थी कि आप कोटपूतली कांड की जांच करवा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है यह कहते हुए कि हाई कोर्ट के जस्टिस श्री शर्मा के पास आज भी इस जांच के लिए कोई आदेश नहीं हैं। सभापति महोदय, बार एसोसियेशन के वरिष्ठ एडवोकेट, पत्रकार माननीय श्री शर्मा से मिले उन्होंने बताया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मुझे कोटपूतली की जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये तैनात किया गया है।

(3.00 म. प.)

मुख्य मंत्री जी, किस बिना पर घोषणा कर दी? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, सभापति महोदय, पुलिस ने होस्टल में घुसकर डाक्टरों को पीटा। रेजीडेंट डॉक्टरों व गोखले छात्रावास के छात्रों के बीच कल सिनेमा टिकटों को लेकर हुए झगड़े में होस्टल में घुसकर उन्हें बुरी तरह से पीटा। थाने में ले जाकर हाथ पैर तोड़ दिये। पुलिस जब लोगों के साथ दुर्व्यवहार शुरू करती है, बांदरी के नासिक में रहने वाले अब्दुल गनी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर गुहार की है, अब्दुल गनी ने बताया कि गत 15 अक्टूबर को एक जीप उसके घर के सामने रुकी। 8-10 सिपाही उतरे। उसमें से एक हैडकॉन्स्टेबल ने उसे जबरन जीप में बैठा लिया तथा थाने लाकर उसे पिटाई की। पिटाई के दौरान उसके एक हाथ की हड्डी टूट गयी और सारे कपड़े रक्तरंजित हो गये।

"अदालत में कैदियों ने पिटाई की दास्तान सुनाई"

"राजस्थान में पुलिस द्वारा बंदी की पिटाई से सुप्रीम कोर्ट चिन्तित।"

सभापति महोदय, यह सबसे ज्यादा खेद जनक बात है कि सुप्रीम कोर्ट जिसकी निन्दा करे और वह चीज आपके राज्य से समाप्त न हो तो इससे ज्यादा, मैं समझती हूं, आपकी लापरवाही का नमूना हो ही नहीं

162

(सुश्री पुष्पा जैन)

सकता, सभापति महोदय, "डी आई जी की मौजूदगी में हत्यारे फरार ।" "बस से घसीट-कर सीबला में 2 जनों की नृशंस हत्या ।"

छोटा मोटा कोई पुलिस कर्मचारी हो और उसके सामने कोई घटना हो जाय तो एक क्षण के लिए दरगुजर किया जा सकता है लेकिन डी. आई.जी. की मौजूदगी में हत्या हो जाय, डी. आई. जी. चश्मदीद गवाह हों और उस केस को होच पोच कर दिया जाय तो मैं समझती हूँ कि इस से ज्यादा निर्लज्जता की बात हो नहीं सकती। मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सीमला में जिन दो व्यक्तियों की हत्या हुई, डी. आई.जी. की मौजूदगी में हुई, उस डी. आई. जी. के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की ? और नहीं की तो क्यों नहीं की ? क्या यह अपराध नहीं है कि रात भर डी. आई जी. खड़ा रहे और उसके सामने हत्या हो जाये ? हत्यारों का यह दुस्साहस आपके डी.आई.जी. के सामने हो जाये तो आम व्यक्ति के सामने वह क्या करेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता । सभापति महोदय, "डी.आई.जी. के आंखों के सामने अभियुक्त बैलगाड़ी में भाग छूटे।" डी.आई.जी. महोदय कहते हैं कि उनके पास कोई हथियार नहीं था । हथियार नहीं था तो यह कसूर किसका है ? हमारा है या आपका है, किसका है कसूर ? डी. आई. जी. के सामने हत्या हो जाय । उनको 24 घण्टे के लिए गन–मैन मिला हुआ होता है, एक सुरक्षा प्रहरी उनके साथ चलता है 24 घण्टे। सभापति महोदय, आज राज्य की जनता की इन्होंने चिन्ता की है । मैं बीच में ही कहना चाहूंगी, आज पूरे मंत्रिमण्डल के सदस्यों को चिन्ता हो गयी, पुलिस गार्ड बढ़ा दिये । आज इन्हें चिन्ता हो गयी. विधान सभा के बाहर आज चले जाइये, आपको घुड़सवार खड़े मिलेंगे । इन्हें चिन्ता हो गयी, सुरक्षा कर दी जाय इन मंत्रियों की और इन विधायकों की । आप तिलक नगर में एडिशनल डी.आई.जी. गुप्ता के मकान के सामने जायेंगे, डी.पी.गुप्ता के मकान के सामने कम से कम 30–40 पुलिस कर्मचारियों की गश्त लगी हुई है, हमेशा के लिए 2 पुलिस गाड़ियां खड़ी रहती हैं, मुझे उधर से जाने का कई बार मौका मिलता है, सभापति महोदय, मैं पूछती हूं, मुख्य मंत्री जी, आपका पुलिस उच्चाधिकारी हो उसकी जान की इतनी कीमत है कि 30–40 व्यक्ति उसके घर के सामने 24 घण्टे पड़े रहें उसकी पहरेदारी करने के लिए । क्या दो आदमी उसके लिए काफी नहीं है ? चाहे आम जनता के लिए कोई इन्तजाम न हो, चाहे कोटा में डकेतियां करे, लोगों को मार डाला जाय, चाहे बूंदी में डकेती हो जाय, चाहे गुलाबपुरा में डकेतियों में लोगों को मार डाला जाय । आखिर कौन जिम्मेदार है ? आप अपनी सुरक्षा कर लें, प्रहरियों को लगाकर अपनी सुरक्षा गार्ड बढ़ा दें, पुलिस उच्चाधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड बढ़ा दें, गार्ड बढ़ाकर विधान सभा में आप अपनी रक्षा कर ले लेकिन आज जनता का रखवाला कौन है ? मैं पूछना चाहती हूं, किसके दम पर हम विधान सभा में बैठे हैं, किसके दम पर आप मुख्य मंत्री बन कर बैठे हैं ? आखिर है तो वह राजस्थान की गरीब जनता, विदेशी लोग तो नहीं जिन्होंने हमें विधान सभा में यहां आने का सौभाग्य दे दिया । अब उस गरीब जनता की हम चिन्ता नहीं करें और पुलिस

(सुश्री पुष्पा जैन)

अधिकारी अपनी चिन्ता करें, 20-20, 25-25 पर आदमी, आखिर कितना पैसा, खर्च होगा आपने अंदाज लगाया है। एक एडिशनल डी. आई. जी. गुप्ता का तो मैंने उदाहरण पेश किया है। मुझे नहीं मालूम इस राज्य के और उच्च अधिकारियों के पास कितनी कितनी गश्त दे रखी है। इतनी गश्त तो, मुख्य मंत्री जी, माफ करिये, मैंने आपके घर भी नहीं देखी होगी। आपको भी शायद अपनी जान की उतनी चिन्ता नहीं जितनी पुलिस के उच्चाधिकारियों को है। आप देखिये इन सब बातों को गम्भीरता से। अगर इन सब बातों को समय रहते आपने दूर नहीं किया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय राजस्थान के लिए राहू-केतु बन जायेगा।

सभापति महोदय, ही, मुख्य मंत्री जी, मुझे कहना नहीं चाहिये लेकिन राजनीतिक वैमनस्यता का एक उदाहरण देने के लिए मैं आपके सामने सर्टिफाइड कापी से पेश करूंगी। मुख्य मंत्री जी, मुझे खेद होता है कहते हुए। राजनीति में आप भी हैं, हम भी हैं, राजनीति में सबको रहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है। हां, कोई गलती करे गुण्डागर्दी करे तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। एक तरफ तो कोई गुण्डा गर्दी क्या कत्ल भी कर दे तो, चाहे विधान सभा का सदस्य हो वह, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं लें, दूसरी तरफ कोई मामूली सा कार्यकर्ता हो, जिसकी इज्जत हो, और 30 साल से पार्टी के साथ एसोसिएट हो, उसके खिलाफ आप झूठे मुकदमे लगाकर उसे जलील करें, अपमानित करें, मैं समझती हूं, इस से ज्यादा शर्म की बात हो नहीं सकती।

"सरकार बनाम ओम प्रकाश मित्तल, धारा 110 जा. फौजदारी...." सत्य प्रतिलिपि है मेरे हाथ में। "नकल इस्तगासा न्यायालय श्री शांति स्वरूप शर्मा उप जिलाधीश एवं मजिस्ट्रेट हिण्डौन सिटी।"

मैं इस व्यक्ति के बारे में, सभापति महोदय, जरा बता दूं। मौजूदा म्यूनिसपेलिटी का सदस्य है। तकरीबन 30 साल से जनसघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता है और हाल ही में सवाई माधोपुर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। उस व्यक्ति के बारे में चार्ज शीट दी है।

"श्रीमान जी, व.केयात इस्तगासा इस तरह है कि श्री ओम प्रकाश मित्तल पुत्र श्री रामसहाय जाति अग्रवाल रेजिडेण्ट आफ टोडाभीम हालवासी हिण्डौन सिटी एक निहायत शरारती किस्म का व्यक्ति है। इसके अलावा भोली भाली जनता को अपने मक्कारी, फरेब व अपनी बेईमानी के सुनहरे जाल में फांस कर अपना मतलब हासिल करता रहता है शख्स मजकूर जब अपना मकसद या मतलब हासिल करता है तो गरीब जाति के भोले भाले व्यक्तियों को सामने लाकर मक्कारी, फरेब का जाल बनाकर सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालकर नाजायज मकसद हासिल करता रहता है। अगर शख्स मजकूर के कहे मुताबिक कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं चलता तो शख्स मजकूर उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई न कोई साजिश करके ऐसा झूठा जाल बिछा कर

(सुश्री पुष्पा जैन)

और बेबुनियाद अफसाने बनाकर उस कर्मचारी व अधिकारी को बदनाम करने की कोशिश करता है व भोली भाली जनता में झूठी बेबुनियाद अफवाहें फैलाता रहता है ताकि अधिकारी व कर्मचारी शख्स मजकूर के दबाव में आकर उसके हर नाजायज काम करते रहें और शख्स मजकूर इस तरह जनता पर अपना असर डालकर अपना मकसद हासिल करता रहे। शख्स मजकूर एक ऐसा फितरती इंसान है कि जनता व गरीब जाति के लोगों को अपने मोहजाल में फांसकर जब चाहे जितने फसाद खड़े कर देता है और अमन में खलल पैदा करके गरीब जाति व जनता के सुख चैन बरबाद कर देता है व राज्य कार्य में भी बाधा डाल देता है अधिकारियों को बदनाम करने में तो शख्स मजकूर एक फनकार हो गया है। अलावा झूठी रिश्वत आदि....।"

बहुत बड़ी है। अब इस पर जो धाराए लगायी हैं, आप वकील हैं, मैं इस बात का फायदा उठाते हुए यह बताना चाहूंगी।

"शख्स मजकूर के खिलाफ मुकदमा नम्बर 121/69 धारा 147, 452, 436, आई. पी. सी. मुकदमा नम्बर 122/69 धारा 147, 149, 452, 436, आई. पी. सी. मुकदमा नम्बर 120/69 धारा 147, 307, 353, 332, 395, आई. पी. सी. मुकदमा नम्बर 124/69 धारा 395, 353, 332, आई. पी. सी. मुकदमा नम्बर 68/81 धारा 147, 149 324, 323, 452 आई. पी. सी. मुकदमा नम्बर 132/83 धारा 369, 353, 332 आई. पी. सी. दर्ज रजिस्टर पाये गये।"

मुख्य मंत्री जी, ऐसी कोई धारा थी हिन्दुस्तान की जो आपने उस व्यक्ति पर नहीं लगायी। सीधे सीधे 302 में चालान करके इसको फांसी क्यों नहीं लगवा दी? कोई कसूर उसके खिलाफ रह नहीं गया।

सभापति महोदय, एक तरफ तो ओमप्रकाश जी के खिलाफ यह कार्यवाही और दूसरी तरफ गजानन्द गागोरिया, जो कि उसी जिले के कांग्रेस आई के कार्यकर्ता हैं, के खिलाफ असेन्सियल कमोडिटीज एक्ट में आपसे मुकदमा वापस लिया। अभी दो दिन पहले ही इसको स्वीकार किया इसी सदन में। एक बड़े शर्म की बात है मुख्य मंत्री महोदय आपके लिये। एक तरफ आपके कांग्रेस आई के कार्यकर्ता हैं वह चाहे गुनाह करें, जिस गुनाह को वापस लेने का आप कोई अधिकार नहीं रखते, उस केस को आपने वापस ले लिया। एक तरफ एक व्यक्ति निर्दोष है जिसकी अपनी इज्जत है, जिसकी अपनी आस्था है, करीब 30 साल से एक पार्टी से बन्धे हुये हैं और जो म्युनिसिपलिटी का मेम्बर है। उसके खिलाफ इस तरह की आप वैमनस्यता रखकर केस लगा दे, तो इससे बड़े दुःख की कोई बात नहीं हो सकती। समय साक्षी है मुख्य मंत्री जी, आने वाला समय बख्शेगा नहीं, समय किसी का नहीं होता है, समय की रफ्तार है, वह अपनी रफ्तार से चलता रहता है, समय निकल जाता है, लेकिन इन्सान की बात रह जाती है। यह वक्त आयेगा जब आप स्वयं महसूस करेंगे कि किस तरह से राजनीतिक रंजिश से लोगों के खिलाफ कार्यवाही की।

श्री प्रद्युम्नसिंह : काफी मेहनत की है आपने ?

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : धन्यवाद।

अब, सभापति महोदय, महिलाओं को इन्होंने नहीं छोड़ा लेकिन मासूम बच्चे भी इनके राज में नहीं बचे । मैं मुख्य मंत्री जी जो उदाहरण दूंगी वह ज्यादा आपके ही जिले के हैं. । छोटे-छोटे मासूम बच्चों का अपहरण अगर सबसे ज्यादा किसी के राज में हुआ है तो, मुख्य-मंत्री जी, इस बधाई के पात्र भी आप ही हैं।

"गरीब महिला का बच्चे सहित अपहरण जयपुर । 9 फरवरी, झोटवाड़ा स्थित गणेश कोलोनी में रहने वाली राजपूत महिला संतोषकुमारी का अपहरण कर लिया गया । अपहृत महिला के साथ उसका तीन वर्ष का बच्चा नरेन्द्र भी है, जब कि सात वर्ष का दूसरा बच्चा सुनिन्द घर पर मां का इन्तजार कर रहा है ।" यह 10-2-1984 की बात है, मुख्य मंत्री जी, "भीलवाड़ा में दो बच्चे लापता, एक गिरफ्तार, लापता बच्चे का शव बावड़ी में मिला ।" उदयपुर, 19 जुलाई । "यहां मोती चौहटे से रविवार को लापता हुए पांच वर्षीय संजय मोची का शव आज आयुर्वेद अस्पताल के पास हरवेन जी की बावड़ी में तैरता हुआ मिला । अपहर्ताओं के चंगुल से भागने के प्रयास में बालक घायल, अपहरण के बाद हत्या, लापता बालक पानी के टैंक में मरा मिला," यह सारे काण्ड, मुख्य मंत्री जी, आपके शासन काल के पढ़ रही हूं, "अशोक सिंघी की बलि दी गई । छात्र अशोक हत्या काण्ड के खिलाफ सर्वदलीय जुलूस ।"

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा उस केस के बारे में कहना चाहूंगी जो जयपुर का बहुत चर्चित केस रहा है-"जैमन काण्ड" अब, मुख्य मंत्री जी, आपने चालान पेश किया, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नामजद रिपोर्ट होने के बावजूद राजनीतिक संरक्षण देकर इन्होंने मुलजिमान को छोड़ दिया लेकिन × × × एक इस्तगासा पेश हुआ है, जिन मुलजिमात को इन्होंने छोड़ दिया अदालत ने उनके खिलाफ कागनीजेन्स लिया, क्या मिला आपको ।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि वह मुलजिम और कोई नहीं, इस सदन के विधायक श्री जगदीश तिवाड़ी और माननीय किशनलाल जी शर्मा जो कांग्रेस आई के उपाध्यक्ष हैं....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, अभी इन्होंने जो चार्ज लगाये हैं....

श्री यदुनाथसिंह : चार्ज नहीं लगाये हैं....

श्री सी. पी. जोशी : इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि किसी भी माननीय सदस्य....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री यदुनार्थसिंह : चार्ज हमने नहीं कोर्ट ने लगाये है, हम नहीं लगा रहे हैं....

श्री सी.पी. जोशी : जो मैटर सब जुडिस है उसको यहां पर डिस्कस नहीं किया जा सकता है । मैं कोई चार्ज लगा सकता हूं, पुष्पा जी, क्या आप मुझे....

श्री सभापति : यहां पर माननीय सदस्य मान-हानिकारक बात नहीं कहिये ।

सुश्री पुष्पा जैन : कोर्ट ने आरोप लगाये हैं, मैं नहीं कह रही हूं, अदालत कह रही है, सभापति महोदय । अदालत, में इस्तगासा पेश हुआ, जिन आदमियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई, जिनको सरकार ने छोड़ दिया, अदालत ने उनके खिलाफ कागनिजेन्स लिया, इसमें वही फैक्ट मैंने बताये हैं और वही नाम मैंने बताये हैं....

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : नामजद रिपोर्ट है और उसमें मेरा नाम आया हो तो बता दीजिये। आप बिल्कुल गलत कह रही हैं ....

सुश्री पुष्पा जैन : कोर्ट से इस्तगासा, कागनिजेन्स लिया ....

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : कोर्ट से लिया गया यह मुझे जानकारी नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : सब जुडिस मैटर को यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते । आर्डर प्लीज ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, बड़ी अजीब बात है, आप अपनी बात कहेंगे ये अपनी बात कहेंगे । यह कोई आरग्यूमेंट नहीं है, इस्तगासा पेश हुआ, मान लीजिये एक्स के खिलाफ शिकायत कर दी, आपने 200 आदमियों के बयान ले लिये, आपने बयान दे दिये, कोर्ट से सम्मन भेज दिया, एफ. आई. आर. दर्ज होती है पुलिस की, जो एफ आई आर दर्ज है वह इस बात की दी हुई हैं, उससे तो केस साबित नहीं हो जायेगा ....

श्री सभापति : बिलकुल ठीक है ।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, केस चलेगा, फैसला होगा ....

(व्यवधान)

मैटर सबजुडिस है ....

श्री यदुनार्थसिंह : इन्क्वायरी की बात है ....

सुश्री पुष्पा जैन : इसलिये बताना चाहती हूं कि ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अब पुलिस कस्टडी में लोगों की किस तरह से हत्यायें हुई हैं, थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी । "सूरतगढ़-30 अक्टूबर की रात्रि को पुलिस हिरासत में घवरिया बाबरी की मृत्यु हो गई, 31 अक्टूबर को उसकी लीपा - पोती करके शाम को करीब 8 बजे श्मशान घाट पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया, उसके वारिसों को लाश भी नहीं सौंपी गयी, न ही उनको सूचना दी ।"

(सुश्री पुष्पा जैन)

एक पत्र है, जो, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको लिखा गया है उदयपुर के भूतपूर्व एम. पी. के द्वारा -"प्रिय श्री शिवचरण जी माथुर, बल्लभनगर तहसील के अन्तर्गत खरीदा गांव के थाने में हैड कान्स्टेबिल द्वारा श्री माधवसिंह, शंभूसिंह, मोहनसिंह व पन्ना की निर्मम पिटाई तथा निर्मम पिटाई के दौरान श्री मोहनसिंह की मृत्यु हो गई, के सम्बन्ध में पत्र द्वारा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...."

सभापति महोदय, अजमेर का लच्छीपुरा काण्ड और काजीपुरा काण्ड मैं दोहरना नहीं चाहती हूं, मैं बताना चाहती हूं, मुख्य मंत्री जी, ग्रामीण इन्सानों के साथ अगर पुलिस ने कोई दरिन्दगी की है तो वह आपके शासन में की है, और किसी के शासन में नहीं हुई। सभापति महोदय, लच्छीपुरा और काजीपुरा में जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया, मैं समझती हूं कि शर्म से सिर नीचे हो जाता है, इन्सानियत उठ जाती है ऐसे काण्डों से लेकिन, मुख्य मंत्री जी, आपने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही नहीं की, मुझे अफसोस इस बात का है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, कोटा और बारां मार्ग पर जहां से 10 किलोमीटर दूर थानीपुर गांव के 50 परिवार कैथून पुलिस के बर्बर अत्याचारों के शिकार होकर गांव छोड़कर भाग गये। और ऐसे ही, सभापति महोदय, अलवर के पिग गांव में हत्यायें हुई, 6–6, 8–8 हत्यायें करके लोग लाशों के ऊपर खड़े होकर नाचे। लेकिन वह सब हुआ क्यों? अगर पुलिस सतर्क होती तो वह घटना बिलकुल टल सकती थी।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री को बताना चाहूंगी कि गांव में जो दुर्घटना हुई उसकी सूचना सवेरे ही थाने पर पहुंच गई। जो सूचना देने गया उसने बहुत ज्यादा गुहार की पुलिस थाने में कि इस प्रकार की घटना की शंका है। लोगों की हत्यायें होंगी आप वहां पर चलिये। तो थानेदार ने क्या जवाब दिया कि जब तक हत्यायें हो न जाय हम वहां नहीं जायेंगे। नतीजा यह निकला कि निर-अपराध लोगों की हत्यायें हो गई और दरिन्दे उन लाशों पर खड़े होकर नाचे। उसके बाद मुलजिमों ने अपनी बहू को भी मार डाला। तो, मुख्य मंत्रीजी, ऐसी हालत है राजस्थान में। मैं बहुत समय लेना नहीं चाहूंगी....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, राजस्थान में जितने एक्सीडैन्ट माननीय मुख्यमंत्री शिवचरण जी माथुर के राज में हुये हैं उतने एक्सीडेन्ट पहले कभी नहीं हुये लेकिन इसमें भी इनके मुआवजे देने का ढंग अलग अलग है। कोई एक्सीडेन्ट हो तो 5 हजार रु. का मुआवजा, कोई एक्सीडेन्ट हो तो 2हजार रुपये का मुआवजा देंगे। मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या इन्सान-इन्सान में फर्क है? अगर मोटर के नीचे आकर किसी की मृत्यु हो गयी तो उसको 2 हजार रुपये देंगे और ट्रेन के नीचे आकर अगर मर जाये तो 10 हजार रुपये देंगे, ऐसा क्यों? आप

(168)

(सुश्री पुष्पा जैन)

एक पैमाना तय कीजिये, मापदण्ड बनाइये कि मृतक को इतना मुआवजा देंगे, इन कायदे कानून के अन्तर्गत देंगे तो जनता को कोई शिकायत नहीं होगी।

अन्त में, सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले शुरू में निवेदन किया था, मुख्य मंत्री जी, आप ही वह शख्स हैं जो घर में और घर के बाहर नारी की पूजा करते हैं और आपके राज में नारी की जो स्थिति हुई है उसके बारे में मैं चार लाइनें पढ़कर अपनी बात समाप्त करूंगी, सभापति महोदय –

अत्याचारों की मुट्ठी में
ये कोमल नारी की जान
तड़प रही, बिलबिला रही है
सोयी है कैसे सरकार।
न्याय बिके चाहे पैसों में
सच तो आखिर सत्य रहेगा
नारी ने कुर्बानी दी है
उसका तो इतिहास बनेगा
आज भ्रष्ट है जन जीवन से
आज विवश भारत की नारी
मूक पीड़ा शासन में तुम्हारे
नारी पीड़ा की ये कहानी।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी का स्पष्टीकरण

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मेरे पर जो आरोप लगाये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : मेरे कटमोशन हैं, मुझे बोलने का अधिकार है।

माननीय सभापति महोदय, अभी आमेर से चुनकर आने वाली माननीय सदस्या ने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत आरोप यह लगाया कि जेमन काण्ड में नाम था और पुलिस ने छोड़ दिया। कहा, अब पुलिस ने एफ आई आर में नामजद रिपोर्ट होते हुए भी उन मुलजिमों को छोड़ा, यह कहा है,

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : नहीं कहा।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : एफ.आई.आर. में मेरा नाम नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूं एफ आई.आर. में मेरा नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं का चरित्र हनन करना चाहती है। इनका यह प्रयास, पुलिस के पीछे भी और कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के पीछे असफल रहा है और अब कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं का चरित्र हनन करना चाहते हैं। अगर वास्तविकता देखी जाय

(व्यवधान)

तो जितना जगदीश तिवाड़ी दोषी है उतनी ही दोषी उजला जी भी हैं और इनके मित्र गिरधारी लालजी भार्गव भी हैं, वह भी

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

शादी में मौजूद थे और साथ-साथ फोटो भी खिचे थे

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : जहां तक एफ. आई. आर. में नामजद होने का प्रश्न है आप एफ.आई.आर. को पुनः देख लें, मेरा नाम एफ. आई. आर. में नहीं था। कोर्ट में इस्तगासा जो पेश कराया वह आपकी राय मे पेश हुआ होगा, किस प्रकार से नाम जोड़ा इसके लिए मैं नहीं कहता हू। क्योंकि न तो कोर्ट का मुझे अभी तक सम्मन मिला है और न कोर्ट के फैसले की मैंने नकल ली है लेकिन लड़की ने जो बयान दिये हैं वह मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं, उसमें मेरे खिलाफ क्या आरोप है। लड़की के बाप के और लड़की के बयान मैं सदन के समक्ष इसलिये रखना चाहता हूं कि बड़ी गलतफहमी पैदा हो रही है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखबार में किस तरह उछाला था और उसमें दोषी करार देने की मैंने कोशिश की पहले कभी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आज यह इसलिए स्पष्ट कर रहा हू कि मेरे पास सर्टिफाइड कापी है, लड़की के बयानों की भी है और लड़की के बाप के बयानों की भी है, जिसमें जगदीश प्रसाद तिवाड़ी कहां आता है आप मुझे बता दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया सुनिये। आर्डर प्लीज।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : आप हीरालालजी देवपुरा को लपेटिये, आप चीफ मिनिस्टर साहब को लपेटिये, आपकी जबान है आप कह सकते हैं। पुलिस कार्यवाही करती है तो आप कहते हैं ज्यादती करती है और पुलिस कार्यवाही नहीं करे तो कहते हैं, कुछ नहीं करती। आपकी जुबान है कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, लड़की के पिता राजकुमार गौड़ के बयान के कुछ अंश---

(व्यवधान)

पढ़कर सुनाता हूं जिससे कि इस अपराध में हम कहां तक लिप्त हैं यह बात स्पष्ट हो जायेगी। यह कोर्ट की सर्टिफाइड कापी है, जिसने कोर्ट में बयान दिये हैं, इस्तगासा के, जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। "संहिता मेरी लड़की है, इसकी शादी 22--4-83 को अम्बे प्रसाद जयमन के साथ की। लड़की की शादी का

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई): नाम है या नहीं, यह बता दें।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : किस में ?

श्री यदुनाथ सिंह : बयान में।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : बयान में नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिये। कापी पढ़ने में आ रही है जैसे ही मैं पढ़ूगां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : नाम है या नहीं इसमें आपका ?

(170)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : नहीं। "मुदुला मेरे पड़ोस में रहती है, ने बुलाकर मुझे व मेरे पिता को, अम्बेप्रसाद व कृष्ण जेमन से मिलवाया था और कहा कि अम्बे प्रसाद जयमन अविवाहित है, योग्य लड़का है, मुलजिमान दो लगायत छः को यह बात पहले से मालूम थी कि अम्बेप्रसाद शादीशुदा था और तलाक नहीं हुआ है। मुझे फरवरी सन् 1983 में मिलवाया था इसके बाद यह निरन्तर मिलते रहे और दबाव डालते रहे और कहा कि शादी जल्दी कर दो। मुलजिमान ब्राह्मण जाति के हैं, दुबारा शादी नहीं होती यह बात उन्हें मालूम थी। अम्बेप्रसाद जयमन....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 2 लगायत 6 कौन हैं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : 2 लगायत 6 में मैं नहीं हूं, इतना ही कह सकता हूं।

व्यवधान

एक माननीय सदस्य : जोर से पढ़िये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : आप नहीं सुनते हैं तो आप अपना स्पीकर और अलग लगाइये। इसमें कहीं भी बयान में यह नहीं आया है कि जगदीश प्रसाद तिवाड़ी ने आकर सगाई कराई या हमारे साथ धोखा किया या उसने क्या किया। जिस तरह की बात यह दर्शाना चाहते हैं कि शादी से मेरा कोइ सम्बन्ध रहा हो, शादी से मेरा कोई सम्बन्ध रहा। जितना सम्बन्ध उजला जी का है उतना सम्बन्ध मेरा है। यह भी शादी में मौजूद थीं, मैं भी शादी में गया था और शादी में जाना, कोई निमन्त्रण देता है तो जाना कोई गुनाह नहीं है। न मुझे यह मालूम था कि वह दूसरी शादी कर रहा है। यहां नगरपरिषद में काम करता है, मेरे उधर आगरा रोड चुंगी पर रेवेन्यू इन्सपेक्टर का आना जाना मिलना-जुलना, वैसे होता रहता है। उधर मैं भी रहता हूं, उस रास्ते पर एक आध बार मुलाकात हुई। उसने मुझे आमन्त्रित किया। मैं वहां चला गया। इसमें कहा मैने कौनसा पाप कर दिया ? मैंने सगाई कराई ? में सगाई कराने गया या मैंने यह कहा कि लड़का अच्छा है या अविवाहित है। तब ऐसा होता तो कोई मुलजिम बनने का प्रश्न होता। एफ. आई. आर. में नाम नहीं और आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस ने चालान नहीं किया उनका, कोर्ट ने उनको मुलजिम बना लिया। कोर्ट ने अगर मुलजिम बनाया तो कोर्ट में भी जवाब देंगे, हमको भी सुनेगी कोर्ट, उसके बाद फैसला करेगी, यों फैसला थोड़े ही करती है कि आप मुलजिम हैं, अपराधी हैं। अब से लड़की के बयानों को थोड़ा सा पढ़कर इसलिये सुनाना चाहता हूं कि उसने कहीं भी....

सुश्री पुष्पा जैन : यह सब-जुडिस है।

श्री सभापति : नाम नहीं है तो पढ़ने दो, मैं इजाजत देता हूं। लेकिन जरूरत क्या है नाम नहीं है तो। आप पढ़ना चाहें तो मैं इजाजत दे दूंगा.

व्यवधान

कोई एतराज नहीं है मुझे, आप पढ़ना चाहें तो तो पढ़िये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया बिराजें, उनकी बात पूरी होने दीजिये पहले ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : इसमें लड़की संगीता ने बयान दिये हैं, "मेरी शादी मेरे माता पिताजी, दादाजी सुन्दर लाल गौड़ ने 28 अप्रैल, 1983 को अम्बे प्रसाद गौड़ के साथ की । शादी से पूर्व श्री राम मनोहर की पत्नी मृदुला कंवर अम्बे प्रसाद जयमन को हमारे घर लेकर आई थी और उनकी काफी तारीफ की और कहा कि मैं उस लड़के को अच्छी तरह से जानती हूं, अविवाहित है, अच्छे आचरण वाला है और कमेटी में नौकरी करता है । यह बात अम्बेप्रसाद के बारे में न तो मास्टर किशनलाल ने कहा कि अच्छा लड़का है, या यह शादीशुदा नहीं है, यह केवल उनके पड़ोस में रहने वाली राम मनोहर की पत्नी ने कहा है कि कैसा लड़का है, अविवाहित है या विवाहित ।" जो कुछ भी घटना घटी है उनके पड़ोस से हुई है इसमें जबरदस्ती किसी भी राजनैतिक कार्यकर्त्ता घसीटें, वह कांग्रेस का है, वह शादी में शरीक हो गया था । बी. जे. पी. वाले शादी में शरीक हुए उनका तो नाम नहीं लिया और हम शादी में चले गये तो हमारा नाम ले लिया । एक बात । माननीय सभापति महोदय, एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इन मुलजिमों को शरण किसने दी थी ? जिस समय फरार थे, उस समय अजित सिंह सागर भारतीय जनता पार्टी के वकील हैं, उसने उसकी पैरवी की है और यहां आप लोग केवल राजनैतिक रंग दे करके बात को इस तरह से उठाना चाहते हैं । अगर आपमें नैतिकता थी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पैरवी करने से क्या ? कोई वकील पैरवी कर सकता है ।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : तो पहले तो आपका अजीत सिंह सागर को पार्टी से निकालना चाहिये कि उसने ऐसा किया ही क्यों । और अजीत सिंह सागर के मकान में छिपा रहा उस समय भी हमको बदनाम किया गया कि इन्होंने छिपा रखा है । मेरे घर पर पुलिस वालों ने जाकर तलाशी ली, मास्टर किशनलालजी के फार्म पर तलाशी ली । हमारे नोटिस में नहीं था कि मुलजिम कहां है । उससे हमारा नजदीक का सम्बन्ध थोड़े ही है, नजदीक का सम्बन्ध तो इनका था । अगर हमारा सम्बन्ध होता तो हम हमारे यहां छिपाकर रख सकते थे । हमारे पास भी मकान था, उसके पास मकान नहीं था । यह तो पुलिस ने भी जांचा उससे मालूम पड़ जायेगा कि किसके यहां पर रहा है । इसलिए, श्रीमन्, इससे पहले कोई बात कहना चाहें, हम किसी तरह से आज तक किसी पर न तो कीचड़ उछालते हैं, न × × × आरोप लगाते हैं, मेहरबानी करके आप कम से कम कोई भी आरोप लगायें वह सत्यता के आधार पर हो, इस प्रकार के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिये ।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्रीमती उजला अरोड़ा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वहां पर शादी में मौजूद थे। तो मेरा यह निवेदन है कि किसी की शादी में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का जाना गुनाह है क्या ? हम सामाजिक लोग हैं और समाज में रहते हैं तो हमारी भी सामाजिक जिम्मेदारी होती है।तो हम भी वहां पर जायेंगे नहीं क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया शान्त रहें अपना स्थान ग्रहण करें।

मांग संख्या 16 व 4 पर विचार

श्री सूर्य कुमार जैन।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और और मांग संख्या 4 पर सदन में विचार किया जा रहा है। सभापति महोदय, इन दोनों मांगों से सम्बन्धित, अगर मैं यह निवेदन करूं, जो विभाग हैं, जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी इन मांगों से काम करते हैं उन पर निश्चित रूप से प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिये, जिस समाजवाद को लाने का स्वप्न हम बरसों से देख रहे हैं उस समाजवाद का लाना इन पर निर्भर करता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभापति महोदय, विरोध पक्ष अगर यह कहना चाहे कि ये हत्यायें, ये लूट, और ये डकेतियां या ये बलात्कार या यह चोरियां कभी हुई नहीं, यह केवल कांग्रेस के शासन में ही हुई ? क्या ये पहले नहीं हुई ? अगर वह कहते हैं कि नहीं हुई तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा असत्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सभापति महोदय, ये जुर्म, ये अपराध एक आदमी की प्रवृति से संबंधित होते हैं। जब तक इन्सान में यह प्रवृतियां मौजूद रहती हैं तब तक या जब तक यह कमजोरियां उस इन्सान में रहेंगी तब तक ये अपराध होते रहेंगे।

लेकिन, सभापति महोदय, एक बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, रिकार्ड के आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस शासन का है, जो वक्त गुजरा सन् 1980 से लेकर 1984 तक का इसमें जो कानून और व्यवस्था की स्थिति रही उसके लिहाज मे वह स्थिति इस जनता पार्टी के शासन काल से बहुत बेहतर रही है जिसको कि, सभापति महोदय, आंकड़े देकर यहां सदन में सिद्ध कर दिया है। इसलिये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप चाहे हत्याओं की घटना कहिये, चाहे आप बलात्कार की घटनायें कहें, चाहे आप लूट पाट की घटनायें कहें, इन सभी घटनाओं को जो लोग करने वाले होते हैं उसको कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहेगा। समाज का कोई भी अंग उसको अच्छा नहीं कहेगा। समाज का हर वर्ग उसकी आलोचना करेगा। किन्तु हम आम तौर से जिस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और सदन का ध्यान भी इसी ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जो राजनैतिक दल के लोग हैं, जो राजनीति में विश्वास करते हैं राजनीति में इसलिये कहना चाहता हूं कि हम प्रजा-

(श्री सूर्य कुमार)

तन्त्र में विश्वास रखते हैं, प्रजातन्त्र में जीते हैं, उसमें हम कानून और व्यवस्था को स्थापित करने में कितनी भूमिका निभाते हैं और हम कानून व्यवस्था के बिगड़ने में कितनी भूमिका निभाते हैं यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सभापति महोदय, मैं इसके लिये आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी दूर की बात नहीं है, कोटपूतली का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, वह आपके सामने है। वहां पर दो पुलिस के कर्मचारियों ने एक स्त्री के साथ बलात्कार किया। सभापति महोदय कौन कहेगा कि बलात्कार करने वाले लोगों ने अच्छा काम किया, कौन तारीफ करेगा ऐसे लोगों की ? मैं समझता हूं, सभापति महोदय, सभी आलोचना करेंगे। सभी लोग उनकी निन्दा करेंगे। सभापति महोदय, यहां सदन में भी सभी माननीय सदस्यों ने उनकी निन्दा की है। उस कोटपूतली के बलात्कार काण्ड के विरोध में जिन राजनैतिक लोगों ने वहां पर हिंसात्मक प्रदर्शन किया, चाहे किसी ने वहां पर पथराव किया, सभापति महोदय, वहां पर हालत ऐसी चिन्ताजनक हो गयी कि वहां पर पुलिस को अन्त में गोली चलानी पड़ी। तो क्या हम इस बारे में कभी सोचते नहीं हैं कि हमें कानून और व्यवस्था की स्थापना करनी है या हम सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिये चुनौती ही करना चाहते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना भूमिका सक्रिय रूप से किसने निभायी, क्या हम कभी इस पर विचार करेंगे ? अगर नहीं करेंगे तो आखिर वह कौन सा दिन होगा जब कि हम इनके बारे में सोचेंगे ? इसके लिये, सभापति महोदय, चाहे आप गंगानगर की घटना लें, चाहे आप अलवर की घटना को देख लें, इसके पीछे सिर्फ एक पहलू है उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभापति महोदय, हम प्रजातन्त्र को जीवित रखना चाहते हैं या हम प्रजातन्त्र को मारना चाहते हैं ? हम कानून और व्यवस्था के नाम पर आलोचना तो सरकार की करना चाहते हैं लेकिन हम कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिये विचार करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष का काम है विरोध करना। आप विरोध करें, आप उसके लिये सार्वजनिक रूप से सभायें कीजिये। विरोध करने के लिये आप विरोध प्रदर्शन करें, समाचार पत्रों में समाचार छापें। आप विरोध प्रदर्शन करने के लिये विरोध स्वरूप रास्ते रोकें या रेले रोकें या मोटरें रोकें, आप आने-जाने वाले लोगों के रास्ते रोकें, आप उन पर पथराव करें, लेकिन यह सब करके आप कानून और व्यवस्था बनाए रखने में क्या योगदान दे रहे हैं यह भी सोचें। प्रजातन्त्र में विरोधी पक्ष स्वयं की भूमिका है। कानून और व्यवस्था स्थापित करना, यह सत्ता पक्ष का ही काम नहीं है। सत्ता पक्ष का काम है केवल इस बात का....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस वाले रास्ता रोक रहे हैं, वहां क्या है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री सूर्य कुमार : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष का केवल एक ही काम है कि जब विरोध पक्ष अपनी जिम्मेदारी यह समझे कि जो अपराध करने वाले हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं अगर वह कोई नेग्लीजेन्स करें या कोई ओमीशन करें या किसी सरकारी कर्मचारी ने कोई गड़बड़ी की हो तो वह एक्शन लें। पर यह तभी हो सकता है

(174)

(श्री सूर्य कुमार)

जब कि विरोधी पक्ष के लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। पर, सभापति महोदय, विरोध पक्ष तो केवल एक काम करता है कि संबंधित मन्त्री अपना त्याग पत्र दें। विरोधी पक्ष के लोग तो यह कहते हैं कि हम मांगते कुछ नहीं है, हम तो मांग कर लेनानहींचाहते हम तो लड़कर लेना जानते हैं, पर जब लड़ने कामौका आता है, जब लड़ाई लड़ी जाती है तब तो आप भागते हैं। पर, सभापति महोदय, प्रजातन्त्र में लड़ाई कोई हथियारों से थोड़े ही होती है, प्रजातन्त्र में तो लड़ाई चुनावों के माध्यम से लड़ी जाती है। जो लड़ कर लेने की बात करते हैं, वह अधिकार लेने की बात करते हैं, उस वक्त आपको को हार का सामना करना पड़ता है, हार का मुंह देखना पड़ता है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप लोगों की बात करते हैं आप लेने की बात करते तो हैं, आप कहते हैं कि हम मांगते नहीं हैं, पर आप कैसे लोग हैं, आप खुलासा मांगते हैं कि आप त्याग पत्र दीजिये। आप मांगते हैं त्याग-पत्र। आप जो चीज चुनावों के माध्यम से नहीं ले सकते हैं वह आप मांग के लेना चाहते हैं। आप चुनावों में तो लड़ाई जीत कर ले नहीं सकते हैं पर आप ऐसी हालत में त्याग-पत्र की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि हम मांगते नहीं हैं। तो, सभापति महोदय मैं तो कहता हूं कि विरोध पक्ष पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाये तो जो भी अधिकारी गलती करता है या जो भी कर्मचारी गलती करता है तो उस को आप नहीं बचावें, तो सत्ता पक्ष भी निश्चित रूप से किसी भी अधिकारी को नहीं बचायेगा क्योंकि सत्ता पक्ष न्याय करना चाहता है। पर आप तो जो लोग अपराधी हैं उनको बचाना चाहते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं और मुझे तो आशंका होती है, एक जिम्मेदार नागरिक का, एक विवेकशील नागरिक कि अपराध होता है, लेकिन अपराध करने वालों को राजनैतिक संरक्षण देकर बचाना चाहते हैं और सत्ता पक्ष की ही आलोचना भी करना चाहते हैं। इस प्रकार की आलोचना करके इन लोगों को, अपराधियों को, जो उसमें लिप्त हों। क्यों बचाना चाहते है? तो इससे बड़ा गलत काम वह है। यह एक साजिश है अपराधियों के बीच में, अपराध करते वालों के बीच में और उन लोगों के बीच में जो सत्ता पक्ष से कहते है कि आप स्तीफा दीजिये। क्या कारण है, अपराध करे कोई और आप सत्ता पक्ष के मन्त्री को कहते हैं कि आप इस्तीफा दीजिये। आप आलोचना करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में करिये, कौन मना करते हैं। आप आलोचना भ्रष्टाचार की कर सकते हैं परन्तु उस भ्रष्टाचार को इस देश में किसने पनपाया? सभापति महोदय, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश किसी ने की है तो वह कांग्रेस शासन ने की है। आप चाहें तो रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। यह कांग्रेस शासन का रिकार्ड है कि उसने भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये अच्छे कानून बनाये, अच्छे-अच्छे तरीके अपनाये। मैं तो कहना चाहता हूं सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था के····

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही कांग्रेस है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : आपने साढ़े तीन साल तक जांच बैठाकर देख लिया, कुछ निकला तो नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें, व्यवधान नहीं डालें।

श्री सूर्यकुमार : और अगर मैं यह कह दूं कि भ्रष्टाचार का दूसरा नाम विरोधी पक्ष है....

श्री यदुनाथ सिंह : भाइयों को तो ना घसीटो उनके साथ में।

श्री सूर्यकुमार : सभापति महोदय, दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार और लोगों में नैतिकता का पतन अगर हमारे देश में किसी ने किया है तो उसके लिये विरोधी पक्ष जिम्मेदार है। प्रजातन्त्र में भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत विरोधी पक्ष ने किया है। और प्रजातंत्र की जड़े कमजोर करने में अगर किसी का हाथ है तो वह विरोधी पक्ष का है। हमारे हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद अगर किसी ने भ्रष्टाचार बढ़ाया है तो वह देश के गैरजिम्मेदार विरोधी पक्ष हैं। और कोई नहीं है। सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था का दूसरा पहलू और है सभापति महोदय, मुझे खुशी इस बात की, हमारे यहां पर पिछले वर्ष में साम्प्रदायिक दंगे ज्यादा नहीं हुए। गत वर्ष तीन घटनायें साम्प्रदायिक दंगों की हुई हैं राजस्थान में। सभापति महोदय, यह हमारे लिये, राजस्थान के लिये बहुत ही खुशी की बात है। सभापति महोदय, इन तीन साम्प्रदायिक घटनाओं में दो साम्प्रदायिक घटनायें मेरे बूंदी जिले में हुई। पहली साम्प्रदायिक घटना हुई नैनवा में और दूसरी साम्प्रदायिक घटना हुई हिन्डौली में। इन साम्प्रदायिक घटनाओं में जो पहलू था उसमें बारे में मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से, सभापति महोदय, आकर्षित करना चाहता हूं इसमें विरोधी पक्ष अभी फिर बोखला जायेगा। सभापति महोदय, फिर विरोधी पक्ष वाले शोर मचायेंगे क्योंकि नैनवा में जो साम्प्रदायिक दंगा हुआ उसमें सबसे बड़ा कारण जो था वह यह था कि इनकी जनता पार्टी के भूतपूर्व नगर पालिका के सदस्य ने सार्वजनिक स्थान पर एक अनधिकृत रूप से चबूतरा बना लिया। वह जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य था। और उसका विरोध किसने किया? सभापति महोदय, किया भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय सदस्य, जो कि वर्तमान में नगर पालिका का सदस्य है। ने इसका विरोध किया और वह विरोध चलते-चलते 2 दिसम्बर, 1982 को हिन्दु बनाम मुसलमान का रूप बना। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका के सदस्य हैं और दूसरे कुछ कार्यकर्त्ता हैं उन्होंने अपने आप को नैनवा के सारे हिन्दुओं का ठेकेदार बताकर, सारे हिन्दुओं का प्रतिनिधि मानकर एक दीवानी अदालत में दावा कर दिया कि यह हिन्दुओं के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। नैनवा में सारे मुसलमानों के खिलाफ दावा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह अतिक्रमण करने वाला जनता पार्टी का सदस्य नहीं था, क्या वह विरोध करने

(श्री सूर्य कुमार)

वाला भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था ? जिसने हिन्दू और मुसलमान का एलिमेंट प्रवेश किया नैनवां के जन जीवन में और सामाजिक जीवन में क्या वह भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी के लोग नहीं थे । हिण्डोली की घटना लीजिए....

(व्यवधान)

आप शान्त रहें कृपा करके, यह आपकी समझ से बाहर की चीज है।

हिण्डोली में होली का दिन था, उस दिन एक मुसलमान परिवार के सामने जाते हैं दो-तीन आदमी। वह कौन हैं, एक जाति से गूजर और एक जाति से माली। अगर आप नाम पता करेंगे और यह पता करेंगे कि वह कौन सी विचार धारा के हैं, कौन से राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, वह दोनों ही माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी से सम्बन्धित हैं। क्या किया उन्होंने ? एक मुसलमान के घर गये, जबर्दस्ती रंग डालने की कोशिश की, जबर्दस्ती बांह पकड़ ली। उस मुसलमान ने जब प्रतिरोध किया, प्रतिरोध करते ही वह माली भागकर बाजार में गया, अरे साहब, वहां तो मार दिया हिन्दू को, मार दिया हिन्दू को, चलो हिन्दुओ ! धर्म खतरे पर है, मार दिया हिन्दू को और मस्जिद में हमला हो गया, मुसलमानों पर हमला हुआ, वहां मौतें हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर विरोधी पक्ष के लोग, हम राजनीति में विश्वास करने वाले लोग, प्रजातंत्र में विश्वास करने की डींग मारते हैं, आखिर हमारी जिम्मेदारी क्या है ? कब सोचेंगे ? हमारी जो प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी है, हम उसके बारे में कब विचारेंगे ? यह हमें सोचने का मौका ऐसे ही मौकों पर है। इससे बड़ा सदन और इससे बड़ा फोरम और कोई दूसरा राजस्थान में नहीं। हम इन चर्चाओं को, इन वाद-विवादों को केवल यहां तक सीमित कर देना चाहते हैं कि बलात्कार हो गया, मुख्य मंत्रीजी, आपके राज में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, आपके राज में हिन्दुओं पर हमला हो रहा है ? मैं पूछना चाहता हूं, आपने 32 महीनों में क्या नहीं किया ? जो कुछ 32 महीनों में हुआ आप उसका रिकार्ड उठाकर देखें तो पता चलेगा कि कांग्रेस की टर्म में भी जो कुछ हुआ उसके मुकाबले आपके शासन में जितने अपराध हुए वह कभी नहीं हुए। मोरार जी देसाई ने कहा, भय मुक्त हो जाओ, भय मुक्त रहो। और भय मुक्त यह हुआ कि बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया, चैनें छीनी जा रही हैं, उनकी इज्जत-आबरू खतरे में है, सुबह कोई मां बाप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते तो उन्हें चिन्ता रहती कि शाम को या रात को हमारा बच्चा वापस भी आ जायेगा या नहीं। यह आपके शासन की देन है। खैर, छोड़िये इस बात को कि किसके शासन में ज्यादा अपराध हुए और किसके शासन में कम हुए। यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि आखिर हिन्दुस्तान की राजनीति में वह दिन कौन सा आयेगा जब सारे राजनीतिक दल निश्चित रूप से बैठकर यह विचार करेंगे कि इन अपराधों में कमी कैसे आये। पुलिस की

(श्री सूर्य कुमार)

स्थापना क्यों की गई ? आप इण्डियन पेनल कोड को उठाकर देखें जो भी कानून में है वह उठाकर देख लें। आपकी नैतिकता की रक्षा के लिए, आपकी सामाजिक रक्षा के लिए, आप अच्छी तरह से जी सकें, इसीलिए भारतीय दण्ड विधान को बनाया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दुस्तान की जो पुरानी मान्यतायें थीं उनके अनुसार वह कानून नहीं हैं। हिन्दुस्तान की मान्यतायें तो, सभापति महोदय, आपने सुनी-पढ़ी होंगी। चन्द्रगुप्त के शासन में अगर कोई चोरी करता या हत्या करता तो उसकी हाथ, गर्दन काटकर दरवाजे पर लटका दी जाती थी ताकि सब देखें। यह भारतीय परम्परायें थीं, व्यवस्थायें थीं। लेकिन हमें जो कानून मिला है वह अंग्रेजों के शासन से मिला है, अंग्रेजों की देन है जिसमें कहा है कि जब तक साबित नहीं हो जाये वह निर्दोष है। लेकिन जो भी है वह कानून है, वह इसीलिए है कि हमारी नैतिकता की रक्षा करे, हम नैतिक रहें, लेकिन नैतिकता की रक्षा करने के बजाय केवल इसलिए कि हमें विरोध करना है, केवल इसलिए कि हम जनता में जाकर जब चुनाव का मौका आये तब यह कहें कि देखिये वहां यह बलात्कार हो गया, उसने बलात्कार कर दिया और यह मुख्य मंत्रीजी, गृह मंत्रीजी, डी.आई.जी. आई.जी. देखते हैं, यह कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं अमरीका भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बड़े प्रशंसक हैं, अमरीका में राष्ट्रपति का खून कर दिया, सड़क चलते हुए वहां के राष्ट्रपति का खून कर दिया। आप और हम लोग क्या चीज हैं। आई.जी. को लगाया जाए, सारी पुलिस को लगा दीजिए जो अपराध करने वाला है, जिसने अपराध करने की ठान ली है, वह तो अपराध करेगा। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे जीवन को कैसे रखना चाहते हैं, एक अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, राजनेता के रूप में हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे करना चाहते हैं ? मूल प्रश्न यह है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन मांगों पर विचार करते समय हम हमारी विचारधारा को मोड़ें। हमारे विवाद के जो पहलू हैं उनको मोड़ें और इन छोटी-मोटी चर्चाओं में उलझकर नहीं रह जायें। हम निश्चित रूप से बैठकर यहां यह आत्म विवेचन करें कि हमारा रोल क्या रहा है ? आप कांग्रेस के विरोध में विराज रहे हैं, जब आपका शासन था कांग्रेस विरोध में थी। क्या आप बता सकते हैं कि कांग्रेस ने कहीं भी हिंसात्मक प्रदर्शन किया उस समय....

श्री मेघराज तावड़ : बंगाल में आप वही कर रहे हैं ?

श्री सूर्यकुमार : आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री सभापति : आपको बोलने का अवसर मिलेगा, तब बोलें। बहस का एक तरीका है।

श्री सूर्यकुमार : आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, वह कह रहे थे कि

(श्री सूर्यकुमार)

कांग्रेस को विरोध करना ही नहीं आया। मैं कहता हूं कि जितना समय हमने विरोध में गुजारा, वह आदर्श विरोधी पक्ष की भावना से गुजारा है। अगर जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, या आज भी विरोध पक्ष में बैठने वाले सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार विरोध किया जाता है तो निश्चित रूप से उस समय के कांग्रेस के विरोध पक्ष का इतिहास उठाकर देख लें कि किस प्रकार विरोध किया जाता है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सूर्य कुमार : विरोध केवल हल्ला मचाकर, रास्ता रोक कर, कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़कर करें उसको विरोध करना नहीं कहा जा सकता। आखिर आपके मूल्य क्या हैं, किन मूल्यों को आप स्थापित करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देना चाहते हैं, प्रजातंत्र में यह मूल प्रश्न है। मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा नहीं करके यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये पहलू हैं, ये मूल प्रश्न हैं जिनकी ओर ध्यान देना चाहिए। यह प्रश्न निश्चित रूप से गौण है कि किस के वक्त में जुर्म हुए और किस के वक्त में नहीं हुए। जुर्म होते आये हैं, होते रहेंगे। पुलिस अपनी पूरी कोशिश उनको पकड़ने की करती है, उनके चालान पेश किये जाते हैं। निश्चित रूप से इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की गलती होती है। यदि इनकी गलती है तो जिस दिन विरोध पक्ष पूरी ईमानदारी के साथ यह भूमिका निभाना शुरू कर देंगे कि वह भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ हैं, इसलिए खिलाफ नहीं हैं कि वह भ्रष्टाचार करने वालों की आड़ में सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोगों की स्थिति नाजुक करना चाहते हैं, जिस दिन विरोध पक्ष इतनी ईमानदारी से सामने आ आयेगा मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ पुलिस की नेगलीजेंसी है, जो कुछ गलती है वह नहीं रहेगी।

मैं एक बात ट्रेजरी बैंचेज से भी निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी यहां बिराज रहे हैं, जिला प्रशासन की मांग है। जिला प्रशासन की आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी यह प्रमुख भूमिका है कि वह जिले में कानून और व्यवस्था को मेनटेन रखे। वह इसके लिए भी उत्तरदायी है कि विकास की गति को आगे से आगे कैसे बढ़ायें। किस तरह 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से गरीब तबके को लाभान्वित किया जा सके। इसलिए जिला प्रशासन के रूप में जिलाधीश महोदय की या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की जब कभी नियुक्ति या पदस्थापन किया जाये तब निश्चित रूप से इन दोनों पहलुओं पर ध्यान रखा जाये। मेरी यही विनती है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री सुजान सिंह यादव : ×××

×××अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अवलोपित की गई।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) सभापति महोदय, आज जिस महत्वपूर्ण विभाग पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ट्रेजरी बैंचेज से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालते हुए इतने लच्छेदार भाषा और इस तरह जोरदार भाषा का उपयोग कर सदन को गुमराह किया है आप भी जानते हैं, आप कानून के ज्ञाता हैं, वकील हैं, आप कोर्ट में जाते हैं सभी आपको मालूम है कि किस तरह का अत्याचार और जुल्म किया जाता है, वह आप स्वयं जानते हैं।

सभापति महोदय, यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, दोनों तरफ से कहा जाता है तुम्हारे समय में ज्यादा अत्याचार हुए, ज्यादा जुल्म हुए। नारा देते हैं समाजवाद का, मैं कहता हूं कि समाजवाद का नारा अब तो श्रीमती इन्दिरा गांधी, हमारी प्रधान मंत्री भी भूल गईं, अब तो उनको चिंता रह गई है कि हमारी कुर्सी किसी तरह से बची रहे। इसी तरह मुख्य मंत्री चाहते हैं कि किसी तरह से राजस्थान की जनता को दबाये रखा जा सके, डंडे के बल पर, पुलिस के बल पर राज किया जाय। कुर्सी को साबुत रखा जा सके, यह प्रयास किया जा रहा है। सभापति महोदय, यही नहीं, कौन चाहता है, कौन आपके साथ सहयोग नहीं करना चाहता है? कौन चाहता है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़े? कौन चाहते हैं विपक्ष के लोग कि आपकी कानून व्यवस्था बिगाड़ने में आगे आयें? यह इस तरह की बात है, सभापति महोदय, जो अपनी गलतियां है, जो अपनी असफलताएं हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए हम कहना चाहते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप जिस दिन से मुख्य मंत्री बने हैं, मैं केवल आपका पीरियड लेना चाहता हूं, मैं नहीं जाना चाहता पीछे के पीरियड में। आप मुख्य मंत्री बने हैं, कितने गोलीकांड हुए, आपके राज में?

श्री सभापति : कृपया आसन को सम्बोधित करें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, कितने गोलीकांड हुए हैं? आपकी पुलिस की गोली से कितने लोग मारे गये हैं? मैं यह नहीं पूछना चाहता। आपके राज में, जब से आप आये हैं, कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने बलात्कार हुए हैं यह आपके खुद के आंकड़ों से साबित हो जाएगा। सभापति महोदय, सवाल तो आंकड़े बताने का है। आंकड़े तो आपके अधिकारी ले आयेंगे। जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, साम्प्रदायिक दंगे खूब हुए। मै कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, माननीय सदस्य से, जो नैनवा से आने वाले हैं. आज आपने राजस्थान के आंकड़े दो बताये। मै कहना चाहता हूं, आपके मुख्य मंत्री बनने के बाद उदयपुर में साम्प्रदायिक दंगा फैला। साम्प्रदायिक दंगे किसने फैलाये? आप और लोगों को कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आर. एस. एस. के लोगों को कह सकते हैं लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उदयपुर में एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और आर. एस. एस. के लोगों के साथ कांग्रेस के लोगों ने साम्प्रदायिक दंगा फैलाया। दो बार उदयपुर बंद हुआ। किसके कारण हुआ? किससे बात करें? आप तो....

(श्री मेघराज तावड़)

(व्यवधान)

सो रहे हैं। आपके नैनवा में ही हुआ। मैं कहता हूं, डूंगरपुर में हुआ, बांसवाड़ा में हुआ और आप कहते हैं, साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। कौन कहने वाला है ?

दूसरी तरफ, सभापति महोदय, आज जितने भी कांड हुए, पुलिस के बड़े अधिकारियों की लापरवाही से हुए। आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया ? मुख्य मंत्री जी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। मैं और कहता हूं जो छोटे पुलिस कर्मचारी हैं, आंकड़े मैं भूल रहा हूं, 122 या 220 हैं, आज उन पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त कर रखा है, आपकी एक बैंच यहां, राजस्थान से जीत लिया, दूसरे छोड़ करके जा रहे हैं, अलग-अलग जिले की बात है। सभापति महोदय, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब मुख्य मंत्री थे तब उनको निलम्बित किया। जब पहाड़िया जी मुख्य मंत्री थे तब माननीय शिवचरण जी माथुर मुख्य मंत्री नहीं थे, खाली एम. एल. ए. थे, मंत्री भी नहीं थे तब आपने एक लैटर लिख कर दिया पहाड़िया जी को कि इन पुलिसकर्मियों की मांगें सही हैं, वाजिब हैं इनको बर्खास्त किया गया है, सहानुभूतिपूर्वक विचार करके बहाल किया जाय, और जब आपका राज आया तो गये साल भी पुलिस की डिमाण्ड पर मैंने कहा था, आप क्या करना चाहते हो ? उस समय मेरी बात का जवाब नहीं दिया, प्रद्युम्न सिंह जी ने कहा, उन्होंने बगावत की थी।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बताइये आप, आज पुलिस का जो छोटा कर्मचारी है वह थानेदार से ढंग से जाकर पेश नहीं आ सकता है, अपनी बात, मजबूरी को नहीं बता सकता है, अपनी मांग को नहीं कह सकता है, उसको 24 घंटे कमर बांध कर तैयार रहना पड़ता है, उसको बाल बच्चों की चिन्ता है। बेईमानी करता है तो हम भी कहते हैं। पुलिस का एक फर्ज भी है। पुलिस वाला भी एक इन्सान है। सब तरह के लोग हैं इसमें। बदमाश हैं उनको बदमाश कहेंगे, सभापति महोदय, लेकिन जो ईमानदार है वह काम करता है, आप क्या देते हैं पुलिस वालों को ? कितना बजट है आपका पुलिस का ? अंग्रेजों के समय से सी आर. पी. सी. और आई. पी. सी. आपके यहां चल रहा है। उस समय कांड दूसरी तरह के थे। पुलिस, आई. पी. सी., और सी आर. पी. सी. केवल कांग्रेस की रक्षा के लिये बना कर गये हैं, उसी आधार पर हम चल रहे हैं। क्या आज आप नहीं चाहते हैं कि पुलिस वाले आपके यहां घात लगाये बैठे रहें, आपकी रक्षा करने के लिये बैठे रहें ? लेकिन यही की यही स्थिति नहीं है, सभापति महोदय, कानून और व्यवस्था की यहां हम बात कहते हैं, कानून और व्यवस्था हम खुद बनाना नहीं चाहते हैं। कानून और व्यवस्था के लिये पुलिस डिपार्टमेंट में 1400 सीटें आपकी खाली है। क्यों? यह पूरी तरह डिपार्टमेंट को भरना नहीं चाहते है। अधिकारी पूरी पोस्ट्स भरना नहीं चाहते हैं। जहां भी कोई ऐसे मसले होते हैं आप कानून और पुलिस के बल पर राज करना चाहते हैं। मैं चार्ज लगाना चाहता हूं राजस्थान सरकार पर, खास तौर से शिवचरण माथुर, मुख्य मंत्री पर कि इनके आने के बाद जिस तरह से पुलिस के जुल्म करने वाले दोषी अधिकारियों

(श्री मेघराज तावड़)

के सामने × × × उनको बचाया है। यही कारण है, सभापति महोदय, आज पुलिस नंगा नाच करने के लिये तैयार है। आज जितने भी जुल्म बढ़ रहे हैं वह इस कारण से भी बढ़ रहे हैं कि पुलिस का जो हैड होता है, पुलिस के जो मंत्री है, जो पुलिस के हैड आफ दी डिपार्टमेंट हैं वह सख्त, ईमानदार नहीं हैं। तो मैं कहता हूं, सभापति महोदय, कभी कानून और व्यवस्था, सही ढंग से लागू नहीं हो सकती है राजस्थान में। मैं कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं, मुझे समय कम मिलता है इसलिये अपनी पूरी बात नहीं कह पाता हूं, सभापति महोदय,

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस में भर्ती होने के संबंध में। आप कहते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में शांति रहे। मैं कहना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारी भी यहां बैठे हैं, आप डंडे के बल पर राजस्थान में शांति कायम रखना चहते हैं वह नहीं रह सकती है। जो पुलिस के काम हैं, जो पुलिस के कर्तव्य हैं उसके साथ जनता का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर आपने जनता को विश्वास में लिया तो पुलिस का सहयोग जनता करेगी तभी आप कुछ कर पायेंगे। आज इतना अविश्वास पुलिस के प्रति लोगों में क्यों है? पुलिस की वर्दी को देखने हुए आज कितने आदमी आपके थानों में आते हैं? आप के किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी के पास जाने से आदमी डरता है? सभापति महोदय, इसलिये डरता है, आज सीधे मुंह बात नहीं की जाती है उसके साथ। थानों में जाते हैं, आपने थाने वालों को क्या दे रखा है? आज थानों में जीप नहीं है। जंगल में ऐसे भयंकर थाने हैं अगर वहां चोरी हो जाये, गरीब आदमी की गाय, बकरी, भैंस चोरी चली गई तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां किसी सेठ, बड़े सेठ या या जागीरदार के चोरी हो जायेगी तो डी.आई.जी., आई.जी. सब दौड़ कर जायेंगे, सब दौड़ते मिलेंगे। क्यों गरीब आदमी की रक्षा करने का काम आपका नहीं है? आपका रक्षा करने का काम सेठों का भी है, गरीब आदमी का भी है, जागीरदार का भी है, गरीब आदमी जो राजस्थान का नागरिक है, देश का नागरिक है उसका भी है।

आपके सी. आई. डी. के पास क्या है, सभापति महोदय? मैं एकमात्र मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सी. आई. डी. में जो लगा रखे हैं, क्या काम करते हैं सी. आई. डी. वाले। आज सी. आई. का स्तर गिरा हुआ है। जो सी. आई. डी. का कर्मचारी, अधिकारी लगा हुआ है उसके पास साधन नहीं है। आप थानों में जायं, आपको मालूम होगा, सभापति महोदय। मैं थानों में जाता हूं, मालूम पड़ा, जो भी कोई फरियादी जाता है तो उससे कहा जाता है, भाई, कागज लेकर आओ। मंत्री महोदय, आपके बजट से थानों में स्टेशनरी नहीं दे सकते तो वह फिर चोरी करेगा क्यों नहीं। कागज मंगायेगा, कागज के साथ और कुछ मंगायेगा, पैसा लेगा। जितनी रिश्वतखोरी पुलिस थानों में बढ़ी है आपके उन दोषी पुलिस कर्मचारियों

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(182)

(श्री मेघराज तावड़)

के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के कारण बढ़ी है।

सभापति महोदय, भर्ती होने के समय जो रवैया अख्तियार किया जाता है वह बिलकुल गलत है। आज भाई-भतीजावाद जिस तरह से हर जगह फैला हुआ है, उसी तरह से पुलिस में भी फैला है। आज जिसके पास पैसा है, चैक एण्ड जैक है वह आदमी भर्ती हो जायेगा चाहे वह काबिल है ही नहीं। यही कारण है, सभापति महोदय। आज पुलिस में 24 घण्टे के काम पर रहना पड़ता है। मुझे याद है, मूलचन्द यादव जब डी.आई.जी. थे, भरतपुर गोली-काण्ड के टाइम मैं गया था। मैंने एस. पी. को टेलीफोन किया, कलेक्टर को टेलीफोन किया, डी.आई.जी. को टेलीफोन किया, मुझे बताया कि साहब हैं ही नहीं, पता नहीं। मैंने कहा, बताओ तो सही, मैं एम. एल. ए. हूं बाहर से आया हूं। उस समय मैं एम. एल. ए. नहीं था बाबू था। जब वे उदयपुर में रहकर आये। कोई बात नहीं। उन्होंने कह दिया....

(व्यवधान)

तू यहां से जा। तीन चार बार टेली-फोन करने के बाद मिले। और आवाज जब आ रही थी जुबान लड़खड़ाती थी क्योंकि 8 बजे दारू पीने बैठ गये थे। तुम क्या हो, थाने....

(व्यवधान)

है कोई कहने वाला और मना कर दे कोई कि अधिकारी रात को 8 बजे दारू पीने नहीं बैठ जाता हो। सभापति महोदय, हमारी जिम्मेदारी है। सत्तापक्ष के माननीय सदस्य, मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी कह देंगे, इनका काम है आलोचना करना। क्या आपने थानों में जाकर देखा है? पुलिस को सुधारने की बात है, आपको पुलिस को सुधारना पड़ेगा। सुयोग्य व्यक्तियों को भर्ती करना पड़ेगा। हमारे ट्राइब्स और कास्ट्स के जो लोग एन.बी.सी. में भर्ती होते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय, आज कितने आदिवासी लोगों ने वहां एप्लीकेशन दी थी, कितनों को आपने इंटरव्यू के लिये बुलाया? उसके बाद एन. बी. सी. में कितने आदिवासियों को भर्ती किया। मैं नाम गिनाना चाहता हूं, मैं वजन बता सकता हूं। उनको कहा कि यह फिट नहीं हैं। उनको नहीं लिया गया। यह एन.बी.सी. में यह करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। थानों में तीन साल से ज्यादा अगर किसी अधिकारी को रखते हैं....

(4·00 म. प.)

सभापति महोदय, आदिवासी इलाके में भी खास तौर से आज भी चर्चा में यह मसला आया, मैं कह देना चाहता हूं, आज अधिकारी वहां बैठे है, माननीय मंत्री जी, दुबारा इस बात को रिपीट करना चाहता हूं, आदिवासी जो थाने में जाते हैं थाने वाले उनकी कल्चर को समझते नहीं हैं, उनकी स्थिति को समझते नहीं हैं, मारपीट कर के ऐसे लोगों को परेशान किया जाता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, आज भी मसला आया था, प्रेमा को फांसी देने की बात थी, आई.जी. साहब यहां है, ए. आई. जी. साहब

(श्री मेघराज तावड़)

यहां है, एस. पी. साहब हैं, मैं चाहता हूं मैं गलत रूप से अधिकारियों के नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई अनर्गल उनके खिलाफ आरोप नहीं लगाना चाहता, हम भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। आज आप वहां पर हैं कल हम भी वहां आ सकते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी? यह बात तो करना ही व्यर्थ है कि विपक्ष केवल आरोप लगाना जानता है। सभापति महोदय, अगर यह विपक्ष न हो तो आपके और ज्यादा कारनामे हों। जैसे माननीय सदस्य ने एक केस पढ़ा उसी तरह से गंगानगर के चुन्नीलाल बिश्नोई का है जिसमें किस तरह से केस दायर किया है, वह धारायें बताता हूं। 11 केस इस तरह से केवल राजनैतिक बदला लेने के लिये, परेशान करने के लिये हैं। भूतपूर्व एम. एल. ए. हैं, सभापति महोदय, कैसे कैसे केस लगाये गये हैं। चुन्नीलाल बिश्नोई गंगानगर का और रायसिंह नगर थाने में आपके कांग्रेस आई के चेयरमैन से मिल कर के, वहां के दूलाराम जी मंत्री हैं उन्होंने कैसे कैसे केस लगाये। पुलिस में जो केस दर्ज होते हैं....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

न्यायालय उनको छोड़ती जाती है। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण मामला है। केस दर्ज किये हैं 307, 147, 148, 149, 349, 341, 335, 332, 27। इसी तरह से, सभापति महोदय, दूसरा केस है। केसेज तो बहुत हैं, यह एक दूसरा केस है विनोद पुत्र श्री चुन्नीलाल इनके ऊपर 379, 452, 323, 147, इसी तरह का एक केस 125 में है। न्यायालय, सभापति महोदय, उनको बरी करता जाता है। इस तरह के 10 केसेज हैं, मैं समय बरबाद नहीं करना चाहता। कहने के लिये यही बहुत है। सभापति महोदय, मैं जो बात आदिवासी इलाके की कहना चाह रहा था, आदिवासियों के जो कस्टम्स हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक आदिवासी महिला अपने पहले पति को छोड़ कर कहीं चली गई, वहां के घर वालों ने फैसला कर लिया। पुलिस वाले बीच में जाकर फिर पकड़ कर लाये, दो बच्चे छोड़ कर चली गई। फिर मैं गया ओगला थाना में। मैंने कहा; इनके ऊपर कानून की बात मत करिये। आप देखिये इनके कस्टम्स क्या हैं। जबरदस्ती धारायें लगाकर आदिवासियों को परेशान न किया जाये, उनको मुकदमो में न उलझाया जाय, कोर्टों में न उलझाया जाये। उनके पास खाने के लिये नहीं है, मुश्किल से पेट भरते हैं। कोर्टों में जाकर उनका कितना समय वेस्ट होता है। इसी बीच में, सभापति महोदय, मैं यह आरोप लगाना चाहता हूं कि आदिवासी, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके साथ अभी भी छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। आदिवासी जितने कर्मचारी और अर्दली हैं एस.पी. साहब के यहां, डी.आई.जी. साहब के यहां, एडीशनल एस.पी. साहब के यहां आज उनसे औरतों के कपड़े और पेटीकोट धुलवाये जाते हैं। मैंने इसकी बार बार कोशिश की कि उनके फोटू लेऊ, औरतों के कपड़े धुलवाये जाते हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात और क्या हो सकती है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये!

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, ट्रैफिक की बात कहना चाहता हूं। तीन चार मिनट में खतम करता हूं। आज ट्रैफिक का जहां तक सवाल है ट्रैफिक पर हमारा कन्ट्रोल ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरा सुझाव है कि अलग अलग बुलेटिन निकाल करके प्रदर्शनी लगाई, यह सराहनीय है। प्रदर्शनियां लगाकर के और कन्ट्रोल करने की, जो स्पीड है उसको कन्ट्रोल करने की बात है तो एक्सीडेंट कम होंगे। मैं चाहता हूं कितने केसेज आपकी ट्रैफिक पुलिस ने बताये हैं, उनके पैसे बन्धे हुए हैं, महीना खतम हो जायेगा, सभापति महोदय, 20,25 रुपया लेकर छोड़ दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे, कितनों की लाइटें नहीं है? आगे और पीछे बम्पर लगाये नहीं जाते, किसी पर नम्बर नहीं, नम्बर प्लेट ठीक से नहीं लगी होती हैं। सभापति महोदय, जितने ट्रकों के एक्सीडेंट होते है, मेरी तो मान्यता है कि उनके ऊपर वजन कितना डाला जाये, कितने क्विंटल ले जायें, कितने टन ले जायें, उसकी सीमा होनी चाहिये। उस सीमा से ज्यादा जायेगा, ट्रक उलट जायेगा और हर ड्राइवर रात को शराब पीकर चलता है, शराब पी करके बस से एक्सीडेंट, कहीं किस से एक्सीडेंट करता है। हमारी राजस्थान सरकार कहती है मरने वालों को इतना दे दिया। क्या दे दिया। आज 5,10हजार रुपया उनकी कीमत आंकते हैं। सभापति महोदय, इसको कन्ट्रोल किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, हमारे जो आदिवासी हैं उनको जो दो तीन साल नौकरी कर लेते हैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं दिया जाता है। जैसे आर.ए.सी. में इन्सेंटिव कुछ नहीं, उनको डंडा चलाने के लिए रखा जाता है। फिर भी दो साल की नौकरी के बाद तीन चार आदमी निकल गये लेकिन आदिवासियों को नहीं लेते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास गृह मंत्रालय है उनके पास 4,5,6 एम.एल.ए. लेकर गये उनकी सुनवाई नहीं की जाती। इसी तरह से आप जानते हैं कि शोभाराम मीणा आर.ए.सी. में है रोल नं. 17, बैज नं. 132 है, उसकी 28 साल की सर्विस है लेकिन उसके बाद भी उसका सलेक्शन और प्रमोशन नहीं हो सकता है। इसी तरह अमृतीलाल को प्रमोट किया गया, दो महीने बाद उसको रिवर्ट कर दिया, सभापति महोदय, मंत्रीजी यह बतायें, क्या यह न्याय हो रहा? इसी तरह से, सभापति महोदय, आदिवासी इलाके में एक डाक्टर था, कम्पाउंडर था, गलत इंजेक्शन लगाने से, एक्सपाइरी डेट का इन्जेक्शन लगाने से आदिवासी की मृत्यु हो गई। उस केस में पुलिस ने आज तक उस कम्पाउंडर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री को लैटर लिखा था। सभापति महोदय, एक इन्ट्रेस्टिंग बात और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय; इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। सभापति महोदय, रामबाबू गोयल करके एक प्रार्थी है, सभापति महोदय, क्या विडम्बना है, कानून और व्यवस्था की बात हमारे सभी माननीय सदस्य कहते हैं। आप देखिये। इस राम बाबू का 22 वर्षीय लड़का राजेश, जिसका 14-3-84 को अपहरण किया गया, जिसकी नामजद रिपोर्ट है, 14-3-84 को घर से गायब कर दिया इसमें कौन कौन लोग हैं धर्मेन्द्र पुत्र श्री भगवान सहाय...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य। और भी माननीय सदस्यों को बोलना है। कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, एक मिनट। यह ऐसा मसला है।....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मेघराज तावड़ : एक मिनट।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी के पास गृह विभाग है क्या कारण है आज दिन तक नहीं पकड़े गए। नामजद रिपोर्ट है। कुछ गुण्डे हैं, उसमें कुछ पुलिस अधिकारी हैं। गुण्डों के नाम हैं जितेन्द्र शर्मा उर्फ फानू पुत्र श्री रामेश्वर दयाल व उनके साथी। 15-3-84 से 17-3-84 सुशील कुमार के नाम से राजकमल होटल में कमरा बुक करवाया। डूंगरपुर से 17-3-84 को सायं 5 बजे रोडवेज की बस में बैठकर जयपुर के लिये आये। सभापति महोदय, सब जगह नामजद रिपोर्ट है। और जगह जगह पुलिस पकड़ सकती है, क्या कारण है उनको नहीं नहीं पकड़ने का ? मंत्री महोदय, वे पुलिस के अन्दर के लोग हैं, पुलिस के लोगों का हाथ है क्या आप उनको पकड़ायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रहरी है, अपने यहां जब आते हैं, सभापति महोदय, उनके ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, उनको भत्ता भी पूरा नहीं दिया जाता है, न उनके ठहरने की कोई व्यवस्था है, न कोई ड्यूटी की व्यवस्था है। इसलिये मैं चाहूंगा उनके लिये या तो होटल में ठहरने की व्यवस्था करें या उनका भत्ता बढ़ाये। अपन रात को 12-12 बजे तक असेम्बली चलाते हैं। ये सुबह 9.00 बजे आयेंगे और रात को 12.00 बजे जायेंगे फिर जाकर खाना खायेंगे। उस समय तक होटल बन्द हो जाते हैं इसलिये उनके लिये कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

सभापति महोदय, मेरे इलाके में जिस तरह के अत्याचार हुए हैं उन अधिकारियों को आप हटायेंगे और तत्काल एक चौकी क़ायम करेंगे। चौकी कायम करने के लिये मैं पहले भी मुख्य मंत्री महोदय से बातचीत कर चुका हूं। बहुत आवश्यकता है वहां चौकी की। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता हूं, जो पुलिस आज निष्क्रिय है और जान बूझकर जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करेगे तो कानून व्यवस्था और बिगड़ेगी। यदि आपने गरीबों के साथ न्याय नहीं किया तो फिर मैं कहना चाहता हूं और चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि उदयपुर जिले में हम इस तरह का आन्दोलन करेंगे कि सारे थानों का घेराव करेंगे और जो सीधी कार्यवाही करने की होगी वह भी करेंगे चाहे पुलिस हमको गोली से उड़ा दें। उसकी परवाह नहीं है। साथ ही फिर आदिवासी अपने अलग राज्य के लिये नारा देने को मजबूर होंगे। एक दिन उनको अपना अलग राज्य बनाने के लिये आगे आना पड़ेगा और इसी बात का नारा देना होगा। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पूर्व सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से मुझे विधान सभा का सदस्य होने का अवसर मिला है, मैं बराबर यह बात देखता आ रहा हूं कि माननीय विरोधी दल के सदस्य प्रति दिन स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से या ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान एक ओर बराबर आकर्षित करते रहे हैं कि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस दमन हो रहा है। माननीय विरोधी दल के नेता जब भी अपना भाषण देते हैं उन्होंने बार-बार यही कहा है कि राजस्थान का नेतृत्व कमजोर है, राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन्टर वाटर डिस्प्यूट को राजस्थान के मुख्य मंत्री इसको सोल्व करने में ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और कुल मिलाकर अपने भाषण में किसी न किसी मंत्री पर आरोप लगाकर अपने भाषण की समाप्ति की है। माननीय सभापति, मैं यह पृष्ठ भूमि इसलिये बताना चाहूंगा कि विरोध पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य यह मानते हों कि राजस्थान के विकास का माप दण्ड पुलिस दमन ही है और राजस्थान में होने वाले बलात्कार ही हैं, विरोधी पक्ष के नेता का यह भाषण हो कि नेतृत्व कमजोर है या भ्रष्टाचार है और इन्टर वाटर डिस्प्यूट सोल्व करने में सफल नहीं रहा है। इस बारे में जो उनका मानस है, उसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आप स्वयं इस बात को जानते हैं, सभापति महोदय, सन् 1980 के चुनाव में हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो हमारी पार्टी की नेता है, ने यह विश्वास दिलाया था कि हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं जो सरकार काम करेगी। उस काम करने का जनता ने विश्वास रखा और उस विश्वास के आधार पर ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। सभापति महोदय, सन् 1980 के चुनाव परिणामों के बाद इस हिन्दुस्तान में राजनीति करने वाले दल अपनी राजनीति के भटकाव में आ गये और उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल भटक गई कि हिन्दुस्तान की राजनीति में मुख्य मुद्दा किसको बना सकते हैं और जनता का विश्वास किस प्रकार से अर्जित किया जा सकता है। इससे अलग हटकर इन्होंने केवल मात्र एक काम अपने हाथ में लिया है कि किस तरह राजस्थान में ये बलात्कार हो रहे है, पुलिस दमन हो रहा है, इस बात की रोज प्रति दिन अखबारों के माध्यम से एक हवा बनाई जाय और यह बताया जाय कि कांग्रेस की सरकार काम करने में अक्षम है, कांग्रेस की पार्टी काम करने में अक्षम है।

माननीय सभापति महोदय, यदि आंकड़ों के आधार पर इसका माप दण्ड नापना चाहें तो सदन का ज्यादा समय नहीं लेना है, पूर्व वक्ताओं ने कहा है जनता पार्टी के शासन काल में जितने अपराध हुए हैं यदि उनको माप दण्ड मानें तो कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद उन अपराधों में कमी हुई है। साम्प्रदायिक दंगों का जो आधार है, सभापति

(श्री सी. पी. जोशी)

महोदय, मैं आपका ध्यान केवल मात्र 77 और 78 में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। क्या यह सच नहीं है कि 23-3-78 को पीपाड़ शहर में होली के अवसर पर साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ? क्या यह सच नहीं है कि 11 मई, 78 को उदयपुर में हाथीपोल थाने के अन्तर्गत साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ ? क्या यह सही नहीं है कि झालावाड़ के मनोहर थाने में 13-10-78 को साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ? और क्या यह सही नहीं है कि 10-11-78 को छात्रों में साम्प्रदायिक दंगा हुआ ? 21-4-79 को नागौर जिले के कस्बे में साम्प्रदायिक दंगा हुआ, 28-8-79 को गंगापुर जिले के भीलवाड़ा कस्बे में नीलकंठ महादेव और कब्रिस्तान को लेकर झगड़ा हुआ, 24-3-79 को कस्बा फतेहपुर जिला सीकर में होली के जुलुस पर साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ, 7-7-79 को नवलगढ़ के अन्दर झगड़ा हुआ, पीपाड शहर में दंगा हुआ। सभापति महोदय, केवल मात्र साम्प्रदायिक दंगों का यह इतिहास बताकर मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आधार बनाना चाहते है इस राजस्थान में कि इस सरकार में अपराध बढ़ रहे है इसलिये काम करने में अक्षम है।

सभापति महोदय, यह इनके सोचने की अक्ल का एक नमूना है। मैं बताना चाहता हूं कि इस हिन्दुस्तान की राजनीति नारों के आधार पर नहीं चल सकती। हैं, कोई पार्टी का नेता यह समझता हो कि हम जनता को केवल मात्र नारों के आधार पर गुमराह कर सकेंगे तो गलत होगा। सभापति महोदय, जब जब भी सत्र प्रारम्भ हुआ विधान सभा के अन्दर बलात्कार और पुलिस दमन की गूंज विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने उठाई है। इन नारों के आधार पर राजनीति को बदलने वाले विरोधी दल के नेता जो हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, जब जब भी सत्र हुआ है तब तब ही विधान सभा में बलात्कार के नाम पर हो-हल्ला, पुलिस दमन के नाम पर हो-हल्ला करने वालों का न कोई मनन है, न कोई चिन्तन है। उनकी मन: स्थिति ही एक प्रकार की वैसी बन गई है। सभापति महोदय, यह अपने आप में बहुत गलत हैं।

सभापति महोदय, सन् 1980 के बाद इस राजस्थान में जितने उप चुनाव हुए हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की जितनी सीटें थीं वे भी खोई हैं चाहे यह सरदारशहर का चुनाव हो, चाहे मण्डावा का चुनाव हो और चाहे अन्य जगह का चुनाव हो कांग्रेस पार्टी ने ही वे चुनाव जीतें हैं इस प्रकार के बाद भी कि राजस्थान में बलात्कार और बढ़ रहा है। सभापति महोदय, यही नहीं जो पार्टी अपने विरोधी दलों के आधार पर राज्य सभा की सीट दो बार जीत सकती थी, उस राज्य सभा की सीट को भी ये जीत नहीं पाये हैं। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, इस राजस्थान में पुलिस व्यवस्था का जहां तक कुछ केसेज को छोड़कर मापदण्ड यह समझें तो पिछले ढाई वर्ष के जनता शासन से आज कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। इसके लिये मैं राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को और मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा आपको, सभापति महोदय, इसकी जो ऐतिहासिक

(श्री सी. पी. जोशी)

पृष्ठ भूमि है वह है हिन्दुस्तान की महान जनता और इस महान जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार चलाने के लिये वोट दिया। उस महान जनता को सबक सिखाने के लिए अपनी राजनीति, मन: स्थिति को जनता के सामने इस प्रकार पर्दाशित करना चाहते हैं। इसलिए मैं बार-बार यह कहना चाहता हूं, इस बजट भाषण में कहा गया, सभापति महोदय, 430 करोड़ रुपये में 300 करोड़ रुपये 20 सूत्री कार्यक्रम पर खर्च करेंगे। यह विरोधी दल कभी यह नहीं कहता है कि प्लानिंग कमीशन यह कह रहा है कि राजस्थान 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम रहा है बल्कि उसके विपरीत हो हल्ला करते हैं, बलात्कार हुआ है और पुलिस दमन हुआ है। क्या राजस्थान का विकास इस नाम पर ही करना चाहते हैं ?

सभापति महोदय, मैं जहां तक समझ पाया हूं, इनकी सारी मन: स्थिति कुल मिला कर यह है कि जो राजनीतिक भटकाव की स्थिति आ गई है उसको किस प्रकार की आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ बनाये रखें। आपने भाषण सुना होगा, चाहे वह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो और चाहे बजट भाषण हो उस के लिये सब जगह यही कहा गया है कि प्रतिक्रियावादी भाषण है, नेतृत्व कमजोर है। कुल मिलाकर हम क्या कहना चाहते है, और क्या करना चाहते है, वह नहीं बताया गया। सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम को जब हमने आधार माना है उस आधार पर जिस कांग्रेस के वर्ग ने समाज के अन्दर तरक्की है वह अपने आप में एक चिजहै, चाहे वह शिड्यूल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित हो, चाहे माइनोरिटी से सम्बन्धित हो और चाहे पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हो सबकी आंकाक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी और हमारे मुख्य मंत्री काम कर रहे हैं। यदि इसको आधार माना जाय तो राजस्थान में हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। इसलिये में विपक्षी दल के सदस्यों और विपक्षी नेता महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात को समझें। सभापति महोदय, आज अपराध के पीछे कारण क्या है ? अपराध के पीछे जो कारण है उन वैज्ञानिक कारणों का हमे अध्ययन करना होगा। कोई छुट-पुट घटना आधार नहीं हो सकती है। इसके पीछे सोशियों इकोनोमिक जो चेन्ज हो रहा है उससे हमारा सोशल टेंशन डवलप हो रहा है और उससे अपराध बढ़ सकते हैं। जो पार्टी ढाई साल तक जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं को ठीक तरह से नहीं समझ सकी उसने जातिवाद और साम्प्रदायिकता का इस प्रकार का वातावरण बना दिया कि हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक दंगे हों। यह तो कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी का विश्वास लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समाजवाद के अन्दर है ने उन मूल्यों को लेकर हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने का कार्य किया है लेकिन ढाई साल में जिस जनता ने इनको विश्वास दिया कि ये ढाई साल में हिन्दुस्तान में समाज में परिवर्तन करेंगे, कायाकल्प करेंगे, उस जनता की आंकाक्षाओं के साथ किसने धोखा किया है, सोशल टेन्शन को बढ़ाया है। तो इस आज की जनता पार्टी की कांस्टीट्यूएन्ट दल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया हैं जिनका अपना पूरा बेस कास्ट पर है।

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय सभापति महोदय. आप अपनी दृष्टि से देखेंगे चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इनके पीछे कास्ट फैक्टर है। वह लोग जिनके पीछे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सत्ता का उपभोग ले लिया इन पार्टी के नुमाइन्दों ने सत्ता के अन्दर बैठने के बाद हिन्दुस्तान में हालत यह पैदा कर दी, भय-मुक्त वातावरण कर दिया, पुलिस को संत्रस्त करने के लिए बाजारों के अन्दर जुलूस निकाले, वह लोग आज यह बात कहते हैं कि कांग्रेस देश के अन्दर कनून और व्यवस्था ठीक नहीं कर पाती है। तो मुझे कहते हुए, माननीय सभापति महोदय, दुःख होता, है आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आज हालत यह है कि आपने सोशल टेन्शन इस तरह के पैदा किये। आपका कमिटमेन्ट इस बात का नहीं है कि हिन्दुस्तान में समाजवाद आये, आपका कमिटमेंट इस बात का नहीं है कि सैकुलरिज्म बढे। वे लोग हिन्दुस्तान में कानून और व्यवस्था के नाम पर राजस्थान के मन्त्री और मुख्य मन्त्री का मूल्यांकन करें। तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस होता है; इन आधारों पर मैं समझता हूं यदि इसको आधार माना जाय, माननीय सभापति महोदय, तो निश्चित तौर पर हमने जो कुछ भी कार्य किये हैं और राजस्थान की सरकार ने पिछले तीन सालों में कार्य किये हैं वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय कार्य हैं। और उनके आधार पर में कहना चाहता हूं, माननीव सभापति महोदय, वातावरण बनाने के आधार पर कि ये वातावरण भी क्यों बना रहे है? माननीय सभापति महोदय, एक जो क्लास है, जिस जस क्लास को रिप्रज़ेन्ट करते हैं, प्रेस जिस क्लास को रिप्रजेन्ट कर रहा है, सिनेमा और विरोधी पक्ष के बीच में एक ऐसा सामंजस्य बन चुका है, माननीय सभापति महोदय, दिन-प्रतिदिन ये समाचार पत्र में खबर छापेंगे कि अमुक गांव के अन्दर बलात्कार हो गया, आज अमुक गांव के अन्दर बैंक में डाके पड़ गये। आज पिक्चर के अन्दर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जो सारी सोशल इविल्स हैं उसके पीछे वह समाज का वर्ग है जो समाज का वर्ग इन लाखों करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं को खतम करना चाहता है। मैं प्रेस वालों से भी यह अपेक्षा करता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्या आपने किसी खबर में पढ़ा कि आज राजस्थान की सरकार एक पंचायत समिति में 600 परिवारों के अपलिफ्टमेन्ट का कार्यक्रम कर रही है? कोई भी अखबार वाला नहीं छापेगा कि अमुक गांव में इस अमुक आदमी ने अपने इन्डिपेंन्डेंट इकोनोमिक सोर्स पैदा कर लिये हैं, अच्छे जीवन को निकाल रहा है, इनको आधार मानकर यह काम करना चाहते हैं। देवीसिंह जी आप भी जो बात बोलना चाहते हैं, माननीय भाटी साहब कोलायत से आने वाले, मुझे वह दिन भी याद है, जब सदन के अन्दर एक तख्ती लगाकर यहां बैठ गये थे और इन्होंने कहा था, सेना के लोगों ने बलात्कार किया है। अब इतने गैर जिम्मेदाराना वातावरण बनाकर इस सदन के अन्दर। इन्होंने पूरे एक दिन का टाइम खराब किया इस तरह के वातावरण के आधार पर, सस्ती लोकप्रियता के आधार पर, यह काम करना चाहते, हैं। मुझे खुशी होती, माननीय सभापति महोदय, कोलायत से से आने वाले माननीय सदस्य कहते कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 सूत्री कार्यक्रम में बे बे गड़बड़ हो रही है, इतने पैसे का

(श्री सी. पी. जोशी)

काम हो रहा है। इन मूल्यांकन के आधार पर कहते कि राजस्थान की सरकार काम नहीं कर रही है तो मुझे खुशी होती। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : सन् 80 के बाद राजस्थान में पहली बार पंचायतों के चुनाव हुए हैं। कितने लोग जीतकर आये हैं ? 51 सदस्य। इनसे पूछा जाय कि कितने प्रधान जीतकर आये, इनकी पार्टी के कितने प्रमुख जीतकर आये हैं ? और तो और, माननीय, सभापति महोदय, कोटा को जो अपने आपका गढ़ समझते है वहा के प्रधान और प्रमुख कांग्रेस पार्टी के हैं। कितना हल्ला करने के बाद, बलात्कार की बात रोज चिल्लाने के बाद भी जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी में था, जिसका उदाहरण है कि आज कोटा के अन्दर जिला प्रमुख कांग्रेस का है। कोटा से माननीय सदस्य जीतकर आये हैं, उनका प्रधान कांग्रेस का है। आज वह खड़े होकर मांग करते है कि कोटा में यह हो रहा है, वह हो रहा है। यह माननीय सदस्य केवल अखबार के आधार पर कहते है, कोटा के अन्दर जा नहीं सकते हैं। ये जाते हैं तो....

श्री हीरालाल आर्य : प्रधान और प्रमुख पंच और सरपंचों के द्वारा चुने जाते हैं....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री हीरा लाल आर्य : ये प्रमुख और प्रधान ऐसे लोगों द्वारा चुने जाते हैं जिनको आप लोग खरीदते हो। बिके हुए लोगों के आधार पर आप चुनकर आते हो। जनता के द्वारा चुनकर आओ। प्रतिनिधि ज्यादा चुन दिये हैं, जनता ने आप लोगों को ठुकरा दिया वहां से। जनता तो हमें चुनकर भेजती है। कुछ लोगों को खरीद कर चुनकर आओ, उसकी वाहवाही ले लो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराज जायें कृपया।

श्री हीरालाल आर्य : एम. एल. ए. चुनकर आते नहीं। क्यों नहीं आते है? पब्लिक चुनती है, उनको खरीद सकते। उनको आप लोगों की दारू, आप लोगों के नोट खरीद नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य : आज यहां बैठे हैं 43 आदमी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया....

एक माननीय सदस्य : विधान सभा में कितनी सीटें आयी हैं आपकी ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको पूर्व में भी निवेदन किया और आज भी निवेदन करना चाहता हूं इस बात का कि इस राजस्थान की विधान सभा में 30 साल में बुली

(श्री सी. पी. जोशी)

टैक्निक से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एक बात को बार-बार रिपीट कर-कर इस राजस्थान में माननीय भैरोंसिह जी विरोधी दल के नेता बन गये लेकिन अब आने वाले समय में इस राजस्थाय में इस तरह से नेता कोई पैदा नहीं हो सकता क्योंकि इनकी काम करने की क्षमता नहीं है। अखबार में पढ़कर बलात्कार के आरोप लगाना चाहते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम जिसमें हमने 430 करोड़ रुपये में इस साल 300 करोड़ रुपये खर्च करने का आधार माना, उसमें काम करने को हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय तैयार नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर किसी पंचायत समिति को हमने आइडेन्टिटी बनाया है....

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ पिछड़ों को पहले में, ऊपर उठाने की योजना में, जो योजना दी है उसमें मुख्य मंत्री प्रतिनिधि हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर ।

श्री नन्दलाल मीणा : ....द्वारा जांच करायी जाय तो पता लगेगा....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री नन्दलाल मीणा : सारा पैसा इनके बिचौलिये खा गये।

श्री सभापति : श्री जोशी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं स्वयं इस बात से पूर्णतया भिज्ञ हूं, मैं जब यह बात कहूंगा कि अब हिन्दुस्तान की राजनीति में एक परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन में सत्ता में काम करने वाले लोगों को भी लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा। समाज का जो वर्ग सत्ता के साथ है, जो वोट डालता है उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना पड़ेगा। यह काम तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बखूबी कर रहे हैं लेकिन विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अब हिन्दुस्तान की राजनीति केवल नारों के आधार पर जीत कर समीकरण को बदलने से नहीं बदल सकती। अब हिन्दुस्तान में यदि विरोधी पक्ष को भी काम करना है, जिन्दा रहना है और लोकतन्त्र को मजबूत करना है तो जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, इस कार्यक्रम में होने वाली कमी और उस काम को बढ़िया जामा पहनाकर यह सदन में आकर कहें तब तो निश्चित तौर पर इज्जत भी बढ़ेगी। अब, माननीय सभापति महोदय, हम सारा कार्यक्रम पंचामत समिति के माध्यम से कर रहे हैं, पंचायत के प्रधान इनके नहीं, पंचायत के सरपंच इनके नहीं जिला प्रमुख इनके नहीं और यहां आकर केवल अखबार से पढ़ते हैं। मैं, सभापति महोदय, आपको निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में जितने स्थगन प्रस्ताव आये हैं, आप उठाकर देख लीजिये, माननीय सभापति महोदय, 10 में से पर डे 4 स्थगन प्रस्ताव केवल मात्र इस बात पर बलात्कार के लिए पुलिस के दमन पर है। यह बात सन 80 से लगाकर आज दिन तक आप उठाकर देख लीजिए। स्थगन प्रस्ताव एक के बाद एक इसी काम पर आये है। यदि इन बलात्कार के आरोपों को सदन में केवल मात्र अखबार के आधार पर सेदन में लगाते हैं खुद

(श्री सी. पी. जोशी) .

वहां पर जाते नहीं । हो क्या रहा है, उस वातावरण को बनाने के बाद इनके जो चुनाव परिणाम आये हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, सरदारशहर की सीट खोई, मंडावा की सीट खोई और आने वाले सालों में जितनी इनकी स्ट्रेंथ है उस पूर्ण स्ट्रेंथ की एक तिहाई स्ट्रेंथ आ जाय तो राजस्थान में बहुत बड़ी चीज हो जायेगी । लेकिन, माननीय सभापति महोदय, चुनावी वर्ष के अन्दर, मैंने आपको पहले ही कहा कि इन्होंने तो केवल मात्र एक थीम बना ली है इस तरह की पर जनता ने विश्वास प्रकट किया है इस बात का कि हम जो चलने वाली गवर्नमेन्ट है उसको वोट देंगे । उस जनता को सबक सिखाने के लिए, रोज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह चोट करने के लिए अखबार के माध्यम से बताना चाहते हैं कि तुमने किसको वोट दिया । इसलिए बलात्कार की बात करके इस तरह की बात करते हैं । सभापति महोदय, राजस्थान कैनाल ठीक बन गई तो उसमें भ्रष्टाचार हो गया, हम काम करें तो भ्रष्टाचार हो गया, काम नहीं करें, तो काम करना नही चाहते हैं । 430 करोड़ में से 300 करोड़ रुपये हम खर्च करना चाहें बीस सूत्री कार्यक्रम में जिसमें समाज का वीकर सेक्शन आता है । माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए भी खुशी है कि हैण्ड पम्प की बात करते हैं । यदि हैण्ड पम्प का प्रश्न किसी ने उठाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उठाया । यह विरोधी पक्ष वाले बैठे क्या कर रहे थे ? जो आज डेढ़ साल तक विरोधी पक्ष की बात करते हैं इनको यह मालूम ही नहीं कि हैण्ड पम्प होता क्या है, उसमें क्या बात होती है । इनको तो जो काम करना था वह काम तो मालूम नहीं और आज खड़े होकर यह बात कहते है । हैण्ड पम्प की बात किसने उठायी । माननीय सभापति, महोदय, जब से सदस्य जीतकर आये हैं तब से हैण्ड पम्प लग रहे थे, सदन में कभी कहा नहीं कि हैण्ड पम्प में क्या हो रहा है । जो रोल इनको करना है उस भूमिका के बारे में इनको मालूम नहीं है । इनको तो एक बात की भुमिका मालूम है क्योंकि इनकी जो राजनीतिक एजुकेशन हुई है वह इस बात की हुई है । माननीय सभापति महोदय, प्रोपेगंडा करो, इस बात की कानाफूसी का वातावरण करो । आप स्वयं जानते होंगे सन् 1977 में क्या हुआ । हम हारे इसलिए कि इस गांव में नसबंदी नहीं हुई, उस गांव में नसबन्दी हुई, एक वातावरण बना दिया । इस कला के यह पंडित हैं । माननीय सभापति महोदय, उस कला का, उस परफैक्ट कला का फिर दोबारा उपयोग करना चाहते हैं । इस बात को आप उठाकर देख लीजिये । इस कला में जो पारगत हैं इस कला को, उसी कला को आधार बनाकर, माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान में बलात्कार हुए, ये हुए । मैं आंकड़े देकर सदन का समय नहीं लेना चाहता । माननीय सभापति महोदय, माननीय, सदस्य ने पहले भी कहा और रिकार्ड भी है, माननीय विरोधी पक्ष के नेता जब बोलेंगे तो निश्चित तौर पर एक बात बोलेंगे, जो आंकड़े हैं उनके कम्परेटिव स्टेटमेन्ट में जो उनको सूट करेंगे वह उनको आधार बनाकर यह कहेंगे कि राजस्थान में इतने में यह हुआ । मैं तो सोशयैल साइंस का विद्यार्थी हूं । माननीय सभापति महोदय, मैं तो सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं इस बात

(श्री सी. पी जोशी)

को कि अपराध होने का क्या कारण है ? सबसे पहली उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि सोशल टेन्शन हो जाता है उसके अन्दर अपराध होते हैं। इस सोशल टेन्सन को बढ़ाने में किसी का हाथ है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी का है। उस जनतापार्टी ने स्थिति पैदा की इसलिए सोशल टेन्शन पैदा हो गये। सभापति महोदय, आप तो जानते होंगे, भैरोंसिंह जी जब राजस्थान के मुख्य मंत्री थे तब राजस्थान का हाल यह था कि हर जागीरदार अपने आपको जागीरदार समझता था। आपने स्थिति ऐसी पैदा कर दी, भैरोंसिंह जी शेखावत, जब राजस्थान के जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, सल एलीमेन्ट की यह कार्य- ... नहीं है, तो जो मुख्य मंत्री हैं, उसकी क्या हालत होगी राजस्थान में ... राजस्थान जिसमें जितने सोशल टेंशन जनता पार्टी के राज में पैदा हुए, मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में कहीं नहीं हुए हैं। है तो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति का कारण था कि जिसके कारण लोग सारे कि ... शासन काल में आज, आम जनता में यह विश्वास है कि यह कांग्रेस पार्टी सामान्य जन-जन में विश्वास करती है। चाहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हों, जिन लोगों पर जो भी केसेज हुए हैं उनके आंकड़े उठा कर देखें। सभापति महोदय, आप इस बात से संतुष्ट होंगे कि जितने चालान पेश होने चाहिए उससे कहीं ज्यादा चालान हमने पेश किए हैं। इनके कार्यकाल के अपराधों और हमारे 32 महीनों के कार्यकाल को देखें तो आज निश्चित रूप से अपराधों में कमी हुई है। लेकिन सोशल टेंशन हमने नहीं बढ़ाये हैं, माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। इस वैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझे बिना केवल मात्र अपराधों के आधार पर किसी सरकार का मूल्यांकन करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि यह राजनीति नीड्स को पूरा नहीं करेगी। मैं अपनी बात, सभापति महोदय, यहीं इसलिए खत्म करना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि विरोधी पक्ष के नेता जब मैं बात कहूंगा तो कहेंगे कि मेरी उम्र कम है, मेरा राजनैतिक अनुभव भी उनसे कम है लेकिन क्योंकि उनका राजनैतिक स्ट्रेचर है, वे अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं और ढंग से भी बढ़िया ढंग से कहते हैं। उनके पास चार एलीमेंट हैं। उनकी बात को मैं रिपीट करना चाहता हूं, उनका कोई भी भाषण उठा कर देख लीजिए। एक भाषण में कहेंगे कि राजस्थान का नेतृत्व कमजोर नेतृत्व है। दूसरे भाषण में बात करेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार किस में बढ़ रहा है कि जिसमें हम काम अच्छा कर रहे हैं। दूसरे भाषण में, माननीय सभापति महोदय, यह कहेंगे कि इण्टर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में हम अपना हक लेने के लिए बिल्कुल कमजोर हो गए। और चौथी बात वे कहेंगे, माननीय सभापति महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह जमीन में काम कर दिया, श्रीरामजी गोटेवाला ने यह काम कर दिया या प्रद्युम्नसिंहजी ने धौलपुर में यह काण्ड कर दिया, पुलिस को डी-मोरेलाइज करने का। सारे भाषणों का यदि सोशल कन्टेन्ट सैनेक करें तो, माननीय सभापति महोदय, मुझे भी तीन साढ़े तीन साल हो गए हैं इस विधान सभा का सदस्य होने के बाद....

(194)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहते हैं कि मुझे ही इस सरकार का मोरल बूस्ट करने का काम करना पड़ेगा।

श्री. सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि विरोधी पक्ष के नेता अपनी भूमिका के बारे में बिल्कुल सचेत हैं : लेकिन मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूं, आज की जो आपकी उम्र हुई है, आज की राजनीति में जो आपका स्ट्रेचर बना है वह स्ट्रेचर आज की राजनीति में नहीं चल सकता। वह एक जमाना था, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान बना था, सन् 52 से लगा कर शुरू की राजनीति में, हमें खुशी है इस बात की, भैरोंसिंह जी शेखावत जैसा विरोधी पक्ष का नेता पैदा हुआ लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि इस 52 से लेकर 84 तक की राजनीति को मापदण्ड मानें जब कि हिन्दुस्तान की राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया, हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उन व्यक्तियों, जिनका समाज में आर्टीकूलेशन नहीं है, की नीड को कैटर करने का प्रोग्राम लागू किया है इसलिए उसमें इन व्यक्तियों की कोई भूमिका नहीं है। उसमें भूमिका इस बात की है कि वे जाकर फील्ड में काम करें, उसके आधार पर सरकार का मूल्यांकन करें तभी तो उनकी राजनीति चलेगी। अब यह काम तो वह करना चाहते नहीं। हमारी तो अपनी पुरानी जो टैक्टिक है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं सोशल साइन्स का विद्यार्थी हूं, उनके सारे भाषणों का कटेन्ट उठा कर देख लें कि उसमें चार डाइमेंशन बराबर कामन मिलेंगे। इन चार चीजों का वर्णन जरूर होगा। इन चारों चीजों को आधार बना कर यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य खतरे में है। सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का भविष्य खतरे में नहीं है। सुन्दरसिंह जी भंडारी जैसे नेता का भविष्य उदयपुर के अन्दर खतरे में हो गया। राज्य सभा में विरोधी पक्ष की स्ट्रेंथ होने के बाद भी उनका भविष्य खतरे में हो गया। लोकदल और बी. जे.पी. का एलायंस होने के बाद मंडावा का चुनाव हार गए। सरदारशहर में चुनाव हार गए। यह सब परिणाम इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की जनता यहां के मुख्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विश्वास करती है। इसको आधार बना कर राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन नही करना चाहती। माननीय सभापति महोदय, मैंने यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए बताई मैं यह जानता था इस बात को....

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : दौसा में मुंह की खाकर बैठे हो उसका पता है कि नहीं।

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, दौसा के अन्दर भी 1980 से ज्यादा वोट मिले हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है वहां पैसे की जीत हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे अपने मन में इस बात को जानते हैं, मुझे से कहलायें

(श्री सी. पी. जोशी)

नहीं लेकिन 1980 में कांग्रेस पार्टी को वहां जितने वोट मिले उससे ज्यादा वोट मिले हैं। यह बात नहीं कहें कि वहां की जनता ने वोट दिये हैं लेकिन पैसे के आधार पर आपने वहां की सीट जीत ली है, आपने पोलिटिकल गेन क्या किया है। सरदारशहर की सीट जीत नहीं सके आप। उदयपुर में हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा नेता वह चुनाव नहीं जीत सका। इसलिए कुल मिला कर आप कहें कि राजस्थान में बलात्कार बढ़ रहे हैं, राजस्थान की राजनीति में यह नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि इन्हीं आधार पर इस सदन का एक तिहाई से ज्यादा समय 80 से लगा कर 84 तक इसको आधार बन कर हिन्दुस्तान की जनता को सबक सिखाने के लिए इन्होंने अपना प्रोपेगण्डा, जिसमें इनकी परफेक्ट मात हुई हैं, उसका उपयोग किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसको आधार बना कर इस राजस्थान में, राजनीति में इसका कोई स्थान नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह अपनी बात यहां समाप्त इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अपनी बात बोलेंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस बारे में कि पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ चीजें हमें बहुत स्पष्ट ढंग से सोचनी पड़ेंगी। और माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्य मंत्रीजी इस बारे में चिंतित भी हैं। आज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर, यहां पर काम करने वाले आपके पुलिस के एस.पी. और डी.आई.जी. हैं उनके टाइम में से 90 पर्सेंट टाइम केवल मात्र सिटी की प्राब्लम अटेंड करने में लगता है, चाहे वह इण्डस्ट्रियल प्राब्लम हो, चाहे स्टूडेंट की प्राब्लम हो। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इन रूरल की पोपुलेशन की प्राब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो कृपा करके दो एस.पीज. की पोस्ट क्रियेट करिये जिससे एक एस. पी. एक्सक्लूसिव उस सिटी के अलावा जो प्राब्लम हैं, जब कि सौ में से 90 पर्सेंट टाइम उनका केवल मात्र इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट और स्टूडेंट प्राब्लम को मीट आउट करने में खतम हो जाता है इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं हो तो, माननीय सभापति महोदय, कम से कम डिविजनल हैड क्वार्टर पर आप एक एक और एस. पी. की पोस्ट क्रियेट करें और उसको एक्सक्लूसिव वर्क दीजिए रूरल का, तब तो आपकी स्थिति सुधरेगी।

माननीय सभापति महोदय, वैज्ञानिक युग में यह क्राइम जितने बढ़ रहे हैं उसमें भी वैज्ञानिक इम्पेक्ट है वह बहुत ज्यादा है। आज क्राइम में सोशल टेंशन भी एक भाग है, आज क्राइम में पिक्चर भी एक भाग है। मैं चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, जब तक आप अपनी फोर्स को साइंटिफिक ढंग से इक्विप्ड नहीं करेंगे तब तक आप अपराधियों के चैलेंज को मीट आउट नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम साइंटिफिक बेस बनायें उसके अन्दर। क्राइम बढ़ रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं मनोविज्ञान

(श्री सी. पी. जोशी)

का विद्यार्थी हूं। क्राइम करने वाले हैरीडिटरी भी होते हैं, क्राइम करने वाले आदमी में गुण होते हैं वह हैरीडिटरी आधार पर भी होते हैं। इसलिए मनोविज्ञान के आधार पर हमको आइडेंटीफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्राइम प्रोन एरियाज हैं। कौन कौन सी कास्ट्स क्राइम प्रोन हैं, उनको आइडेंटीफाई करके वहां हमको विजिलेंस ज्यादा करने की आवश्यकता है। आज हमारा सारा पुलिस विभाग और उसके काम करने के तरीके वह मोस्ट अनसाइंटिफिक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रोब्लम को समझना पड़ेगा कि आज धौलपुर में क्राइम की प्रोननेस ज्यादा है। गंगानगर में एपलूएंस आ गई, सोशल स्ट्रक्चर डवलप हो गया। वहां की स्थिति अलग तरह की है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की परिस्थिति अलग है। लेकिन हम केवल मात्र गंगानगर में एक एस.पी. लगा दें, उदयपुर में एक एस.पी. लगा दें तो वह क्राइम का आज जितना चैलेंज है उसको हम मीट आउट नहीं कर पायेंगे। साइंटिफिक ढंग से हमको अपने इस दृष्टिकोण को आधार मान कर चेंज करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, एक और बात डिसप्यूट की है वह यह है कि एस. डी. एम. और डी. वाई. एस. पी. का सर्किल है इन दोनों के बीच में हमने सम्बन्ध नहीं बना रखा है इसलिए जनता के साथ अन्याय हो जाता है। मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में एस.डी.एम. का हैडक्वार्टर लगता है गिरवा और एडीशनल एस. पी. का सर्किल लगता है राजसमन्द के अन्दर। तो, माननीय सभापति महोदय, कहीं पर जाकर आपको एक यूनिट बनानी पड़ेगी। आज आप एक विधान सभा क्षेत्र को यूनिट बना दीजिए। एक विधान सभा क्षेत्र में दो विधान सभा क्षेत्र को मिला कर एक एस. डी. एम. बना दीजिए, दो डी. वाई. एस. पी. के अतिरिक्त एक एडीशनल डीवाई. एस.पी. बना दीजिए। लेकिन आप एक विधान सभा क्षेत्र को वायबल यूनिट बनाइये जिससे आज एक आदमी को एक हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है तो दूसरे आदमी को दूसरे हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस तरह से हमें कुछ कार्य करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जिला प्रशासन की दृष्टि से मैं अधिक नहीं कहना चाहता। डिस्ट्रिक्ट बने या नहीं बने, मुझे इस बारे में कोई तकलीफ नहीं होती है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बनने से ही किसी डिस्ट्रिक्ट की प्राब्लम्स सॉल्व नहीं होती। लेकिन मेरा अपना मानस इस बारे में यह है कि आज उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, मैं खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 14 लाख की आदिवासियों की जन संख्या है। इन आदिवासियों की सोशल इकानोमिक, पोलिटिकल और क्राइम प्राब्लम्स बिल्कुल अलग है। माननीय सभापति महोदय, उनको हमने एडजस्ट कर रखा है उदयपुर के पास में, कलेक्टर बना रखा है, हमने उदयपुर के पास, डी. आई. जी हमने बना रखा है उदयपुर के पास तो माननीय सभापति महोदय, यह उन आदिवासियों के प्रति न्याय नहीं है। आज सुबह ही आपने देखा, माननीय सभापति

(श्री पी. पी. जोशी)

महोदय, आज हालत यह है, मैं इस बारे में कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय सोचें, जिस आदमी के पास इन्फ्लूएंस है वह किसी वकील से मिल कर एफ. आई. आर. दर्ज करा देता है। एफ. आई. आर. में वह सब इनग्रेडिएन्ट्स होते हैं जो आपकी धारा के अन्दर नोन-बेलेबल आफेंस के होते हैं। उसको पुलिस आधार मानकर इन्नोसेंट आदमी को नोन-बेलेबल में लेकर गिरफ्तार कर लेती है। एक इन्नोसेंट आदमी, जिसको यह मालूम नहीं है, सिर्फ एक एफ. आई. आर. देता है उस एफ. आई. आर. को दर्ज करके पुलिस जो एक्यूज्ड आदमी है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, सभापति महोदय, इस एफ. आई. आर. को यदि आपने आधार माना तो एफ. आई. आर. का सबसे ज्यादा फायदा केवलमात्र कानून को जानने वाला ले रहा है। जिसके पास पैसा है वह अपने विरोधी को दबाने के लिये, सोशल टेंशन क्रियेट करने के लिये, अपनी रण नीति को ठीक करने के लिये उपयोग कर रहा है। लेकिन सामान्य और जो भिज्ञ नहीं है कि कौन सी चीज लिखें जिससे वह धारा मोट आउट होगी या नहीं होगी, उसका लाभ उस गरीब आदमी को नहीं मिलता है। इसलिए, सभापति महोदय, इसको आधार मान कर सोचने की जरूरत है। हमारे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जैसे गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां नाते की आदिवासी भाइयों में परिपाटी चली आती है। दूसरे समाज में उसमें भी यह नाते की परिपाटी है। जो नाते की परिपाटी है, जो सोशल सेंक्शन है उनके समाज में उसको आधार बना कर पुलिस पैसा खा गई जब कि उनके समाज में [illegible] मामला है महले वालों को पता है। [illegible] हसबैंड को [illegible] दूसरे [illegible] करती है लेकिन पुलिस को मौका मिलता है और दोनों ही आदमियों से पैसा खा जाते हैं। तो इस प्रकार जो आदिवासियों में जो सोशल कस्टम्स हैं, [illegible] हैं जो कानून [illegible] सकता है, [illegible] सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, पुलिस को इस दृष्टि से [illegible] नहीं [illegible] आज मैं एक और [illegible] कहता हूं जहां से विशेष [illegible] आते हैं, आज कोटा के अंदर [illegible] कारी हैं कोटा डिस्ट्रिक्ट में [illegible] राजस्थान के बाहर के रहते है, खास कर कोटा नगर में, [illegible] से बाहर के आकर निवास कर [illegible] इन्डस्ट्री के कारण या किसी कारण से रह रहे हैं। आज पुलिस के पास रेकार्ड नहीं है कि यह अमुक कोटा में काम करने वाला उडीसा का है या बिहार का है या कहां का है। इस सूचना के अभाव में बहुत से क्राइम हो जाते हैं और वह हमारी समझ में नहीं आते। मैं समझता हूं कि आज बून्दी में हुआ, कोटा में हुआ, भीलवाड़ा में हुआ इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन यह है कि राजस्थान का सामान्य जन मानस तो शांत प्रकृति का है लेकिन पुलिस के पास में तो रेकार्ड है नहीं कि कोटा में कितने बंगाल के रह रहे हैं, कितने बिहार के और कितने केरल के रह रहे हैं। जब तक आपके पास यह रेकार्ड नहीं होगा तब तक इन्वेस्टीगेशन आप किस आधार पर कर पायेंगे।

(श्री सी. पी. जोशी)

इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको भी आधार बनाया जाय कि किस शहर में बाहर से आकर आदमी रहते हैं। इसकी सूचना आपके पास होनी चाहिये। होटल में जो काम करते हैं उनका रजिस्टर आपके पास में होना चाहिये। आज हालत यह है कि होटल जितने बन रहे हैं ये ड्रेन्स हैं क्राइम के। होटल के अन्दर क्राइम के बिजनेस शुरू हो गये हैं। बड़ी बड़ी जो नये सिटीज डवलप हो चुके है, आप होटल का बिजनेस स्टार्ट कर दीजिये तो वहां काम करने वाला नौकर कौन है उसके बारे में व्हेयर अबाउट्स नहीं जानते। रजिस्टर इस बात का होना चाहिये कि उसका पता क्या है, कहां का रहने वाला है। मै समझता हूं क्राइम के इन्वेस्टीगेशन में यह आपको बहुत बड़ी सहायता देगा।

अन्त में, सभापति महोदय, इसी आशा और विश्वास के साथ खतम करना चाहता हूं कि राजस्थान में यदि आंकड़ों के आधार पर भी देखें तो जनता पार्टी की तुलना में 3-4 सालों से कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी की रीति-नीति के अनुसार कानून और व्यवस्था इस तरह की बनाई है जिसमें सामान्य जन मानस की अपेक्षाओं की पूर्ति कर रहे हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम जो हमारा लक्ष्य है जिसमें 430 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको भी यार्डस्टिक मानें तो हम नहीं कहते, प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि राजस्थान नम्बर वन है। इसको यदि हम इण्डेक्स मानें तो निश्चित रूप में राजस्थान में चाहे इरिगेशन हो, चाहे वीकर सैक्शन को अपोरचुनिटी की बात हो, चाहे अपाइंटमेंट की बात हो, इन सब बातों की दृष्टि से राजस्थान में कितना इन्फा स्ट्रक्चर डवलप हुआ है, राजस्थान में कंडयूसिव एनवायरनमेंट डवलप हुआ है, टेक अप की स्टेज पर आये हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको डिमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। यह विरोधी पक्ष का काम है, लेकिन उनके डिमोरलाईज करने की टेक्टिक्स से ऊपर उठ कर आप टेक अप की स्टेज पर राजस्थान को लाये हैं। इसको आगे बढ़ाकर राजस्थान की जनता को आपसे अपेक्षायें और आकांक्षायें हैं उनको पूरा करने का नया वातावरण बनायें, और आने वाला चुनाव इसका जवाब देगा। हमने पचायत चुनावों में जवाब दिया, राज्य सभा में जवाब दिया, बाई-इलेक्शन में जवाब दिया और मैं समझता हू कि आने वाला चुनाव इस बात का साक्षी होगा कि हमारा काम ठीक ढंग से चल रहा है।

श्री सभापति : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, जब तक हम पुलिस के कार्यकलाप और कार्यक्रम की पद्धति में चेंज नहीं करते हैं तब तक सामंतों, राजा-महाराजाओं और अंग्रेजों के समय से जो प्रक्रिया चल रही है वह की वह आज भी चल रही है जिसमें आम जनता में पुलिस ऐसा हव्वा दीख रहा है जो उनके साथ आत्मीयता से बात नहीं करके जब तक उनका दिल नहीं जीते तब तक कतई विश्वास नहीं होता है कि पुलिस हमारे साथ ठीक तरह का बर्ताव करेगी।

(श्री महाराम चौधरी)

सभापति महोदय, आज पुलिस के ऊपर जो आम जनता का विश्वास नहीं है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस में जो सबसे पहले भर्ती की जाती है और भर्ती होने के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है वो की वो पुरानी पैत्रिक तरीके से राजाओं महाराजाओं की दी जाती है जिससे आम जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता और जनता के साथ वो का वो रूखा व्यवहार रहता है।

सभापति महोदय, आज कल ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी थानें हैं उनमें मुस्तगीस और मुलजिम एफ. आई. आर. दर्ज कराते हैं तो सबसे पहले पैसा लिया जाता है, इसके बगैर तो कहीं काम चलता ही नहीं। इसलिये मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार इस तरह से फैल गया है कि दोनों पार्टीज से एफ. आई. आर. दर्ज कराने के वक्त में इन्टेंशनली पुलिस वाले ज्यादा से ज्यादा मुलजिम दिखाने को प्रोत्साहित करते हैं और मुलजिम दिखाने के बाद में मुस्तगीस या मुलजिम पार्टी काम कराने के लिये जब पैसा डालती है तो यह पैसा बटोरने की बात हो गई है।

सभापति महोदय, इन थानों में करीब-करीब पुराने समय में जो दलाल टाइप आदमी चलता था शुरू में जो गांव का जागीरदार होता था वह एक तरफ से पुलिस वालों का दलाल था। वो की वो प्रक्रिया चल रही है, आज भी करीब करीब इसी तरह के दलाल रखते हैं उनके साथ खाना-पीना करते है, दलालों के जरिये भ्रष्टाचार फैलाते है या बलात्कार या लड़की को भगा ले जाने की कार्यवाही, करते हैं इसमें भी उसका कोई तरह से सहयोग रहता है।

अभी हमारे बावण्डा थाने के पास पुलिस का जो दलाल था नरपतसिंह नाम का जो रात दिन उनके साथ उठता बैठता था वह एक लड़की को लेकर चला गया। उसका आज तक पता नहीं लगा। पुलिस वालों का उसके साथ आना-जाना, रहन-सहन था, उनको अच्छी तरह से मालूम है, उनका इसमें कोई सहयोग था। वह आज भी चाहे तो इसी वक्त पकड़ कर गिरफ्तार किया जा सकता है।

सभापति महोदय, नागौर थाने के पास बासणी करके बहुत बड़ा कस्बा है उसमें पुलिस के संरक्षण में जुए की परम्परा चलती आ रही है। लोग-बाग ज्यादातर बम्बई में खाने-कमाने का कार्य करते हैं। यहां 2-3 महीनें के लिए आते है तो सिवाय जुआ खेलने के कुछ नहीं करते। पुलिस वालों को सभी तरह का पता होते हुए भी इस संबंध में किसी तरह की कार्यवाही नहीं करते।

सभापति महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है उसके कार्यकलाप देखते है तो मैं समझता हूं कि जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी या आदमी हैं उनको ज्यादा पकड़ने की कोशिश की जाती है और जो बड़े आफिसर हैं उनकी कतई निगरानी नहीं करते या उनको पकड़ा भी नहीं जाता है। इसलिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को मेरी समझ में उठा दिया जाये तो किसी तरह की अड़चन जैसी बात नहीं है। यह सरकार की फिजूल खर्ची हो रही है।

(श्री महाराम चौधरी)

सभापति महोदय, एक पुलिस के जरिये शहर में ट्रेफिक का काम है वह तो मैं समझता हूं कि ट्रेफिक साईड देने के लिये या आने-जाने के लिये व्यवस्था करती है लेकिन एक ट्रेफिक पुलिस इस तरह की और शुरू कर दी है जो पिक-अप में बैठ जाते हैं और शहर से 20-25 कि.मी. दूर निकल जाते हैं और एक थानेदार लेवल का या सी. श्री लेवल का आदमी लगा दिया जाता है। वह समझ लीजिये एक तरह से आई. जी. पी. जैसा बर्ताव करता है और सिवाय आने-जाने वाली गाड़ियों से जिस तरह कहना चाहिये कि ट्रिप लेने के अलावा और कोई उसका काम नहीं है इसलिये, सभापति महोदय, इस पोस्ट को भी हटा देना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं पुलिस की कार्य कुशलता और वीरता और काम करने के तरीकों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। प्रदीप चौधरी हत्याकाण्ड में उन्होंने प्रगति रिपोर्ट में साफ लिखा कि यह छात्रों के मध्य कुछ मारपीट की घटना घटित हुई। अजमेर में जो प्रदीप चौधरी हत्याकाण्ड हुआ उस घटना से छात्र वर्ग आन्दोलित हो गया। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदेश स्तर पर राजस्थान बन्द रहा। 5 दिसंबर, 1983 को बन्द का आह्वान किया गया जिसका आंशिक प्रभाव रहा।

सभापति महोदय, इस प्रगति में पुलिस वालों की क्या उपलब्धि है? क्या प्रदीप चौधरी हत्याकाण्ड में नामजद जो मुलजिम थे उनको पकड़ने का भी इसमें जिक्र ही नहीं किया किसी तरह का और प्रदीप चौधरी हत्याकाण्ड करने वालों को पकड़ने के लिये जो आन्दोलन चलाया था और जनता में एक तरफ से महसूस कराया कि यह बहुत अन्याय हुआ है इसका किसी तरह से समाधान करने के लिये उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये लेकिन यह तो पुलिस ने प्रगति लिखी नहीं और उन्होंने दोष यह मढ़ा है कि सही काम के लिये आन्दोलन करने वालों को हमने दबा दिया। यह पुलिस वालों की एक तरफ से प्रगति हुई है।

सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरे आम, दिन-दहाड़े प्रदीप चौधरी हत्याकाण्ड हुआ। इस हत्याकाण्ड में नामजद मुलजिम भी दर्शाये गये लेकिन आज तक पुलिस यह काम करने में असमर्थ रही है और उन्होंने जानबूझ कर नहीं किया है। जानबूझ कर नहीं किया है यह तो ठीक है लेकिन इसके साथ साथ वहां के व्यवहार से साफ जाहिर है कि वहां के छात्रों ने सब जगह पर पर्चा पत्र व्यवहार करके दर्शाया था कि इसमें पुलिस के अधिकारियों के द्वारा पुलिस की मिलीभगत के द्वारा षड्यंत्र करके ललित चौधरी की हत्या करवाई गई।

सभापति महोदय, आज से डेढ़ साल पहले वहां झगड़ा हुआ था उसमें प्रदीप चौधरी गवाह था। उस गवाह को मिटाने के लिये, गवाही नहीं देने के लिये, कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिये चक्र कर एक प्रकार से हत्या करवाई गई।

सभापति महोदय, जो वहां पर डी. आई. एस. पी. लगा हुआ था, उसके घर पर षड्यंत्र रचा गया। उसके बाद में लड़कों को उकसाया गया। उकसा कर मर्डर करवाया गया।

(श्री महाराम चौधरी)

थोड़े दिनों में डी. वाई.एस.पी.का ट्रान्सफर करा दिया गया । किसी तरह से यह केस नहीं होना चाहिये, किस तरह से सहयोग कर सकते हैं किस तरह से बचाया जा सकता है, तो वापस उसी डी वाई एस पी को लगाकर उनके संरक्षण में कार्यवाही चल रही है । और कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हत्या हो गयी वह वहीं तक सिमित नहीं रही । अजमेर का वातावरण किस तरह से कुत्सित हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों के जाति विशेष के लोग आज अजमेर आने से कतराने लगे हैं, इस तरह से महसूस करने लगे हैं । कोई छोटा-मोटा टंटा हो जाये तो रेलवे पुलिस के डी वाई.एस.पी. गांव में जाकर आतंक फैलाते हैं जिससे कि आदमी नहीं आ सकें और इस मुकदमे को किसी तरह से फेल किया जा सके। सभापति महोदय, यहीं तक नहीं, अजमेर एक सैन्टर है, जोधपुर डिविजन के आस पास के लोग वहां पढ़ने के लिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही नहीं की गयी, मुल्जिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बात होगी जिसका सरकार कोई उपाय सोचेगी तो भी कोई उपाय नहीं होगा, जिसका नतीजा आगे जाकर बुरा होगा और उसके सुधरने की संभावना नहीं रहेगी ।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत पुलिस की अकर्मण्यता, लापरवाही और जो इस तरह के मुकदमे हैं उनकी रोकथाम के लिये जो गलत काम करते हैं, षड़यंत्र करते हैं, ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो ऐसे काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है । सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये छोटी छोटी बाते हैं । थोड़े दिन पहले की बात हैं, करीब 26 तारीख की बात है, एस.एच.ओ. पुलिस थाना अधिकारी पाली है, एक मामले की बात थी, वहां गुप्ता नाम का आदमी था, गुण्डों ने चाकू निकाल कर उस पर वार किया । उसके साथियों ने गुण्डों को पकड़ लिया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया । परन्तु गुण्डे हाथ से निकल कर चले गये बाद में एस.एच.ओ. पाली पहुंचे । उनको उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुलिस गुण्डों से मिली हुई है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है । पुलिस से पूछ कर, भाग कर गुण्डे चले गये हैं तो उस थानेदार ने, एस एच ओ पाली ने उस व्यक्ति के सरे बाजार थप्पड़ मार दिया । इस तरह से गुण्डों को प्रोत्साहन दिया गया । सभापति महोदय, पुलिस की अकर्मण्यता ने ....

श्री सभापति : कृपया विराजें ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन की अनुमति से आज की बैठक का समय आज की मांगे पारित होने तक बढ़ाया जाता है ।

मांग संख्या 16 व 4 पर विचार

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पाली के अन्दर एक मण्डिया रोड है । यह आम रोड हैं और इसके आस-पास दुकानें हैं । इसके अन्दर पाली थाना

(श्री महाराम चौधरी)

अधिकारी अवतारसिंह है। ट्रेक्टर से एक्सीडेन्ट हो गया। एक आदमी घटनास्थल पर ही मर गया और दो-तीन व्यक्ति घायल हो गये। घायलों को बाजार वालों ने शफाखाने पहुंचा दिया। सम्बन्धित एस एच. ओ. को सूचना दी गयी परन्तु उस ने समय पर कार्यवाही नहीं की। जब कार्यवाही नहीं हुई और एक्सीडेन्ट में मरे हुए की लाश पड़ी रही, रात होने लगी तो बाजार वालों ने महसूस किया कि मुर्दा पड़ा है, पुलिस इसको नहीं ले जाती है, तो असन्तोष फैला। वहां के चौधरी ने मोटर साइकिल से थाने पर जाकर थानेदार को कहा कि इस तरह की घटना हुई। आपको सूचना दिये हुए तीन घंटे हो गये। हमने आपको सूचना दे दी। उसके बाद भी आपने चल कर कार्यवाही नहीं की। हम कितनी देर तक दुकानें खुली रखें। इस पर थानेदार लाल-पीला हो गया और उस भले आदमी, के, जो कम से कम 70 गांवों का प्रतिष्ठत आदमी है, थाने में ही थप्पड़ लगा दिया। उसको इस तरह से महसूस हुआ जैसे उसका पानी उतर गया हो। सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में पिछले दिनों राज्य मंत्री गृह महोदय से डेपूटेशन आकर मिला। उनको हकीकत बतायी। यह हमारा 100 गांवों का मोदी है, । सम्बन्धित थानेदार ने उसके साथ जो व्यवहार किया है वह सहनीय नहीं है। आज 70 गांव वाले यह महसूस करते हैं कि उस थानेदार के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही नहीं हुई तो हम आन्दोलन करेंगे। सभापति महोदय, मंत्री महोदय के पास डेपूटेशन गया था। ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही नहीं की गयी तो आम जनता में दुर्भावना फैलेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे आदमियों को तुरन्त वहां से हटा कर उचित कार्यवाही करनी चाहिये। सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि सभी पुलिस कर्मचारी इसी तरह के हैं। ईमानदार भी हैं, तत्परता से काम करने वाले हैं। करौली के आसपास आर. ए. सी. की चौकी है, करणपुरा। उस चौकी के जवानों को 28.10.1982 को एक सूचना मिली कि उधर डाकू है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी है। उस चौकी के सिपाहियों ने राइफलें लेकर उन डाकूओं का मुकाबला किया। उस काउन्टर में रमेश सीकरवाल और उसकी गेंग वाले मारे गये। इन डकैतों को मारने के बाद सम्बन्धित डी वाई. एस. पी. को सूचना दी गयी। डी वाई. एस. पी. वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो डकैत मारे गये थे उनको लेकर रवाना हो गये। करणपुर चौकी के जो सिपाही थे, उन सिपाहियों को, आर. ए. सी. को हिदायत दे गये कि तुम यहां पर गश्त करो और जो डाकू भाग गये हैं उनको पकड़ने की कोशिश करो। सभापति महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि रूबई चौकी के जो जवान थे उनको तो प्रमोशन दे दिया हैड कान्सटेबल वगैरह बना कर और करणपुर चौकी के जो सिपाही थे, उन्होंने भी डाकूओं पर गोलियां चलायीं थीं और डाकूओं को मारने में मदद की थी लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया। मैं आपकी मार्फत यह बताना चाहता हूं कि इस तरह से जो सिपाही मरने-मारने को तैयार होते हैं, डाकुओं को मारते हैं, अगर उनके साथ में एक सरीका व्यवहार नहीं किया गया, उनको प्रमोशन नहीं दिया गया, इनाम नहीं दिया जाता है तो उनका एक तरह से आत्मबल

(श्री महाराम चौधरी)

कमजोर होता है और आइन्दा कोई न काउन्टर होगा तो उसमें वे पीछे हटने की कोशिश करेंगे।....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं जिला प्रशासन की ओर एक मिनट में ध्यान आकर्षित करूंगा। जिला प्रशासन की एक ऐसी संस्था बनानी है, मेरी राय है कि उसको कार्य करने में गतिशील बनाना है तो जिले के अन्दर आपको एक तरह की यूनिट बनानी होगी जिसके अन्दर पंचायत समिति, निर्वाचन क्षेत्र, दो-तीन थाने और एस. डी. ओ. इस तरह से यूनिट बनाना चाहिये जिससे आम आदमी को महसूस हो सके कि किस अधिकारी से किस जगह पर एप्रोच करना है, मिलना है। आज कल जिला प्रशासन इतना जटिल हो गया है कि गांव वालों को कुछ पता ही नहीं चलता है कि किस गांव का किस के पास से काम हो सकता है। योजनाओं पर योजनाएं, मीटिंगों पर मीटिंग, आज कल जिला प्रशासन के अन्दर मीटिंग सब से अधिक चल रही हैं, मीटिंगों का काम चल रहा है, काम कुछ होता नहीं है। किसी अधिकारी के बारे में पूछें तो कहेंगे साहब, मीटिंग में गये हैं। जिला प्रशासन का बीस दिन से भी अधिक समय मीटिंगों में समय चला जाता है।

(5.00 म. प.)

यानी जिला प्रशासन के काम करने की प्रवृति में, समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया में टालमटोल की प्रवृति है। यानी जिला परिषद एक यूनिट बनाकर उन कामों को पहले समय के अन्दर देख लें। पुराने टाइम के अन्दर सिर्फ एक हाकिम होता था, आज तो पूरे जिले के अन्दर हाकिमों की भरमार बैठी हुई है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कौनसा काम कौनसा हाकिम देखता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि जिला स्तर पर जो आपकी तहसीलें, सब डिवीजन हैड क्वार्टर, पंचायत समितियां और जो थाने है इनका आज के समय के अनुसार पुनर्गठन होना चाहिए जिससे हर आदमी को सहूलियत मिल सके और सुचारु रूप से काम किया जा सके। ये जो मीटिंगें हो रही हैं इनका पता लगाना चाहिए।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : आपका कहना हुआ, मेरा बैठना हुआ।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, किसी भी जिम्मेदार संवेदनशील, शक्तिशाली सरकार के लिए आवश्यक है कि वह कानून व्यवस्था बनाये रखे और किसी तरह के अपराध न हो, इसका नियंत्रण रखें। हमारी कांग्रेस सरकार यह कार्य बखूबी से कर रही है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य जोशी जी अभी बोल रहे थे कि विपक्ष का तो यह कार्य है कि किसी तरह से सरकार के ऊपर लांछन

(204)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

लगायें, चाहे सरकार पर हो या नहीं हो, सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करें और विशेषकर जब कि हमारे सामने चुनाव आ रहे हैं इस तरह से वातावरण पैदा किया जाये सरकार के खिलाफ ताकि जनता को यह किसी न किसी रूप में बताया जा सके कि सरकार योग्य नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह यहां सब कुछ हल्ला करते हैं। बिना किसी कारण से इस तरह सरकार के खिलाफ में कहने से जनता को बहकाया जा सकता है तो मेरे ख्याल से यह सोचना गलत है। अभी विपक्ष के नेता माननीय भैरोंसिंह जी यह कह रहे थे कि क्या हम आपकी तारीफ करें, अगर आपका मॉरल डिग्रेड न करें, इस तरह से कुछ न करें तो क्या तारीफ करें। इसका मतलब यह है कि वे खुद मानते हैं कि वास्तव में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन कहना इसलिए पड़ता है आखिर वे पार्टी से क्या कहें। मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूंगा कि अपने इलाके में विपक्ष के, इनकी पार्टी के सदस्य, जो कि अनर्गल बातें कर रहे थे, से मैंने पूछा कि इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हुई नहीं है तो क्या हम आपके इलाके में जाकर यह कहें कि आप लोग बहुत अच्छे हैं? अगर यह कहेंगे तो क्या कह कर लोगों से वोट मांगेंगे? इसलिये निश्चित तौर पर यह हालत इनके सामने है जिसको जोशी जी बता रहे थे। वास्तव में विपक्ष के दिमाग का दिवाला निकल गया है। कोई भी विकास के कार्यक्रम हों, राजस्थान में जो विकास किया जा रहा है, इसमें कोई त्रुटियां रह गयी हों, विकास जो हो रहा है, वह जिस गति से होना चाहिए उसमें अगर यह गति जोड़ दी जाय तो बहुत अच्छा हो सकता है, या हमने यह किया था उसके अनुरूप अब यह नहीं हो रहा है, अगर इस बात को कहें तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि विपक्ष विकास के प्रति जागरूक है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1980 के बाद में जो गति दी है उसमें इनका सहयोग है। इसके बजाय इनको गति न दें, विकास में सहयोग नहीं दें, यह इस तरह की बात करेंगे तो यह क्या उजागर करेंगे, इसके सिवाय कुछ न हो गातो अशान्ति में और अशान्ति पैदा होगी। कोटपूतली का मामला बार बार यहां दोहराया जाय तो कोई अच्छी बात नहीं है, घटना हो गयी उसकी सबने भर्त्सना की है कि वह अच्छा काण्ड नहीं था। एक प्रश्न उस बात को लेकर पैदा होता है कि दो पुलिस के सिपाहियों ने गड़बड़ की, उस समय वहां के प्रशासन ने सतर्क होकर उनके खिलाफ कार्यवाही की, उनको पुलिस ने बन्द कर दिया, लोकअप में बन्द कर दिया, उनको निलम्बित कर दिया, उसके बाद वहां विपक्ष की पार्टी या जनता क्या न्याय मांग सकती थी? उसके बाद का निर्णय तो कोर्ट में होना था। लेकिन उसके बाद हल्ला हुआ, वहां की जनता एकत्रित हुई और अशान्ति में और अशान्ति पैदा हुई, रेलें रोक दी गयीं, बसें जला दी गयीं, ट्रक जला दिये गये, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। आखिर मुझे बताइये वह किसलिए? यह अच्छा है कि वहां हमें न्याय मिले और न्याय के लिए यह आवश्यक था कि जिन लोगों ने अपराध किया उनको बन्द कर दिया जाये। जब लोगों को निलम्बित कर दिया उसके बाद उन लोगों के खिलाफ न्यायालयों में

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मुकदमा चलाया जाता, जो यथावत् कार्यवाही चल रही थी। मेरे ख्याल से और कोई कारण नहीं था कि वहां पर इतने लोग इकट्ठे करके अशान्ति पैदा करें। अभी माननीय तावड़ जी भी यही कह रहे थे कि हमें अगर न्याय नहीं मिला तो हम यूं कर देंगे, हम विद्रोह कर देंगे, हम शान्ति भंग कर देंगे। अशान्ति पैदा करेंगे, बस यही काम विपक्ष कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये यह नहीं कह सकते कि हमने जो न्याय मांगा है उसमें यह कमी रह गयी है इसको आप दुवारा सोच समझ कर देखिये। जनता में अशान्ति पैदा हो, जनता यह सोचकर चले कि राजस्थान विकास की द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों का सहयोग है।

सभापति महोदय, मैं इस कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ आंकडे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जिन माननीय सदस्यों ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उनको छोड़ते हुए, विपक्ष का तो यही कहना है कि कांग्रेस के समय में अपराध ज्यादा होते हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अपराध ज्यादा क्यों हो रहे हैं इसके लिये जोशी जी ने बहुत विस्तार से बताया था कि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जब अपराधी अपराध करने पर उतारू हो जाता है तो उसको कोई दूसरी चीज नहीं सूझती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। मैंने निवेदन किया था इसका बारीकी से अनुसंधान होना चाहिए कि आखिर लोग इस तरह उतारू क्यों हो जाते हैं। यह विषय विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए महत्व का है। इस बात पर सोच विचार करना जरूरी है लेकिन जो हो जाता है उसके ऊपर लांछन लगाया जाय सरकार पर या पुलिस पर तो मैं सोचता हूं कि यह कतई इसके अनुरूप नहीं है। जब पुलिस का नाम सामने आता है तो लोग इस नाम से कई तरह के मतलब निकालते हैं। कुछ लोग पुलिस को यह महत्व देते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह बहुत बड़ी कड़ी है। अगर पुलिस नहीं होती, अगर यह व्यवस्था सरकार ने कायम नहीं की होती तो न जाने इस समाज में कितने कुकृत्य होते, कितनी अशान्ति बढ़ जाती। कई लोग यह सोचते हैं कि पुलिस की यहां मौजूदगी में ज्यादा अशान्ति फैलती है। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि यह पुलिस तो कांग्रेस के आने से पहले ही मौजूद थी, जनता राज में भी यही पुलिस अधिकारी थे और आज भी वे ही काम कर रहे हैं। जनता शासन में, उस वक्त मैं विपक्ष में बैठता था, यही सरकार पुलिस की तारीफ के पुल बांधती थी और अपने कुकृत्यों से इन्होंने जो कुछ अशान्ति पैदा की, लोगों के साथ इन्होंने अन्याय किया उसको भुगत करके आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। उसी पुलिस की आप सराहना करते थे जो कल इनके पास में थी। मैं यह सोचता हूं कि कितनी नाजायज बात है। आप बिना सोचे समझे अपेक्षा करें, किसी तरह की चर्चा करें, इसके लिए मैं आपके सामने थोड़े से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1977 में, 1978 में क्रमशः डकैती के 141,127 मामले हुए थे जब कि कांग्रेस शासन में 1982 और 1983 में क्रमशः 146,147 डकैती के मामले हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, 1977 और 1982-83 में कोई

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

अन्तर नहीं है जब कि समय का बड़ा परिवर्तन हुआ है। उस समय मे और आज के समय में लोगों के सोचने में, दृष्टिकोण में, लोगों के दिमाग में मनो-वैज्ञानिक तौर से अपराध करने में बड़ा अन्तर है। लेकिन फिर भी इसमें चूंकि नियंत्रण रखा गया, पुलिस का सरकार का पूरा प्रबन्ध था इसलिए इस तरह के कुकृत्य करने के लिए और आगे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी आप देखिए इसके साथ-साथ और आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। 1977 में 9 डाकू मारे गये, 1978 में 10 मारे गये। जब कि डाके कितने हुए इसके कम्पेरीजन में? 1981 में 22, 1982 में 18, 1983 में 14 और डाकुओं के पकड़ने की संख्या 1977 में 165 पकड़े गये थे, 1979 में 150, 1981 में 295, 1982 में 258 और 1983 में 337 डाकू पकड़े गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि कांग्रेस शासन में पुलिस कितनी सतर्क है। पुलिस का सतर्क नहीं होना अब या जनता पार्टी के राज में कोई अन्तर नहीं? इसलिये....

श्री यदुनाथ सिंह : डाकू ज्यादा हो गये।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : डाकू जितने हैं उतने बताये, कितनी डकेतियां हुई हैं। डाकू ज्यादा हुए या कम हुए, सवाल इस बात का नहीं। सवाल इस बात का है कि कितनी डकेतियां हुई हैं। जितनी डकेतियां जनता शासन में हुई थीं उतनी डकेतियां कांग्रेस शासन में हुई। मैं यह नहीं कहता डकेती कम हो गयी लेकिन मैं यह कहता हूं कि हर डकेती के बाद में पुलिस ने मुकाबला किया और पुलिस ने मुकाबले कितनी बार किए यह भी आप सुन लीजिये। जब जनता शासन था तो पुलिस ने 1977 में 9 बार मुकाबला किया और 39 उनसे हथियार प्राप्त किये। 1978 में 24 मुकाबले हुए जिसमें 69 हथियार प्राप्त किये और इसके कम्पेरिजन में, पुलिस ज्यादा सतर्क तब होती है जब सरकार उनका हौसला बुलंद रखती है, सरकार उनके पीछे मजबूती से लगी रहती है, सरकार उनको सतर्क रखती है और सरकार खुद सतर्कता और जिम्मेदारी से काम करे और यही कारण है कि 1981 में 30 मुकाबले हुए जिसमें 110 लोगों से हथियार प्राप्त किये गये, 1982 में 24 मुकाबले हुए जिसमें 82 हथियार प्राप्त किये और 1983 में 29 मुकाबले हुए। इससे आपको स्पष्ट लगेगा कि पुलिस कितनी सतर्क है और कितनी सतर्कता से काम कर रही है। लेकिन आप देखें 1977 के बाद पहले से आज के कम्पेरीजन में आज पुलिस के पास में जितने अच्छे शस्त्र हैं उतने पहले नहीं हुआ करते थे लेकिन उतने ही अच्छे शस्त्र आज डाकुओं के पास भी हैं। स्टेनगन, ब्रेनगन, हैंड ग्रेनेड बाम्ब सबसे ये डाकू लोग सुसज्जित होते हैं। वे अपने दिमाग से यह बनाकर चलते हैं कि हमें अब जिन्दगी से कोई लेना देना नहीं है। हमें इस का काम करना है, डकेती करनी है। इसलिये आप अगर किसी पर, सरकार पर या पुलिस पर यह दोष लगायें

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कि डकेत को कांग्रेस सरकार या पुलिस पैदा करती है, अगर यह है तो फिर हम भी आपके उपर आक्षेप लगाते हैं कि जनता पार्टी ने डाकुओं को पैदा किया। लेकिन न तो आप लोगों ने पैदा किया और न हम लोगों ने पैदा किया। ये तो एक तरह की श्रेणी है जो सदियों पहले से इस काम को करते आये हैं चाहे वह जमाना औरंगजेब का रहा है या किसी का भी रहा है। जिसने डकेती की है, की है। जिसने चोरी की है, की है और वे करते आ रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि इस पर नियंत्रण करना चाहिये। प्रश्न इस बात का है कि इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाय ताकि अशांति नहीं हो और इस तरह के लोग जो समाज के अन्दर अशान्ति पैदा करके इस समाज के लिये दुखदायी हो गये हैं वे किस तरह से रोके जाय। इसलिये मैं निवे- करना चाहता हूं कि आप सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगा रहे हैं और हर बार जैसा कि माननीय जाशीजी ने कहा था कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन आप प्रस्ताव नहीं लाते हैं कि इस तरह की चोरी की घटना हो गयी, बलात्कार हो गया या और कोई घटना हो गयी, सिवाय इसके कि आप सरकार की ओर कुछ कह करके जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि हम कितने सजग है कि आपकी बात को विधान सभा में इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन आज जनता सब जानती है कि हम विकास के कितने कामों के बारे में, विकास की बात करते हैं। सरकार को वे बात करके उनके कान में लाते हैं कि किस तरह का विकास होना चाहिये।

मैं आपके सामने कुछ और मामले पेश करना चाहता हूं जिसमें कम्परेटिवली कितनी घट गयी, घटने का मतलब है कि सरकार कितनी सतर्क है। जिम्मेदार सरकार और मजबूत सरकार हमेशा इस तरह के जो मामले हैं जो डकेती और चोरी के मामले हैं उन पर हमेशा अपनी मजबूती से रहेगी उनके ऊपर, सख्ती से काम लेगी और मजबूती से उसको चालू करा सकेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1977-78 में सेंध मारकर चोरी के 8200-8300 मामले हुए थे और 1982-83 में 6300-6400। कोई पता नहीं लगता दीवाल तोड़ी और बस। लेकिन पुलिस की सतर्कता से पुलिस से, पुलिस की गश्त से, पुलिस के सहयोग से और पुलिस की सतर्कता से चोर डरने लगे हैं और इस तरह के कार्य कम करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि पुलिस सतर्क है और पुलिस ने बड़ी सतर्कता और उद्यम से ऐसी व्यवस्था की है कि लोग समाज में आराम से जी सकें इसके लिये पुलिस के साथ सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं आपको कुछ और मामलों में निवेदन करना चाहता हूं कि जनता राज में यह अमूमन अखबारों में छपा था, इसके कार्टून भी छपे थे कि कोई घर से निकले तो सूर्यास्त से पहले आ जाय। कोई बाहर निकले तो जिरह बख्तर पहनकर निकले। इसका मतलब यह था कि उन दिनों खुले आम क्राइम्स इतने बढ़ गये थे कि हर घर का रहने वाला कहीं नहीं निकलता था और वह चाहता था कि उसके घर का व्यक्ति कहीं बाहर न जाय। मैं कुछ और मामले आपके सामने प्रस्तुत करना चहता हूं, क्योंकि जब भी विपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे वे भी यह कहेंगे कि कांग्रेस कुछ नहीं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कर सकी। सरकार और पुलिस तो करती है लेकिन कई बार जुर्म करनेवाला आदमी इतना होशियार होता है कि वह पुलिस व और सरकार की पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब यह नही है कि पुलिस निष्क्रिय हो चुकी है या सरकार फिर उस पर ध्यान नहीं देती है। यही हालत उन दिनों में इनकी भी थी। श्री मूलचन्द जोशी का कत्ल हुआ जनता पार्टी के टाइम में, न तो कत्ल करने वाले का पता लग सका और न वह पकड़ा जा सका। इस तरह एक इंजीनियरी स्टूडेंट बिहार का कत्ल हुआ। यह मैं जयपुर के ही कुछ मसले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कस्टम कलेक्टर का बिल्कुल आम सड़क के ऊपर मोती डूंगरी के पास कत्ल हुआ। मुजरिम आज तक कहीं पकड़ा गया। मोती डूंगरी के पास पुलिस कांस्टेबल जन सेवा करते हुए मारा गया। किशोर निवास त्रिपोलिया के पास में एक महिला का कत्ल हुआ। विश्व कर्मा में राजस्थान बैंक की ब्राच। एक आदमी ने चाकू की नोक पर लूट ली। माननीय सभापति महोदय, लूटने वाले के पास चाहे कोई भी हथियार हो, बहुत बड़ी चीज होती है। मैं इसलिये कह रहा हू कि नारायण चतुर्वेदी पत्रकार थे उनका कत्ल हुआ था। जब आदमी कत्ल करने के लिये, डकेती करने के लिये जाता है तो किसी को सूचना देकर नहीं जाता है और अपने ही कार्यक्रम से जाता है। अगर उसकी सूचना लग जाय तो निश्चित तौर पर पकड़ा जाय। अगर उसकी योजना का पता लग जाय तो पकड़ा जायेगा। चाहे जनता शासन रहा हो या कांग्रेस शासन रहा हो इस तरह के जो लोग हैं, इस के जो कत्ल करने वाले लोग हैं, इस तरह की हत्याएं करने वाले लोग निरंतर करते रहें है और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इस समस्या के समाधान के लिये हम सब मिलकरके कुछ नहीं करेंगे। इसके लिये क्या करना चहिये, इन सबके साथ में जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है और जनता में पक्ष और विपक्ष दोनों आते हैं। आपने देखा होगा हाईवेज के ऊपर पुलिस की कितनी सख्ती से गश्त है। यह भी देखा होगा जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो चेक करते हैं कि वास्तव में कोई संवेदनवाला व्यक्ति तो नहीं जा रहा है, कोई ऐसी कार तो नहीं जिसमें इस तरह के व्यक्ति हो सकते जो आगे जाकर कोई गुनाह करें। आप अजमेर जाइये या बड़े शहर में कहीं पर जाइये शहर में घुसने से पहले उनकी चैकिंग होती है। इस तरह के पुलिस वाले जहां चैकिंग करने में ठीक तरह से चैक नहीं करते हैं उनको निलबित किया गया है जैसा कि अजमेर में अखबारों में पढ़ा होगा कि ब्रांच से थाना-धिकारी और सिपाहियों को इसलिये बदल दिया गया कि वे ठीक तरह से हाईवेज पर चैकिंग नहीं कर रहे थे या सर्तक नहीं थे। इसी तरह चुरू में भी थानाधिकारी को बदल दिया गया था। यह सब देख करके बिल्कुल स्पष्ट होता है कि न तो इस मामले के लिये पुलिस को दोषी ठहराया जा सकता है। अगर कोई विपक्ष इस तरह की बात करता है तो सिवाय इसके कि यह जनता को बरग लाने की, गुमराह करने की बात है इसके

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सिवाय कुछ नहीं कर सकता। मैं इसी के साथ ही कहना चाहता था कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुचामन में एक मामला हुआ था, सभापति महोदय, कुचामन में एक सिपाही की हत्या कर दी गयी। हत्या करने वाले आदमी जनसंघ से संबंधित थे। आपने देखा होगा कि उस जनसंघ से संबंधित आदमी ने हथगोला फेंका और एक सिपाही की मौत हो गयी। मुझे खेद है कि विपक्ष इस बात की भर्त्सना नहीं की कि जो भी आदमी रहा होगा, जिसने भी ऐसा किया है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन उस तथ्य पर यहां ठीका टिप्पणी इसलिये नहीं हो सकी कि वे इनकी पार्टी से संबंधित व्यक्ति और संबंधित थे थे, माननीय सभापति महोदय, कि कुचामन में बहुत महीने पहले उन्होंने अभ्यास किया था। सभा में 2-3 आदमिओं ने हैण्ड-ग्रेनेड फेंककर, उनकी अंगुली में लगी थी, इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में हुई थी। लेकिन तब इनका पता नहीं लग सका था। उन्होंने पुलिस पर हैण्डग्रेनेड फेंका, एक पुलिस कान्स्टेबल की हत्या हुई तब यह मामला सामने आया हांलाकि वह व्यक्ति मारा गया। लेकिन इस तरह के अशांति के कई मामले हैं, वहां हम यह देखते हैं कि विपक्ष के कई लोगों से जुड़े होते हैं और उनको चाहिए कि पता लगे तो इस तरह के मामलों को बढ़ावा न देकर चैक करने की कृपा करें।

मैं अब आपको अधीनस्थ सेवा के अधिकारियों के पदों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 1973 में 34592 कान्स्टेबल थे और आज 35610 हैं। 1018 कान्स्टेबल की गिनती बढ़ी है। मेरा निवेदन यह था, सभापति महोदय, निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा, लोग शिक्षित होंगे उसी तरह, उसी के अनुसार क्राइम बढ़ना भी सम्भव है, क्राइम की संख्या भी बढ़ेगी, उसी के अनुसार हमें थाने बढ़ाने पड़ेंगे, चौकियां बढ़ानी पड़ेंगी, थाने में जो सिपाही वगैरह हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन 1978-79 के कम्पेरीजन में 1983 में हम इन कॉन्स्टेबल्स की संख्या को देखते हैं तो प्रति जिला 40 आदमी बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपके द्वारा मंत्री महोदय को कि जिलों में कितनी संख्या को बढ़ाये ताकि थानों में अधिक संख्या बढ़ाकर उनकी अधिक मदद की जा सके।

मैं इसके साथ ही ट्रेफिक के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता था। कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जयपुर शहर में ट्रेफिक व्यवस्था सुधारने की कोशिश की जा रही है। मुझे एक लेखक का नाम तो याद नहीं, सभापति महोदय, लेकिन बहुत पहले की बात है। अंग्रेजों के राज में एक अंग्रेज था, वह बग्घी में इधर से निकल रहा था। उन्होंने जयपुर की व्यवस्था के लिए अपनी किताब में लिखा है कि जयपुर ट्रेफिक को इसके अपने भरोसे छोड़ दिया जाय क्योंकि यह सुधारने से सुधरने वाली नहीं है। लेकिन अब जो प्रयास किये जा रहे हैं, ट्रेफिक पुलिस इसके लिए जो मेहनत कर रही है, उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा, ऐसा लगता है, ट्रेफिक पुलिस और जे.डी.ए. दोनों का समन्वय नहीं है। अगर ट्रेफिक,पुलिस यह चाहती है कि

(श्री रामरघुनाथ चौधरी) :

हम यहां चौराहा बनायेंगे तो जे.डी.ए. कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरा इसके लिए यह निवेदन है कि व्हीकल्स ऐसे है कि जिन पर नम्बर नहीं होते, लाल लाइट लगा लेते हैं अपने आपको सरकारी व्हीकल की तरह महत्व देने के लिए। कइयों ने अपने नम्बर प्लेट पर लाल पट्टी खींच ली है। इस तरह जो लोग हैं, या लाइट का ध्यान नहीं रखते, लाल लाइट पर भी क्रांस कर जाते हैं, मैं यह सोचता हूं, इस तरह के जो लोग हैं उनको रोकने के लिए उनका चालान किया जाय। इस तरह की बत्तियां जो है उनको हटाया जाय। यह जितना पैसा, इस तरह चालान का, जुर्माने का, वह सारा पुलिस फण्ड में जाना चाहिए, ट्रैफिक फण्ड में जाना चाहिए ताकि इनके पास कुछ अपना पैसा हो जिससे ट्रैफिक व्यवस्था में जहां चौराहे बनाना चाहते हैं वहां बना सकते हैं, जहां पर लाइन डबल डालनी चाहें वहां लाइन डाल सकते हैं। बाकी यह तो योजना बनाते हैं, योजना बनाकर वह जे.डी.ए. को निवेदन करते हैं और फिर वह उन पर निर्भर करता है कि वह उसको बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। इसके साथ ही मेरा निवेदन था, मेरा विचार है, सुझाव है, एक इन्जीनियरिंग ब्रांच इनको दे दी जाय ताकि वह इंजीनियरिंग क्षेत्र में इनके हिसाब से प्लानिंग करे और प्लानिंग के हिसाब से वह अपना प्लान बनाकर भेजे जो स्वीकृत कर दिये जायं। तो जो ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने जा रहे हैं वह और द्रुत गति से सुधार सकेंगे।

मैंने यह भी देखा है, चाहे इधर बैठने वाले हों, चाहे उधर बैठने वाले हों चाहते हैं कि पटरियां खाली रहें, आने जाने वाले सुविधानुसार पटरियों पर चल सकें। लेकिन फिर हमीं में से कोई चाहते हैं कि दुकान खोलने वाले, पटरियों पर बैठने वाले यथावत रहें। इसलिए हमें बहुत दृढ़ता से यह निर्णय करना पड़ेगा कि अगर पटरियों पर बैठने वाले लोगों को दूसरी जगह दे दी जाय और पटरियां खाली रखी जायें तो पटरियों पर चलने वाले पटरियों पर चल सकें। इसके साथ ही जिन लोगों ने पटरियों पर कब्जा कर रखा है उनको वहां से तुरन्त अविलम्ब हटाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं जिला प्रशासन की एक बात निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर मुझे एक फौजी आदमी की रिपोर्ट मिली थी कुछ दिन पहले। सवाई रामसिंह निवासी पीलवा, उनकी खुद की जमीन थी जिस पर उन्होंने पटरियां रोक कर कब्जा कर रखा था। तहसीलदार जी ने ग्राम पंचायत से मिलकर वहां से पट्टियां वगैरह उखाड़ दीं। एस. डी. ओ., प्रशासन ने उनको पट्टियां वापस दिलवा दीं। वापस दिलाने के बाद कब्जा यथावत रहा। लेकिन फिर वहां एस. डी. ओ. और अतिरिक्त जिलाधीश ने मिलकर वह पट्टियां उखड़वा दीं, इसलिए कि सड़क के बीच में आती थीं, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। चूंकि वह फौजी आदमी था उसने कहा, सड़क के लिए हटाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन मुझे आप कोई दूसरी जगह दे दीजिए। वह दूसरी जगह तो दी नहीं गयी उसको वहां से हटाकर किसी सेठ की बिल्डिंग बना दं

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

गयी। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन इस तरह के कामों में अगर इन्ट्रेस्ट ले और फौजी आदमी का कब्जा हटाकर बनिये या सेठ की बिल्डिंग बना देता है तो हमारे लिए बहुत ही लज्जा वाली बात है। इस तरह के मामलों में जिला प्रशासन को चाहिए कि सतर्कता बर्ते और न्याय करे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता था, हमारे यहां ए. सी. एम., नागौर जिले में 2 लगे हुए हैं। इसमें से एक तो मेड़ता या डेगाना, में लगाने की बहुत ही आवश्यकता है। वहां के जिलाधीश ने कई बार राज्य सरकार को लिखकर भेज दिया लेकिन राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब नागौर जिलाधीश ने लिखा है कि यहां पर दो ए. सी. एम. की आवश्यकता नहीं हैं और मुकदमों और न्याय को देखते हुए यदि डेगाना में एक ए. सी. एम. की आवश्यकता है, तो मैं, मान्यवर महोदय, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय विराजे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक ए. सी. एम. डेगाना लगाने की कृपा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप से निवेदन करना चाहूंगा और विपक्ष को भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह कानून व्यवस्था का जो मामला है इसको इस तरह चर्चा बनाकर या सरकार को या पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए कुछ कहें या जनता में यहां कुछ कहकर या दैनिक पत्रों, पत्रों के द्वारा जनता को बर्गलायें, यह कोशिश न करें। कोशिश यह करें कि जो इस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, उनमें कमी किस प्रकार आ सकती है। सरकार जो कुछ कर रही है, उसमें सहयोग देकर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो, मेरे ख्याल से, आप सही मायने में जनता के साथ सहयोग कर सकेंगे।

जय हिन्द।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला, मैं एक ही बोलूंगा। सभापति महोदय, पुलिस की डिमाण्ड है। Police, P for polite, O for obedient, L for loyal, I for intelligent, C for confidant and E for efficient.

अब जो आज सदन में बहस हुई है, चर्चा हुई है, माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, किसी ने पुलिस की बुराई की, किसी ने पुलिस की तारीफ की है, कोई कांग्रेस सरकार को बीच में ले आया, कोई जनता पार्टी को बीच में ले आया।

एक माननीय सदस्य : आप कोई तीसरी बात करोगे ?

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, पुलिस से किसी को दुश्मनी नहीं है, पसंनली किसी की दुश्मनी नहीं है। आज किसी गांव वाले की दुश्मनी नहीं है, किसी विरोधी की दुश्मनी नहीं है, किसी कांग्रेस सदस्य की दुश्मनी नहीं है। अगर पुलिस का कार्य अच्छा होगा तो आप भी तारीफ करेंगे, हम भी तारीफ करेंगे, ग्रामीण भी तारीफ करेगा, शहरी भी तारीफ करेगा। चर्चा होती

(श्री देवीसिंह भाटी)

है इसलिए कि अगर किसी चीज में कोई खामी है तो उसको सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये जायं। उसकी गहराई में जाने वाली बात तो कम करते हैं। परन्तु आरोप प्रत्यारोप, किसी को बुरा बतलाना, किसी को भला बतलाना। मैंने एक-एक बताया, पोलाइट, ओबीडियेन्ट, लॉयल, कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर कह दे कि इनमें से किसी भी शब्दार्थ का कोई भी, सारे पुलिस अधिकारियों की मैं नहीं कहता, ज्यादातर कोई कोई भी इन शब्दार्थ को पूरा करता है? कोई भी आम जनता को यह महसूस कराता है कि पुलिस नाम क्यों रखा गया। कतई नहीं। इसीलिए यह चर्चा होती है। चाहे गांव में चले जाओ। पुलिस आ गयी, पुलिस आ गयी। एक सिपाही अगर डण्डा लेकर, हमारे पश्चिमी राजस्थान में हो, चाहे आदिवासी क्षेत्र में हो....

(म. प. 5.30)

(श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन)

एक सिपाही अगर डण्डा लेकर गांव में चला गया तो सारे गांव को आगे बढ़ा ले। यह सब जानते हैं हकीकत है। ऐसी अगर कोई बात है, नई नहीं आई है। चाहे वह ब्रिटिश पीरियड हो, उसके बाद आज तक लगातार हो, हमें इस बात को देखना चाहिए यह राज्य सरकार का कार्य है, इनके सलाहकारों का कार्य है, और हम भी सुझाव देते हैं पुलिस के अन्दर जब उसको ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद में उसको कार्य पर लगाते हैं तो ट्रेनिंग ऐसी दी जाय कि वह ज्यादा जनता के सम्पर्क में रहें। गांव के लोगों के बीच में जाय, हर आदमी से खुलकर बात करे तब तो शक की बात नहीं होगी और ट्रेनिंग के बाद में भी उसके कार्य कलापों को समय-समय पर देखा जायें, गलत हो रहे हैं तो उसको रोका जाय। कोई अच्छा कार्य करता है उसको इन्करेज किया जाय अगर इसकी गहराई में जायेंगे, इन बातों की ओर ध्यान देंगे तब तो निश्चित तौर पर पुलिस की प्रशंसा भी होगी, अच्छा कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर जनता वाहवाही भी करेगी अब इसके लिये थाने के बाहर तो लिखा होता है मेरे योग्य कोई सेवा, अब कोई अन्दर घुस जाय, पहली बात तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है। कैसे कार्य कलाप हैं इसके बारे में 1-2 उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कोई ऐसी बात स्पेसिफिक जान-बूझकर मनगढंत आरोप लगाने वाली बात नहीं है।

इसी सदन के अन्दर गत बजट सत्र के अन्दर मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं जब उनके सामने मसला आया था उन्होंने घोषणा की थी यहां और निश्चित तौर पर हमें उस वक्त विश्वास हुआ था कि मुख्य मन्त्री महोदय स्थिति की गहराई में गये हैं और उसी वक्त यहां हाउस में सम्बन्धित थानेदार के सस्पेन्शन के आदेश निकालेंगे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं। मुख्य मन्त्री महोदय वह स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था बीकानेर जिले की नोखा तहसील में एक जाति विशेष का बहुत मशहूर स्थान है मुकाम। उस मुकाम मेले के दर्शनार्थी जब वापिस जा रहे थे अपने गांव की ओर तो एक थानेदार ने उसका कोई किसी व्यक्ति से पुराना हिसाब था, स्मगलिंग का था या अफीम का था उसके बदले में उस

(श्री देवीसिंह भाटी)

थानेदार ने औरतों और 80-80 साल के बूढ़ों साथ खुले आम पिटाई की। सभापति महोदय, यह 12-2-1983 की बात है, जब मुकाम मेला भरा था उस समय की बात है और उसमें 15 आदमियों की मेडिकल रिपोर्ट एक एक की बताई गई थी जिसमें 16 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्ग थे। यह कोई जान-बूझकर अगर किसी पुलिस वाले को फंसाना होता तो तथ्य सामने नहीं आते लेकिन मेडिकल रिपोर्ट कहती है और उसके बाद में उन बेगुनाह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, झूठा फंसाया ढाणियों से पकड़-पकड़ कर लाये और ऐसा गलत व्यवहार किया कि मैं वह शब्द यहां पर कह नहीं सकता औरतों की ऐसी बेइज्जती की।

सभापति महोदय, पुलिस ने जबर्दस्ती झूठा फंसा के कोर्ट में पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं कराते, हमें गलत तरीके से पीटा गया है और गलत हमें फंसाया गया है। आखिर पुलिस को मजबूर होकर यह मानना पड़ा कि यह गलती हुई है हमारे से। 169 में रिहाई के लिये लिखकर दे दिया। यह फैक्ट्स हैं और उस थानेदार के बारे में एक नहीं मुख्य मंत्री महोदय, सैकड़ों शिकायतें हैं और आपने स्वंय ने सस्पेंन्शन के आदेश दिये। उसने 10 महिने तक सस्पेण्ड रहकर तिकड़म भिड़ा कर, इन सबूतों के रहते तो वह किसी भी हालत में वापिस रिइन्स्टेट हो नहीं सकता था किन्तु हमें यह पता था कि पुलिस वाला पुलिस वाले के खिलाफ जांच करेगा तो निश्चित तौर पर तथ्य छिपायेगा। यह मशहूर थानेदार है श्रवणराम जिसके बावत एक नहीं सैंकड़ों शिकायतों की चूरू में आज जांच चल रही है।

सभापति महोदय, एक प्रश्न के माध्यम से मैंने पूछा था कि इस थानेदार के खिलाफ जब इतनी शिकायतें हैं और उसको बीकानेर जिले के बाहर भेजने के लिये एडीशनल आई. जी. ने लिखा था, तो बाहर क्यों नहीं भेजा गया? सरकार का उत्तर है, यह मेरा प्रश्न है 1981 का। सभापति महोदय, उसके बाद तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक विजलेन्स जो बाद में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत हो गये थे, ने इस श्रवणराम को बीकानेर जिले से बाहर भेजने के आदेश दिये थे किन्तु तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा श्री श्रवणराम को बीकानेर में ही रखने के आदेश प्रदान कर दिये गये। मेरे कहने का तात्पर्य यह है सभापति महोदय, कि मेरी कोई उससे लाग-लपेट हो या और कोई किसी वजह से रंजिश हो यह बात नहीं है। यह तथ्य बोलते हैं, जिसके खिलाफ ऐसी सैंकड़ों शिकायतें हों, फैक्ट्स आपके सामने हों, इन्क्वायरी का कोई नाम कर लें, यह सबूत बदले नहीं जा सकते परन्तु वही हुआ जो हमने सोचा था उस श्रवणराम को वापस रिइन्स्टेट कर दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि यह जो मुकाम मेले पर घटना हुई थी, जो ज्यादती हुई थी, उन फैक्ट्स के अन्दर आप दुबारा जाइये, गहराई से देखिये उसके अन्दर बिल्कुल गलत कार्यवाही हुई है। उस श्रवणराम थानेदार ने मिल जुल कर, चाहे कैसे भी तिकड़म बैठाकर वापिस नौकरी में नोखा में लग गया है और वापिस अपना कार्य चालू कर दिया है।

दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, सभापति महोदय, बीकानेर जिले में और जैसलमेर

(श्री देवीसिंह भाटी)

जिले में, बाड़मेर जिले में आप स्वयं जानते हैं कि गायों की खुले आम तस्करी होती है। पुगल क्षेत्र से 42 गायों की चोरी हुई, पुलिस ये कोई मदद नहीं की। आखिर बजू थाने के हल्के के अन्दर गिरासिया के सरपंच और ग्रामीणों ने शक होने पर उन चोरों को पकड़ा और उनको थाने के कर्मचारियों के हवाले कर दिया कि हमें इन पर शक था इसलिये हमने इनको पकड़ लिया और यह आपके सुपुर्द हैं और यह तो गायें रहीं और ये मुलजिम रहे। पांच दिन तक कोई भी न तो रोजनामचे में रपट डाली, न एफ. आई. आर. दर्ज की गई। सभापति महोदय। भोले-भोले बेचारे अल्पसंख्यक गांव वाले पूछ-ताछ करते-करते वहां पहुंचे, जब उन्होंने कहा कि ये गायें हमारी हैं और यह मुलजिम हमारी गायें वहां से चोरी करके लाये हैं और उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कीजिये। किन्तु एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई, उस दिन वह बीकानेर पहुंचे, वहां पेश हुये बड़ा लड़ाई झगड़ा करना पड़ा तब जाकर छठे दिन एफ. आई. आर. लाज हुई। यह एफ. आई. आर. नम्बर है रोजनामचे की रिपोर्ट 658/22-6-1983 की घटना है उनके अन्दर घटना हुई पुगल क्षेत्र के थाने के अन्दर और बताया गया है बिजू थाने के अन्दर कि बांगडसर के यहां से गुमनाम कोई व्यक्ति गायों को ले जा रहे थे और ये गायें ग्राम गिरासिया के व्यक्तियों ने पकड़ ली और मुलजिमों का कोई अता-पता नहीं है, जब कि मुलजिम वहां पर थाने के अन्दर मौजूद थे, गायें वहां पर पकड़ी गई, जब इस प्रकार की कार्यवाही होती है, सभापति महोदय, तब हम अंगुली क्यों नहीं उठायें पुलिस के ऊपर। जब ग्रामीण आपकी मदद करते हैं, मुलजिम आपको लाकर दिये, माल आप को लाकर दिया, आपके ध्यान में लाते हैं कि आप सही कार्यवाही कीजिये परन्तु आप कार्यवाही करते नहीं हैं, इसीलिए एक नहीं जो मुलजिमों के बारे में लिखा गया था, उसके बारे में पूर्व में भी कई शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, वह पुरानी घटनाओं पर मैं नहीं जाता अभी हाल ही में बीकानेर जिले में नोखा में एक गांव है डेगला। डेगला थाने के अन्तर्गत 20 फरवरी को रास्ते चलते एक व्यक्ति का आठ आदमियों ने मिलकर खून कर दिया। उसके गांव वाले, घर वाले पीछे पड़े रहे कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाय, ये जराइम पेशा व्यक्ति है, हमेशा इस प्रकार की वारदातें करते हैं....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, बड़ी मुश्किल से, लोग पीछे पड़े रहे, काफी दबाव दिया तब जाकर 8 में से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया और उसके बाद में चूंकि ऐसा वातावरण बना, सही बातों की सुनवाई नहीं करते, डेगला गांव में, मंत्री महोदय, सही होली के दिन लगातार 6 घन्टे तक दोनों गुटों में गोलियां चलती रही और इसकी सूचना करने के लिए एक रामेश्वर नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी की व्यवस्था करके थाने पहुंचा और कहा कि इस प्रकार से डेगला गांव में

(श्री देवीसिंह भाटी)

आपस में गोली–बारी हो रही है और लगातार दो घन्टे हो गये हैं, आप इसके लिये व्यवस्था कीजिये। उसके लिये बीच-बचाव करते, उनको दूर भगाने वाली बात तो रही अलग, उस रामेश्वर नामक व्यक्ति को ही पकड़ कर अन्दर बैठा दिया और यह इतला दी गई कि इस प्रकार से गोली बारी चल रही है एडीशनल एस.पी. बीकानेर और डी.एस.पी. सर्किट हाउस, यह दोनों पहुंचे, मंत्री महोदय, कृपया ध्यान देंगे, वहां पर एडीशनल एस.पी. और डी.एस.पी. के पहुंचने के उपरान्त भी वह मौके पर नहीं गये। सभापति महोदय, 6 घन्टे तक लगातार आपस में गोली चलती रही और एक हवलदार को वहां पर भेज दिया कि तू वहां पर चला जा अब हवलदार को तो क्यों अपने बाल बच्चे रुलाने थे वह अकेला क्या कर लेता अब आप कहोगे कि तुम तो विरोधी हो, तुम तो यही बात कहोगे। मैंने जो बातें कहीं उसमें रत्ती भर भी गलत नहीं है। अब शाबासी तो लेना चाहते हो। ग्रामीण लोगों से भी शहरी लोगों से भी। अब एक अभियान चलाया कि गावों में हथियार है, जिनका लाइसेन्स रिन्यू नहीं हुआ, या एक्सपायर हो गया है, उसने अपना रिन्यूअल नहीं करवाया है, होना तो यह चाहिये सभापति महोदय, पुलिस का यह कार्य था, उनके पास रिकार्ड रहता है कि किसी ने अगर रिन्यूअल नहीं करवाया तो उनको इत्तला कर देते क्योंकि गांव वाले भोले भाले हैं, अनपढ़ हैं, उनको जाकर इत्तला कर देते कि आप अपने लाइसेन्स का रिन्यूअल करवाओ। यह तो नहीं किया, गये वहां फटाफट, इसके अन्दर भी बनता है कुछ, उनको वहां पर पकड़ा कि तुमने अपना लाइसेन्स रिन्यू नहीं करवाया, चार साल हो गये चलो थाने के अन्दर। अब इस प्रकार से इन्होंने फलौदी में 78 मुकदमे दर्ज किये, बीकानेर में सैंकड़ों मुकदमे दर्ज किये। मैं इनसे पूछना चाहता हूं उनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं ऐसी कौनसी उनकी बदनियति है, या किसी के पास कोई ऐसी राइफल आपको मिली जिसका लाइसेन्स रिन्यू नहीं हुआ या आपको कोई स्टेनगन मिली जिसका लाइसेन्स रिन्यू नहीं हुआ? क्या मिला आपको, एम.एल.गन, अब ग्रामीण भोले भाले, उनके खिलाफ तो आप तुरन्त कार्यवाही करने को तैयार हैं और यहां अगर कोई स्टेनगन या सेमी आटोमेटिक गन लेकर आ जाय उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं इसलिए अगर पुलिस प्रशंसा प्राप्त करना चाहती है तो पहले लोगों का विश्वास प्राप्त करे। परन्तु ऐसा नहीं है। सभापति महोदय, अब उन बेचारे लोगों से, वो तो कहेंगे हम तो नहीं रखना चाहते, आपको गांव वालों से जो ऐठना था ऐठ लिया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये, तो मैं राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से ग्रामीणों को तंग नहीं किया जाय। ग्रामिणों को आप विश्वास में लीजिये तभी जाकर के लोगों का आपके प्रति विश्वास जमेगा।

इसी प्रकार से हमारे सीमा क्षेत्र में हम बसे हुए हैं, सभापति महोदय, पशु हमारे खुले चरते हैं, इसमें दो राय नहीं। चाहे आज बी.एस.एफ. वहां है, उनके भी पशु खुले चरते हैं और चरते चरते पाकिस्तान में चले जाते हैं। मेरा निवेदन यह है

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि जब आपको इत्तला देते हैं कि हमारे पशु पाकिस्तान में चले गये और हमारी इस प्रकार की व्यवस्था है कि पाकिस्तान का माल हिन्दुस्तान में आ जाता है या भारत का माल है वो पाकिस्तान में पशु चले जाते हैं तो आपस में मीटिंग करके आदान प्रदान होता है, एक दूसरे का माल वापिस दिया जाता है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बीकानेर पुलिस ने एक भी केस में गाय, ऊंट या भेड़ लाकर ही या पुलिस ने ऐसा प्रयास किया, बीएसएफ वाले जो बोर्डर पर वहां मोजूद हैं उनको कहा, दबाया गया कि इस प्रकार के जो पशु हैं उनको वापिस लायें। ऐसी समस्याओं पर तो ध्यान देते नहीं, इनकी तो तुरन्त वहां नजर जायेगी कि यहां पांच हजार मिल सकते हैं, यहां पचास हजार मिल सकते है, वहां तुरन्त पहुंच जायेगें, उसके लिए फटाफट गाड़ी की व्यवस्था हो जायगी, सब साधन भी हो जायेंगे। तो सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर गत दो वर्षों में चोरियां हुई हैं उनमें से 90 प्रतिशत चोरियां बरामद नहीं हुई। कैसे बिश्वास किया जाय। अब इन्होंने जैसा प्रगति विवरण में बताया कि 1981 में 320 डकेत मारे और हथियार बरामद कितने हुए? आंकडों पर सभापति महोदय, जरा गौर कीजियेगा कि 320 डकेत मारे गये या पकड़े गये सन् 1981 में और हथियार बरामद कितने हुए 110, और फिर डकेत कहलाते हैं, बाकी हथियार कहां गये या बगैर हथियार के डकेत हो गये। इसी प्रकार से 1982 के आंकड़े देखिये, 1983 के देखिये, कितने डकेत पकड़े गये या मारे गये उनके हथियार बरामद नहीं हुए आंकड़े देते हैं, एफआई आर तक लाज नहीं होती, जिसकी एफ आई आर लाज करवाते हैं उसकी सुनवाई नहीं हाती, पैरवी नहीं होती अदम पता अदम सबूत में मामला खारिज हो जाता है वैसे विश्वास करें इनका। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, जिला प्रशासन के बारे में सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से आज कल आई ए.एस, आर ए एस अधिकारियों का चयन होता है और चयन होकर, हालांकि वह हमारे बीच में से ही जाते हैं परन्तु उनको ऐसी हालत में महसूस कराया जाता है कि आप तो बहुत ही उच्चाधिकारी बनते हैं, राज आपके हाथ में आने वाला है जैसे गोलियां लगती हैं, सब कुछ इधर होता है, आज सारे व्यक्ति यह महसूस करते हैं चाहे आप स्वयं जाते हैं, स्वयं देखते हैं, गांव के अन्दर अगर जिलाधीश आ जाय तो ग्रामीण अपनी समस्या को कहना भूल जाते हैं वो कहते हैं माई बाप आप पधारें, हमारा तो गांव पवित्र हो गया, बड़े निहाल हो गये। समस्या तो भूल जाते हैं और उसकी सेवा में लग जाते हैं लाओ मिठाई, लाओ चाय, काफी,

श्री भैरू लाल भारद्वाज : आपका इलाका इतना पिछड़ा हुआ है क्या।

श्री देवीसिंह भाटी : यह हकीकत है जो कह रहा हूं, आपके यहां भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने तो शुरू में कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में और पहाड़ी इलाके में, आदिवासी क्षेत्र में निश्चित तौर से यह हकीकत है। इसलिए ऐसे अधिकारी जो अपने आपको माई बाप कहलाते हैं, सरकार कहलाते हैं यह महसूस करावें कि हम कह दें वही होगा, यह राज्य सरकार के सोचने की बात है, यह जो अलगाव, जो दूरी पैदा हो रही है, यह ऊंच और नीच वाली बात नहीं होनी चाहिये, समता की बात जो नहीं हो रही है इसके ऊपर गौर करें। पहले इन्होंने यह तो चला दिया कि प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है, चला गया परन्तु मौके के ऊपर क्या किया उसने जाकर? एक दिन का कैम्प, सैकड़ों मसले विचाराधीन हैं, जैसे हमारी जितनी परेशानियां थीं उस दिन लिखाई गईं, अब एक अमला चालीस आदमियों का, पचास आदमियों का काफला अगर चला वह उनकी वहां व्यवस्था करें, हलवा बनाओ, खाना बनाओ, चाय काफी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आप आंकड़े मंगाकर देखिये कि उसमें कितनी शिकायतें थीं, जो अभाव अभियोग थे, कितनों का निस्तारण हुआ? कुछ नहीं। नाम कर दिया ऐसे चलाओ अभियान, अबकी बार तो हमने भी सहयोग देने का प्रयास किया, फिर भी देने का तैयार हैं पर इसकी उपलब्धि क्या रही यह देखिये। इसके बाद फिर चले गये, गांवों में गया हुआ प्रशासन, वहां से वापिस हटा नहीं, अब शहरों में जा रहा है और शहरों में चला गया, शहरों में जाने के उपरान्त भी और लोगों ने सुना कि एक अभियान चलाया जा रहा है तो निश्चित तौर से जितना हो सके हमें लोगों को रिलीफ देनी चाहिये। जाते ही वो कुर्सी पर बिराजमान हो जाते हैं, एप्लीकेशन पेण्डिग हैं, पेण्डिग हैं, और आज के दिन भी पेण्डिग है, जब समस्या का समाधान नहीं होता तो अभियान चलाने से फायदा क्या हुआ। होना तो चाहिये था रुटीन में वर्क, वह तो होता नहीं, अभियान चलाया जाता है।

एक मेरा निवेदन है कि जिला प्रशासन ने अजीब स्थिति हमारे सामने खड़ी कर रखी है, सीमा क्षेत्र में रहते हैं, उधर से कई चोर आते हैं, डकेत आते हैं और हमारे गाय, भेड़ उठाकर ले जाते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए, हथियारों के लिए आवेदन करते हैं, अब वह हथियार तो वहीं धरे रह जाते हैं किसी प्रकार से हाथा जोड़ी करके बात करते हैं, उसमें जबरदस्त एक समस्या और लगा रखी है कि जब तक 500 रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं खरीदोगे तब तक न तो आपके नाम हथियार बनेंगे और न आपका लाइसेन्स रिन्यू होगा। अब इस प्रकार जो जबरदस्ती करते हैं, एक तरफ तो हमारी जरूरत है कि हम सीमा क्षेत्र में रहते हैं, आप हमारे चरित्र की कोई भी तस्दीक करना चाहते हैं वेरीफाई करवाइये, तसल्ली से करवाइये, परन्तु आज हमको हथियार की आवश्यकता है तो हमको हथियार नहीं दे रहे हैं। उसके लिए फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जरूर होंगे, चाहे रिन्यूअल कराओ चाहे नये हथियार का लाइसेन्स लेना हो। इसी प्रकार हमारी समस्या है लूनकरणसर में फायरिंग रेन्ज की। वहां

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

न तो विकास कार्य होता है, न फेमिन कार्य होता है न कोई अन्य कार्य वहां करने की

(218)

(श्री देवीसिंह भाटी)

कोशिश करते हैं और न तो पूरा गांव खाली करवाते हैं और न उनको नई जगह देते हैं, न उनको कम्पन्सेशन देते हैं आज सारे लोग अधर भूल में हैं। ऐसी समस्यायें सामूहिक रूप से सामने आती हैं फिर प्रदर्शन होता है, हड़ताल होती है। हम जब समस्या लाते हैं वास्तव में समस्या आती है, लोग परेशानी में होते हैं, यह जिला प्रशासन का कर्त्तव्य है, राज सरकार का कर्त्तव्य है। अगर वह नहीं करता है तो फिर आन्दोलन नहीं करें तो और कौनसा रास्ता रह जाता है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आखिर में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस का जो छोटा कर्मचारी हैं, चाहे वह सिपाही हो, चाहे वह थानेदार हो और चाहे वह इन्सपेक्टर हो जब तक आप इनके वेतन को अच्छा नहीं करेंगे या आप उनको मेडिकल फैसलिटीज या अच्छी आवासीय सुविधा नहीं देंगे तो उनका चूंकि खर्चा नहीं चल सकता है इसलिये जैसे एक आदमी पुलिस लाईन में है और दूसरा कोई पुलिस का आदमी थाने में है कांन्स-टेबल वो हमेशा अपनी तनख्वाह मे गुजारा नहीं कर सकता। तो ऐसी परिस्थितियों में जब वह किसी दूसरे पुलिस के कर्मचारी को पैसा गलत तरीके से कमाता देखता है तो उसके मन में भी निश्चित रूप से गलत तरीके से पैसा कमाने की बात आयेगी। तो मेरा यह निवेदन है कि आप उन लोगों की तनख्वाह बढ़ायें। उनको अच्छी मेडि-कल फैसेलिटी दें उनके बच्चों की पढ़ाई के लिये अच्छी व्यवस्था करें, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित रूप से पुलिस में भ्रष्टाचार कम होगा।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप क्राइम को रोकना चाहते हैं तो आपको किसी प्रकार से इनके लिये बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और इसके लिये आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि आज वही कल का ही ले लीजिये कि अगर उनको कहीं पर दूर दराज के गांव में जाना है, कोई तुरन्त किसी गांव में मौके पर जाना है तो उसके लिये आपको वेहीकल प्रायोरिटी के बेसिस पर एवेलेबल करानी चाहिये। तो, सभापति महोदय, इस प्रकार मैने जो छोटे मोटे सुझाव दिये हैं वह और जो मैंने कटौती प्रस्तावों के जरिये सुझाव दिये हैं उनकी तरफ अगर राज्य सरकार गौर करें तो निश्चित तौर पर राजस्थान में क्राइमस कम हो सकते हैं और यहां पर पुलिस प्रशंसा के काबिल होगी और अगर गलत कार्य करेगी तो निश्चित तौर पर बुराई पुलिस की होगी।

अब, सभापति महोदय, मैं थोड़ा जिला प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज जो जिला प्रशासन आपका है उसकी तरफ तो गांव वालों का विश्वास ही उठ गया है। क्योंकि आज जो आइ.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारी आपके हैं वह ज्यादातर शहर वाले होते हैं। उन लोगों का सोचने का जो तरीका है वह अलग होता है। वह शहरी माहौल से आते हैं अतः उनको गांवों की समस्याओं का ध्यान ही नहीं होता है। इतना ही नहीं, मैं तो यहां तक कहूंगा। कि आप उनको

(श्री देवीसिंह भाटी)

पूछिये आप गांवों में एक महीने में कितने नइाट हाल्ट करते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक महीने में कितने नाइट हाल्ट यह अधिकारी करते हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि वह कतई नहीं करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप गांव वालों को रिलीफ देना चाहते हैं अगर राज्य सरकार गांवों की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहती है तो उसके लिये उन्हें गांवों में जाकर वहां की समस्याओं का निराकरण आपको करना पड़ेगा। अगर आप यह करेंगे तब तो आपको शाबासी मिलेगी और नहीं तो आपको बुराई मिलेगी। और आप जो यह पैसा खर्च कर रहे हैं यह सब आपका बेकार जायेगा।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : सभापति महोदय, आज मांग संख्या 14 और मांग संख्या 4 पर सदन में वादविवाद चल रहा है लेकिन मैं इन मांगों के विषय में बोलने के पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपने भाषण को दूसरा ही रूप देने की कोशिश की है उसके बारे में पहले एक दो शब्द कहना जरूरी और अनिवार्य समझता हूं। सभापति महोदय, नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य श्री सूर्यकुमार जी ने अपने भाषण के दौरान यह फरमाया था कि कोटपूतली के अन्दर जो गोली काण्ड हुआ उसमें विपक्ष की जिम्मेदारी है। क्योंकि वो लोग बलातकार करने वाले लोगों को पकड़ कर थाने पर ले आये थे। उन्होंने विपक्ष को निति का पाठ भी पढ़ाया। और विपक्ष की जो जिम्मेदारी हैं उसको भी बताया।

सभापति महोदय, मैं यहां पर इस बात को याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस का राज नहीं है और जम्मू और काश्मीर में जहां पर कांग्रेस का राज्य नहीं है, वहां पर पश्चिमी बंगाल में राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो काले कारनामें किये हैं। क्या [illegible] स्तान में किन्हीं विपक्षी दलों ने [illegible] ये हैं। इसी तरह कर्नाटक में किसान आन्दोलन में किया कर्नाटक की जनता को गोलियों से भुनवाया हिन्दुस्तान में कोई दूसरी विपक्ष की पार्टी ने ऐसा किया हो ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मु और काश्मीर में जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने भाषण में जो रविवारीय पत्रिका में छपे थे उसमें यह कहा था कि अगर जम्मू और काश्मीर में हिन्दु अगर मुसलमानों को वोट देंगे तो वहां की हिन्दु औरतों को अपने ललाट पर टीकी लगाने की बजाय बुरका पहन कर मन्दिर में न जाकर मस्जिद में जाना पड़ेगा। सभापति महोदय, ऐसा भाषण तो कोई विरोधी दल का नेता नहीं दे सकता। सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि चाहे आप कोई चर्चा का विषय ले, अगर साम्प्रदायिक भावना की बात करते हैं तो हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता की जननी कांग्रेस ही है। सभापति महोदय, पंजाब में आज जो स्थिति है, क्या इसके लिए है। विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैं यह निवेदन

(220)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करना चाहूंगा कि भिन्डरवाले को किसने क्रियेट किया है। सभापति महोदय,

(6.00 सायं)

कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर कभी चुनाव हुए तो चुनावों में सिखों के वोट तो अकालियों को जायेंगे और हिन्दुओं के वोट कांग्रेस के साथ तो होंगे ही तो वोट की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति दूसरे प्रदेशों से ठीक है। मेरा यह निवेदन है कि इतिहास जानता है कि जब-जब श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आयीं, वह सामान्य कानून व्यवस्था से राज्य नहीं चला सकती हैं। इसके लिये चाहे वह सन् 75 से पहले का समय लें, चाहे 75 के बाद का। इसके पहले 75 में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और लोगों को अन्धाधुन्ध जेलों में डाल दिया। उसके पहले चाहे भारतीय सुरक्षा का कानून बना कर और चाहे किसी तरह से हो सामान्य कानून कायदे से श्रीमती इन्दिरा गांधी राज नहीं कर सकतीं। इसके लिये चाहे कह दिया हो कि मोरारजी भाई ने कह दिया कि भय मुक्त हो जावो और मोरारजी भाई की वजह से कानून और सुरक्षा की व्यवस्था बिगड़ी, परन्तु आज पंजाब की स्थिति क्या है? वहां पर आज क्या हालत है? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सामान्य कानून और व्यवस्था से श्रीमती इन्दिरा गांधी राज हीं चला सकती हैं। पहले उन्होंने मीसा कानून बनाया और बाद में लोगों को जेलों में डाल दिया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही देश में सबसे ज्यादा अराजकता फैलाने वाली पार्टी है और वही झगड़े की जड़ है। यही कारण है कि आज देश में चारों तरफ लूट-खसोट मची हुई है, चारों तरफ अराजकता का साम्राज्य फैला हुआ है और सामान्य कानून से यहां काम नहीं चलता है और इसीलिये चाहे वह कोई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हो, चाहे मीसा का कानून हो, चाहे और कोई कानून हो, श्रीमती इन्दिरा गांधी उन कानूनों का सहारा लेकर राज्य करती हैं। इसके अलावा, सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले विद्वान माननीय सदस्य जोशीजी ने अपने मनोवैज्ञानिक तरीके के भाषण में हमें मनोविज्ञान का पाठ पढ़ाने की कोशिश की और यह समझाने की कोशिश की कि विपक्ष का भविष्य अन्धकारमय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1980 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि यह 1980 की महान् क्रान्ति है और उस महान क्रान्ति के बाद में, सभापति महोदय, जो चुनाव हुए, चाहे वह पश्चिमी बंगाल के हों पर कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया चाहे वह त्रिपुरा के चुनाव हुए हों वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया और

चाहे वह हरियाना चुनाव हों, वहां कांग्रेस ने जोड़-तोड़ करके सरकार बनाली और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने दो वोटों से सरकार बनाली और कर्नाटक में कांग्रेस का सफाया हो गया। तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 1980 की महान् क्रान्ति के बाद में जहां-जहां भी चुनाव हुए हैं वहां-वहां पर कांग्रेस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

का सफाया हुआ है। 1980 की महान् क्रान्ति के बाद आन्ध्र में चुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस का सफाया हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मनोवैज्ञानिक भाषण हमें मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने दिया उस मनोविज्ञान का एक ही मतलब है कि कांग्रेस का सफाया हो गया। इसके अलावा मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर चुनाव हुए हैं वहां इन्दिरा गांधी की कांग्रेस सरकारों का सफाया हुआ है। तो यह मनोविज्ञान का पाठ तो पूरा हुआ। सभापति महोदय, इसके अलावा यहां पर सदस्यों ने यह कहा कि....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुआ रामगढ़) : आपका सफाया हो गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, राज्य सभा के चुनावों के लिये माननीय सदस्यों ने कहा कि आपकी 51 सीटें होने पर भी आपको राज्य सभा की सीट नहीं मिली। मेरा निवेदन है कि मैं इसका विश्लेषण तो नहीं करना चाहता हूं पर इतना जरूर कहूंगा कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपने कटौती प्रस्तावों पर आ जावें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो माननीय सदस्य बोले हैं उनका जवाब तो मैं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) सभापति महोदय, जब दूसरे दल के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो आपने उनको कटौती के प्रस्तावों पर बोलने को नहीं कहा। वह जब अलग से पोलीटिकल भाषण दे रहे थे।

श्री सभापति : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो विपक्ष भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है।

श्री सभापति : उस वक्त आपको आसन को कहना चाहिये था। आसन तो अपनी जिम्मेदारी निभायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप आसन पर बैठें हैं तो हम भी तो आपोजीशन में बैठकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।

श्री सभापति : इनको अगर विपक्ष के नेता महोदय अपने भाषण में कहते तो ज्यादा अच्छा रहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो माननीय सदस्य बिलकुल ही पोलिटिकल भाषण दे रहे थे उनका जवाब तो हमको देना ही पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उस वक्त उनको क्यों नहीं रोका गया ?

श्री सभापति : आपको आपत्ति करनी चाहिये थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने आपत्ति की थी पर आसन ने नहीं मानी।

श्री सभापति : वह तो आसन का अधिकार है कि वह माने या नहीं माने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आसन कोई अलग थोड़े ही है। आदमी बदलते हैं व्यवस्था थोड़े ही बदलती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : तो, सभापति महोदय, मैं राज्य सभा के सम्बन्धों में चर्चा कर रहा था। यहां पर माननीय सदस्यों ने यह कहा कि आप राज्य सभा की सीट हारे मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कर्नाटक में दो सीटें हार गये और गुजरात में माधोसिंह सोलंकी और जिन्ना भाई ने आपस में लड़कर वहां खुद मुख्य मन्त्री ने क्रोस वोटिंग कराया और दो सीटें आपने वहां पर खोई। उसका नतीजा यह है कि आज तक वह वहां पर लड़ रहे हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को 52-52 वोट आपने अलाट किये थे, लेकिन के. के. बिरला को 52 वोट मिले और कांग्रेस के दूसरे केंडीडेट को जो 52 वोट मिलने चाहिये थे वह नहीं मिले। बिरला जिसको कि कांग्रेस ने 44 वोट देने का तय किया था। वह के. के. बिरला चुनाव में कांग्रेस के केंडीडेट से ज्यादा वोट ले गया, मैं समझता हूं कि यह कांग्रेस की हार है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आपका केंडीडेट मुरारका बढ़िया था क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारा केंडीडेट बिरला से बहुत छोटा था।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अच्छा था क्या ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अच्छा था कमल। कमल तो खिलेगा ही। आज नहीं तो कल खिलेगा, कमल तो। खिलेगा ही।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा जहां-जहां कानून और व्यवस्था पर चर्चा हुई आंकड़े दिये जाते हैं। मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूं और न ही साइन्स का विद्यार्थी रहा हूं। मैं एक बात कहना चहाता हूं कि एक बार कोटा और बूंदी में जो घटना हुई, उसका आर्टिकल छपा, मैंने भी पढ़ा उसमें लिखा था कि साहब कोटा के अस्पतालों में जुड़वा बच्चे क्यों रहे हैं। क्या कानून की स्थिति ठीक नहीं है। सभापति महोदय, यह बड़ा सटीक मामला है कि कोटा और बूंदी के अस्पतालों में लगातार जुड़वा बच्चे हो रहे हैं। डाक्टर से पूछा कि जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे हैं क्या कारण है क्या सरकार की पालिसी है ? तो उन्होंने जबाव दिया कि कानून और व्यवस्था की इतनी खराब है कि बच्चा अकेले बाहर निकलने में घबराता है। यह तो वहां की कानून -व्यवस्था की स्थिति है। अब आप आकड़ें दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप अपनी बात जारी रखिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशु पालन) : बी. जे. पी. ने ही किया है उनके गठबंधन के कारण दोनों अकेले नहीं निकलते।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वहां तो दोनों ही पहुंच गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कानून-व्यवस्था के बारे में सोचें कि आम जनता के बारे में क्या धारणा है, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, अब मैं पुलिस की कुछ बातों की ओर निवेदन करना चाहूंगा। हम पुलिस की डिमाण्ड पर बात करते हैं हमें उस पर ध्यान देना होगा। पुलिस की आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन हमारा मुख्य आधार है। जब लोगों पर विपत्ति आती है तो वह सबसे पहले थाने पर जाता है तो वह महसूस करता है कि सरकार यहां पर है, अगर वहां पर न्याय नहीं मिलता तो मिनिस्टर्स या विधायकों पास जाता है। लेकिन वह सबसे पहले पुलिस के पास जाता है और थानेदार को देखते हुए मानता है कि सरकार यह है। लेकिन सभापति महोदय, आजकल पुलिस दबाव में है वह दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है और इस प्रकार अपराधी बढ़ते जा रहे हैं जिससे पुलिस का जो ढ़ाचा है उस ढ़ाचे के अनुसार पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा अपराध जो बढ़ रहे हैं आज जो पुलिस का ढ़ांचा बना हुआ है वह उससे अपराधी खोज नहीं सकती। उसके पास इस तरह के एक्सपर्ट्स नहीं हैं फिर हमारी पुलिस को इस प्रकार माना गया है कि वह सब कुछ कर सकती है। वह कोर्ट सम्मन लायेगी, कानून-व्यवस्था की स्थिति मेन्टेन रखेगी और जो भी काम होंगे जैसे शान्ती स्थापित करना, धारा 144 लागू करना यह सब काम पुलिस को करने पड़ते हैं। सभापति महोदय, पुलिस का ढ़ाचा पुराना हो गया है पुलिस को वर्गीकृत करना पड़ेगा। मैंने जापान का एक लेख जो पुलिस ढ़ाचे पर था, वह पढ़ा। वहां हाई कोर्ट के लिए अलग से पुलिस है। हाई कोर्ट के सम्मन के लिए, स्टे के लिए यह सब काम वहां उनकी अपनी पुलिस करती है, उसके बाद दंगों आदि से निबटने के लिए अलग से पुलिस है। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के अन्दर अलग पुलिस होती है वह अपना काम अपने ढंग से करती है। लेकिन हमारे यहां पर वह स्थिति नहीं है। आज के दिन कोई गड़बड़ी हो तो हमारा थानेदार उसकी जांच करेगा। उसको पता ही नहीं है कि अकाउंट का मामला किस प्रकार है। किस प्रकार उसकी जांच की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस में हम ऐसे लोगों को भर्ती करें जो सी. ए. हों, वकील हो, एक्सपर्ट्स हों, उनकी पुलिस केडर के रुप में भर्ती की जानी चाहिए आज गांव-गांव में भ्रष्टाचार होता है, कहीं गबन होता है। हम समझते हैं कि अमुक स्थान पर गबन हुआ है उसकी जांच करने के लिए थानेदार को भेजते हैं, वह जांच करता है, लेकिन कानूनी ढंग से वह उसकी शिनाख्त नहीं कर पाता क्योंकि विशेषज्ञ नहीं होने के कारण वह उसकी तह तक नहीं पहुंच पाता। उसे विफलता हाथ लगती है। इसी प्रकार से ट्रेफिक के मामले में भी अलग व्यवस्था करनी चाहिए। जो ट्रेफिक के कानून-कायदे हैं वह सबको नहीं मालूम। मैं मुख्य मंत्रीजी आपसे निवेदन करना

224

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

चाहूंगा कि जब भर्ती होती है तो उसमें किस केडर के हों आप एक्सपर्ट्स व्यक्तियों को उसमें भर्ती करें, हैड कांस्टेबिल नहीं कर सकते तो एस. एच. ओ. सीधे भर्ती करें। ऐसे लोग हों जो विधिवत जांच कर सकें, चालान पेश कर सकें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा पुलिस की ड्यूटी के बारे में। आज पुलिस की ड्यूटी 24 घण्टे की होती है। उसमें कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट में जो पुलिस वाले तैनात रहते हैं वह पड़े रहते हैं वह सोये रहते हैं, उनका दिमाग पजल्ड हो जाता है, वे एकदम से पूरे दिन काम नहीं कर सकते। 24 घण्टे की ड्यूटी देना उनके लिए सम्भव नहीं है। जैसा कि मेरी जानकारी में है बम्बई में पुलिस की ड्यूटी बांटी हुई है। मैं मांग करूंगा कि राजस्थान में आप सारे थानों में नहीं तो कम से कम बड़े शहरों के जो थाने हैं उनमें 24 घण्टे पुलिस लगाई हुई है मानवता के नाम पर उसको आठ-दस घण्टे कीजिए और पुलिस वाले अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकें, यह आपको व्यवस्था करनी चाहिए। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा थानों में जीपें नहीं होतीं जिससे वह किसी प्रकार की रिकवरी कर लें। आप आज थानों में जाइये उसके पास कागज नहीं है, लिखने को पेन नहीं है। वह कहेगा कि रिपोर्ट करानी है तो कागज, पेंसिल और चाय ले आओ। आखिर उसके पास बजट नहीं है जिससे वह कागज पेंसिल ले सके और वह चालान करता है तो तीन कापियां बनाकर भेजता है, बजट में उनके पास गुंजाइश नहीं है। उनका बजट बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम एक जीप की व्यवस्था करें और साथ ही टेलीफोन की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बिना वह तुरन्त कार्यवाही करने में असमर्थ रहेगा।

दूसरा मेरा निवेदन है हथियारों के बारे में। नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे जितने हैं वहां पर जो गश्त लगाते हैं, ड्यूटी देते हैं उनके पास स्टेनगन जैसा हथियार नहीं होता। उनको 12 बोर की बन्दूक पकड़ा देते हैं और जो स्वाचालित हथियारों से लैस होकर डाकू या लुटेरे आते हैं पुलिस वाले उनको पकड़ नहीं पाते। मेरा निवेदन है कि उनको भी इस प्रकार के हथियार दिये जाने चाहिए। सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से कुछ और तथ्यों की ओर निवेदन करूंगा और उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं मानता हूं मुख्य मंत्रीजी मुझे डांटेंगे मैं दो तीन बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। दो-तीन पाइंट हैं उसको ध्यान से सुनने पर पता चलेगा कि हमारे पुलिस के ऊपर कितना बड़ा कलंक है। हमारे आई. जी. हैं उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, हमारे डी. आई. जी. हैं वह भी ईमानदार आदमी हैं। लेकिन हमारे जिले के डी. आई. जी. सीकर जिले के जो हैं, सीकर जिले में जो भय का वातावरण आप को सुना रहा हूं उसके बाद आप कहेंगे कि पुलिस वाले ईमानदार हैं तो मैं सारा वक्तव्य वापिस ले लूंगा। सीकर जिले के कुटराथल में कुछ लोग, रुगनाथगढ़ थाने के अन्तर्गत एक गांव है वहां पर दिल्ली से 15 आदमी ट्रक में आये, कटराथल आये जो सीकर से पांच किलोमीटर दूर है वहां उन्होंने एक सुनार के घर पर डाका डाला, मैन रोड पर। सीकर से यह 5 कि. मी. दूर है। पांच महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

एक महिला के गुप्तांग में लोहे की छड़ फंसा दी जिसको अस्पताल ले जाया गया। एक लाख बीस हजार रुपये के सोने, चांदी के गहने लूटकर ले गये। पुलिस को एक घण्टे बाद खबर हुई। वह डाकू दो घण्टे तक वहां घूमते रहे और फिर उसी ट्रक में बैठकर वह वापस उसी रोड से दिल्ली गये, पुलिस पीछा करके उनको पकड़ नहीं सकी, वह बात खत्म हो गई।

उस ट्रक की एक स्लिप नीचे पड़ गई, ट्रक नम्बर था आर. आर. डी. इतने नम्बर। दिल्ली का ट्रक था उसका टैक्स जमा कराया हुआ था वह कागज नीचे पड़ा हुआ मिला। उस कागज के द्वारा पुलिस को पता लगा कि यह ट्रक दिल्ली का है पुलिस पार्टी दिल्ली गई, सभापति महोदय, दिल्ली में जाकर उस ट्रक को बरामद किया। ट्रक के ड्राईवर को गिरफ्तार किया। और जिस समय सीकर की पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई, जो ट्रक का मालिक था उसके लड़के ने बंदूक दिखा कर ट्रक को लाने से मना किया उन्होंने वहां पर संघर्ष किया, दोनों बंदूकें उनकी छीनीं और ट्रक को पकड़ कर सीकर लाकर थाने में बंद किया। इसके पश्चात, जो मुल्जिम; चरणसिंह चानना जिसका नाम है, चरणा उसको कहते हैं. दिल्ली में उस पर कम से कम 40 केस मर्डर के डकैती के दिल्ली के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहां सीकर की पुलिस तो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी, दिल्ली की पुलिस ने किसी कांस्टेबल की हत्या के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया। वहां से वारंट के द्वारा सीकर उसको लाया गया। उस डकैती में 15 आदमी शामिल थे, उस सरदार को पकड़ लिया गया, उसने डकैती की बात मंजूर करली। उसके ट्रक ड्राइवर को पकड़ा गया उसने डकैती की बात मंजूर कर ली। उसके बाद, सभापति महोदय, क्या होता है ? बिना कोई रिकवरी किये, उस चरणसिंह चानना और ड्राइवर का चालान पेश कर दिया गया कोर्ट के अन्दर, एक लाख रुपया उससे वसूल कर लिया पुलिस ने। एक लाख रुपये खा गई वहां की पुलिस और उनका चालान पेश कर दिया बिना कोई रिकवरी किये। मैं दावे के साथ, निष्ठापूर्वक बात इस हाऊस में कहता हूं। इस बात की शिकायत मैंने डी.आई.जी. से की। डी.आई.जी. इस बात को मानने के लिये तैयार है कि इस मामले में गड़बड़ हुई सारा का सारा मामला इस बात का है, मुल्जिम पकड़ लिये, ट्रक जब्त कर लिया, हथियार जब्त कर लिया, मुल्जिम को पकड़ कर ले आये, उसके बाद सिर्फ एक मुल्जिम चरणसिंह चानना और उसके ड्राइवर का चालान पेश कर दिया गया, एक रुपये की भी रिकवरी किये बिना। वे मुल्जिम दोनों जमानत पर छूट कर चले गये। वो मुल्जिम बरी होंगे और एक लाख तीस हजार रुपया कैश के रूप में सीकर की पुलिस ने उनसे वसूल कर लिया। यह एक किस्सा है अगर, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप इसका जवाब दे दो फाइल देखकर तो मैं मानूंगा कि आपकी पुलिस एफीशियेंट है।

दूसरा किस्सा इस प्रकार का सीकर जिले का है। माननीय मोदी जी बोलते बोलते रह गये, ईमानदारी का नाम लेकर रह गये कि ईमानदार आदमी है इसको ले जाओ। सीकर जिलान्तर्गत पाटन थाने के अन्दर बिहार गांव में डकैती हुई। मेरठ के डाकू डाका डालकर गये, डाकुओं को पकड़ कर ले आये। डाकुओं पकड़ कर लाने के बाद, वही स्टोरी हुई है, माननीय सभापति महोदय। दो डाकुओं का चालान पेश कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर दिया गया, बिना एक पैसे की रिकवरी किये। क्या हाल किया है वहां का आपने? क्या कहना चाहते हैं आप? दोनों डाकों के अन्दर राज्य पुलिस ने पैसे वसूल कर लिये, पुलिस पैसे खा गई। एक पैसे की रिकवरी नहीं की, चालान पेश कर दिया। कौन इस बात की गारंटी लेगा? एस.पी. ने पैसे खाये हैं, मैं दावे से कहना चाहता हूं। इसके अन्दर बिना रिकवरी के चालान पेश कर दिया, कोर्ट में कोई रिकवरी नहीं करी। है किसी में हिम्मत है जो डी.आई.जी से पैसे निकलाये। अगर राज्य सरकार है, अगर मशीनरी है तो वह पैसे निकलवा कर उनको पैसे देगी। नहीं तो मैं मानूंगा, राज्य सरकार नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, हमारे जिले की आपने हालत क्या बना रखी है? लक्ष्मणगढ़ में बारात गई, बनिये की। उस बारात में लोग रात को बारात के बाद बैठे बैठे ताश खेल रहे थे, कुछ चोपड़ खेल रहे थे। वहां पर आपका एस एच ओ. शराब पीकर गया। शराब पीकर 15 बनियों को पकड़ कर ले आया और सात हजार रुपये नकद उनसे वसूल कर के लायी कि आप यहां पर जुआ खेल रहे हो, यह रुपया आपसे वसूल करता हूं। उसके बाद थाने में लाकर उनको बंद किया। दूसरे दिन लक्ष्मणगढ़ का पूरा बाजार बंद हुआ। सब लोग मिल कर थाने पर गये उन लोगों को छुड़ा कर लाये। साढ़े तीन हजार रुपये लाये, साढ़े तीन हजार रुपये अभी भी वह खाकर बैठा है। आपमें हिम्मत है, उसकी चारों तरफ से शिकायतें हुई। किसी ने कार्यवाही की? सभापति महोदय, नहीं की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी प्रकार से रामगढ़ के कांड के मामले में। हमारे कार्यकर्ता थे उनकी चाची की बंद मकान के अन्दर हत्या हुई। सत्यनारायण चोटिया हमारे कार्यकर्ता हैं, वह विधवा अकेली रहती थी जब उसकी हत्या हो गई, 6 दिन बाद मकान से बदबू आने लगी। मकान बंद रहता है, मकान में से जब बदबू आने लगी तो लोगो ने कहा क्या हुआ, तो पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट की। थानेदार वहां पर गया, मकान खोला। सत्यनारायण चोटिया की चाची मरी, मकान खोला क्षत-विक्षत अवस्था में लाश मिली। लाश मिलने के बाद जिन लोगों ने शिकयत की थी उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके तीन दिन तक रखा उनके साथ मारा-पीटी की। हमने कहा, भैया, इनकी तो चाची मरी हैं, इनको क्यों मार रहे हो। सौभाग्य था वह उनका कि दिल्ली पुलिस ने किसी कारण से जो मुल्जिम डाका डाल कर उसको मार कर गये थे उनको अरेस्ट किया दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट करके कहा कि ये आदमी रामगढ़ में एक औरत की हत्या करके आये हैं और वहां से सामान लेकर आये हैं, आप इनको ले जाओ। तब जाकर सीकर पुलिस उनको लेकर आयी। तब जाकर बेचारे जिन्होंने शिकायत की थी वह छूटे हैं। हमने इस थानेदार की शिकायत की डी.जे. साहब के पास। मिले उनसे वार बार कोई कार्यवाही हुई? डी.जे. साहब बहुत सीधे हैं, ईमानदार हैं लेकिन जब सुनते नहीं हैं तो क्या करेंगे, शहद लगाकर चाटेंगे? दस बार आये, मैंने भी बात की पत्र लिखा। लेकिन किस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते है समाज के अंदर?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्या आपसे कोई मिलने के लिए आता है समाज का आदमी? शिकायत करने के लिये आता है, वह बात सुनने के लिये तैयार नहीं है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, पुलिस की नाकेबन्दी की बात कही। पुलिस के एक थानेदार का उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। बस्सी का थानेदार है, मैं उसका उदाहरण देकर कहना चाहता हूं। आखिर वह एडलक के लिस्ट पर लगा हुआ है तो उसका क्या कारण है? जयपुर जिला उसका होम ड्रिस्ट्रिक्ट है। आपने उसको लगा रखा है। डी. आई. जी. साहब ने उसका ट्रांसफर किया। दो बार ट्रांसफर कर दिया कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहना चाहिये, जयपुर ड्रिस्टिक्ट का आदमी है। एक बार ट्रांसफर किया उसका वापस ट्रांसफर केन्सिल हो गया। चार बार परीक्षा में बैठा है थानेदार की में, 79 में, 80 में, 81 में, 82 में-चारों बार ये परीक्षा में फेल हुआ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं समाप्त करूंगा। चारों बार ये परीक्षा में फेल हुआ लेकिन फिर भी आपने होम डिस्ट्रिक्ट में लगा रखा है। आखिर कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि नमोनारायण जी की जमीन है, उस जमीन की वह रखवाली करता रहें वहां पर बैठा बैठा। गार्डन लगाने के लिये आपने उसको होम डिस्ट्रक्ट में लगा रखा है। कोई सुनने वाला नहीं है इस बात को। इसकी डी. आई. जी. को शिकायत की गई, इसकी शिकायत मुख्य मंत्रीजी से भी की। लेकिन जो भी शिकायत करने वाले हमारे कार्यकर्त्ता थे, रामकिशन, उनको बिना किसी कारण के पकड़ कर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में जब डी. आई. जी. के यहां से वायरलैस गया बार बार कि छोड़ों, इसे क्यों गिरफ्तार किया, उसके बाद इनको छोड़ा गया। इस थानेदार को आपने क्यों बैठा रखा है आखिर। जयपुर जिले का रहने वाला है।

इसी प्रकार से मैं नाकेबंदी के बारे में आपको कहना चाहता हूं। पुलिस कहती है कि नाकाबंदी करते हैं डाका पड़ते ही। क्या नाकेबंदी करती है? नाकाबंदी में क्या सफलता मिली आपको? टूटू के अन्दर कांस्टेबल को मारा। मार कर आप आये जयपुर। जयपुर आये, रास्ते में जो ड्रम रखे थे, बगरू थाने के पास, उनको बिखेर दिया और मारने वाले जयपुर आकर जयपुर से भग कर चले गये। आपकी नाकेबन्दी का क्या हुआ? दूसरा, जयपुर के एम. आई. रोड पर ज्वैलर्स एम्पोरियम में डकेती हुयी। डकेत यहां से गये और अजमेर रोड पर इनको क्रास करके चले गये। वे वहां से गाड़ी के अन्दर बैठ कर चले गये, आपकी नाकेबन्दी का क्या हुआ? आपने नाकेबन्दी करके किस को पकड़ा? ड्रम खड़े कर देते हैं रास्ते में, दो सिपाहियों को बुलाकर खड़ा कर देते है आपकी नाकेबन्दी का हुआ क्या? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस नाकेबन्दी के अन्दर, भीलवाड़ा के जो (एस. पी.) हैं, गिल साहब, वह वहां से जा रहे थे, वे सादे भेष में थे और दूसरी गाड़ी थी। उनको रोक लिया। उनसे पैसे मांगे। आपकी गाड़ी कहां जा रही है? उन्होंने जयपुर डी. आई. जी. को डी. ओ. लैटर लिखा इस बात का कि मेरे को रोक कर]

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पैसे मांगे गये। नाकेबन्दी अपराधियों को पकड़ने में सफल नहीं हुई नाकेबन्दी एस. पी. साहब से पैसे मांगने में सफल हुई। यह हमारी नाकेबन्दी का हाल है फिर कहते हैं पुलिस प्रशासन को ठीक कर रहे हैं, । आप ठीक कर रहें हैं एक साल से कौल साहब बैठे थे अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर में। क्यों नहीं पोस्टिंग किया ? आज कई महीनों से कालिया साहब बैठे हैं अवेटिंग पोस्टिंग आर्डर। क्यों नहीं किया ? आखिर आपका प्रशासन जा कहां रहा है ? बड़े-बड़े आफिसर्स को आपने बैठा रखा है, कोल्ड स्टोरेज में डाल रखा है। उनकी आप नियुक्ति नहीं करते हो। आपके आई. ए. एस. के गुट बने हुए हैं आज मैं कहता हूं, आई. ए. एस., आई. पी. एस. के तीन गुट बने हुए हैं जातियों के हिसाब से गुट बने हुए हैं, आज जातियों के हिसाब से पुलिस बटी हुई हैं। आखिर किस प्रकार की भावना अपना बना कर चलना चाहते हैं ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस को केवल दोष देने की जरूरत नहीं हैं, हम इस व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा की थी उस घोषणा के लिये आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसी प्रकार से मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो सारे मामले हैं, महिला पुलिस के बारे में, महिला पुलिस का गठन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी आपने वह नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सीकर और झुंझुनु जिले में, सभापति महोदय, आज हमारी हालत यह है, अगर यह बात सदन में आप प्रमाणित करा सकते हैं तो ऐसा कोनसा कोतवाली एरिया है, कौनसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जुआं खेलने वाले, सौदा करने वाले, सट्टा वालों के पैसे नहीं बंधे हुए हैं। ईमानदारी से आप अपने पर हाथ रखकर सोचें कि यह बात सही है। ऐसे सब जिलों को छोड़ दीजिये जिनके एस. पी. ईमानदार हैं बाकी जिलों में थानों की बोली लगती है, थाने बंटे हुए हैं, मैं दावे से कहता हूं। हर किसी थाने की आपको प्रमाणित कर सकता हूं कि 10-12 आदमियों ने छोड़ कर बाकी एस. पीज. ने थानों के पैसे बांध रखे हैं। सीकर और झुंझुनु जिले का एक भी थाना इस बात से नहीं बचा हुआ है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। लुहारगंज हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है वहां पर लाखों लोग आते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि यहां की परिक्रमा होती हैं, हरियाणा से, सब जगह से लोग आते हैं। वहां पर माल खेतुजी का एक पर्वत हे। मालखेतु के पर्वत पर 25 किलो की सप्त धातु की एक मूर्ति उसमें दो किलो सोना था और धातु मिली हुई थी। उस मूर्ति को चोरी हुए आज डेढ़ महीना होने आ गया, सभापति महोदय, पुलिस ने एक बार भी कार्यवाही नहीं की। लाखों लोगों की श्रद्धा की चीज को इस प्रकार से उन्होंने ठुकरा दिया। इसी तरह से सरे बाजार 250 सीटें गोदाम में से निकाल कर 10-15 लोग ले गये उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आज तक नहीं पकड़ा गया। यह किस प्रकार की कानून और व्यवस्था है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, बराबर भाषण दे रहे हैं। हमारी तो कांग्रेस की नीति यह है कि कानून और व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर देंगे। हमारी नीति के हिसाब से ऐसा किया हैं। आपकी नीति इस प्रकार की है, आपका चरित्र इस प्रकार का है कि थानों की बोलियां लगवा दी। आपने थानों की बोलियां लगवा दी। आपने सब जगह बंटाधार कर दिया और सब जगह बांट का काम कर दिया। नीति के अनुमोदन के रूप में आपने भ्रष्टाचार की नींव मजबूत कर दी। आज चारों तरफ आपने ऐसा किया है, इसीलिये लोग कहते हैं। अमेरीका का आदमी कहता है 20 घंटे में हमारी पुलिस कार्यवाही करती है, रूस का कहता है 24 घंटे में कार्यवाही करतो है, और हमारी पुलिस कहती हैं कि कब डाका पड़ेगा हमको इस बात की जानकारी रहती है। यह स्थिति कांग्रेस सरकार की है जो इन्होंने पैदा कर दी। सारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है, इसलिये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिये अपन को कार्यवाही करनी पड़ेगी। एक मिनट, सीकर जिला प्रशासन के लिये कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : काफी कह दिया माननीय सदस्य, सीकर जिले के लिये के काफी कह दिया। आपके नेता महोदय कुछ बोलेगें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमारे जिला प्रशासन में थोड़ी समस्यायें हैं। अभी समाप्त करता हूं। हमारे जिला प्रशासन में थानों का इस प्रकार से बंटवारा हुआ है कि तहसीलों ते ठीक प्रकार से नहीं जा सकते। रघुनाथगढ़ का थाना है सीकर से जायेगा इस थाने को चेंज किया जाना चाहिए। दुसरा दांतारामगढ़ तहसील और सीकर तहसील के इस प्रकार के हैं कि धानपुरा में रहने वाला दांतारामगढ़ में जायेगा, उसको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीकर और दांतारामगढ़ तीन तहसीलें बनाई जाय ताकि ठीक ढ़ग से कार्यवाही की जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ जो आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरोंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़): आदरणीय सभापति महोदय, आज सुरक्षा व्यवस्था और जिला प्रशासन सम्बंधी मांगो पर सदन में चर्चा हो रही है। अपराधों की रोकथाम और पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है इसकी चर्चा करने से पहले हमें यह विचार करना पडेगा कि अपराध की जड़ में हैं क्या अपराध क्यों बढ़ते हैं, अपराध कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह के कार्यक्रम के लोग अपराधों की वृद्धि में कौनसी सी विचारधारा के, किस तरह के लोग उसमें सहायक होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अपराध की जड़ में तीन बातें मुख्य होती है। एक आर्थिक व्यवस्था, दूसरा सामाजिक और तीसरा राजनैतिक। सबसे प्रथम अपराधों की जड़ में आर्थिक मामले होते है यह स्पष्ट बात है कि हम किसी भूखे को, किसी गरीब आदमी को केवल नैतिकता की शिक्षा देकर रोक नहीं सकते और उस वक्त बिल्कुल नहीं रोक सकते जब उसके साथ सात मंजिली हवेली

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

खड़ी करने के लिये कोई कभी महसूस की जाती है। तो आज के राजनैतिक माहौल में जब हम प्रजातंत्र के दौर से गुजर रहे हैं और हिन्दुस्तान में जितनी भी राजनैतिक पार्टियां हैं, वैसे तो, माननीय सभापति महोदय, गिनती करने लगे तो इनकी गिनती बीसों मिलों तक जाती है परन्तु मुख्य विचारधारा की दृष्टि से तीन तरह की राजनैतिक पार्टियां हैं जो हिन्दुस्तान में का काम करती हैं। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आर्थिक अपराधों को रोकने और आर्थिक समाजवाद को कायम करने में कौन लोग सहायक हैं और कौन रोड़े अटकाते हैं, कौन राजनैतिक पार्टियां आर्थिक अपराध करने में अपना योगदान कर रही हैं....

(व्यवधान)

यह शुरु हो गये हैं। इन लोगों को इंगित करती हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं तो चाहता था कि माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव पर ही बोले लेकिन उस वक्त आपने आपत्ति नहीं की जब आपके नेता महोदय ने आपत्ति की।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय मित्रों ने बोलकर एक सिगनल दिया है कि हम भी ऐसी पार्टी के हैं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किनकी मोटरें चलती हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जिसने देश की आजादी के पहले यह तय किया था कि आजादी मिलने के बाद देश में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था होगी और उसको स्पष्ट रूप से....

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यदि कांग्रेस का राज होगा तो हम समाजवाद कायम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, समाजवाद की सीधी सी एक व्याख्या है कि गरीब और अमीर के बीच में खाई कम की जाय, गरीब की मदद की जाय और अधिक जो धनवान है उसको नीचे लाया जाये। कांग्रेस ने इसी प्रकार के कार्यक्रमों को बीस सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत चालू किया है उसका प्रमाण हैं। कांग्रेस के अन्तर्गत आपको यह पता....

श्री यदुनाथ सिंह : आजादी के पहले एक अरबपति नहीं था देश में, 67 अरबपति हो गये हैं। आजादी के पहले एक नहीं था आपको कुछ पता है कि नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बीच में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं। आपको भी बोलने का अवसर आयेगा।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं एक निवेदन करूं। माननीय सदस्य राजस्थान की

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

जिस इकाई से आते हैं भरतपुर से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गरीब से गरीब आदमी का मापदण्ड ले लीजिये जिसकी आप चर्चा करते हैं।

श्री सभापति : आप तो मूल प्रश्न पर आये जायें।

श्री यदुनाथ सिंह : सबसे बड़ा मापदण्ड होता है, खुराक गिर रही है। केपिटा कनजप्शन यह सबसे बड़ा माप दण्ड होता हैं है, खुराक गिर रही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, जब कांग्रेस का राज नहीं था, भरतपुर इकाई में अच्छे से अच्छे किसान के पास भी पक्के मकान नहीं थे, लोग कच्चे झोंपड़ों में रहते थे, पूरी तरह से उनकी लूट होती थी। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती थी, लोगों के पास पीतल और लोहे के बरतन नहीं थे मिट्टी के बरतनों से लोग काम निकालते थे। एक जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं थे, मुझे मालूम है यह बात कि जब कोई शादी के अन्दर जाता था तो एक अंगरखी कन्धे पर रखकर ले जाता था और गांव में जाकर पहिनता था। यह स्थिति हैं और आज कांग्रेस के राज में...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप तो अपने मूल विषय पर आ जायें।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान नहीं डालें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अपने कार्यक्रमों के आधार पर जिसको हम गरीब आदमी कहते हैं, उसकी भी आप व्याख्या करें तो आज यह स्थिति है कि गरीब आदमी को आज गांव में जाकर देखिए उस आदमी के पास मकान भी है, एक नहीं, दो, तीन चार जोड़ी कपड़े भी हैं। आज उनके बच्चे स्कूल पढ़ने भी जाते हैं, आज वह बीमार होता है तो उसका इलाज भी होता है....

श्री सभापति : मूल प्रश्न पर आ जायें, आज की मांग पर आ जायें।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : यह कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी हैं जो इन आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये जड़ में जाकर आर्थिक विपन्नता को दूर करके समाजवाद कायम करना चाहती है। एक तो वह पार्टी है। दो और पार्टी है जिनकी विचारधारा मैं आपको बताऊं जो इस देश अन्दर कुछ आदमियों का प्रतिनिधित्व करती है। बड़े-बड़े पूंजीवादी, जागीरदार और सेठों की ××× करती है। अब वह पार्टी जिसका नाम पहले जनसंघ था। बाद में स्वतन्त्र पार्टी से मिल कर आगे बढ़ी और उस के बाद जनता पार्टी...

(व्यवधान)

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(232)

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी देश के अन्दर आर्थिक विपन्नता कायम रखना चाहती है, सेठों को सेठ बनाकर रखना चाहती है, और गरीबों को आगे बढ़ाने देने में रोड़ अटकाना चाहती है। इसलिए आपके दिन राजनैतिक पार्टियों में यदि कोई है जो उन नियमों के हिसाब से, आर्थिक नियमों के हिसाब से आते हैं तो वह पार्टियां हैं जो बात, केवल वोट लेने के लिए उनका नाम लेती है और सेठों की हिमायत करती है। माननीय सभापति महोदय, आज अपराधों की रोकथाम करने के लिये यह जरूरी है कि सब मिलकर चाहे वह किसी भी पार्टी के हों प्रजातन्त्र का यह तकाजा है कि हम सब मिलकर आर्थिक अपराधों को रोकने के लिये मिल जुलकर कदम उठायें।

दूसरा अपराध सामाजिस अपराध होता है। सामाजिक अपराध में भी कांग्रेस ने शुरु से उस दीनहीन गरीब आदमी जो सामाजिक स्तर पर दलित था, शोषित था, पीड़ित था। उसको ऊपर उठाने की कोशिश की है और आज इस वजह से उनकी स्थिति काफी मजबूत हुई है इसके विपरीत इस देश के अन्दर कुछ दक्षिण पंथी पार्टियां हैं जो बड़े-बड़े जमींदारों और बड़े-बड़े लोगों को जो तथाकथित शक्तिशाली गुट के लोग हैं उनको प्रोत्साहन देती हैं और उससे अपराध बढ़ते हैं। पहले किसी जागीरदार के सामने कोई गरीब आदमी उनके सामने से झुक कर नहीं जाता था तो उन को बुरा लगता था। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जब जनता पार्टी का राज था, भैरोंसिंह जी के जमाने में जागीरदारों ने इस राज को अपना राज मान लिया था। मैं नहीं कहता कि भैरोंसिंह जी ने यह कहा हो कि कोई भी राजपूत जाति या जागीरदार किसी पर जुल्म ढाये। मैं यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, उनकी इच्छा तो होगी कि अच्छे ढंग से प्रशासन काम करे। लेकिन स्थिति वास्तव में ऐसी थी। चाहे साधारण आदमी जो कभी गांव में जागीरदार रहा था। आज उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी वह साफे में रंग और कलफ लगाकर के लट्ठ हाथ में लेकर के और मूछों पर दो पैसे का तेल लगाकर कहता था ××× गया तेरा कांग्रेस का राज तो और उसका नतीजा यह हुआ कि अपराध बढ़े। मैं उदाहरण देना चाहता हूं आपको, जयपुर जिले की बात कहना चाहता हूं। जयपुर जिले में वैसे तो हजारों केस हुए जब जयपुर जिला कांग्रेस पार्टी ने इस बात का आह्वान किया कि किन गरीबों की जमीनें वापस जागीरदारों ने छीनी हैं, जो पहले उनको मिली थी, अलाट की थी। ऐसी 267 दरख्वातें मेरे पास जिला कांग्रेस कमेटी में आई थीं और मैंने 2-10-1978 को एक बड़े लेटर के साथ जिला प्रशासन को 267 दरख्वातें दी थी। उन 267 आदमियों की जमीन या तो नोटिस के तौर पर उनका कब्जा होना चाहिये नहीं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर उन जागीरदारों से जमीनें छीनकर वापस उन गरीबों को सम्भलायेंगे जिनसे छीनी थीं।

उन गरीबों को काफी संघर्ष के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण वापिस

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

उन 267 व्यक्तियों को बहुत मुश्किल से बहुत दिनों तक झगड़ते रहे तब जाकर उनको जमीन वापिस मिली। जनता पार्टी का शासन जिन लोगों की जमीने थी, उनको वापिस नहीं दिला सका, अपराध यो बढ़ते हैं-राजनैतिक कारणों से भी अपराध बढ़ते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे स्वयं के साथ घटना हुई, राजनैतिक स्वार्थ के कारण उन्हीं प्रतिक्रियावादी लोगों ने, आप जानते है कि मैं एक ऐसा कार्यकर्त्ता हूं जो शुरू से ही समाजवादी विचारधारा का पोषक रहा हूं. इसलिये उन्हीं प्रतिक्रियावादी तत्वों ने उस टाईम पर करीब 25-30 आदमियों ने मिलकर मुझ पर अकेले पर हमला किया, 35 दिन तक हास्पिटल में रहा और उसके बाद पुलिस ने जो केस दायर किया और जनता पार्टी का राज आते ही यद्यपि वे प्रतिक्रियावादी जो पहले थी, अपने आपको कभी यूथ कांग्रेस में घुसा लेते थे और कभी अपने आपको किस में शामिल कर लेते थे, मगर ज्योहि इनका जनता पार्टी का राज आया, बेरी आयोग बैठा था उसको भी शिकायत की और माननीय भैरोंसिंह जी साहब ने उस दिन, जिस दिन श्रीमती इन्दिरा को जेल में भेजने के कारण 20 जनवरी को हम लोग जेल में गये थे एक तरफा राजनैतिक कारणों से हजारों केसेज विथड्रा कर लिये गए और इससे अपराध बढ़े हैं। क्योंकि जब तक राजनैतिक पार्टियां अपराधियों को संरक्षण देती रहेगी तो और उनके, ऐसे लोगों के केसेज को विथड्रा करती रहेगी तो अपराध बढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा। मेरा निवेदन यह है कि हमें राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों पर चाहे वे विपक्ष के महानुभाव हो और चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों, हमको विचार करना पड़ेगा, उसका विवेचन करना पड़ेगा कि अपराध की जड़ के अन्दर हम जांय और जब तक इन कारणों को नहीं हटायेंगे तब तक पुलिस को या किसी पार्टी विशेष को दोष देने से सत्ताधारी पार्टी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। प्रजातन्त्र सबके साझे का होता है, माननीय सभापति महोदय, आज तो देश में यह स्थिति आ जाती है कि विरोधी दल तो हर हालत में कुछ बुराइयां चुनकर लाते हैं और उसको कह कर ही अपनी तसल्ली कर लेते हैं। जैसा कहा गया है बलात्कार और अपहरण के मामले ही ये केवल सदन में उठाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं ऐसा कौनसा युग है, आप इतिहास उठाकर देखिये कि कब अपहरण नहीं हुए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि क्या राम के युग के अन्दर सीता का अपहरण नहीं हुआ? मैं यह पूछना चाहता हूं क्या कृष्ण, क्योंकि वे हमारे भगवान थे, क्या रुकमणी का बाकायदा उन्होंने युद्ध कर के और अपहरण करके उसके भाई और बाप को लेकर नहीं आये। ये अपहरण की घटनायें, माननीय सभापति महोदय, एक विचारधारा और उस हिसाब से ताल्लुक रखती है-कभी कम और कभी ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि अपराध वृत्ति मनुष्य में है, अब कई कारणों से वह बढ़ती है और कई कारणों से वह घटती है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बहुत मित्रों ने बताया है कि तीन साल के राज्य में अपराध वृत्ति कितनी बढ़ी थी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

उसके मुकाबले में कम है। मगर हम यह कहकर सन्तोष नहीं लेना चाहते हैं। कि पहले के बजाय अब कम है। हम तो अपराध को जड़ मूल से नष्ट करना चाहते हैं परन्तु उसके अन्दर प्रजातान्त्रिक तरीके से सब लोगों का सहयोग जरूरी है। आज अखबारों में या विधान सभा के स्टेज से विरोधी दल उस गन्दगी को ऊपर उछाल कर चलें, तो यह नहीं हो सकता है। आप जानते हो गन्दगी को उछालोगे तो क्या मिलेगा। पुरानी कहावत हैं कि कीचड़ में पत्थर डालोगे तो खुद के कपडे भी पत्थर फेंकने वाले के कपडे भी गन्दे होंगे। परन्तु यह कोई तरीका नहीं है। अगर आप शुद्ध प्रशासन कायम करना चाहते हैं तो यह जरूरी है और विरोधी दल की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सहयोग करने की बात करें। लेकिन सहयोग करने की बात न कर और केवल मात्र उदाहरण देकर यह सिद्ध करना कि यह राज्य बिलकुल बेकार है तो यह केवल राजनैतिक स्टन्ट की बात होती हैं। सब जानते हैं कि चुनाव सामने हैं और सब यह जानते है कि गये चुनावों के बाद में यहां किस तरह से विरोधी दलों का सफाया हुआ है। अभी मित्रों ने इनके बारे में भी उदाहरण दिये हैं. उसे अब में नही कहना चाहता हूं, पर चाहे पंचायतों के चुनाव हुए हों, चाहें गांवों की म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव हुए हों, चाहे पंचायत समितियों के चुनाव हुए हों, चाहे जिला परिषदों के चुनाव हुए हों और चाहे पार्लियामेंट और असेम्बली की सीटो के चुनाव हुए हों कुल मिलाकर वे उस वेदना से इतने ग्रसित रहते हैं कि अब चुनाव सामने मैदान में आ गया हैं और इसलिये ये इस तरह के शोर-शराबे से सोचते हैं कि जनता को गुमराह करें जिससे वापिस वे उनको चुन लें।

माननीय सभापति महोदय, जनता इनसे यह जवाब तलब करती है आज, यहां और अखबारों की बात जाने दीजिये गांवों में ये जाकर उस स्थिति में अपने, आपको भागीदार नहीं बनाते हैं जो उन गरीबों की गरीबी दूर करने में, अपराधों को दूर करने में, प्रशासन काम रहा है उसमें सहयोग नहीं करते है इसलिये आम मतदाता के सामने ये नंगे हो गये हैं इस बात के लिए कि आज विरोधी केवल मात्र गाली देने के लिये हैं, दूसरों का नुक्श निकालने के लिये हैं। इनका काम जनता की बहबूदी नहीं है, प्रशासन में मदद करना इनका काम नहीं हैं।

सभापति महोदय, इन अपराधों को रोकने के लिये जो पुलिस और उसके हथियार है, उसके गठन के लिये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज जिस प्रकार का पुलिस का गठन है वह बहुत पुराना हो चुका है। वह अंग्रेजों के जमाने से और राजाओं के जमाने से चला आ रहा है। उसमें हमें कुछ मूल भूत परिवर्तन करने पड़ेंगे। एक तो मैं सैद्धान्तिक बात कहना चाहूंगा कि जिसके पास काम, उसको मिले दाम। पुलिस के अन्दर सबसे ज्यादा काम का आदमी कौन है, हमको यह बात देखनी पड़ेगी। मैं समझता हू कि पुलिस में सबसे ज्यादा काम करता है तो वह नीचे का सीपाही और कान्स्टेबिल हैं और उससे आगे बढ़ते जायेंगे तो हैड लग गया और हैड कान्स्टेबिल हो गया। कान्स्टेबिल से उसका काम

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कम और नाटक ज्यादा। फिर इसके बाद सब-इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर और फिर इससे भी आगे बढ़ते जायेंगे तो इन्सपेक्टर जनरल तक चले जाइये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी ध्यान दिया है कि इन्स्पेक्टर जनरल जो इतनी बड़ी पोस्ट पर है और पुलिस को गाइड करने वाला है उसने कभी कोई ऐसा उदाहरण पेश किया है कि किसी अपराध की खुद ने छानबीन की है या केवल मात्र उसने ठीक करने को ही गाइड किया है। केवल थानेदार तक आदमी अपराधों की खोजबीन करने के लिये हमने लगायें हैं और ऊपर वाले सारे अफसर गाइड करने वाले, निर्देश देने वाले। यदि हम यह कहें तो बुरी बात नहीं है कि अंगुली का घर्म उठाने वाले हैं। अंगुली से कह दे जा तू जीम्या, जिमाने वाले का क्या, जोर तो उसको आयेगा जो जिमायेगा। पर वे अंगुली से घर्म उठाते हैं। नहीं तो मैं यह कहता हूं, जिस तरह मेडिकल विभाग के अन्दर, चाहे वह हास्पिटल का सुपरिन्टेन्डेन्ट हो परन्तु उसका अपना वार्ड है मरीजों को देखेगा। आपरेशन का, है तो आपरेशन की तारीखें निश्चित करने का, मरीजों की देखभाल करने का और कोई दवा देने वाली बात हो तो आउट डोर और इन डोर में भी जाता है। इस तरह की व्यवस्था वहां है परन्तु हमारे पुलिस के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पुलिस में सीमित दायरा है। बड़े अफसरों का काम केवल नुक्स निकालना इससे कुछ नहीं होता है। कान्स्टेबिल और हैड कान्स्टेबिल को कह दिया कि फलां जगह डाका पड़ा है,, पहुंच जावो और यदि किसी स्थान पर आई. जी. पहुंच भी गये तो क्या हुआ साहब, उन्होंने कोई एक डाके का काम खुद हाथ में लिया क्या? किसी केस की खुद ने तफतीश की क्या? किसी एस. पी. ने सीधे ही किसी केस की एन्क्वायरी को अपने हाथ में लिया क्या या अपने हाथ में कोई केस लिया क्या, प्रथा ही नहीं है। सभापति महोदय, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि इन के जिम्मे भी कुछ काम दीजिये। अफसरों के जिम्मे भी कि ऐसे केसेज के काम तुमको भी देखना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी आपको मेडीकल का उदाहरण दिया, चाहे वह सुपरिन्टेन्डेन्ट होगा या एस. एम. ए. का कोई दूसरा अफसर होगा उसके मरीजों को देखने के दिन निश्चित होते हैं और इसी प्रकार उसके आपरेशन के दिन भी निश्चित होते हैं। इसी प्रकार एज्यूकेशन में भी था। एज्यूकेशन में अगर कुछ दिन इन्स्पेक्टर आफ स्कूलस हुआ तो भी उसको हायर सैकण्डरी में पढ़ाने के लिये भेज दिया जाता था। इसमें मूलबात यह कि वह पढ़ाई लिखाई से कट न जाय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस में जो आप अफसर बनाते है वे अपराधों की छानबीन की मूल वृत्ति से कट जाती हैं। इसलिये उनके जिम्मे काम दीजिये कि इतने केसेज तो तुमको देखने ही पड़ेंगे। अगर इन्स्पेक्टर है तो इतने केसेज देखने पड़ेंगे। अगर एस. पी. है तो इतने केसेज देखने पड़ेगें और इतना तो करना ही पडेगा। ठीक हैं, उनसे कुछ काम सुपरविजन का भी लीजिये लेकिन मूल बात से उनको मत काटिये। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं।

जहां तक मैं कहता हूं इनकी सुविधाओं में और इनके जो साधन हैं उसमें भी बड़ा अन्तर है। नीचे चोरी होती है तो हेरने के लिये थानेदार को भी टाईम नहीं मिलता है, क्योंकि एक थाना जो पुराने हिसाब से चल रहा है उसमें काफी आबादी बढ़ गई और आबादी के हिसाब से

(236)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

उसमें काफी केसेज भी बढ़ गये इसलिये सिपाही को न तो खुद की कोई पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है और न उसके पास और कोई साधन ही है और फिर वह अपनी तनख्वाह के हिसाब से भी जब आदमी देखता है अपने पेर की तरफ तू कितने से पैसे का भाजी है तो उस स्थिति में उसका मन गिर जाता है। इसलिये जब चोरी की तफतीश एक आदमी हैड कान्स्टेबिल या कान्स्टेबिल कोई करता है तो उस स्थिति में अपने आपको बड़ा हल्का पाता है और फिर जो एक स्वाभाविक वृत्ति है कि अगर चोरी मिल भी जाती है तो वह चोर से मिल जाता है। मैं कहता हूं चोरी का निकालने का काम जिन लोगों का है उनके पास साधन इतने कम हैं कि वे कुछ करते हुए भी नहीं कर पाते हैं। आपने क्या रखा है. आपका जो बजट है वह अलाऊ नहीं करता है। सभापति महोदय, मैं उसी पैसे के बजट को केवल इधर-उधर करना चाहता हूं। पुलिस का जो भी आपके पास बजट है उसमें यह होना चाहिए कि काम कम करने वाले को दाम कम कर दें और ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा दाम, उसी पैसों से ज्यादा करदे ताकि एक बात यह हो कि एफीसियेन्सी आवें, काम कहने वाले को ज्यादा दाम मिले एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि आज के जमाने के अपराधी कहां पहुंच गये हैं। पढ़ा लिखा तबका ज्यादा अपराधी है। पढ़ा लिखा बी. ए., एम. ए. पकड़ा जाता है। आपको मालूम है कि अपने यहां राजस्थान में खास तौर पर बाहर से अपराधी ज्यादा आते हैं। या तो हरियाणा से अपराधी आते हैं, या यू. पी. से अपराधी आते हैं या फिर दिल्ली प्रदेश से अपराधी ज्यादा आते है हैं। सब पढ़े लिखे लोग होते हैं फिर उनके पास साधन कैसे-कैसे होते हैं और उसके बदले में फिर हमारी पुलिस का ज्ञान-ध्यान देख उनकी ट्रेनिंग वगेरा जितनी हो पाई हैं यह देख लो और फिर आप उनके पास के साधन देख लो। इसलिए मैं यह कहता हूं कि जितने राजधानी के आस-पास के थाने हैं उसमें तो तुरन्त ही कुछ जगह तो जीपें दी हैं परन्तु सब जगह उनको नियमित रूप से जीपें देनी चाहिए जहां इस प्रकार से अपराध होते और वायरलेस सेट तो है परन्तु टेलिफोन की व्यवस्था जहां हो सकती है वहां टेलिफोन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। हमको ऐसे ट्रेनिंग कैम्प भी आयोजित करने चाहिए पुलिस के लिए कि जहां आज के जमाने के हिसाब से उनको अपना जो छानबीन का ज्ञान है वह टेक्निकल सिखाया जाय। आज अगर एक सिपाही जाता है तो उसके पास हाथों के निशान लेने के लिए क्या साधन वह चोर को या वहां के स्थानीय घटना को देखने के लिए जाता हैं, वहां के अपराधी को। अगर उसके पास यह यंत्र हो तो वह वह तुरन्त ही उसकी फोटो ले सकें कि इस चीज से अपराधी ने जिसको हाथ लगाया तो किस प्रकार के उसके निशान हैं ताकि वह पकड़ने में मदद कर सके। वह आपके बड़े केन्द्रों पर मिलेंगे, सारे साधन लेकिन नीचे जहां अपराध होते हैं वहां आप साधनों को विकेन्द्रीकरण नहीं किया। इसलिए हमको इन साधनों को जो अपराधों की रोकथाम के लिए नये जमाने के आवश्यक आविष्कार किये हैं इसको हमको नीचे पा

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

चाने चाहिये। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के रोकथाम के अन्दर एक प्रकार की बात और आड़े आती हैं, वह यह है कि नीचे के आदमी के जब वेतन भत्ते कम होते है तो, माननीय यह सही हैं कि अपराधियों से इधर-उधर करके लोग उसमें गड़बड़ कर लेते हैं और यहां तक गड़बड़ करते हैं कि कुछ लोग राजनैतिक हस्तक्षेप भी करते हैं। अभी एक माननीय मित्र, विरोधी दल के एक साथी कह रहे थे, कि जिस आदमी की गिरफ्तारी के लिए उन आदमियों ने हरिजनों के साथ जुल्म किया था, यहां बस्सी के विधायक महोदय, बैठे है उन्हीं के क्षेत्र की वह बात थी। तो हम यह ध्यान रखें कि कम से कम चाहे, किसी राजनैतिक दल के, चाहे विरोधी दल के हों, चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों तो कम से कम उन लोगों को मदद करने की बात करें कि जिनके साथ जुल्म हुआ हैं, ज्यादती हुई है, चाहे वह किसी भी विचारधारा के हो, चाहे वह किसी पार्टी के हों....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बिलकुल गलत बात है, सभापति महोदय, उन्हें डी. आई. जी. ने छुड़ाया है बिलकुल गलत कर रहे हैं। सभापति महोदय, फिर उसको छुड़ाया क्यों ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बोलने दीजिए उनको।

एक माननीय सदस्य : छुड़ाया है उनको, बिना कहे सुने बोल देते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : गिरफ्तार करना हो तो पुलिस सोचती भी नहीं है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस छोड़ती भी नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गिरफ्तार को छोड़ा है और आपने बैठकर निकाला।

श्री सभापति : शान्त रहें कृपया।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : विरोधी दल के महानुभाव अधिकांशतः भ्रष्टचार की बड़ी लम्बी चौड़ी चर्चा करते हैं कि माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और आज के सम्माननीय विरोधीदल के नेता से पूछना चाहता हूं क्या आपने जिस रोज शपथ ग्रहण की थी और माणक चौक चौपड पर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भाषण दिया था, आपको तो जरूर ही याद होगा, मुझे भी वह याद है क्योंकि अखबारों में पढ़ा था हमने उसको कि आज से भ्रष्टाचार बन्द। राजस्थान से भ्रष्टाचार सीमा पार कर गया है। अब राजस्थान में कल से भ्रष्टाचार नहीं होगा और उसके बाद ढाई-तीन साल तक भ्रष्टाचार ने कितना मुंह फैलाया, बिना पैसा लिये कहीं काम हुआ लाखों एक-एक पंचायतों के अन्दर लाखों रुपये के गेहूं लाकर के इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिलकर सरपंचों की आपस की दलाली को इतिहास उठाकर देखें, अगर उस काम का हिसाब तो देखिये एक पंचायत में जहां दो लाख का सामान आया था वहां 10 हजार का भी काम नहीं हुआ। इस

238

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

तरह अपराधवृत्ति में लोगों को सहायता दी गयी, भ्रष्टाचार बढ़ाया।

(6.42 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

गया और अपराधवृत्ति पनपी। बल्कि जनता पार्टी के राज में एक ख्याल पैदा हुआ लोगों के अन्दर की राज वाले लोगों से सांठ-गांठ करने से कितना लाभ मिल सकता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपराधवृत्ति रोकने के लिए सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी दोनों को ही किसी की मदद करनी हो तो उस व्यक्ति की मदद करो जिस पर जुल्म, ज्यादती, अन्याय हो रहा हो, यह नहीं कि जो उनके पास आता है जो उनसे सांठ-गांठ रखता है उन आदमियों की हम मदद करते हैं, चाहे मैं मदद करता हूं, चाहे वह दूसरे मित्र करते हों तो यह एक राजनैतिक अपराध होगा और इससे अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रैफिक के मामले में जयपुर शहर को तो कम से कम हमको आदर्श बनाना पड़ेगा। जयपुर शहर आज भी इस ढाई सौ साल पहले का बसा हुआ शहर आप देख लें, आज की 10-12 लाख की आबादी है इससे दुगुनी आबादी है इसमें समा सकती है बशर्ते कि इसकी व्यवस्था को हम ठीक कर सकें। बाजार, जो इतने बड़े-बड़े बाजार हैं उस पर नाजायज कब्जों के बारे में बहुत मित्रों ने कहा मगर पटरी से उठाने वाली बात कही, यह बात सामने नहीं आयी की पटरी से आगे भी कोई चीज है जो ट्रैफिक के लिए जरूरी है। माननीय, वह बरामदे, सरकारी जमीन पर बनाये गये बरामदों पर सेठों ने कब्जा कर लिया और सेठों को किन-किन लोगों से कब-कब क्या प्रोत्साहन मिल जाता है यह भी विचारणीय विषय है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बरामदे खाली होने चाहिए और आम लोगों के आने जाने के लिए और ग्राहकों की खरीद फरोख्त की सुविधा के लिए वह बनाये गये थे और साथ में पटरिया भी सूनी होनी चाहिए और हम को कम से कम जयपुर शहर को आदर्श के रूप में, ट्रैफिक के रूप में लेना चाहिए। पुलिस ने ट्रैफिक के कुछ सफेद कपड़े पहना कर सिपाही खड़े कर दिये हों इसका नाम ट्रैफिक पुलिस मानने को मैं तैयार नहीं हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक नाम इनके पास क्या है, कहां कितना हो सड़क पर 50 गाड़ियों की लाईन लग गयी तो कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई गाईड करने वाला नहीं, किसी भी गाड़ी वाले को, ड्राईवर को बताने को यह तैयार नहीं है, आम आदमी को, ड्राईवर को यह पता ही नहीं कि कहां क्या होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको ट्रैफिक के मामले में खास तौर से जयपुर शहर को और दूसरी जगहों की भी जो गड़बड़ियां हैं इनको मिटाना चाहिए।

जहां तक जिला प्रशासन का सवाल है उसमें भी मैं कुछ प्रशासन की बात बताना चाहूंगा। एक तो जिले का मौजूदा जो प्रशासन है यह वही पुराने ढर्रे पर हम चला रहे हैं, इसमें हमको कुछ आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे और उसमें मैं आपको पैसे के लिए बढ़ाने की बात नहीं करके पैसा टका यानि खर्च कम करने का सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक हमारे यहां जिला

(श्री मंरूलाल भारद्वाज)

प्रशासन हैं उसके नीचे एस. डी. ओ. स्तर फिर उसके अन्दर तहसील स्तर और उसी के समकक्ष पंचायत समिति स्तर और उसके नीचे ग्राम पचायत स्तर की बात है, इन स्तरों पर हम अपने जिला प्रशासन को चलाते हैं। माननीय, इसमें 2-3 स्तरों की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आपके पास ग्राम पंचायत है, ऊपर इनके पास पंचायत समिति है। मैं पूछता हूं इस तहसील की जरूरत क्या है? आप कहोगे रेवेन्यू रिकार्ड, रेवेन्यू रिकार्ड जरूर रखिए। पटवारी रेवेन्यू रिकार्ड रखता है या उसका इंस्पैक्टर, गिरदावर रखता है। आप एक नायब तहसीलदार या तहसीलदार कैडर के आदमी को पंचायत समिति में रेवेन्यू प्रसार अधिकारी बना दीजिए। पटवारी को आप ग्राम पंचायत के अन्दर दीजिए। जरूरत क्या है अलग रखने के लिए? इसके बाद जहां तक एस. डी. ओ. का प्रश्न है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। क्या जरूरत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला, इन 3 स्तर पर हमको इस प्रशासन को बीच के दो स्तरों को काट पीट कर ठीक करना चाहिए। इससे हमारा रुपया भी बचेगा और व्यर्थ में इन सीढ़ियों से चढ़ चढ़कर जो टाईम लगता है प्रशासन का, न्याय मिलने में जो दिक्कतें पैदा होती हैं और एक दूसरे की तरफ फुला देने की जो स्थिति है उससे बचेंगे। पर उसमें भी जिम्मेदारी फिक्स करनी पड़ेगी। मैं यह कहता हूं कि मंत्री, मुख्य मंत्री के पास अगर जिला स्तर की कोई शिकायत पहुंचती हैं तो मैं यह कहता हूं जिले के सम्बन्धित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि एक बार मेरे ही सामने एक सम्बन्धित जिलाधिकारी को मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि इसका मतलब आपकी अयोग्यता है, आपके जिले से ज्यादा शिकायतें मेरे पास आती हैं। मगर हम केवल यह कह ही न दें। बिल्कुल पाबन्द कर दें कि जिस जिले में शिकायतें जिले के ऊपर बढ़ेंगी, उसका हिसाब रखा जाएगा, और यह उसकी अयोग्यता का प्रमाण होगा। जितनी इतने परसेन्टेज के हिसाब से ऊपर शिकायतें पहुंच जायेंगी या जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो उस जिलाधिकारी को डिग्रेड कर दिया जायेगा, जिलाधिकारी नहीं रखा जायेगा। मुझे तो यही शिकायत है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि 36 साल के बाद भी इसमें क्या करेगा दूसरी, हमारे प्रान्त को पहल करनी चाहिए। यह क्या कि सरकारी सेवा के आदमी को जिलाधीश कहते हैं थोड़ा सा भी किसी को मन में थोड़ा बहुत महसूस नहीं होता यह कि चुने हुए प्रजातन्त्र के युग में तनख्वाह पाने वाले कोई आदमी चाहे वह कितना भी बडा अधिकारी हो उसको जिलाधीश कहें, हमारे जिले का मालिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहोगे तो वह जिला सेवक है, जब ग्राम की सेवा करने वाला ग्रामसेवक है तो तहसील की सेवा करने वाला तहसील सेवक क्यों नहीं है? तो मैं यह कहता हूं जिला की सेवा करने वाला जिला सेवक क्यों नहीं? पर यदि सेवक कहलाने में हमारे आफिसरों को शर्म महसूस होती हो, मुझे यह है कि जो आफिसर बन गया वह अपने को नौकर मानने को तैयार नहीं है। महीने के महीने तनख्वाह लेंगे, सुविधायें लेगा दुनिया भर की और कहता है मैं नौकर नहीं

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

हूं। नौकर नहीं है तो ठाकुर है हमारा? हमारे खजाने से तनख्वाह लेगा और नौकर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जिला सेवक नहीं भी कहें तो आप जिलाधिकारी ही कहिये और यह जिलाधीश शब्द हटाइये। हमारे मुख्य मंत्री जी एक प्रगतिशील विचारधारा के प्रतीक भी रहे हैं। इसमें उनको पैसा नहीं भी लगे और उन्हें दूसरे प्रान्तों से कुछ लेना नहीं पड़ेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पैसा टका नहीं मिलेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पैसा टका तो खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह तो वही आपकी तो आदत खराब है पैसा टका नाम लेते ही आपके राल पड़ने लगेगी क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है 3 साल आपके राज में इसलिए यह आपके बस की बात नहीं है। तो मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि यह जिलाधीश शब्द हटा देना चाहिए। कलेक्टर का यह हिन्दी अनुवाद है भी नहीं। मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता क्योंकि मेरे जमाने में तो सैकिण्ड लैंग्वेज उर्दू चलती थी जयपुर रियासत की राजभाषा उर्दू थी इसलिए हिन्दी और उर्दू दो भाषाओं पर ही मेरा थोड़ा बहुत अधिकार है तीसरे थोड़ा संस्कृत पर है। अंग्रेजी तो मुझे ज्यादा नहीं आती है पर मैं इतनी चीज तो अवश्य जानता हूं कि कलेक्टर का अनुवाद जिलाधीश नहीं है। जबरदस्ती हमने बना रखा है उसको ठीक से हटाकर शब्द को रखा देना चाहिए। मगर मैं इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मुख्य मंत्रीजी से कहता हूं कि आप इसको कानून कायदा बना कर लागू कर दीजिए कि जिस जिले की जितनी शिकायतें जिले के ऊपर जाती हैं और लोगों की डिफिकल्टी है और शिकायतें ऊपर जाती हैं तो कलेक्टर यह देखें कि तहसीलदार क्या करता है। तहसीलदार का जवाब तलब करे। अगर थाने की गड़बड़ियां ऊपर एस. पी. तक पहुंचती है तो वह थानेदार किस बात के लिए है। यह कहने के लिए तो अफसर कह देंगे कि गलतियां तो होती रहती है तुम तो हमारा ध्यान रखना तो इस हालत में आप सुधार की आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बात की जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे और थानेदार को अपने थाने के एरिया के लिए जिम्मेदार बनावें, यह भी ठीक है लेकिन उसके बाद डी. वाई. एस. पी. क्या करता है, उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। एस. पी. को यह देखना चाहिए कि डी. वाई. एस. पी. क्या कर रहा है। एस. पी. का काम है कि वह देखे कि उसके इलाके में जो गड़बड़ें हो रही है वह नहीं होनी चाहिए। आपको कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह भी कर देना चाहिए और यह जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि तुम्हारे इलाके में गड़बड़ होगी तो तुम्हारी होगी और तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

जहां तक सतर्कता समिति की बात है, उसके बारे में मैं कहता हूं कि पहले तो बारह महीने, डेढ़ बरस में भी मीटिंग नहीं होती थी, जयपुर जैसी प्रदेश राजधानी के जिले में सतर्कता समिति की बैठक नहीं होती थी लेकिन अब मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हर दूसरे तीसरे महीने में मिटिंग होने लगी

(श्री भरूंलाल भारद्वाज)

है। मैं कहना चाहता हूं कि सतर्कता समिति में जैसे विक्रमादित्य का राज चलता था, खुले में शिकायत करें। मुंह जुबानी शिकायत करें या लिख कर दें लेकिन उस पर तुरन्त एक्शन हो और कितने दिनों में जांच हो जानी चाहिए। जिस राष्ट्रीय कल्पना के रुप में अभाव अभियोग सतर्कता समितियों का गठन किया गया था उसको हमको अमली रूप देना है। केवल फार्मलिटि छोड कक जिला सतर्कता समिति का काम हो और फिर उसके नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, एस. डी. ओ. स्तर पर सतर्कता समितियों का जो विभाग कायम किया है, उनको हमने जयपुर में तो चालू किया है, तहसील हैड क्वार्टर पर एस. डी. ओ. जावें और हर तहसील हैड क्वार्टर पर मीटिंग हो ताकि वहां के लोगों की शिकायतें सुनने का मौका मिला और एक गरीब आदमी का भला हो सके।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री भेरूलाल भारद्वाज : तो यह मेरा निवेदन है कि हमको जिला सतर्कता समितियों को अधिक सतर्क करना चाहिए।

यहां पर यह गाडियों पर, एक छोटी सी बात है, बडी सजधज के साथ उस पर लिखा हुआ जिलाधीश फलां और साथ में जिले का नाम। जिलाधीश नाम की एक अलग प्लेट होती है कि जिलाधीश फलां और फिर बीच में एक जिला और। तो मैं यह कहता हूं कि यह प्रवृति बढ रही है। आज मालिक तो नोकर होता जा रहा है और नोकर मालिक होता जा रहा है। हमको इस प्रवृति को रोकना पडेगा। यह जरूरी है प्रशासन को ठीक करने के लिए कि अपने 2 कर्तव्यों पर और अपने अपने अधिकारों का लोगों को बोध करायें। इससे भी अपराध बढ़ते है इससे भी अपराधों को रोकने में दिक्कत पैदा होती है कि आदमी अपने को जरूरत से ज्याया समझ लेता है या अपने आपको हीन समझ लेता हैं। हीन समझना भी बुरी बात है। हमको देश की जनता को यह समझना पडेगा कि तुम उसके मालिक हो और तुम को मालिक की तरह से बर्ताव करना चाहिए। मेरे विरोधी दल के मित्रों, आपने कभी इस बात का लोगों में जाकर मीटिंग करके गावों में कार्यक्रम किया है कभी कि आप क्या हैं ? आप गांवों में मिटिंग करते हों, अव्वल तो आपकी गांवों तक काम नहीं है, आप तो शहरों और कस्बों तक सिमित रहते हैं। वहां भी मीटिंग करते हैं तो दस बीस गाली निकाली और भ्रष्टाचार और बलात्कार की बातचीत की और चल दिए। आप कभी यह नहीं कहते कि तेरे राज में तेरा वोट है और फिर यह गडबडियां हो रही हैं और नोकर गडबडी करता है तो तूने क्यों नहीं पकड़ा और नेता गडबडी करता है तो तूने क्यों नहीं पकड़ा। विरोधी दल अगर आम लोगों को ट्रेनिंग देने की बात करें तो मैं समझता हूं कि इससे बडी मदद मिलेगी और हम जो कांग्रेस के लोग हैं यह तो कई बार शिविर लगा कर ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अब कितना समय और लेंगे ?

श्री भेरूलाल भारद्वाज : मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि इसको अपने

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विरोधी दलों का भी उतना ही अधिकार है। आप देखिये कि माननीय विरोधी दल के नेता को इस सदन में कितनी प्रतिष्ठा और इज्जत दे रखी है। हमारे मिनिस्टर भी बोलते हो और अगर माननीय विरोधी दल के नेता खड़े तो हम शांति से बैठ जाते हैं और यह भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उन के प्रति मान सम्मान की भावना देखिये कि जब भी विरोधी दल के नेता बोलते है तो बीच में कभी चुहं-लवाजी का आदान प्रदान हो जावे तो बात दूसरी है, नहीं तो बड़े प्रेम से सुनते हैं। और इन्होंने अपने इन भाइयों को, जिनको शागिर्द तो क्या कहूं, हैं तो इनके साथी पर बना रहे हैं इनको शागिर्द, इन्होंने न मालुम इनको क्या ट्रेनिंग दे रखी है कि कोई आदमी बोले तो बिल्कुल उछलते हैं जैसे बिच्छु ने डंक लगा दिया हो। तो मैं अपनी इतनी ही बात कह कर समाप्त करता हूं विरोधी दल के साथियों को यह कह करके कि कांग्रेस को, सत्ताधारी पार्टी को इन कार्यक्रमों में मिल-जुल कर सहयोग करें ताकि प्रशासन शुद्ध हो जिससे आम लोगों को न्याय दिला सकें। सब लोग मिल जुल करके और मैं समझता हूं कि भविष्य में वे इसका ध्यान रखेंगे। इतनी ही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से साढे आठ बजे उत्तर देना प्रारम्भ किया जाएगा इसलिए माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और रह गई माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको माना है और आप इसको करा सको तो अच्छा है, आपकी मर्जी है। जयपुर शहर का एस. पी. और कलेक्टर अलग बनायें और देहात का एस. पी. और कलेक्टर अलग बनायें। जयपुर जैसे इतने बड़े जिले में जहां पर कि 17 तहसीलें और 17 पंचायत समितियां हैं और जिला कलेक्टर और एस.पी. का सारा समय शहर के चक्करों के अन्दर ही बिगड़ जाता है, फिर कोई बाहर का अतिथि आवे तो उनकी हाजरी यह एस. पी. देता फिर तो कहां उसको अपराधों की रोकथाम के लिए टाईम मिलता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी हमने आपसे निवेदन किया था और आपने यह माना भी था तो आप यह व्यवस्था कीजिए कि जयपुर शहर का एस. पी. और कलेक्टर अलग हो और देहात का अलग हो।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता कहेंगे क्या ?

(विराम)

श्री यदुनाथ सिंह। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री यदुनाथसिंह : (नदबई) दस मिनट से ज्यादा तो रेलेवेंट कोई बात कर ही नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, में धन्य-दूंगा मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों का जिन्होंने काफी हद तक मेरा काम हलका किया है। मैं उन्हीं बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो बातें

(श्री यदुनाथसिंह)

मेरे से पहले बोलने वाले सदस्यों ने नहीं कहीं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आदिकाल से, चाहे वह रामराज्य रहा हो, चाहे वह अशोक का राज्य रहा हो, चाहे अकबर का राज्य रहा हो, चाहे वर्तमान समय का राज्य हो, चाहे आने वाले समय में राज्य हो, अपराध इस सृष्ठि में रहेंगे। लेकिन सबसे सफल सरकार, सबसे सफल प्रशासन हम उसी को कहेंगे जो उसको मिनिमाईज करने का काम करे, कम से कम करने का काम करे।

श्री मेघराज तावड़ : समाजवाद में नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : समाजवाद में भी रहेगा। यह मनुष्य की प्रवृति श्रृष्ठि से साथ है। तो अध्यक्ष महोदय, आज बहस का यह मुद्दा नहीं होना चाहिए कि जनता पार्टी के राज में क्या हुआ, आज के राज में क्या हो रहा है। उस उस टाईम में किस किस ने क्या क्या किया और आज कौन क्या कर रहा है। यह एक विशेष घटना के बारे में चर्चा नहीं होकर पूरे प्रशासन के बारे में चर्चा हो। अभी बहुत से माननीय सदस्य, उधर से आने वालों ने कई बातों की ओर इंगित किया। मेरे माननीय मित्र श्री सी. पी. जोशी जी ने कहा कि बैरोमीटर चुनावों को माना जाय तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जैसा मेरे भाई घनश्यामजी ने कहा कि अगर चुनावों को बैरोमीटर माना जाय तो देश में उप चुनावों की बात छोडिये, जहां भी आम चुनाव हुए वहां पर आसाम को छोड कर और आसाम में भी किस प्रकार से सरकार बनाई गई उस घटना को मद्दे नजर रख कर हम देखेंगे तो सभी जगह कांग्रेस पराजित हुई है, यानि हरियाणा में गवर्नमेंट दल बदल करके, टोपलिंग करवा कर सरकार बना ली। लेकिन जनता का जो मानस है, जनता का जो मेंडेट है वह हमारे खिलाफ गया और इनके खिलाफ गया है। इसलिए जो एक बैरोमीटर चुनावों को मानने वाली बात है उससे लगता है कि कांग्रेस के राज में स्थिति खराब रही है। लेकिन यह बहस का मुद्दा यहां नहीं है। बहस का मुदा यह है कि आया हम आज जो पुलिस है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन करें। मैं श्री सी. पी. जोशी की एक बात से बहुत ज्यादा इत्तफाक करता हूं कि आज जो हमारा सोशल सिस्टम जिस तरह का है, जिस तरह का आर्थिक ढांचा बन रहा है उस ढांचे में हम किस प्रकार का पुलिस का ढांचा बनायें जब पुलिस की बात हम करते हैं तो सबसे पहले मामला आता है पुलिस के रिक्रूटमेंट का। पुलिस का रिक्रूटमेंट किस तरह का हो।

(7.00 रात्रि)

फिर रिक्रूटमेंट होने के बाद पुलिस की ट्रेनिंग कैसी हों। पुलिस फोर्स आप मानते किसको हैं? रियल फोर्स कौनसी है, जलेब चौक में बैठने वाली है या जो कांस्टेबल, है हैड कांस्टेबल वो हैं। इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए बहस चलायेंगे तो नतीजा निकलेगा। अध्यक्ष

(श्री यदुनाथसिंह)

महोदय, आज किस प्रकार की हालत हो रही है। कानून और व्यवस्था के मामले में हमारा राज्य देश में अच्छी परिस्थिति में रहा है लेकिन आज की परिस्थिति बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। यहां पर एक्स्ट्रमिस्ट प्रदेशों की घुसपैंठ की बात होती है, यहां पर एक यह भी खास तौर से देखेंगे, जो प्रगति रिपोर्ट आई है, आकड़ों के आधार पर बात करना इसलिये नहीं चाहूंगा कि आकडे आप पढेंगे तो अजीब किस्म के मिलेंगे। एक तरफ कहते हैं कानून और व्यवस्था सुधर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं सामान्य, जो जघन्य किस्म के अपराध हैं उनमें कानून और व्यवस्था में सुधार है लेकिन आप देखेगें आंकड़ों से कि डकैती की संख्या बढ़ रही है, हत्या की संख्या बढ़ रही है, बलवे की संख्या बढ़ रही है इस तरह के बड़े बड़े जघन्य अपराधों में संख्या बढ़ रही है और छोटी मोटो वारदातों की संख्या को, संख्या इसलिये भी रिलेवेन्ट नहीं है क्योंकि बहुतों में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, कराते हैं उनमें बहुत सी फाल्स निकलती है, लिटिगेशन भी होता है। तो आंकड़ों के आधार नहीं माना जाना चाहिये। आंकड़ों में पेज पांच पर आप देखेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, पेज पांच पर कहते हैं इस वर्ष 6 करोड़ 30 लाख कुछ हजार बराबर 16 रुपये और नीचे लिख रहे हैं आधे उसमें से बराबर 24 रुपये। यह काहे का संकेत है। 16 रुपये की चोरी हुई, 16 का माल गया और 24 रुपये बरामद कर लिये। यह क्या कहना चाहते है? यह प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें। मैं तो इसका अर्थ निकाल नहीं पाया। आगे देखिये, यह कहते हैं अज्ञात शव, जिनकी जानकारी नहीं; राजस्थान के 344 और राजस्थान से बाहर के 334 जब अज्ञात हैं तो राजस्थान के बाहर या अन्दर पुलिस ने कैसे मालुम किया, मेरी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, आंकड़ों की बात के बारे में एक घुमक्कड़ अखबार निकलता है उसमें बड़ी सटीक परिभाषा दी गई है। इसमें लिखा है-गधों की मर्दुमशुमारी, बीस सूत्री कार्यक्रम, सरकार ने जिला कलक्टर्स को आदेश दिये हैं कि जिले में गधों की मर्दुमशुमारी करके एक माह में रिपोर्ट भेजें कि उनके जिले में गधों की कितनी संख्या है। आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टरों ने तहसीलदारों को आदेश दिये। एक माह तक रिपोर्ट नहीं पहुंची तो सरकार ने रिमाइण्डर जारी किया और कलेक्टर्स ने तहसीलदारों को फिर लिखा....

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह कोई होली का अंक होगा?

श्री यदुनाथसिंह : यह तो होगा, लेकिन बात सही यही है। क्या बात कर रहे हो आप। यानि वह इसको कहता है, आंकड़े तैयार कर लिये जाते हैं। एक तरफ बजट स्टडी में रिक्त पद बता रहे है 66 गजेटेड और नान गजेटेड 1300 से ऊपर लेकिन मांग कर रहे हैं वह वेकेन्सीज 288 बता रहे है। तो आंकड़ों के भ्रम जाल में न जाकर वास्तविकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पुलिस की स्ट्रेन्थ का जहां तक सवाल है, बहुत कम है। थाने में पुलिस की स्ट्रेन्थ बचपन से देखता चला

(श्री यदुनाथसिंह)

आ रहा हूं इसमें 1-2 आदमी के इजाफे के अलावा कोई इजाफा हुआ हो तो बड़ी बात नहीं है वही 1 प्लस 2 प्लस 12, 1 प्लस 2 प्लस 13, 1 प्लस 3 प्लस 13, वही एक पैटर्न चला आ रहा है। पांच आदमियों को गार्ड ड्यूटी पर लगा देते हैं, दो आदमी डाक ले जाने का काम करते हैं। मैं भाई घनश्याम की बात से बहुत इत्तफाक करता जैसा उन्होंने बताया आज जापान में क्या है। जो कोर्ट के मामले हैं, आज कोर्ट में मुकद्दमेबाजी बहुत है तो पुलिस के सिपाही इसमें लगे रहते है, कानून और व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दे पाते, कोई बीमार रहता है, कोई छुट्टी पर रहता है, कोई डाक ले में रहता है। इस प्रकार से पुलिस की स्ट्रेंग्थ बहुत कम है इससे भी इंगित होता है कि आर.ए.सी. को बराबर सिविल ड्यूटी में ले रहे हैं। आर. ए. सी. ट्रेण्ड नहीं है क्योंकि उनको वहां पैरामिलिट्री फोर्स की ट्रेनिंग दी गई है तो आर.ए.सी. से सिविल पुलिस का काम लेना अच्छी परिपाटी नही है। आर ए.सी से आप किसी जघन्य अपराधियों को पकड़ें। पिछले दिनों आर ए सी के जवान भेज कर जोधपुर हाउस डण्डे मार कर जरूर निकाला। यह जघन्य अपराध में आर. ए. सी. से जरूर आपने अच्छा काम लिया बाकी तो आर ए सी से काम लेने का हमारे मैन्युअल में है नही। इसलिये आर ए सी को बहुत ट्रेनिंग देकर, जो आर ए सी की स्ट्रेंग्थ है वह 6 प्लस 2, दो इण्डिया रिजर्व, छः बटालियन और एक मेवाड़ कांस्टीलरी बन गई उसके बाद ब्रिगेड की स्ट्रेंग्थ जो तैयार हो जाती है तो आर ए सी का डी. जी. बनाना चाहिये, उसको अधिक संगठित बनाने की जरूरत है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यहां स्ट्रेंग्थ की बात आती है पुलिस की स्ट्रेंग्थ बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार की समाज की मनोवृत्ति बढ़ रही है उसमें स्ट्रेंग्थ बहुत महत्व है। फिर आता है रिक्रूमेंट का मामला। मुझे खुशी है कि इस साल रिक्रूमेंट में भ्रष्टाचार होता है। रिक्रूमेंट वहां के एस. पी के अण्डर में होता है थानेदार एस. एच. ओ. की रिक्रूमेंट जरूर आर. पी. एस. से होने लगी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि पूरी तरह से जिस प्रकार से आर्मी में होता है उसी तरह अपने यहां भी सेलेक्शन बोर्ड होना चाहिये। सेलेक्शन बोर्ड इसके लिए अलग से निर्मित हो वही पुलिस की भर्ती करे क्योंकि जनता की मनःस्थिति है कि भ्रष्टाचार होता है। नहीं होता हो तो हल्ला क्यों मचे? तो भ्रष्टाचार जब होता है तो उसके चहरे पर लेवल लग जाता है पुलिस में भर्ती होने वाले आदमी के प्रति और उसकी समाज में प्रतिष्ठा अच्छी नहीं रहती और उसकी क्रेडिटेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है उसको मिटाने के लिये रिक्रूमेंट में जितनी भी सतर्कता बरते, वह अच्छा है। रिक्रूमेंट करते समय, अध्यक्ष महोदय, ध्यान रखा जाना चाहिये क्योंकि पुलिस में जैसा मैंने कहा नीचे की फोर्स-कान्सटेबल, हैड कांस्टेबल, वही रियल पुलिस, से रियल फोर्स है। इसमें रूरल बैक ग्राउण्ड के आदमी को किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा एनरोमेंट दिया जाय यह ध्यान रखे जाने की जरूरत है क्योंकि हार्डड्यूटी के लिये

(श्री यदुनाथ सिंह)

ट्रेडिश नली वही काबिल होता है, जान पर बाजी लगाने के लिये वही तैयार होता है। तो इसमें होता क्या है कि इससे हाई जम्प करवाते हैं। गांव के आदमी से लोंग जम्प करवाइये। क्रिकेट की बाल 55 फीट फिकवाइये, अगर वेदी भी फेंक दे तो मेरे को आश्चर्य होगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चीजें उसके एनरोलमेंट के टाइम पर रखें, अच्छे आदमी का एनरोलमेंट करिये, अच्छे हो, पहलवान हो, अच्छे स्पोर्ट्समेन हो। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है, एक परिपाटी जैसी बना दी है ट्रेनिंग में जब तक हम एटीट्यूडनल ट्रांसफरमेशन नहीं करेंगे, भावनात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे, फोर्सेज को किस प्रकार से री-आर्गनाइज नहीं करें पुलिस फोर्स का, इस पर ध्यान नहीं दे तब तक ज्यादा रिजल्टस आने वाले नहीं है यह अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग के टाइम पर उसको अच्छी तरह से पोष्टिक अहार दिया जाय। जो व्यक्त जिन्दगी भर नौकरी करता है तब भी उसकी डाइट पर खर्चा होता हैं। वही ट्रेनिंग में भी लगना चाहिये। ट्रेनिंग में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ट्रेनिंग देने में वह आदमी लगातार लगे रहते है, वही कास्टीज्य और गुफिज चलता आता हैं। तो इसलिये ट्रेनिंग में भी समय समय पर अच्छे अच्छे आदमियों को बदलते रहना चाहिये। ट्रेनिंग में गेम्स को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। पुलिस में क्या हो रहा है कि खेलो-गेम्स और स्पोर्ट्स की तरफ कतई ध्यान नहीं है। बजट में देखा, कहीं एक जगह लिखा तो मिला, मदों में तो कहीं नहीं मिला। लेकिन उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में यह कहीं आया है कि खेलकूद के लिये ढ़ाई लाख दिये जा रहे है। ढ़ाई लाख पूरी तरह से सफिशियेंट नहीं हैं। वैसे भी उम्मीद की जाती है कि पुलिस गेंग जब आयेगी तो चन्दा ले लेंगे, इससे ले लेंगे, उससे लेंगे। इस तरह से गेम्स, स्पोटर्स होते चले आ रहे है। यह परिपाटी ठीक नहीं है इसलिये इस ओर ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, होता क्या है, ट्रेनिंग करके लड़का निकलता है, पोस्टिंग होती है, जिन्दगी में नौकरी करता है। जिस समय पोस्टिंग होती है तो मैं यह नहीं कहता कि मैं अगर राज्य का गृह मंत्री बन जाऊं तो मैं अपने राजनैतिक दृष्टिकोण से बच कर रह लूंगा। राजनैतिक आधार पर पोस्टिंग होगी, यह मैं भी करूंगा, दूसरा आयेगा वह भी करेगा। यह स्वाभाविक है, मानव स्वभाव में है, लेकिन ध्यान यह रखना चाहिये कि हम जिसकी पोस्टिंग कर रहें हैं उसको एरिया का ज्ञान है या नहीं। उसकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, वहां की ज्योग्राफी जानता है या नहीं, वहां की भाषा जानता है या नहीं, ह्यूमन नेचर को जानता है या नहीं। इस तरह पूरी बातों को ध्यान में रख कर पोस्टिंग में ध्यान नहीं देंगे तो मुझे दुःख है, अध्यक्ष महोदय, जब पिछले दिनों 9 अगस्त को काण्ड हुआ, वहां पुलिस में, आज पुलिस में हर रेंक में ग्रुपिज्म हैं, हाई रेक में ग्रुपिज्म हैं वह नीचे तक जाती है। यह मिनिस्टर साहब का अफसर है, होम मिनिस्टर साहब का अफसर के ग्रुप का आदमी है, ऊपर से नीचे तक ग्रुपिज्म में राज्य को बांट दिया गया है, फोर्स को बाटते चले जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता हें। जब कोटा में इस तरह की घटना लगातार हो रही थी तो, अध्यक्ष महोदय, मैंने कोटा में मेरे कुछ मित्रों को

(श्री यदुनाथ सिंह)

टेलीफोन किया। टेलिफोन करने पर मैंने पूछा कि आया क्या कारण हो सकता है, इस तरह की घटना क्यो घट रही हैं। तो मै उस व्यक्ति का नाम जानता नहीं, नाम आज भी नहीं जानता हूं। वहां जो राजनैतिक मेरे कार्यकर्ता थे उन्होंने तो यह बात नही कहीं लेकिन जो आम आदमी थे उन्होंने कहा कि वहां पर एक एडिशनल एस.पी. साहब 9 साल से है। कभी सी.आई.डी. में चले जाते है कभी आ.ए.सी. में आ जाते है और कोटा में जो घटना हुई उसमें आर.ए.सी. का सहयोग पुलिस के साथ होना चाहिये था, वह नहीं रहा। मैं उनको जानता नहीं, मुझे पता नहीं, मेरी सूचना गलत हो सकती है लेकिन जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, बीसियों लोगों ने इस तरह की बात कही इसलिये पोस्टिंग करते समय पसन्द का आदमी लगायेगें लेकिन देखने की बात यह है कि उसकी एफिशियेंसी और क्रेडिटेबिलिटी किस प्रकार की हैं।

अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है कि फोर्स मे और कमाण्डर में गैप बढ़ता चला जा रहा है। फोर्स और कमाण्डर एक दूसरे से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। एस.पी. साहब डी.एस.पी. को छोटा समझते हैं, वह कहते हैं, आर.पी.एस. है, छोड़ो। यह अपने से निम्न स्तर का आदमी है, निम्न क्वालिटी का है। वह थानेदार को छोटा आदमी समझता है। सिपाही को उससे छोटा समझता है। सिपाही एस. पी. के सामने जाने से घबराता है। मीटिंगों में, जब उनको वेलफेयर की मीटिंग में बुलाया जाता है तो उसको वर्दी में बुलाया जाता है। वर्दी में जायेगा तो पहले अटेन्शन करेगा, सेलूट मारेगा। उसके बाद क्या वह अपनी बात वहां कह पायेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आर्मी में होता है उसी तरह से आपको यहां पर लागू करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्यूरीकुलर एक्टीविटीज आपको चालू करनी होगी। आज जनता में वही रहती है। इसलिये इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें खर्चा तो होगा परन्तु इसके रिजल्ट भी आपके सामने कुल मिला कर अच्छे आने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब में यह कहता हूं, हमारे राज्य में, जो आंकड़े मैंने देखे हैं, जितने भी अपराध करने वाले हैं वह ज्यादातर बाहर से आने वाले हैं। बाहर के अपराधी अधिक है, यह आंकड़ों से सिद्ध है। जब बाहर से अपराधी आते हैं तो हम को बार्डर पर ही ग्रुप बनाने चाहिये। एक स्पेशल ट्रेनिंग का इन्तजाम करना चाहिये। यह बार्डर की समस्या है। हमारे यहां भरतपुर की भी यही समस्या है। गंगानगर के बार्डर की समस्या ले लीजिये या पाकिस्तान से लगी जो बोर्डर हैं उसकी समस्या ले लीजिये। हमारे भरतपुर में ज्यादातर क्राइम बाहर के लोग आकर करते है। बड़े बड़े क्राइम, डकेती आदि। डकैती की आज आम समस्या है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी बार्डर सील नहीं है। आप डकैती के लिये एक अलग से रेन्ज बनवाइये। यदि आप डकैती का बिलकुल उन्मूलन करना चाहते हैं तो भरतपुर रेंज आपको डकैती के लिये अलग से बनानी चाहिये। डी.आई.जी. के तहत एन्टी डेकोइट रेंज बनाइये। आर्मी जैसे रोड़ बनाती है, उसी

(श्री यदुनाथ सिंह)

प्रकार आप डकेती एरियाज में डेकोइट रोड बनाइये। अब आपके थानों में, धोलपुर में 14/14 मील पैदल जाना पड़ता है। वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। जब आप पुलिस की व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं तो इस तरह की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। वरना आप डकेती उन्मूलन नहीं कर पायेंगे। ए.डी.एफ. में बहुत से लोग हैं, कहा तो यह जाता है कि पुलिस चोरी, बलात्कार में लिप्त रहती है परन्तु यह एक पहलू हैं। परन्तु बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जान भी कुर्बान करते हैं। अपनी ड्यूटी का अंजाम देने वाले हैं और जान कुर्बान करने वाले लोग भी मौजूद हैं। होता क्या है, अध्यक्ष महोदय, लज्जा डाकू को हमारे यहां पर एनकाउन्टर में मारा गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसका इनाम रखा था। मध्यप्रदेश की सरकार ने वह पैसा दे दिया है लेकिन 1980 से आज तक वह पैसा नहीं दिलवाया गया है। फिर कैसे इनकरेजमेन्ट होगा कि लोग जान पर खेलें जब तक कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका प्रोत्साहन करने का काम नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, रि-आर्गेनाइजेशन की बात में कह रहा हूं। जो कुछ में सोचता हूं। फोर्सेज को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आज होता क्या है, ए.सी.डी. सी.आई.डी. विजिलेन्स को लीजिये, कम्पूटर को ले लीजिये इसमें लोगों को राजनीतिक नाराजगी के कारण या पनीशमेन्ट के कारण लगाया जाता है, इस आधार डम्प कर दिया जाता है। यह अच्छी ड्यूटी हैं, इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है लेकिन इसमें आदमी पहले से ही नाराज होकर आता है। मेरी राय है, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये सी आई.डी. ए.सी.डी. विजिलेन्स यह अलग अलग ब्रान्चेज हों, इनकी सर्विस अलग अलग होनी चाहिये। फिर वह आदमी उसी में स्पेशलाइजेशन करने की बात सोचेगा। वह एक्सपर्ट होने की बात सोचेगा। सिविल पुलिस और सी आई डी. और क्राइम को एक साथ रखिये। बाकी को अलग रखिये। अलग अलग सर्विस करिये। वह एक्सपर्टाइज करेंगी। वह जाने की नहीं सोचेगा। वह जिन्दगी में कभी इधर-उधर जाने की नहीं सोचेगा।

अध्यक्ष महोदय, सब से इम्पार्टेन्ट पुलिस स्टेशन है। 575 पुलिस स्टेशन हैं इनको जब तक वेल इक्वीप्ड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज मुल्जिम भागता है तेज दौड़ती हुई गाड़ी में, बढ़िया से बढ़िया हथियार उसके पास होते हैं। उसके आदमी टेलिफोन करेंगे लेकिन हमारे थानों में टैलिफोन नहीं हैं। थानों में वायरलेस अब लगे हैं लेकिन वायरलेस से पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आपस का ही सम्बन्ध होता है। वायरसैं से मेरा सम्बन्ध पुलिस से नहीं हो सकता। पुलिस का आपसी सम्बन्ध होता है। मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के डीजल की गाड़ियां क्यों मंगवायी जा रही है। डीजल की जीप तेज नहीं चल सकती। पीछे रह जाती है। दस मील भी तेजी से नहीं भाग सकती है। आज का मुल्जिम कार में भागता है। इसलिये फास्ट मूविंग व्हीकल्स हर पुलिस स्टेशन पर होने चाहिये, टायोटा लाइयें, जो फास्ट से फास्ट भागने

(श्री यदुनाथसिंह)

वाली व्हीकल हो। ऐसे तेज भागने वाले व्हीकल आपको लाने होंगे। हथियार बदलिये आप। इतनी भारी है राइफल 303 गार्ड में खड़े रहने वाले के लिये। आज तो यह गार्ड दिलवाने के लिए आम परिपाटी हो गयी है। आर्मामेंट गार्ड शोभा के लिए गार्ड लग रही है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय पुलिस स्टेशन जैसा कि भाई देवीसिंह जी कह रहे थे, "मैं आपका स्वागत करता हूं" यह शब्द वहां लिखे रहते हैं परन्तु किसी को बिठाने के लिए पुलिस स्टेशन में व्यवस्था नहीं है। कोई कुर्सी के लिए पैसा नहीं है, कोई मुड्डे के लिए पैसा नहीं है। जनता के आदमी जाते हैं तो वे खड़े रहते हैं।....

श्री अध्यक्ष : जानबूझ कर एक कुर्सी रखते हैं।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, जानबूझ कर रखते हैं लेकिन आम पुलिस स्टेशन की हालत यही है। फण्ड नहीं हैं। जो जाते हैं वहा उनको कम से कम तमीज से, इज्जत से बिठाया जा सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। व्यवस्था होने के बाद नहीं बिठायें तो उसकी शिकायत होगी, कागज की बात अभी कही। कागज के लिए फण्ड नहीं होते। हम जाते हैं, कोई जनप्रतिनिधि आता है तो किसी से कह दिया चाय ले आना। इस तरह के फण्ड नहीं दिये जाते हैं। आम जनता से मिलने वाले जनप्रतिनिधि जाते हैं उनका एन्टरटेन्मेन्ट वे कर सकें इस तरह की व्यवस्था पुलिस स्टेशन पर होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, सब से ज्यादा....

श्री अध्यक्ष : इन्टरटेनमेन्ट की व्यवस्था है वहां पर समाप्त करे ?

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

दो नये सेल बनाये गये जनता पार्टी के राज में। एक सेल था फोरेंसिक साइन्स का फोरेंसिक लेब के उदघाटन के समय भैरोंसिह जी ने जो कहा था वे शब्द मुझे याद है, "नर्दन इण्डिया में यह सब से ज्यादा वेल इक्वीप्ड, अपटूडेट हमारी लेबोरेट्री होगी।" लेकिन ऐसी बात नहीं हैं। कोई भी इन्वेस्टीगेशन हो, कोई भी सामान किसी थाने से जाता है तो दो-तीन साल निकल जाते हैं और इससे उसकी रिलेवेन्सी खत्म हो जाती है। आप इस लेबोरेट्री को वेल इक्वीप्ड कीजिये। लेकिन मुझे दुःख हैं, जो मद बताये गये हैं कि पिछले साल से ज्यादा खर्च करेंगे उसमें जिन मदों में खर्चा वास्तव में बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ाया गया है। अध्यक्ष महोदय, देख लीजिये। यह दो लाइन हैं वह पढ़ कर मैं आपको सुनाऊंगा। "वर्ष 1983-84 के संशोधित अनुमानों की तुलना में वर्ष 1984-85 के आय व्ययक अनुमानों में 485.65 लाख की वृद्धि संवेतन, इसमें वृद्धि संवेतन 467.40, यात्रा व्यय 13.98 लाख चिकित्सा व्यय 1.17 लाख, ईसी तरह बाकी मद में" कार्यालय व्यय 5.16 लाख, आलेखन आदि 0.36 लाख व पुलिस के आधुनिकरण में 50 लाख 17 हजार।" यानि पुलिस का माडर्नाइजेशन आपको करना है। फिर नीचे लिखते है "इसके अतिरिक्त वर्ष 1984-85 में 137.81 लाख रुपये पुलिस के आधुनिकरण पर और व्यय किये जाने का प्रस्ताव है,

250

(श्री यदुनाथसिंह)

जिसके लिये राशि यथा समय केन्द्र सरकार से प्राप्त होगी। इस पर व्यय विभाग द्वारा केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होने पर "केन्द्र प्रवर्तित तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा" यानि यह निश्चित नहीं कर पाये हैं। हमें निश्चित तौर पर अन्य कामों की बजाय पुलिस को किस प्रकार मोडर्नाइज किया जाये इसकी ठोस व्यवस्था करना चाहिये। यह छोड़ दिया गया है। इसके लिये पैसा जब आयेगा तब करेंगे, नहीं आयेगा नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कान्सटेबल की सबसे दर्दनाक व्यथा है। कान्स्टेबल कान्स्टेबल ही मर जाता है। उसको प्रमोशन नहीं मिलता है। अधिकतर कान्स्टेबल टी. बी. के मरीज होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा एक बार ब्रिटेन में एक कान्स्टेबल के लड़के ने चाकू मार दिया था। उसके चाकू मार देने से उसके उपर एक कमीशन बिठाया गया ऐसा करने का क्या कारण था कि जिसकी वजह से कान्स्टेबल के लड़के को चाकू मारना पड़ा। इस प्रकार का दृष्टिकोण हम कान्स्टेबल के प्रति रख कर नहीं चलेंगे तो फोर्सेज में एफिशियेंसी आना असंभव बात है। उसका वेतन बढ़ाइये। उसको अच्छा पैसा दीजिये। बैरेक्स नहीं हैं। रहने का इन्तजाम नहीं है। खाने का इन्तजाम नहीं है। वह 24 घंटे ड्यूटी देता है, पुलिस के सिपाही के लिये बैरक की बात छोड़िये, कई थाने तो ऐसे हैं जहां मुल्जिमों को रस्सी से बांध कर पीटते रहते हैं। राजस्थान में अभी भी मौजूद हैं, जयपुर में अभी भी मौजूद है यानी इस प्रकार की व्यवस्था होती है। मुझे दुःख है कि पिछली बार सन 1980 में माननीय पहाड़िया जी ने यहां पर एक फंकशन हुआ था पुलिस हैड क्वार्टर पर, वहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि बेनवोलेन्ट फण्ड में मैचिंग ग्रान्ट दुगुनी दूगा। यह एक साल तक दुगुनी दी भी थी। अब सिपाही अपनी जेब से काट काट कर पहले 50 पैसे देता था अब दो रुपया हर सिपाही दे रहा है यानि 24 रुपये प्रतिवर्ष हर सिपाही देगा इस प्रकार से उसके 16 लाख रुपये प्रति वर्ष इकट्ठे होंगे। सरकार को चाहिए कि वह, मुख्य मंत्री चाहे बदल गये हों। लेकिन मैचिंग ग्रान्ट का जो वचन मुख्य मंत्रीजी ने दिया था, राजस्थान सरकार ने, वह उस मैचिंग ग्रान्ट के उस वचन पर कायम रहे। यू. पी. में एक करोड़ रुपया सरकार मैचिंग ग्रान्ट दे रही है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : मैंने पुलिस के सुधार के लिए कुछ यहां पर छोटे-छोटे सुझाव रखे थे, सरकार को पसंद आये तो उस पर ध्यान दें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीर सिंह। साढे आठ बजे सरकार की ओर से उत्तर दिया जाना प्रारम्भ हो जायेगा। कृपया समय का ध्यान रखें। अभी दो तीन माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप स्वयं भली

251

(श्री यदुनाथसिंह)

भांती परिचित हैं कि पश्चिमी राजस्थान की जो रीढ़ की हड्डी है, इकोनामी जिसे कहते हैं वह कैटल बेस्ट इकानोमी है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान के पूरे जिलों से पिछले 3 साल सालों से गायों की और बैलों की तस्करी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहले भी मैं माननीय मंत्री महोदय को ध्यान में ला चुका हूं और मैंने 45 गांवों की लिस्ट भी यहां इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय को पेश की थी कि इन 45 गांवों में हजारों की तादात में गायें, बैलें चुराकर पाकिस्तान को तस्करी कर दिये गये. लेकिन उसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। यह बात मैं 1981-82 की कर रहा हूं और 1981-82 तक जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र से गायों की तस्करी की जा रही है और इस तस्करी के कारण हमारा जो कैटल बेस्ट इकानामी है उस पर बड़ा भारी धक्का पहुंच रहा है। राज्य सरकार इस तस्करी को रोकने में पूर्णतया विफल रही है। मेरे एक प्रश्न के जवाब में बतलाया गया था, मैंने पूछा जिला जैसलमेर और बाड़मेर में सन् 1982 से 31-1-1984 तक कितने-कितने पशुओं की चोरियां हुई और उनमें कितने बरामद हुए। जिला बाड़मेर और जैसलमेर में सन् 1982 से 30-1-83 तक एक हजार 116 पशु चोरी किए गए, उनमें से 622 पशु बरामद हुए।" दूसरा था, उस मामले में कितने अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किए गये, कृपया थाना वाइज सूची सदन की मेज पर रखें। जवाब है, अध्यक्ष महोदय, उन मामलों में 90 के विरुद्ध विविध न्यायालयों में चालान पेश किये गये, सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।" मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ चालान पेश किये गये थे, उन 90 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों का कन्वीक्शन हुआ, अध्यक्ष महोदय, यह प्रथा बन गयी लोगों की गायें चुरा कर ले जायें और पाकिस्तान में ले जाकर बेचें। पुलिस में रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट लेते नहीं और यदि रिपोर्ट ले भी लेते हैं तो न तो चालान पेश करें, न ही फॉलो अप करें। इस तस्करी में पाक नागरिक भी लिप्त हैं और भारत के नागरिक भी लिप्त हैं। अब अब अगर कन्वीक्शन नहीं होता है तो इस तरह की जो प्रथा चली आ रही है उसको बढ़ावा मिलता जा रहा है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में से हजारों की तादाद में गायों और बैलों की तस्करी कर पाकिस्तान में भेजा जा रहा है। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं को भली भांति अवगत है हर साल बाल्डिया भाट हन्डर गायें, अच्छी नसल की गायें, इवन जो भी आकल बैल होते हैं इनकी चोरी कर लाते हैं और सीमा पार उनको बेच देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने सूचित किया है क्या सरकार को यह जानकारी है कि जैसलमेर जिले में हर साल बाल्डिया भाट द्वारा हजारों की संख्या में बिना दुधारु, बेकार नस्ल की गायें ले जायी जाती है जो तस्करों द्वारा पाकिस्तान को बेची जाती है। उनका जवाब है अध्यक्ष महोदय, "बाल्डिया भाट फलौदी तहसील की 1500 गायें हाल ही में लेकर आये थे इनमें से 1200 गायें ग्राम रामदेवरा से होते हुए बीकानेर जिले में चली गयी और शेष 300 गायें," अध्यक्ष महोदय, मैं गांवों के नाम

(श्री यदुनाथसिंह)

पढ़ रहा हूं इसलिए माननीय मंत्री महोदय, इस पर गौर फरमायें। "ग्राम रामचन्द्रवाला हेरवाला एवम् बाला आदि गांवों में ले गये। इसी प्रकार जैसलमेर सब डिवीजन में बाल्डिया भाट 600 गायें लेकर आये थे जिसमें से 300 गायें ग्राम रुणाल, गरदा, हरताल एवम् फलोदी के लोगों को बेची है, बाकी गायें इसी क्षेत्र में है।" जितने भी मैंने गांवों के नाम आपके सामने प्रस्तुत किए है ये सब बोर्डर के हैं। इन्ही बोर्डर के गावों से ये बाल्डिया भाट रद्दी नस्ल की गायें लेकर जाते हैं, जिनकी आम तस्करी होती है और पाकिस्तान में गायों को काटा जाता है। मैं बारबार सरकार को यह अवगत करवा चुका हूं कि यह तस्करी रोकनी आवश्यक है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार यह तस्करी रोकने में पूर्णतया असफल रही है। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में एक नयी प्रथा शुरु हुई कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी डकेत आधुनिक शस्त्रों से लैस होकर जिले की सीमा में 40-40, 50-50 किलोमिटर तक अन्दर आते हैं और अन्दर आकर आये दिन वहां के मवेशियों को उठाकर ले जाते हैं, गायें ले जाते हैं ऊंट ले जाते हैं। खास तौर से नाचणा, रामगढ़ सम के हल्के में आये दिन वारदातें हो रही हैं। हम इस वारदातों को रोकने में पूर्णतया असफल रहे हैं। जैसलमेर के पूर्व एस. पी. श्री सुरेन्द्र शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान से 40-40, 60-60 की टोलीया आती हैं, आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। और हम उनसे निपटने में सक्षम नही है। अध्यक्ष महोदय, इसका प्रमाण आप स्वयं देख रहे हैं कि जैसलमेर में आये दिन ऐसी वारदातें बढ़ी जा रही है और हजारों की तादात में मवेशी को चोर कर पाकिस्तानी डकैत पाकिस्तानी बोर्डर पार करवा कर ले जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो उल्टी गंगा बहने लग गयी।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं अभी हाल की घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी हाल ही में दिनांक 25.2.82 को जैसलमेर जिले के ग्राम हटार में दिन दहाड़े 16 ऊंट सशस्त्र पाक डाकू घेर कर ले गये और उसके उपरान्त सीमा पर दिनांक 1.3.84 को फ्लैग मीटिंग बुलाई, और फ्लैग मीटिंग किला नम्बर 758 पर पाकिस्तान के रेंजर और बी. एस. एफ. के बीच में हुई और पाकिस्तान के रेंजर ने यह स्वीकार किया कि 16 ऊंट पाकिस्तान के चोर सीमा पार कराकर ले गये और पाकिस्तानी रेंजर ने खोजा रसीद बी. एस. एफ. को दी। अध्यक्ष महोदय, आज डेढ़ महीना बीत गया लेकिन आज तक यह बी. एस. एफ. और पुलिस इन गये हुए ऊंटों को लाने में सक्षम नहीं हुई। क्या मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से पूछना चाहूंगा कि जो जब पाकिस्तानी रेंजर यह स्वीकार करते हैं कि 16 ऊंट पाकिस्तानी चोर ले गए और फिर भी हम हमारे मवेशी नहीं ला सकते हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? इसी तरह से हथियारों से लैश होकर ग्राम जैसलमेर जिले के गांव गोधा में पाकिस्तानी डकैतों ने लूट पाट की और वहां पर

(श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी)

एक आर्मी का जवान जो कि छुट्टी पर आया हुआ था उसने इन पाक तस्करों से मुठभेड़ की, अध्यक्ष महोदय, जिसमें एक पाक तस्कर मारा गया। उसके उपरान्त सरकार ने तत्परता तो जरूर बर्ती और वहां पर एक टेम्परेरी पोस्ट स्थापित की। लेकिन वहां आज यह पोजीशन है, अध्यक्ष महोदय, कि कभी तो वहां पर एक सिपाही रहता है कभी दो सिपाही रहते हैं। और वे सिपाही भी कैसे हैं आप स्वयं परिचित हैं। आधुनिक हथियारों से लैश होकर 30-40 आदमियों की गेंग की टोली खुले ग्राम घूमती हैं तो ये दो या तीन पुलिस वाले गांव वालों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं? हर्गिज नहीं दे सकते। इस गांव में अभी भी इतना भयंकर भय व्याप्त है और आये दिन उनको धमकियां दी जाती हैं कि तुमने हमारे आदमी को मारा है या तो धरणा करो, अगर धरणा नहीं देते हो तो तैयार रहना, हम एक का सबसे लेंगे। धरणे का मतलब शायद माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं समझे होंगे, लेकिन आप स्वयं समझ गये होंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जैसलमेर जिले में इन्टरनेशनल बोर्डर पर तस्करों की गतिविधियां निरन्तर बढ़ती जा रही है। यही नहीं पूर्व में तस्कर भय से तस्करी करते थे लेकिन आज यह सत्य है कि तस्करों की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे पुलिस से मुठभेड़ करें या बी. एस. एफ. से टक्कर लें। आज आये दिन पाकिस्तानी तस्कर अपनी पुलिस को ललकारते हैं, बी. एस. एफ. को ललकारते हैं। और इसका सीधा सादा कारण यह है कि अध्यक्ष महोदय, कि तस्करों की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं उसमें पुलिस और गवर्नमेंट एजेंसीज का तस्करों को संरक्षण प्राप्त है इसका प्रयास है अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न था "क्या यह सही है कि माह 8 अगस्त, 1983 में रामगढ़ थाना जिला बाड़मेर में सरकारी जीप द्वारा तस्करी का माल ले जाते हुए बरामद किया गया? यदि हां तो उस सरकारी जीप किस विभाग से सम्बन्धित थी?" जवाब था, अध्यक्ष महोदय, "जीप नं. आर. एस. एम. 939 केन्द्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो विभाग से सम्बन्धित थी। दूसरा था, अध्यक्ष महोदय, "उस जीप में से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त व्यक्ति कौन-कौन से विभाग में, किस-किस पद पर कार्यरत थे?" जवाब है अध्यक्ष महोदय, "जीप में से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें से दो व्यक्ति केन्द्रीय इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक व्यक्ति ए. सी. आई. ओ. और एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और तीसरा व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति था।" "उक्त पकड़ में कितना माल बरामद किया गया, और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कृपया विस्तार में सूची सदन की मेज पर रखें। अध्यक्ष महोदय, उक्त जीप में से 530 कैलकुलेटर, 19 टेपरिकार्डर कम ट्रांजिस्टर, विदेशी कपड़े के 57 थान, 79-65m.m.-75 मीटर बरामद किये गये।

अध्यक्ष महोदय, इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह जो तस्करी को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये जो तस्करी पूरे पश्चिमी राजस्थान में बढ़ रही हैं इसका एक ही कारण है कि वहां की गवर्नमेंट एजेन्सीज हैं, पुलिस विभाग है ये सरेआम तस्करों से मिले हुए हैं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय,....

(254)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य। समय हो गया है।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष, महोदय, तस्करों के अन्य सामान के अलावा आजकल राजस्थान की सीमा से खासतौर से चरस, गांजा और हेरोइन जैसी घातक दवाइयें जो देश और प्रदेश की युवा पीढ़ी को भयंकर नुकसान पहुंचा सकती हैं उसकी भी तस्करी अब जोर पकड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, राजस्थान को कंडूसिव पाइप बना दिया गया है उसके तीन चार कमोडिटीज में। आज ड्रग एड्यूज इंटरनेशनल प्रोब्लम है और हिन्दुस्तान में भी ये प्रोब्लम आ रही है अध्यक्ष महोदय, ड्रग यूज युवा पीढ़ी के लिए जितनी ये चीजें घातक हो सकती हैं उतनी, मेरी मान्यता है, मानना है कि शायद ही कोई चीज घातक हो सकती है। इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, गम्भीर चिन्तन करना पड़ेगा, गम्भीर विचार करना पड़ेगा क्योंकि जो ड्रग एड्यूज की यह प्रथा चली है ये वर्ल्ड वाइड प्रथा है और इससे अपना देश भी बचा नहीं है और प्रदेश भी बचा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में....

श्री अध्यक्ष : अपने तो बहुत पहले से ही प्रचलित है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अपने यहां हेरोइन का कहीं प्रश्न नहीं था, कोकीन का कहीं प्रश्न नहीं था, एल. एस. डी. का कहीं प्रश्न नहीं था। हां अमल जरूर लेते थे, दारू जरूर पीते थे।

श्री अध्यक्ष : अमल से ही ये ट्रीट होती हैं।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अमल का इतना फाइन एक्सट्रेक्ट है, अध्यक्ष महोदय, कि अगर एक तोला में व्यक्ति एक महीना निकाल सकता है तो कोकीन के चार ग्राम एक महीने के लिए बहुत हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में....

(व्यवधान)

ओथोरिटी तो है ही इसमें संदेह क्या है? बेचते आप हैं, खाते हम हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में कोकीन ने एक रिकार्ड कायम किया। अमेरिका की कोस्ट गार्ड ने स्मगल की हुई 100 करोड़ की हशीश बरामद की है और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में एक ड्रग एडिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट में लिखा है, अध्यक्ष महोदय,

"According to drug enforce-agencies, 80,000 K. G. of Heroine worth a mind boggling billions of dollars, is unloaded in Delhi and Bombay on its way to Europe: America and West Asia. A sizeable amount of this consignment finds Its way to the drug markets of Delhi, Bombay and Goa & other parts of the Country. The stuff is

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

smuggled from Pakistan through the land route."

अध्यक्ष महोदय, आगे वे लिखते हैं :

"The most commoniy used drugs in in Delhi are Bharng, Ganja, Charas, Hashish etc. In fact Charas, Hashish and Marijuana can be easily procured in Delhi. But recentiy deadly heroine seems to have scored over all these. It is as easily available in Delhi as well as other parts of the country as any other consumer item. According to available figures, there are about one lakh drug addicts in the capital, out of which 30,000 are heroin addiets. A majority of these drug addicts are found to de young men in the 15–24 age group."

इसी तरह से जयपुर के भी आंकड़ें हैं। जयपुर के आकड़ों में है एल. एस. डी.। दिल्ली के बराबर का कंजम्शन है आपका और मेरा यह मानना है, अध्यक्ष महोदय, कि अगर यह ड्रग विशेष तौर से स्मगलिंग होता है, इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स आते हैं, कपड़े आते हैं इत्यादि-इत्यादि। इससे ये अपनी युवा पीढ़ी विशेष रूप से इफेक्टेड नहीं होती है, लेकिन ड्रग एडिक्शन से युवा पीढ़ी डेफिनेट्‌ली इफेक्टेड होगी, अध्यक्ष महोदय, और इस ड्रग स्मगलिंग को रोकने से लिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चाहे कितने भी गम्भीर से गम्भीर, कड़े से कड़े कदम क्यों न उठाने पड़े इस ड्रग स्मगलिंग को अपने राजस्थान में कम से कम रोका जाय। अध्यक्ष महोदय, तस्करी की रोकथाम के लिये अक्सर पुलिस वालों को दोष दे दिया जाता है और यह कहा जाता है कि पुलिस विभाग और पुलिस की निष्क्रियता के कारण तस्करी बढ़ी, लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर जैसे बड़े जिले में जिसमें जैसलमेर जिले की सीमावर्ती पुलिस थाने नाचना, रामगढ़, मोहनगढ़ सम व झिझना के थानों में यातायात की कोई सुविधा नहीं है। आज एक आदमी खबर लेकर जाता है कि साहब दो गायें वहां से 10 किलोमीटर दूरी से जा रही हैं। अब पुलिस के पास ऐसा कोई साधन नहीं कि वह वहां जाकर उन गायों को अप्रेहेंड कर सके, पकड़ सके। आज कोई, यह सूचना मिलती है कि पाकिस्तान से इतना माल आ रहा है और उस रूट से निकलने वाला है तो, अध्यक्ष महोदय, उनके पास किसी भी वेहिकल की व्यवस्था नहीं है। यह वेहिकल तो छोड़िये ऊंट भी नहीं है। अब उनको जब सूचना मिलती है तो गांव में जाते हैं, गांव में जाकर ऊंट मांगते हैं और ऊंट उस टाइम पर एवेलेबुल हो या नहीं है। हो भी तो उनकी तलाश करते हैं, चढ़कर जाते हैं तब तक वे गायें पार हो जाती हैं। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय, से मांग है कि कम कम सीमा- वर्ती थानों में जैसलमेर के आप

(श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी)

कुछ न कुछ यातायात का साधन उपलब्ध करवायें। अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस थाने और चौकियों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है और बी. एस. एफ. और पुलिस में जब तक सही तालमेल नहीं बैठेगा तबतक अपन ये तस्करी की रोक थाम करने में सफल नहीं हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज बी.एस.एस. और पुलिस में कोइ तालमेल नहीं है। बी. एस. एफ. अलग चलती है, पुलिस अलग चलती है। इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये तालमेल बिठाना अत्यावश्यक है और इस तालमेल को अवश्य बैठाया जाय। इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय, अपने पास बोर्डर होमगार्ड हैं अगर बोर्डर होमगार्ड को इस तरह से ऐट्रिब्यूट किया जाय और उनको सही रूप से अगर काम करवाया जाय तो बोर्डर होमगार्ड भी इस तस्करी की रोकथाम में अपनी काफी मदद कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, 1982 में माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया कि जैसेलमेर की सीमा से जो रामगढ़ थाने के अन्तर्गत भंवर सिंह पुत्र फतेह सिंह का अपहरण किया गया था, उसकी जांच करायेंगे और उसका पता लगायेंगे कि उसका क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, आज इतने अर्सा बीतने के बाद भी भंवर सिंह लापता है और यह पता नही लगा कि भंवर सिंह कहां लापता है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जैसलमेर वन विभाग के एक रेंजर श्री गौड़ वे भी लापता हैं। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर पुलिस विभाग के वाहन चालक लक्ष्मीचन्द 25/12/82 तक ड्यूटी पर थे और 26/12/83 को सुबह गायब हो गये जिसकी कि 9 बजे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। अध्यक्ष महोदय आज तक उनका पता नहीं है। वे एस. पी. साहब के स्वयं के ड्राइवर थे और आज इतना अर्सा बीतने के बाद भी पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि उस आदमी का क्या हुआ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। माननीय सदस्य, सदस्य, समय काफी हो हो गया हैं। आर्डर-आर्डर।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ये वाहन चालक जो थे जैसलमेर के एक आउट स्कर्ट्स में ग्रेनुआ ग्राम के एक युवक की लाश बरामद हुई थी और ये ड्राइवर उनमें से थे, जिन्होंने प्रथम बार उस युवक की लाश को देखा था और आज जनता में आम धारणा है, अध्यक्ष महोदय, कि ये जो मर्डर केस हुआ, जो आज तक सोल्व नहीं हुआ है। उसमें जो लिब्ड लोग थे उन्होंने इस ड्राइवर का अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया है अध्यक्ष महोदय, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट है। उसको पेंशन भी नहीं मिली है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता पुलिस कोष से प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करे माननीय सदस्य। समय का अभाव है। केवल एक मिनट में अपनी बात बोल दें।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : एक मिनट में बोल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28/12/83 को जैसलमेर जिले के एक पटवारी श्री ब्रिजेश कुमार का अपहरण हुआ और ये विशेष मसला इसलिये बनता है, अध्यक्ष महोदय कि आज यह आम चर्चा हो रही है, अध्यक्ष महोदय, कि सीमा पार से कुछ लोग आकर राजस्थान केनाल में जमीन अलांट करा रहे हैं। यह आम चर्चा का विषय है और यह प्रेस में भी आया है, कई जगह यह चर्चायें हो रही हैं कि सीमा पार, जो 65 में लोग चले गये थे, वह वापस आ रहे हैं। वापस आकर राजस्थान नहर परियोजना में जमीन अलाट करवा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एक पटवारी श्री विसेष कुमार 13.12.83 को रहस्यमय ढंग से गायब हो गये। 13.12.83 को गायब होने के बाद उनका शव 28.12.83 को बरामद हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बीच जो समय निकला 10 दिन का या 15 दिन का, उस समय वे पटवारी कहां रहे? कहां लुके रहे? अध्यक्ष महोदय, अपने इलाके से आप परिचित हैं, लकड तार लगे हुए हैं, यहां पर देशी पटवारी आ गया, यहां तो यहां तक भी मालूम पड़ जाता है कि एक आदमी ने आज अध्यय महोदय, से उनके चेम्बर में बात की, या मुख्य मन्त्री जी को ज्ञापन दिया। फिर इस पटवारी का, जो 15 दिन तक लापता रहे इनको पुलिस पता लगाने में क्यों विफल रही? अध्यक्ष महोदय उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया गया है कि शव पांच दिन से अधिक पानी में नहीं रहा। तो, अध्यक्ष महोदय, वह 10 दिन तक कहां रहे? आज, अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के जितने पटवारी हैं, वह इतने भयभीत और आतंकित हैं, अध्यक्ष महोदय, कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी ड्यूटी सही तरह से निभा सके, कर सकें या नहीं कर सकें। अध्यक्ष महोदय, पटवारी राज्य की एक बहुत इम्पोर्टेन्ट कड़ी है। अगर इस तरह से पटवारियों का मर्डर हो और मर्डर होने के बाद, अध्यक्ष महोदय, पोस्टमार्टम होता है 9 बजे और पुलिस 12 बजे यह कहती है कि इसने सुसाइड कमिट कर लिया, तो क्या पुलिस वालों को सपना आ गया था? अध्यक्ष महोदय, 5 घण्टे बाद पोस्टमार्टम हो रहा है और पहले पुलिस कह रही है कि सुसाइड कामिट कर लिया। यह सारा मामला बड़ा संगीन और गम्भीर है, अध्यक्ष महोदय। इस से सारी पटवारियों की....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पटवारियों का बहुत इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है। आज हजारों-लाखों एकड़ जमीनें अपन आवंटित करने जा रहे हैं। अगर पटवारियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके तो आज आप यह मानकर चलिये कि लोग दबाव में, जोर से मन आये जो काम पटवारियों से करा लेंगे और पटवारियों की हिम्मत नहीं होगी कि वह मुंह उठाकर, सर खड़ा कर यह कह सकें कि आप अनियमित काम करवा रहे हो, हम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस मर्डर का सुराग लगना अत्यन्त आवश्यक है। अगर नहीं लगता है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज।

(श्री अध्यक्ष)

श्री अमराराम। कृपया समय का ध्यान रखें। 10 मिनट का समय।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रदेश में कड़ी सुरक्षा हो उस प्रदेश में जनता का विश्वास रहता है, वहां शांति रहती हैं, उत्पादन बढ़ता है। हमारे राजस्थान में सुरक्षा की जो व्यवस्था है, और पिछले 4 दिनों में मुख्य मन्त्री जी ने जो व्यवस्था की है, उससे यह जो उग्रवादियों के कारण, उनकी वारदातों के कारण कड़ी व्यवस्था की है। मैं स्वयं बाड़मेर से जयपुर तक आया। सब जगह, हर बस में, हर जीप को हर व्यक्ति से उन्होंने पूछताछ की हैं और जनता से जब यह पूछा गया कि कैसी रही। बोले कि साहब, बहुत अच्छी रही। यानि, कड़ी सुरक्षा करने से जनता का विश्वास बढ़ा है सरकार में, हमारी कांग्रेस सरकार में बहुत में बहुत विश्वास बढ़ा है। इस कड़ी व्यवस्था के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि यह जो व्यवस्था आप रख रहे हैं, यह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था आप 4 दिनों के लिए ही नहीं रखे, इसको लम्बे समय तक रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक बहुत से माननीय सदस्यों ने आपकी पुलिस की नफरी के बारे में बताया कि 30 हजार–35 हजार जो आपके सिपाही हैं ये बहुत कम हैं। मेरी भी यही मान्यता है कि एक थाने के अन्दर, जहां बाड़मेर के अन्दर 10 सिपाही हों या 15 सिपाही हों ज्यादा से ज्यादा और जहां उनको सम्मन भी तालीम कराने हों. अदालत के अ मुल्जिम को पेशी पर भी ले जाना हो अ कहीं अशांति और कहीं भाषण हो रहे नेता लोग आये हुए हैं, जो वहां भी उन जाना है, यानि जगह-जगह जाना है, 1 सिपाही थाने में, उनके पास में राइफ रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, उसक सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए आप इमीजिए 6 महिने के अन्दर भर्ती करें और मेरी य मान्यता है कि जो संख्या है उसको डेढ़ करें। हर जिला, जो जिला हो, वहां एडि शनल एस. पी, का होना बहुत जरूरी है बहुत से ऐसे जिले हैं जहां एडिशनल एस.पी नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और वहां पर एक एस. पी. है, वही सारा काम वहां देखता है। उसके लिए एक एडिशनल एस.पी. का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ-2 हर थाने के अन्दर जीप होनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में दो थाने हैं—पिडा और मण्डली, वहां कोई जीप नहीं है। एक थाने में जीप है, उसको 4 बार धक्का दो, बालोतरा शहर के अन्दर, तब जाकर वह स्टार्ट होती है। पुरानी जीप दे रखी है। मेरा यह कटौती प्रस्ताव भी था कि इन थानों के अन्दर, जहां बसें दिन में एक बार आती हों, रेल का कोई साधन नहीं हो, वहां से जिला हैड क्वार्टर कम से कम 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर हो, ऐसे थानों में आपको जीप देनी चाहिए ताकि वह सिपाही जाकर उन साधनों से नजदीक से नजदीक जाकर इत्तला कर सकें। उनमें वायरलेस सेट भी होना चाहिए। आपके डीवाई. एस. पी. की गाड़ी में वायरलेस सेट है, थाने की जो पुलिस की गाड़ी है उनमें वायरलेस सेट नहीं

अमराराम चौधरी)

मको भी वायरलेस सेट दें ताकि वह समाचार या जो भी घटरा घटी है, बता सकें और आगे वाले थाने को हो सकें।

हुत से ऐसे सिपाही हैं, बाड़मेर जिले देखता हूं कि बहुत वृद्ध हो गये हैं, फिर भी आप थानों में रखते हो खाते हैं। बहुत से ऐसे सिपाही हैं के अन्दर, जो अफीम खाते हैं, उनकी को छटनी करनी चाहिए ऐसे वृद्ध जो स्वयं राइफल सम्भाल नहीं तो वह कैदियों को किस प्रकार आप देखते हो, जगह जगह पर, भाग गये, पुलिस से कैदी भाग से कैदी भाग गये। कारण यह मको रखने की क्षमता नहीं है, उनमें हीं है। इसीलिए कैदी भागते हैं। और कहना चाहता हूं। विधान मने दिनों से चल रही है, हमेशा खिलाफ एक न एक स्थगन प्रस्ताव हैं लेकिन कोई पुलिस ने अच्छा न तो किसी ने उनकी पीठ थप- या उनकी सराहना करने की बात है। मेरे यहां महेन्द्रकुमार नाम का जो ऐसा चोर था, जो 50 चोरियां था, कई मर्डर किए हुए थे, उसको अनी जान की परवाह करते हुए सरकार को धन्यवाद देता हूं र ने और पुलिस के वरिष्ठ अधि- उसके परिवार की पूरी पूरी हर प्रकार से, पैसे से, उसकी झोंपड़ी में उसका परिवार रहता हर प्रकार से मदद की है।

उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां तक कि जोधपुर जिले के तमाम सिपाहियों ने और बाड़मेर जिले के पूरे सिपाहियों ने अपनी एक दिन कि तनख्वाह उसके परिवार के लिए दी है। इस प्रकार उनका आप सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे और उनको डिमोर- लाइज होने से बचाएंगे तो मैं मानता हूं, कि इस प्रदेश के अन्दर शांति व्यवस्था आराम से रह सकेगी। हमेशा यदि पुलिस के बारे में करते रहो, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। बहुत से पुलिस वाले अफीम भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, और भी काम करते हैं लेकिन सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, सारे अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए हमें उनका सम्मान बढ़ाना चाहिए, उनकी शान, उनकी इज्जत रहे यह कहना कि वह हमारे समाज के अंग हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कहीं भी घटना घटित होती है, हम साक्ष्य देने के लिए तैयार नहीं होते पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या हमेशा यही आई है। एक मर्डर हुआ, बस स्टैण्ड पर मर्डर हुआ दोनों दोस्त थे। साथ भांग खाते थे, गाना गाते थे, होटल में बैठे और उसके छुरा लगाकर भाग गया। 50-60 आदमी बस स्टैण्ड पर हों और उस चोर को पकड़ नहीं सके, पुलिस अगर वहां से 200-300 कदम की दूरी पर है, थाना दूर है। और कहते है कि पुलिस वाले ने नहीं पकड़ा। जब वह दोनों दोस्त थे, सारे दिन हमेशा महीनों से साथ रहें हैं तो पुलिस कैसे पक- ड़ेगी। आप एक दम आरोप लगा दो कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार ऐसे लांछन लगाना चाहते हों कि पुलिस पर कि

(श्री अमरराम चौधरी)

पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो आप लोग क्या कर रहे हो। पुलिस आई. पुलिस ने कहा कि कौन आदमी था जो मारकर भाग गया? सामने वाले जो गवर्नमेण्ट आफिस के सर्वेण्ट थे, उन्होंने भी कहा, साहब, हमको तो पता नहीं। दो घन्टे तक समझाया कि आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा तब लोगों ने कहा कि दो आदमी थे, तो भई पहले ही बता देते तो अच्छा रहता, रात्रि को नौ बजे तो उनको पकड़ लिया, मैं भी वहां पर था, मैंने भी कहा कि 4 बजे घटना घटी, 9 बजे पुलिस ने पकड़ लिया लेकिन आप लोग पहले ही नाम देते तो उस हिसाब से कार्यवाही होती, लेकिन जनता भी साक्षी नहीं देती हैं, उनको उनको भी भय रहता है, गवाही भी दे देते हैं, लेकिन उनको भी डर रहता है। वह क्या है कि अदालत में जाते हैं तो कुछ लोग मेल प्रेक्टिस करके होस्टाइल भी करवाते हैं, मर्डर के केस में भी होस्टाइल करवाते हैं, इस प्रकार से क्या होता है कि जु र्म बढ़ते रहते हैं। इसलिये पुलिस के साथ जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा, बहुत से लोग चोरी करके जाते हैं तो उनका पता नहीं बताते हैं, उनसे पूछते हैं कि इधर गये हैं तो वह कहते हैं कि उधर गये है, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, आजकल जो चोरी के साधन हो गये है उनके हिसाब से पुलिस को मोडर्नाइज करना पड़ेगा क्योंकि चोरी करने के तरीके अलग अलग हो गये है, एक चोरी कैसे करते हैं? दिवाली के दिन जब आप धन की पूजा करते हो, मकान सारा बन्द करके, खिड़कियां खुली रखते है, सोना जेवर वगैरार थाली में रख देते हो, चोर क्या करता है कि खिड़की के पास सड़क पर बांस लेकर खड़ा रहता है और क्या करता है कि उसके ऊपर चपड़ी लगा देता है, दिया जो जल रहा है उससे उनको गर्म करता है और खिड़की में बांस डालकर, क्योंकि चपड़ी जब गर्म हो जायेगी तो उस पर हार होगा या कोई भी सोने-चादी का जेवर होगा बाहर ले आयेगा। अब कहां से फिंगर प्रिण्ड लेवोगे इन मामलों में कभी कभी पुलिस के सामने बड़ा जटिल मामला आ जाता है कि कैसे चोर का पता लगायें....

श्री अध्यक्ष : ऐसे तरीकों के बारे में खुला बताना नहीं चाहिये....

(व्यवधान)

श्री अमरराम चौधरी : वह करते है मैं तो वकील रहा हूं मुझे मालुम है। किस प्रकार से यह वारदाते करते हैं इसका मतलब य नहीं है कि मैं प्रोपेशनल सिक्रेसी बता रह हूं मैं तो जो तरीका है वह अधिकांशत जयपुर के आस-पास कहीं ऐसे लोग होंगे और दूसरा यह है कि आजकल जैसे अभी माननीय सदस्य श्री यदुनाथसिंह जी ने कहा कि चोर फियेट कार में जा रहा है. आपकी डीजल की जीप है वह उस स्पीड से, 100 किलो मीटर जा रहा है, आप कितना ही भगावें 80 से ज्यादा जायेगी नहीं। इसलिये पुलिस को भी इस तरह के वाहन देने पड़ेगे ताकि चोर को पकड़ सके वरना डीजल की जीप से तो फिर चोर हाथ आने वाला नहीं और तब तक वह न जाने वह कहां का कहां पहुंच जायेगा। क्योंकि यह अभी

(श्री अमराराम चौधरी)

हुआ था बगरू के पास में और दूदू के पास में वहां भी लोग पकड़े गए। लोग फिएट कार में भागें। पढ़े-लिखे लोग आजकल, क्योंकि आजकल बेकारी फैली हुई है और जो लो पढ़े लिखे हैं उनकी मजबूरी है इसलिये ये लोग ऐसे धन्धे करते हैं। अच्छे अच्छे घराने के लड़के इस काम में लगे हुये हैं, ऐसे लड़के देखते हैं कि जो छोटी छोटी संडासी से चोरी करके लाते हैं, कहीं तो नट-बोलट खोलकर लाते हैं क्योंकि उनकी ऐसी प्रवृत्ति धीरे धीरे हो जाती है। इसलिये जब आप पुलिस की संख्या बढ़ायेंगे तो बेकारी भी दूर होगी। क्योंकि जो एम.ए. पास लड़का बैठा है वह जानता है कि कान्स्टेबिल बन जाऊंगा तो रोटी का तो इन्तजाम हो जायेगा और जब एम.ए. पास का कान्स्टेबिल के लिये सलेक्शन नहीं होता है तो एक एक दिमाग चेन्ज होता है। वह यह सोचता है कि एम.ए. पास होने के बाद भी थानेदार नहीं बन पाया, एस. पी. नहीं बना पाया और कान्स्टेबिल भी नहीं बन पाया। तो यह भावना जो बेकारी की है वह दूर तब होगी जब आप मैन पावर बढ़ायेंगे और जब तक नहीं बढ़ायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, अच्छा इन्तजाम नहीं कर सकोगे।

श्री अध्यक्ष महोदय, अन्त में होमगार्ड के बारे में कुछ कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : एक मिनट होमगार्डस को सरकारी नौकरी में रखते हैं, चुनाव के समय उनको ड्यूटी में लगाते हैं उनकी न ड्रेस का पता होता है न जुराब का पता होता है, उनकी न प्रेक्टिस होती है। इसलिये वैल प्रेक्टिस देकर, अच्छी उनको ट्रेनिंग देकर जिस प्रकार से सिपाही दिखते हैं वैसे लगे, अच्छी ड्रेस हो और उनको डी.ए. जो आप दे रहे हैं और तनख्वाह जो 8 रुपये दे रहे हैं वह मिनिमम 9 रुपये कम से कम होनी चाहिये ताकि वह अपना भरण पोषण आराम से कर सकें। साढ़े तीन रुपये खाने के लिये दे रहे हैं वह कम हैं, वह कम से कम डेढ़ सौ रुपये महीने तक होना चाहिये, यदि खाने को नहीं मिलेगा तो नेचुरली काम भी वह वैसा ही करेंगे। इसलिये उसके खाने के पैसे बढ़ाये जाने चाहिये।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से अर्ज करूंगा कि आप को हमारे प्रशासन में सुधार करना पड़ेगा और प्रशासन को जो भी आप जो भी आदेश दें उसका पालन हो तभी हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम सफल होगा, जब हमारा प्रशासन चुस्त होगा।

मंत्री आदेश दे रहे हैं उनकी परवाह नहीं करते हैं ऐसे अधिकारियों को भी आपको देखना पड़ेगा, जो अच्छे अधिकारी हैं उनकी पदोन्नति करें, उनको अच्छी जगह पर रखें लेकिन जो आपके आदेशों की परवाह नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं उनको आपको ठीक करना चाहिये ताकि जनता के अन्दर भी सरकार के प्रति जो विश्वास है, बहुत अच्छा विश्वास है। वह और बना रहे

धन्यवाद।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपको रखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रति पक्ष) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने सीमा की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है । लगभग 640 माइल राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा है । हमको यह भी विचार करना पड़ेगा कि आज पाकिस्तान के इरादे कैसे हैं ? समय समय पर यह कहा जाता है कि पाकिस्तान शनैः शनैः युद्ध की तैयारी कर रहा है । परमाणु बम्ब बनाये जाने के सम्बन्ध में भी सरकारी वक्तव्यों से भी ऐसा पता लगता है है कि पाकिस्तान ने विस्फोट कर लिया है या करने वाला है । अमेरिका से लड़ाकू हवाई जहाज लेकर भी पाकिस्तान ने अपनी हवाई सेना को सशक्त बनाया है और एक आम चर्चा है कि पाकिस्तान के इरादे अच्छे नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कह सकता, भारत सरकार या राज्य के मुख्यमंत्री जी इस सम्बन्ध में मेरे से ज्यादा जानकारी रखते होंगे लेकिन हमें एक बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जब इस प्रकार के इरादे है तो उन इरादों का मुकाबला करने के लिये हमने अपनी सीमाओं पर चौकसी का किस प्रकार से प्रबन्ध कर रखा है ।

अध्यक्ष महोदय, आपको तो स्मरण होगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ । आपको यह भी याद होगा कि काफी लोगों ने उस युद्ध में पाकिस्तान की सेना का साथ दिया, हमारे गांवों पर हमले करवाये, गांवों में आगजनी करवाई, कई व्यक्तियों को लूटा गया और कई व्यक्तियों की हत्यायें की गई और उसके साथ ही इस प्रकार के तत्व युद्ध के समय हिन्दुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गये ।

मुझे याद है, अध्यक्ष महोदय, जब 1965 के युद्ध के बाद इस विधान सभा में चर्चा हुई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस सदन को विश्वास दिलाया था कि इस प्रकार के तत्वों के विरूद्ध राजस्थान सरकार जो भी कानूनी कार्यवाही कर सकती है वह करेगी और उस समय हजारों की संख्या में मुकदमें बने, उन मुकदमों का क्या हस्र हुआ मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाहता लेकिन जो लोग 1965 में गये और जिन लोगों ने 1971 की भारत-पाक की लड़ाई में पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ होकर हिन्दुस्तान के क्षेत्रों में हमलों में शामिल हुये, लूट-पाट में शामिल हुये, रास्ता बताने में शामिल हुये और यह भी किसी प्रकार से असैनिक रूप में उन्होने पाकिस्तान की फौजों का साथ दिया । यह सिलसिला चलता रहा लेकिन आज स्थिति क्या है ? वही लोग शनैः शनैः पाकिस्तान से वापिस आ रहे हैं ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह नहीं समझता कि जैसलमेर या बाड़मेर में किसी प्रकार का आकर्षण नया पैदा हुआ है जिस के कारण से लोग पाकिस्तान को छोड़कर वापिस हिन्दुस्तान में आ रहे हैं । जो लोग पाकिस्तान मे गये वह पाकिस्तान के नागरिक बने, वहां पर उन्होंने लोकल बॉडीज के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इलेक्शन में भाग लिया, राशन कार्ड उनके वहां पर बने बच्चों को स्कूलों में वहां पर दाखिल करवाया और एक प्रकार से पूरी नागरिकता उन्होंने पाकिस्तान की हासिल कर ली। और उसके बाद शनै: शनै: यहां आना शुरू कर दिया। बाड़मेर कोई आकर्षण नहीं, इससे ज्यादा संख्या में लोग बाड़मेर नहीं आये, लेकिन हजारों की संख्या में बाड़मेर पहुंच गये, ज्यादा लोग बाड़मेर से गये थे लेकिन आने वालों की संख्या जैसलमेर में ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, यदि आपने सरहद का इलाका देखा हो तो बीकानेर जिले को छोड़ कर जैसलमेर जिले में प्रवेश करते हैं। नाचना के ऊपर का क्षेत्र चाहे पांचेवाला हो भाड़ेवाला हो, वहां से लेकर आसनसोद, सादेंवाला, लौंगेवाला, तारगढ़ और उसके आगे घोटारू ये सारे इलाके के गांव 1965 में खाली हो गये थे जो थोड़े बहुत हिन्दू रह गये थे वे डरकर या तो जैसलमेर आ गये या कोई रामगढ़ आकर बस गये या नाचना आ गये या मोहनगढ़ आकर बस गये लेकिन पूरा क्षेत्र एक प्रकार से खाली हो गया। आज माननीय मुख्य मंत्री जी जो जानकारी होगी कि वह क्षेत्र खाली नहीं है। वो गांव खाली नहीं है, जिन गांवों में एक एक दो दो घर रह गये जो गांव बिल्कुल वीरान हो गये थे आज उन गांवों की संख्या वही हो गई है जो 1965 में थी। यह हालत क्यों हुई, अध्यक्ष महोदय, इसका मूल कारण केवल एक है कि राजस्थान कैनाल की धरती पर किसी प्रकार से कब्जा किया जाय। इस सदन में पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि राजस्थान कैनाल का मतलब सिंचाई करने का तो है ही लेकिन सिंचाई के साथ ही इस कैनाल के सम्बन्ध में भारत सरकार ने कई बार लोकसभा में प्रधानमन्त्री जी ने भी, कई बार लोकसभा में हमारे सुरक्षा मन्त्री ने भी और हमारे गृहमन्त्री ने कई बार ऐसे वक्तव्य दिये हैं कि राजस्थान कैनाल का महत्व केवल सिंचाई के आधार पर ही नहीं है बल्कि इसका महत्व इस काम से भी है कि पाकिस्तान ने लाहौर के पास जिस प्रकार से इच्छोगिल कैनाल बना रखी है, राजस्थान की सीमा पर इस प्रकार की इच्छोगिल कैनाल यह राजस्थान कैनाल के रूप में बन रही है। हमने सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका महत्व समझा है और इस नहर के ऊपर यदि लोग इरादा कर, योजना बनाकर इस नहर की जमीन कर कब्जा करना चाहें तो राज्य सरकार को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न को गम्भीरता के आधार पर सोचें। आज यदि रेकार्ड वहां इस प्रकार से बनाया जाय, उस रिकार्ड के आधार पर राशन कार्ड बनाये जाय, वोटर लिस्ट में नाम एण्टर किये जाय, अध्यक्ष महोदय, मामूली सी प्रक्रिया है। 1962 में चुनाव हुए, उस समय की वोटर लिस्ट देख लें, 1967 में चुनाव हुए उस समय की वोटर लिस्ट देख लें, 1971 में चुनाव हुए उस समय की वोटर लिस्ट देख लें और 1977 में जिस समय चुनाव हुए उसकी, वोटर लिस्ट यदि देखें और चारों का कम्परिजन कर लें तो आपको स्वत: ही यह मालुम हो जायगा कि कौन लोग 1965 में छोड़कर गए थे, कौन लोग 1972 के चुनाव में वापिस अपनी वोटर लिस्ट में एण्ट्री करा ली, किन लोगों ने, पुराना रिकार्ड देखलें तो किन लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर किये, किन लोगों को भगोड़ा मान

264

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर उनकी सम्पत्ति को जब्त किया था। उस आधार के ऊपर मैं राज्य सरकार से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यह मसला केवल मेरा नहीं यह मसला केवल आपका नहीं हैं, यह मसला एक बलात्कार की घटना का नहीं है, एक पुलिस फायरिंग की घटना का नहीं है, कोई डकैती का नहीं है, अपहरण का नहीं है, यह राजस्थान की सीमा की सुरक्षा का मसला है और सीमा की सुरक्षा के मसले पर कुछ लोग चाहे नाराज़ हो जाय चाहे आपको वोट चले जाय चाहे हमारे वोट जाय, लेकिन राजस्थान और हिन्दुस्तान का हित सर्वोपरि है तो हम वोट को ताक में रखकर इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि जिन लोगों ने 1965 और 1971 के युद्ध में भारत के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान का साथ दिया, क्या राजस्थान कैनाल की धरती उनको आवंटित कर दी जायेगी? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर राज्य सरकार यदि स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सके तो सारी स्थिति से भारत सरकार को अवगत कराकर हमें इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे, जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में शिक्षा ग्रहण की है जो 1965 में स्पाई के नाम से पकड़े गये, जो उसके पहले डी आई आर में पकड़े गये, जो पाकिस्तान के गुप्तचर होने के जिनके प्रमाण लोगों के पास हैं ऐसे लोग यदि हिन्दुस्तान में आकर पंचायतों का चुनाव लड़कर अगर सरपंच बन जाय तो यह राजस्थान के लिए कोई अच्छी तारीफ की बात नहीं होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसी सड़क पर, जिस पांचेवाला में एक आदमी नहीं था, 1965 के युद्ध में सब लोग भाग कर चले गये, पांचेवाला का सरपंच, दुनिया जानती है कि 1965 के भगोड़ों में है पाकिस्तान में उसने शिक्षा ग्रहण की है, पाकिस्तान का नागरिक है लेकिन आज पांचेवाला पंचायत का सरपंच बनकर बैठा है। उस हालत में हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि आखिर यह इस प्रकार की स्थिति क्यों बनी। मैं इसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं केवल संकेत करना चाहता हूं सरकार को कि सरकार इस प्रकार की स्थिति नहीं पैदा कर दे जिसके कारण से हमारी राजस्थान कैनाल जिसके निर्माण में राजस्थान की साढ़े तीन करोड़ जनता ने, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, टैक्स के रूप में पैसा दिया है, जिस राजस्थान कैनाल के निर्माण के लिए, अध्यक्ष महोदय, हमने बाकी के डवलपमेन्ट का काम रोककर राजस्थान कैनाल पर खर्चा किया है वह राजस्थान कैनाल जो हमें अन्न देने वाली है और सुरक्षा की व्यवस्था करने वाली है उसकी सुरक्षा का काम ऐसे लोगों के हाथ में नहीं चला जाय जो अन्न भी पाकिस्तान भेज दे और हमारी सुरक्षा के लिए भी जो घातक सिद्ध हो जाए, इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से हमें मनन करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, आप यदि जैसलमेर जाय तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी एजेन्सीज वहां वर्क कर रही है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज गंगानगर के किसान एजीटेशन कर रहे हैं कि हम 30 हजार रूपये का मूल्य नहीं दे सकते हैं, आज दूसरे किसान यह आन्दोलन कर रहे हैं कि हम नीलामी में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन इस प्रकार के एलिमेन्ट जो हैं जिनको न नीलामी की चिन्ता है, न कीमत की चिन्ता है, चिन्ता केवल इस बात की है कि इस जमीन पर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमारा अधिकार किस प्रकार से हो। वहां पर पैसे की किसी प्रकार की कमी नहीं है, राजस्थान कैनाल के इस इलाके का खर्चा यदि इन पाक एजेन्ट्स से सरकार लेना चाहे तो वह पैसा पूरा का पूरा पाक एजेन्ट राजस्थान की सरकार को दे देंगे। लेकिन पैसा ही हमारे लिये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिये अपनी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस आधार पर मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मसले को राजनीति से ऊपर उठकर, वोटों के आधार पर चिन्तन नहीं करके, देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस गम्भीर मसले पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल अकेला नहीं है। आज आप जैसलमेर चले जायं, मुख्यमन्त्री जी, मुझे क्षमा करेंगे मैं यह कहना चाहूंगा कि इधर तो आप चले जाइये धौलपुर के जिले में जहां के आपके राज्य मंत्री हैं, वहां सरमथुरा की हालत देखिये। मैं अभी पिछले दिनों धौलपुर गया था। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि आज सरमथुरा का क्षेत्र और खास तौर से खानों का क्षेत्र, उस पर राज्य सरकार का कब्जा नहीं है। उस पर पुलिस का कब्जा नहीं है, प्रशासन का कब्जा नहीं है, वहां डाकुओं ने अपना कब्जा कर रखा है। पिछले डेढ़ महीने से सरमथुरा में आन्दोलन हो रहा है और आन्दोलन केवल इसी बात के लिए आन्दोलन है कि हमें डाकुओं से बचाओ। डाकुओं ने फैसला कर रखा है, किसी भी खान पर चले जायेंगे, मजदूरों को जाकर कहेंगे कि तुम्हें खान पर काम नहीं करना है और यह हम तुम्हें निशान देकर जाते हैं जैसे मजदूरों को एक हाथी का निशान दे दें मजदूरों को हाथी का निशान देकर कह दिया कि जब तक तुम्हारा मालिक इसी प्रकार का दूसरा निशान तुमको नहीं दे दे उस समय तक तुम खान पर काम कहने के लिए नहीं जाओगे। जब मालिक से डाकुओं का समझौता हो जाता है वह दूसरा निशान मालिक को दे देते हैं वह निशान ले जाकर मालिक मजदूरों को बताता है और वह खान चालू होती हैं। डेढ़ महीने से आन्दोलन चल रहा है लेकिन मुझे लगता है कि डाकुओं का हम इन्तजाम नहीं कर सके। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरमथुरा का क्षेत्र आज डाकुओं के कब्जे में चला गया। मैं पूरे धौलपुर के लिए बात नहीं कहता, डकैतियां वहां पर खूब हो रही है लेकिन वहां पर तो डाकुओं का कब्जा है। उसी आधार पर मुख्यमन्त्री जी मैं कहना चाहूंगा, बात तो कटु है, लेकिन जैसलमेर जिला आपने तस्करों के सुपुर्द कर दिया है। जैसलमेर जिले में राजस्थान का प्रशासन नहीं है, जैसलमेर जिले में तस्करों का राज है। आप जैसलमेर शहर में जायेगें, जिस शहर में एक जीप किराये पर नहीं मिलती थी,, एक जोंगा गाड़ी किराये पर नहीं मिलती थी, ज्योंहि आप स्टेशन से उतरेगें आपको जोंगा गाड़ियों का काफिला खड़ा मिलेगा। मैंने खुद ने गिनती की है, नाम मेरे पास है मुख्यमन्त्री जी चाहें तो मैं नाम दे दूंगा। 47 व्यक्तियों के पास जोंगा जीपें हैं। अध्यक्ष महोदय, जोंगा जीपों के लिए फाइनेन्स करने के लिये कुछ व्यक्तियों ने जोधपुर में फाइनेन्स कम्पनियां खोल रखी है। कुछ जैसलमेर के अन्दर बैठे हैं। आप को कोई भी जोंगा खरीदनी हो वह कम्पनी आपको फाइनेन्स करती है, जोंगा खरीदो, जोंगा में तस्करी का व्यापार करो, व्यापार से जो आमदनी होती है, उससे जोंगा का कीमत चुकाओं। 47 जोंगा जीपें आज जैसलमेर जैसे छोटे कस्बे के अन्दर खड़ी हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है । कोई इनका टैक्स नहीं देता, मैदान में खड़ी हैं, रोड पर खड़ी है, सीमा पर जाती है, सीमा से जोधपुर जाती हैं, सीमा से बीकानेर जाती हैं, अहमदाबाद की तरफ जाती हैं और जितना भी तस्कर का माल वह ले जाते हैं और लाते हैं । मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि क्या 47गाडियां आप जब्त नहीं कर सकते । क्या 47 गाडियों के बारे में आप जानकारी नहीं कर सकते । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां पर प्रेक्टिली तस्करों का राज है । अध्यक्ष महोदय, जितने भी पुलिस चौकी है, डाकू हैं, तस्कर व्यापारी हैं, बी. एस. एफ. के जितने कांस्टेबल हैं जो राजस्थान में तस्करी प्रिवेंट करते हैं वहां अकेला तस्कर नहीं आता, दो तीन आदमी तस्कर व्यापार करने के लिए नहीं आते हैं सबसे बडी समस्या यह है कि पिछले दो तीन साल में इस प्रकार का डवलपमेंट हुआ है कि 40-40, 50-50, की संख्या में लोग हथियारबन्द होकर वहां पर तस्कर व्यापार करने के लिए आते हैं । एक दो आदमियों के आने वाला जमाना तो गया । ज्योंहि वह सीमा में प्रवेश करेंगे, कुछ पाकिस्तान से हथियारबन्द आते हैं कुछ हिन्दुस्तान के हथियारबन्द उनकी मदद करने के लिए शामिल होते हैं और हथियारबन्द लोग शामिल होकर तस्कर व्यापार करते हैं । आज वहां पर पुलिस के आदमियों की हिम्मत नहीं कि तस्कर व्यापारियों का मुकाबला कर ले । अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले घुराद के पास, घुणाद के पास में बी. एस. एफ. ने तस्कर व्यापारियों को रोका, सरहद पर रोका और तस्करियों ने कहा कि तुम्हें भी पैसे लेने हैं तो हमारे से बात करो । उन्होंने कहा कि हमें समझौता करना है । समझौता करना है । तो चले गए सारे के सारे तस्कर पाकिस्तान की सरहद में चले गए, बी. एस. एफ. वालों से जब वे अपनी सरहद में खड़े थे उन्होंने कहा कि हम तो आ गए, तुम्हें पैसा लेना है तो पाकिस्तान की सरहद में आ जाओ । यहां तुम्हें जितना भुगतान करना है वह हम भुगतान कर देंगे । बी. एस. एफ. के लोग पाकिस्तान की सरहद में चले गए । आपको सुनकर ताज्जुब होगा उनको गोलियों से नहीं मारा । पुलिस के चार सिपाहियों की वहीं पर हत्या कर दी । गोली चला कर नहीं मारा पुलिस को बरछों से मार मार कर निममंता पूर्वक उनकी हत्या कर दी । एक आदमी उनमें से बच गया । वे भागे, चारों के हथियार छीने, एक आदमी ने आकर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई । नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी आज तक उनके साथ किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से अभी लोगेंवाला और साबेवाला के बीच में वहां पर तस्कर व्यापारी एक एक की संख्या में नहीं आए, चालीस चालीस की संख्या में तस्कर व्यापारी आए, पुलिस से उनका मुकाबला हुआ । अभी वहां पर हमारे बी एस. एफ. के रेंजर एक्सरसाईज कर रहे थे, तस्कर व्यापारियों की इतनी हिम्मत हो गई कि उनके ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दिया । नतीजा कुछ दूसरा हुआ । फायरिंग में आदमी तो नहीं पकड़ा गया, उनके ऊंट मारे गए । ऊंट मारने के बाद उनके ऊपर जो तस्कर का माला था वह माल भी पकड़ लिया गया । यह सब कुछ घटनायें क्यों हो रही हैं ? अध्य

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, आदमी ऊंट उठा ले जाते हैं उनका पता नहीं। गायें तो आज जैसा चन्द्रवीर सिंहजी हजारों की संख्या बता रहे थे, मैं आज आपको कह सकता हूं कि पिछले दो तीन वर्षों में एक लाख से ऊपर गायें पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान में गायें जाना तो एक अपराध है ही लेकिन वह गायें वहां पर काट कर उनका मांस विदेशों में भेजा जाता है। गायें हमारी हैं और वह पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधारने के काम में आयें, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि पाकिस्तान ने अपने इलाके में बड़े 2 कस्बों में पास ही बढिया बढिया बूचड़खाने तीन जगहों पर अभी शुरु किये हैं। गायें सीधी वहां पर जाती हैं, बूचड़खाने में जाती हैं। उनका मांस पूरा का पूरा पाकिस्तान से बाहर विदेशों में निर्यात किया जाता है। पाकिस्तान की आय बढ़ती है और यह गायें ले जाने का एक बहुत बढ़िया तरीका निकल गया है। पहले या तो उठा कर ले जाते थे, या जो भी गाय पकड़ी जाय, उसकी नीलामी होती थी। जो तस्करी में खरीदते हैं, चोरी में ले जाते हैं और चोरी में ले जाक धीरे-धीरे जिस-जिस गांव में से निकलते हैं उसी गांव की पांच सात गायें पा नहीं सकते, सरहद के ऊपर ले जाते हैं। यह गायों का मामला है। अध्यक्ष महोदय, याद होगा मुख्य मंत्रीजी को कि वहां के मादरिया महाराज ने जब इन गायों की तस्करी का विरोध किया, उस विरोध के परिणाम स्वरुप भामूका गांव में सारे लोग इक्ट्ठे हुए और इक्ट्ठे होने के बाद में उनकी लिस्ट ली गई कि हमारे क्षेत्र में आसपास के गांवों की पचास हजार गायें पाकिस्तान चली गई। समझौता हुआ कि जल्दी से जल्दी गायें वापिस मंगा ली जायेंगी लेकिन आज तक एक गाय वापिस नहीं आई। ऐसी हालत में आपको विचार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमारी गायों को ले जा रहा है. और अध्यक्ष महोदय, आज तक तो एक ही आधार था कि मांस निर्यात करना पड़ता है। गाय की चमड़ी, गाय के खुर और गाय की हड्डी यहां सारे पाकिस्तान में किसी न किसी इकोनोमिक सैंटर में भेजी जाती है लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान ने एक नई योजना बनाई कि बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर के उन क्षेत्रों की, जहां नहर नहीं जा रही है, उनकी इकोनोमी को खराब करने के लिए गांव की जितनी बढ़िया गायें हैं उन सारी गायों को चाहे जितनी भी कीमत लग जाय, खरीदो और उनको पाकिस्तान ले जाओ ताकि यहां के लोगों की इकोनोमिक कण्डीशन इतनी खराब हो जाय ताकि रेगिस्तानी नहर पर लोग रहेंगे नहीं, वह सरहद को छोड़ कर गांवों में चले जायेंगे। आज आप गांवों में जाकर देख लीजिए वहां पर आज नाचना से लेकर, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर तक यह गायों का एक बैल्ट था। सबसे बढ़िया गायें वहां मिलती थी, आज गायें वहां नहीं हैं। कहां गई गायें? सब पाकिस्तान में गई। कीमत ज्यादा हो तो कोई चिन्ता की बात नहीं। गाय की कीमत अगर हजार रूपये देनी है तो देओ। इन हजार रुपयों को तो हम मांस बेच कर ले लेंगे। यहां की नस्ल नष्ट हो जावे तो यहां की इकोनोमिक कण्डीशन खराब हो जावेगी। हालत हमारी, अध्यक्ष महोदय, ऐसी है कि गुजरात सरकार ने आदेश निकाल दिया कि राजस्थान में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गायें प्रवेश नहीं कर सकती। यह क्यों आदेश निकाला? यह केवल इसलिए कि गुजरात ने अपनी सीमा पर प्रबन्ध किया है, वह अपनी सीमा से पाकिस्तान के अन्दर रणकच्छ के माध्यम से गायें नहीं जाने देते। इसलिए वह चाहते है कि राजस्थान में अगर गाय चली गयी तो सीधी पाकिस्तान जाएगी। इसको हर हालत में रोका जाय। अध्यक्ष महोदय, जितने भी एकाउण्टर हुए, मुख्य मंत्रीजी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज तक पिछले तीन वर्षों में कितने एनकाउण्टर हुए हैं, उन एनकाउण्टर्स में कितने लोगों का चालान हुआ। अध्यक्ष महोदय, बी. एस. एफ. के लोग आज शिकायत करते हैं कि हम एनकाउण्टर करने के बाद में नामजद रिपोर्ट हम पुलिस में देते हैं लेकिन सिविल पुलिस उस पर कोई कार्यवाही नही करती। आज मैं आपको कहता हूं 90 प्रतिशत एनकाउण्टर केसेज में मुलजिमों को जो नामजद किए गए हैं वह बी. एस. एफ. की कांफ्रेंस के बाद हुए हैं। बी. एस. एफ. वालों ने शिकायत की है कि 90 परसेंट केसेज का चालान नहीं हुआ। इसका मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर तस्कर व्यापारी काज दिन तक इतने प्रभावी हो गए कि आज सरकार के छोटे मोटे कर्मचारी तो डर ही गए पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डरा हुआ है अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बडी गम्भीर बात, मुख्य मंत्रीजी, वे आप से निवेदन करना चाहूंगा। मैं भी उस इलाके में गया हूं, माननीय चन्द्रवीरसिंहजी उस इलाके से हैं, वे जानते हैं कि सरहद के इलाके में या तो मुसलमान बसते हैं या राजपूत बसते हैं या मेघवाल बसते हैं या थोडी बहुत जातियां और होंगी। लेकिन आज तक मेरा अनुभव यह था कि मेघवाल भी चाहे व्यापार में उनमें शामिल हो जावें, राजपूत भी चाहे व्यापार में शामिल हो जावें लेकिन वे किसी के हुकुम से काम नहीं कर सकते। आज मेघवालों की और राजपूतों की तो आर्थिक स्थिति खराब हो गई, राजनैतिक वर्चस्व उनका खत्म हो गया। आज ये तस्कर व्यापारी राजपूतों से भी उसी प्रकार से काम लेते हैं, मेघवालों से भी काम उसी प्रकार से लेते हैं। मुझे डर है कि उन लोगों की आपने प्रश्रय नहीं दिया तो वह तस्कर व्यापारियों के सामने घुटने टेक देगें अपनी पेट की रोटी नाम पर बेचेंगे, राष्ट्रिय हित का प्रश्न उनके सामने नहीं आएगा। उन गरीबों को आपको हर प्रकार से प्रोटेक्शन देना चाहिए, इसे देने में अगर आपने कोताई कर दी तो नतीजा बहुत बुरा होगा और इस नतीजे को राजस्थान को भोगना पडेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ कि पाकिस्तान में, अभी जैसा प्रद्युम्नसिहजी कह रहे थे कि ये ही लोग नहीं हैं, सरकारी अधिकारी हैं, आई. बी. के लोग उसमें पकडे गए तस्कर व्यापार के मामले में, नारकोटिक्स विभाग के लोग उस व्यापार में पकड़े गए। छोटे मोटे-कर्मचारियों की भागीदारी उसमें रहती है, यह समझ में आती है। ये सब कुछ बातें इस प्रकार की हैं कि इस सारे क्षेत्र को तस्कर व्यापारियो से हमें बचाना पडेगा। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी से कि कोई चिन्ता की बात नहीं जैसलमेर जिला बहुत महत्वपूर्ण जिला है। वहां इन ट्रेनीज को मत भेजिए। ऐसे अधिकारियों को भेजिए जिनकी योग्यता पर, कर्मठता पर, बहादुरी पर सब लोगों को विश्वास हो और वहां जाकर सारी जनता को कोंफीडेंस में ले सकें। इसकी बहुत बडी आवश्यकता है। आपने एक जूनियर एस. पी. को, प्रमोटी को वहां

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भेज दिया। एक नया कलैक्टर आपने भेज दिया। कलैक्टर और एस. पी. में बनती नहीं। यह तो भगवान जाने की जैसलमैर की क्या कुदरत है कि जो भी कलैक्टर और एस. पी. वहां जाते है, दोनों में किसी प्रकार का कोआर्डीनेशन नहीं रहता। पहले वाले कलैक्टर ने एस. पी. की शिकायत की, एस. पी. ने कलैक्टर की शिकायत की। आज दोनों में इस प्रकार का चल रहा हैं कि इनमें आंतरिक कोआर्डीनेशन को इस प्रकार की स्थिति नहीं। मैं चाहूंगा कि जैसलमेर जिले जहां राजस्थान केनाल आ रही है, जहां हमारी सीमा सुरक्षा का प्रश्न है, पटवारी से लेकर कलैक्टर तक ऐसे आदमियों को नियुक्त किया जाय, चाहे तनख्वाह दुगुनी देनी पड़े, चाहे तनख्वाह तिगुनी देनी पड़ी छोटे कर्मचारियों को लेकिन ऐसे लोगों की नियुक्ति की जावे चिनकी राष्ट्र भक्ति पर किसी प्रकार का संदेस नहीं हो। जिनकी एफिशियेंसी पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय। एक तरफ तो यह हालत है कि पाकिस्तान से कोई आ जाओ कोई रोकटोक नहीं, पाकिस्तान से तस्कर-व्यापार कर जाओ कोई रोकटोक नहीं। जोधपुर में अड्डा बन गया, सीकर में अड्डा बन गया। सीकर में माल जाता है, तस्कर व्यापार का मूल्य जोधपुर में चुकाया जाता है। वहां से उधार लेते हैं और इसके कारण से सोना, केलकूलेटर, इलोक्ट्रोनिक गुड्स, जैसा माननीय सदस्य बता रहे है, चरस गांजा ये सब चीजे आती हैं शराब की स्मगलिंग होती है। वीडियों की स्मगलिंग होती है। उधर से टेरेलिन का कपड़ा आता है, इलायची, बादाम ये सब चीजें आती हैं। आखिर हिन्दुस्तान की इकोनोमी पर भी इसका असर पड़ता हे

एक करोड़ रुपये का यदि एक साल में तस्कर व्यापार हो गया तो आप यह मानकर चलिए कि 15 करोड़ का, मैंने केलकुलेट किया है कि एक करोड़ में पचास लाख का नुकसान होता है। चाहे भारत की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, आर्थिक दृष्टि से नुकसान, सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से भी नुकसान हो, एक जिले के अन्दर तस्करों का कब्जा हो जाए इस दृष्टि से मनोबल भी जनता का गिरे, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इन मसलों पर गम्भीरता से विचार करे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में एक और बात कहना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों जैसलमेर और रामगढ़ में गया था। मुझे पता लगा कि पाकिस्तान से लगभग 48 व्यक्ति जिनमें 25 तो बच्चे हैं ढाई महीने से यहां पर है। उनमें नो औरतें और 14 मर्द हैं। एक व्यक्ति की आयु 90 वर्ष, एक की 80 वर्ष, तीसरे की 76 वर्ष बाकी की 55 वर्ष और इससे कम। यह आदमी पाकिस्तान की सरहद से निकल कर तनोद में आ गये। तनोद में इनको कहा कि तुम वापिस चले जाओं, यह वापिस नहीं गये। अब तनोद से चलकर रामगढ़ आ गये। वहां की पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया उस समय जसवंत सिंहजी, एम. पी. वहां पहुंच गये। उन्होंने कहा कि जिनको गिरफ्तार किया है इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ, इनका चालान करो, लेकिन पुलिस ने जिद् करके, इन गरीब परिवारों को जो यह दास्तान सुना रहे थे कि यदि हमको पाकिस्तान में भेज दिया गया तो जैसे

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बूचड़खाने में जानवरों को मारा जाता है वैसे हमें मार दिया जायेगा । उन सारे लोगों को पकड़ कर रामगढ़ से बार्डर पार करा दिया । मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि कौन सा कानून है जिस कानून के अन्तर्गत आप बार्डर पार करवा दें । आप, कोई सीमा में प्रवेश करता है तो पुशबेक कर सकते हैं लेकिन push back not from the interies of Ramgarh. 56 किलोमीटर जहां सीमा है, 55 किलोमीटर तक लोग अन्दर आ गये और 55 किलोमीटर आने के बाद पुशबेक करें यह पुशबेक की कोइ थ्योरी नही, इमीग्रेशन एक्ट है उसके अन्दर आप चालान कर सकते हैं, पासपोर्ट एक्ट के आप चालान कर सकते हैं, लेकिन गरीब हिन्दू आ गये, पाकिस्तान से तंग होकर आ गये, उन लोगों को हिन्दुस्तान में शरण नहीं दे, मार-मारकर सीमा पार करवाकर पाकिस्तान में निकाल दिया कितना बड़ा अन्याय किया है वहां की पुलिस ने, जो किसी भी रूप से क्षम्य नहीं है । मैं हिन्दु-मुसलमान के आधार पर नहीं कहता लेकिन पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वह उन गरीबों के कारण नहीं हुआ । पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था तो करोडों की संख्या में हिन्दु छोड़कर आये थे । कुछ गरीबी के कारण और कुछ अन्य कारणों से वहां रह गए । आज उनके साथ यदि ज्यादती की जाती है, उनकी मां-बहनों की इज्जत लूट ली जाये, बच्चों को गुलाम बनाया जाये, अच्छे भले परिवार-वालों को टट्टी उठाने का काम दिया जाए, कोई व्यक्ति पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता । और यदि आता है तो यह भारत सरकार की जिम्मेदारारी है कि उनको धक्के देने के बजाय छाती से लगाये मुझे खेद है मुख्य मंत्रीजी आपकी पुलिस ने उनको छाती से नहीं लगाया, उन सारे गरीब परिवारों को पाकिस्तान भेजकर बूचड़खाने में कटवाया । इस जिम्मेदारी का पाप आपको लगेगा और किसी को नहीं लग सकता । अध्यक्ष महोदय, इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान से लोग आ जाय, पाकिस्तान वाले हमारे इलाके से जानवर ले गये, कोई चिन्ता की की बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस समय पाकिस्तान में जिअो सिंध का आंदोलन चल रहा था, सौभाग्य की बात है कि पीर पीगारो जिया साहब के साथ था । पीर पीगारो जियो सिंध आन्दोलन में साथ नहीं है । पीर पीगारो के मुरीद जैसलमेर में बैठे हैं, बाड़मेर में बैठे हैं । दूसरी चीज यह है कि चूंकि जिया उल हक से सम्बन्ध था इसलिए जिअो सिंध आन्दोलन में भाग नहीं लिया, परिणाम क्या निकला ? उन मुरीदों ने और तो कुछ किया नहीं, लेकिन जिस समय पाकिस्तान ने बुलाया वे चले गये दो तीन महीनों के लिए और वह भी बिना पासपोर्ट के । यह पुलिस क्या कर रही है मेरी समझ में नहीं आता । दो-दो, तीन-तीन महीनों तक पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आये और खाली नहीं आए, ट्रेनिंग के बाद में वह हथियार लेकर आये । आज जैसलमेर के किसी भी गांव में चले जायें, बाड़मेर के किसी भी सीमावर्ती गांव में चले जायें सब लोगों के पास हथियार हैं और बिना लाइसेंस के हैं । केवल इतना ही नहीं है, अध्यक्ष महोदय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पाकिस्तान से हथियारों का जखीरा हिन्दुस्तान में आता है। आज तक हम तलाश कर रहे हैं कि पंजाब में हथियार कैसे आये, राजस्थान में हथियार कैसे पहुंचे, असामाजिक तत्वों के हाथों में हथियार कैसे पहुंचे। अपने आप पता चलेगा कि पाकिस्तान की सरहद से निकल

(रात्री 8.25)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति पीठासीन)

कर ये आते हैं, असामाजिक तत्वों में उनका वितरण होता है। आप पाकिस्तान के किसी भी गांव में चले जाये आपको हथियारबंद लोग देखने में मिलेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि इनके पास हथियार कहां से आ गए। किस ने हथियार उपलब्ध करवाये हैं तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हथियार उनके पास हैं। पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति और पाकिस्तान की हमदर्दी इनके साथ है। हिन्दुस्तान में यह तस्करी का व्यापार करके वह इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं जिससे हिन्दुस्तान का आर्थिक नुकसान हो, लोगों में राष्ट्रीयता के प्रति भावना नहीं रहे, वह भावना खतम हो जाय। एक सबसे बड़ी समस्या जो मैं मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि वह अपनी पुलिस की मार्फत एक व्यवस्था करके चलें। मुझे जानकारी है कि अगर बी. एस. एफ. के लोग पकड़ते हैं तो सिविल पुलिस यह कहती है कि हमारा सोर्स है, हमारा इन्फारमर है, यह हमारा कैरियर है इसे मत पकड़ो। इसी तरह यदि सिविल पुलिस ने किसी को पकड़ लिया तो बी. एस. एफ. वाले कहेंगे कि यह हमारा इंफार्मर है, यह हमारा सोर्स है, यह हमारा केरियर है। एक ऐसा गन्दा वातावरण जैसलमेर और बाड़मेर के जिलो में बना हुआ है जिसके कारण पुलिस चाहे तो भी एक्शन नहीं ले सकती। एक पुलिस ने गिरफ्तार किया दूसरी पुलिस कहेगी कि हमारा सोर्स है मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सोर्स के सम्बन्ध में जानकारी नहीं देना, यह तो ठीक है, लेकिन वह तस्करी का व्यापार करे, वह तस्कर व्यापारियों के साथ आ सकता हैं, लेकिन अकेलो तस्करी व्यापार करते हुए पकड़ा जाये और इस बहाने से उसको छोड़ देंगे कि यह सोर्स है। इस सोर्स के नाम पर कैरियर के नाम पर और इंफारमर के पर जो काम हो रहा है इस पर सरकार को बड़ी सख्ती से विचार करना पड़ेगा। यदि सोर्स कोई तो मुझे नहीं बताए यह समझ में आ सकता है, मुख्य मंत्रीजी को नहीं बताए यह समझ में आ सकता है लेकिन बी. सी. एफ. के आई. जी. के पास लिस्ट होनी चाहिए, कि यह हमारा सोर्स है राजस्थान के डी. जी. के पास सिविल पुलिस के कौन-कौन सोर्स हैं उनकी लिस्ट होनी चाहिए। डी. आई. जी. सी. आई डी. के भी पास लिस्ट होनी चाहिए। टैली करनो चाहिए. टैली कोई नहीं होती। यह सरकार का सारा सत्यानाश आज सीमा पर कर रहे हैं। इस सोर्स से भी बचने की आज हमको आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की सरहद के ऊपर चाहे सीमा पारियों का मामले हो, चाहे तस्करी का मामला हो, चाहे स्मगलिंग का

(272)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मामला हो। यह तस्करी का मामला केवल आदमियों तक नहीं रहा, सोना, चांदी तक नहीं रहा, आपने सुना होगा जोधपुर में आर्मी हैड क्वार्टर से कारतूस निकले गये और वह पाकिस्तान चले गये। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, वायुसेना के लोगों ने एक्सप्लोसिव ःमीन में गाड़ दिये केवल इसलिए कि इनको पाकिस्तान में तस्करी करके वहां बेचना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि यह तस्करी का, स्पाइंग का सम्बन्ध जैसलमेर और काश्मीर के बीच में है। अभी पिछले दिनों में स्पाइंग करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके पास में कर्नल और मेजर के लिए प्रेसक्राइब बुक्स हैं, जिस पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया लिखा हुआ है, प्रस्फाइल्ड बुक्स फोर मेजर एंव कर्नल्स, वह किताबें पकड़ी गयी। जब उससे पूछा कि किताबें कहां से लाये, तो उस ने कहा कि मैं कश्मीर से किताबें लेकर आ रहा हैं मुझे एक आदमी का पता दिया गया और आगे भेजनी है इसके लिए मुझे बीस हजार का पेमेंट हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि स्पाइंग, स्मगलिंग इन दो चीजों को रोकना है। लेकिन पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान के इस राजस्तान कैनाल के ऊपर किसी प्रकार का कब्जा नहीं कर लें, इसके ऊपर भी हमें गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी कई भाषण हुए.... मैं पांच मिनट इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते कि पुलिस का मनोबल गिरे, हम यह भी नहीं चाहते कि पुलिस के प्रति जनता में किसी प्रकार का अविश्वास हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से पुलिस का भी मनोबल टूट गया और किसी न किसी कारण से जनता का भी पुलिस पर विश्वास नहीं है। आज से दो दिन पहले मुख्य मंत्रीजी ने एक्सट्रीमिट्स की एक्टीविटीज पर भाषण देते हुए जनता के सहयोग का आह्वान किया। मैं मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जनता और पुलिस के बीच में जब विश्वास पैदा नहीं होगा आपके और मेरे आह्वान की कोई वक्त नहीं होगी। आह्वान तो जभी कारगर होगा जब लोगों में विश्वास पैदा होगा कि हम जिस पुलिस का सहयोग करना चाहते हैं पुलिस वास्तव में हमारी मदद के लिए हैं। वह असामाजिक तत्वों का विरोध करेगी, गलत काम करने वालों को पकड़ेगी लेकिन जहां इस तरह का अविश्वास पैदा हो गया सरकार का पहला कर्त्तव्य है कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास पैदा कर इस तरह की स्थिति उत्पन्न करें। जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं उनको सजा दे।

(8.30 रात्रि)

(श्री पूनम चन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और यहां यह प्रवृत्ति छोड दें कि चूंकि विरोधी पक्ष कह रहा है, और विरोधी पक्ष कह रहा है इसलिए इनकी बात तो नहीं मानेंगे, हमारी बात तो आप नहीं मानोगे तो वह हमको सजा नहीं दे रहे हो। हमारी बात को नहीं मानोगे तो हमें डिमोरलाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन जिसने अपराध किया है उसका तो मोरल लूज कर रहे हो और पब्लिक, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उस पब्लिक को आप डिमोरलाइज करके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पुलिस और पब्लिक के बीच खाई पैदा कर रहे हो। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी, आपको कि आप इस आदत को छोड़ दें कि उधर बोलना है तो पुलिस के पक्ष में बोलना है। हमें उपदेश दिय गया कि आप लोग पुलिस के खिलाफ बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तो अपनी अनप्लेजेंट ड्यूटि होती है। विरोधी दल यदि सरकार की कमीयों को उजागर नहीं करे तो इस सरकार को भी पता नहीं लगेगा कि कमियां क्या हैं, इसलिये हमारा कर्त्तव्य है हम न जोशी जी के उपदेश से दबने वाले हैं, चाहे और माननीय सदस्यों ने जो उपदेश दिये उनका हम पर कोई असर नहीं होने वाला। जनता ने यदि हमें विरोधी पक्ष में भेजा है तो सरकार के जितने भी ओमीशंस और कमीशन होंगे उनको निश्चित रूप से यहां एक्पोज करेंगे इसमें किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। लेकिन इसके कारण से यदि आप ऐसा समझते हैं कि हम पुलिस को डिमोरलाइज कर रहे हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कारण से पुलिस में डिमोरलाइजेशन नहीं आ रहा है, पुलिस में डिमोरलाइजेशन इस कारण से आ रहा है कि यदि कोई पुलिस वाला बाखली का काम कर दे, पुलिस वाला किसी चोर या डाकू को पकड़ ले तो उस हालात में क्या स्थिति होगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि ऐसी स्थिति में न आज पुलिस वाले हैं न सरकार है। आज डाकुओं का मुकाबला-जैसे कल ही आपके गुलाबपुरा में यह सारा कांड हुआ। गुलाबपुरा में पुलिस को भी सूचना मिली और गुलाबपुरा में स्पिनिग मिल को भी टेलिफोन से सूचना दी। बैंक मैनेजर की वाइफ, ने जिसका टेलिफोन सुरक्षित था, कट नहीं पाया, उसने पहला टेलीफोन किया पुलिस को। दूसरा टेलीफोन किया गुलाबपुरा स्पनिंग मिल को। स्पिनिग मिल में ये चारों चार्टर्ड अकाउन्टेंट बैठे थे यह अपनी कार लेकर बैंक पर पहुंचे। पहले पुलिस को टेलिफोन किया पुलिस वहां लेट पहुंची। अगर पुलिस उसी समय पहुंच जाती, और पहुंची भी, अध्यक्ष महोदय, पुलिस के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। जिस समय पुलिस वहा पहुंची उस समय तक उन्हीं चारों चार्टर्ड अकाउन्टेंट की गाड़ी उसी गाड़ी बैठकर वह चले गये। इसका मतलब उनके पास आसपास में कोई सवारी नहीं थी।

श्री देवेन्द्र सिंह : बैंक और मिल और थाने की कितनी दूरी है इसका अहसास नहीं है आपको, इसलिये आप यह बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत ; देखिये, आप न बोलें तो अच्छा है। मुझे आपसे ज्यादा ज्ञान है, दूरी कितनी है यह भी मुझे पता है, थाना कहां है यह भी मुझे पता है। वहां कि जिस स्पिनिंग मिल का आपने कुंडा किया वह भी मुझे मालूम है कहां है। वह बैंक कहां है वह भी मुझे मालूम है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है।

श्री देवेन्द्र सिंह : जिस मिल का आप सोच रहे हो वह मिल ही नहीं है। वह मिल और दूसरी और है और इसके और उसके....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : हां, वह दोनों मिल मेरी देखी हुई है। खारी ग्राम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का बैंक मेरा देखा हुआ है। खारी ग्राम के आसपास की दुकानें मेरी देखी हुई हैं। तो उसमें आपको यह कहने की जरूरत नहीं है। देरी का और दूरी का यह चक्कर नहीं है। यह सही है कि स्पिनिंग मिल के पास है और वह थाने से दूर है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि थाने से दूर होने के बाद सात मिल जाकर वे गाड़ी छोड़ कर आगे चले जाय, अध्यक्ष महोदय, एक जीप में इनका पीछा किया और जीप से मांडल तक जाकर वापस आ गये। मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की अगर इनएफीसियेंसी आपको दिखाई देती है तो पुलिस वालों को बख्शन नहीं चाहिये। यदि पुलिस ने अच्छा काम किया है तो आप उनको ईनाम दें, हम सबको खुशी होगी, पुलिस वालों का मोरल बूस्ट-अप होगा और जिन्होंने गड़बड़ की है वह डिमोरलाइज होंगे। वह महसूस करने लगेंगे कि हमने यदि कोई किसी तरह की गड़बड़ की तो सरकार उसके लिये भी साव-धान है। मैं इस आधार पर इन मामलों में नहीं जाना चाहता, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में यदि आपको कांफि-डेंस रेस्टोर करना है तो एक तो न्याय प्रिय, न्याय संगत और इस प्रकार की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी, जो करे उसको अच्छा और जो नहीं करे उसको सजा।

इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस वालों की हालत के बारे में भी निवे-दन करना चाहता हूं। यहां पर जिस समय जनता सरकार थी उस समय एक पुलिस कमीशन नियुक्त किया। पुलिस कमीशन ने कुछ सिफारिशें की। पुलिस की कंडीशन्स क्या है, उस संबंध में कुछ जिक्र किया। जिक्र करने के बाद में पिछले चार वर्षों में हालात बहुत ज्यादा खराब हुए। आज यदि हम पे-स्केल्स की तुलना करें, प्राइस एक्स-क्लेशन के आधार पर उसकी चिन्ता करें, 1980 में प्राइसेज क्या थीं, 1980 में पुलिस के सिपाही को कितना वेतन मिलता था, कितनी सुविधायें मिलती थी, आज हम उसको कितना वेतन, दे रहे, कितनी सुविधायें दे रहे हैं। प्राइस के आधार पर 1980 में जो तनख्वाह मिलती थी। उससे भी कम आज उसको तनख्वाह मिलती है। कोई आदमी, मुख्य मन्त्री जी, अपना शरीर अपने बाल-बच्चों को छोड़ कर मरने के लिये अपने आपको नहीं सोंपेगा। यदि सरकार उसकी जिम्मेदारी लेती हो, सरकार आज यह घोषणा कर दे कि कोई पुलिस वाला यदि एनकाउंटर में मारा गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार लेगी, उसके परिवार की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार लेगी। उसके साथ ही पे-स्केल्स के बारे में....

श्री अमराराम चौधरी : यह तो सरकार ले रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मुझे मालूम है, आप तनख्वाह दे रहे हो। मुझे मालूम है मेरे से छिपा हुआ नहीं है। तन-ख्वाह के लिये कोई मरे? मरने के बाद में जब तक वह रिटायर नहीं हो उसको जितना भी पे-स्केल का लाभ होता है वह उसको मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी। यदि आप इस सारे को टोटल कर दें तो कितना रूपया होगा? 20-25-30 हजार। आज एक आदमी 50 वर्ष की उम्र में बंदूक चलाये तो 5 वर्ष की तो आपने तनख्वाह दे दी और आगे की आपने पेंशन दे दी, उससे को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मरना चाहेगा। इसलिये ऐसे मौके पर जब हमें डाकुओं से मुकाबला करना है, असामाजिक तत्वों से मुकावला करना है, एक्सट्रेमिस्ट्स का मुकाबला करना है तो पुलिस के बारे में घोषणा करनी पड़ेगी कि कोई जवान यदि इस मुकाबले में मारा गया, अब वह जिम्मेदारी किस सीमा तक हम लें उसके ऊपर विचार करके घोषणा करनी पड़ेगी। साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के सिपाहियों की 1980 का आधार मान लें, 1977 को आधार मान लें, 78–79 को आधार मान लें, एक प्राइस इंडेक्स को आधार मान कर हमें पुलिस के सिपाहियों के बारे में चिन्ता करनी पड़ेगी कि उस इंडेक्स के आधार पर 1984 में उसकी पे-स्केल क्या होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, कई बार जब मैं देखता हूं कि पुलिस के सिपाही, जब हम यहां से बोलकर जाते हैं, कई बार कहते हैं, यहां खड़े हुए सिपाही कहते हैं, हमारी आलोचना तो कर रहे हो हमें मिलता क्या है इसके बारे में इस सदन में कोई चिन्ता नहीं होती है। हमारे कपड़ों की क्या हालत है, हमारे मेस अलाउन्स की क्या हालत है, हमारे बच्चे हैं, हम पढ़ायें क्या इसकी क्या हालत है, हमारे घर बार की हालत क्या है, हमें किसी प्रकार की कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती। जब थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं तो सब जगह चर्चा होती है। मैं, मुख्यमन्त्री जी, कहना चाहूंगा आज सबसे बड़ा चैलेंज राजस्थान की सरकार के सामने शिक्षा का विस्तार किया जाये, यह नहीं है। आज यह चैलेंज नहीं है कि पंचायतों को आप ऋण बांटें यह आपको चैलेंज नहीं है कि कितने चिकित्सालय और औषधालय खोले जायें, आज राजस्थान की सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है तो ला एण्ड आर्डर की स्थिति को किस प्रकार से कन्ट्रोल किया जाय, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के लिये यदि राजस्थान की सरकार को पुलिस के सिपाहियों को ज्यादा वेतन देना पड़े तो दीजिये, पुलिस के सिपाहियों को भत्ता ज्यादा देना पड़े तो दीजिये। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इस समस्या का समाधान करने के लिये, इनकी तनख्वाहों, वेतन का, इनका सारा ढांचा सर्विस कंडीशंस का, इस पर विचार करने के लिये कोई कमीशन नियुक्त करनी की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन सरकारी स्तर पर जो पहले व्यवस्था हुई थी 1978 और 1979 में, उस व्यवस्था के आधार पर जो डिस्ट्रिक्ट्स में दरबार लगने की व्यवस्था थी हर महीने, उनकी कौंसिल बनी हुई थी उस कौंसिल में डी. जी. बैठते थे, उस कौंसिल के बारे में क्या हुआ? पिछले तीन वर्षों में तो कौंसिल को भूल गये, पिछले तीन वर्षों में दरबार भूल गये, ना पुलिस के सिपाहियों की कोई समस्याएं सुनता का उनका समाधान होता। जब उनके सामने समस्या हो और उनकी सुनवाई नहीं होती तो वे भी अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार नहीं होते। यह तो दोनों के बीच में तालमेल बैठाना पड़ेगा। इसलिये मुख्यमन्त्री जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके आपकी एडवाइस के लिये या सही स्थिति की जानकारी के लिये कुछ लोगों की एक कमेटी बनाये जो पुलिस के कर्मचारियों से बात करे कि उनकी समस्याएं क्या है और उनका

(276)

(भैरोंसिंह शेखावत)

समाधान किस प्रकार से किया जायेगा। थोड़े वे एक्टिव होंगे, थोड़ा सरकार को निष्पक्ष होना पड़ेगा और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा, और जिस सहायता और सहयोग का आपने आह्वान की किया है उस आह्वान की पूर्ति होगी। नहीं तो यह थोथे भाषण कागजों में रह जायेंगे और समस्या का समाधान नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस और जिला प्रशासन सम्बन्धी मांगों पर सदन में विचार हो रहा है। मैंने पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों और प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, के विचार सुने। मुझे बड़ा अफसोस है, मान्यवर, कहते हुए कि प्रतिपक्ष के नेता को पाकिस्तान की तरफ से बड़ा खतरा है। मान्यवर, आज तक हमारी नेता के अलावा और हमारे दल के लोगों के अलावा, हमारे दल के महामन्त्री श्री राजीव गांधी के अलावा किसी भी प्रतिपक्ष के नेता ने पाकिस्तान की तरफ से खतरे की कोई बात कही हो तो आप स्वयं इसके लिये साक्षी हैं। आज वे इस बात का राग अलापते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमें बड़ा खतरा है। पाकिस्तान से जासूसी हो रही है और पाकिस्तान से स्पाइंग हो रही है, पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही है और लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार को हो रहा है। यह, मान्यवर, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के ख्याल और विचार न केवल खोखले और आधारहीन हैं बल्कि इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यदि इस वक्त कहीं से भारत को खतरा होगा तो उसी दिशा से सबसे पहले भारत को खतरा होगा जिधर से माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं। यही कह रहे हैं, राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से एक बार किसी ने यह आवाज नहीं उठायी। आज हमारे प्रदेश की और देश की तमाम सीमायें सुरक्षित हैं और देश की सीमाओं में हमारे प्रदेश की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। मैं इसके लिये दाद दूंगा प्रशासन को, पुलिस को, हमारे मुख्य मन्त्री जी को, गृह मन्त्रालय को कि इस सम्बन्ध में पूरी चौकसी बरती जा रही है। मान्यवर, पिछले दो सालों में प्रशासन ने एक दिशा निर्देश प्रदेश के अन्दर दिया है। पहले कांग्रेस का शासन रहा है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं, वे भी जब इधर बिराज रहे थे, राजस्थान को दिशा निर्देश दिया था। लेकिन पिछले दो सालों में जो एक दर्शन शासन को देना चाहिये, वह दिया है और वह यह कि पहले हमने, हमारी सरकार ने, प्रशासन गांवों की ओर मोड़ा और गांवों के अन्दर एक काम नहीं अनेक काम हुए। गांवों की काया पलट हुई। लोगों में यह धारणा थी कि प्रशासन जयपुर में था, जिला हैड क्वार्टर पर था, तहसील हैड क्वार्टर पर था, लेकिन प्रशासन गांवों की ओर मोड़ा गया, गांवों की समस्यायें वहां हल हुई। उसके बाद शहरों की तरफ प्रशासन मुड़ा। शहरों के अन्दर उन गरीब लोगों को जिनको पट्टे तत्कालीन सरकारें, जयपुर

(रामनारायण चौधरी)

जोधपुर और 22 रियासतें जिन गरीब लोगों को पट्टे नहीं दे सकी थी, वह प्रशासन शहरों की ओर के कार्यकाल में गरीबों को एक-एक रुपये में, दो रुपये गज में, एक रुपये गज में कुल एक रुपये में पट्टे मिले हैं, वह एक दिशा थी जो जो राजस्थान सरकार ने दी और उससे प्रदेश की जनता लाभान्वित हुई। मान्यवर, हमारी पुलिस के मामले में माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जनता से सहयोग का आह्वान किया। प्रतिपक्ष से आह्वान किया। मान्यवर, इन दिनों जो कुछ घटनायें घटी हैं, ला एण्ड आर्डर की दृष्टि से उनको आम हालात से अलग रखकर विचार किया जाना चाहिये। जयपुर के अन्दर श्री प्रदीप माथुर का पैट्रोल पम्प लूटा गया। उसके बाद उसी जिले के अन्दर डकैतियों का चैन बना। वह इस बात का कोई संकेत है कि कोई कान्सप्रेसी है, कोई षडयन्त्र है जो हमारे राजस्थान के अन्दर ला एण्ड आर्डर को चुनौती देने वाला कोई गिरोह है, एक साजिश है। तो यह इन घटनाओं को जो तीन चार दिन घटी है उन घटनाओं को आम ला एण्ड आर्डर से आप इसको नहीं जोड़ सकते। यदि आप देखेंगे कि भीलवाड़ा के अन्दर जो डकैतियां हुई उसके अन्दर एक साम्प्रदाय विशेष के लोग उसके अन्दर थे। यह देहशत पैदा करने के लिये, चायोटिक कण्डीशन्स प्रदेश से पैदा करने के लिये और केवल भीलवाड़ा जिले के अन्दर ले जाकर के उन घटनाओं को जोड़ा गया और वह इसलिये जोड़ा गया कि वह मुख्य मन्त्री का जिला है और जो पैट्रोल पम्प सांगानेर के पास लूटा गया उसका सम्बन्ध भी मुख्य मन्त्री के साथ होने से लोगों के अन्दर दहशत पैदा करने की कोशिश की गई कि इतने बड़े व्यक्ति का पैट्रोल पम्प भी सुरक्षित नहीं हैं, जान माल सुरक्षित नहीं और मुख्य मन्त्री के जिले के अन्दर भी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करने की एक साजिश है। अखिल भारतीय स्तर पर जो देश के अन्दर विघटन, अलगाववादी प्रवृत्तियां बढ़ रहीं हैं, उभर रही हैं उन्हीं का एक हिस्सा प्रतीत होता है। अगर वह माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने, मैं ने भी अखबारों में पढ़ा था, आशंका व्यक्त की थी कि हो सकता है कि पंजाब के जो उग्रवादी है उनका इस घटनाओं के अन्दर हाथ हो और इसको कोई इंकार करके नहीं चल सकता कि हाथ नहीं है। लेकिन, मान्यवर देखिये जिस तरकीब से इस प्रकार की घटनायें उस जिले में हुई हैं जहां पर उस सम्प्रदाय के, उस धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं जिनका सम्बन्ध आज आप पंजाब मे जोड़ते हैं। हालांकि घटनाओं में यहां के लोग हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं यदि दूसरे जिले में होती तो उसकी प्रतिक्रिया हो सकती थी उस प्रतिक्रिया को रोकने के लिए, क्योंकि उस सम्प्रदाय के लोग वहां नहीं हैं, अगर उस बाहुल्य के अन्दर जहां इस प्रकार के लोग हैं चेन एक्शन होने की सम्भावना हो सकती थी, जिस खूबी के साथ में इस षडयन्त्र को रचा गया था। इसलिए उसको भी हमारी पुलिस हमारे प्रशासन और हमारी सरकार बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ में इसको डील कर रही है। इसके लिये मैं सरकार को प्रशासन को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि पिछले वर्षों के अन्दर जो हमने आंकड़े देखें है, मान्यवर, लूट, डकेती, चोरी और घरों में जो संगीन

(श्री रामनारायण चौधरी)

वारदातें हुइ हैं उनके अन्दर गत वर्षों के मुकाबले में, पिछले वर्षों के मुकाबले में साढ़े तीन प्रतिशत कटौती हुई है, कमी हुई है और साढे तीन प्रतिशत की कटोती, इस प्रकार के जघन्य अपराधों के अन्दर कमी का होना इस बात का संकेत है कि राजस्थान के अन्दर ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था और स्थिति बहुत मजबूती के साथ चल रही है। मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना।

चाहता हूं कि आज हालत यह हो गई है कि प्रतिपक्ष और हमारे विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों की होली के वक्त में अखबारों में उपाधियां निकालते हैं और उसमें ऊपर पहले ही यह लिख देते हैं कि बुरा न मानना होली है तो होली की उपाधि देते समय नाराज न हों जैसे ही यह हो गया, बुरा मत मानना विरोधी दल हैं, कुछ न कुछ ऐसा ही कहना पड़ता है जो सच नहीं है सच के अलावा कुछ नहीं है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, आज उसको निभाया जाना चाहिये था आज असम की समस्याओं के बारे में देश के आम संदर्भ में, मान्यवर, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। वह प्रदेश भी देश का हिस्सा है और प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, ने भी इसी संदर्भ में यह बात कही आज इस देश के अन्दर असम जैसी ज्वलंत समस्या के बारे में प्रतिपक्ष के कोई भी नेता ने कोई कोन्क्रीट सुझाव देश के सामने, सरकार के सामने पेश नहीं किये। आज पंजाब बंद रहा लेकिन प्रतिपक्ष का कोई भी नेता मजबूती के साथ और सजींदगी के साथ कोई प्रस्ताव सामने नहीं लाना चाहता, कोई राय नहीं देना चाहता कि इसका समाधान किया हो। इसके लिए एक ही बात रटी रटाई बात कि सरकार समस्या को सुलझाना नहीं चाहती। किसी भी प्रतिपक्ष के नेता ने किसी भी तरह का अभी तक चाहे पंजाब के बारे में, चाहे असम के बारे में किसी भी दल ने अभी तक तक कोई सुझाव नहीं दिये हैं। प्रतिपक्ष के के नेता कह रहे थे, अभी एक परिवार का जिक्र कर रहे थे कि एक परिवार किस प्रकार से सीमा पर आया उसको वहीं धकेल दिया जाना चाहिए था लेकिन सीमा के अन्दर आ गया तो उसको वापिस धकेल दिया। मुख्य मंत्री जी से जवाब तलब कर रहे थे कि मुख्य मंत्री जी जवाब दीजिए, कि उनको उस वक्त पुश बैंक किया जा सकता था जब वे अन्दर आ रहे थे लेकिन जब वे अन्दर आ गये तो आपने पुश बैंक कर दिया अब. मान्यवर, समझ में नहीं आता दूसरे देश के नागरिक चाहे किसी भी धर्म, जाति के हो हमारा विश्वास है कि यह देश हिन्दुओं का हैं, मुसलमान का है, सिखों का है, पारसियों का है, जैन और बौद्ध का है और महात्मा गांधी का देश है, पं. जवाहरलाल नेहरू का यह देश है इसके अन्दर कोई जाति का सवाल नहीं। मुझे अफसोस होता है प्रतिपक्ष की बात सुनते हुए, मै उनसे पूछना चाहता हूं अगर वे किसी दूसरे धर्म के होते तो क्या होता? जब उनको उधर धकेल सकते थे तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी। फ़िर असम में क्या समस्या है, असम में यही समस्या है। बंगाल के अन्दर लोग पीड़ित थे वे हिन्दुस्तान में आने लगे। वे लोग दुखी थे, पीड़ित थे, उस पीड़ा को बरदाश्त नहीं कर सकें तब अन्दर आ गये। आज वही समस्या है। तो समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की बात विपक्ष के नेता लोग मानकर चलते हैं, कितने भ्रमित हैं। मान्यवर, प्रतिपक्ष

(श्री रामनारायण चौधरी)

मजबूत बन नहीं पाया । इसका दोष कांग्रेस सरकार पर है ? पं. जवाहर लाल नेहरू के वक्त में प्रतिपक्ष ने कहा था कि आप प्रतिपक्ष को मजबूत नहीं बनने देते तो पंडित जी ने कहा कि प्रतिपक्ष मजबूत नहीं बनता इसकी हमारी जिम्मेदारी हैं कि हम प्रतिपक्ष को मजबूत बनायें । प्रतिपक्ष को जनता नहीं चाहती । इसके बावजुद भी आचार्य कृपलानी जैसे व्यक्ति को पं. जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की तरफ से अपोजीशन नहीं किया था प्रतिपक्ष को मजबूत बनाने के लिये । और यहां पर मान्यवर, आप देख रहे हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता था कि माननीय, प्रतिपक्ष के विचार कितने सकीर्ण विचारधारा के हैं, मुझे मालुम तो पहले से ही था लेकिन इतने गिरे हुए हैं यह मालुम नहीं था । किस तरह से सदन में उन्होंने थोथी बाते कही हैं तो ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिये । मैं कहता हूं सरकार ने और पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो इस देश का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिक है वह किस प्रकार से देश के अन्दर आ सकता है, उसको आने की इजाजत नहीं दी जा सकती इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है । तो मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था ला एन्ड आर्डर आम देश का, पूरे देश का सन् 1977 के बाद और 1980 के बीच में जो देश की हालत बिगड़ी और उसके साथ प्रदेश की हालत बिगडी और सम्पूर्ण देश की हालत बिगडी है । मान्यवर, उस समय के हालात के बारे में आप तो स्वयं पढ़ते रहे हैं और हम सुनते थे । मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब प्रति पक्ष के नेता यहां चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजते थे तब तो जबरदस्त तरीके से पुलिस की वकालत करते थे कि पुलिस नेक है, उसकी नियत पर सन्देह नहीं किया जा सकता है, सिन्सयरिटि हैं, वफादारी है और आज पुलिस का विरोध कर रहे हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1977 से 1980 के बीच मैं मान्यवर, ला एन्ड आर्डर की ही नहीं, देश की आम इकोनोमी देश की अर्थ व्यवस्था ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश का विकास जनता पार्टी के शासन में जो ठप्प हुआ था और बिगडा था, सरकार चल नहीं रही थी, सरकार लंगडी हो गयी थी, बैठ गई थी, गिर गई थी और उसके बाद उसको गति देने के लिये सन् 1980 मै एक जलजला आया और उसके बाद देश में हालात सुधरे हैं । और मान्यवर, मैं उस जमाने की अगर बात कहूं तो आपको याद होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं थोडा सा कि उस वक्त मैं ऐसी स्थिति हो गई थी, इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे मुल्क में, दिल्ली में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई थी । किसी को इस बात का पता नहीं था कि कल क्या हो जाये. यह हालत आपके जयपुर की थी, यह हालत आपके देश की थी, यह हालत आपके दिल्ली की थी, मान्यवर, नवभारत टाइम्स के सितम्बर, 1978 का एडीटोरियल है, यह हिन्दुस्तान का हिन्दी का एक लीडिंग पेपर है । उसके एडीटोरियल में लिखा है रक्षा कौन करेगा, दो बहादुर बच्चे अन्तिम सांस तक लड़ते लड़ते हत्यारे के शिकार हुए, "गीता अपने शील की रक्षा के लिये लड़ी और संजय अपनी उस बहिन की रक्षा के लिये लड़ा

(280)

(श्री रामनारायण चौधरी)

जिसने कुछ ही दिन पहले उसके हाथ में राखी बान्धी थी। गीता और संजय की निर्मम और बर्बर हत्या ने समुचे राष्ट्र का का अन्तः करण झकझोर दिया है तथा नागरिको के मन में नित्य बढ़ती जा रही असुरक्षा की भावना को आतंक की स्थिति में पहुंचा दिया है।" यह स्थिति थी। मान्यवर, 1978 का किस्सा है और प्रधान मंत्री श्री मुरारजी देसाई ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने सन्देश में नागरिकों को निर्भय होने के लिए कहा है। काश, वे पहचानते कि निर्भयता और सुरक्षा को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि समाज और सरकार मिलकर अपने नागरिको को जीवन और सत्व की सुरक्षा भी न दे सकें तो उससे निर्भयता की कैसे उम्मीद की जा सकती है। आपसी झगड़ों में उलझी सरकार जिसमें गृह मंत्री का पद ही महीनों से खाली पड़ा है देश को क्या सुरक्षा देगी। इन दिनों नेहरू जी के ये शब्द रह-रह कर कानों में गूंजते हैं, भारत एक बड़ा मुल्क है, इसकी समस्याए बहुत बड़ी है उन्हें छोटे दिल और दिमाग से हल नहीं किया जा सकता। मान्यवर, यह हालत उस समय दिल्ली में घटी जो देश का जो दपर्ण है और यहां आपके प्रदेश में भी दिल्ली जैसी घटनाए घटी, जयपुर में भी इसी प्रकार की घटनाएं घटी, दो बालिकाओं की अपहरण व बलात्कार। आमेर से आने वाली माननीय, सदस्या कह रही थी अपहरण व बलात्कार की बात, तो मैं बताती हूं, "दो बच्चों के अपहरण और उनकी नृशस हत्या की रोंगटे खड़े कर देने वाली दिल्ली की घटना की जयपुर में भी पुनरावृत्ति होने की चर्चा आज पूरे शहर में उस समय बिजली की तरह फैल गई जबकि ठठेरों के मोहल्ले से कल रात उड़ाई गई दो बालिकाओं का शाम तक कोई अता पता नहीं लग पाया। जन-जन की जबान पर हो रही इस चर्चा में एक और कड़ी उस समय जुड़ गई जब लोगों ने यह सुना कि म्यूजियम रोड़ पर से पिछले बुधवार को उड़ाये गये एफ 16 वर्षीय लड़के का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है है तथा उसके दुखी मां, बाप की रोते-रोते आंखे सूज गई है।" मान्यवर, यह स्थिति थी आप के जयपुर की। जयपुर राजस्थान का दर्पण है। मैं आपके उस समय के

श्री खेत सिंह राठौड़ : (मंत्री संसदीय कार्य) मान्यवर, उस समय राजस्थान पत्रिका में रोजाना आता था, सावधान रहें, अपनी रक्षा खुद करें। रोजाना अखबार पढ़ लीजिए लगातार यही आता रहा।

श्री राम नारायण चौधरी : राष्ट्रदुत, दिनांक 28-10-78 डाकुओं ने दो ग्रामीणों को गोली से उडाया। यह सब कहा है, मान्यवर, माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत प्रतिपक्ष के नेता विराजे हुए थे। उस समय तो सब शस्त्र आपके पास थे, सब कानून और व्यवस्था आपके पास थी....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतड़ी में 250 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ....

(व्यवधान)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

चूडियां जलाई गई और कांचली ले आये और कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वह भी आ रहा हूं ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : आपने खुद ने कहा था कि हुआ तो था लेकिन आप ज्यादा कह रहें हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : 7-9-78 को जयपुर में दो लाख का सशस्त्र डाका । सीकर से आने वाले माननीय सदस्य फरमा रहे थे श्री घनश्याम जी तिवाड़ी कि फाइले दबा दी जाती हैं । मर्डर की और डकेती की फाइलों पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । मान्यवर, "पूरे परिवार की हत्या-फाइल दाखिल दफ्तर । खण्डेला, स्थानीय युवा जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश बोहरा ने एक भेंट में बताया कि 24 सितम्बर को बीते आज करीब पांच माह पूरे हो गये पर हत्याकांड के हत्यारों का कोई भी पता नहीं लगा ।"-खण्डेला, मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री का जन्म जिला है जहां आपने जन्म लिया है उसी का हिस्सा खाचरियावास है लेकिन हत्यारों का पता नहीं चला । "घटना के अनुसार यहां से दो किलोमीटर दूर स्थित गुरारा ग्राम जाने हेतु कुम्हार जाति के तीन सदस्य पति, पत्नी व इनका एक बच्चा रवाना हुए थे पर रास्ते में ही किन्ही अज्ञात लोगों ने उन तीनों की हत्या कर दी तथा नकदी रुपये जेवर व अन्य चीजें लेकर भाग गए । इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने 29 जनवरी को प्रदेश युवा जनता पार्टी के सम्मेलन में तत्कालीक गृह मंत्री प्रो. केदार नाथ शर्मा को हत्याकांड की जांच कराने का ज्ञापन दिया था तथा उन्होंने आश्वासन दिया था कि अति शीघ्र ही इस संबंध में आवश्यक जांच करवाई जावेगी पर खेद है, कि आज तक इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई और पत्रावली दफ्तर दाखिल कर दी गई । मान्यवर, घनश्याम जी तिवाड़ी कह रहे थे कि फाइलें दबा दी गई । खण्डेला का किस्सा है आप मालूम कर लीजिये कि आज भी क्या स्थिति है । उसके बाद में क्या स्थिति हुई है ....

श्री यदुनाथ सिंह : चार वर्ष में नहीं निकली फाइल ।

श्री रामनारायण चौधरी : बढ़ती चोरियां, बढ़ती चोरियां,.... मान्यवर यही नहीं मैं आपकी अनुमति से....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : प्रधान मंत्री के सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया क्या मतलब हुआ इसका, और मुख्य मंत्री का पैट्रोल पम्प लूट लिया गया तो इसका क्या मतलब हुआ ?

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बढ़ती चोरियां, बढ़ती चोरियां....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री गृह) : गुरुदयाल सिंह सन्धू का कत्ल हो गया, उसका क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : "जयपुर में विधायकों के घरों में दिन दहाड़े चोरियां हो जाने की घटनाओं पर आज राज्य विधान सभा में रोषपूर्ण साथ ही रोचक चर्चा हुई। सदस्यों का कहना था कि जब विधायक सदन की कार्यवाही में भाग लेने आते हैं तो पीछे से उनके क्वार्टरों में चोरियां हो जाती हैं। यह गंभीर घटना है। विधायकों के घरों की सुरक्षा की जानी चाहिए। विपक्ष के नेता रामनायण चौधरी व कांग्रेस दल के मथुरा दास माथुर ने कहा कि सदन में आने के बाद सदस्य सदन व अध्यक्ष के संरक्षण में हो जाते हैं। विधायकों को क्वार्टर अलाट करने का कार्य अध्यक्ष की अनुमति से होता है। अतः उन घरों में चोरियां हो जाना सदन व सदस्यों के विशेषाधिकारों का प्रश्न है। गृह मंत्री को सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निर्दलीय सदस्य मदन सिंह ने पूछा सदन में आज राज्य की कानून व व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होनी थी वह कहां गई। इस पर विपक्ष के कई सदस्यों ने कहा कि जब हिन्डौन व नगर बान्ध की दुर्घटनाओं के प्रश्न पर गृह मंत्री वक्तव्य देने को तैयार नहीं है तो वे विधायकों की सुरक्षा करने में कैसेसक्षम होंगे। जनता पार्टी के श्री बजरंग लाल शर्मा ने कहा कि चोरियों के मामलों में गृह मंत्री किन्ही भी सदस्यों के प्रति भेदभाव नहीं बरतते। दोनों पक्षों के घरों में चोरियां हुई हैं यदि विपक्षी सदस्यों को इससे भी सन्तोष न हो तो वे यह व्यवस्था कर सकते हैं कि अभी विधायकों की अनुपस्थिति में चोरियां होती है आगे से उनकी आंखों के सामने चोरियां होने लगे।

श्री अध्यक्ष : अभी के बाद में विधायकों के यहां चोरियां नहीं होंगी।

(व्यवधान)

(9.00 रात्रि)

श्री रामनारायण चौधरी : हां साहब बनवारी लाल जी के यहां हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधायकों के साथ मार-पीट हुई है।

श्री चन्दनमल बैद : इसको कहते हैं समाजवाद।

श्री रामनारायण चौधरी : यदि विपक्षी सदस्यों को भी इससे संतोष न हो तो गृह मंत्रीजी यह व्यवस्था कर सकते हैं कि अभी तक विधायकों की अनुपस्थिति में चोरियां होती है अब आगे से उनकी आंखों के सामने चोरियां होने लगे।

एक माननीय सदस्य : वह वृद्धि हो रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : "प्रगतिशील दल के श्री प्रद्युम्नसिंह ने कहा कि इन हालत में सदस्यों का निश्चित होकर सदन की कार्यवाही में भाग लेना, मान्यवर, दूभर हो जायेगा।" अध्यक्ष श्री महारावल लक्ष्मण सिंह, मान्यवर, सदारत कर रहे थे। अध्यक्ष श्री महारावल लक्ष्मण सिंह जी की इस टिप्पणी ने सदन को ठहाकों से गुंजा दिया व कहा कि सदस्यों के यहां चोरियां हुई हैं, मेरे यहां भी चोरी हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, ख्याल रखियेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, यह स्थिति इस जयपुर की थी और वह स्थिति दिल्ली की थी और अब आज सारे राजस्थान की एक-एक घटना का मैं आपको वर्णन करूं तो उस जमाने में जो ज्वलंत घटनाऐं घटी थी वह मैं मेरी फाइलों में से निकालकर लाया था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पढ़ो पढ़ो।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन मैं सदन का अनावश्यक रूप से टाईम नहीं लेना चाहता। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि, मान्यवर, खेतड़ी में ऐसा जघन्य कांड हुआ कि देश के लीडिंग पेपर्स में आया, इस विधान सभा के अन्दर वह प्रश्न उठा और, मान्यवर, उसी के साथ यह सवाल लोक सभा में उठा और लोक सभा के इतिहास के अन्दर पहला मौका था कि स्थगन प्रस्ताव को तो स्वीकार नहीं किया गया लेकिन गृह मंत्री को कहा गया कि सदन के उठने से पूर्व खेतड़ी कांड के ऊपर स्टेटमेन्ट दिया जाय। यदि उसमें कुछ भी कोई तथ्य नहीं था तो भारतीय लोक सभा जिसके आप ही के दल के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई वहां पर मौजूद थे, आप ही के वहां पर गृह मंत्री थे, आप ही यहां पर चीफ मिनिस्टर थे। अगर कुछ भी नहीं था तो आप उनको कह देते कि यह तो बकवास है, स्टेटमेन्ट देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पता नहीं, जिसने मूव किया पार्लियामेन्ट में उसने खड़े होकर माफी मांगी।

श्री राम नारायण चौधरी : कोई माफी नहीं मांगी किसी ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगी।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई माफी नहीं मांगी। नहीं, कोई माफी नहीं मांगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको पता ही नहीं था, आप तो उस समय इन्दिरा गांधी की पार्टी में नहीं थे प्रगतिशील पार्टी में थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कहां बोल रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : × × × आपके सदन में बैठकर। इस सदन का रिकार्ड साक्षी है। पार्लियामेंट में किसी ने माफी नहीं मांगी।

श्री यदुनाथ सिंह : वह अच्छा समय था अब भरनी पड़ रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपकी बात कह रहा हूं, आप तो उस समय इन्दिरा गांधी की पार्टी में नहीं थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिसने वह आरोप वहां पार्लियामेंट में लगाया

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(284)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उन्होंने इसकी क्षमा याचना नहीं की। कई माननीय सदस्य : की।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : माफी मांगी है, साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने केवल अखबारों के आधार पर यह दिया है इस बात पर खेद व्यक्त किया है उस माननीय सदस्य ने जिसने यह स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक एक काम तो करिये उस समय तो हमारी सरकार थी, मुख्य मंत्री जी से जांच करा लो कि ढाई सौ महिलाओं के साथ कैसे, किसके साथ बलात्कार हुआ।

श्री अध्यक्ष : नहीं ढाई सौ की बात नहीं, है। 10-20 की हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, एक की भी नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त यह भी आरोप लगा था कि 250 महिलाओं के साथ बलात्कार की बात नहीं थी, फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं उनकी बेइज्जती का सवाल था, अंधेरा करके उनको बेइज्जत किया गया, उनके कपड़े फाड़े गये, उनकी बेइज्जती की गयी। अंधेरे के अन्दर वहां पर यह बात यहां सदन के अन्दर आरोप लगा था। अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट के अन्दर लगा था हिन्दुस्तान के जितने लीडिंग डेलीज हैं उनके अन्दर यह बात आयी थी मुझे अच्छी तरह से यह बात बिल्कुल ध्यान में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आपको पता है इन्होंने आरोप लगाये, आरोप झूठे साबित हुए। तो इनको लीडर आफ अपोजीशन से हटाकर परसराम जी बन गये, हाथ के हाथ इनको सजा मिल गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैंने आरोप लगाये थे और मेरे आरोपों के ऊपर माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने जांच बैठायी थी और इन्होंने इनके मित्र एडीशनल आई. जी. को इन्वेस्टीगेशन का इंचार्ज बनाया। हमें बुलाया नहीं, हमारी एवींडेन्स नहीं ली ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जरूरत ही नहीं थी।

श्री रामनारायण चौधरी : एक तरफ जांच करवायी और इनसे पूछ लीजिए, मान्यवर, आपके हाथ में सारा रिकार्ड था, क्या सदन में वह रिपोर्ट पेश हुई। अगर आपमें साहस था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह बिल्कुल × × × है।

श्री रामनारायण चौधरी : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अगर आपमें साहस था,

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण चौधरी)

हिम्मत थी और आप मर्द थे और आप मुख्य मंत्री थे तो आपको रिपोर्ट को सदन में पेश करना चाहिए था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तो मुख्य मंत्री आपके हैं, जांच करा लो न ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या जांच करायेंगे अब, 4 साल के बाद में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : साढ़े 6 वर्ष पुरानी बात हो गयी है।

एक माननीय सदस्य : जरूर भारी जांच की होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपके बाद आप क्या करते। परसराम मदेरणा को बना दिया विपक्ष का नेता। इनको विपक्ष का नेता बना दिया। पार्टी के कारण से कांग्रेस से ही चेंज कर दिया इनको।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त के प्रतिपक्ष के नेता ने जो चोलियां और पेटीकोट आपके यहां पेश किये थे अब वह कहां हैं सारे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनसे पूछिये किस किस के पेटीकोट उतारकर लाये थे, वही बतायेंगे।

श्री रामनाराण चौधरी : मान्यवर, सारे प्रमाण हमने प्रस्तुत किये थे, रिकार्ड आप देख सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी थी हमें बुलाते और यह कहते हैं हम आये नहीं तो आपका फर्ज बनता था आपके अधिकारी हमारे पास हमसे उम्मीद कर रहे थे, प्रतिपक्ष के लोगों से कि हम आई जी. के दफ्तर में जायें, यह हमारे स्वाभिमान के खिलाफ था। हमने कहा कि जांच के लिए हमारे पास आइये असेम्बली में आइये आप। आप जगह तय करिये, आप पब्लिक प्लेस तय करिये हम वहां आयेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे चलो, दूसरा क्या है।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, एक खेतड़ी कांड नहीं। मान्यवर, डकैतियां होती आयी हैं और भाड़े पर से आयी हैं लेकिन हमारे यहां एक कहावत है कि बनियों ने भी कतार को लूट लिया। कतार होती थी आप जानते हैं ऊंटों की उस चलती हुई कतार को बनिये नहीं लूट सकते और कोई दूसरी जाति के लोग डाकू लूट सकते थे लेकिन जनता पार्टी के राज में इतनी अव्यवस्था फैल गयी थी जिसके कारण महिलाएं तक डकैती में उतर आयीं। मान्यवर, युवती के नेतृत्व में बस लुटी....

श्री चन्दन मल बैद : (मंत्री, इंदिरा गांधी नहर परियोजना) थानेदार को पकड़कर बांध दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान राज्य परिवहन निगम की जयपुर से दिल्ली जाने वाली बस हरियाणा सीमा के पास फिरोजपुर गिरका के पास राजस्थान से निकलते ही गिरोह की नेता सुन्दरी

(श्री रामनारायण चौधरी)

लड़की बतायी जाती है, गिरोह था उसका बस के दिल्ली की ओर रवाना होते ही कुछ किलोमीटर की दूरी पर सड़क की आड़ में पड़े पत्थर के कारण चालक ने बस को बन्द कर दिया। परिवहन निगम सूत्रों के अनुसार लड़की सहित 5 व्यक्ति बस में बैठी सवारियों के सामान की तलाशी लेने लगे। उनकी जेबों से माल निकालकर चम्पत हो गये" यानि महिलाओं, युवतियों तक ने यानि आपने अपने शासनकाल में कितना पुलिस को डिमोरलाइज कर दिया था कि लडकियो तक ने बसों को लूटा और यहीं नहीं, मान्यवर, दस्यु सुन्दरी ने ट्रक लूटे जयपुर में। हिन्दुस्तान का समाचार है। दस्यु सुन्दरी के नेतृत्व में कल लड़के राजस्थान परिवहन की बस लूटने वाले दूसरे गिरोह ने 24-25 ट्रकों को भी लूट लिया।" यह दस्यु सुन्दरियां लड़कियों तक ने भी यह स्थिति आपने बना दी थी आपके राज में। मान्यवर, कोई सुरक्षित नहीं था, न कोई महिला सुरक्षित थी, न कोई पुरुष सुरक्षित था, न कोई विधायक सुरक्षित था और मान्यवर, इस हमारे भारत के पत्रकार जगत में, हमारे पत्रकार जगत के पत्रकार सूरज मल शर्मा ने सुरक्षा की मांग की थी....

श्री यदुनाथ सिंह : रामप्रसाद जी तो सुरक्षित हैं अब।

श्री चन्दनमल बैद : 5-5 थानेदार तो सुरक्षित थे।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो आपके ये बारां भी उसी इलाके का हिस्सा है। वहां के ही पत्रकार श्री सूरजमल शर्मा ने आप से सुरक्षा की मांग की थी। कोटा में खुली लूटा, उदयपुर में बलात्कार, एक साथ लूटपाट में वृद्धि, राह चलती युवतियों से छेड़छाड़....

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय। माननीय सदस्य कहते हैं, एक मिनट। अपनी समस्या को लेकर एक माननीय विधायक माननीय सदन में खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर गृह मंत्री जी के पैरों नहीं पड़ गये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : "बीकानेर में बच्चों के अपहरण से सनसनी। घटनाओं से सनसनी। नौकर शाही के प्रभुत्व का जंगलीपन शुरू।" यह आपके धौलपुर के अन्दर आपके ही सांसद श्याम सुन्दर लाल जी का अभिमत प्रकाशित हुआ था। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों वारदातें राजस्थान के अन्दर उस वक्त ऐसी हुई थी जिनकी कोई तफतीश नहीं, हुई, न उसका कोई नियंत्रण हुआ। आज की उस वक्त की किन्हीं भी स्थिति में मुकाबला नहीं कर सकता। आज किसी भी अखबार में इन तीन दिन का घटनाओं को छोड़ने के बाद में किसी भी शहर में, किसी भी कस्बे में और किसी भी जिले के अन्दर कहीं भी ला एण्ड आर्डर की कोई

(श्री रामनारायण चौधरी)

चुनौती नहीं है, अमन चैन है और अपराधों के अन्दर साढ़े तीन प्रतिशत की गिरावट आयी है। अब, मान्यवर, जहां तक चोरियों का सवाल है और डकैतियों का सवाल है, जहां तक बरामदगी का सवाल है हिन्दुस्तान की आजादी 1947 में हुई, मान्यवर, उससे पहले प्रदेश के अन्दर रजवाड़ों का राज, राजाशाही और अंग्रेजों की दोहरी गुलामी में बना हुआ राजस्थान आज जिन हालातों के अन्दर आगे बढ़ रहा है, मान्यवर, अमेरिका जैसा देश भी, यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरीका जहां साइंस और टेक्नोलोजी इतनी एडवांस्ड है और हिन्दुस्तान संसार के अन्दर जिसका मुकाबला यदि रूस से हो सकता है या किसी दूसरे देशों से हो सकता है मैं यह भी नहीं कहता लेकिन सर्वशक्तिशाली माना जाता है हर मामले में वहां भी आज, मान्यवर, चोरियों का डकैतियों का सिलसिला, मर्डर्स का सिलसिला जितनी तादाद में है उतना हमारे देश और प्रदेश दोनों के किसी भी हिस्से के अन्दर नहीं है। जनता पार्टी के राज में एक सर्वे हुई थी, मान्यवर, इंडिया टुडे, 16 सितम्बर, 1978 में क्राईम्स के बारे में कि किसी प्रकार से क्राईम्स बढ रहे हैं और उसमें भी यह सिद्ध कराया था कि ज्यादा पुलिस इसमें कारगर हो सकती है कि नहीं और क्या क्या किया जा सकता है। तो मान्यवर, उसमें फिगर निकले थे कि ज्यादा पुलिस कोई ज्यादा लाभप्रद नहीं होगी। आंकडे दिये हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा पुलिस उस वक्त थी। सन् 1978 के आंकडे हैं, सबसे ज्यादा क्राइम उस समय दिल्ली में हो रहा था। परसेंटेज जो है उसके पुलिस में. As against 25 policemen for every 100 sq km. of area through-out India, Delhi has 1375 policemen. All other major cities Like Bombay, Calcutta and Madras : Delhi has more than 4o police to deal with 10,000 people as compared to 35 for Bombay, 20 for Calcutta and 17 for Madras. Per capita police expenditure on Delhi's population is reported to be about Rs. 35 as compared to less than Rs. 30 in Bombay and less than Rs. 20 in Calcutta and Madras at that time in 1978. Capital crimes : Despite the resources available to the Delhi police, the crime rate is highest in the capital as compared to any other c ty in India. The volume of crime per lakh of population is more than 800 In case of Delhi as compared to 550 in Bombay, 600 in Madras and 500 in Calcutta.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनको तो खाना खिला दिया सरकार ने।

श्री रामनारायण चौधरी : Although Delhi tops in terms of total crime, murder rate is, however, extremely low as compared to other cities.

श्री यदुनाथ सिंह : तमोसे बोल रहे हैं।

In India, a murdere is committed every 20 minutes, but in Delhi, after every 30 hours, while an actual murder takes place after every 44 house. In Delhi, 3.3 murders are committed for one lakh population as against 2.7 in Ahmedabad, 1.8 in Calcutta, 2.3 in Bombay and 2.5 in Madras, sir.

Sir, three murders are committed for every one lakh of world of population. The U. S. A. tops the list with 97.6 murdurs, Japan is at the lowest. In U.S.A. according to tho Federal Bureau of Investigation's Clock, a murder is committed every 2.7 minutes, an attempt to murder is made every two minutes, a rape every 41 seconds and a car theft is reported every 42 seconds. In India today, sir,

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, शांत रहें माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : इंडिया में आज, मान्यवर, इस वक्त में इंडिया में····

श्री अध्यक्ष : बहुत उपयोगी जानकारी दे रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिये।

श्री हंसराज शर्मा : बैठने की इजाजत दे दी जाय इनको।

श्री रामनारायण चौधरी : In India, a murder is committed 1.75 for one lakh of population as against U. S. A. 97.6 murders for one lakh of population. in U.S.A., according to the Federal Bureau of Investigation's Clock, a murder is committed every 27 miunies, तो अमेरिका जैसे देश में भी जहां सब साधन मौजूद हैं, माननीय सदस्य कह रहे थे कि पुलिस के पास साधन नहीं है, आज के जैसे केमराज नहीं हैं तो अमेरिका में किस बात की कमी मेरे खयाल से आज नहीं होगी····

श्री मेघराज तावड़ : रूस में कितने मर्डर होते हैं यह नहीं बताया।

श्री रामनारायण चौधरी : रूस और अमेरिका दोनों आज एडवांस स्टेज पर हैं, वह एडवांस्ड स्टेट हैं। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका में क्राईम डिटेक्ट नहीं होते क्या, क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। क्या क्रिमिनल्स को सजा नहीं मिलती। लेकिन मान्यवर, आज बदलते हुए समाज के इस दखल में जो चोरी करने वाले थे वह बदल रहे हैं। नए-नए किस्म के टेक्निक इसमें आ रही है, लेकिन आज यह होते हुए भी, मान्यवर, मैं पुलिस प्रशासन को और मुख्य मन्त्रीजी को और अधिकारियों की इस बात की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता कि जयपुर में इन सब के बावजूद भी इन पिछले दिनों के अन्दर जो डिटेक्शन हुए हैं, ब्यावर के अन्दर लाखों रुपयों के तार, जहां पर किस तरह से

(श्री रामनारायण चौधरी)

नए तरीके से जो चोरियां हुई थी जो ब्यावर में पकड़े गए लाखों रुपयों के तार और जो सोयाबीन का ट्रक आ रहा था, मान्यवर, टेंकर वह पोरबन्दर से आ रहा था, बगरू के पास में उसके ड्राइवर का, मालिक का मर्डर कर दिया और वह डकेत ट्रक लेकर भाग गए थे लेकिन उसको पुलिस ने अभी पकड़ा है और उससे कितनी चेन चोरियां या डकेतियां उसमें से निकली हैं कि कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता था कि यह व्यक्ति उस परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति चोरी भी कर सकता है और मर्डर भी कर सकता है। जिनको पकड़े गए हैं उनके अच्छी बस्तियों में बंगले हैं और शनिवार और मंगलवार के के दिन बालाजी, हनुमानजी की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं और चोरी डकेती भी उसी दिन करते हैं शनिवार और मंगलवार के दिन। और, मान्यवर, अच्छे 2 घरानों के आदमी, अच्छे 2 मर्चेण्ट्स हैं, जयपुर के जो टोप के लोग ग्रेन डीलर्स हैं, उन लोगों के लड़के इन चोरियों में पकड़े गये। उनके पास चाबियां निकलीं। उन चाबियों से पहले यह देख लेते हैं कि यह कि यह गोदाम है इसमें कोई नहीं आ रहा है, उसकी चाबियां बना लेते हैं ताकि अन्दाजा नहीं लगा सके कि यह चोरी कर रहा था। बड़े आराम से ट्रक को लोड़ करवाते हैं और ले जाते है। तो आज हम यह नहीं कह सकते कि पुराने जमाने के जो तरीके थे वह भी अख्तियार नहीं कर सकते। आज के वर्तमान हालात में जिस तरह से डकेतियां और चोरियों पर, नकबजनियों पर और ला एण्ड आर्डर पर काबू पाया गया है, वह आज के वर्तमान हालात में, मैं मुकाबला नहीं करना चाहता दूसरे प्रदेशों से लेकिन मुझे फक्र है और हमें फक्र है इस बात कि इस राजस्थान की हालत अन्य प्रदेशों के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारे यहां पर चोरी नहीं हुई, डकेती नहीं हुई यह सब हुई हैं, लेकिन मैंने आपको अमेरिका का उदाहरण दिया, दिल्ली का भी मैंने उदाहरण दिया और जनता पार्टी के माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के शासन काल का भी मैंने जिक्र किया। तो मान्यवर, कम्परेटिव स्थिति में इस बात को दोहराती हैं और स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करती है कि राजस्थान के अन्दर ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पौराणिक काल का और उदाहरण दे दो।

श्री रामनारायण चौधरी :...कानून की. ला एण्ड आर्डर की, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपने कर्त्तव्यों में, कर्त्तव्य निष्ठ रहा है, प्रदेश को आगे ले जाने में पूरी मदद की है। मुख्य मन्त्रीजी ने जो प्रशासन का नजरिया था उस नजरिये को बदला है। इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आपके जरिये सदन से अनुरोध करता हूं कि इन मांगों को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह : पोइन्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : पोइन्ट आफ आर्डर यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आपकी यह व्यवस्था हुई थी कि साढे आठ बजे सर-

(श्री यदुनाथ सिंह)

कार का जबाब शुरू हो जाएगा और सही साढ़े आठ बजे माननीय रामनारायणजी चौधरी ने जबाब शुरू किया था। अध्यक्ष महोदय, हम तो उसी को सरकार का जबाब मान लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय ने साढे आठ बजे का समय लांघ दिया था इसलिए वह बात रही नहीं।

वैसे सरकार की तरफ से जो चौधरी साहब ने कहा है उससे ज्यादा उत्तर आएगा भी नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो सही है लेकिन खेतसिहजी ने सब की मिठाई खिला-खिला कर यहां पर बुलवा लिया, सिवाय एक दो को छोड़ कर। ऐसी हालत में तो एक ही····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, शान्त रहें, माननीय सदस्य। विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मन्त्रीजी एक घण्टा बोलें, दो घण्टा बोलें, उसकी हमें कोई कोई चिन्ता नहीं है, मुख्य मन्त्रीजी चाहे जितना समय लें···

श्री शिवचरण माथुर : मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन उनको तो खाने की व्यवस्था आपने करवा दी विरोधी दल ने कौन-सा अन्याय किया था कि आपने उनकी व्यवस्था नहीं कराई।

श्री अध्यक्ष : यह आसन की ओर से व्यवस्था नहीं होती है, दलों की ओर से होती है। लेकिन मुख्य मन्त्रीजी का काम काफी आसान कर दिया माननीय श्री रामनारायणजी ने। इसलिए मेरे खयाल से इतने लम्बे उत्तर की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत से मुद्दे तय हो चुके हैं।

मुख्य मन्त्री जी।

श्री शिव चरण माथुर (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के संबंध में करीब साढ़े छः घंटे से अधिक यहां पर चर्चा हुई। उसमें जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, मैं उन सब को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं और जैसा कि आपने अभी कहा कि मेरे दल के माननीय सदस्यों ने मेरा काम बहुत हल्का कर दिया।

श्री यदुनाथसिंह : आपको भी हल्का करने में लग रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रामनारायण जी को मिनिस्टर बना दे।

श्री शिवचरण माथुर : यह परम्परा भी इस सदन में विरोध पक्ष के नेता ने

श्री शिवचरण माथुर)

शुरू की ओर मैं समझता हूं कि जब जब भी मौका आया हमारे दल के माननीय सदस्यों ने प्रतिमों सहित और वेल डाकूमेन्टेड आरग्युमेंन्ट्स के साथ जो मैं समझता हूं शायद मैं भी इतना अच्छा जवाब नहीं सकता था जितना हमारे माननीय सदस्यों दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा नोरंजन किया।

श्री शिवचरण माथुर : मनोरंजन नहीं था। उसके पूरे तथ्यों से शायद आप इन्कार नहीं कर सकते शायद पहले दिन आप राज्यपाल महोदय के भाषण पर बोल रहे थे और कई अखबारों की कटिंग्स यहां पर पेश नहीं करते तो यह 3–4 बार मौके आये हैं वह सदन में पेश नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने कब मौका दिया।

श्री शिवचरण माथुर : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि हर राज्य में घटनाएं होंगी, क्राइमस होंगे लेकिन उनके प्रति हमारा रवैया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है और हमारा प्रशासन किस चुस्ती के साथ, किस मुस्तैदी के साथ में उन क्राइम्स को डिटेक्ट करने की और लोगों में विश्वास पैदा करने की बात करता है, यह महत्वपूर्ण बात है मेरे दल के माननीय सदस्यों ने मूलतः इसी आधार को लेकर के अपनी बात कही है। सामाजिक तनाव जैसे औद्योगिकरण देश में हो रहा है, विदेशो में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, जाहिर बात है कि सोफेस्टिकेटेड तरीके के क्राइम होंगे और उन क्राइम्स को डिटेक्ट करने के तरीके भी समय समय पर हमें जैसी भी आवश्यकता होगी, निकालेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि हमारे देश के अन्दर कुछ लोगों को, खास तौर से जो जिम्मेदारी से विपक्ष में बैठने की बात करते है, किस दृष्टिकोण से वे समस्याओं को लेते है यह महत्वपूर्ण बात है।

कोटपूतली की घटना का जिक्र यहां पर किया गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोटपूतली की घटना में, जो घटना घटी इसको किसी ने इन्कार नहीं किया। किसी ने इसको छिपाया नहीं, यहां तक कि कोटपूतली में बयान देते थे और विपक्ष के माननीय नेता मेडीकल रिपोर्ट के बारे में चर्चा की लेकिन माननीय राज्य मंत्रीजी ने खुलासा किया उनकी बात को आपने ध्यान से सुना नहीं। मैं कह सकता हूं दावे के साथ में कि किसी भी राज्य सरकार ने, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता कि एक घटना घटने के 8 घंटे के अन्दर ज्यूडिशियल इन्क्वायरी आर्डर की हो और उस पर तत्काल कार्यवाही की हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अभी तक शुरू नहीं हुई।

श्री शिव चरण माथुर : सुनिये। इसके बावजूद भी विरोधी पक्ष के नेता वहां जाकर के सारी स्थिति को बिगाड़ने के लिये उसको इस प्रकार का रुप देते हैं और सारी लॉ एन्ड आर्डर की व्यवस्था को बिगाड़ने के

(श्री शिवचरण माथुर)

लिये खुद ग्राम सभा में जाकर लोगों को भड़काते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि हमारे विरोध पक्ष में स्थिति का नाजायज फायदा उठाने की भावना ग्राम तौर से यहां भी है। ग्रौर देश के स्तर पर भी है। यही एक दृष्टिकोण का अन्तर है।

मैं नहीं कहता कि ग्राज क्राइम्स नहीं हो रहे हैं, ग्राज डकेती नहीं हो रही है, ग्राज लूट नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन इस मामले में हम ग्रौर ग्राप एक हों ग्रौर बैठ कर, एक रह कर मैं कुछ निवेदन करूंगा, शायद ग्रापको प्रसन्नता होगी कि मेरे विचार जो इन समस्याग्रों से निपटने के लिये हैं उसके लिये मैं ग्रापके सहयोग का ग्राह्वान करता हूं ग्राम जनता के सहयोग का ग्राह्वान करता हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश का विरोध पक्ष महत्व-पूर्ण मुद्दों को भी जो ग्राम देश की जनता से सम्बन्ध रखते हैं उनको राजनीति का प्रश्न बना कर उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ग्रौर यही सवाल ग्राता है कि विरोध पक्ष की बात को हम कितना वजन दें, कितना वजन न दें।

मेरी मान्यता ग्रगर ग्राप पूछें तो मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं, यदि तथ्यों के ग्राधार पर वास्तविकता ग्रौर सही दृष्टि-कोण के ग्राधार पर थोड़े से शब्दों में भी विरोधी बात करते हैं तो उसका ग्रसर सरकार पर पड़ना चाहिये ग्रौर यही विरोधी पक्ष की मजबूती का नमूना, ग्रध्यक्ष महोदय, होना चाहिये। लेकिन ग्राज इस सदन में न जाने कितनी बार, हजारों बार, पोथियां भर गई हैं ग्रौर इसमें शुरू से ग्राखिर तक जब से विधान सभा बनी, लोक सभा बनी तब से विरोधी पक्ष के नेताग्रों ने एक ही दृष्टि-कोण ग्रपना कर जो रवैया रखा है इन समस्याग्रों के प्रति, चाहे भले ही वे प्रदेश की हों या राष्ट्र की हों, इन समस्याग्रों के कारण, इसका परिणाम जो भी हों, इसका ग्रसर न सरकार पर होता है ग्रौर न इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है।

मैं कहना चाहूंगा कि देश में ग्रौर विधान सभाएं शुरूग्रात करें या न करें लेकिन ग्रगर शुरूग्रात राजस्थान में होती है, ग्रगर ग्राप किसी घटना के बारे में सचाई से सोचते हों ग्रौर ग्राब्जेक्टिव दृष्टिकोण लेकर बात कहते हैं तो मैं सरकार की ग्रोर से कहना चाहता हैं कि इसका प्रभाव निश्चित रुप से होगा ग्रौर क्या इस प्रकार से कार्यवाही की जायेगी। लेकिन घटनाग्रों को तोड़-मरोड़ कर केवल राजनैतिक फायदा उठाने के दृष्टिकोण से कोई बात कही जाय तो, ग्रध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे विपक्ष के नेता महोदय, उसका उसी प्रकार से ग्रसर होता है ग्रौर फिर दूसरा पक्ष भी सोचता है कि राजनैतिक भावना से बात कही गई है हम को भी राजनैतिक दृष्टिकोण से जवाब देना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि प्रजातंत्र के लिये यह ग्रच्छी स्थिति नहीं है। दोनों पक्षों में एक दूसरे में विश्वास पैदा हो, हम सही बात कहेंगे, जनता तो फैसला बाद में करेगी हर पांच साल, में, ग्रसली मालिक तो जनता है जिसके पास में ग्राप नीतियों के ग्राधार पर जाइये, वोट मांगिये लेकिन बलात्कार घटनाग्रों का, लूट, ग्रागजनी की घटनाग्रों को कह कर, ग्रखबारों की सुर्खियों

(श्री शिवचरण माथुर)

में देकर, मैं मानता हूं जनता वोट नहीं देती है। जनता वोट देती है, आम तौर से एक सरकार ने कितना काम किया, क्या उसकी योजनाएं थी, क्या उसकी नीतियां थी। उन नीतियों का आम जनता के जीवन पर क्या असर पड़ा। इन सब बातों को समझ करके पांच साल के अन्दर-अन्दर जनता इसका जवाब देती है। मैं समझता हूं यदि किसी पक्ष को मान लें सर्व रुप से जनता जो कुछ भी फैसला देंगी उसको स्वीकार करेंगे और पांच साल में अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करें तो देश में प्रजातन्त्र की नींव गहरी होगी और हम दुनियां के सामने कह सकेंगे कि हिन्दुस्तान के प्रदेशों में 800 वर्ष पुराना प्रजातन्त्र हो सकता है लेकिन हमारे देश का इन परम्पराओं के आधार पर प्रजातन्त्र पनपना है। मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कितना ही पुराना प्रजातन्त्र हो, हम इन परम्पराओं के आधार पर अपने प्रजातन्त्र को ज्यादा स्थाई बना सकेंगे और दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे।

कोटपूतली की घटना के सम्बन्ध में यहां पर कहा गया कि हाई कोर्ट के जज को हमने मुकर्रर किया उसकी आज तक उन्होंने कार्यवाही नहीं की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि 25-1-84 को घटना हुई। उसके 8 घन्टे के अन्दर राज्य सरकार ने अपना मंतव्य प्रकट किया, अखबारों में उसका वक्तव्य दे दिया कि हम ज्यूडिशियल इन्क्वायरी के लिए आर्डर करते हैं। 29-1-84 को राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक जज को नोमिनेट करने के लिये प्रार्थना की। अध्यक्ष महोदय, 30-1-84 को जस्टिस जी. के. शर्मा के नोमिनेशन का हमने निर्णय कर लिया और 1-2-84 को नोटिफिकेशन हो गया। यह 7 दिन के अन्दर सरकार का निर्णय है, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करना, उसका नोटिफिकेशन निकालना और नोटिफिकेशन का साया हो जाना, यह सब बातें, अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना जस्टिस जी. के. शर्मा को भी भेज दी गई लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आप जानते है किसी भी हाई कोर्ट के जज को कोई इन्क्वायरी देने के लिये प्रेजीडेन्ट से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने वहां पर भी लिखा और भारत सरकार की जो सूचना आई वह 21-3-1984 को हमको मिली है। इसमें राजस्थान सरकार का अपनी तौर पर देरी करने का न तो कोई इरादा था और न हम चाहते थे। खास तौर से पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी यदि इस प्रकार का अपराध करते हैं तो इसमें उनको जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये और इसमें कहीं भी किसी को बचाने का प्रश्न नहीं होना चाहिये। हमने अर्निएस्ट अपारचुनिटी पर इन्क्वायरी आर्डर करने की बात कहीं और वहां से अभी जो प्रेजिडेन्ट से आर्डर आया है इस पर निश्चित रुप से कार्यवाही होगी और जो भी दोषी पाया जायेगा उसको सजा दी जायेगी। यही बात मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सेंक्शन आई है प्रेजीडेन्ट से यह जी.के. शर्मा के पास पहुंच गई क्या ?

(294)

श्री शिव चरण माथुर : जस्टिस जी. के. शर्मा को हमने जनवरी में ही इत्तला कर दी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं। प्रेजीडेन्ट की सेंक्शन आई उसके बाद क्या आपने जी. के. शर्मा को इत्तिल्ला कर दी क्या ?

श्री शिव चरण माथुर : वह तो 21-3-1984 का आई, तो चली गई होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी तक नहीं गई है।

श्री शिव चरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, ला एण्ड आर्डर के आंकड़े मैं देना नहीं चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार मे ला एण्ड आर्डर के आंकड़े पेश किये हैं मैं इस चैप्टर को एक तरफ रख देता हूं। मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने एक बात को साफ तौर से स्वीकार किया है कि पुलिस एक ऐसी परिस्थितयों में काम करती है जहां उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये उनको काम करने के लिये बढ़ावा देने का प्रयत्न करना होगा और दोनों पक्षों ने भी इधर के माननीय सदस्यों ने, औरउधर के माननीय सदस्यों ने अपने अपने बहुमुल्य सुझाव दिये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं आगे जब पुलिस के सम्बन्ध में जो हमारे विचार है बतलाऊंगा कि राजस्थान सरकार ने हमारे पुलिस के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिये क्या क्या निर्णय किये है ? विपक्ष के नेता महोदय बता रहे थे कि जो अच्छा काम करने वाले पुलिस के अधिकारी हैं, उनको पुरस्कार नहीं दिया जाता और जो गलत काम करने वाले हैं, उनको सजा नहीं दी जाती है। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि गलत काम करने वाले, छोटे, निचले दर्जे के या बड़े से बड़ा अधिकारी होगा, हमें मालूम होने पर किसी भी आदमी को हम नहीं बख्शेंगे, इतना मैं कहना चाहता हूं। यह छोड़ दीजिये पेट्रोल पम्प पर, बूंदी में, गुलाबपुरा में जो लूटने की घटनाएं हुई हैं, वह एक दूसरे संदर्भ में देखने की बात सामने आती है। अभी रामनारायणजी चौधरी कह रहे थे कि जनरल लॉ एण्ड आर्डर के मेन्टीनेन्स की जहां हम बात करते हैं उसमें यदि इन तीन, चार घटनाओं को जोड़ा जायेगा तो सही तौर से इस समस्या को समझने में हमें सफलता नहीं मिलेगी। इन तीन, चार घटनाओं को छोड़ कर हम ने हमेशा यह कोशिश की है, हमारे पुलिस अधिकारियों को मालूम है, कोई भी घटना की जानकारी, रात के चाहे बारह बजे हों, एक बजे हों, तीन बजे हों, वह सूचना मुझे मिलती है। इसमें यह नहीं है, आड ग्रवर्स में घटनाओं की जानकारी जो पुलिस को होती है वह मुझे मिलनी चाहिये यह मेरे आदेश हैं और, हमारे अधिकारी भी जागते हैं। इसका निश्चित रूप से इन्वेस्टीगेशन, पता लगाते के बारे में जो सरकार का रुख है, उसकी जानकारी हमारे अधिकारियों को है। उसी का परिणाम है मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं और अभी रामनायण जी चौधरी ने इसको विस्तार से पढ़ा है जो भी घटनाएं घटी हैं, चाहे बस के लूटने की हो, कार को वे ले

295

(श्री शिवचरण माथुर)

करने की हो, कार को कर लूटने की हो या किसी बैंक को लूटने की हो, सारी की सारी घटनाओं का पता एक दिन, दो दिन, चार चार दिन, पांच दिन में लगा है और इससे लिक पुरानी घटनाओं का उनका भी अध्यक्ष महोदय, पता लगाया गया है। यह इसी कारण से हो सका है कि आज के हमारे सीनियर मोस्ट पुलिस अधिकारी और सब तरह के अधिकारी यह जानते है कि यदि कहीं पर भी किसी प्रकार की कमजोरी इन्वेस्टीगेशन में या अपराधियों को पकड़ने में बर्ती गयी तो उसको बख्शा नहीं जायेगा यह सब अधिकारी जानते हैं और उसी का कारण है कि इतने कारगर तरीके से इन घटनाओं का पता लग रहा है। मुझे दुःख है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है जो यह 3,4 घटनाएं हुई हैं, उनका पता क्यों नहीं लग पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक षडयंत्र, एक सुनियोजित गिरोह का राजस्थान में शुरू हुआ है जिस से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जो हालात हैं, घटनाओं के जो मुटटिस-मुटन्डिस है और जिस प्रकार के इन लोगों ने काम किये हैं वह करीब करीब एक-सी घटना का तारतम्य बैठता है। इसलिये हमारे जो इन्वेस्टीगेशन आफिसर है, वे इन सारी घटनाओं के आधार निकालने के लिए एक नये तरीके से विचार कर रहे हैं और बड़े से बड़े अधिकारियों को यह काम सौंपा गया है। स्पेशल आई.जी.पी. रेंज के अधिकारी इस सारे काम को देख रहें हैं। जो क्लूज मिल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अभी 5 तारीख को जिस दिन घटना घटी की है

खारीग्राम में, उसी दिन निम्बाहेड़ा के अन्दर एक फियेट कार को पकड़ा था। उसमें चार व्यक्ति थे और उनके पास से 67 हजार की धनराशि भी मिली। हमने इनको इन्टोरोगेशन के लिये रोके रखा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आर्म्स के लाइसेन्सहैं, लाइसेन्स मौजूद हैं। यह सब बातें उन्होंने कहीं लेकिन हमनेउनका विश्वास नहीं किया। हमने अपने पुलिस आफिसर को पंजाब भेजा, मोगा भेजा और अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि वहां हमारे अधिकारी गये, उसका नतीजा यह है कि वहां के पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि यह बिल्कुल गलत आदमी हैं ये पहले नम्बर के स्मगलर हैं और सारे लाइसेन्स जो बताये हैं वह फाल्स है यदि इतनी सतर्कता नहीं बरती जाती तो मैं समझता हूं कि लाइसेन्स के नाम पर वे आगे बढ़ जाते और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से कोई न कोई घटना के आगे क्ल्यू मिलेगा। अध्यक्ष महोदय मैंने निवेदन इसलिये किया कि जो कुछ भी जानकारी हमारे पास होगी, जो कुछ भी क्लू हमारे पास होगा, उसका पूरा प्रयोग करके, पूरी छानबीन के आधार पर हम इन घटनाओं का पता लगाना चाहते हैं। यह इसलिये भी जरुरी हो गया है कि आज यह चुनौती कुछ खास आधार पर लोगों ने दी है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता हूं। इसलिये स्वीकार करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के साथ घटना हो जाये वह महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन राजस्थान की आम जनता में यह विश्वास पैदा हो जाये कि जहां पर पुलिस पूरे इन्वेस्टीगेशन करने की शक्ति रखती है वहां पर कोई भी घटना कुछ लोगों द्वारा की जा

296

(श्री शिवचरण माथुर)

सकती है इससे ग्राम लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। उस घटना को महत्व देना चाहते हैं। इसलिये कोई भी कसर हम नहीं रखेंगे यह मैं आपको कहना चाहता हूं। इसमें मैं सहयोग चाहता हूं। यहां पर अभी भी बात कही गयी, पहले भी चर्चा में सवाल आया 5-6 तारीख को कि अगर जनता से ऐसा कहा गया तो इसका मतलब यह होगा कि पुलिस अक्षम है। इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा। अगर जनता के दिमाग में यह बात आ जाती है कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है, हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि घटनाएं कोई भी घटेंगी पुलिस निश्चित रूप से घटना की सूचना मिलने के बाद दो मिनट में, चार मिनट में, पन्द्रह मिनट में, आधा घंटा में पहुंच जायेगी। यदि जनता में साहस पैदा हो जाय, वहीं पर मौके पर इन लोगों से निपटने की क्षमता पैदा हो तो निश्चित रूप से पुलिस आकर के उनको संभालेगी। आज गुलाबपुरा की घटना के बारे में कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, गुलाबपुरा की घटना जहां भी घटी वहां स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर जयपुर की शाखा है, ऐसे चौराहे पर है जहां पर एक तरफ दीवाल स्पीनिंग मिल की है, दूसरी तरफ, उसके सामने एक गुलाबपुरा की सड़क है, एक स्टेट हाई वे है, अजमेर-भीलवाड़ा जाने के लिये। उसके सामने थोड़ी दूरी पर आसीन्द जाने वाली सड़क है। ऐसे चौराही के सड़क हैं उसमें वहां का थाना है। गुलाबपुरा में वह शहर के अन्दर रेल्वे स्टेशन के पास पुरानी को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल है उसके पास, उसकी दूरी दो-तीन किलोमीटर से कम नहीं है। जैन, जो मैनेजर थे, ने टेलीफोन किया। सबसे पहले टेलीफोन मिल को किया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को किया। साइमलटेनियसली किया होगा एक मिनिट में। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसे ही थाने पर इत्तला मिली जितने भी आदमी मौजूद थे हिम्मत करके थानेदार लेकर के रवाना हो गया। जिलाधीश मौजूद थे, को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल की एक मीटिंग में आये थे। जैसे ही उनको इत्तला मिली वे भी दो मिनट में पहुंच गये। और इस बीच में लड्ढा की जीप आ गयी। उन्होंने समझ लिया कि लोग आ गये हैं वे वहां रवाना हो गये। उन्होंने लड्ढा और चौधरी को गोली मार दी। आगे जाकर के जैन को उन्होंने गोली मार दी। पुलिस निश्चित रूप से वहां पहुंची। इसलिये यह कहना कि पुलिस ने पहुंचने में देरी की, यह बिलकुल सत्य नहीं है। पुलिस ने निश्चित रूप से वहां पहुंचने में फुर्ती की। मैं एक बात कहना चाहता हूं आप डिमोरेलाइज की बात कहते हैं। मैंने देखा है कि आज पुलिस का कोई आफिसर हो, कोई सिपाही हो, वह यह नहीं कहता, हमें यह नहीं कहना पड़ता कि तु चल, तू चल, हर आदमी यह कहता है, इस घटना के बाद में बैठूगा, मैं बैठूंगा, यह आज हालात हमारे पुलिस के हैं। इसलिए पुलिस के डिमोरेलाइज होने की या डिमोरेलाइज होने के वातावरण की ऐसी बात कहना, मैं समझता हूं, लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करना है। हमारे पुलिस के अधिकारी सिपाही इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि

(श्री शिवचरण माथुर)

कहीं भी, कोई भी घटना हो जाय तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शर्क करने की कोशिश नहीं की हैं। यह उदाहरण मैंने देखा है। यह कहते हैं चाहे सिपाही हों, हम सबसे पहले गाड़ी में बैठना चाहते हैं। कई जगह तो हथियार न होने की स्थिति में भी जैसे मौका हो, उस स्थिति में वे लोग पीछे रहने की कोशिश नहीं करते अध्यक्ष महोदय, हमारे पुलिस कर्मचारी, आम कर्मचारी, अधिकारी चाहे वह पुलिस कांस्टेबल हो, हैंड कांस्टेबल हो, पर पूरा भरोसा रखते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की पुलिस की यह भावना है। अभी भाई अमराराम जी कह रहे थे कि लगातार सारे राजस्थान में जो स्टेट हाई-वे और नेशनल हाई-वे हैं उन पर आज हमने बेरियर्स खड़े कर दिये हैं। और वहां पर पूरी तौर से जानकारी की जाती है, कोई भी व्यक्ति राजस्थान के अन्दर आकर के यह महसूस करें कि वहां जाकर पकड़ा जाऊंगा, यह दिमाग में आम तौर से भावना लाना चाहते हैं और इसका अच्छा इफेक्ट भी हुआ हैं। मै कल अजमेर गया जब ड्राइवर को पूछा, लोगों को पूछा कि आपको रुकना पड रहा हैं, आपको कोई नाराजगी तो नहीं है? तो उन्होंने कहा हमें कोई नाराजगी नहीं है। अगर इस तरह से बदमाश और गुण्डे पकड़े जाते हैं, हम अगर एक एक जगह रुक कर भी घन्टे भर देर से पहुंचते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गुण्डों को आपको पकड़ना चाहिए। इसमें पुलिस कोई ज्यादती नहीं कर रही है। और पुलिस वाले भी जहां रोकते भी है तो बहुत सज्जनता से कहते है कि हम आपसे जानकारी करना चाहते हैं, इस प्रकार से लोगों को रोक कर जानकारी करते हैं। आम आदमी को परेशान करने की भावना आज भी नहीं है। जनता भी इसमें सहयोग दे रही है इसलिए मैंने जनता के आह्वान की बात कहीं है। मैंने जनता के आह्वान की बात इसलिए नहीं की है कि हम अपने आपको विड्रो कर लें और अपने आपको कह लें कि अब हम आपकी सुरक्षा करने की स्थिति में नहीं हैं। जो कुछ भी करना हो वह आप कर लो, यह मेरा मतलब कभी भी नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने सीनियर पुलिस के आंफिसर्स की 3-4 दिन में जो लगातार मीटिंग की है उसमें एक ही बात पर जोर दिया हैं कि आप लोग जो बाहर आकर आपका पसीना पोंछती है, लेकिन मौके पर मोहल्ले के लोग जैसे पहले के जमाने में लड़ाई के वक्त में यदि कोई पैराट् पर नीचे आ जाता तो उसको वहां के मोहले के लोग एक प्रकार से इकट्ठे होकर वहीं निपट लेते थे। या हम लोग गश्त लगाया करते थे, 1965, 1971 की लड़ाई के वक्त में अगर कोई खिड़की खोल कर रखता था या किसी ने खिड़की को काला नहीं किया या कही से अगर रोशनी बाहर आ रही हो, ऐयर रेंड होने का खतरा बन सकता है तो हम अन्दर जाकर उन लोगों से कहते थे कि आप मेहरबानी करके अपने दरवाजे बन्द कर लीजिये, यदि आपकी खिड़की काली नहीं हैं तो काली कर लीजिये। इस तरह से सिविल डिफेन्स का एक वातावरण, एक एटीट्युड जो हमारा जनता में है, उस प्रकार के वातावरण को बनाने वाली बात हम करना चाहते है।

(298)

(श्री शिवचरण माथुर)

और यही बात मैं जनता के आह्वान की बात करना चाहता हूं। जनता तैयारी में रहे, पुलिस उनको पूरी मदद देगी। लेकिन एक बात हम और आप सब लोग स्वीकार करेंगे कि पुलिस एक एक आदमी के पीछे नहीं रह सकती आज राजस्थान के अन्दर में 46,000 पुलिस मैन हैं, इसका मतलब है कि करीब 900 आदमियों पर एक पुलिसमैन आता है। अब एक एक आदमी के पीछे पुलिस नहीं रह सकती। लेकिन आज एक चौकी, पुलिस स्टेशन पर तीन आदमी रहते हैं उसका सारा असर उस पर यह रहता है कि यहां पर हमको सुरक्षा की भावना मिली हुई है। आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग भी उसी प्रकार से जाग्रत हो ऐसे गुण्डों से निपटने के लिए, खास तौर से जो अपराध करने वाले लोग हैं उनसे निपटने के लिए हमको जनता में भी एक मनोबल पैदा करना पड़ेगा और उसी मनोबल को पैदा करने की बात, आह्वान करने की बात कहता हूं तो मैं यह कभी नहीं कहता कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से हटकर अपने आपको विड्रो कर लेगी, हममें कोई शक्ति नहीं रही, हम क्राइम को डिटेक्ट नहीं कर सकते, हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते, यह कभी भी हमारा मतलब नहीं है। हम आम जनता में भावना पैदा करना चाहते हैं। यह सही बात है, जैसा रामनारायण जी चौधरी ने अभी यहां पर कहा कि अच्छे वेतन अच्छे हथियार, अच्छे साधनों से क्राइम डिटेक्टशन का कोई संबंध नहीं होता है। मैं यह मानता हूं जितनी एडवांस्ड कन्ट्रीज हैं, जितनी इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कन्ट्रीज हैं वहां सबसे ज्यादा सोफीस्टिकेटेड क्राइम्स होते हैं। जितने आपके पास साधन उपलब्ध हैं, उससे ज्यादा क्राइम करने वालों के पास साधन उपलब्ध हैं। असली बात तो यह है हमारे लोगों में अपने आप अपनी मदद करने की जो भावना पैदा होती है, वह महत्वपूर्ण बात है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि इसमें जगह-जगह से मेरे पास चिटिठयां आयी हैं, लोगों ने कहा है कि आपने आह्वान किया, एक लाख रुपये की घोषणा की। उसका मतलब, हमारा यही आधार था कि हो सकता है कुछ ऐसे जो डेसपरेट हों, जिस तरह वो लोग डेस्परेट हैं, इस तरह से यदि पैसे के नाम पर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को किसी कौन में वे आदमी मिल जाते हैं और उसके आधार पर हमें पता लगता है तो हम उन आदमियों को कभी भी नहीं बख्शेंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो घटनाए आज घट रही हैं उसके पीछे दो आधार निश्चित रुप से हैं, यह साधारण तौर से क्राइम की स्थिति नहीं है। इसमें पंजाब के उग्रवादी लोग हो सकते हैं, चिठिठयां मिल रही हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन उन चिटिठयों को भी हम यह समझ कर कि हमारे ऊपर खतरा है और हम केवल अपनी सुरक्षा की बात सोच रहे हैं और आम तौर से लोगों में जो भय व्याप्त हो जाय उस बात को एक तरफ रख दें यह बात, अध्यक्ष महोदय, कभी भी नहीं होगी। सबसे पहले बात राजस्थान की आम जनता की सुरक्षा की बात है और उसके लिए यह सरकार

(श्री शिवचरण माथुर)

कोई भी कसर नहीं रखेगी यह मैं आपको कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने पुलिस कर्मचारियों की तरफदारी या वकालत करते हुए यहां पर कुछ बातें कहने की कोशिश की और यह बताने की चेष्टा की कि जैसे उसने वक्त में पुलिस कर्मचारियों को पैसा बहुत मिलता था और हमारी सरकार उनको आर्थिक दृष्टि से बहुत क्रिप्पल करना चाहती है, कर रही है। सारे देश की आर्थिक स्थिति से सब लोग परिचित हैं, उसके बावजूद भी यहां पर आपको कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, 1980 में एक कॉस्टेबिल को मिनीमम एमोल्यूमेंट्स 490) रुपया मिलता था और अब 1984 में जो आज की सरकार एक कॉस्टेबिल को 684) रुपये पे कर रही है। तो कहां 490 और कहां 684) रुपया, इसमें कोई फर्क नहीं है क्या ? एक बहुत बड़ा 40 पर्सेन्ट का इन्क्रीज इसमें। मैं यह मानता हूं कि यह इस बात के लिए है कि अगर मंहगाई बढ़ती है तो कम आमदनी वाले व्यक्ति को हम कम से कम थोड़ा सा कम्पन्सेट करने की कोशिश करें और उसके लिए हमारी सरकार ने बावजूद आर्थिक कठिनाइयों के इस बारे में करने की कोशिश की है। 1980 में जनरल प्राइस इण्डेक्स 480 था अब 613 हो गया है उसमें 36 पर्सेन्ट का इन्क्रीज हुआ है और हमने जो जो इन्क्रीज किया है वह 40 पर्सेन्ट का किया है। तो यह कहना कि हम पुलिस कर्मचारियों को आर्थिक दृष्टि से क्रिप्पल करना चाहते है, उनकी सहायता नहीं करना चाहते है, यह तो केवल गैलरीज को प्ले करने वाली बात है, अखबारों में सुर्खियां लगाने वाली बात है, तथ्य से बहुत परे वाली बात है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आप भी उस वक्त में रहे हैं, मैं कोई तुलनात्मक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, हो सकता है आपके दिमाग में बात हो लेकिन उसको करने से पहले ही जनता ने कोई दूसरा फैसला दिया हो, आप कर नहीं पाये हों। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि बहुत असमन्जस्य की स्थिति हमारे पुलिस के कर्मचारियों में थी। हजारों कॉस्टेबिल जो शिक्षा की वजह से, बेरियर की वजह से,क्वालिफाइड न हों उसकी वजह से वह अपनी रिटायरमेंट के वक्त कॉस्टेबल की जगह पर ही हों। हमने निश्चय किया है कि एक नया पद बीच में, हैडकॉस्टेबिल और कॉस्टेबिल के बीच में क्रियेट करेंगे जिसको हम एल. एच. सी. का नाम देंगे, लांस हैड कॉस्टेबिल का नाम देंगे। उसमें जितनी भी हमारी पुलिस की स्ट्रेंथ हैं, 36,000 हैं, उसमें हमने पिछली बार 10 पर्सेन्ट यानी, 3 600 व्यक्तियों को हमने पिछली बार 20 रुपया महावार के हिसाब से विशेष भत्ता देकर उनके पे में वृद्धि की और उनको लांस हैड कॉस्टेबिल का पद दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष हमने निश्चय किया है कि 10 पर्सेन्ट के बजाय हम इस प्रकार के पद साढ़े बारह पर्सेन्ट करेंगे ताकि और जो लोग रह गये हैं उनको भी लाभ मिल सके। पुलिस कर्मचारियों के मरने के बाद में कहा गया कि सहायता नहीं दी जाती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो एक बहुत

(श्री शिवचरण माथुर)

बड़ा कोष है, राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण कोष जिसमें करीब 14 लाख रुपये, जिसमें से हम पूरी मदद उसके परिवार को देते हैं अगर कोई ऐसी ट्रेजडी हो जाती है और एक निर्णय यह भी किया है कि जो पुलिस एक्शन लें, अगर कोई पुलिस कर्मचारी मर जायें...

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार का कितना कन्ट्रीब्यूशन है और कोई लाभ देती है।

श्री शिवचरण माथुर : उसमें हम उसके एक वयस्क पुत्र को नौकरी देते हैं जिस प्रकार की उसकी पढ़ाई का स्तर होता है और हम यह सब राज कर्मचारियों को देते हैं, केवल पुलिस कर्मचारियों को ही नहीं, सबको देते हैं। उसके परिवार में बड़ा लड़का हो या जो भी क्वालिफिकेशन हो उसके अनुसार, बजाय इसके कि वह दूसरे एम्प्लॉयमेंट में जायें, हम किसी एक को नौकरी देते हैं और मुख्य मन्त्री के सहायता कोष से उसको सहायता देते हैं। आमेर से आने वाली माननीय सदस्या सुश्री पुष्पा जी ने यहां पर कहा कि आप इसमें भेदभाव करते हैं, मैं आप को निश्चित रूप से कहता हूं कि इसमें भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो जिलाधीश से हमारे पास सिफारिश आती हैं, उस सिफारिश को ज्यों की ज्यों, बल्कि यहां तक कहा गया है कि यहां स्वीकृति के लिये भेजने की जरुरत नहीं है। जो मौके पर उचित समझें हैं उसको तो वहीं डिस्ब्रर्समेंन्ट कर दें। इसके अलावा भी कोई जिलाधीश यह अनुभव करता है कि ज्यादा सहायता की जरूरत हो उसको भी पे कर दें और बाद में हमारे से रिएम्ब्रर्समेंट ले ले, यहां तक आने की जरुरत नहीं है। मेरे पास आज आंकड़े नहीं है लेकिन मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि मुख्य मन्त्री सहायता कोष का जितना अच्छा से अच्छा उपयोग ऐसे लोगों के लिए इस ढाई तीन साल के अन्दर में हुआ है। मैं आंकड़ों के साथ में अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगा। इसमें कहीं भी मुख्य मन्त्री सहायता कोष का दुरुपयोग नहीं हुआ है, उसमें कहीं भेदभाव करने का सवाल नहीं आता है। हमने तो जिलाधीश को कह रखा है कि मौके पर जितना आप समझते है वहीं पर उसको आप मदद कर दीजिये और उसके बाद अगर और अनुभव करते हों तो हमको लिख दीजिये, हम उसके मुताबिक आपको और सहायता दे देंगे।

श्री अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हरिसिंह जी ने बजट के आंकड़े पेश करते हुए बात कही कि जो पुलिस हाऊसिंग का प्रोग्राम है उसमें हमने कुछ ढील दे दी है। मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि 1983-84 का जो हमारे प्लान का प्रोविजन था वह 30 लाख रुपये का था। इस साल उस प्रोविजन को हमने 40 लाख रुपये कर दिया है। हाऊसिंग के लिए जो 58 लाख रुपये की बजाय 40 लाख रुपये का प्रोविजन आज भी दीखता है उसका कारण यह है कि सेवंथ फायनेंस कमीशन में जो प्रोविजन था वो 28 लाख रुपये का इस साल उपलब्ध हमारे पास था। 30 लाख रुपये था हमारे प्लान

(श्री शिवचरण माथुर)

का प्रोविजन का और 28 लाख रुपये जो हमें सेवंथ फाइनेंस कमीशन से मिलने का हमने सोचा था वह प्रोविजन हमारे पास उपलब्ध है तो कुल निधि जो है 58 लाख रुपये दीखती है। इस साल जो हमारा प्रोविजन था उसमें 10 लाख रुपये और बढ़ाया है और चूंकि एट्थ फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट अभी आने वाली है उस एट्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट से हमें क्या प्रोविजन मिलने वाला है, उस के आधार पर भी हाउसिंग का प्रोग्राम बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपका ख्याल कि हमने पुलिस हाउसिंग को किसी प्रकार से पीछे रखा है। यह सही नहीं है। हम जानते हैं कि कांस्टेबल्स को, हैड कान्स्टेबल्स को और अन्य कर्मचारियों को आज आवास की आवश्यकता है। और इनके लिए काफी बड़े परसेंटेज में हमें उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी है लेकिन आर्थिक साधनों की कमी की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें ये काम एक साथ नहीं करने हैं। इसीलिए हमें फेजेज में काम करना पड़ेगा और हर साल हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले साल तो हमने एल. आई. सी. हुडको की मदद लेकर और इस कार्यक्रम को बहुत बड़े पैमाने पार करने के बावजूद इस साल और बढ़ाना चाहते है। हुडको की मदद लेना चाहते हैं एल. आई. सी. से भी मदद लेकर के इस काम को बहुत बड़े पैमाने पर करने की हमारी इच्छा है और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हम हर संभव जितने भी हमारे पास साधन हैं उन साधनों के आधार पर हम इस काम को करना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अधिकतर माननीय सदस्यों ने पुलिस के अच्छे इक्विपमेंट, आधुनिकीकरण और पुलिस की एफिसियेंशी को बढ़ाने वाली बात यहां पर कही है, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने वाली बात कही है और यह कहा कि वायरलेस सेट सब जगह होना चाहिए मैं कहना चाहता हू कि वायरलेस सेट राजस्थान के प्रत्येक थाने में आज उपलब्ध है और यहां पर उसको और बढ़ाने का जहां तक सवाल है जो नेशनल हाईवे के थाने हैं जहां पर कि ज्यादा शक्ति को हम वायरलेस सेट लगाने की आवश्यकता हम समझते हैं वहां पर हम उसको और प्रोवाइड करने का हमने प्रोविजन रखा है और जहां नये थाने लगाने वाली बात आती है उसको भी जितने साधन हमारे पास हैं उसके हिसाब से हम बढ़ाना चाहते हैं। 1983-84 में जी आर. पी. सहित 12 नये थाने और 6 नयी चौकियां स्थापित की गई कोटा जिले में जो नये थाने स्थापित किये गये दादावाड़ी, रेल्वे कालोनी, विद्यानगर, दीगोंद आदि हैं। चौकी दो शुरू की गयी डूंगरपुर कस्बे में। उदयपुर के फतेहनगर में शुरु की गयी एक और चौकी मुकाम बीकानेर में लगायी गयी। जोधपुर में प्रतापनगर में और एक चौकी कोटा में शुरू की थी। गंगानगर में ऐक लालगढ़ में एक थाना शुरू किया गया। सीकर में रींगस में शुरू किया गया नया थाना, जयपुर में रूरल में शुरू किया गया। जी. आर. पी. सवाईमाधोपुर मे वाजिदपुर में एक थाना शुरू किया गया और सिरोही में रेवदर में थाना शुरू किया गया। इसी तरह से इसरदा सवाई माधोपुर में एक चौकी कायम की गयी और जी. आर. पी. की किशनगढ़ में और जी. आर. पी. की हिंडोन में चौकी कायम की गयी। 1984-85 में दो नये थाने एक फलेना भरतपुर जिले में और एक प्रतापनगर भीलवाड़ा में कायम करने का प्रस्ताव है। इसका कार्य किया जायेगा। तीन चौकियां

(३०२)

(श्री शिवचरण माथुर)

बागोड़द, झालावाड़, मान टाउन सवाई माधोपुर में और लिहाड़ी अलवर को थानों में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है। नयी चौकियां जैसे गंगानगर और मेवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर एवं मानपुर भानपुर कलां जिला जयपुर में खोलने का प्रस्ताव है। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, रेल्वे पुलिस की पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत हमने कुछ नये पद सृजित किये हैं। निरीक्षक पुलिस तीन उप निरीक्षक दो, सहायक निरीक्षक दो, मुख्य आरक्षक है,तीन, आरक्षक। 10। कोटा अजमेर जोधपुर रेल्वे पुलिस थानों पर निरीक्षक स्तर के थाना प्रबंधक रखे जायेंगे। गंगानगर एवं सादूलपुर रेल्वे चौकियों को वर्ष 1983-84 में थानों में क्रमोन्नत किये गये हैं। रेलों की सुरक्षा की दृष्टि से बांदीकुई, भरतपुर एवं अलवर रेवाड़ी के बीच रेलगाड़ी में विशेष सशस्त्र गार्ड रखे जायेंगे। कोटा एवं अजमेर रेल के थानों में वर्ष 1984-85 में जीप उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। आर. ए. सी. के बारे में भी, यहां पर कहा गया, मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आर.ए.सी. को हम केवल स्ट्रेंथ के पाइंट से ही नहीं बल्कि उनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग के पाइंट से काफी स्ट्रेंग्थ करने का हमारा प्रस्ताव है और इसमें भी कुछ बढोत्तरी करने की बात हम सोचते हैं। आधुनिकीकरण के क्षेत्र में कंट्रोल रूम की सुविधाओं का बढ़ाना हमारा विचार है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, अध्यक्ष महोदय, अभी चार-पांच दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय पर एक केन्द्रीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जो 24 घंटे काम करता है। और इसका सीधा संपर्क अजमेर, जोधपुर, सीकर और टोंक से स्थापित कर दिया गया है। राज्य के 6 प्रमुख शहरों में कंट्रोल रूम तथा उड़न-दस्ते काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संचार व वायरलेस की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान के समस्त 552 पुलिस थाने वायरलेस से जुड़े हुए हैं। जी. आर. पी. के अलावा। राज्य में 1250 केन्द्र अचल आधार पर कार्यरत हैं। संचार व्यवस्था के विकास हेतु बी. एच. एफ. पद्धति के माध्यम टेलीप्रिंटर का काम चालू करने का काम प्रगति पर है और पुलिस मुख्यालय पर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में एच. एफ., बी. एच. एफ. एवं टेलीप्रिंटर द्वारा सभी जिलों से सीधा संपर्क स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। टौंक, अजमेर, सीकर, जोधपुर से रेडियो टेलिफोन द्वारा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। चुरू जिले में एक रिपीटर स्टेशन स्थापित किया गया इस तरह से राजस्थान भर में कुल रिपीटर स्टेशन की संख्या 18 हो गयी है। इन स्टेशनों के माध्यम से जिलों का आपसी और हैड मुख्यालय से सीधा संपर्क उपलब्ध है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि और सीधी जानकारी और तुरन्त उपलब्ध हो सके इसके लिये टेलीप्रिंटर की सुविधा को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। अभी 11 जिलों, अलवर, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, टौंक, सीकर, झुंझुनु, चुरू, नागौर, बांसवाड़ा, गंगानगर, जोधपुर में टेलीप्रिंटर सुविधाएं उपलब्ध है और इनको हम फेजेज में और बढ़ाना चाहते हैं। लक्ष्य यह है कि सभी जिलों में हम टेलीप्रिंटर सुविधाएं शीघ्र ही उपलब्ध करा दें ताकि बहुत जल्दी मेसेज को हम कन्वे कर सकें। राज्य सरकार ने वर्ष 1983-84 में आधुनिकीकरण के अन्तर्गत

(श्री शिवचरण माथुर)

वायरलेस सैट्स क्रय करने हेतु 10 लाख रुपये की राशि हमने रखी है। इसमें एच. एफ. सैट्स चार, एच. एफ. बी. 125 वाट वाले चार सैट, एच. एफ. हाई बेल्ट 20, और बी. एच. एफ. मिड बेल्ट 44 लगाने का इस साल प्रस्ताव है। पुलिस थानों में टेलीफोन की संख्या निश्चित रूप से कम हैं इससे हम इन्कार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर 348 पुलिस थानों में टेलीफोन हैं और इसमें इस सुविधा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर साल टेलीफ़ोन और बढ़ाने की हमारी योजना है और 84-85 में 10 थानों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। वाहन व्यवस्था के संबंध में भी हर साल पैसा देने के बावजूद वाहनों की कमी है लेकिन हमने जो एट्थ फायनेंस कमीशन प्रस्ताव रखे हैं, अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार सभी पुलिस स्टेशनों को हम जीप देना चाहते हैं। हमने जो आठवें फायनेंस कमीशन के सामने प्रस्ताव रखे हैं उनमें 36 नये सर्कलों के सृजन करने का प्रस्ताव रखा है। 92 नये थानों की स्थापना के संबंध में हमने प्रस्ताव भेजा है। 29 नयी चौकियां शहरों में और थानों की वर्तमान जो नफरी स्ट्रेंग्थ है उसमें उसकी बढ़ोतरी 394 नयी जीपों की उपलब्धता के बारे में हमने प्रस्ताव भेजा है और 413 नये टेलीफोन की व्यवस्था करवाने का हमारा प्रस्ताव है। मैं सोचता हूं कि एट्थ फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में जितना भी हमको इसमें साधन मिलेगा उससे अंदाज लगता है कि अधिक से अधिक ये सारी सुविधाएं हम हर थाने में पहुंचाने की स्थिति में आ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक बात मुझे यहां निवेदन करते हुए गौरव है कि डेढ़-दो साल के अन्दर में हमने सबसे अधिक जोर दिया तो पुलिस की ट्रेनिंग पर जोर दिया। क्योंकि सही बात है कि अगर ट्रेनिंग का सिलसिला आप लगातार चालू नहीं रखते हैं तो आप कितनी भी स्ट्रेंग्थ रख लीजिये उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है और जितने भी हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, पांच ट्रेनिंग स्कूल्स, जोधपुर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर और राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण स्कूल जयपुर इन सबको आधुनिक बनाने के लिए नये उपकरण वहां पर भेजे जा रहे हैं और जो प्रशिक्षणार्थियों की आज जो हमारी संख्या 1000 है उसको....

(10.00 रात्रि)

उसमें हमने 2838 कर्मचारियों को इस साल ट्रेनिंग दी है। और लगातार, इसकी ट्रेनिंग का सिलसिला हम एक कन्टीन्यूस प्रोसेस में चला रहे हैं। इसमें अधिकारियों के प्रारम्भिक शिक्षण की व्यवस्था की गई है। 1198 व्यक्तियों को पी. सी. सी. कोर्स कराये गए। इसके अलावा एडवांस ट्रेनिंग के लिये 65 अधिकारियों को दिल्ली, हैदराबाद, चण्डीगढ़ आदि स्थानों पर भेजा गया। एक उच्च अधिकारी को प्रशिक्षण हेतु जापान भेजा गया जो प्रशिक्षण प्राप्त करके अभी शीघ्र आये हैं। इस तरह से---

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और बेकार बैठे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : उपयोग हो रहा है उनका। इस वर्ष 14 अधिकारियों

(श्री शिवचरण माथुर)

को प्रशिक्षित किया गया। अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों में एटीट्यूशनल चेन्ज हो, किस तरह से व्यवहार बदले उनका जनता के प्रति, इस तरह के कोर्सेस भी प्रारम्भ किये गए हैं जिससे कि जनता के साथ डील करने का उनका एक एटीट्यूड बने। आज के संदर्भ में इस प्रकार की आवश्यकता है और इस प्रकार की ट्रेनिंग की हम कार्यवाही कर रहे हैं। गोरे कमेटी के सुझावों के अनुसार हम इस ट्रेनिंग को नया स्वरूप देने की कोशिश में है ताकि आज के संदर्भ में इस ट्रेनिंग का एक अच्छा आधार हम लोग प्रस्तुत कर सकें।

जहां तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री का सवाल है, उसका अधिक से अधिक अच्छा उपयोग हो, इसके लिए एक उच्च कोटि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिससे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं और उनके पास जो नॉलेज है उसको और अप-ग्रेड कर सकें, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मैने कुछ बातें, जो पुलिस को माडर्नाइज करने के लिए सरकार कर रही है, उसके संबंध में मैने आप से निवेदन किया।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा बहुत गम्भीरता से कि जिस प्रकार के नये ट्रेन्ड्स आज क्राइम के फील्ड में आ रहे हैं, खास तौर से औद्योगिकरण के साथ में और एफ्ल्युएन्स के साथ में उसको हम कैसे डील करें. इसके बारे में भी हम लोग सतर्क हैं। और खास तौर से हिन्दुस्तान के संदर्भ में आज हम इस समस्या को कैसे डील करें, इसके बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आप से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि इसको हमें दूसरे संदर्भ में देखना पड़ेगा। यहां विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं कि चुनाव में, राजस्थान के उप-चुनावों में जीतने का सवाल एक तरफ रखिए लेकिन आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी, वहां कांग्रेस की हार हुई, उसका मूल कारण यह था कि आज वहां पर कोई भी अखिल भारतीय स्तर की, नीतियों के आधार पर बनी हुई, जिसका देश के स्तर पर वर्चस्व हो, ऐसी पार्टियां वहां नहीं जीतीं। वहां पर जीती हैं अलगाववादी पार्टियां, रीजनल पार्टियां जो देश के, हिन्दुस्तान के टुकड़े करना चाहती हैं यही कारण है....

(व्यवधान)

मेरी बात सुन लीजिए, यही कारण हैं, यही चिन्ता का विषय है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ठीक नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल यही है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य।

305

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहते हो, तामिलनाडु की पार्टी अलगाववादी है तो फिर आपने तमिलनाडु की रूलिंग पार्टी से समझौता क्यों किया ?

श्री शिवचरण माथुर : वह अलग प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अलग क्या है ?

श्री शिवचरण माथुर : वह अलग प्रश्न है। देट इज ए सैपरेट थिंग।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : मैं कांग्रेस पार्टी की हार वहां मानता अगर कर्नाटक में, आंध्र में कोई कम्यूनिष्ट पार्टी का राज्य हो जाता, कम्यूनिष्ट पार्टी का मार्शल हो जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जनता पार्टी का राज तो है....

श्री शिवचरण मथुर : जनता पार्टी का राज नहीं है वहां पर। वहां पर कई पार्टियों क्रान्ति रंगा और कई पार्टियों ने मिलकर एक खिचड़ी बनाई है, वहां पर सब रीजनल पार्टीज एक प्रकार से आई हैं। और, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है तो अध्यक्ष महोदय, यही है, कि दक्षीण में, जम्मू कश्मीर में और अलग-अलग हिस्सों में रीजनल पार्टीज उभर कर आ रही हैं लोकल नारों पर, लोकल स्लोगंस पर....

श्री यदुनाथ सिंह : संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं, मुख्य मंत्री जी, संविधान में कहीं नहीं कहा गया है कि रीजनल पार्टीज नहीं बनेंगी....

श्री शिवचरण माथुर : मैं कह रहा हूं ? यह मैंने नहीं कहा।

श्री यदुनाथसिंह : फेडरल सिस्टम है। आप कह रहे हो ना कि रीजनल पार्टियां देश के लिए खतरनाक हैं, यह बात मत बोलिये।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह नहीं कहा कि उनको अधिकार नहीं है लड़ने का।

श्री यदुनाथ सिंह : अलगाववादी मत कहिये।

श्री शिवचरण माथुर : नो, नो, मैंने यह नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने सारी पार्टीज पर चार्ज लगाया कि वह अलगाववादी हैं, देश का विभाजन करना चाहती हैं, यह चार्ज बिल्कुल गलत है, मुख्य मंत्री जी वापस लें।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा दृष्टिकोण है यह आपको....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका दृष्टिकोण क्या है ? आप मुख्य मन्त्री हैं।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो सर्वमान्य दृष्टिकोण है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई सर्वमान्य दृष्टिकोण नही है

श्री शिवचरण माथुर : सर्वमान्य दृष्टिकोण है बिलकुल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप उन पार्टीज पर चार्ज लगा रहे हैं जो पार्टीज यहां पर जवाब नहीं दे सकती हैं, उनको कह रहे हैं कि वह अलगावबादी हैं, देश का विभाजन करना चाहती हैं।

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कहां है ? बिल्कुल नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : बिल्कुल सत्य है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बिल्कुल नहीं है, गलत।

श्री अध्यक्ष : शांत रहें।

श्री शिवचरण माथुर : अगर अलगाववादी पार्टी नहीं होती तो दक्षिण में उभरने वाली पार्टियां यह नहीं कहती....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह हमारा कन्सिडर्ड व्यू है।

श्री यदुनाथ सिंह : यह सही नहीं है। You must correct yourself

श्री शिव चरण माथुर : you may be wrong.

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह आपका गलत व्यू है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, अगर उनमें भारत को बांटने की प्रक्रिया को चुनने का एक आधार नहीं होता तो वह पार्टियां यह नहीं कहती कि हिन्दुस्तान में केन्द्र को कमजोर कर दिया जाय। अगर हिन्दुस्तान में केन्द्र कमजोर हो गया, अध्यक्ष महोदय, तो न हमारे प्रदेश का विकास होगा, न हमारे प्रदेश आगे बढ़ेंगे....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : किसी नेता ने, किसी पार्टी ने यह नहीं कहा कि केन्द्र को कमजोर किया जाय। राज्य मजबूत हो इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि केन्द्र कमजोर हो जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाय।

(व्यवधान)

बैठ जायं कृपया। आर्डर प्लीज, बाधा न डालें उत्तर में, माननीय सदस्य।

श्री चन्दनमल बैद : लोकदल भी वैसा ही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विवाद में न पड़ें माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : फिर अध्यक्ष महोदय, यह अनर्गल आरोप नहीं लगायें। विवाद का सवाल नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर अलगाववादी हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उन प्रोपर्टीज को बैन क्यों नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाय, आपने एक प्रश्न उठाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आखिर इससे बड़ा अपराध क्या होगा।

श्री शिवचरण माथुर : यही तो हमारे प्रजातन्त्र की खूबी है।

श्री अध्यक्ष : यह तो राजनीतिक गर्दिश का प्रश्न है....

श्री यदुनाथसिंह : अलगाववादी हैं तो अलगाववादियों पर भी आप चार्ज लिखकर लेंगे। बैन लगाइये उन अलगाववादियों पर क्यों नहीं बैन लगा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, आर्डर, आर्डर....

श्री यदुनाथसिंह : अलगाववादी कैसे कह दिया ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री यदुनाथ सिंह : इतनी हल्की बात नही कहनी चाहिए मुख्यमंत्री को, अध्यक्ष महोदय, कि अलगाववादी बता दिया पार्टियों को।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम क्या बैन लगायेंगे, जनता बैन लगा देगी।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या ? आप से ज्यादा देशभक्त हैं वे लोग।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जहां ठोकर मार दी वहां क्यों नहीं कहते हो, बैन लगा दें ?

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो जनता बैन लगा देगी थोड़े दिनों।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य। बैठ जायं।

श्री परसराम मदेरणा : राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग होने वाले अलगाववादी नहीं हैं तो और क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, मन्त्रीजी।

श्री यदुनाथ सिंह : संविधान का वह कितना सम्मान करते हैं, उसको जितना आप मानते हो, मैं मानता हूं, उतना ही वह भी मानते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर, बैठ जायं।

श्री मेघराज तावड़ : इस तरह के चार्ज नहीं लगायें ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हम तो करते हैं तुम आ जाओ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, मंत्रीजी। बैठ जायं, कृपया बाधा न डालें। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूं, तो मैं यह कभी नहीं कहता कि किसी पार्टी को चुनाव-लड़ने का अधिकार नहीं है। वहां अगरा कहने वाली बात आती तो संविधान के खिलफ बात आती है। लेकिन हमारा दृढ़ मत है कि जो पार्टियां सारे देश का एक स्तर नहीं रखतीं, सारे देश के परिप्रेक्ष में सोचने की शक्ति नहीं रखतीं, जिनके पास नीति नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, वह निश्चित रूप से....

(व्यवधान)

आपकी पार्टी को तो मैं अग्रवादी मानता हूं, आप क्यों....

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आपकी पार्टी को तो मानते हैं मुख्य मंत्रीजी।

श्री शिवचरण माथुर : आपकी पार्टी तो अखिल विश्व पार्टी है। आप क्यों इनका साथ देना चाहते हैं ? हां भले ही आप एक ही हो यहां पर लेकिन हैं आप अखिल भारती पार्टी के। लेकिन यह जो पार्टियां रीजनलिज्म के नाम से, लोकल नारों के नाम से, लोकल भावनाओं को उभार कर के जो आ रही हैं, अध्यक्ष महोदय, यह देश को एक बहुत बड़ा खतरा है इस खतरे को हमें साफ समझ लेना चाहिए। यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है। हमने प्रजातन्त्र को इतने अर्से में कायम किया है। और आज इस देश को एक रखने को, अखण्ड रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, सत्ता में रहे नहीं रहें, किसी प्रदेश में हमारी सरकार बने नहीं बने, उसकी हमें चिन्ता नहीं है। ... कांग्रेस निरन्तर, हमेशा इस देश को महान अखण्ड और एक रखने में अपना विश्वास रखती है। उसी आधार पर हम लोग काम करना चाहते हैं हमने कभी भी सुविधा की राजनीति की दृष्टि से हिन्दुस्तान के टुकड़े बर्दाश्त नहीं किये हैं। और, आज भी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य कृपया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप सीरियस लगा रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी कृपया बिराज जायं, विपक्ष के नेता भी बिराज जायं। हमारे नियमों के अन्दर आरोप न लगाने का प्रस्ताव है लेकिन वह आरोप होता है व्यक्ति के खिलाफ, उसके खिलाफ अपमानजनक या आरोपित करने वाली बात नहीं कही जाय। लेकिन यह कभी नहीं होता है कि किसी पार्टी के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है, यह अपना-अपना राजनीतिक दर्शन है, अपना-अपना दृष्टिकोण होता है, पार्टियों को पूरी छूट होती है कि वह

एक दूसरे के खिलाफ कह सकें। इसलिए, इस सम्बन्ध में मेरी यह व्यवस्था है कि यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में इस कांग्रेस के बराबर कोई अन्तर्राष्ट्रीय पार्टी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह आप कह सकते है। आप खुले कहिए, विपक्ष के माननीय नेता....

(व्यवधान)

आर्डर बैठ जाय माननीय सदस्य, बोले नहीं

आप खुलकर कहिये कि आपकी पार्टी सबसे अच्छी है और सत्तारूढ़ दल अच्छी पार्टी नहीं है। आपको यह भी स्वतन्त्रता है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, हमने कभी इन्कार नहीं किया, चुनाव की सभाओं में इस बात को कहिये जनता फैसला करेगी। जनता हमारी नीतियों को मानती है या आपकी मानती है यह जनता पर छोड़िये लेकिन हमको यह कहने का अधिकार है कि कोई पार्टी देश के बारे में क्या दृष्टिकोण रखती है।....

श्री यदुनाथ सिंह : आपने तो मुस्लिम लीग से समझौता किया था जिसने देश के टुकड़े कराये थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया; बैठ जायं, आर्डर माननीय सदस्य....

श्री यदुनाथ सिंह : आपने तो मुस्लिम लीग से समझौता किया था....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, राज्य मन्त्री जी, कृपया....

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुट्टा मैरेज का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

(व्यवधान)

शान्त रहें माननीय सदस्य....

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि आज सारे देश में जिस प्रकार की प्रवृत्तियां घर करती जा रही हैं उससे उत्पन्न हुई स्थितियों के कारण बहुत सी समस्यायें हमारे देश में पैदा हो गई हैं। आज पंजाब के अन्दर कुछ लोग यह कहना चाहते हैं, मैं पंजाब के आम आदमी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं बल्कि सिख समुदाय के बारे में कहना चाहता हूं कि वह देश का विभाजन नहीं चाहते हैं, पंजाब का विभाजन नहीं चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं और मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ी संख्या है आज उन्होंने यह स्थिति बना रखी है। पंजाब के आम आदमी से आप पूछिये, आम नागरिक से पूछिये हिन्दुस्तान की एकता में उनका विश्वास हैं और मैं समझता हूं कि वही हमारी शक्ति है। मैं

(श्री शिवचरण माथुर)

तो राजस्थान के सिख समुदाय के बारे में कहना चाहता हूं अब जब भी यह सवाल आया उन्होंने साहस से और हिम्मत से बहुतों ने इस बात को कहा है कि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान की एक ईंच भूमि पर भी अगर किसी ने देखने की चेष्टा की तो हम उसका मुकाबला करने के लिये तैयार हैं—यह यहां के सिख समुदाय का कहना है। यह हमारी शक्ति है। उसमें कुछ मुट्ठी भर लोग अगर आतंक फैला करके कुछ दिन ऐसी स्थिति को बनाये रखना चाहते हैं उसका भी एक अन्त अ , हमारे डील करने का एक तरीका होता है—हम आज उसको ढंग से समझौते से कोई बात हो सकती है तो उसको निपटाने में हमारा विश्वास है और प्रयास करके एक किसी समुदाय को दबाने की बात हम कभी भी नहीं करना चाहते और यही बात है आप चाहे भले ही आज इन्दिरा गांधी को दोष दें, चाहें भारत सरकार को दोष दें, भारत सरकार मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था कि एक वृहत् परिपेक्ष्य में एक बड़ी भावना से कांग्रेस इन समस्याओं को जरा गंभीरता से लेती है और उनका हल निकालने के लिये अगर थोड़ा लम्बा समय भी लगे तो उसको लम्बा समय देकर उसका हल निकालना चाहिये, जोश में आकर एक ऐसा कदम उठाने की न हमारी इच्छा है न भारत सरकार की जिससे कि और उसके खराब परिणाम निकले, उसके परिणाम चाहे देर से निकलें लेकिन हम उसका एक पुख्ता और सही हल उसका निकालना चाहते हैं न किसी समुदाय को उसके लिये ब्लेम करना चाहते हैं, भारत के आम लोग देश की एकता चाहते हैं, अखण्डता चाहते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो आज इस प्रकार की प्रवृत्तियां हमारे देश में बढ़ रही हैं उन प्रवृत्तियों को इस पक्ष में बैठने वाले और उस पक्ष में बैठने वाले सभी सदस्य उसको गंभीरता से सोचें यह नहीं सोचें कि एक हिस्से में जो कुछ भी वातावरण बन रहा है उसका असर यहां पर नहीं पड़ेगा, यहां पर भी उसका असर पड़ने वाला है लेकिन उसका असर पड़े उसके पहले हम उसका उपचार ढूंढलें और उसमें वृहत् दृष्टिकोण से देखकर हल निकालने की कोशिश करें। आज के युग की आवश्यकता यह है और उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा और विरोधी पक्ष के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चहूंगा कि आप इस बारे में सरकार की मदद करें, सरकार का सहयोग करें, हम आपका सहयोग लेने के लिये हमेशा तैयार हैं और जो कुछ भी अभी राजस्थान में कुछ दिनों से परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ऐसी ताकतों का ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से हाथ है। उसको हमें समझना चाहिये और जो भी जानकारी अगर आप यहां पर नहीं देना चाहें और कहीं देना चाहें तो मैं उनका स्वागत करुंगा और अलग से भी बैठकर के आप और हम बात कर सकते हैं तो करें। इसमें आपका और हमारा उद्देश्य एक है राजस्थान हम सब का प्यारा है, राजस्थान की हर समस्या और हर जो दिक्कते हैं वह हमारी दिक्कते हैं। हमारी सीमा राजस्थान की सीमा राजस्थान की सीमा हैं उस पर अगर कोई भी व्यक्ति उसमें अड़चन डालने की कोशिश करता है उसमें आपका और हमारा एक दृष्टिकोण है उस पर कहीं पर भी टकराव नहीं है, इसलिये ऐसे लोगों से निपटने के लिये मैं यहां पर सदन में बहुत सी बातें

(श्री शिवचरणमाथुर)

नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमरी पूरी तैयारिया है कोई भी व्यक्ति राजस्थान में इस प्रकार की घटना करेगा उसको हम शक्ति से निपटेंगे मैं यही कहना चाहता हूं....

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने गवर्नमेंट के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं मैंने उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुना है मैं उन बातों को यहां पर कहना उचित नहीं समझता हूं और ना ही कहना वाजिब है और यह उचित भी नहीं है आमतौर से किसी आधार पर उनको कहा जाय आपने बहुत सी बातें कह दी होंगी। क्या तथ्य हैं क्या नहीं है एक तरह के लोगों के बारे में आप अलग दृष्टिकोण रखते हैं दुसरे लोगों के बारे में दुसरी तरह का दृष्टिकोण रखते है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं हम लोगों ने निश्चित रूप से सोचा है और हम विश्वास करते हैं कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का हो, अगर वह पाकिस्तान को मदद करता है, पाकिस्तान का पक्ष लेता है तो हम यदि निश्चित रूप से उसको डील करेंगे और हमारे किसी भी व्यक्ति को वहां पर यदि किसी प्रकार की तकलीफ देने वाली बात करता है तो हम हम उसको इसकी इजाजत नहीं देंगे।

जहां तक सवाल पाकिस्तान से आकर राजस्थान कैनाल पर जमीन को हड़पने का सवाल आपने कहा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने जब पिछली बार जब जोधपुर की वाटर वर्क्स की स्कीम का शिलान्यास करने गया था तब मैंने यह बात जैसलमेर के निवासियों से भी कही थी कि हमारा निश्चित रूप से मत है कि राजस्थान कैनाल जो यहां पर आ रही है उसमें सबसे पहले उस जमीन में बसने का हक उस तहसील का है, जिसमें से राजस्थाल कैनाल पास हो रही है, और उसके बाद में अगर जमीन बच जाती है तो उस जैसलमेर जिले के या पड़ोसी जिले के लोगों के बसने का हक है और अगर उसके बाद भी जमीन बचती है तो राजस्थान के लोगों का बसने का हक है। हम किसी भी बाहर के व्यक्ति को, पाकिस्तान से आने वालों का तो सवाल ही नहीं उठता बल्कि राजस्थान से बाहर के आने वाले व्यक्ति को भी वहां आम तौर से हम इजाजत नहीं देते। ठीक है कि अगर कोई बहुत गैलेन्टरी अवार्ड किसी को मिला हो उसके लिये तो हम एक्सप्टेन्स कर सकते हैं लेकिन सबसे पहला हक जैसलमेर के इलाके को, जहां से राजस्थान कैनाल पास हो रही है उसका है, उसके बाद के जिले को, उसके बाद उसके नजदीक के जिले का राजस्थान कैनाल पर हक है यह एक बार नहीं हमने कई बार स्पष्ट किया है। और उसमें जो भी जानकारी आपके पास हो कृपा करके आप मुझे दे दीजिये मैं उस जानकारी का उपयोग करूंगा और में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान कि 640 मील सीमा जो पाकिस्तान से मिलती है उस पर हम लोग सतर्क हैं और एक बात और मैं आपसे कहता हूं हालांकि मेरा क्षेत्र नहीं है लेकिन जो भारत सरकार की तैयारी है, भारत की तैयारी है, पाकिस्तान ने यदि हमारी भारत की पवित्र सीमा पर अब की वार कहीं पर भी कुछ निगाह

(श्री शिवचरण माथुर)

भी उठाने की कोशिश की तो पाकिस्तान को इतना जबर्दस्त सबक सिखाया जायेगा कि वह दुबारा आंख नहीं उठा सके। यह जिम्मेदारी हम सब की है, भारत सरकार की है, सरकार की है, हम सब लोगों की है हमारे लिये हमारा देश प्यारा है।

जहां तक बोर्डर की चौकसी का सवाल है आज बी. एस. एफ. की फस्ट बटालियन आज उसकी रक्षा करती है और वह भी सतर्क है। कहीं पर भी कार्डिनेशन का सवाल कि सिविल पुलिस में और बी. एस. एफ. में कार्डिनेशन नहीं होता है। आप कोई ऐसा केस हो तो मुझे बताइये, आपने सब बातें जनरलाइज करके बताई स्पेस्पिक बात कोई नहीं कहे, आपको स्पेस्पिक बात मुझको बतानी चाहिये थी, मैं निश्चित रूप से उन चीजों को देखूंगा लेकिन आपने सब बातें जो हैं आपने पौन घन्टे के भाषण में जनरलाइज करके सब बातें कहीं लेकिन कोई भी स्पेस्पिक बात नहीं कही, यहां नहीं कही, तो मुझे अलग से बता दीजिये मैं स्वागत करूंगा। हम इस सारे कार्डिनेशन को इम्पेक्ट करने में पूरी कोशिश करेंगे, हमारी सीमाओं पर कोई भी किसी प्रकार की बात होती है तो हम उसकी सुरक्षा के लिए पूरी जिम्मेदारी से जो कुछ अलग तरीका है इसको पूरा करने के लिये कोशिश करेंगे। मैं यह नहीं कहता कि कमियां नहीं हैं, कमियां हो सकती है लेकिन उन कमियों की जानकारी आने पर उन कमियों को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। यही मैं इस मौके पर, अध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्लेक्टर, जैसलमेर, महेन्द्र व्यास ने आपको चिट्ठी लिखी थी। आपने क्या किया ?

श्री शिवचरण माथुर : यहां पर मेरे पास जानकारी नहीं है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पेस्पिक की आपको जानकारी नहीं होती

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी लेकर बता देंगे।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, अब मैं हमारे पुलिस के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो सहूलियतें दिये जाने वाली बात है, उस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा वैलफेयर की एक्टीविटीज के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने यहां पर काफी चर्चा की। मैं निवेदन करना करूंगा कि इस 1984-85 के साल में हम पुलिस थानों पर ड्रिंकिंग वाटर परपज के लिये 5 लाख रुपये खर्च करेंगे। टायलेट फैसेलिटीज के लिये 4 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जायेगी, स्पोर्ट्स फण्ड और आल इण्डिया स्पोर्ट मीट्स और राजस्थान पुलिस अकेडमी के स्टेडियम के लिये 4 लाख रुपये की धनराशि इस साल मंजूर की गई है, इलेक्ट्रिक फेन्स के लिये ढाई लाख रुपये खर्च किये जायेंगे, फोर्स को जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 10 पर्सेन्ट से हमने मांग पर थानेदार के पद पर चयनित किया है उसमें 2 लाख 20 हजार रुपया खर्च होगा, मैस अलाउन्स जो पिछली बार मिलता था

(श्री शिवचरण माथुर)

उसको 5 रुपये से बढ़ाया है उसमें 25 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। मैस अलाउन्स लगातार हम हर साल बढ़ाते रहे हैं। इस साल 5 रुपये 7 रुपये की बढ़ोतरी की जायेगी। इसी प्रकार से स्टेट कण्ट्रोल रूम को सुसज्जित करने के लिए साढ़े तीन लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी। होमगार्ड और सिविल डिफेन्स जो हमारा बहुत अधिक अधिक महत्वपूर्ण अंग है, शान्ति के समय में और आम ड्यूटी को अन्जाम देने के सम्बन्ध में, उसमें करीब चार हजार की एक्स्ट्रा मैनपावर हम बढ़ायेंगे जिसमें सात लाख खर्च होगा हमारे हिस्से का, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का हिस्सा हमको मिलेगा। इसी प्रकार से होमगार्ड्स के वेलफेयर फण्ड और स्पोर्ट्स में डेढ़ लाख रुपये की राशि रखी गई है। कुल मिला करके 54 लाख 70 हजार रुपया इस साल हम पुलिस वेलफेयर में और अन्य बातों में खर्च करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यहां पर और कही गई कि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कि पुलिस का काम बहुत बढ़ गया है और एक प्रकार से सुपरिण्टेण्डेंट ऑफ पुलिस से वह काम सम्भव नहीं है। खास तौर से जयपुर के बारे में कहा गया, जयपुर सबसे बड़ा शहर हमारे राजस्थान का है और प्रदेश की राजधानी है, इसकी आबादी लगातार बढ़ रही है। एक सुपरिन्टेंडेन्ट पुलिस सारे जयपुर को और जयपुर के रूरल एरिया को सभालने की स्थिति में नहीं है। यह निश्चय किया गया है कि जयपुर में निश्चित रूप से एक एस. पी. रूरल होगा और एक एस. पी. सिटी होगा अलग से ताकि सिटी जयपुर की समस्याओं को वह देख सके और रूरल समस्याओं को वह देख सके। इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, कोटा चूंकि राजस्थान की इण्डस्ट्रियल केपिटल है और वहां पर दूसरी प्रकार की समस्यायें सामने आती है वहां की आबादी भी काफी आगे बढ रही है, खास तौर से क्राइम डिफरेन्ट टाइप के वहां पर हो रहे इसलिए यह निश्चय किया गया है कि कोटा में भी एक एस.पी. सिटी होगा और एक एस. पी. रूरल होगा। यह दो निश्चय हमने किये हैं और इसको आगे और दूसरे शहरों में भी बढ़ाने वाली बात सोचेंगे। मैं समझता हूं, इसके बाद में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : कलेक्टर एक एक ही रहेंगे क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह सारे प्रकरण में मैं एक बात अनुभव करता हूं कि हमको क्राइम्स के डिटक्शन में, पुलिस को जन-सहयोग मिलने के सन्दर्भ में हमें काफी गम्भीर चिन्तन करना है और मैंने निश्चय किया है कि इस बात को हम पार्टी टाइप पर नहीं सोच करके सभी पार्टियों के माननीय नेताओं से हम कुछ सलाह करना चाहते हैं। हम कैसे अधिक से अधिक लोगों का सहयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यहां पर कहा कि पुलिस की सहायता नागरिक नहीं करते, घटना घट जाती है तो उस सम्बन्ध में जानकारी नहीं देते हैं, आखिर यह क्यों ? इन्वेस्टीगेशन का तरीका इतना कम्बरसम है कि जो जानकारी देना चाहेगा उसी को पुलिस इस प्रकार से अपनी तरफ से परेशान करती है उसको

(314)

(श्री शिवचरण माथुर)

अदालत में भी जाना पड़ता है। इसलिए हम इस प्रोसीजर को सरल बनाने के बारे में सोचना चाहते हैं। क्रिमनल प्रोसीजर कोड में जो इनहेरेन्ट पावर्स हैं राज्य सरकारों की उसके अन्तर्गत हम क्या कर सकते हैं, उसमें सुझाव देने के लिए निश्चय किया गया है कि एक कमेटी गठित की जायेगी जिसमें मुख्य मन्त्री उसके चेयरमैन होंगे, स्टेट मिनिस्टर उसके वाइस चेयरमैन होंगे और इस सदन में जो भी ग्रुप्स हैं अपाजिट पार्टीज के, वह सभी ग्रुप के लीडर्स इसमें मैम्बर होंगे दो इसमें पार्लियामेन्ट के सदस्य होंगे. तीन इसमें इस पक्ष के बैठने वाले माननीय सदस्य होंगे, कुछ विशेषज्ञों को भी इसमें रखा जायगा। एक महिला संगठनों की प्रतिनिधि इसमें होंगी। यह कमेटी तीन महीने के अन्दर राज्य सरकार को अपनी सिफारिश देगी, कि हम नियमों में, क्रिमनल प्रोसीजर कोड में क्या परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : इण्डियन पीनल कोड और क्रिमनल प्रोसीजर कोड तो बहुत ही पुराने है और इसमें चेन्ज करना बड़ा कठिन काम है।

श्री शिवचरण माथुर : देखेंगे, Let us try।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सीआर. पी. सी. तो अध्यक्ष महोदय, कई दफा अमेण्ड किया गया है।

श्री अध्यक्ष : हां, वो चेन्ज हुए हैं, लेकिन कारगर साबित नहीं हुए।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : इसमें हमने विशेषज्ञों को और स्पेशल इनवाइटीज को बुलाया है। जहां तक हमारे सदन के यह लोग होंगे उसमें, यह तीन महीने के अन्दर कमेटी रिपोर्ट देगी, उस पर सरकार विचार करेगी, यह मैं आपको निवेदन करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि पुलिस के सम्बन्ध में और जिला प्रशासन के सम्बन्ध में जो मांगें में स्वीकृत करने के लिए मैंने निवेदन किया है उनको स्वीकृत किया जाय।

मांग संख्या 16 व 4 का पारण

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 74,60,03,000 रुपये (चौहत्तर करोड़ साठ लाख तीन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4—जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को 12,26,65,000 रुपये (बारह करोड़ छब्बीस लाख पैंसठ हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे :

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 11 अप्रेल, 1984 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.26 बजे बुधवार दिनांक 11 अप्रेल, 1984 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 567 का पत्र

मान्यवर श्रीमती इन्दिरागांधी,
प्रधान मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय : राजस्थान स्टेट के उदयपुर शहर व जिले में श्री दीवानसिंह दर्दी अधिशासी अभियंता, वाटर वर्क्स उदयपुर नगर खण्ड द्वारा हैण्ड पम्प के 70 लाख के कार्य में 40 लाख रुपयों का स्केण्डल।

हम कांग्रेस आई व अन्य जन मान्य गण आपको यह जानकारी देना चाहते हैं कि दीवान सिंह दर्दी राजस्थान स्टेट के उदयपुर शहर में वाटर वर्क्स विभाग नगर का अधिशासी अभियन्ता है। हैण्ड पम्प लगाने का कार्य जिला खण्ड उदयपुर के पास का राजस्थान के दो मन्त्रीगण श्री बनवारी लाल जो जिनके मकान में यह भरतपुर में किराये दार था कहता है कि यह जन स्वास्थ्य मंत्री तो मेरा गुलाम है व दूसरा श्री प्रद्युमन सिंह जी तो मेरा लौंडा है व पहाड़िया भी मूर्ख व बुद्धू है। जनता पार्टी के राज में मैंने, बनवारी लाल जी ने इसे टुकडे डाले हैं,।

श्री बनवारी लाल जी इसके गुलाम है, मन्त्री बनने के बाद माह मार्च में दर्दी से राय लेने के लिये जयपुर बुलाया था व दर्दी ने राय दी कि इस चीफ इंजीनियर पी.एस. राजवंशी को चेयरमैन पोल्यूशन बोर्ड कम चेयरमैन वाटर बोर्ड बना दिया जावे, व गोविंद लाल माथुर जो मुख्य अभियन्ता का काम कर रहे है को राजवंशी इगलैण्ड से आये को चार्ज नहीं दिलवाकर मुख्य अभियन्ता ही बने रहने देवें। श्री बनवारी लाल जी ने यही किया परन्तु राजवंशी चार्ज एज्यूम कर लिया। गोविन्द लाल को मुख्य अभियन्ता बनाने के लिये श्री बनवारी लाल जी ने सेक्रेटेरिएट में फाइल चला रखी है। 5 लाख रुपया मंत्री जी को इस कार्य में दिया जा चुका है

श्री बनवारी लाल जी ने दर्दी को उदयपुर के तीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों का चार्ज सिर्फ इसलिए दिलवा रखा है जिससे राजस्थान में यह पता चल सके कि यह मन्त्री का आदमी है। इसी ने एक ईमानदार अधिशासी अभियन्ता देवपुरा जिसको श्री प्रभाकर मंत्री राजस्थान सरकार नहीं हटवा सके थे, एक मिनट में हटवा दिया था। यह सब रुपये इकट्ठे करने के लिये किया गया है व रावमल भण्डारी के इशारे से किया गया है।

अब आप कृपया इसके कार्यों का जायजा लीजिये। उदयपुर में भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा जनता को जल मिलाने के लिये काफी धनराशि दो खण्डों को दी है। एक विभाग द्वारा एक वर्ष से कार्य किया जा रहा है जिनके पास हैण्ड पम्प लगाने की करीब 18 रिग मशीन है व कुल 800 हैण्ड पम्प एक वर्ष में लगे हैं ये 200 फीट हैण्ड पम्प के लिये ड्रिलिंग करते हैं। जिससे हैण्ड पम्प कम से कम 10 वर्ष तक कार्य में आता रहे, पानी नहीं टूटे व गांव वाले बराबर पानी पीते रहें। व दूसरा कार्य उदयपुर के जिला खण्ड को दिया गया था वह प्राइवेट पार्टियों से करवाना था जिसका इस दीवान सिंह को पता है। दीवान सिंह ऐसी अल्लाह की गाय है कि हाथ जोड़कर सबसे मीठा बोलता रहता है व अन्दर से चालाक व बाघ है। इसे यह तना था कि इसमें नोट की अच्छी कमाई है। सीधा महेन्द्रसिंह कछावा अति, मुख्य अभि. अजमेर के पास पहुंच गया व दो लाख रुपये देने का लालच देकर यह हैण्ड पम्प कार्य देपुरा अधिशासी अभियन्ता उदयपुर, जीसको सारी उदयपुर की जनता तारीफ कर रही है, से छीनवाकर नगर खण्ड के नाम करा लाया व एक लाख रुपया राजमल भण्डारी को देने के लिये कहा।

जो कार्य इससे करवाये हैं यह सभी फर्जी हैं। व अभी हैण्ड पम्प व ड्रिलिंग डिविजन को हैण्ड ओवर करने से राजस्थान सरकार के आदेश था, परन्तु इस वास्ते नहीं किये हैं क्योंकि पानी नहीं होने से पोल खुल जायेगी, इस वास्ते बारिश की इंतजार चल रहा है।

जैसे वाटर वर्क्स का असली मन्त्री तो दर्दा है। श्री बनवारी लाल तो नाम मात्र का मंत्री है जो इसका गुलाम है। यह बात वाटर वर्क्स के सैक्रेटीर श्री तेज कुमार जी को भी मालूम है व सभी अधिकारी जानते हैं पर क्या किया जाये। श्री पहाडिया मुख्य मंत्री श्री बनवारी लाल के बहुत बडे अहसानमन्द हैं। श्री के.एम. परमार सहायक अभियन्ता, उदयपुर का स्थानान्तरण के.के. शर्मा की जगह पिछले महीने में श्री हनुमान जी मन्त्री ने करवाया था वह वापस दर्दा ने एक सैकण्ड में कैन्सल करवा दिया। यह सब राजमल भण्डारी के कहने पर किया गया है। राजमल भण्डारी ऊपर से श्री हनुमानजी से अच्छा रखते हैं व सुखाड़िया जी को सब बताते रहते हैं।

1. 252 हैण्ड पम्प सरपंच वाटर पर लगे हैं जो जमीन के ऊपर ऊपर का पानी था वह आकर अब बन्द हो गये हैं। खरीदा इत्यादि कई गांवों में व उदयपुर प्रोपर में देहली गेट पर गुरुथा के बाहर ही देख लीजियेगा। आप कृपया एम.पी.एम.एल.ए. व सरपचों की भी रिपोर्ट ले लीजियेगा, परन्तु बारिश से पहले यह करना होगा। करें तो ठीक रहेगा।

2. 25% में पानी नहीं होने पर भी पाइप व हैण्ड पम्प फिट कर दिये गये हैं, ताकि पार्टियों को पेमेन्ट होकर इन्हें कमीशन मिल जावे। बड़ी में बिना पानी के हैण्ड

318

पम्प लगाकर 135 फीट पाइप लगाया है। इस तरह जनता का रुपया खा गये हैं।

3. 15 प्रतिशत ड्रिलिंग 60 फीट कर के 120 फीट से बिल बनाये हैं। कहीं कहीं तो आपको जांच करवाने पर यह जानकारी मिलेगी कि 90 फीट की हैण्ड पम्प की खुदायी पर 120 फीट पाइप इश्यू हुआ है।

4. 35 प्रतिशत हैण्ड पम्प ठीक है।

भारत का कोई भी इंजीनियर मार्च 81 से लेकर मई 81 तक में 6 मशीनों से 3 महीने में 70 लाख का सही काम नहीं करवा सकता है। यह सब राजस्थान में मंत्री जी की महरबानी है कि 70 लाख में से 40 लाख रुपया को लोगों की जेबों में पहुंचा दिया है।

श्री दर्दी आजकल एक आडिटर—मदन लाल शर्मा से साथ साथ श्री सुखाड़िया के यहां जाते रहते हैं व इन्हें यह पूरी उम्मीद है कि सुखाड़िया भारत सरकार के होम मिनिस्टर बनने वाले हैं। अतः हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। इस आडिटर ने अकेले ने 80 हजार कमीशन में कमाये हैं, जो इसके रिश्तेदारों के यहां छिपाते फिर रहे हैं। यही हाल सभी का है। दर्दी ने 10 लाख कमाये हैं। असिस्टेंट इंजीनियरों, अकाऊटेंट व ओवरसियर्स लोग भी छुपा रहे हैं। ये तो सारे दिन चेम्बर में श्री पहाड़िया व हनुमान बस एक दो दिन में जाने वाले हैं यही बात करते रहते है व बाउजी के गुणगान करते रहते हैं।

दर्दी व मदन लाल आडिटर से जब पूछा गया कि सब हैण्ड पम्प फेल जा रहे हैं पानी नहीं आ रहा है तो क्या होगा। तो कहते हैं कि बारिश आने पर पानी आ जायगा और पार्टिया कमा रही हैं तो प्रधान मंत्री के पास भी 60 करोड़ है वो कहां से आया। इनको सुखाड़िया पर बहुत नाज है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता हैं। सुखाड़िया बहुत जल्दी पहाड़िया व हनुमान जी के पंख काटने वाले हैं। समय का इन्तजार कीजिये।

हमारी आपसे निवेदन है कि इन इन लोगों को यहां से शीघ्र स्थानान्तरण कर इन्कवायरी कराई जावे तो आपको पता चल सकेगा कि यह लोग कितने बेईमान व भ्रष्ट हैं। इन भ्रष्ट लोगों के तो छापा डलवाया जाये। दर्दी 10 दिन पहले पंज में रुपया रख-कर आया है। छापा एक साथ इनके व इनक रिश्तेदारों के यहां जहां रुपया रखा है शीघ्र डलवाया जावे।

1. मन्त्री से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग किसी अन्य मंत्री या स्वयं पहाड़िया जी को दिलवाया जावे।

2. इस टीम के सभी अधिकारी व आडिटरों का स्थानान्तरण कर दिया जावे।

3. पार्टियों के पाइप के खरीद के बिलों को जब्त कर लिया जावे क्योंकि पेमेन्ट "बी" क्लास का किया गया है जबकि बेकार पाइप "ए" क्लास लगाया गया है। पाइप की खरीद बिल से ज्यादा लगाकर ज्यादा पेमेन्ट उठाया गया जो बिलों से पकड़ा जावेगा।

4. राजमल भण्डारी जिसको 10 वर्ष उदयपुर में हो गये हैं व मदन लाल को 25 वर्ष एक ही ग्राडिटर पर हो गये है। परन्तु किसी की हिम्मत क्या जो हटा देवे। रुपया फेंककर ट्रांसफर कैंसल करवा देते हैं।

5. केसिंग पाइप 5 "व 6" का जमीन में एक लगाकर तीन तीन का पेमेन्ट किया है। क्योंकि सारा वाटर वर्क्स का स्टाफ ठेकेदार व जनता में इस बात का ही हल्ला हो रहा है। कि 70 लाख के काम में 50 लाख रुपया खाकर तर हो गये हैं अगले वर्ष ये हैण्ड पम्प सभी बेकार हो जावेंगे व नया करोड़ों का बजट चाहिये।

ग्राप कृपया इन्क्वायरी इन इन व्यक्तियों से करायें:—

1. ग्राफिसर इन्टलीजेन्स इण्डिया, न्यू देहली।
2. चेयरमैन वाटर बोर्ड जयपुर
3. टेक्निक्ल मैम्बर ग्राफ दी बोर्ड जयपुर
4. रमेश चन्द्र अग्रवाल अधीक्षण अभियंता जयपुर
5. कलेक्टर उदयपुर
6. एडीशनल एस.पी. एन्टीकरेटशन उदयपुर
7. चन्द्रेश व्यास जयपुर, राजस्थान
8. बहादुरसिंह सस्परिया, राजस्थान पत्रिका प्रतिनिधि।

भवदीय:-

1. पी.के. ठाकुर
   अधि. अभि. बांसवाड़ा
2. लाडली मोहन
   अधिशासी अभियंता डूंगरपुर
3. किशन त्रिवेदी
4. जमना लाल अग्रवाल
5. हरिसिंह
6. डालचन्द
7. डालचन्द जाट
8. अम्बालाल गौड़ वाटर वर्क्स
9. कृष्ण दत्त, वाटर वर्क्स
10. जयचन्द ,,
11. केशुलाल ,,
12. मनोहर लाल ,,

13. किशन सिह वाटर वर्क्स 14. जगदीश लाल वाटर वर्क्स
15. निमत लाल ठेकेदार 16. निशान्त व्यास
17. उमेश तलहार, वाटर वर्क्स 18. कृष्णकान्त पालीवाल, वाटर वर्क्स
19. के.एम. परमार सहायक अभि. 20. एस.एन. गुप्ता सहायक अभियंता
21. निलकण्ठ शर्मा कोलपोल 22. लागुम एडवोकेट, तीज का चौक
23. मोती लाल 24. कुन्ज बिहारी आचार्य नेहरू, बाजार
25. ओमप्रकाश आचार्य

Government of Rajasthan

Public Health Engineering Department
Cirele, Udaipur.

No. SE/Steno/Eng./City/82/93 Dated : 2-7-82

The Chief Engineer,
PHED, Rajasthan,
JAIPUR

Sub:-Complaint against Shri Diwan Sing Dardi, Executive Engineer, PHED, City Division, Udaipur.

Ref:-Your letter No. H/G II (8918) 82-83/36129 dt. 25.6.1982

Sir,

I am in receipt of your kind letter under refrence and noted the contents therein.

As desired I submit that in compliance to your letter No. H/G. 2(8919) 81-82/55499 dated 17.8.1981 and No. 78455 dated 13.10. 1981, the undersingned had submitted the detailed enquiry report to Shri S. P. Bhargava, S.E. & T. A. I to Chief Engineer, PHED, Rajasthan, Jaipur vide this office Conf./ letter No. SE/Steno/City/81-82

dated 25.11.1981 with copy endorsed to Addl. C.E. PHED, Ajmer, along with original Statements received from the comploinant.

However, as desired by you I am again submitting duplicate copy of the said enquiry report bearing No. SE/Steno/City/81/88 dated 25.11.1981 for your kind perusal and needful.

Encl : 1. This office letter No. 88 dated 25.11.1981.

2. Photostate copy of 13 Nos. statements of original complaints, as mentioned in the complaint.

3. Photostate copy of Addl. C.E. Ajmer's letter.

4. Coyy of this office letter No. SE/Steno/81/7701-7713 dated 20.10.1981.

Total 18 pages.

yours faithfuly

Sd/-
Superintending Engineer,
PHED, Circle, Udaipur.

राजस्थान सरकार

जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग

वृत्त उदयपुर

क्रमांक :एस. ई./स्टेनो/नगर/81/88 दिनांक 25.11 81

श्री एस. पी. भार्गव,
अधीक्षण अभियन्ता एवं त. स. [प्रथम]
मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय: शिकायत विरुद्ध श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियंता, नगर खण्ड जलदाय विभाग, उदयपुर।

(322)

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एच. जी. 2 [8918]81-82/55499

दिनांक 17.8.81 एवं पत्रांक 78455 दिनांक 13.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस कार्यालय पत्र क्रमांक 7701-7713 दिनांक 20 10 81 [प्रतिलिपि संलग्न] द्वारा समस्त विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को, जिनका कि शिकायत पर हस्ताक्षर होना बताया है को उपरोक्त शिकायत के बारे में पूछा गया था तथा उन्होंने यह लिख कर के दिया है कि उनके द्वारा यह शिकायत नहीं की गई है तथा किसी अन्य व्यक्ति ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर के यह शिकायत की है।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लिखित में प्राप्त प्रत्युत्तर की मूल प्रति 13 नग [तेरह] सूचीनुसार इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

उपरोक्त प्राप्त प्रत्युत्तरों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत की है जिससे इस शिकायत का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक हैण्ड पम्प के कार्य का हस्तान्तरण जिला खण्ड से नगर खण्ड का प्रश्न है यह कार्य अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जन स्वा. अभि. वि. अजमेर क्षेत्र द्वारा उनके पत्र क्रमांक एसई 2पी एच/पीसी [64] 80-81/6023-6028 दिनांक 3.1.81 द्वारा स्थानान्तरण किया गया था [फोटो स्टेट प्रति संलग्न है] जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उदयपुर ने यह लिख कर दिया था कि उनके खण्ड में कार्य की अधिकता है तथा यह अतिरिक्त कार्यभार वहन नहीं कर सकते, जिसका उल्लेख उपरोक्त आदेश में वर्णित है। जिसकी प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, अजमेर द्वारा श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, राजस्थान जयपुर कार्यालय को भी प्रेषित की गई थी।

आवंटित हैण्ड पम्प का कार्य श्री दीवानसिंह दर्दी अधिशासी अभियन्ता ने करवाया है इसके बारे में निम्न लिखित रिपोर्ट प्रेषित है :-

1. कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत गांवों में ही कराया गया है।

2. कार्य शुरू करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान करदी गई थी।

3. कार्य विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रेषित कार्यादेश प्राप्त होने के बाद ही कराया गया है।

4. नलकूपों की गहराई विभागीय मार्गदर्शन के अनुसार निर्धारित गहराई तक की गई है व नलकूपों में पानी उपलब्ध है जिसकी औसतन गहराई करीब 45 मीटर आती है।

5. कुछ नलकूपों की गहराई मैंने स्वयं ने दिनांक 11.8.81 को दस एवं दिनांक 1.1.81 को पांच चैक किये गये तथा पैमाइश पुस्तिका में अंकित पैमाइश सही पाई गई है। ड्राई बोर्स का भुगतान नियमानुसार 80 प्रतिशत ही किया है जिसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व स्वीकृति प्रदान की गई है। ड्राई बोर होल्स में हैण्ड पम्प फिट नहीं किये गये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णन से उक्त शिकायत तथ्यहीन प्रतीत होती है।

ह०/-
अधीक्षण अभियन्ता,
उदयपुर।

राजस्थान सरकार

जन स्वा. अभि. विभाग, वृत्त उदयपुर

क्रमांक : एस.ई. स्टेनो/81/7701-7713 दिनांक 20.10.81

1. श्री पी. के. ठाकुर, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, बांसवाडा
2. श्री लाडली मोहन माथुर, अधिशासी अभियन्ता, प्रभा विला, हिरनमगरी सैक्टर नं. 11 उदयपुर
3. श्री कृष्ण दत्त, जूनियर फिल्टर सुपरिन्टेन्डेन्ट गुलाब बाग उदयपुर
4. केसू लाल पम्प चालक गुलाब बाग उदयपुर
5. किशन सिंह पम्प चालक द्वितीय नगरखण्ड उदयपुर
6. श्री उमेश तलदार वरिष्ठ लिपिक अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उदयपुर
7. श्री के. एम. परमार तकनीकी सहायक अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा. अभि. वि. उदयपुर
8. श्री अम्बालाल गौड वरिष्ठ लिपिक अधिशासी अभियन्ता नगर खण्ड उदयपुर
9. श्री जयचन्द भटनागर फोरमैन द्वितीय नगर उपखण्ड उदयपुर
10. श्री मोहन लाल मीटर रीडर गुलाब बाग उदयपुर
11. श्री जगदीश लाल फोरमैन गुलाब बाग उदयपुर
12. श्री कृष्ण चन्द्र पालीवाल वरिष्ठ लिपिक अधिशासी अभियन्ता जिला खण्ड उदयपुर
13. श्री एस. एन. गुप्ता सहायक अभियन्ता, जिला उप खण्ड प्रथम उदयपुर

आप द्वारा प्रेषित शिकायत विरुद्ध श्री दीवान सिंह दर्दी अधिशासी अभियन्ता, जन

स्वा. अभि. विभाग नगर उपखण्ड उदयपुर के इस कार्यालय में जांच हेतु प्राप्त हुई है अतः कृपया आप व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय से सम्पर्क करावें।

ह.

अधीक्षण अभियन्ता,
जन. स्वा. अभि. वि. वृत्त उदयपुर

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभि. विभाग वृत्त उदयपुर

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री दीवान सिंह दर्दी अधिशासी अभियंता नगर खण्ड उदयपुर

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7701 दिनांक 20.10.81

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग में निवेदन है कि मैंने पूर्ण शिकायत को पढ़ली है और निवेदन है कि यह शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई है। किसी अन्य व्यक्ति ने मेरा नाम इस शिकायत में फर्जी तौर से अंकित किया है।

भवदीय,

ह.

[पी. के. ठाकुर]

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग, खण्ड उदयपुर के विरुद्ध शिकायत बाबत।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक 7702 दिनांक 20.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी

(325)

शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

ह.
(लाडली मोहन)

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन. स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त
उदयपुर।

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध शिकायत बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7703 दिनांक 20.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

मेरा इस शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ह०
(कृष्ण दत्त)

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत उदयपुर

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभि. विभाग नगर खण्ड उदयपुर।

प्रसंग :—आपका पत्र क्रमांक 7704 दिनांक 20.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड—उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी

शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

ह.
(केसू लाल)
ठेकेदार ता. 23.10.81

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध शिकायत बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7705 दिनांक 20.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

मेरा इस शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ह.
किशन सिंह
29.10.81

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध शिकायत बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7706 दिनांक 20 10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई

शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

मेरा इस शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ह.
(उमेश तलदार)
23.10.81
व. लिपिक, जिला खंड उदयपुर

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड उदयपुर

प्रसंग :–आपका पत्र क्रमांक 7707 दिनांक 20.10.81

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग में निवेदन है कि मैंने पूर्ण शिकायत को पढ़ली है और निवेदन है कि यह शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे नाम से इस शिकायत में फर्जी तौर से अंकित किया गया है।

भवदीय,
(के. एम. परमार.)
सहायक अभियन्ता

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : श्री दीवन सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध शिकायत बावत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7711 दिनांक 20.10.81

328

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी अधिशासी अभियन्त जन स्वा. अभि. विभाग नगर खंड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी शिकाय किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर र शिकायत की है।

मेरा इस शिकायत से कोई सम्बन्ध नहीं है।

ह०
(जगदीश लाल)
फोरमैन द्वितीय

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री दिवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियंता
नगर खण्ड उदयपुर

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7708 दिनांक 20.10 81

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग में निवेदन है कि मैंने पूर्ण शिकायत को पढ़ ली है और निवेदन कि यह शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई है किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे नाम से इस शिका में फर्जी तौर से अंकित किया गया है।

भवदीय,

ह०
(अम्बा लाल गौड़)
वरिष्ठ लिपिक, जन स्वा. अभि.
नगर खण्ड उदयपुर

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिक विभाग,
वृत्त, उदयपुर

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता,
नगर खण्ड उदयपुर

329

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7712 दिनांक 20.10.81

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग में निवेदन है कि मैंने पूर्ण शिकायत को पढ़ ली है और निवेदन है कि यह शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई है। किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे नाम से इस शिकायत में फर्जी तौर से अंकित किया गया है।

भवदीय

ह0

(कृष्ण चन्द्र पालीवाल)

व. लि.

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री दीवानसिंह दर्दी, अधिशासी,
नगर खण्ड उदयपुर

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7713 दि. 20.10.81

महोदय,

उपरोक्त प्रसंग में निवेदन है कि मैंने पूर्ण शिकायत को पढ़ ली है और निवेदन है कि यह शिकायत मेरे द्वारा नहीं की गई है। किसी अन्य व्यक्ति ने मेरे नाम से इस शिकायत में फर्जी तौर से अंकित किया गया है।

भवदीय

ह०

(एस. एन. गुप्ता)

सहायक अभियन्ता

330

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
वृत्त उदयपुर

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी अधिशासी अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड उदयपुर

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7709 दिनांक 20.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

मेरा इस शिकायत से कोई संबंध नहीं है।

ह०

(जय चन्द भटनागर)
23.10.81
फोरमैन, महामंत्री प्रा.न.म. फे. जयपुर

श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग
वृत्त उदयपुर

विषय : श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य,
अभियांत्रिकी विभाग, नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध शिकायत बाबत।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 7710 दिनांक 20.10.81

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैंने श्री दीवान सिंह दर्दी अधिशासी अभियन्ता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी

शिकायत किसी को भी नहीं की है। लगता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने मेरे झूठे हस्ताक्षर कर यह शिकायत की है।

मेरा इस शिकायत से कोई संबंध नहीं है।

ह०

(मनोहर लाल पालीवाल)
19.11.81
मीटर चैकर, जन स्वा- अभि. वि.
उपखण्ड द्वितीय उदयपुर

राजस्थान सरकार

जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग

संख्या : एच. जी. 2 (8918) 82-83/   दिनांक :

उप शासन सचिव,
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
ग्रुप-4 सचिवालय, जयपुर

विषय : शिकायत विरुद्ध श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड जलदाय विभाग, उदयपुर।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक प.13 (2) चि. स्वा./80 दिनांक 9-6-82 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री दीवान सिंह दर्दी, अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड उदयपुर के विरुद्ध चल रही शिकायत की जांच रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त उदयपुर द्वारा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि:—

1. उपरोक्त शिकायत पर दर्शाये विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हस्ताक्षर फर्जी हैं जैसा कि उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूछने पर लिखित में सूचित किया है।

2. जहां तक हैण्ड पम्प के कार्य का हस्तान्तरण जिला खण्ड से नगर खण्ड का प्रश्न है वह अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र अजमेर द्वारा उनके पत्र संख्या एसीई/पी. एच., पी. सी./(64) 80-81/6023-28 दिनांक 31.1.81 द्वारा स्थानान्तरण किया है एवं यह कार्य अधिशासीअभियन्ता, जिला खण्ड द्वारा कार्य की अधिकता को देखते हुए एवं उनके द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को निवेदन करने पर स्थानान्तरण किया गया है जैसा कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के आदेशों से स्पष्ट है।

कार्य के बारे में अधीक्षण अभियन्ता की रिपोर्ट निम्न प्रकार है:—

1. कार्य राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत गांवों में ही कराया गया है।

2. कार्य शुरू करने से पूर्व तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान कर दी गई थी।

3. कार्य विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रेषित कार्यादेश प्राप्त होने के बाद ही कराया गया है।

4. नलकूपों की गहराई विभागीय मार्ग दर्शन के अनुसार निर्धारित गहराई तक की गई है एवं नलकूपों में पानी उपलब्ध है जिसकी औसतन गहराई करीब 45 मीटर आती है।

5. कुछ नलकूपों की गहराई अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 11-8-81 को दस एवं दिनांक 1-8-81 को पांच चैक किये गये तथा पैमाइश पुस्तिका अंकित पैमाइश सही पाई गई है।

6. ड्राई बोर्स का भुगतान नियमानुसार 80 प्रतिशत ही किया गया है जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ड्रा

(333)

बोर्स होल में हैण्ड पम्प फिट नहीं किये गये हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मद्दे नजर रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिकायत पत्र किसी व्यक्ति विशेष द्वारा द्वेष भावना रखते हुए लिखा गया है एवं मेरी राय में इस परिवाद को नत्थी करना उचित प्रतीत होता है।

ह०

मुख्य अभियन्ता,

जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 569 का आडिट पैरा

ABSTRACT OF THE AUDIT REPORT
(Year 1982-83)

(21) भूखण्ड की नीलामी की बोली प्रतिग्रहण में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेने से न्यास कोष को रु0 84,878.19 की हानि :—

"राजस्थान शहरी विकास ट्रस्ट (डिस्पोजल) नियम 14 संलग्न के अनुसार" annaxiure के (8) के अनुसार—

ड्राफ्ट पैरा

"The bid shall be sudject to the sanction by Chairman of the Trust in whome are reserved the rights to accept or reject any bid without asigning any reason there of."

इससे स्पष्ट है कि माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकार प्रदत्त किया है कि भूखण्ड की नीलामी के परिणाम स्वरूप क्रेता द्वारा दी गई बोली उचित व न्यायपूर्ण है तो वह उक्त नीलामी का अनुमोदन करें, अथवा अस्वीकृत करें। लेकिन एक अवसर पर किसी भी नीलामी की बोली को अस्वीकृक करार करने के पचाचत् उसे वैध करार करने की बात नियम अथवा उप नियम में नहीं कही गई है।

(क) नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 16.8.81 को प्रताप नगर योजना सैक्टर एच में महादेव प्रजापत पुत्र श्री रामनारायण प्रजापत के पक्ष में भूखण्ड सं. 53 कीबोली स्वीकार की। उक्त भूखण्ड 120 वर्ग गज रु0 100/- प्रति वर्ग गज की दर से नीलाम किया था। इस प्रकार उक्त भूखण्ड की कुल कीमत रु0 12,000/-रही। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की 1/4 राशि रु. 3,000/- रसीद सं 276/7 द्वारा दिनांक 16.8.81 को जमा करवाई गई थी एवं शेष राशि रु. 9,000/- रसीद संख्या 331/52 दिनांक 20.3.82 को जमा करवाई है।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त भूखण्ड की नीलामी को सम्पत्ति रजिस्टर के मुख पृष्ठ पर 'रिजेक्ट' लिखा है।

प्रार्थी ने भूखण्ड की वैधता हेतु एक आवेदन पत्र न्यास में प्रस्तुत किया। आवेदन पर विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने निम्न प्रकार से लिखा है:-

दिनांक 4.2.83 के विवरणानुसार मैंने प्रजापत की जगह भूल से रिजेक्ट पढ़ लिया था। कृपया प्रार्थी से बकाया राशि जमा करवावें क्योंकि इसी दर से पड़ोस का प्लाट भी बिका है।

प्रार्थी के पड़ोस भूखण्ड सं. 54 को श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री उदाराम पवांर को प्रथम सी रोड सरदारपुरा के पक्ष में 16.1.82 को 120 वर्ग गज के भूखण्ड को रु. 134/- प्रति वर्ग गज की दर से नीलाम कर रुपये 16,000/- वसूल किया है।

इस प्रकार विवेकपूर्ण निर्णय न लेने से नगर सुधार न्यास को रुपये 34/-प्रति वर्ग गज की दर से कुल रु. 4080/- की स्पष्ट हानि हुई।

(ख) घंटाघर ओवरब्रिज योजना जोधपुर के भूखण्ड सं. 34 व्या. नीलाम दिनांक 13.2.83 को श्री वासुदेव पुत्र श्री कुशालदास के पक्ष में रुपये 1625/- प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिग्रहण की पुष्टि अध्यक्ष द्वारा दिनांक 14.2.83 को की गई।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के पेटे निम्नानुसार राशि जमा न्यास में करवाई है:- रु. 40.000/- रसीद संख्या 437/10 दिनांक 13.2.83 भूखण्ड की 1/4 राशि रुपये 1,18,518.75 रसीद संख्या 498/100 दिनांक 31.3.83 की 3/4 राशि चैक संख्या 12.3.83

उक्त व्यय भूखण्ड का क्षेत्रफल 30 × 40 होने से कुल 133.33 वर्ग गज अथवा 116.67 वर्ग मीटर होती है। जबकि प्रार्थी से कीमत केवल 97.55 वर्ग मीटर की वसूल की है। उपरोक्त कथन के पक्ष में तर्क दिया गया कि भूखण्ड (दुकान) के अग्रभाग में बरामद 10 × 30 का क्रेता द्वारा बनाया जावेगा, जो कि सामान्य जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। अत: बरामदा की भूमि की आधी कीमत ही न्यास द्वारा वसूल की जावेगी। अत: इस प्रकार 116.67 वर्ग गज की ही कीमत वसूल की गई है।

उक्त भूखण्ड की पूर्व में 18.11.81 को नीलामी की गई थी, जिसकी दर रु. 212/- प्रति वर्ग मीटर रही थी। उक्त नीलामी को अध्यक्ष द्वारा अपर्याप्त मानकर अनुमोदन नहीं किया।

वर्ष 1981 से 2/1983 की बाजार दर में अन्तरोत्तर वृद्धि हुई। पूर्व नीलामी से प्राप्त दर से कम दर पर नीलाम करवाना न्यास के हित में उचित नहीं था।

अत: पूर्व बोली रु. 2121/- प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपये 2,06,903/55 व प्रार्थी द्वारा रु. 1625/ प्रति वर्ग मीटर की दर से रुपये 1,58,578/75 जमा कराने से न्यास कोष को रुपये 48,384/80 की स्पष्ट हानि हुई है।

(ख) (2) उक्त भूखण्ड के विक्रय में 116.67 वर्ग मीटर के स्थान पर 97.55 वर्ग मीटर का ही राशि वसूल कर क्रेता को लाभ पहुंचाया गया है, क्योंकि 10 × 30 मीटर का वरामदा सार्वजनिक उपयोग में दुकानदार लायेगा, ऐसी शर्त विक्रय विलेख में नहीं होती है तथा ऐसी शर्त जनता को भी विदित नहीं होती है। अतः शेष भूमि 19.12 वर्ग मीटर की राशि रु. 1625/- प्रति वर्ग मीटर की दर से रु 31,070/- की राशि अब वसूली की जावे अथवा इस रियायत हेतु इसके अतिरिक्त उक्त (ख-1) में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जावे। वर्णित रु. 496/- प्रति वर्ग मीटर की अन्तर दर से रु. 9483.52 की हानि हुई। अतः इस दुकार के मामले में कुल हानि 57,868/32 की हुई, जिसके लिए उचित कार्यवाही वांछनीय है।

(ग) सरस्वती नगर योजना भूखण्ड सं. 87 बी को दिनांक 28.11.82 को नीलाम द्वारा रु. 80/- प्रति वर्ग मीटर की दर से श्रीमती उर्मिला सिंघवी W/o श्री अचलमल सिंघवी को दिया गया। उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 278.80 वर्ग मीटर था।

सम्पत्ति रजिस्टर के अवलोकन पर अध्यक्ष द्वारा " may be acceapted लिखकर rejected काटकर दिनांक 16.12.82 को नीलाम की। प्रतिग्रहण की पुष्टि की प्रार्थी के भूखण्ड से संबंधित राशि निम्नानुसार जमा कराई गई :—

1/4 भाग 5600/- 405/37 दिनांक 28.11.82

3/4 भाग 16696/- 428/67 दिनांक 28.11.83

चैक का एडजेस्टमेंट किया गया।

एक ओर दिनांक 27.12.82 को सचिव महोदय की टिप्पणी के अनुसार भूखण्ड 87 पुनः नीलाम की जावेगी तथा दूसरी ओर उक्त निर्णय के विपरीत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चैक स्वीकृत कर भूखण्ड का नियमन किया गया है।

उक्त भूखण्ड 87 बी सरस्वती नगर योजना दिनांक 29.8.82 को पूर्व में नीलाम किया गया था। पूर्व नीलाम में भूखण्ड की कीमत 91/- प्रति वर्ग मीटर रही, जिसको अध्यक्ष महोदय ने द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया था। अतः यह प्रश्न उठता है कि न्यास द्वारा किन कारणों से भूखण्ड की कीमत 91/- प्रति वर्ग मीटर स्वीकृत न करके रु. 80/ प्रति वर्ग मीटर की दर से अनुमोदन दिया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट रूप से रु. 11/- प्रति वर्ग मीटर की दर से 278.80 वर्ग मीटर की बिक्री में रु. 3066/- की न्यास कोष को हानि पहुंचाई गई है।

(घ) मसूरिया सैक्टर 4, शास्त्री नगर, जोधपुर के भूखण्ड सं. 3 बी" श्री गोपाल दास लोहिया पुत्र श्री कानमल लोहिया द्वारा दिनांक 11.2.83. को नीलाम रु. 221/-

प्रति वर्ग की दर से दी गई थी । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त भूखण्ड प्रतिग्रहण की पुष्टि की गई है । भूखण्ड का क्षेत्रफल 509.23 वर्ग मीटर हैं ।

पूर्व में उक्त भूखण्ड सं. 3–बी न्यास द्वारा 5.9.82 को नीलामी बोली लगाई थी । उक्त नीलामी के सदस्यों की राय निम्न प्रकार से है । दर रु. 260/– प्रति वर्ग मीटर due to plot being irregular one and slops naming less bind up area rate was found reasonable.

उक्त टिप्पणी पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 10.9.82 को action लिखा है । अतः स्पष्ट है कि उक्त बोली reasonalde नहीं माना है । तथा उक्त समिति की राय पर स्वीकृति नहीं दी है । उक्त मामले में न्यास कोष को रुपये 19,863.87 पूर्व की बोली वर्तमान बोली अन्तर गुणा क्षेत्रफल वर्ग मीटर में 260–221 = 39 × 509.33 को हानि हुई है ।

उपरोक्त वर्णित मामले क, ख, ग, व घ में मामले में न्यास कोष को क्रमशः 4080/–, 57868/–, 3066 व 1986-87 की हानि होना पाया जाता है । जिसकी औचित्यता स्पष्ट करावें तथा न्यास कोष को हुई हानि का उत्तरादायित्व निर्धारित करें; धारा 03–ए अनुसार कार्यवाही कर परिणाम से अवगत करावें ।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद (ख 2) में रु. 31070 की कम वसूली की गई, जो अब क्रेता से की जावे ।

338

परिशिट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 579 की सूची

रेफ्रिजेरेटर एवं एक्स-रे मशीन की रिपोर्ट

सं.	संस्था का नाम	दानदाताओं का नाम	वर्ष प्राप्ति	लागत लगभग (रुपयों में)	कार्यरत/खराब	मरम्मत कराने की लगभग लागत(रुपयों)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
क) रेफ्रिजेरेटर :							
1.	पी. एच. सी. सांचोर	मै. भीमराज बैंचर जी निवासी नानावास	1976	4530/-	खराब	1934/-	जनवरी, 1981
2.	—यथा—	—	1978	—	"	2000/-	जनवरी, 1983
3.	पी. एच. सी. बडगांव	—	1976	—	"	1500/-	अगस्त, 1986
4.	पी. एच. सी. सायला	बबुतमल भण्डारी	1972	4400/-	कार्यरत	—	
5.	पी. एच. सी. आहोर	शा. हजारीमल, किशोरमल, थवरेचन्द	1963	4900/-	खराब	1980/-	मार्च, 1983

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	राज. चिकित्सालय, मालवाड़ा	बाबूलाल, उत्तमचन्द लखीजी मालवाडा	1979	4080/-	कार्यरत	—	
7.	राज. चिकित्सालय, चांदराई	—	1978	4030/-	,,	—	
8.	राज. चिकि. गुढा बालोतम	मानरथ कानाजी	1980	5570/-	,,	—	
9.	,, ,, मांडवाला	मथा वाणवाला, जुगराज	1982	4900/-	,,	—	
10.	,, ,, जसवन्तपुरा	बाबूलाल भिखाणी जैन	1982	5610/-	,,	—	
11.	,, ,, हरजी	—	1980	—	,	—	
12.	प्रा. स्वा. केन्द्र भीनमाल	—	1976	—	खराब	1280/-	
(ख) एक्सरे मशीन :–							
1.	प्रा. स्वा. केन्द्र भीनमाल	शाह सुमेरमल हजारीमल जी लंकड चेरीटेबल ट्रस्ट, भीनमाल	1984	—	कार्यरत	—	

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 570 की सूची

झालावाड़ जिले में वन विभाग द्वारा वर्ष 1980 से 1983 तक लगाये गये तथा वितरित किये गये पौधों की सूची :—

वर्ष	विभाग द्वारा लगाये गये पौधे	जीवित पौधों का प्रतिशत	विभाग द्वारा वितरित पौधे
1980-81	3,35,259	45%	–
1981-82	1,25,137	50%	32,646.
1982-83	1,56,801	63%	3,17,699.
1983-84	2,56,000	70%	2,64,000.
योग :-	8,73,197		6,14,345

उक्त विभागीय वृक्षारोपण में निम्न प्रजातियों के पौधे लगाये गये। शीशम, नीम, यूकेलिप्ट्स, के.शामा, चुरैल, करंज, जामुन, केजुरिया, आम, गुलमोहर, बांस, सीमबानिया, बोगनबेलिया, खेजड़ी, कनीर, पार्किनोनिया, कोहडा, बेर, इमली, गूलर, सिरिस, सूचबूल, अमलतास, बकायन, कचनार, गुराड, कुमट, खैर, धोकड़ा बबूल, सेमल, अकेशिया, टोर्टिलस, तेन्दु, अ.शो.फोनिस, महुआ, सागवान, आंवला, रतनजोत, जंगल जलेबी, बेल, पीपल आदि।

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

राज्य में स्थापित मुख्य मण्डी यार्ड

593. **श्री नानूराम कुमावत** (आसीन्द) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवीन मुख्य मण्डी यार्ड किसानों के हितों को संरक्षण देने के लिये स्थापित करवाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो फिर इन मुख्य मण्डी यार्डों में जिला कृषि अधिकारी कार्यालयों एवं पशु चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय क्यों नहीं स्थापित करवाया जा रहा है जिससे किसानों को कृषि जिन्सों की उपज व दुग्ध सहकारी समितियों का सही लाभ मिल सके ?

(2) क्या सरकार किसानों के सम्पर्क कार्यालयों को मुख्य मण्डी यार्डों में स्थानान्तरित करवा कर किसानों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञप्त कृषि उपज का निर्धारित तरीके से क्रय-विक्रय कराने के उद्देश्य से मण्डी यार्डों का निर्माण कराया जा रहा है। कृषकों की व्यावसायिक सुविधाओं का ही प्रावधान मण्डी प्रांगणों में किया जाना वांछनीय है। अतः जिला कृषि एवं पशु चिकित्सा कार्यालय स्थापित किया जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) जी नहीं। उक्त कारणों से आवश्यक नहीं है।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र में ग्रेनाइट के भण्डार

594. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चोहटन विधान सभा क्षेत्र के गांव चोहटन व ढोक क्षेत्र में ग्रेनाइट का विपुल भण्डार है ?

(2) यदि हां, तो इस क्षेत्र के लिये ग्रेनाइट पर आधारित कितने उद्योगों का पंजीकरण किया गया है; इसमें क्या प्रगति है तथा इस क्षेत्र के विकास के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। चौहटन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चौहटन व ढोक के बीच में ग्रेनाइट उपलब्ध है।

(2) इस क्षेत्र के लिये अब तक 4 ग्रेनाइट आधारित लघु उद्योगों का अस्थाई पंजीयन किया गया है।

(उद्योग मंत्री)

क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता रहा है ताकि अधिकाधिक उद्यमी आकर्षित हों।

सिरोही जिला मुख्यालय के चिकित्सालय की क्रमोन्नति

596. **श्री देवी सहाय गोपालिया** (सिराही): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सिरोही जिला मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय को "बी" श्रेणी में क्रमोन्नत करने का सरकार ने निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

अन्य चिकित्सालयों को उच्चीकृत करते समय स्थानीय आवश्यकता, जिले की जनसंख्या आदि को ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार किया जा सकेगा।

पांसल पंचायत (भीलवाड़ा) द्वारा आवंटित भू-खण्ड का प्रकरण

597. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा नगर के जवाहर नगर में पांसल पंचायत द्वारा कितने भू-खण्ड आवंटित किये और नगर परिषद् ने आवंटित भू-खण्डों की विकास राशि कितनी-कितनी कब-कब जमा की ?

(2) क्या परिषद् ने विकास राशि लेकर अन्यत्र भू-खण्ड देने के आदेश दिये ? यदि हां, तो कब ? क्या राशि जमा कराने वालों को अन्यत्र भू-खण्ड दिये गए ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों और अब इन्हें भू-खण्ड कब तक दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में जवाहर नगर में पांसल पंचायत द्वारा आवंटित भू-खण्डों की विकास राशि मय जमा की दिनांक सहित विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों के वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं, निर्णय के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्यालय नगर परिषद, भीलवाड़ा (राज०)

जवाहर नगर के पट्टेधारियों द्वारा नगर परिषद भीलवाड़ा में विकास चार्जेज की राशि जमा कराई उसकी सूची :—

क्रम सं	नाम	प्लाट नं.	रकम	जमा की तारीख
1.	श्री रामेश्वर लाल काबरा	90	150/-	9-9-66
2.	,, रामकुंवार काबरा	180	300/-	22-8-68

1	2	3	4	5
3.	श्री पृथ्वीराज सुवालका	22	150/-	8-9-66
4.	,, भुरा लाल सुवालका	21	150/-	,,
5.	,, बसन्त कुमार	—	150/-	,,
6.	,, ऊंकार दास	250	300/-	5-8-68
7.	,, देवेन्द्र कुमार	39	300/-	20-8-68
8.	,, सोजन लाल गेलड़ा	190	300/-	,,
9.	,, रंग लाल सिशोदिया	273	300/-	,,
10.	,, सुगन चन्द चोधरी	40	300/-	,,
11.	,, हावू लाल मोवन लाल	51	150/-	9-9-65
12.	,, मोहन/भज्जा	29	150/-	13-9-65
13.	,, भज्जा/मेरू	30	150/-	13-9-65
14.	,, हजारी/जीवा	31	150/-	,,
15.	,, जोधा/मेरू	84	150/-	,,
16.	,, कन्हैयालाल खण्डेलवाल	26	150/-	,,
17.	,, गणपत लाल निमोदिया	2	150/-	,,
18.	,, सोहनलाल जी सूरिया	275	150/-	,,
19.	,, नन्दलाल लोढ़ा	150	150/-	,,
20.	,, राधा किशन जी	27	150/-	,,
21.	,, मोहन लाल तिवाड़ी	201	150/-	,,
22.	,, रामचन्द्र जी कोठारी	—	150/-	2-1-67
23.	,, पन्नालाल कालिया	214	300/-	30-3-67
24.	श्रीमति सुदर्शन देवी/भंवरजी चौधरी	176	150/-	21-9-67
25.	श्री अलानूर/इलाई बक्ष	197	300/-	15-4-68
26.	,, शोभालाल जी लोढ़ा	265	150/-	21-2-68
27.	,, हसन मोला बक्ष	152	300/-	5-6-68
28.	,, छगनलाल सिशोदिया	96	300/-	5-8-68
29.	,, राम कुवार काबरा	38	300/-	,,
30.	,, घीयालाल मिस्त्री	24	300/-	14-8-68

344

1	2	3	4	5
31.	श्री कनक मल	47	300/-	22-8-68
32.	,, माणक चन्द	48	300/-	,,
33.	,, कुन्दन मल विजयवर्गीय	153	300/-	29-8-68
34.	,, संगत राम विजय वर्गीय	154	300/-	,,
35.	,, राम कुमार काबरा	266	300/-	30-8-68
36.	,, बाबू लाल काबरा	60	300/-	31-8-68
37.	,, हेमन्तसिंह मोतीसिंह लोढ़ा	120	300/-	18-9-68
38.	,, सज्जन सिंह नैनावटी	56	300/-	,,
39.	,, सुगन लाल दौलत सिंह	10	300/-	,,
40.	,, प्रताप सिंह कुन्दन सिंह	—	300/-	,,
41.	,, रतन लाल लोया	207	300/-	24-9-68
42.	,, रामस्वरूप मांगीलाल झंवर	168	300/-	27-9-68
43.	,, श्रीलाल सुवाल	220	300/-	14-10-68
44.	,, जगदीश रामकरण शर्मा	96	300/-	,,
45.	,, राधेश्याम राम दत्त	129	300/-	3-9-68
46.	,, संगत सिंह नैनावटी	156	300/-	10-11-68
47.	,, बृज प्रभा शर्मा	53	300/-	13-11-68
48.	,, अहमद नूर	64	300/-	17-4-68
49.	,, शंकर लाल शिशोदिया	228	300/-	26-5-69
50.	,, बुध सिंह मेहता	54	300/-	19-5-71
51.	,, बदरी लाल बालूराम झंवर	261	300/-	26-6-69
52.	,, राधा किशन मोतीलाल लुहार	247	300/-	9-7-69
53.	,, हरिशचन्द्र पोखरा	166	300/-	,,
54.	,, प्रहलाद राय फतहपुरिया	6	300/-	,,
55.	,, जगदीश चन्द्र फतहपुरिया	7	300/-	29-6-68
56.	,, भंवरलाल कोठारी	194	300/-	1-9-68
57.	,, योगेन्द्र सिंह राठौड़	254	300/-	1-9-69
58.	,, बसन्ती लाल जैन	77	300/-	3-9-69

2	3	4	5
59. श्री आनन्द स्वरूप काबरा	68	300/-	17-11-69
60. ,, इन्द्रमल मूलचन्द हीगड़	150	300/-	9-12 69
61. ,, मांगी लाल जैन	239	300/-	30-1-70
62. ,, मांगी लाल व्यास	204	300/-	16-3-70
63. ,, बंशी लाल काबरा	169	300/-	24-3-69

उपरोक्त व्यक्तियों ने पांसल पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टों की भूमि के डवलपमेंट की राशि कुछ व्यक्तियों द्वारा रु. 300/- तथा कुछ व्यक्तियों द्वारा रु. 150/ इसके पेटे जमा कराये थे।

आयुक्त
नगर परिषद, भीलवाड़ा

जिला बीकानेर के चरागाह

558. **श्री देवीसिंह भाटी**(कोलायत): क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) जिला बीकानेर में आज तक कितने गांवों में चरागाह कायम हैं ? कृपया क्षेत्रफल व घास की किस्म का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चरागाह पशुओं के लिए किस माह में खोले जाते हैं ? क्या राज्य सरकार प्रति वर्ष माह फरवरी से वर्षा तक चरागाह खोलने के निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वन विभाग द्वारा 97 गांवों में चरागाह कायम किये गये हैं, जिनके क्षेत्रफल की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। इन चरागाहों में सेवण, धामण, गंठिया, भरट आदि घास पाई जाती है।

(2) इन चरागाहों में से 1976 के पूर्व के चरागाहों को पूरे वर्ष खुला रखा जाता है। तथा नयी चरागाहों को नवम्बर से मार्च तक चराई के लिए खोला जाता है। चरागाहों में घास के पुनः उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी दृष्टि से तथा टिब्बा स्थिरीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को बदलना उचित नहीं है।

३४६

बीकानेर जिले में वन विभाग के अन्तर्गत कायम चरागाहों की सूची
वन मण्डल, बीकानेर

क्र. सं.	नाम तहसील	चरागाह क्षेत्र का नाम	नाम ग्राम	वर्ष	हैक्टेयर
1	2	3	4	5	6
1.	बीकानेर	बडडा ब्लोक जोडबीड	1. किलूच 2. अंबासर 3. सूरदना	69–70	900 है.
2.	,,	सरा	घडसीसर, शिवबाडी	70–71	400
3.	,,	सरा ए	रिडमलसर, उदयराम सर व गाढवाला	71–72	300
4.	,,	सरा बी		71–72	200
5.	,,	बडडा	किलूच	71–72	300
6,	,,	बडडा बी	,,	71–72	300
7.	,,	गाडवाला ए	अंबासर सूरदना गाडवाला रिडमलसर	71–72	200
8.	,,	गाडवाला बी	,,	71–72	200
9.	,,	गाडबाला सी	,,	71–72	200
10.	,,	गाडवाला डी	,,	71–72	200
11.	,,	गाडवाला ई	,,	71–72	300
12.	,,	किलूच	किलूच	71–72	300
13.	,,	नापासर	नापासर	71–72	300
14.	,,	कोटड़ी	कोटड़ी	72–73	300
15.	,,	नापासर बी	नापासर	72–73	200
16.	,,	कोटडी सी	कोटड़ी	72–73	200
17.	,,	कोटडी बी	कोटडी	72–78	200

1	2	3	4	5	6
18.	बीकानेर	नापासर सी	नापासर	72–73	300
19.	लूणकरणसर	गारबदेसर	गारबदेसर	72–73	200
20.	,,	गारबदेसर एसडीएफ	गारबदेसर	72–73	50
21.	,,	केला	केला	72–73	200
22.	कोलायत	कोलायत बी	कोलायत	72–73	200
23.	,,	गडियाला एसडीएफ	गडियाला	72–73	50
24.	बीकानेर	उदयरामसर एसडीएफ	उदयरामसर	70–71	200
25.	लूणकरणसर	सरदारपुरा	सरदारपुरा	72–73	300
26.	बीकानेर	बिच्छवाला	बीच्छवाला	69·70	175
27.	बीकानेर	सिल्वीपेस्टोरल बीच्छवाला	बीच्छवाला	78–79	200
28.	लूणकरणसर	चरागाह विकास	लकड़ी मलसीसर करपुरीसर	77–78	300
29.	,,	चरागाह विकास 7 सी सडी	कांकडवाला	79–80	250
30.	,,	मिश्रित वृक्षारोपण 2 एम के एम	कपूरीसर	79–80	150 है.
31.	बीकानेर	मालासर चरागाह विकास	मालासर	81–82	34
32.	बीकानेर	मेहरासर सिल्वीपेस्टोरल	मेहरासर	81–82	100
33.	लूणकरणसर	तेजाना	तेजाना	82–83	100
34.	कोलायत	गडियाला	गडियाला	82–83	50
35.	लूणकरणसर	लूणकरणसर (14 एलकेडी)	लूणकरण	81–82	100
36.	बीकानेर	लालसर	लालसर	82–83	100
37.	लूणकरणसर	सूरजडा	सूरजडा	82–83	100
38.	,,	मोकमपुरा	मोकमपुरा	82 83	100
39.	बीकानेर	सिल्वीपेस्टोरल (नापासर)	नापासर	82–83	50
40.	कोलायत	सालासर	सालासर	82–83	60
41.	बीकानेर	मेहरासर	मेहरा सर	82–83	60
42.	नोखा	मोहरखाना	मोहरखाना	82–83	25
43.	बीकानेर	लाखुसर	लाखुसर	82–83	50
			योग हैक्टेयर	–	850।

वन मण्डल, छतरगढ़

क. सं.	नाम चरागाह	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	गांव का नाम
1	2	3	4
1.	1 एल. के. डी./1 पी. बी	120 हैक्टेयर	सत्तासर
2.	3 के.के.एम.	162 ,,	ककराला
3.	2 डी.के.डी.	72 ,,	डण्डी
4.	3/5 के.के.एम.	234 ,,	बकराला
5.	1 डी.के.डी (ए)	84 ,,	डण्डी
6.	1 डी.के.डी. (बी)	162 ,,	,,
7.	1 एस.के.डी	258 ,,	सतासर
8.	2/3 के.के.एम.	138 ,,	ककराला
9.	629.700 आर.डी.	200 ,,	सत्तासर
10.	6/.8 के.के.एम.	204 ,,	राणेवाला
11.	610.200 आर.डी.	162 ,,	सतासर
12.	10 डी.के.डी. (ए)	192 ,,	डण्डी
13.	10 डी.के.डी. (बी)	200 ,,	,,
14.	सतासर बारानी	300 ,,	सतासर
15.	6 एल.के.डी	192 ,,	लुपखों
16.	4 एस.डब्ल्यू.एम. (यू)	180 ,,	थारुसर
17.	644.200 आर.डी.	180 ,,	,,
18.	232/233	198 ,,	,,
19.	1 एस.डब्ल्यू.एम. (यू)	168 ,,	,,
20.	3 एस.डब्ल्यू.एम (यू)	132 ,,	,,
21.	636 आर.डी.	168 ,,	सतासर
22.	11 डी.के.डी.	130 ,,	डण्डी
23.	10 डी.के.डी. (सी)	94 ,,	,,
24.	10 डी.के.डी. (डी)	106 ,,	,,

1	2	3		4
25.	चरागाह मोतीगढ़	465	है	मोतीगढ़
26.	2 डी.एल एम-	198	,,	दामोलाई
27.	1 आर.एम. (ए)	168	,,	,,
28.	5 डी.एल.	350	,,	,,
29.	3 डी.एस.एम.	90	,,	देवासर
30.	2 के.एम.	56	,,	घेघडा
31.	1 आर.जे.डी.	142	,,	,,
32.	1 आर.एम.(वी)	108	,,	लूनखा
33.	3/5 डी एल'	78	,,	खारबारा
34.	6 डी.एल.एम	306	,,	दामोलाई
35.	6 जी.एम.(ए)	132	,,	6 जी.एम. घेघड़ा
36.	6 जी.एम. (वी)	84	,,	,,
37.	2/3 आर.जे.डी.	90	,,	संसार देशर
38.	1 सी.एच.एम./3 ए.डब्ल्यू.एम. (ए)	144	,,	छत्तरगढ़
39.	1 सी.एच.एम /3 ए.डब्ल्यू.एम. (वी)	156	,,	,,
40.	593.800	392	,,	गोगलिया वाली ढाणी
41	5/7जी.एम.	228	,,	घेघडा
42.	1 एस.एल.डी.	192	,,	शेरपुरा
43.	2 डी.एल.	222	,,	2 डी.एल.
44.	2/4 डी.एल.	138	,,	4 डी.एल.
45.	4 टी.एम.	246	,,	तख्तपुरा
46.	3 ए.डब्ल्यू.एम./1 सी.एच.एम. (सी.)	144	,,	छत्तरगढ़
47.	2 ए.डब्ल्यू.एम.	216	,,	2 ए.डब्ल्यू.एम.
48.	घेघडा झील	198	,,	घेघडा
49.	5 टी. एम.	162	,,	तख्तपुरा
50.	5 ए. आर. एम.	87	,,	आंरावली
51.	1/2 सी. एच. डी.	175	,,	छत्तर गढ़
52.	8 जी. एम.	,66	,,	घेघडा

1	2	3	4
53.	4 डी.एस.एम.	130 ,,	देवासर
54.	2/4 डी एल.	150 ,,	4 डी.एल.
55.	3 आर.एम. 0/6 डी.एल.	100 ,,	3 आर.एम.
56.	2 ए.आर.एम. (ए)	150 ,,	2 ए.आर.एम.
57.	2 ए.आर.एम. (डी)	150 ,,	,,
58.	6 सी.एच.डी. 6 ए.आर.एम.	156 ,,	छत्तरगढ़
59.	6 सी.एच.डी.	139 ,,	,,
60.	550 आर.डी.	225 ,,	चितरा
	कुल योग:-	9954 हैक्टेयर	

वन मण्डल, बेरियावाली

क्र. सं.	नाम रेंज	नाम चरागाह विकास खण्ड	निर्माण वर्ष	क्षेत्रफल है. में	लाभान्वित होने वाले ग्राम जिला बीकानेर
1	2	3	4	5	6
—350 डी. पी. ए.पी.					
1.	112 आर.डी.पी.बी.	6 पी.बी. 'ए'	1977	120 है.	5 पी.बी./2 एडीएम
3.	112 आर.डी.पी.बी.	2 ए.डी.एम.	,,	167 ,,	2 एडीएम/ए.डी एम.
3.	बकरा रेंज	6 पी.बी.बी,	,,	120 ,,	रानीसर
			योग :	408 है.	

1978

1.	बेरियावाली	10 केजेडी	1978	240 है.	समरदा
2.	,	6/11	,,	232	9 के.जे.डी./11 के.जे.डी
3.	,,	12 के.जे डी	,,	252	सामरदा/12 के.जे.डी

1	2	3	4	5	6
4.	61 आर.डी.के.वाई.डी.	27 के.वाई.डी.	,,	228 ,,	27 के.वाई.डी.
5.	,,	28	,,	246 ,,	28 बी.डी.
6.	365 आर.डी.ए.बी.	4 पी.एच.एम.	,,	192 ,,	7 पी.एच.एम.
7.	कुण्डल	5/7 के.एल.डी.	,,	282 ,,	5 के.एल.डी/6 एसजेएम
8.	112 आर.डी.पी.बी.	1 ए.डी.एम.	,,	106 ,,	112 आर.डी.
9.	,,	15के.जे.डी.(ए)	,,	270 ,,	सामरदा/12 आर.डी.
10.	,,	132आर.डी.पी बी. 5 बी.एल.डी	,,	226 ,,	पोडावाली
11.	बकरा रेंज	1/3बी.एल.डी.	,,	264 ,,	2 बी.एल.डी./रानीसर
12.	,,	5 बी.एज.डी.	,,	150 ,,	पोड़ावाली
13.	,,	7 बी.एल.डी.	,,	186 ,,	,,
14.	6 बी.एन.डी.	6 बी.एल.डी.	,,	276 ,,	6 बी.एल.डी.

योग : 3200 है.

1979

1	2	3	4	5	6
1.	रेंज बेरियावाली	10/14के.जे.डी.	1979	174 है.	14 के.जे डो/खाजुवाला
2.	,,	14/16 ,,	,,	174 है.	सामरदा /16/15केजेडी
3.	,,	3/6 ,,	,,	174 है.	बेरियावाली/खाजुवाला
4.	,,	11 ,,	,,	198 ,,	11 के.जे.डी./12के.जे.डी
5.	61 आर डी के वाई डी	28 बी डी	1979	160 है.	28 बी डी
6.	,, ,,	31 के वाई डी	,,	120	31 के वाई डी

1	2	3	4	5	6
7.	112 आर डी पी बी	132 आर डी पी बी	1979	168 है	सामरदा
8.	,, ,,	132 'ए' आर डी पी बी	,,	168 ,,	पोडावाली
9.	,, ,,	15 'बी' के जे डी पी बी 'बी'	,,	164 ,,	पोडावाली सामरदा
10.	बकरा रेंज	8 बी एल डी	,,	168 ,,	पोडावाली (दो)
11.	,,	9 बी एल डी	,,	168 ,,	खारावाली
12	,,	132 आर डी पी बी 7 बी एल डी	,,	180 ,,	,,
13.	,,	2/5 पी बी (बी)	,,	194 ,,	,,
14.	6 बी एल डी	6/8 बी एल डी	,,	180 ,,	6 बी एल डी
15.	,,	11 बी एल डी	,,	180 ,,	6 बी एल डी/11 बी एल डी
16.	,,	1/3 एस एल एम	,,	180 ,,	,,
			योग :-	2750 है.	

1982-83 टिब्बा स्थिरीकरण/चरागाह विकास

1	2	3	4	5	6
1.	रेंज 730	ग्राम अमरपुरा खसरा नं. 208	1982-83	125 है.	चूंकि यह पी डी/एस डी एस वर्ष 82 का है इसलिए चराई हेतु वर्तमान में खुला नही है केवल अमरपुरा के आस-पास सभी ग्रामों को केवल रोजगार
2.	रेंज 820	ग्राम अमरपुरा खसरा नं. 208/2	,,	125 है.	
3.	682 रेंज	सियासर पंच कोसा 682 आर एम सी	,,	100 है.	

1	2	3	4	5	6
4.	730 रेंज	ग्राम अमरपुरा खसरा नं. 207	1982-83	100 है.	लाभ ही प्राप्त हुआ है।
5.	820 रेंज	ग्राम अमरपुरा खसरा नं. 210/2	,,	100 है.	
				योग :-550 है.	

योग डी पी ए पी 6008 हैक्टेयर

1980

1	2	3	4	5	6
2. 308 डी डी पी					
1. रेंज बेरियांवाली		18 के जे डी	1980	150 है.	18 के जे डी/17 के जे डी
2. रेंज 61 आर डी		30/32 के वाई डी	,,	200 है.	61 आर डी
3. 385 आर डी		5 पीएच एम /10 के एल डी	,,	150 ,,	सेहदा/किशनपुरा
4. कुण्डल		4 पी एच एम	,,	200 ,,	1 के एल डी/बेरियावाली/2 पी एच एम/7 पी एच एम
5. 12 डी ओ एल		19 बी डी/1 बी पी एम	,,	150 ,,	14 बी डी
6. 112 आर डी		1/3	,,	175 ,,	112 आर डी
7. वकरा		8/बी एल डी	,,	150 ,,	सेडावाली
8. 6 बी एल डी		6 बी एल डी	,,	175 ,,	6 बी एल डी
				योग:-1380 है.	

1979

1	2	3	4	5
3. 308 डब्लू बी बी रेंज प्रथम				
1. 61 आर डी के वाई डी	29 के वाई डी	1979	180 है.	23 के वाई डी
2. 61 आर डी के वाई डी	23 के वाई डी	,,	150 है.	29/23 केवाई डी
3. 61 ,,	26 ,,	,,	120 है.	26 के वाई डी
4. 365 आर डी ए डी	1 के वाई डी	,,	282 है.	2 एल एम/365
5. कुण्डल	5 के एल डी	,,	224 है.	5 के एल डी
6. ,,	7 के एल डी	,,	144 है.	एल जे एम/कुण्डल
7. ,,	7/9 के एल डी	,,	134 है.	सामरदा
8. 12 डी श्र डी एल	6/8 ,,		204 है.	12 डी ओ एल
9. ,,	12 डी ओ एल	,,	102 है.	12 ,,
10. ,,	4/6 के एल डी	,,	144 है.	,,
	योग :-		1684 है.	

1980

1	2	3	4	5
4. 308 एरिया डलवमेंट रेंज द्वितीय				
1. रेंज बेरियांवाली	21 के जे डी	1980	200 है.	21के जे डी/23 के जे डी
2. 61 आर डी	3/के वाई डी	,,	200 है.	3 के जे डी
3. कुन्डल	1 एस डब्लू एम	,,	200 है.	कुण्डल
4. 112 आर डी	158 आर डी पी बी 'एल'	,,	180 है.	112 आर डी
5. बकरा	134 आर डी पी बी 'ए'	,,	150 है.	पोड़ावाली

1	2	3	4	5
6.	बकरा	134 आर डी 'बी'	1980 150 है.	कोडावाली
7.	,,	158 आर डी पी बी (एल)	,, 200 है.	,,
8.	6 बी एल डी	12 बी एल डी	,, 200 है.	6 बी एल डी
		योग :-	1480 है.	
		1981		
1.	रेंज बेरियांवाली	18/20 के जे डी 2 एच. डब्लू एम	1981 80 है.	18 के जे डी/ 17के जे डी
2.	रेंज 61 आर डी	3/33 के वाई डी	80है	61 आर डी
3.	रेंज 12 डी ओ एल	4 पी एच एम	,, है.	12 डी ओ एल
4	कुण्डल	4 पी एच एम 2 बी आर डब्लू एम	120 है.	1 के एल डी/बेरियावाली 4 पी एच एम/ 7 पी एच एम
5.	112 आर डी	14 पी बी 3 एन जी एम	80 है.	सामरदा
6.	बकरा	2/5 पी बी	,, है.	रानीसर
		योग :-	600	

1982

1.	बेरियावाली	2 डी आर डब्ल्यू एम	1982	150 है.	खाजुवाला
3.	61 आर डी	32 के वाई डी एण्ड बी	,,	150 ,,	32 आर डी
3.	365 आर डी ए बी	6 पी एम एम	,,	80 ,,	7 पी एच एम/ ज पी एच एम
4.	12 डी ओ एल	2 बी आर डब्ल्यू एम	,,	100 ,,	कुण्डल
5.	कुण्डल	2 बी आर डब्ल्यू एम	,,	150 ,,	खाजूवाला
6.	बकरा	2 एम डी एम	,,	150 ,,	बकरा
7.	112 आर डी	7 एम डी एम	,,	160 ,,	112 आर डी
			योग :—	1100 है.	

1983

1	2	3	4	5	6
1.	बेरियावाली	16 के जे डी	1983	100 है.	खाजूवाला
	,,	2 डी आर डब्लू एम	,,	100 है.	बेरियावाली/ खाजूवाला
2.	61 आर डी के वाई डी	मावली 'ए'	,,	120 है.	मावली
	,,	मावली 'बी'	,,	80 है.	मावली
3.	365 आर डी	28 बी डी	,,	200 है.	28 बी डी
4.	12 डी ओ एल	2 बी आर डब्लू एम/ 1 एल डब्लू एम	,,	100 है.	12 डी ओ एल
	12 डी ओ एल	2 बी आर डब्लू एम 'ए'	,,	150 है.	12 डी ओ एल
5.	कुण्डल	1 एल डब्लू एम	,,	150 है.	कुण्डल
6.	112 आर डी	2 एम डी एम	,,	100 है.	112 आर डी
7.	बकरा	2 एम डी एम	,,	100 है.	बकरा/ 2 एम डी एम
8.	6 बी एल डी	7 के एच एम	,,	100 है.	6 बी एल डी/
		6 बी एल डी	,,	100 है.	7 के एच एम

योग :—1500 है.

महा योग पेज सैकण्ड :—4680 है.

महायोग 77 से 83 :— 14622 है.

आयुर्वेद विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं से लाभ

599. **श्री भंवर लाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आयुर्वेद विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनता को उचित लाभ मिल रहा है या नहीं ? क्या सरकार ने इसका मूल्यांकन करवाया है ?

(2) क्या विभाग में निरन्तर एवं क्रमबद्ध योजनाओं के मूल्यांकन हेतु पृथक मूल्यांकन प्रकोष्ठ की स्थापना की हुई है ?

(3) यदि ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो क्या मूल्यांकन प्रकोष्ठ की स्थापना के बारे में सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, आयुर्वेद विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनता को लाभ मिल रहा है। कुछ बिन्दुओं पर मूल्यांकन करवाने हेतु विभाग ने राज्य के मूल्यांकन सगठन विभाग को लिखा है।

(2) जी नहीं।

(3) फिलहाल ऐसा कोई प्रकोष्ठ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य में नये जिलों के गठन हेतु गठित समिति

600 **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 1979-80 में राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक दृष्टि से नये जिले गठित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

(2) क्या यह सही है कि शासन द्वारा नये जिलों के गठन के लिए राजस्व मण्डल के सदस्य की एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो उस समिति ने प्रस्तावित जिलों में किन-किन तहसीलों को शामिल करने का सुझाव दिया था ?

(3) क्या राज्य सरकार को दौसा को जिला बनाने हेतु आम जनता द्वारा ज्ञापन दिया गया ? यदि हां, तो कब-कब तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) जी हां, अध्यक्ष राजस्व मण्डल अजमेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जिसके सदस्य राजस्व सचिव व वित्त सचिव थे। समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित जिलों में किन-किन तहसीलों को शामिल किया जायेगा, फिलहाल यह बताना जनहित में नहीं है।

(3) जी हां, समस्त मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न संख्या 582 की शिकायतें

गोपनीय/अति आवश्यक

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा मंडल, जयपुर

कालूराम खिची
निबंधक/सचिव

क्रमांक 2635
दिनांक 10.11.82

श्रीमति भुमकी एस. कुमार,
आयुक्त एवं शासन सचिव,
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषयः- अध्यक्ष द्वारा अनियमित/अनधिकृत रूप से आदेश निकाले जाने बाबत।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस मण्डल के अध्यक्ष महोदय डा. के. जी. राजवंशी द्वारा नियमों के विरूद्ध की गई गतिविधियों की ओर आपका निजी ध्यान आकर्षित कर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार के आदेशों को न मानने व उनकी अवहेलना करने से संबंध में मुझे उनके द्वारा निर्देश दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतिलिपि आपके अवलोकनार्थ संलग्न है (परिशिष्ट "अ")जिससे स्पष्ट है कि ये अनधिकृत व अनियमित आदेशों की पालना करने हेतु बाध्य कर रहे हैं। यह आदेश निम्न कारणों से अनियमित, अनधिकृत एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाये गये अधिनियमों एवं नियमों के विपरीत हैं:—

(1) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अन्तर्गत अध्यक्ष के कर्तव्य बताये गये हैं जिसका उद्धरण आपकी सुविधा हेतु संलग्न है (परिशिष्ठ ब) इनके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि मण्डल कर्मचारियों के सेवा संबंधी आदेश निकालने की शक्तियां उनमें निहित नहीं हैं।

(2) उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा नियम, 1971 बनाये हैं। इन नियमों के

नियम 13(2) (ए) (प्रतिलिपि संलग्न,परिशिष्ठ स) के अन्तर्गत कार्यालय अध्यक्ष के समस्त अधिकार रजिस्ट्रार में निहित हैं व मण्डल कर्मचारियों पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु बनाये गये समस्त/सेवा संबंधी एवं प्रशासनिक नियम यथावत लागू किये गये हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय द्वारा जो आदेश श्री भागीरथ सिंह कार्यालय अधीक्षक के संबंध में जारी किये गये हैं उनको जारी करने के लिये केवल रजिस्ट्रार ही सक्षम है न कि अध्यक्ष महोदय जैसा कि उनके द्वारा किया गया है।

केवल रजिस्ट्रार ही जारी कर सकते है जो कि बोर्ड के सचिव भी हैं।

(3) उपरोक्त अधिनियमों के देखने से स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय रजिस्ट्रार के कार्यालय कार्य में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप करके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

(4) रजिस्ट्रार को राज्य सरकार द्वारा जनहित में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है और रजिस्ट्रार को अपने पद की गरिमा के अनुरूप नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जनहित में कार्य करना है।

(5) अध्यक्ष द्वारा कनिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्तियों में अनियमितता की गई है उसके बारे में मेरे द्वारा राज्य सरकार को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है। जिसकी प्रतिलिपि पुनः आपके अवलोननार्थ संलग्न है। (परिशिष्ठ द)

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुऐ मेरा राज्य सरकार से निम्न निवेदन है:—

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा जो आदेश मुझे राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने हेतु दिये गये हैं वे किन नियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं। कृपया उनसे पूछा जावे।

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा भविष्य में अधिनियमों एवं नियमों के विरुद्ध उनके स्वयं के हस्ताक्षरों से आदेश प्रसारित करने से कृपया रोका जावे क्योंकि वे अनधिकृत व अनियमित होंगे।

(3) अध्यक्ष महोदय द्वारा इसी प्रकार की कई अन्य अनियमितताएं अनधिकृत रूप से स्वयं के द्वारा की गई है उनकी बिस्तृत रिपोर्ट पृथक से शीघ्र भिजवा रहा हूं तथा भविष्य में इसी प्रकार की अनियमितताओं की रिपोर्ट समय समय पर जैसे जैसे मेरे ध्यान में आवेंगी, राज्य सरकार को प्रस्तुत करता रहूंगा।

(4) अध्यक्ष एक गैर सरकारी व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि है इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि अध्यक्ष महोदय को राज्य सरकार द्वारा बनाये गये वित्तीय

360

प्रशासनिक/सेवा संबंधी/अधिनियमों/ नियमों/कार्य प्रणाली एवं व्यवस्था आदि की भली भांति जानकारी नहीं है। और इसलिये वे मुझसे सलाह लेना भी उचित नहीं समझते हैं और इसी कारण अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की सलाह से इस प्रकार के अनधिकृत व अनियमित आदेश स्वयं के हस्ताक्षरो से जारी करते रहते हैं।

(5) इस कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक सीता राम गुप्ता (निलम्बित), जो कि पूर्व में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर काम कर रहे थे, इस मण्डल में गत बारह वर्ष से कार्यरत हैं व अध्यक्ष महोदय, जिनके कि पता नहीं किन कारणों से घनिष्ठ संबंध हैं, के द्वारा आज समस्त कर्मचारियों के समक्ष मुझे यह कहा गया कि रजिस्ट्रार की तमाम शक्तियां अध्यक्ष द्वारा छीन ली गई है व मुझमें (श्री सीताराम गुप्ता) निहित कर दी गई हैं इसलिये रजिस्ट्रार के आदेशों की कोई पालना नहीं की जावेगी। रजिस्ट्रार के कमरे को ताला लगाकर बन्द कर दिया जावेगा, उनको अब कोई अधिकार नहीं है। श्री गुप्ता द्वारा यह भी कहा गया कि अध्यक्ष के आदेशों की पालना यदि रजिस्ट्रार द्वारा नहीं की गई तो उन्हें निलम्बित कर दिया जावेगा, यदि वास्तव में अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रकार के आदेश निकाले गये हैं तो मैं उन्हें मानने को बाध्य नहीं हूं क्योंकि ऐसे आदेश अपने आप में अनधिकृत एवं अनियमित होंगे। व किन नियमों के अन्तर्गत ऐसे आदेश निकाले गये है, कृपया उनसे पूछा जावे।

(6) श्री सीताराम गुप्ता को रजिस्ट्रार के अधिकार अध्यक्ष महोदय ने किन नियमों के अन्तर्गत दिये हैं। कृपया उनसे पूछा जावे।

(7) श्री सीताराम गुप्ता कार्यालय, अधीक्षक को उनकी अनधिकृत व अनियमित तथा अन्य मण्डल विरोधी गतिविधियों के कारण दिनांक 10.11.83 को निलम्बित कर दिया गया है जिसकी विस्तृत रिपोर्ट व निलम्बन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है (परिशिष्ठ म)

(8) उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होगा कि राजस्थान सचिवालय सेवा के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी (उप सचिव) के साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा कैसा घटिया स्तर का व्यवहार किया जा रहा है कि मण्डल के एक लिपिक वर्ग के कर्मचारी के द्वारा मुझे भांति भांति की धमकियां कर्मचारियों के समक्ष देकर मेरा व मेरे पद का अपमान कराया जा रहा है जब कि उनका स्तर उप सचिव के समकक्ष भी नहीं है। तीन माह की अल्प अवधि में ही बहुत धैर्य रखने के बाद मजबूरन राज्य सरकार के ध्यान में यह लाने के लिये मुझे बाध्य होना पड़ रहा है। क्योंकि समय रहते हुए इस संबंध में कोई आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नही की गई तो मेरे साथ कोई भी दुर्घटना यह लोग करवा सकते हैं जैसा कि यहां आये दिन होता रहता है। इससे बोर्ड के कार्यालय के कार्य संचालन में भी बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है।

उपरोक्त तथ्यों को राज्य सरकार का मण्डल में प्रतिनिधि होने के कारण ध्यान में मैं ला रहा हूं कि मैं केवल राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों की पालना करने के लिये ही बाध्य हूं। अध्यक्ष के अनियमित निर्देश कभी महीं माने जा सकते हैं। अतः निवेदन है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर अविलम्ब विचार कर आवश्यक कार्यवाही राज्य स्तर पर करके शीघ्र निर्देश जारी कराने की कृपा करें।

भवदीय,
ह./—
(कालूराम खींची)
रजिस्ट्रार

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा मंडल, जयपुर

कालूराम खिची
निबंधक/सचिव

क्रमांक : 2638
दिनांक 14-11-83

आयुक्त एवं शासन सचिव,
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषयः—मण्डल के अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमित/अनधिकृत कार्यवाहियों बाबत।

संदर्भः—मेरे पूर्व पत्र क्रमांक 2426—29 दिनांक 9-11-83 एवं 2635—36 दिनांक 10-11-83

महोदय,

निर्देशानुसार मेरे उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अतिरिक्त जो अन्य अनियमितताएं अध्यक्ष महोदय द्वारा की जा रही हैं व जो मेरे ध्यान में आई है का विवरण निम्न प्रकार है :—

1. समस्त विश्व विद्यालयों/कालेजों में जो परीक्षा परिणाम घोषित किये जाते है वे रजिस्टार के हस्ताक्षर से किये जाते हैं। राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड (परीक्षा) रेगुलेशन, 1975 के नियम 16 (3) (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत प्रावधान भी है कि परीक्षा परिणाम रजिस्ट्रार द्वारा ही घोषित किये जावेंगे। किन्तु मंडल ने जो दिनाक 11-11-83 को परिणाम घोषित किये गये है बल्कि (प्रतिलिपि संलग्नम) मे स्पष्ट है कि ये रजिस्टार द्वारा जारी नहीं किये गये है बल्कि रजिस्टार ड्यूटी पर होते

(362)

हुये मंडल के एक मंत्रालयिक कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर करवाये जाकर अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी करवा दिये गये जो कि नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

2. राज्य सरकार ने श्री भागीरथ सिंह को इस मंडल में कार्य करने के लिये अधिकृत किया है व निम्न हस्ताक्षर कर्ता को राज्य सरकार के आदेशों की पालना हेतु कहा गया है किन्तु अध्यक्ष महोदय ने कार्यालय आदेश, जिसकी प्रति आपको मेरे उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा पूर्व में ही भेजी जा चुकी हैं में मुझे राज्य सरकार के आदेशों की पालना न करने हेतु कहा गया हैं जो कि अपने आप में एक बहुत गम्भीर अनियमितता है। सच तो यह है कि कार्यालय आदेश अर्थात् केवल रजिष्ट्रार ही जो कि कार्यालय अध्यक्ष है व जो मंडल के सचिव भी है, ही जारी कर सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे अपने मनमाने व अनियमित आदेश अपने पद का दुरुपयोग करते हुये जारी कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है।

3. अभी हाल में ही कनिष्ठ लिपिकों की अनियमित नियुक्तियों के आदेश स्वयं अध्यक्ष महोदय ने अपने द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रसारित किये हैं जो कि अपने आप में अनियमित हैं क्योंकि ऐसे आदेश केवल रजिस्ट्रार ही जारी करने में सक्षम हैं जैसा कि पैरा (2) में पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है। फिर भी जैसे ही निम्न हस्ताक्षर कर्ता के ध्यान में यह आया तो तुरन्त ही इन अनियमित आदेशों को निरस्त किया गया। किन्तु बड़े खेद का विषय है कि अध्यक्ष महोदय ने पंजीयक के आदेशों को निरस्त कर पुनः कनिष्ठ लिपिकों के नियुक्ति आदेश प्रसारित कर दिये जो कि उनके अनियमित आदेश जारी करने की प्रवृत्ति के द्योतक हैं। साथ ही यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की गई अनियमित नियुक्तियों में मंडल कार्यालय का उनके वेतन आदि का भुगतान करने हेतु कोई दायित्व नहीं होगा क्योंकि न तो राज्य सरकार से कनिष्ठ लिपिकों के पद स्वीकृत किये गये हैं और न ही इन पदों हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट स्वीकृत किया गया।

4. मैंने अपने पूर्व पत्र दिनांक 10-11-83 में श्री सीताराम गुप्ता का.अ. (निलम्बित) जो कि मंडल कार्यालय में गत 12 वर्ष से कार्यरत हैं पता नहीं किन कारणों से जिसके अध्यक्ष महोदय से घनिष्ठ संबंध हैं के द्वारा समस्त कर्मचारियों के सामने निम्न हस्ताक्षर-कर्ता को यह कहा गया कि रजिस्ट्रार की तमाम शक्तियां अध्यक्ष द्वारा छीन ली गई हैं व मुझ में (सीताराम गुप्ता) में निहित कर दी गई हैं। अतः रजिस्ट्रार के आदेशों की कोई पालना नहीं की जावेगी। यदि रजिस्ट्रार ने अध्यक्ष महोदय के आदेशों की पालना नहीं की तो रजिस्ट्रार को निलम्बित कर दिया जावेगा व उनके कमरे के ताला लगा दिया जावेगा। इस मंडल के कर्मचारियों व अधिकारियों पर राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सेवा संबधी/प्रशासनिक व अन्य वित्तीय नियम आदि नियम लागू होते हैं। एक जन सेवक को इस प्रकार धमकियां देना व नियमानुसार कार्य करने में बाधा डालना व रुकावट पैदा करना भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है।

5. अध्यक्ष महोदय रजिस्ट्रार के ड्यूटी पर होते हुये भी सीताराम गुप्ता (निलम्बित) जो केवल एक मंत्रालयिक सेवा का कर्मचारी है से पत्रावलियां/पत्र आदि सीधे ही मंगवाकर व रजिस्ट्रार को जो कि राजस्थान सचिवालय सेवा के नियमित वेतन शृंखला के अधिकारी हैं व जिनका दर्जा एक उप शासन सचिव का है को कर हस्ताक्षर करते रहते हैं। रजिस्टार के माध्यम से पत्र/पत्रावलियां नहीं मंगवा कर उनके करना नियमों के विरुद्ध व स्वयं में एक गम्भीर अनियमितता है।

6. श्री सीताराम गुप्ता का.अ. (निलम्बित) को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 10-11-83 को निलम्बित किया जा चुका है। यह तथ्य अध्यक्ष महोदय, को मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से बताया भी जा चुका है। श्री सीताराम गुप्ता ने (निलम्बित) आदेश लेने से मना कर दिया है। जैसा कि मैंने अपने उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा सूचित कर दिया है कि वह कहता है कि वह रजिस्ट्रार के आदेशों की पालना करने के लिये बाध्य नहीं है और उसकी सेवाएं पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय द्वारा सुरक्षित हैं। अतः उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। स्पष्ट है कि उसको यह संरक्षण अध्यक्ष महोदय द्वारा ही दिया गया है वरना एक मंत्रालयिक कर्मचारी की जो कि निलम्बित है और जिसको कि रजिस्ट्रार ने यह कह दिया है कि आप निलम्बित होने के कारण कार्यालय में कार्य करने के लिये अधिकृत नहीं है, अनधिकृत-रूप से कार्य कर रहा है। स्पष्ट है कि यह अनियमितता अध्यक्ष महोदय के संरक्षण में ही उनके द्वारा की जा रही है।

अतः अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया इन पर जो भी उचित समझें निर्णय लेने का कष्ट करें।

अन्य अनियमितताएं जो और मेरे ध्यान में आयेंगी उन्हें मैं राज्य सरकार के ध्यान में और लाऊंगा।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्त

ह0/-(कालूराम खींची)
रजिस्ट्रार

क्रमांक : 2638

जयपुर, दिनांक 14-11-83

प्रतिलिपि श्री एस.एन. अग्रवाल, उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया शीघ्र निर्णय लेकर सूचित करने का कष्ट करें।

ह0/—
रजिस्ट्रार

364

RAJASTHAN HOMOEOPATHY MEDICINE BOARD
S—15 C, MAHAVEER MARG, 'C' SCHEME, JAIPUR.

DR. K. G. RAJVANSHY
CHAIRMAN
KALOO RAM KHINCHI
REGISTRAR

MOST IMPORTANT
PERSONAL ATTENTION

DATE 15.11.83

TO,

Smf, Jumki S. Kumar,
Commissioner & Secretary to Govt,.
Sajasthan Secretariate,
Jaipur.

Sub :- Irregularities being conducted by the chairman of the board.

Ref :-In continuation of my previous letters No, 2635-38 dated 14-11-83.

Sir,

In continuation to my above lettere, I am direcyed to say that one more irregularity conducted by the Chariman of the Board has come to my notice as under :—

Some of the applicants came to me and showed me the card issued to them by the Employment Exchang Deptt., calling for the intorviow for tne post of InsPector in the Homeopathid Deptt, on 16-11-83 at 2 P. M. in the Board's office.

I am to inform you that for taking such important decision for filling up the post of Inspoctot as above, the under signed has never been raken into confidence ana the decision of calling of the interviow etc. Was taken dy the Chairman himself without my knowledge though this Post was sanctioned by the Govt. Long age and according to the rules, the sanction of the Govt, for creation of the post in question ceases to be in-offeetive in case the post is not filleb up within the period of 6 months from the dates of it's sanctions Accordingly, calling of the condidates for intorviow for the post in

question which needs to be sanctioned/croated by the Govt. afresh is quite irregular.

This is for your kind information.

Yours faithfully,

Sd/—(KTLOO RAM KHINCHI) REGISTRAR

RAJASTHAN HOMOEOPATHY MEDICINE BOARD
S-15 C, MAHAVEER MARG, 'C' SCHEME, JAIPUR.

SECRET/MOST IMPORTANT NO. 1.

KALOO RAM KHINCHI DATED 19-11-83
REGISTRAR
To

SHRI. S. N. Agarwal.
Dy. Secretary to Govt.
Medical & Public Health Department,
Rajasthan Secretariate,
Jaipur.

Sub--IRREGULARITIES BEING CONDUCTED BY THE. CHAIRMAN.

Sir.

I am directed to say that Shri Sira Ram Gupth. Office Superintendent, an employee of the Ministerial service was susperded by the under-singed for the reason alreaby explained to the Govt., in my previous letters vide my order NO. 2630 to 2634 da.ed 10-11-83, but the said order was set aside by the Chairman of the Board vide his order dated 14-11-83 (Copy onclosed).

In my provious communications to the Govt., I have aireaby clearly explained that all executive orders such as order of appointment/promotion/uspension etc., can only be issued by the under-singed boing the head of office and Secrotary of the Board as well and not by the chairman. It is persumed that my above conrention is correct, It so, it may kindly be confermed,

Yours faithfully,
Sd/-
(KALOO RAM KHINCHI)
REGISTRAR

366

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा मण्डल, जयपुर

श्री आर. जे. मजीठिया साहब,
आयुक्त एवं शासन सचिव,
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांक : Secp.-2
दिनांक : 3-12-83

विषय :—बोर्ड में अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे पूर्व पत्रों के अनुक्रम में जो अन्य अनियमिततायें बोर्ड में अध्यक्ष द्वारा की जा रही है व जो मेरे ध्यान में और आई है, उनका संक्षिप्त में विवरण मैं निम्न प्रकार आपके अवलोकनार्थ दे रहा हूँ :—

(1) निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता दिनांक 21-11-83 से 30-11-83 तक अवकाश पर थे तथा दिनांक 26-11-83 को रजिस्टार का कार्य करने हेतु अध्यक्ष द्वारा श्री सीताराम गुप्ता का. अ. (निलम्बित) को अधिकृत किया गया था जो कि स्वयं में एक अनियमितता है।

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड की बैठक अजमेर कालेज में आयोजित की गई जिसकी कार्यवाही का विवरण संलग्न से स्पष्ट है कि इस पर श्री सीताराम गुप्ता कार्यालय अधिक्षक (निलम्बित) व अध्यक्ष राजस्थान होमियोपैथिक बोर्ड के हस्ताक्षर हैं। श्री सीताराम गुप्ता ने इस कार्यवाही विवरण पर रजिस्ट्रार के रूप में हस्ताक्षर कर रखे है जो कि अनाधिकृत है क्योंकि रजिस्ट्रार के अवकाश पर होने पर अध्यक्ष केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से ही रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकते है जैसा कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड अधिनियम, 1969 की धारा 27(2) के अन्तर्गत प्रावधान है, जबकि इस प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति अभी तक नहीं ली गई है।

(3) उपरोक्त दिनांक 26-4-83 की कार्यवाही विवरण में कार्य सूची के तीसरे विषय संबंध में उल्लेख किया गया है कि श्री खींची रजिस्ट्रार द्वारा श्री भागीरथ सिंह को मंडल के कार्यालय में कार्य पर बिना अध्यक्ष एवं बोर्ड की स्वीकृति के कार्यालय अधिक्षक के पद पर ड्यूटी एजुम कराली गई, जबकि इस मंडल कार्यालय में कार्यलय अधिक्षक का कोई पद रिक्त नहीं है। यहां मैं यह बताना उचित समझूंगा कि श्री सिंह को बोर्ड कार्यालय में ड्यूटी एजुम कराने का कार्य मेरे द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालन में ही किया गया था। मैं यह भी बताना उचित समझूंगा कि निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा किसी भी प्रकार से न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को राज. हो. चिकित्सा बोर्ड अधिनियम, 1969 के नियम 13 (2) (ए) के अन्तर्गत बोर्ड

के कार्यालय के है कि शक्तियां प्रदत्त की गई है। नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार को हैड आफ द बोर्ड यानी कि आफिस आफ द बोर्ड के हैड की शक्तियां दी गई है।

(4) उपरोक्त कार्यवाही का विवरण के कार्य सूचि के पैरा 3(2) में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त कार्यवाही विवरण में निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता द्वारा बिना अध्यक्ष एवं बोर्ड की स्वीकृति के कार्यालय अधिक्षक के 2 पद रजिस्ट्रार द्वारा सृजित करने की बात कही गई है जो सरासर गलत है क्योंकि कोई पदों का सृजन निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा नहीं किया गया। बल्कि राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में ही श्री भागीरथ सिंह को बोर्ड कार्यालय में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया व श्री गुप्ता को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण ही कार्यालय अधिक्षक के पद पर कार्य करने के लिये कहा गया ताकि न्यायालय के आदेशों की अवमानना न हो।

(5) उपरोक्त कार्यवाही विवरण में यह भी बताया गया है कि निम्न हस्ताक्षर-कत्ता द्वारा श्री सिंह को अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को लिखा गया यहां यह बताना उचित ही होगा कि श्री सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर अवधि और बढ़ाने व न बढ़ाने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया था जिसके आधार पर श्री सिंह की अवधि राज्य सरकार द्वारा और बढ़ा दी गयी। अतः जो कार्यवाही विवरण में बताया गया है वह स्वतः ही गलत हैं।

(6) उपरोक्त कार्यवाही विवरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग की भी मण्डल कार्यालय में बिना कायालय अधिक्षक के रिक्त पद के प्रतिनियुक्ति पर भेजने हेतु भी आलोचना की है जो कि सरासर गलत है क्योंकि राज्य सरकार कोई भी व किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम है। श्री सिंह को राज्य सरकार की आदेशों की अनुपालन में ही बोर्ड में रखा गया है। अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के आदेशों को न मानने हेतु रजिस्ट्रार को लिखित में आदेश अपने स्वयं के हस्ताक्षर से देकर उन्होंने अनियमितता की है जैसा कि मेरे पूर्व पत्रों में स्पष्ट किया जा चुका है।

(7) उपरोक्त कार्यवाही विवरण में श्री भागीरथ सिंह को उनकी अनुपस्थिति के दौरान लगभग 2 माह 11 दिन का वेतन का भुगतान निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा किये जाने पर आपत्ति की गई है। राज्य सरकार के आदेश में यह स्पष्ट था कि श्री सिंह को वेतन आदि का भुगतान शीघ्र किया जाकर इसकी पालना रिपोर्ट राज्य सरकार को शीघ्र दी जावे। अतः तदनुसार ही निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा श्री सिंह को भुगतान कराया गया जो कि किसी भी प्रकार अनियमित कार्यवाही नहीं कही जा सकती है, जैसा कि कार्यवाही में बताया गया है।

(8) उपरोक्त कार्यवाही विवरण में सीताराम गुप्ता बनाम राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड के बाद में बिना अध्यक्ष के अनुमोदन के जवाब दावा पेश करने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष ने टेलीफोन पर एवं मौखिक रूप में कई बार मुझे निर्देश दिये गये कि रजिस्ट्रार को इसके बाद में कोई अग्रिम कार्यवाही नहो करनी है व इस केश में कोई दिचलस्पी नहीं लेनी है क्योंकि वह श्री सीताराम गुप्ता को कार्यालय अधिक्षक के पद पर बने रहना देखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को जब पत्रावली पेश की गई तो उन्होंने स्वयं ही अपने किसी विशेष वकील को नियुक्त कर व उसको स्वयं द्वारा दिये गये तथ्यों के आधार पर ही जवाबदावा सीधे ही वकील द्वारा तैयार करवाया जाकर एन मौके पर अर्थात् जवाबदावा न्यायालय में पेश करने की अन्तिम तिथी व अन्तिम समय में जबकि कोर्ट का टाइम बन्द होने वाला था, मुझे कहा गया कि उस जवाबदावे को देखकर हस्ताक्षर कर न्यायालय में प्रस्तुत करें। जवाबदावे को देखने पर मुझे महसूस हुआ कि जो बोर्ड पर दावा किया गया है उसमें अध्यक्ष महोदय बोर्ड के हित को ध्यान में न रखकर केवल श्री सीताराम गुप्ता के स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर ही कार्यवाही कर रहे हैं व मण्डल कार्यालय के हित को नजर अन्दाज कर रहे हैं। पता नहीं अध्यक्ष के श्री सीताराम से क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है जिसके कारण वे इसके पक्ष में हमेशा ही अनियमित कार्यवाही करते रहते हैं। व मुझसे भी तदनुसार वैसे ही कार्यवाही करना चाहते हैं। अतः मैने राज्य सरकार एवं मण्डल के हितों को ध्यान में रखते हुए जो तथ्य थे उनका समावेश जवाब दावे में किया जो किसी भी तरह गलत नहीं कहे जा सकते हैं। अध्यक्ष से न्यालय में जवाबदावा पेश करने से पूर्व जो मेरे द्वारा अधिकार क्षेत्र में हैं। अध्यक्ष से अनुमोदन करवाने की आवश्यकता नहीं है, जैसाकि मैंने इस पत्र के पैरा 3 में स्पष्ट कर दिया है।

(9) उपरोक्त कार्यवाही विवरण में निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 11.11.83 को पुनः मूल्यांकन के परिणाम पर हस्ताक्षर नहीं करने की बात कही गई है जो एक सरासर गलत है व सफेद झूठ है। इस सम्बन्ध में संबधित पत्रावलो को देखने से विदित होगा कि मेरे द्वारा कार्यालय अधिक्षक को रिजल्ट चैक करने हेतु कुछ निर्देश दिये गये थे जबकि उन निर्देशों की पालना न कर कार्यालय अधिक्षक ने मुझे पत्रावली कई दिनों के बाद प्रस्तुत की स्वयं कार्यालय अधिक्षक एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर कर परिणाम घोषित कर दिया गया जो कि अनियमित है जबकि नियमों के प्रावधान के अनुसार परिणाम मेरे हस्ताक्षर होने के पश्चात ही घोषित किया जाना अनिवार्य था। इस अनियमितता के बारे में मेरे द्वारा राज्य सरकार का ध्यान पूर्व में ही लाया जाकर लिया जा चुका है। निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर न करने की बात पर अडे रहने की जो बात उपरोक्त कार्यवाही विवरण में कही गई है वह बिल्कुल मनगढन्त एवं एकदम सफेद झूठ है।

(10) निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने व श्री सिंह के कार्यालय अधीक्षक के पद पर डयूटी एजुम कराने के कारण अनुशासनात्मक

कार्यवाही किये जाने की बात कही गई है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना किसी भी प्रकार नहीं की गई है। श्री गुप्ता के वाद में न्यायालय की अवमानना न हो इस बात को ध्यान में रखते हुये ही (श्री भागीरथ सिंह को राज्य सरकार के आदेशों की पालना में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया) कार्यालय अधीक्षक का एक पद स्वीकृत होते हुये भी कार्यालय अधीक्षक के पद पर श्री गुप्ता को यथावत रखा गया है।

(11) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता व. लि, को उपरोक्त कार्यवाही विवरण में रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 21.11.83 को निलम्बित करने की बात कही गई हैं। बोर्ड द्वारा इस निलम्बन आदेश होमियोपैथिक बोर्ड के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी श्री सीताराम गुप्ता (जो कि स्वयं निलम्बित है) के द्वारा अज"रजिस्ट्रार" हस्ताक्षर कर जारी किये गये है जो कि स्वयं में एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि रजिस्ट्रार के अवकाश काल एवं अनुपस्थिति में में केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से ही अध्यक्ष किसीअन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकते है जैसा कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम 1969 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उल्लेख है जबकि इस प्रकरण में राज्य सरकार की ऐसी कोई स्वीकृति आज तक भी नहीं ली गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी जो कि एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी है व जिनकी सेलेरी रू. 2000/-से 2500/- के बीच प्रतिमाह है का चार्ज एक मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी को अध्यक्ष किस प्रकार से दे सकते है और वह भी राज्य सरकार की बिना अनुमति के, क्या यह अनियमितता नहीं हैं?

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड अधिनियम 1969 की धारा 40 के अन्तगत बोर्ड के कार्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है जिसमें मंडल कार्यालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में बोर्ड को भी अधिकार नहीं दिये गये है। व इन्ही अधिनियम की धारा 27[4] के अन्तर्गत सचिव एवं बोर्ड के एक्जुकेटिव आफिसर भी रजिस्ट्रार ही है। राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा नियम 1971 के नियम 13[2] [ए] के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को हैड आफ आफिस आफ द बोर्ड मंडल कार्यालय के हैड की शक्तियां निहित हैं। आफिस आफ द बोर्ड का जो प्रयोग किया गया है वह राजस्थान सेवा नियम एव सामान्य वित्त नियम में किये गये "हैड आफ आफिस"(हैड आफ डिपार्टमेंट) के शब्दों से सर्वथा भिन्न है। रजिस्ट्रार बोर्ड के आफिस के हैड है, अतः स्पष्ट है कि मंडल कार्यालय के हैड, रजिस्ट्रार ही है व मंडल के सचिव व एक्जुकेटिव ओफिसर भी वे ही है जैसाकि उपरोक्त अधिनियम की धारा 27[4] के अन्तर्गत उल्लेख है। इसी अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत अध्यक्ष की ड्यूटी बताई गई है जिसमे कि मंडल के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में अध्यक्ष को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये है। अतः न तो बोर्ड और ना ही बोर्ड के अध्यक्ष की कर्मचारियों की सेवा संबंधी कोई आदेश स्वयं के हस्ताक्षर से निकाल सकते है जैसा कि उनके द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता बोर्ड कार्यालय के एक वरिष्ठ कर्म-

(370)

चारी को निलम्बित किया गया है। यह निलम्बित आदेश स्वयं में एक अनियमित है। इस प्रकार के आदेश तो केवल रजिस्ट्रार जो कि बोर्ड के सचिव/एक्जकेटीव आफिसर है निकाल सकते है। अतः श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता के निलबंन आदेदेश को निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा वापिस लिया जाता है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री सीताराम गुप्ता कार्यालय अधीक्षक को निलंम्बित किया जा चुका है किन्तु अध्यक ने रजिस्ट्रार के निलम्बन आदेश को निरस्त कर दिया है जो कि उनकी प्रवृति का द्योतक है कि वे अनियमित कार्यवाही करने के आदी हैं।

(12) निम्न हस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध बिना स्वीकृति के मुख्यालय छोडने व अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का उल्लेख भी किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.11.83 को रविवारीय अवकाश था व दिनांक 19.11.83 को अध्यक्ष ने मंडल कार्यालय में फैकल्टी की मिटिंग अपरान्ह दो बजे बुलाई थी ताकि 46 परीक्षार्थियों के परिणाम जो कि अध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी रूप से रोके गये थे(यह भी एक अनियमितता है) परिणाम घोषित करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। फैकल्टी की मिटिंग अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने को थी किन्तु अध्यक्ष मंडल कार्यालय में नहीं आये व उनकी अनुपस्थिति में श्रीमति रेखा जैन ने मिटिंग की अध्यक्षता की जिसकी सत्यता की जांच मंडल कार्यालय से संबंधित पत्रावली से किया जा सकता है इस दिन की जो प्रोसिडिंग तैयार की गई है उनसे जांच की जा सकती है।

अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर मिटिंग में उपस्थित न होने स्वयं में एक गैर जुम्मेदाराना कार्य है। इस बीच फेकल्टी मिटिंग के दौरान अलवर कालेज व जयपुर कॉलेज 'के' करीबन 100 छात्रों ने मिटिंग के कमरे में घूसकर प्रदर्शन किया व मांग की कि अध्यक्ष को जैसा कि कुछ दिनों पूर्व उनसे यह छात्र मिले और अध्यक्ष ने उन्हे विश्वास दिलाया था कि दिनांक 19.11.83 को अवश्य ही उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जावेगा, लेकिन फिर भी अध्यथ द्वारा मिटिंग में उपस्थित न होना छात्रों के परिणाम घोषित करने में जानबूझ कर बाधा डालने की बात है। छात्र उतेजित हो गये व मिटिंग के कमरे में पहुंचकर रजिस्ट्रार व अन्य सदस्यगणों को घेर लिया व मांग की कि किसी भी व्यक्ति को कमरे से बाहर तब तक नहीं जाने दिया जावेगा तब तक कि हमारा रिजल्ट यही पर इसी समय चैयरमेन को बुलवाकर हस्ताक्षर कराकर घोषित न करा दिया जावेगा। इस पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने रिजल्ट तैयार करवाकर व स्टेंन्सियल पर हस्ताक्षर करके छात्रों से निवेदन किया कि रिजल्ट के अनुमोदन करने के लिये अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने हेतु कम से कम मुझे(रजिस्ट्रार) कमरे से बाहर निकलने दिया जावे ताकि अध्यक्ष महोदय के पास संबंधित पत्रावली हस्ताक्षर करवाने हेतु भेजी जा सके। छात्र संख्या में काफी थे और उन्होंने मंडल कार्यालय के फर्नीचर आदि सामान को आग लगा दी व क्षति पहुंचाई व मुझे

भी मारने को उतारू हो गये इस पर मजबूत होकर व मौका पाकर मैंने बाहर निकलकर मकान मालिक के टेलीफोन से पुलिस को सूचना देना अनिवार्य समझा । इसके पश्चात पुलिस आई व उन्होंने आकर वातावरण को शांत कर दिया । तत्पश्चात अलवर कालेज के प्राचार्य ने छात्रों के बीच में हस्तक्षेप कर उनसे कहा कि रिजल्ट पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने हेतु किसी कर्मचारी या अधिकारी को बाहर निकलने दिया जावे इस पर छात्र कुछ शांत हुये व श्री ओमप्रकाश गुप्ता को परिणय पर हस्ताक्षर करवाने हेतु संबधित पत्रावली दी गई । प्राचार्य अलवर कालेज ने मुझे कमरे से बाहर निकलने में व छात्रों को शांत करने में काफी सराहनीय भूमिका निभाई छात्र प्रदर्शन के दौरान यह मांग करते रहे कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर अध्यक्ष का मिटिंग में न आना एक गैर जुम्मेदाराना कार्य के साथ यह भी दर्शाता है कि वे छात्र के रिजल्ट देर से घोषित करने में दिलचस्पी रखते है । छात्रों की यह भी मांग थी कि श्री ओमप्रकाश गुप्ता के साथ कुछ छात्र जावेंगे ताकि अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाने में सुविधा हो । मिटिंग के समय छात्रों के सामने निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने अध्यक्ष महोदय के वेयर अबाउट के बारे में कई बार जानकारी की किन्तु उनका कोई पता नहीं लग सका । उनके घर व क्लिनिक में कई बार टेलीफोन पर सम्पर्क किया गया पर नतीजा कुछ भी नही निकला । पता नहीं ओमप्रकाश गुप्ता ने कहा पर अध्यक्ष से घोषित परिणाम पर हस्ताक्षर करवाये । जब श्री ओमप्रकाश गुप्ता रात के करीब 8 बजे अध्यक्ष के हस्ताक्षर करवाकर स्टेनसिल लेकर मंडल कार्यालय में आये तब तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता व कुछ अन्य कर्मचारी/सदस्य बोर्ड कार्यालय में उपस्थित थे उपरोक्त से स्पष्ट है कि अध्यक्ष ने मिटिंग में उपस्थित न होकर किस प्रकार अपना दायित्व निभाया ।

उपरोक्त कार्यवाही विवरण में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के विरुद्ध बिना स्वीकृति के मुख्यालय छोड़ने व अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी उल्लेख है । अध्यक्ष द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार किया जाता है यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है । अध्यक्ष दिनांक 19.11.83 को बार बार टेलीफोन पर सम्पर्क करने पर भी उपलब्ध नहीं हुये जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । वैसे मैंने एक दो दिन पूर्व ही अध्यक्ष को मेरी पत्नी की बिमारी के कारण मुख्यालय छोड़ने व अवकाश पर रहने हेतु टेलीफोन पर मौखिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया था । किन्तु खेद है कि उपरोक्त कार्यवाही विवरण में किस प्रकार झूठी बाते कही गई है कि अध्यक्ष को बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर रहा व मुख्यालय छोड़ा । इसके अलावा मैंने राज्य के एक उच्च अधिकारी (श्री एस. एन. अग्रवाल) उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग, जयपुर को भी टेलीफोन पर सूचना देना उचित समझा कि अध्यक्ष से सम्पर्क करना मेरे द्वारा असफल रहा है अतः मैं मुख्यालय छोड़ रहा हूं व दिनांक 21.11.83 से 30.11.83 तक अवकाश पर रहूंगा । यह तथ्य अग्रवाल साहब से मालुम किया जा सकता ।

(13) मुझे आज दिनांक 1.12.83 का उपस्थित पंजिका देखने पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि डा. पंकज शर्मा जो कि बोर्ड के उपाध्यक्ष है ने दिनांक 2' व 22 1 .83 को

कर्मचारियों के नाम के सामने एवं स्वयं उस जगह पर जहां मैं हस्ताक्षर करता हूं वहां अंकित कर रखा है जबकि वे इस कार्य के लिये अधिकृत नहीं है जैसा कि पूर्व में ही राज्य सरकार को मेरे लिखे गये पत्रों से स्पष्ट किया जा चुका है। व ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि न तो बोर्ड ही और ना ही अध्यक्ष ही को इस प्रकार के आदेश निकालने में सक्षम है। सारे मंडल के कर्मचारियों के साथ डा. पंकज शर्मा ने अभद्र व्यवहार किया व कर्मचारियों ने इनके विरूद्ध पुलिस में शिकायत कराई है। राज्य सरकार को भी डा. शर्मा के व्यवहार के विरूद्ध कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

(14.) राज्य सरकार ने मण्डल के अध्यक्ष व रजिस्ट्रार को अभी हाल ही में निर्देश दिये हैं कि मण्डल की बैठकों का आयोजन जयपुर में ही किया जावे व जयपुर के बाहर नहीं किया जावे ताकि सदस्यों के यात्रा आदि पर बोर्ड के अनावश्यक खर्चे में कटौती की जा सके किन्तु मैं आपके यह ध्यान में लाना चाहूंगा कि अध्यक्ष राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना करने के आदि है व मुझे भी राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना न करने के लिये आदेश देते रहते हैं। मेरे द्वारा पूर्व में ही यह तथ्य राज्य सरकार के ध्यान में लाया जा चुका है।

अजमेर में बोर्ड की बैठक दिनांक 26.11.83 को बुलाने का कोई औचित्य नहीं था जैसा कि उक्त बैठक की कार्यवाही जो कि राज्य सरकार को भिजवाई जा चुकी है, को पढ़ने से लग जावेगा। मैं दिनांक 19.11.83 को अवकाश पर जाने से पूर्व कार्यालय अधीक्षक श्री भागीरथ सिंह जी को मेरा चार्ज देकर गया था ताकि रूटीन वर्क में कोई बाधा उपस्थित न हो। तारीख 22.11.83 को कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, स्थिति को देखते हुये श्री भागीरथ सिंह जी ने एक कार्यालय आदेश द्वारा दिनांक 26.11.83 को होने वाली मिटिंग को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी और उसकी सूचना समस्त सदस्यों को भिजवा दी थी। किन्तु अध्यक्ष महोदय ने श्री सीताराम गुप्ता जो कि मेरे द्वारा दिनांक 10.11.83 को निलम्बित किया जा चुका था को ही अनाधिकृत रूप से रजिस्ट्रार का चार्ज दिलवा दिया था। अजमेर में मिटिंग बुलाना व उसकी कार्यवाही का संचालन होमियोपैथी एक्ट के अन्तर्गत एक वैधानिक कार्यवाही होती है, जिसके लिये केवल रजिस्ट्रार ही अधिकृत है अतः दिनांक 26.11.83 को अजमेर में लिये गये निर्णय निरर्थक है और उक्त मिटिंग को नियोजित करने का भारी व्यय किसी भी प्रकार उचित नहीं है।

(15.) अध्यक्ष बोर्ड के कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारियों को धमकिया देते रहते हैं कि सारा स्टाफ उनका नोकर है। बोर्ड हमारा है। हमारे हर आदेश उचित/अनुचित को हर कर्मचारी को मानना होगा नहीं तो मंडल के कार्यालय में ताला लगा दिया जावेगा व सबको निलम्बित कर दिया जावेगा। क्या इस प्रकार की धमकियां देना राज्य कार्य में बाधा (इन्टरफेयर) उत्पन्न करना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध नहीं है? यह तथ्य मेरे द्वारा पूर्व में ही राज्य सरकार को बताया जा चुका है।

(16.) मण्डल के सारे कर्मचारी (लगभग 14 गणना में) एक साथ है व श्री सीता राम गुप्ता जो जि मडल के रजिस्ट्रार द्वारा निलम्बित किये जा चुके है अध्यक्ष के आदेशों से बार बार राज्य कार्य कर रहे हैं, एक तरफ है। सारा स्टाफ इस कर्मचारी के व्यवहार से परेशान है किन्तु पता नहीं क्यों व किन कारणों से यह पत्रावलियां रजिस्ट्रार को पेश न कर के सीधे अध्यक्ष को पेश करते रहते हैं जो कि स्वयं में एक गंभीर अनियमितता है। ऐसा किन नियमों के तहत किया जा रहा है। कृपया उनसे पूछा जावे। इस, कर्मचारी के विरूद्ध मैंने राज्य सरकार को पूर्व में ही लिख दिया है। व राज्य सरकार के निर्णय की प्रतिक्षा है।

(17.) मैं राज्य की पिछले 34 वर्षो से बेदाग सेवा कर रहा हूं व इन समस्त वर्षो में किसी भी मेरे उच्च अधिकारी ने किसी भी वर्ष मेरे विरूद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टियां मेरी ए. सी. आर. में नहीं की है। किन्तु खेद है कि मेरे 18.8.83 को बोर्ड के कार्यालय में ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही इतने अल्प समय में ही अध्यक्ष जो कि नान आफिसियल है व जिन्हें कि राज्य सेवा संबंधी नियमो व प्रशासकीय अनुभव नहीं है, मनमाने ढंग से मनगढ़त बाते, कार्यवाही विवरण पर लिखवा रहे हैं व मेरे पिछले 34 वर्षों के राज्य सेवा के बेदाग सेवा में दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राज्य के एक चयनित वेतनश्रृंखला के अधिकारी से राज्य सरकार यह अपेक्षा करती है कि यह मण्डल के अध्यक्ष के इशारे पर नांचता रहे?

उपरोक्त स्पष्टीकरण जो दिये गये है वह राजस्थान होमियोपैथिक मेडिसन बोर्ड की मिटिंग जो 26-11-83 को आयोजित हुई है व श्री सीताराम गुप्ता जिसने कि इस कार्यवाही विवरण पर रजिस्ट्रार के रूप में हस्ताक्षर किये है के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध मे दिये गये है। इतने गलत तथ्य उपरोक्त कार्यवाही में दिये गये है कि मुझे बडा आश्चर्य है। अत: मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि मेरी मंडल कार्यालय से प्रतिनियुक्ति वापिस ली जाकर कही अन्यत्र पदस्थापना कर अनुग्रहित करें। क्योंकि मंडल का वातावरण स्वच्छ नहीं हैं।

भवदीय,

ह./-

(कालुराम खीची)

रजिस्ट्रार

(374)

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा मंडल, जयपुर

श्री आर. जे. मजिठिया,
आयुक्त एवं शासन सचिव
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक : Sep 5—
दिनांक : 12-12-83

विषय :—बोर्ड में अध्यक्ष द्वारा किये जा रही अनियमित कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में।

महोदय,

मेरे पूर्व पत्र दिनांक 3-12-83 के क्रम में अध्यक्ष द्वारा जो और अनियमितता कार्यवाही की जा रही है आपके ध्यान में और निम्नानुसार लाई जा रही हैं–

(1) दिनांक 26-11-83 की बोर्ड की बैठक की कार्यवाही विवरण में यह निर्णय लिया जाना कि श्री भागीरथ सिंह को कोई कार्य नहीं दिया जावे स्वयं में राज्या-आदेश के विपरीत है क्योंकि श्री सिंह को राज्य सरकार के आदेशों अनुसार ही बोर्ड में 6 माह के लिये प्रतिनियुक्ति पर और लगाया गया है।

(2) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम 1969 के उप नियम 11 (8) के अनुसार समस्त कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रार द्वारा लिखे जाने का उल्लेख हैं। किन्तु उक्त कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रार द्वारा न लिखी गई है बल्कि कार्यालय के कार्यालय अधीक्षक (निलम्बित) द्वारा लिखी गई है जो कि अवैधानिक है जैसा कि पूर्व में मेरे द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में बता दिया गया हैं।

(3) श्री सीताराम गुप्ता को अध्यक्ष द्वारा पता नहीं किन स्वार्थों के कारण संरक्षण दिया जाता है जबकि वह कार्यालय से रेकार्ड आदि गायब कर रहा है, नष्ट कर रहा है। कागजों में उसके द्वारा हैराफेरी की जा रही हैं।

(4) राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा अधिनियम 1969 की धारा 11 (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व किसी भी बोर्ड के सदस्य के खिलाफ चल रही विचाराधीन जांच को ध्यान में रखते हुये उनको निलम्बित कर सकती हैं।

अतः राज्य सरकार यदि चाहे तो उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलम्बित कर सकती हैं।

(5) बोर्ड ने दिनांक 9-12-83 को फेकल्टी कि मिटिंग में निर्णय लिया है कि डी. एच. एम. एस. की पूरक परीक्षाएं माह जनवरी 84 के मध्यान्ह में आयोजि. कि

जाये। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष ने अनाधिकृत रूप से श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जो कि इस बोर्ड के वरिष्ठ लिपिक के पद पर कई सालों से कार्य कर रहे को निलम्बित कर दिया है। इसी प्रकार श्री सीताराम गुप्ता को कई मामलों में दोषी पाये जाने पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निलम्बित किया जा चुका है। बोर्ड में अन्य स्टाफ 4 क. लि. कार्यरत है जिनकी सेवाएँ बहुत कम समय की है। इन क. लि. को भी अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के कार्य में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करते हुए कर्मचारियों के कार्य करने से रोका जाता है।

(6) श्री सीताराम गुप्ता की गतविधियों के बारे में पहले ही राज्य सरकार को सूचित किया जा चुका है। इन्हीं कारणों से उसे निलम्बित भी कर दिया गया है, किन्तु अध्यक्ष के संरक्षण में अनाधिकृत रूप से कार्यालय में कार्य कर रहा है।

उपरोक्त बातें राज्य सरकार के ध्यान में उचित निर्णय लेने हेतु लाई जा रही हैं।

भवदीय,

ह./-
(कालूराम खींची)
रजिस्ट्रार

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मंडल, जयपुर,

कालूराम खींची
निबन्धक/सचिव

क्रमांक : Sept. 10
दिनांक : 16. 12. 83

श्री आर. जे. मजीठिया,
आयुक्त एवं शासन सचिव,
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

विषय : – अध्यक्ष द्वारा बोर्ड में की जा रही अनियमितताओं के क्रम में।

महोदय,

मेरे पूर्व पत्रों के क्रम में अध्यक्ष द्वारा एक और गलत व भ्रमात्मक टिप्पणी दिनांक 26. 11. 83 की बैठक में हुई कार्यवाही विवरण में जो अंकित की गई है की ओर ध्यान दिलवाना चाहता हूं :—

376

गलत व भ्रमात्मक टिप्पणी निम्नानुसार हैं :—

" डा. एच. आर. चौहान सदस्य ने कहा कि श्री खींची को अपने दायरे में रहकर ही कार्य करने चाहिये थे। डा. चौहान ने यह भी कहा कि श्री खींची ने श्री भागीरथ सिंह को अनाधिकृत रूप से एवं न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर कार्यालय अधीक्षक के पद पर ड्यूटी एजुम कराली है अतः श्री खींची के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।"

इस संबंध में डा. एच. आर. चौहान ने मुझे फोन पर सूचित किया कि उपरोक्त वर्णित वार्ता कभी भी मेरे द्वारा नहीं कही गई व जो कथन कार्यवाही विवरण में अंकित किये गए हैं वह बिल्कुल मनघड़ंत एवं निराधार रूप से अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही विवरण में अंकित करवाया गया है।

अतः यह आपके सूचनार्थ प्रेसित है कि अध्यक्ष किस हद तक सफेद झूठ बोल सकते हैं।

भवदीय,

ह./-
(कालूराम खींची)
रजिस्टार

RAJASTHAN HOMOEOPATHY MEDICINE BOARD
S-15 C, MAHAVEER MARG, 'C' SCHEME, JAIPUR

LOO RAM KHINCHI
REGISTRAR CONFIDENTIAL NO. Sep. 11
Dated 19-12-83

To,

Shri Majithia Sahib,
Commissioner & Socy. to Govt.,
Med'cal & Public Health Deppt.
Jaipur.

Sub:-IRREGULARITY BEING DONE BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD.

Sir,

In Continuatiou to my early letters. I bring one more

irregulariay being done by the Chairman of the Board to your kind notice as follows :-

1. The Chairman rorely comes in office and all files/papers wich are sent for his approval/signatures are sent by the off.ce of the Board to his clinic which is situated at Scriodiodhy Bazar Hawa Mahal, Jaipur. Thus the time and labour of the employees of the Board are unnecessarily dovoted in sending and bringing back files from the clinic.

2. Papers which are sent by him to me are not recorded and entered in the Board offiee record, but a separate record is being maintained, which shows that he is running a parallol office of the Board and the record which should be maintained in the Board office is maintained unefficialy by him.

Yours faithfully,

Sd/—
(KALOO RAM KHICHI)
REGISTRAR

No. Sep.13

KALOO RAM KHINCHI

Dated 28-12-83

CONFIDENTAL

To

The Secretary to Govt.,
Medical & Helth Deptt.,
Rajasthan Secretriat,
Jaipur.

Sub : Irregularity being done by the Chairman of the Board.

Sir,

In continuation,to my earlier letters, I being some mor irregularities being done by the Chairman of the Board as follows :–

1. Chairman along with Shri Sita Ram Gupta, (D. S.) under suspension is attending office after/before office hours. Perhaps they are tempering with office records. For examle they have spoiled both typewriter of english and hindi so that typing work of the Board may not be done.

2. He has instructed staff not to work and disobey the Registe this is evidedt form the enclosed copies of order passed by him directlr to the concerned clerks.

3 Every efforts are being made by the undersigned so as to hold the examination (supplementary) in accordance with the rules in time but the Chairman and Shri Sitaram Gupta, are indirectly tempering so that examination may not held in time.

4. Being the diseiplined government servent, I am working according to the rules but the Chairman and Shri Sita Ram Cupta, are putting hinderance so that examination and other work of the Board according to the rules may not be conducted and thus putting the blame of not conducting the examination in time on me.

5. These activities of ther person will directly defeat the very purpose of tho Board, for which it was established.

It is therefore, requested that the Govt. may kindly intervene aud direct the Chairman of the Board to kindly allow me to work in accordance with the rules without his interference in the interest of the Government and the Board so that the work in the Board may not suffer and run smoothly.

Yours faithfully,

Sd/-
(Kaloo Ram Kinchi)
Registrar

KALOO RAM KHINCHI CONFIDENTIAL No.-2817

To Dated 29/12/83

Sori R. J, Majithia Sahib,
Commissioner to Covt.
Medical and Health Deptt.
Rajasthan Secretariat,
Jaipur.

Sub : Irregularities being done by the Chairman of the Board.

Sir,

In continuation to my earlier letters, I am bringing some more irregularities to your kind notice being done by the Chairman of the Board as follows :

1. He has issued an order No, 39 dated 28-12-83 (copy enclosed) regarding **binding** me not to take any administrative and financial action whereas the undersigned is fully competent to take such action as he is the Secy. as well as the executive officer of the Board and the rules no where **rsstrict** the power of the Registrar. It is also mentioned that Chairman is not authorised to issue such an executive orders to me as already brought by me to the notice of the Govt. earlier.

2. He has issued two orders No. 46 28-12-83 and 50, dated 29-12-83 (copies enclosed) and received by me only today asking me to give my explanation for which he is not authoised as. I am governed by the service condition of the State Government and as such, he cannot ask my explanation. issue of such an executive order by him is in itself unautorised and irregular.

3. He has given me some direction on the note sheets copies of which are enclosed for your kind perusal. The perusal

of these will how that how well versed wlth official procedure and familiar with Govt. Rules and reguiations he is. This is due to the fact that he is non official memder having no experience either administrative, executive as well as service rules etc.

4. He has called for the -emergency meeting of the Board on 31-12-83 the notice for which has been signed by Shri Sitaram Gupta, O. S, (Suspended) whereas according to the rules emergency' meeting can be called by the Chairman only through the **Registrar** as per rules, thus by passing me and taking the work of Registrar form Shri Sitaram Gupta, O. S. (Suspended), its proceeding will therefore. automatically be illegal and against the rules.

Form the above the, it would be seen that he is engaged in doing irregular activities and he wants to force me to become a party in the irregularity being done by him to which. I do not want to be.

Yours faithfully.

Sd/—(Kaloo Ram Khinchi)
Registrar

CONFIDENTIAL
PERSONAL ATTENTION

NO. 2837
Dt. 9.1. 84

To

Shri M. M. K. Wali Sahib,
Chief Secy. to Govt. Rajasthan,
Jaipur.

Sub : IRREGULARITIES BEING DONE BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD DR. K. G. RAJVANSHY.

Respected Sir,

I am to submit that I have been posted in the Rajasthan Board of Homoeopathic Medicine, Jaipur by the Govt. only in the month of

August, 1983. But during the short stay of mine in the Board whatever irregularities which are being done in the Board by the Chairman and which have come to my notice, I have already brought them to the notice of the Secy. to Govt., Medical & Public Health Deptt., separately from time to time. -However. I consider it necessary to apprise your goodself also of the same in brief as follows:-

1. The Chairman made irregular appointments of 3 LDC s even though the budget and posts were not sanctioned by the Govt. Similarly he called for the interview for the post of Inspector without approval of the qualification by the Govt.

2. The Central Council of Homoeopathe, New Delhi and the State Govt. have issued instructions not to affiliate any new Homoeopathic Colleges in Rajasthan unless they conform to the standard prescribed by them. But he has taken decision in Board's meeting to affiliate new colletes even though they do not conform the prescribed standard.

7

3. The Central Council of Homoeopathy have prescribed qualification of Inter-Science for admission in Homoeopathy colleges throughout the India. the State Government have also directed to act accordingly. But he has taken decision to admit matriculates only.

4. To effect economic in Board office, the State Govt. have issued direction to hold meeting of the Board at Jaipur. But he is holding meeting outside Jaipur and as such, infructious expr. is being incurred on T. A. and D. A. of the members of the Board about Rs. 5000 on every meeting.

5. The Govt. directed me that Shri Bhagirath Singh may be posted in the Board as Office Supdt. and he may be allowed to work in the Board. But the Chairman asked me not to comply with the Govt. orders

6. According to Rules, the Registrar can only declare result of examination conducted by the Board, but on 11.11.83 the result was declared by Shri Sitaram Gupta, a ministerial Govt. servant while I was on duty in office.

7. The undersigned was on leave from 21.11.83 to 30.11.83 with the permission of the Chairman on telephone on account of illness of my wife at Ajmer. But he gave w.ong facts to the Govt, that I had left without his permission.

8. The undersigned handed over charge of my post to Shri Singh but the Chairman can celled my ord?rs and the work of Registrar was given to Shri Gupta (suspended).

9. The meeting of the Board at Ajmer was held 26.11.83 and its proceedings were signed by Shri Gupta.

10. In the said proceedinge, the Chairman has critised even Shri S. N. Agarwal, Dy. Secy. to Govt. Medical Deptt., for issuing orders of Shri Singh deputing him in the Board. Critising Govt. officer/order is un-called for. the language used is bad in taste.

11. Shri S. R. Gupta, filed a suit against the order of the Govt. for posting Shri Singh in the Board and the Chairman instructed me to favour Shri Gupta in the court.

12. The suspension of Shri L. N. Gupta, U. D. C. of the Board was issued by Shri S. R. Gupta, Jr. Accountant under direction of the Chairman, even though the charge of Registrar was with Shri B. Singh, O. S.

13. The result of the examination held in June 83 were delayed intentionally for obvious reasons. Later on the result was declared by with-holding the result of 46 candidates. On agitation by the students, the result of these 46 candidates was to be declared on 19.11.83 after the decision in the meeting to be presided by the Chair-

man. But the Chairman stayed away deliberately from the meeting with the result that the students were furious, they abused office staff, myself members of the faculty and put fire in office damaging store articles and furniture. This was done only to put blame of not decla:-ing the result on me. This shows his conduct.

14. All members of the staff have given representation to the Govt. in Medical Deptt. against the deed and act of the Chairman.

15. Copies of the notes recorded by Shri S.R. Gupta, J. A. on some of the files and by the Chairman and myself are enclosed. Perusal of these will itself show haw the things are handled by the Chairman The language used in the note sheet will show that even Head of the State cannot use sush languege. This will also show that how well-versed with office procedure and relevant service rules he is.

16. Shri S.R. Gupta, gives threatening to the undersigned before all members of, the staff that the Registrar can do nothing wrong to him. He is well protected by the Chairman. He has given me threatening to damage me physically and there is fear to my life.

17. The Chairman did not sign on cheque of the Salary of the members of the staff for the month of Nov. 83 payable on 1st Dec, 1983 with the result that the staff got their pay very late. He has not signed the cheque of the salary bill of the undersigned for the month of Dec. 83 payable on 1st Jan. 1984 even upto this date.

18. The Chairman has instuted staff not to obey the orders of the Registrar and obey orders of Shri Gupta.

19. The Chairman have issued threatening letters for taking disciplinary action against me for not complying his illegal orders.

20. According to rules 13 (2) and 13 (2) (a) of the Rajasthan Homoeopathic Medicine Rules, 1971, the Registrar is the Head of

(384)

Board's office. The Registrar is also Secy. & Executive officer of the Board is only combetant to issue executive orders in regard to staff and office administration.

21. Under the Rajasthan Homoeopathic Medicine Act, 1969, the powers and functions of the Board and Chairman have been defined. These rules and regulations nowhere emplwer either the Chairman or the Board to intervene in office administration but he is intervening in office day to • day admin'stration works and he is instigating petty clerk like S.R. Gnpta to work as Registrar.

Being discplined Govt. Servant and having put in 34 years of blotless Service in Govt., I have pointed out the irregularities being done by the Chairman, how he is misusing his powers resulting into suspension of whole of office work. and request you kindly to intervene in the matter and direct the Chairman or take such action against him as deemed fit by tue Govt.

Yours faithfully,

Sd/-

(Kaloo Ram Khinchi)
Registrar

No. Dated 9.1.84

copy forwarded for necessary action to the following :-

1. Shri A. R. Saxena, Secy. to Chief Minister, Raj. Jaipur.
2. Shri R. J. Majithia, Secy. to Govt. Medical Deptt. Raj. Jaipur.
3. Shri Sudhir Verma Sahib. Special Secy. to Govt. DOP A-IV, Rajasthan. Jaipur.

Sd/-

(Kaloo Ram Khinchi)
Registrar

385

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल, जयपुर

श्री आर. जे. मजीठिया साहब, क्रमांक 2855
आयुक्त एवं शासन सचिव, दिनांक 24.1.84

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

विषय :- अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से की जारी कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निम्न हस्ताक्षरकर्ता को माह दिसम्बर, 83 का वेतन जो कि दिनांक 1.1.84 को मिल जाना चाहिये था वह आज तक भी नहीं मिला है क्योंकि अध्यक्ष ने मेरे वेतन के बिल के चैक पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं और हस्ताक्षर करने से मना भी कर दिया है और यह भी कहा कि रजिस्ट्रार को वेतन के चैक पर हस्ताक्षर कभी नहीं करूंगा।

भवदीय,

ह./-

(कालूराम खीची)
रजिस्ट्रार

CONFIDENTIAL

KALOO RAM KHINCHI No. 2867

Dated 30.1.84

To,

Shri M.M.K. Wali Sahib,

Chief Secy. to Government of Rajasthan,
Jaipur.

Sub : Irregularities being done by the Chairman of the Board

Respected Sir,

386

I am to inform you that papers for fixing the date for conducting the examinations (Supplementary etc.,) of the students stydying in various Homoeopathic Medical Colleges; in Rajasthan were sent to the Chairman of the Board for his approval as far back as 12.12.1983, but the same have still not been received back in the office of the Board even by today.

Perhaps this is being done by the Chairman so as to put the blame of not conducting the examination of the students on the undersigned.

This is being brought to your kind notice for such action as deemed fit by the Government.

yours faithfully,

Sd/-

(Kaloo Ram Khinchi)
Registrar.

परिशिष्ट 7

तारांकित प्रश्न संख्या 585 की सूची

राज्य में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित युवाओं को ऋण उपलब्ध कराये जाने का जिलेवार ब्यौरा

क्र. सं.	नाम जिला	ऋण उपलब्ध कराये गये युवाओं की संख्या
1.	जयपुर	1082
2.	अजमेर	428
3.	अलवर	410
4.	भीलवाड़ा	440
5.	जोधपुर	248
6.	पाली	345
7.	कोटा	705
8.	उदयपुर	392
9.	नागौर	264
10.	बांसवाड़ा	198
11.	सीकर	215
12.	चित्तौडगढ़	298
13.	भरतपुर	170
14.	बीकानेर	330
15.	गंगानगर	433
16.	सवाई माधोपुर	238
17.	झुंझुनू	386
18.	टौंक	271
19.	बाड़मेर	94

1	2	3
20.	जैसलमेर	87
21.	डूंगरपुर	177
22.	जालोर	131
23.	सिरोही	169
24.	झालावाड़	144
25.	चूरू	203
26.	बूंदी	160
27.	धोलपुर	81
	कुल योग	8099

परिशिष्ट 8

प्रश्न संख्या 589 की जानकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

परिशिष्ट "क"

1. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन कालोनियों के ले-आऊट प्लान तकनीकी जांच करके भूमि रुपान्तरण विभाग को सिफारिश के साथ भेजे गये है उनमें स्थित भूखण्डों पर अगर कोई भूखण्डधारी भवन के मानचित्र प्राधिकरण में प्रेषित करता है तो उसको स्वीकृत करने में शीघ्रता की जाती है। इसके लिए समितियो से कहा गया है कि वे स्वीकृत योजनाओं को मौके पर शीघ्र से शीघ्र डिमारकेट करके प्राधिकरण को प्रेषित करें जिससे भूखण्डधारी को अपने भूखण्ड का सही सही नाप व लोकेशन पता लग सकें और वह 'नक्शा' पास करने में कोई अड़चन न आवे अभी तक करीब 11 योजनाओं के डिमारकेट प्लान प्राप्त हो चुके हैं और अगर इनमें कोई नक्शा स्वीकृत होने को आता है तो उनको स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी 130 वर्गगज से 250 वर्गगज तक के भूखण्डों पर नक्शा पास करने की एक प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई है इसके लिए प्राधिकरण ने टाइप-डिजाइन भी तैयार किये है। ऐसे टाइप डिजाइन की 5 प्रतियां जनता को सिर्फ रु. 15/- में उपलब्ध कराई जा रही है जिससे कोई भी भूखण्ड-धारी को मार्केट में नक्शा बनाने के लिए इधर-उधर नहीं जाना पड़े। इस प्रक्रिया के अनुसार नक्शे पास करने मे ज्यादा समय नहीं लगेगा और इसके लिए एक स्वीकृत पत्र भी प्रस्तावित किया है जिसमें भूखण्डधारी सबंधित सूचना को भरकर मय नक्शों के प्राधिकरण के समक्ष अधिकारी को प्रेषित करनी होगी।

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची

अधिकारियों के सेवानिवृत्ति व स्थानान्तरण के बाद राजकीय आवासगृहों में गत 3 वर्षों में आवास को नियमित करने सम्बन्धित विवरण

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	स्थानान्तरण/ सेवानिवृति	नियमित किये जाने का कारण
1	2	3	4
जिला—नागौर			
1.	श्री वी. के. जोशी, अधिशाषी अभियन्ता	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
2.	श्री भगवान सहाय सिंघल उप खण्ड अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
जिला-डूंगरपुर			
1.	श्री सुखवीर सिंह, अधिशाषी अभियन्ता	स्थानान्तरण	अधिकारी के बिमार होने व पदस्थापना की प्रतिक्षा में होने के कारण।
जिला—भरतपुर			
1.	श्री उमा शंकर उप अधिक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग।	सेवानिवृति	पारिवारिक कारण।
2.	श्री महेश कुमार गुप्ता, रसद अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र

1	2	3	4
	3. श्री बी. एल. जैमन, नगर दण्डनायक	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	4. श्री एस. एस. के. शाली मंडल वन अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	5. श्री प्रताप सिंह यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	6. श्री राजेन्द्रनाथ माथुर, उप निदेशक, कृषि	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	7. श्री जगत पाल सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	जिला—सीकर		
	1. श्री के. सी. गुप्ता, अति. जिला विकास अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	जिला—चित्तौड़गढ़		
	1. श्री बी. एल. काकस, अधिशाषी अभियन्ता	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	2. श्री कृष्णवीर द्रोण, युवा समन्वयक	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	3. श्री दलवीर सिंह, परियोजना निदेशक	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	4. श्री गंगासहाय वर्मा, उप खण्ड अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
	5. श्री जगन लाल मीणा, उप पुलिस अधीक्षक	स्थानान्तरण	आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण
	जिला—गंगानगर		
	1. श्री रामचन्द्र चौधरी, भू. पू. बीमा परीक्षक	सेवानिवृति	शिक्षा सत्र

1	2	3	4
2.	श्री प्रेम प्रकाश विद्यासर, अतिरिक्त जिलाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
3.	श्री एस. एम. चौधरी, प्रवक्ता, राजकीय महाविद्यालय	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
जिला—चुरू			
1.	श्री गिरधारी लाल वर्मा भ. पू. सहायक रजिस्ट्रार	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
2.	श्री गोरधन लाल शर्मा, अतिरिक्त जिलाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
3.	श्री एस. के. सोनी, सहायक अभियन्ता	स्थानान्तरण	पारिवारिक कारण
4.	श्री मोरसिंह, सहायक अभियन्ता	स्थानान्तरण	पारिवारिक कारण
जिला—भीलवाड़ा			
1.	श्री एन. एल. देवड़ा, मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
2.	श्री विष्णु कुमार सक्सेना, मुंसिफ मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
3.	श्री जी. एस. चपलोत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।	स्थानान्तरण	बच्चों की बिमारी एवं पिता का देहावसान।
4.	श्री श्याम सुन्दर पुरोहित, न्यायिक मजिस्ट्रेट।	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
जिला—उदयपुर			
1.	श्री बसन्त कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त जिलाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।

1	2	3	4
2.	श्री पी. एन. भण्डारी, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रिय विकास	स्थानान्तरण	पारिवारिक कारण।
3.	श्री मोहनलाल माथुर, संयुक्त निदेशक	स्थानान्तरण	विभागीय आवास रिक्त न होने के कारण।
4.	श्री रामजीदास अनेजा, सिविल जज एवं मुख्य न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
5.	श्री के. एल. शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
6.	श्री एस. के. अग्रवाल, अपर सिविल न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
7.	श्री शिव प्रसाद शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
8.	श्री अम्बिका शरण, मण्डल वन अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
9.	श्री भवानी सिंह, आयुक्त, देवस्थान	स्थानान्तरण	जयपुर में आवास आवास आवंटन न होने के कारण।
10.	श्री एम. एल. जैन, अधिशासी अभियन्ता,	स्थानान्तरण	माताजी की बीमारी व बच्चों की शिक्षा।
11.	श्री हरी कुमार शर्मा,	सेवानिवृति	शिक्षा सत्र।

जिला—सिरोही

1	2	3	4
1.	श्री आर. सी. शर्मा, मण्डल वन अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
2.	श्री शिव राम सीवर, वाणिज्य कर अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।

1 2	3	4
जिला—जोधपुर		
1. श्री गोपाल सिंह उज्जवल, मुख्य लेखाधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
2. श्री विजय वर्मा, आयुक्त, मरू विकास	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
जिला–अलवर		
1. श्री एम. सी. मित्तल, अति, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
2. श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
3. श्री एन. सी. रावत, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट	स्थानान्तर	शिक्षा सत्र।
4. श्री मोहम्मद असगर अली खां न्यायिक अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
5. श्रीमति मुन्नी जोशी, प्रधानाध्यापिका	स्थानान्तरण	पारिवारिक कारण
6. श्री हेमन्त मुरडिया, उप नगर नियोजक	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र
जिला—अजमेर		
1. श्री सुरेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
2. श्री विमल कुमार जैन, अपर सिविल न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
3. श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा अपर सिविल न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।

1	2	3	4
4.	श्री विष्णु अवतार सक्सैना अतिरिक्त जिलाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
5.	श्री टी. पी. जोशी, सदस्य राजस्व मंडल	स्थानान्तरण	पुत्री की शादी व पारिवारिक कारण ।
6.	श्री के. वी. शंकरन, सदस्य, राजस्व मंडल	सेवानिवृति	शिक्षा सत्र ।
7.	श्री ए. एस. मेहता सदस्य, राजस्व मंडल	स्थानान्तरण	दिल्ली में आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण
8.	श्री पी. एन. माथुर, उप आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	सेवानिवृति	पारिवारिक कारण ।
9.	डा० वी. पी. मैत्रया, प्रधानाचार्य; मेडिकल कालेज	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
10.	श्री जे. एम. लालवानी, अध्यक्ष, राजस्व मंडल	सेवानिवृति	व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण ।
11.	श्री ओम प्रकाश, अधिशाषी अभियन्ता	—	शिक्षा सत्र ।
12.	श्री स्वरूप कृष्ण अग्रवाल, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
13.	श्री रामलाल आहूजा। व्याख्याता	—	शिक्षा सत्र ।
14.	श्री सुखदेव माथुर, प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
15.	श्री कन्हैयालाल व्यास अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।

जिला--कोटा

1.	श्री आर. के. वैजल, उप महा निरीक्षक पुलिस	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।

1	2	3	4
2. श्री रघुनाथ दास चतुर्वेदी, जिला शिक्षा अधिकारी		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
3. श्री जितेन्द्र कुमार भटनागर, सहायक वाणिज्यक कर अधिकारी		स्थानान्तरण	--
4. श्री नन्द लाल शर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
5. श्री रतन लाल बैरवा, अतिरिक्त जिलाधीश		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
6. श्री रघुवीर सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
7. श्री एस. के. चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
8. श्री आर. के. वर्मा, अधिशाषी अभियन्ता,		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
9. श्री वी. एस. वलियान, विषय विशेषक		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
10. श्री महावीर सिंह, अतिरिक्त जिलाधीश		स्थानान्तरण	करौली में आवासीय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ।
11. श्री के. जी. दायमा, वरिष्ठ विशेशज्ञ शल्ल चिकित्सक		स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
12. श्री जगदीश गहलोत, अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई		स्थानान्तरण	पत्नि के फ्रेक्चर होने के कारण

जिला जयपुर

1. श्री एच. सी. जोशी, भू. पू. निदेशक, कृषि विभाग ।		सेवानिवृति	पुत्री का विवाह व शिक्षा सत्र ।
2. श्री डी. सी. जैन उप सचिव, शिक्षा विभाग ।		स्थानान्तरण पुनः पदस्थापन	बच्चों की शिक्षा ।

1	2	3	4
3.	श्री बृज मोहन चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण व पुनः पदस्थापन	माताजी का लगातार बीमार होना।
4.	श्री एम. सी. सक्सेना, भू. पू. संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग	स्थानान्तरण	बच्चों की शिक्षा व घरेलु परिस्थिति।
5.	श्री मंगल बिहारी, भू. पू. सचिव	सेवानिवृति	जुलाई, 81 में अतिवर्षा के कारण अपने मकान में शिफ्ट न करने।
6.	श्री आर. के. अग्रवाल भू. पू परिवहन आयुक्त	स्थानान्तरण	जयपुर में पुनःपदस्थापना होने के कारण।
7.	श्री आर. सी. अग्रवाल, भू. पू. निदेशक, पुरातत्व व संग्रहालय	सेवानिवृति	इंडियन कौंसिल आफ हिस्ट्रोरीकल रिसर्च भारत सरकार के द्वारा पुनः महत्वपूर्ण कार्य में लगाने के फलस्वरूप
8.	श्री आर. एल. सेठी, भू. पू. उप मुख्य लेखाधिकारी	सेवानिवृति	बच्चों की शिक्षा।
9.	श्री जी. के. इसरानी, भू. पू. विशिष्ट शासन सचिव, विधि विभाग	स्थानान्तरण	बच्चों की शिक्षा।
0.	श्री जे. एम. खान, सदस्य राजस्थान, लोक सेवा आयोग।	स्थानान्तरण	बच्चों की शिक्षा।
1.	श्री (डा०) बी. एम. शर्मा भू. पू. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सेवानिवृति	मकान पूर्ण निमार्ण न होने के कारण।
2.	श्री भगवानसिंह मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान नहर परियोजना।	स्थानान्तरण	बच्चों की शिक्षा।
3.	श्री ओमदत्त शर्मा, भू. पू. उप शासन सचिव	सेवानिवृति	शिक्षा सत्र।
4.	श्री एल. एस. तंवर, उप सचिव आयोजना	सेवानिवृति	बच्चों की शिक्षा।
5.	श्री अमरसिंह राठोड़, आयुक्त मरु विकास, जोधपुर।	स्थानान्तरण	बच्चों की शिक्षा।

1	2	3	4
16.	श्री जे. पी. बंसल, भू. पू. जिला एवं सत्र न्यायाधीश	स्थानान्तरण	पत्नि की बीमारी एवं स्वयं का मकान निर्माणाधीन ।
17.	श्री (डा०) के. सी. कोटिया, भू. पू. प्रोफेसर, एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर ।	प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण	विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण ।
18.	श्री पी. एल. सिन्हा, भू. पू. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाईमाधोपुर ।	स्थानान्तरण व पुनःपदस्थापन	पुनः पदस्थापन ।
19.	श्री रणजीत मल खीवसरा, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।	स्थानान्तरण व पुनःपदस्थापन	पुनःपदस्थापन ।
20.	श्री राजेन्द्र जैन, सचिव सहायता विभाग ।	स्थानान्तरण व पुनःपदस्थापन	पुनःपदस्थापन ।
21.	(डा) मिस दिनेश माथुर, रीडर इन मेडिसिन, एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर ।	विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण	विदेश में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण
22.	श्री के. के. भटनागर, शिक्षा सचिव	स्थानान्तरण	पुनःपदस्थापन ।

जिला—बीकानेर

1.	श्री निर्मल मुखर्जी, मुख्य लेखाधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
2.	श्री रघुवीर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेश ।	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
3.	श्री एस. के. शर्मा प्रोफेसर, मेडिकल कालेज	स्थानान्तरण	बार बार स्थानान्तरण होने कारण ।
4.	श्री नत्थी लाल, अदर पुलिस अधिक्षक	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ।
5.	श्री गुलाब सिंह, पुरालेख अधिकारी ।	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र ,

1	2	3	4
6.	श्री जी. के. टंडन, जिला, अधिकारी	स्थानान्तरण	आवास सुविधा उपलब्ध न होने के कारण।
7.	श्री अजीतसिंह सिंघवी, राजस्व अपिल अधिकारी	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।
8.	श्री जी. के. इसरानी, जिला एवं सेशन जज	स्थानान्तरण	बार बार स्थानान्तरण होने के कारण।

जिला—टोंक

1	2	3	4
1.	श्री सुशील कुमार रावत, मुंसिफ मजिस्ट्रेट	स्थानान्तरण	शिक्षा सत्र।

(५००)

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न सख्या 714 की सूची

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

1	2	3
1.	माणक चन्द घीसूलाल, घामली	चर्म जूता व चर्म रंगाई
2.	मै. नरपतलाल कान्तीलाल,	,,
3.	,, मिश्रीलाल छोगाजी, खारची	,,
4.	,, सर्वोदय मेटल इण्ड. मारवड़ जंक्शन	,,
5.	,, कोठारी केमीकल्स इण्ड. ,,	,,
6.	,, मदनलाल कलाराम मसलाबाडी	,,
7.	,, सोहनलाल कन्हैयालाल, सिरीयारी	,,
8.	,, जगदम्बा मोटर वाइन्डिग, गुडाकेसरसिंह	,,
9.	,, प्रभुराम मूलाराम मसलाबाडी	,,
10.	,, तराराम पेमाराम ,,	,,
11.	,, लालमोहम्मद असगर खरादी, राणावास	,,
12.	,, आईदान नर्सिंगजी, ,,	,,
13.	,, मालवीया वर्कसीप, गुडा रामसिंह	,,
14.	,, ओमाराम धूलाराम, मसलाबाडी	,,
15.	,, जीताजी देवाजी ,,	,,
16.	,, रुगनाथ गणेशजी मोची, राणावास	,,
17.	,, सोनाराम जसाजी, मसलाबाडी	,,
18.	,, भगवती वूड वर्क्स, राणावास	वुड वर्क्स —
19.	,, बाबूलाल मोहनलाल, राणावास	चर्म जूता ,,
20.	,, मिश्रीलाल मगाजी, मसलाबाडी	,, ,,
21.	,, गणेश रतलाजी ,,	,,
22.	,, गुलाब पुत्र प्रेमराज ,,	,,
23.	,, बाबूलाल घीसूजी ,,	,,

(401)

1	2	3
24.	मै. घीसा देवाजी मलसाबाडी	चर्म जूता व चर्म रंगाई
25.	,, जेठाराम धूलाजी रेगर ,,	,,
26.	,, पारस मंगाजी जटिया ,,	,,
27.	,, बाबूलाल बस्ताराम ,,	,,
28.	,, वक्ताराम पूनाराम ,,	,,
29.	,, लालाराम पुरखाजी ,,	,,
30.	,, रामा रावतजी खारची ,,	,,
31.	,, लच्छा जोवाजी ग्राम कराड़ी	,,
32.	,, बद्रीलाल पुरखाराम, सवराड़	,,
33.	,, बबूतराम ओकारराम जोजावर	,,
34.	,, नारायण सुखरात मोची, कंटालिया	,,
35.	,, मंगलाराम रामाजी कंटालिया	,,
36,	,, भंवरलाल मोगाजी रेगर, जोजावर	,,
37.	,, प्रतापराम भेराजी रेगर, सवराड	,,
38.	,, बन्ताराम देवाजी रेगर ,,	,,
39.	,, गोपाराम चेलाराम रेगर, जोजावर	,,
40.	,, देवाराम वरदाराम रेगर ,,	,,
41.	,, मंगाराम चतराराम रेगर, राणावास	,,
42.	,, पुरखाराम हंसाराम रेगर, ठाकरवास	,,
43.	,, करमाराम हंसाराम, ठाकरवास	,,
44.	,, बाराराम पुत्र तेमाराम ,,	,,
45.	,, कपूराराम मोती मेघवाल ,,	,,
46.	,, गणपतलाल अमरा मोची, मारवाड़ जंक्शन	,,
47.	,, घीसाराम प्रभुजी मेघवाल, खारची	,,
48.	,, लालाराम चर्म उद्योग, खारची सारण	,,
49.	,, मगनाराम वनाजी जटिया, जोजावर	,,
50.	,, गोपाराम भेराजी रेगर, आउवा	,,

1	2	3
51.	श्री खरताराम ओंकारराम रेगर, जोजावर	चर्म जूता व चर्म रंगाई
52.	„ घीसाराम खंगारजी, सिरीयारी	„
53.	„ भानाराम कूपाराम, रेगर „	„
54.	„ शिवदान हेमाराम रेगर, जोजावर	„
55.	„ ओगड़राम मूराराम, कंटालिया	„
56.	„ नारायण त्रिलोकजी, राणावास	„
57.	„ मालाराम रूपाराम „	„
58.	„ दीपाराम रतनाराम „	„
59.	„ दानाराम मगनाराम „	„
60.	„ सोहनलाल पूराराम, राणावास	„
61.	„ बाबूलाल गोपजी जटिया „	„
62.	„ भारमल रतना जटिया „	„
63.	„ भीमाराम किशनाज जटिया „	„
64.	„ बाबूलाल गोपजी जटिया „	„
65.	„ सोहनलाल पूनाराम „	„
66.	„ सादूलराम शोभाराम „	„
67.	„ प्रेमाराम जीवराज जटिया, मा. ज.	„
68.	„ धुलाराम हीराराम मोची, राणावास	„
69.	„ शिवलाल रावतजी मोची, „	„
70.	„ कंकूदेवी बेवा हजारी लाल वनला	„
71.	„ गणपतलाल शिवलाल भाटी, खारची	„
72.	„ भूराराम पन्नालाल मेघलाल, बिराठिया खुर्द	„
73.	„ मगाराम रामाजी मेघवाल „	„
74.	„ देवाराम पन्नाजी मेघवाल „	„
75.	„ नेनाराम छेलाजी मेघवाल „	„
76.	„ तुलसीराम रामाजी मेघवाल „	„
77.	„ शंकरलाल पन्नाजी मेघवाल „	„
78.	„ राजू ज्ञानाजी मेघवाल „	„
79.	„ लक्ष्मण पन्नाजी मेघवाल „	„

1	2		3
80.	श्री पारस शंकरलाल मेघवाल	बिराठिया खुर्द	चर्म जूता व चर्म रंगाई
81.	,, नारायण हरीराम मेघवाल	,,	,,
82.	,, घीसूलाल गुलाजी मेघवाल	घामली मा. जं.	,,
83.	,, भीकाराम पन्नाजी	,,	,,
84.	,, हिम्मतराम पूराजी	,,	,,
85.	,, चोलाराम रामजी	,,	,,
86.	,, चुन्नीलाल भेराजी	कराड़ी त. मा जं.	,,
87.	,, खंगारराम भेराजी	,,	,,
88.	,, पूराराम जेठाराम	,,	,,
89.	,, जगदीश चुन्नीलाल,	कराडी तहः मा. ज.	,,
90.	,, मंगाराम भेराजी मेंघवाल,		,,
91.	,, गिरधरी रताराम		,,
92	,, उम्मेदराम हरजी		,,
93.	,, सावलराम जेठाराम		,,
94.	,, मोहन टेनाराम		,,
95.	,, पेमाम मेगाम, राणावास		,,
96.	,, आईदान नसिगजी मेंघवाल		,,
97.	,, सकाराम चतराजी		,,
98.	,, मगाराम त्रिलोकरामजी		,,
99.	,, भंवरलाल आईदानजी		,,
100.	,, भेनाराम चेनाराम		,,
101	,, वंनाराम चेनाराम		,,
102.	,, मालवीय उधमेग मारवाड जंक्शन		,,
103	,, नाकोडा,उधोग,		,,
104.	,, घनश्यान फोटो स्टेट कोपींग, मारवाड जंक्शन		फोटो स्टेट कोपींग
105.	,, किरण इण्डस्ट्रीज, आउवा		कन्फेक्शनरी व मोमबत्ती
106.	,, सत्यनारायण सीमेंट उद्योग मारवाड़ जं.		सीमेंट की जाली टंकी

404

1	2	3
107.	मै. दीप इण्डस्ट्रीज मारवाड़ जं.	आयल इंजिन की मरम्मत
108.	,, शीतलदास घनश्यामयास मारवाड़ जं.	अनाज पिसाई
109.	,, के. सी. इण्डस्ट्रीज	मशीनों की मरम्मत
110.	,, शर्मा गृह उद्योग कंटालिया	अनाज पिसाई
111.	,, अशोक आईस फैक्ट्री रानी	आईस बनाना
112.	,, स्वास्तिक मैच इण्डस्ट्रीज करांड़ी	माचिस बनाना

पंचायत समिति रानी

1.	मै. अम्बिका रिपेयरिंग वर्क्स, रानी	रिपेयरिंग वर्क्स सोप
2.	,, दिनेशकुमार हेमराज, रानी	अनाज पिसाई
3.	,, मालवीया मोटर बाडी रिपेयरिंग वर्क्स, रानी	मोटर बोडीज का रिपेयरिंग
4.	,, गंगा फ्लोर मिल्स, खोड तह. रानी	अनाज पिसाई
5.	,, सेमको, रानी	लोहे का फर्नीचर
6.	,, भारत मोटर रिपेयरिंग एण्ड गैस वेल्डिंग, रानी	मोटर रिपेयरिंग व गैस वैल्डिंग
7.	,, चौहान फ्लोर मिल्स, रानी	अनाज पिसाई
8.	,, नेशनल एग्रीकल्चर एण्ड, रानी	कृषि औजार
9.	,, सर्वोदय ट्रेडिंग कम्पनी, रानी	साबुन बनाना व कृषि औजार
10.	,, मोती आईल मिल्स, रानी	खाद्य तेल
11.	,, दिनेश स्टोन पोलिसिंग वर्क्स, रानी	स्टोन पोलिशिंग एण्ड कटिंग
12.	,, सालू एण्ड पालू औ. क्षे. रानी	शूटेक्स
13.	,, सुराना इण्डस्ट्रीज, रानी	,,
14.	,, मालवीया वुड वर्क्स, रानी	लकड़ी फर्नीचर
15.	,, आराम नगा मोची, खोड, रानी	चर्म जूता व रंगाई
16.	,, गिरधारी भीकाराम मोची, ,,	,,
17.	,, भीकाराम प्रभुजी मोची ,,	,,

५०५

1	2	3
18.	मै. बोरीलाल मांगीलाल, रानी	चर्म जूता व रंगाई
19.	„ कानाराम रजाजी, रानी	„
20.	„ मांगीलाल मिश्रीलाल, रानी	„
21.	„ पारसमल गिरधारीजी „	„
22.	„ मोहनलाल नवाजी „	„
23.	„ मांगीलाल नवलाजी „	„
24.	„ श्री शक्ति सोप वर्क्स, मोकपुरा रोड़, रानी	साबुन उद्योग
25.	कपूर मैच इण्ड. पंचायत रोड, रानी	माचिस बनाना
26.	„ भवर मेटल इण्ड. प्रताप बाजार, रानी	पीतल के बर्तन
27.	„ सर्वोदय केन्द्र, खीमेल	स्टील टेबल कुर्सी व अन्य
28.	„ सुरेश फ्लोरिंग मार्केटिंग सोसायटी के पास, रानी	स्टोन टाईल्स
29.	„ सोहन वायर्स,	वायर ड्राईंग
30.	„ मालवीया इंजीनियरिंग वर्क्स, रानी	पावडा बनाना
31.	सैलेस एन्टर प्राईजेज, रानी	शू लेसेज बनाना
32.	„ दी गुजरात आईल मिल्स, रानी	खाद्य तेल
33.	„ रुकाई लार्क कं. रानी	एम. एस. वायर बनाना
34.	„ ददाराम फ्लोर मिल्स, दुदाडा	अनाज पिसाई
35.	„ चारभुजा फ्लोर मिल्स, खौड	„
36.	„ गणेश फ्लोर मिल्स, खौड	„
37.	„ उदेराम हरीदास फ्लोर मिल्स, खौड	„
38.	„ चंदनपुरी केसपुरी फ्लोर मिल, रानीगांव	अनाज पिसाई
39.	„ जय अम्बे वर्क्स, खीमेल	„
40.	„ वहीद खां फ्लोर मिल, रानी	„
41.	„ नव दुर्गा फ्लोर मिल्स, रानी	„
42.	„ निम्बेश्वर मिल्स, रानी	लकड़ी चिराई
43.	„ दिनेश स्टोन पोलिशिंग वर्क्स, राना	स्टोन कटिंग व पोलिसिंग

1	2	3
44.	मै. भवानी आईरन वर्क्स, रानी	लोहे के फर्नीचर
45.	,, मदनलाल सोहनलाल फ्लोर मिल, नोपल	अनाज पिसाई
46.	,, पूटरमल अंचलचंद, रानी	लकडी चिराई
47.	,, स्टील ब्राईट, रानी	लोहे के फर्नीचर
48.	,, नेशनल एग्रीको, रानी	पावडा
49.	,, सैमको केमीकल, रानी	केमीकल बनाना
50.	,, भारत आईल, लिल्स	खाद्य तेल
51.	,, मालवीया एग्रोको, रानी	गेती बनाना
52.	,, भेरव प्लास्टिक्स, रानी	प्लास्टिक्स बाल्टी व धाम
53.	,, पारस प्लास्टिक्स, रानी	,,
54.	,, छोगालाल दलाजी, रानी	अनाज पिसाई
55.	,, अरावली प्रिन्टर्स, रानी	प्रिंटिंग प्रेस
56.	,, सुरेश सर्जिकल्स, रानी	होस्पीटल एक्यूपमेंट
57.	,, पदमावती प्लास्टिक्स, रानी	प्लास्टिक के सामान
58.	,, सुरेश फर्नीचर, रानी	लकड़ी के फर्नीचर
59.	,, दलपत वेल्डिग वर्क्स, रानी	कृषि मशीनरी बनाना
60.	,, कमला इण्डी. वर्क्स, रानी	,,
61.	,, सोंलकी आईरन क. रानी	,,
62.	,, जगदम्बा आईरन वर्क्स, रानी	लोहे के सामान
63.	,, ज्योति एग्रीको रानी	पावडा
64.	,, दिनेशकुमार हेमराज, रानी	लोहे के फर्नीचर
65.	,, जेमको, रानी	,,
66.	मैसर्स श्रीशक्ति सोप वर्क्स, रानी	कपडे धोने का साबुन
67.	,, सर्वोदय केन्द्र खीमेल	खाद्य तेल/साबुन
68.	,, सुरेश फ्लोरिंग रानी	पत्थर की घीसाई
69.	,, सोहन [illegible]यर्स, रानी	लोह धातु के तार

1	2	3
70.	मै. मालवीय इन्जनियरिंग वर्क्स, रानी	मशीनो की मरम्मत
71.	,, सैलेश एन्टरप्राइजेज, रानी	शूटेक्स
72,	,, स्काई लार्क एण्ड कं. रानी	रि-रोलिंग आप राउन्डस प्लेटस
73.	,, उधाराम प्लोर मिल्स, रानी	अनाज पिसाई
74.	,, राजेन्द्र सीमेन्ट उद्योग, रानी	सीमेन्ट की जाली टंकी
75.	,, दीनेश स्टोन पोलीश वर्क्स, रानी	पत्थर घीसाई
76.	,, कमल इन्जिनियरिंग वर्क्स, रानी	कृषि औजार
77.	,, शफी मो. जनरल वर्क्स, रानी	स्टोव गैस की मरम्मत
78.	,, पूटरमल अचल दास रानी	लकडी चिराई
79.	,, गजराज जिनिंग एन्ड आयल मिलरानी	जिनिंग व तेल पिसाई
80.	,, सैमको केमीकल्स, रानी	सैल्यूलोज पाउडर
81.	,, भैरव प्लास्टिक रानी	प्लास्टिक निवार
82.	,, पारस प्लास्टिक रानी	,, ,,
83.	,, अरावली प्रिन्टर्स, रानी	प्रिंटिंग प्रेस
84.	,, सुरेश सर्जिकल्स, रानी	बेन्डेज
85.	,, दीनेश कुमार हेमराज रानी	स्टोन पोलीशिंग
86.	,, सागर स्टील वर्क्स, रानी	हेमर बनाना

पंचायत समिति देसूरी

1.	मैसर्स पुखाराज पन्नाजी देसूरी	हाथ करघा वस्त्र
2.	,, किस्तुर मानाजी देसूरी	,,
3.	,, गुमान पुत्र चिमन जी देसूरी	,,
4.	,, भूराराम पुत्र मोटाजी देसूरी	,,
5.	,, सूजाराम पुत्र घासीराम देसूरी	,,
6.	,, अशोक मेटल इण्डस्ट्रीज सोमेसर त. देसूरी	एल्युमिनियम के वर्तन
7.	,, बाबा रामदेव फ्लोर मिल्स, सोनानस	अनाज पिसाई

1	2	3
8.	मै. उब्दुल गनी फ्लोर मिल्स, सादडी	अनाज पिसाई
9.	,, छगनलाल मांगीलाल ,,	,,
10.	,, इब्राहीम फ्लोर मिल्स, ,,	अनाज पिसाई व कपास जिनिंग
11.	,, साबीरगनी रमूजो फ्लोर मिल्स सादडी	अनाज पिसाई
12.	,, हरीप्रकाश विमल चन्द सादडी	,,
13.	,, लक्ष्मीचन्द प्रेमचन्द फ्लोर मिल्स सादडी	,,
14.	,, जगदीश फ्लोर मिल्स ,,	,,
15.	,, कंसाराम हीरालाल ,,	पीतल के बर्तन
16.	,, भूतेश्वर ओटो मोबाईल्स ,,	ओटो मोबाईल्स रिपेयर
17.	,, एवेक्स ,,	ओटो मोबाईल्स रिपेयर
18.	,, कंसाराम पुखराज ,,	पीतल के बर्तन
19.	,, लक्ष्मी लादी भण्डार ,,	स्टी नकटिंग व पोलिशिंग

परिशिष्ट "ब"

माह जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक लगे उधोगों की सूची
पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन

1.	मै. माणकचन्द घीसूलाल, धामली	चर्म जूता व चर्म रंग
2.	,, नरपतलाल कान्तीलाल	,,
3.	,, मिश्रीलाल छोगाजी, खारची	,,
4.	,, सर्वोदय मेटल इण्ड. मारवाड़ जंक्शन	,,
5.	,, कोठारी केमीकल्स इण्ड. जंक्शन	,,
6.	,, मदनलाल कलाराम मलसाबाड़ी	,,
7.	,, सोहनलाल कन्हैयालाल, सिरीयारी	,,
8.	,, जगदम्बा मोटर वाइडिंग, गुढ़ा केशरसिंह	,,
9.	,, प्रभुराम मूलाराम मलसाबाड़ी	,,
10.	,, ताराराम पेमाराम मलसाबाड़ी	,,

1	2	3
11.	मै. लाल मोहम्मद असगर खरादी, राणावास	चर्म जूता व रंगाई
12.	„ आईदान नसिंगजी, खरादी राणावास	„
13.	„ मालवीया वर्कशोप, गुढ़ा रामसिंह	„
14.	„ ओमाराम धूलाराम, मलसावाड़ी	„
15.	„ जीताजी देवाजी, मलसाबाड़ी	„
16.	„ रुघनाथ गणेशजी मोची, राणावास	„
17.	„ सोनाराम जसाजी, मलसाबाड़ी	„
18.	„ भगवती वूड वर्क्स, राणावास	वुड वर्क्स
19.	„ बाबूलाल मोहनलाल, राणावास	चर्म जूता
20.	„ मिश्रीलाल मगाजी, मलसाबाड़ी	„
21.	गणेश रतलाजी „	„
22.	„ गुलाब पुत्र प्रेमराज „	„
23.	„ बाबूलाल धीसूजी „	„
24.	„ धीसा देवाजी „	„
25.	„ जेठाराम धूलाजी रेगर „	„
26.	„ पारस मगाजी „	„
27.	„ बाबूलाल वस्ताराम „	„
28.	„ वक्ताराम पूनाराम „	„
29.	„ लालाराम पूरखाजी „	„
30.	रामा रावतजी खारची	„
31.	„ लच्छा जीवाजी ग्राम कराड़ी	„
32.	„ बद्रीलाल परखाराम, सवराड़	„
33.	„ बबूतराम ओंकारराम	„
3 .	„ नारायण सुखराम मोची, कंटालिया	„
35.	„ मंगलाराम रामाजी, कंटालिया	„
36.	„ भंवरलाल गोगाजी रेगर, जोजावर	„
37.	„ प्रतापराम भेराजी रेगर सवराड़	„

1	2	3
38.	मै. बन्नाराम देवाजी रेगर ,,	चर्म जूता व चर्म रंगाई
39.	,, गोपाराम चेलाराम रेगर जोजावर	,,
40.	,, देवाराम वरदा रेगर ,,	,,
41.	मैं. मंगाराम चतराराम रेगर राणावास	,,
42.	,, पुखाराम हंसाराम रेगर. ठाकरवास	,,
43.	,, करमाराम हंसाराम, ठाकरवास	,,
44.	,, बाराराम पुत्र पेमाराम	,,
45.	,, कपूरराम मोती मेवाल, ,,	,,
46.	,, गणपतलाल अमरा मोची, मारवाड जंक्शन	,,
47.	,, घीसाराम प्रभुजी मेंघवाल, खारची	,,
48.	,, लालाराम चर्म उद्योग, खांरची सारण	,,
49.	,, ममनाराम वनाजी, जटिया, जोजावर	,,
50.	,, गोपाराम भराजी रेगर, ग्राउवा	,,
51.	,, खरताराम ग्रोकारराम रेगर, जोजावर	,,
52.	,, घीसाराम खंगारजी, सिरियारी	,,
53.	,, भानाराम कूपाराम रेगर ,,	,,
54.	,, शिवदान हेमाराम रेगर, जोजावर	,,
55.	,, ग्रोगडराम मूराराम, कंटालिया	,,
56.	,, नारायण त्रिलोकजी, राणवास	,,
57.	,, मालाराम रूपाराम, ,,	,,
58.	,, दीपाराम रतनाराम ,,	,,
59.	,, दानाराम मगनाराम ,,	,,
60.	,, सोहनलाल पूराराम, राणवास	,,
61,	,, बाबूलाल गोपजी जटिया	,,
62.	,, भारमल रतना जटिया ,,	,,
63.	,, भोमाराम किशनाजी जटिया ,,	,,
64.	,, बाबूलाल गोपजी जटिया ,,	,,

1	2	3
65.	मै. सोहनलाल पूनाराम ,,	चर्म जूता व चर्म रंगाई
66.	,, सादूलराम सोभाराम ,,	,,
67.	,, प्रेमाराम जीवराज जटिया मा. जं.	,,
68.	,, घूलाराम हीराराम मोची, राणावास	,,
69.	,, शिवलाल रावतजी मोची, ,,	,,
70.	,, कंकूदेवी बेवा हजारीलाल धनला	,,
71.	,, गणपतलाल शिवलालभाटी, खारची	,,
72.	,, भूराराम पन्नालाल मेघवाल, विराठियाखूर्द	,,
73.	,, मगाराम रामाजी मेंघवाल ,,	,,
74.	,, देवाराम पन्नाजी ,,	,,
75.	,, नेनाराम छेलाजी ,,	,,
76.	,, तुलसीराम रामाजी ,,	,,
77.	,, शंकरलाल पन्नाजी ,,	,,
78.	,, राजूजी ज्ञानाजी ,,	,,
79.	,, लक्ष्मणजी पन्नाजी ,,	,,
80.	,, पारस शंकरलाल मेघवाल	,,
81.	,, नारायण पेराराम मेघवाल,	,,
82.	,, घीसूलाल गुलाजी मेघवाल, वमली मा. जं.	,,
83.	,, भीकाराम पन्नाजी ,,	,,
85.	,, हिम्मतराम पूराजी ,,	,,
84.	,, चोलाराम रामजी ,,	,,
86.	,, चुन्नीलाल भेराजी ,,	,,
87.	,, खंगाराम भेराजी ,,	,,
88.	,, पूखराम जेठाराम ,,	,,
89.	मे0 जगदीश, चुन्नीलाल, कराडी ,,	,,
90.	,, मंगाराम भेराजी मेंडवाल ,,	,,
91.	,, गिरधारी रताराम ,,	,,
92.	,, उम्मेदराम हरजी ,,	,,
93.	,, सावलराम जेठाराम ,,	,,

1	2	3	4
94.	,, मोहन चेलाराम	तह. मा. ज.	चर्म रंगाई व चर्म जूता
95.	,, पेमाराम मेगाराम, राणावास	,,	,,
96.	,, आईदान नर्सिंगजी मेघवाल	,,	,,
97.	,, सकाराम चतरा जी	,,	,,
98.	,, मंगाराम त्रिलोकरामजी	,,	,,
99.	,, भवरलाल आईदानजी	,,	,,
100.	,, वेनाराम चेनाराम	,,	,,
101.	,, वंनाराम चेनाराम	,,	,,
102.	,, मालविया उधमेग	मारवाड जंक्शन	,,
103.	,, नाकोडा उद्योग	,,	,,
104.	,, घनश्याम फोटो स्टेट को पांग,	मारवाड़ जंक्शन	फोटो स्टेट को पांग

पंचायत समिति—रानी

1.	मैं0 अम्बिका रिपेयरिंग वर्क्स, रानी	रिपेयरिंग वर्कशाप
2.	,, दिनेश कुमार हेमराज, रानी	अनाज पिसाव
3.	,, मालवीया मोटर बांडी रिपेयरिंग वर्क्स	रानी मोटर बोडीज का रिपेयरिंग
4.	,, गंगा फ्लोर मिल्स, खोड तह. रानी	अनाज पिसाई
5.	,, सेमको, रानी	लोहे का फर्नीचर
6.	,, भारत मोटर रिपेयरिंग एण्ड गैस वैल्डिग, रानी	मोटर रिपेयरिंग व गैस वैल्डिग
7.	,, चौहान फ्लोर मिल्स, रानी	अनाज पिसाई
8.	,, नेशनल एग्रीकल्चर एण्ड, रानी	कृषि औजार
9.	,, सर्वोदय ट्रेडिंग कम्पनी, रानी	साबुन बनाना व कृषि औजार
10.	,, मोती आइल्स मिल्स, रानी	स्टोन पोलिशिंग एण्ड कटिंग
11.	,, दिनेश स्टोन पोलिशिंग वर्क्स, रानी	खाद्य तेल
12.	,, लालू एण्ड पालू श्रो. के. रानी	शूटेक्स
13.	,, सुराना इण्स्ट्रीज, रानी	शूटेक्स

1	2	3
14.	श्री मालवीया वुड वर्क्स, रानी	लकड़ी फर्नीचर
15.	,, माराम नगा मोची, खोड़ रानी	चर्म जूता व रंगाई
16.	,, गिरधारी भीकाराम मोची,	,,
17.	,, भीकाराम प्रभुजी मोची	,,
18.	,, वोरी लाल मांगी लाल	,,
19.	,, कानाराम राजाजी	,,
20.	,, मांगीलाल मिश्रीलाल	,,
21.	,, पारसमल गिरधारी जी	,,
22.	,, मोहनलाल नवाजी	,,
23.	,, मांगीलाल नवाजी	,,
24.	,, श्री शक्ति सोप वर्क्स, मोकपुरा रोड़, रानी	साबुन उद्योग
25.	,, कपूर मेंच इण्ड. पंचायत रोड, रानी	माचिस बनाना
26.	,, भंवर मेटल इण्ड. प्रताप बाजार रानी	पीतल के बर्तन
27.	,, सर्वोदय केन्द्र, खीमेल	स्टील टेबल कुर्सी व अन्य
28.	,, सुरेश फ्लोरिंग मार्केटिंग सोसायटी, के पास रानी	स्टोन टाईल्स
29.	,, सोहन वायर्स,	वायर ड्राईंग
30.	,, मालवीया इंजिनियरिंग वर्क्स, रानी	पावडा बनाना
31.	,. सैलेस एन्टरप्राइजेज, रानी	शू लेसेज बनाना
32.	,, दी गुजरात ग्राईल मिल्स, रानी	खाध्य तेल
33.	,, स्काई लार्क क. रानी	एम. एम. वायर बनाना
34.	,, ददाराम फ्लोर मिल्स, दुदाड़ा	अनाज पिसाई
35.	,, चारभूजा फ्लोर मिल्स खोड़	,,
36.	,, गणेश फ्लोर मिल्स.	,,
37.	,, उदेराम हरीदास फ्लोर मिल्स खोड़	,,
38.	,, चंदनपुरी केशपुरी फ्लोर मिल रानी गांव	,,
39.	,, जय अम्बे वर्क्स, खीमेल	,,

५१५

1	2	3
40	श्री वहीद खां फ्लोर मिल, रानी	अनाज पिसाई
41.	,, नवदुर्गा फ्लोर मिल्स रानी	,,
42.	,, निम्बेश्वर मिल्स, रानी	लकड़ी चिराई
43.	,, दिनेश स्टोन पोलिशिंग वर्क्स, रानी	स्टोन कटिंग व पोलिशिंग
44.	,, भवानी आयरन वर्क्स, रानी	लोहे के फर्नीचर
45.	,, मदनलाल सोहनलाल फ्लोर मिल्स,	नोपल, अनाज पिसाई
45.	,, पूटरमल अंचलचंद, रानी	लकड़ी चिराई
47.	,, स्टील ब्राईट, रानी	लोहे के फर्नीचर
48.	,, नेशनल एग्रीको, रानी	पावडा
49.	,, सेमको केमिकल, रानी	केमिकल बनाना
50.	,, भारत आईल मिल्स, रानी	खाद्य तेल
51.	,, मालवीय एग्रीको, रानी	गेती बनाना
52.	,, भेरव प्लास्टिक्स, रानी	प्लास्टिक्स बाल्टी व घामा
53.	,, पारस प्लास्टिक्स, रानी	,,
54.	,, छोगालाल दलाजी, रानी	अनाज पिसाई
55.	,, अरावली प्रिन्टर्स, रानी	प्रिन्टिंग प्रेस
56.	,, सुरेश सर्जिकल, रानी	होस्पीटल ईक्यूपमेंट
57.	,, पद्मावती पलास्टिक्स, रानी	प्लास्टिक के सामान
58.	,, सुरेश फर्नीचर, रानी	लकड़ी के फर्नीचर
59.	,, दलपत फर्नीचर वर्क्स, रानी	कृषि मशीनरी बनाना
60.	,, कमला इण्ड. वर्क्स, रानी	,,
61.	,, सोंलकी आईरन वर्क्स, रानी	,,
62.	,, जगदम्बा आईरन वर्क्स, रानी	लोहे के सामान
63.	,, ज्योति एग्रिको. रान	पावडा
64.	,, दिनेशकुमार हेमराज, रानी	लोहे के फर्नीचर
65.	,, जेमको, रानी	,,

पंचायत समिति--देसूरी

1	2	3
1.	मै. अब्दुल गनी फ्लोर मिल्स सादडी	अनाज पिसाई
2.	,, छगनलाल मांगीलाल	,,
3.	,, इब्राहीम फ्लोर मिल्स, सादडी	अनाज पिसाई व कपास जिनिंग
4.	,, साबीरगनी रमूजी फ्लोर मिल्स,	,,
5.	,, हरीप्रकाश विमलचन्द, सादड़ी	अनाज पिसाई
6.	,, लक्ष्मीचंद प्रेमचन्द फ्लोर मिल सादड़ी	,,
7.	,, जगदीश फ्लोर मिल्स सादडी	,,
8.	,, कंसाराम हीरालाल सादड़ी	पीतल के बर्तन
9.	,, मूतेश्वर ग्रोटो मोबाईल्स, सादड़ी	आटो मोबाईल्स रिपेयर
10	,, एपेक्स सादडी	,,
11.	,, कंसारा पुखराज सादडी	पीतल के बर्तन
12.	,, लक्ष्मी लादी भण्डार, सादडी	स्टोन कटिंग व पोलिशिंग

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 715 की सूचना व सूची

'अ'

वर्ष 1982-83 एवं 83-84 में कच्चामाल आगार लघु उद्योग निगम टोंक द्वारा प्राप्त कच्चेमाल का विवरण

क्र. सं. माल का नाम	माल प्राप्ति दिनांक	मात्रा मैट्रिक टन में
वर्ष 1982-83		
1-प्लेटस 8 एम. एम.	21-6-82	11.420
2-एच. आर. शीट्स 2-5 एम. एम.	,,	11 340
3-प्लेटेस 5 एम. एम.	,,	10.460
4-एम. एम. ऐंगिल	6-7-82	11.860
5-एस. टी. गेड	16-7-82	5[illegible].605
6- ,,	19-7-82	58.200
7- ,,	1-8-82	49.700
8-सीमेंन्ट	10-10-82	242.00 एम. टी.
9-जी. सी. शीट्स	16-12-82	11.600
10-एस. टी. ग्रेड	26-1-83	25.1 एम. टी.
वर्ष 1983-84:-		
1-जी. पी. शीट्स	28-4-84	11.160
2-एस. टी. गेड	1-5-83	57.03
3- ,,	21-9-83	58.4
4-जी. पी. शीट्स	16-11-83	11.160
5-एस. टी. ग्रेड	20-1-84	56.00

परिशिष्ट 'ब'

वर्ष 1982-83 में पास बुक के आधार पर दिये गये कच्चे माल की सूची

क्र. स.	इकाई का नाम व पता	माल का नाम	मात्रा	आवंटन का दिनांक
1	2	3	4	5
1—	राज. ट्रंक हाऊस, टोंक	जी. पी. शीट्स 24 गेज	0.133.500	24.6-82
2—	प्रभात रौलिंग शटर, टोंक	—,,—	2 002.500	21-6-82
		—,,—	2.136.000	23-8-82
3—	टोंक बौडी मेकर, टोंक	एंगिल 50 × 50 × 6 एम.एम.	0.135.000	4-6-82
		जी. पी. शीट्स 24 गेज	0.146.850	4-6-82
		प्लेटस 5 एम. एम.	0.476.000	31-7-82
		एच. आर. शीट्स 0.3.15	0.138.000	31-7-82
		एंगिल 50 × 50 × 6	0.153.000	31-7-82
		जी. पी. शीट्स 24 गेज	0.080.100	31-7-82
		एंगिल 50 × 50 × 6	0.114.000	25-9-82
		प्लेटस 5 एम. एम.	0.476.000	25-9-82
		जी. पी. शीट्स 24 गेज	0.053.400	25-9-82
		प्लेट्स 5 एम. एम.	0.476.000	21-10-82
		एंगिल 50 × 50 × 6	0.113.000	21-10.82
		—,,—	0.267.000	1-12-82
		एच. आर. शीट्स 2.5	0.052.000	1-12-82
		एंगिल 50 × 50 × 6	0-317.000	21-12-82
		—,,—	0.245.000	12-3-83
		एच. आर. 2.5	0.052.000	12-3-83
4—	दयाल स्टील एण्ड देवली	प्लेट्स 5 एम.एम.	0.952.000	21-7-82
5—	अहमद नूर मोहम्मद आलम खां टोंक	एच. आर. 2.5 एम. एम.	0.119.000	2-12-83
		—,,—	0.155.000	27-1-83
		—,,—	0.259.000	5-2-83
6—	अब्दुल करीम लोहा उद्योग, टोंक	प्लेट 5 एम. एम.	0.476.000	26-6-82
		जी. पी. शीट 24 गेज	0.133.500	21-8-82
		प्लेट्स 5 एम. एम.	0.476.000	4-12-82
		एच. आर.	0.212.000	20-12-82

418

1	2	3	4	5
		एम. आर. 2.5	0.104.000	27-12-82
		एच. आर. 2.5	0.155.000	27-12-82
		—,,— 3.15	0.036.000	4-1-83
		प्लेट 5 एम. एम.	0.238.000	19-1-83
		एंगिल 50×50×6	0.100.000	19-1-83
		एच. आर.2.5	0.267.000	19-1-83
7—जुम्मन लोह् उद्योग, टोंक		प्लेट्स 5 एम. एम.	0.476.000	2-7-82
		प्लेट 8 एम. एम.	0.735.000	2-2-82
8—अल्लाद्दीन लोह् उद्योग,		जी. पी. शीट्स 24 गेज	0.267.000	1-6-82
		—,,—	0.026.000	3-6-82
		—,,—	0.133.500	19-6.82
9—कमरुद्दीन लोह् उद्योग,		प्लेट 5 एम. एम.	0.476.000	24-6-82
		प्लेट 8 एम. एम.	0.357.000	24-6-82
		एच. आर. 2.5	0.166.000	24-6-82
		एंगिल 50×50×6	0.166.006	—,,—
		—,,—	0.109.400	—,,—
		जी. पी. शीट्स	0.216.600	20-7-82
10—सरदार मो. उर्फ कालू, टोंक		—,,— 24 गेज	0.093.450	21-5-82
		—,,—	0.120.150	13-5-82
		—,,—	0.133.500	10-6-82
		—,,—	0.053.400	23-6-82
		जी. पी. शीट्स	0.100.000	7-7-82
		—,,—	0.106.800	7-7-82
		प्लेट 5 एम. एम.	0.476.000	14-12-82
		एंगिल 50×50×6	0.090.000	7-2-83
11—छट्टन लोह् टोंक (राज.)		प्लेट 5 एम. एम.	0.476.000	29-6-82
		—,,—	0.714.000	30-3-83

वर्ष 1983-84 में पासबुक के आधार पर दिये गये कच्चेमाल की सूचीः-

1—मै. राज. ट्रंक हाऊस टोंक		जी. पी. शीट्स 24 गेज	1.105.000	4-5-83
		—,,—	0.105.000	16-6-83

1	2	3	4	5
	2-मै. प्रभात रौलिंग शटर, टौंक	जी. पी. शीट्स	0.105.000	14-5-83
		—,,—	1.105.000	15-6-83
	3-टौंक बौडी मेकर टौंक	एच. आर. शीट्स 2.5 एम. एम.	0.052.000	22-4-83
		—,,— 3.15 -,,-	0.095.000	22-4-83
		एँगिल 50×50×6	0.197.000	22-4-83
		—,,—	0.213.000	8-6-83
		जी. पी. शीट 24 गेज	0.055.250	15-6-83
		एँगिल 50×50×6	0.122.000	21-6-83
		जी. पी. शीट 24 गेज	0.165.000	21-6-83
		एँगिल 50×50×6	0.102.000	9-7-83
		जी. पी. शीट्स 24 गेज	0.055.250	-,,-
		एँगिल 50×50×6	0.098.000	11-8-83
		जी. पी. शीट 24 गेज	0.055.250	13-8-83
		एच. आर. 3.15 गेज	0.041.000	17-8-83
		एँगिल 50×59×6	0.077.000	17-8-83
		जी. पी. शीट 24 गेज (पुराना स्टाक)	0.048.000	17-8-83
		प्लेट्स 5 एम. एम.	0.476.000	17-8-83
		प्लेट 5 एम. एम.	0.476.000	13-9-83
		एँगिल 50×50×6	0.117.000	20-9-83
		एच. आर 2.5	0.050.000	29-10-83
		जी. पी. 24 गेज	0.032.000	14-11-83
	4-अहमद नूर मोहम्मद, टौंक	एच. आर. 2.5	0.104.000	26-7-83
		—,,—	0.104.000	11-8-83
		—,,—	0.165.000	2-9-83
		—,,—	0.057.000	7-10-83
	5-अब्दुल करीम लोहा उद्योग, टौंक	प्लेट 5 एम. एम.	0.238.000	13-7-83
		—,,—	0.238.000	20-7-83
		—,,—	0.476.000	26-7-82
		एच. आर. 2.5	0.104.000	—,,—
		जी. पी. 24 गेज	0 000.488	—,,—
	6-अल्लादिया लोहा उद्योग,	जी. पी. 24 गेज	0.221.540	23-5-83

420

1	2	3	4	5
		जी. पी. 24 गेज .	0.121.550	3-6-83
7–कयामद्दीन लोहा उद्योग, टोंक		एच. आर. 2.5	0.317.000	3-12-83
		—,,—	0.127.000	12-12-83
8–सरदार मो. उर्फ कालू टोंक		प्लेट 5 एम. एम	0.238.000	28-6-83
		–,,– 8 –,,–	0.357.000	3-12-83
9–छुट्टन लोहा उद्योग, टोंक		प्लेट 6 एम. एम.	0.476.000	13-9-83
		प्लेट 5 एम. एम.	0.476.000	21-6-83

वर्ष 1982-83 में निर्माण कार्य हेतु आवंटित सीमेन्ट की सूची

क्र. संख्या	इकाई का नाम व पता	आवंटित माल की मात्रा	आवंटन का दिनांक
1.	मैं0 ललीत फ्लोर मिल टोडारायसिंह	08 कट्टे	21-4-82
2.	,, कल्पना मार्बल्स इण्ड. देवली	10 ,,	21.4-82
3.	,, कमल हैण्डलूम फैक्ट्री टोंक	01 ,,	21-4-82
4.	,, उत्तम आयल मिल, छान	10 ,,	5-11-82
5.	,, जलधारा कन्डेक्टर प्रा. लि. निवाई	10 ,,	10-11-82
6.	,, मनीष कारपेटस टोंक	5 ,,	12-11-82
7.	,, ईशरदान के. ब्रदर्स, टोंक	50 ,,	26-11-82
8.	,, शिव कारपेटस	10 ,,	27-12-82
9.	,, गनेश दाल मिल नया गांव	15 ,,	1-12-82
10.	,, उत्तम आयल मिल, छान	5 ,,	1-12-82
11.	,, उत्तम आयल मिल छान	5 ,,	1-12-82
12.	,, अजीत कारपेट्स टोक	7 ,,	7-1-83
13.	,, अशोक मार्बल्स देवली	25 ,,	5-10-83
14.	,, मोरलिया ब्रदर्स देवली	10 ,,	8-11-83

1	2	3	4	
15.	श्री भटारिया ट्रान्फार्मस एण्ड इले. निवाई	10 कट्टे	1-11-83	
16.	,, बुंदी ग्रीन मारबल्स देवली	10 मै. टन	3-9-82	
17.	,, जैम मार्बल्स इण्ड. देवली	10 ,,	1-2-83	
18.	,, अशोक मारबल्स देवली	10 ,,	1-2-83	

वर्ष 1982-83 में उत्पादन कार्य हेतु आवंटित सीमेन्ट

1.	मै0 राजेन्द्र कुमार एण्ड क. निवाई	84 मै. टन	1-3-82	3-8-82
2.	,, राजस्थान सीमेंट प्रोड. निवाई	100 ,,	3-3-82	3-8-82
3.	,, संजय इण्ड. निवाई	32 ,,	20-10-82	24-1-83
4.	,, सीगोदिया ए. सी. पाइप प्रो. टौंक	54 ,,	3-3-82	3-8-82
5.	,, केशरलाल शीवचरण सीमेंट उद्योग निवाई	20 ,,	3-8-82	20-10-82
6.	,, कल्याण सीमेंट हुस्तकला उद्योग मा.पु.	20 ,,	3-8-82	20-10-82
7.	,, जगदीश सीमेंट उद्योग, टौंक	20 ,,	3-8-82	20-10-82
8.	,, सींगोदिया मेटेरियल वर्क्स टौंक	20 ,,	3-8-82	20-10-82
9.	,, मेहता सीमेन्ट वर्क्स, निवाई	19 ,,	26-8-82	

वर्ष 1983-84 में निर्माण कार्य हेतु सीमेन्ट का आवंटन

1.	मै0 सैनिक मारबल्स इण्ड. देवली	10 मै. टन	18-5-83	
2.	,, राकेश आयल मिल, मालपुरा	10 ,,	2-11-83	

वर्ष 1983-84 में उत्पादन कार्य हेतु सीमेंट का आवंटन

1.	मै. राजस्थान सीमेंट प्रोडक्टस, निवाई	90 मै टन	8-7-83 व 31-1-84	2-11-83
2.	,, राजेन्द्र कुमार एण्ड कं. निवाई	92 ,,	4-5-83. 2-11-83.	8-3-83 31-1-84
3.	सींगोदिया ए. सी. पाइप प्रो. टोंक	56 ,,	4-5-83 31-1-83.	8-7-83 31 1.84
4.	केसरलाल शिवचरण सीमेंट उद्योग निवाई	20 ,,	4-5-83	2-11-83

(422)

1	2	3		4
5.	श्री कल्याण सीमेंट हस्तकला उ. मालपुरा	20	..	4-5-83. 2-11-83
6.	जगदीश सीमेंट मेटल टोंक	20	..	4-2-83. 2-11-83
7.	सींगोदिया सीमेंट मेटेरियल व. टोंक	20	..	4-5-83. 2-11-83
8.	संजय इण्ड. निवाई	38	..	8-7-83. 2-11-83 31-1-84

वर्ष 1982-83 में आवंटित लोहा एवं इस्पात की सूची :—

क्र. सं	इकाई का नाम	आवंटित मात्रा	आवंटित माल की किस्म	आवंटन का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	उत्तम आयल मिल. ग्राम छान	25 नग	जी.सी. सीट्स	7-5-82
2.	हिमालय आईस फैक्ट्री. देवली	200 फुट	एंगिल	10-5-82
3.	राज. स्टोन क्रसिंग निवाई	350 फुट	,,	30-6-82
		43 फुट	एच.आर.सीट	,,
4.	कैलाश उद्योग. निवाई	320 फुट	बी. पी. सीट	,,
5.	सुनील इण्ड. निवाई	5 नग	काली चद्दर	30-6-82
6.	सरदार मो. उर्फ कल्लूमियां. टोंक	8 नग	जी. सी. शीट्स	5-7-82
7.	लक्ष्मी आरा मशीन. छोलाखेड़ा	35 नग	,,	6.1-83
		2 क्वि.	एंगिल	,,
8.	टोंक जिला खादीग्रामोदय. टोंक	55 नग	जी. सी. सीट्स	,,
9,	सीताराम एण्ड कम्पनी,टोडारायसिंह	130 नग	,,	28-1.83
10.	मीणा गारनेट उद्योग. डिग्गी	10 नग	,,	29-1-83

वर्ष 1983-84 में आवंटित लोहा इस्पात आवंटन की सूची:—

1.	शंकर दाल मिल. टोंक	8 नग	जी पी शीट्स	1-8-83

1	2	3	4	5
2.	अशोक मारबल. देवली	50 नग	जी पी शीट्स	15.9,83
3.	मुटारिया ट्रांसफारमर एण्ड इले. निवाई	105 नग	,,	22-10-83
4.	गुलमरज जमील भारत आइस फैक्ट्री टौंक	3 नग	गर्डर	9.11.83
5.	हनुमान हिन्दू लूम फैक्ट्री टौंक	50 नग	जी.सी.पीट्स	19.12.83
		300 फुट	एंगिल	..
6.	रामेश्वर/भंवरीलाल. टौंक	2 नग	गर्डर	22.10-83
7.	राकेश आयल मिल मालपुरा	200 नग	जी.पी. सीट्स	20-2-83
8.	राधेश्याम स्टील वर्क्स. टौंक	20 नग	,,	,,
9.	कमल कारपेट्स. टौंक	10 नग	,,	1-3-84

वर्ष 1982-83 में आवंटित कोल/कोक की सूची

1.	दयाल स्टील, देवली	1/2 वेगन	कोल/कोक	21.12.83
2.	श्रीकृष्णा ग्रामोद्योग, टौंक	1/2 वेगन	,,	,,
3.	श्री चौधरी इण्ड. निवाई	1.5 वेगन	,,	,,
4.	चौधरी इण्ड. निवाई,	60 वेगन	,,	,,
5.	बी. पी. मिनरल भिलाय	750 वेगन	,,	,,
6.	रमजानी कली भट्टा उद्योग, भिलाय	100 वेगन	,,	,,

वर्ष 1983-84 में आवंटित कोल/कोक की सूची :-

1.	चौधरी इण्डस्ट्रीज, निवाई	1 वेगन	कोल/कोक	11.1.84
2.	कट्टा मेटल वर्क्स, निवाई	3 वेगन	,,	21.2.84

वर्ष 1982-83 में आवंटित मटनटेलो :—

1.	महावीर सोप फैक्ट्री, टौंक	31 ड्रम	मटनटेलो	5.4.82, 31.5.82, 8.8.82, 27.8.82, 11.11.82

वर्ष 1983-84 में आवंटित मटनटेलो :—

1	2	3	4	5
1.	महावीर सोप फैक्ट्री, टोंक	25 ड्रम	मटनटेलो	3.12.82. 11.1.83 17.2.83. 3.5.83. 25.6.83. 19.8.83. 6.10.83
2.	महावीर सोप फैक्ट्री, टोंक	3 ड्रम	„	13.3.84

वर्ष 1982-83 में आवंटित मोम :—

1.	मै. अनिता इण्ड. टोंक	10 बोरा	मोम	29.7.82

वर्ष 1983-84 में आवंटित मोम :—

इस वर्ष में किसी भी इकाई को मोम का आबंटन नहीं हुआ है।

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 716 की सूची

कार्यालय राजस्थान हाथकर्घा परियोजना मण्डल
"हाथकर्घा भवन" चौमू हाउस, जयपुर।

सेमी आटोमेटिक कर्घे का टेण्डर देने वाली फर्मों के नाम तथा उनके द्वारा अंकित मूल्य की सूची।

क्र. सं.	फर्म का नाम	कर्घे का साईज		
		52"	60"	66"
1.	मैसर्स किसान उद्योग गाजियाबाद	4400/- (लकड़ी का)	—	—
2.	मैसर्स भारत मेटल वर्क्स, गाजियाबाद	4500/- (लकड़ी का)	—	—
3.	अलीमुद्दीन मिस्त्री सवाईमाधोपुर	5350/- (स्टील का)	5500/- (स्टील का)	5750/- (स्टील का)
4.	मैसर्स अंजना हैण्डलूम मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स, जयपुर	5200/- (स्टील का)	5300/- (स्टील का)	5700/- (स्टील का
5.	मैसर्स जैकार्ड मशीनरी वर्क्स, वनारस	5575/- (टेक्स व उपकरण रहित स्टील का)	—	—

426

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न 717 की सूची

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर में सत्र 31 जनवरी, 1984 तक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. के पंजीबद्ध अपराधों की सूची ।

1. अपराध संख्या 13/83 विरुद्ध श्री अशोक जैगन एवं अन्य, भूतपूर्व महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर ।
2. अपराध संख्या 35/83 विरुद्ध अधिकारीगण सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर ।
3. अपराध संख्या 36/83 विरुद्ध श्री रामवल्लभ शर्मा, प्रभारी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., (मेडीकल ब्रांच), जयपुर एवं अन्य ।

परिशिष्ट "ख"

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर में सत्र 1975 से 31 जनवरी, 1984 तक राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. के पंजीबद्ध अपराधों की सूची ।

क्रमांक	अपराध संख्या	विरुद्ध	अन्तंगत धारा	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	13/83	श्री अशोक जैमन एवं अन्य भूतपूर्व महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर।	120 बी, 409 भा. द. स. एवं 5(1)(डी)(2) पी. सी. एक्ट	प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत दिया जाकर दि. 13.2.84 को न्यायालय में पेश की जा चुकी हैं ।
2.	35/83	वि. अधिकारीगण सहकारी उपभोक्ता संघ लि., जयपुर।	120 बी, 420,	प्रकरण का अन्वेषण लगभग दो माह में

1	2	3	4	5
			भा. द. स. एवं 5(1)(डी)(2) पी. सी. एक्ट	पूर्ण कर लिया जावेगा ।
3.	36/84	श्री रामवल्लभ शर्मा, प्रभारी, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. (मेडीकल ब्रांच), जयपुर एवं अन्य	120 बी; 420 भा. द. स. एवं 5(1)(2) पी. सी. एक्ट	प्रकरण का अन्वेषण पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन अदम सबूत में दिया जाकर दिनांक 3.9.83 को न्यायालय में पेश की जा चुकी है ।

(428)

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 718 की सूची

गंगानगर जिले में वर्ष 1983-84 में गरीबों के उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम एवं उनसे लाभान्वित व्यक्तियों का विवरण

कार्यक्रम का नाम	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1. अधिक सिंचाई अधिक उपज	
नलकूप निर्माण	178
पम्प सैट	164
2. पिछड़े को पहले	
समग्र ग्रामीण विकास	6048
3. हरिजन गिरीजन विकास	6418
4. गरीब का छप्पर	
भूखण्ड वितरण	3824
भवन निर्माण सहायता	524
5. कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को आवास सुविधा	399
6. कुओं पर विजली	360
7. गोबर गैस संयन्त्र	307

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 721 की सूचना

अभियोग क्रमांक 36/83 थाना मकराना में गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की सूची मय पुलिस द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का विवरण :-

1.	श्री भंवरलाल पुत्र गोविन्दराम राजपुरोहीत	सा. बोरोवड़ दिनांक 23.8.83को	
2.	,, श्री हीम्मत सिंह पुत्र भंवरलाल राजपुरोहीत	–,,–	
3.	,, हबीब पुत्र रमजान खां बनुमिया	,,	,,
4.	,, रामस्वरूप पुत्र प्रेमसुख सोनी	,,	,,
5.	,, गुलजार खां पुत्र प्रेम सुख सोनी	,,	,,
6.	,, दुलाराम पुत्र बालूराम जाट	,,	,,
7.	,, चान्दमल पुत्र लालु जी नाई	,,	,,
8.	,, मदन लाल पुत्र हुकमीचन्द्र सोनी	,,	,,
9.	,, नौरतमल पुत्र हुकमी चन्द सोनी	,,	,,
10.	,, रामेश्वर पुत्र जेठमल सोनी	,,	,,
11.	,, सराजुद्दीन उर्फ सोनु पुत्र हुसैन जी	,,	,,
12.	,, रामेश्वर पुत्र कानाराम कुमार	,, दि. 24-8-83 को	
13.	,, भूमर राम पुत्र उदाराम कोम व्यसनी	,,	,,
14.	,, चम्पालालाला पुत्र भूमर राय व्यापारी	,,	,,
15.	,, हुकमाराम पुत्र चन्दाराम मेघवाल	,,	,,
16.	,, लिछमण पुत्र नारायण बावरी	,,	,,
17.	,, शेख रमजान पुत्र अल्लादीन जुहार	,,	,,
18.	,, करण राम पुत्र नारायण मेघवाल	,,	,,
19.	,, बुद्धासिंह पुत्र मूकनसिंह पुरोहीत	,, दि.25.8.83को	
20.	,, पेमाराम पुत्र किशनाराम	,, दि. 2-12-83 को	
21.	,, ओम प्रकाश पुत्र गंगाराम हारा	,,	,,
22.	,, मोतीलाल पुत्र भंवर लाल ब्राहमण सा. मानणा	,,	,,
23.	,, अबदुला पुत्र अहमद जी व्यापारी सा. बोरावड़	,, दि. 3-12-87 को	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 722 का आदेश

Copy of letter No. F, 8 (6) Home—1/81 dated 24-6-82 form Deptty Secretary to Govt. Home (Gr. I) Department, Raj.. JaiPur addressed to Inspector General of Police, Rajasthan Jaipur.

Sub : Regarding transfer of the Police Officials.

Some police decisions regarding transfer of police officials were conveyed to you vide this department letter of even number dated 22nd Sept., 1981, Your suggestions in the mateer furnished vide your letter under reference have been carefully considered and I am directed to comminicate as follows the revised policy decisions appiicable with immediate effect—

1. She officers of the Civil Police of the rank of Sub-Inspector and above shall not be posted in thair Home Distrtcrs (No change in the policy decision communicated previously vide lerter of seven number dated 22-9-81).

2. The officer of the Civil police of the rank of Sub—Inspector and above who have served in a particular district for eight years in all shall be transferred out of that district.

3. No officer of the ivil Police of the rank of Inspector shall be passed as Station House Officer of Police Stations or as Traffice/Modile Traffice Iuspector of Police for more than five years in all.

4. No Government servant shall be transferred from one post to another unless he has compldted two years on that post

except after recording in detail the reasons for premature transfer and obtaining two written concurrence of the authority next higher to the transferring authority.

5. As far as possible class IV servent, constables, Head constables and Asstt. Sub-Inspector as also lower Division Clerks shall be posted in or near their home districts.

This order supercedes all provious orders on this subject,

432

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 731 का जांच परिणाम

Department of Chemistry
Faculty of Engineering
University of Jodhpur
Jodhpur

No. 687 Dated 9th Jan., 1982

The Executive Engineer,
Bhaisa Singh Irrigation Project,
Distt: Sirohi (Rajasthan)

Sub :—Chemical analysis and volumetric composition of material sent on 5-1-82.

Sir,

The chemical analysis report of three sand samples, one cement and three cement mortar samples is enclosed (Encl Table 1)

On the basis of chemical analysis and typical cement sand mixtures, the Cao and Sio_2 percentge have been computed Encl. 2 tables 2)

The results of these analysis in duplicate for cement sand ratio in various cement mortar as below :—

Sample No. 5	Cement One : Sand four
Sample No. 6	Cement One : Sand seven
Sample No. 7	Cement One : Sand six

(433)

Yours Sincerely

Sd/-
(HEAD)
Department of Chemistry
Faculty Of Engineering
University of Jodhpur
JODHPUR.

परिशिष्ट "अ"

Table-1

DEPARTMENT OF CHFMISTRY
FACULTY OF ENGINEERING
UNIVERSITY OF JODHPUR
JODHPUR

JUNE 9,1982

Analysis report of material samples No. 1 to 7 obtained from Executive Engineer. Bhaisa Singh irrigation project, Distt. Sirohi, Rajasthan.

Table 1 Chemical analysis of semples.

Samle	Material	Percentage of		
		Moisture H 2 O	Cao Calcium oxide	Silica Sio2
1.	Sand (Dam Site)	1. 2%	1. 1%	98-0%
2.	Sand (quarry Site)	1. 3%	1. 0%	98.0%

1	2	3	4	5
3.	Sand (Bonas River) Moist sand sample	3.0%	1. 3%	90.3%
4.	Cement	2%	50. 5%	25%
5,	Cement Mortar	–	8. 64%	80 .4%
6.	Ccment Mortar	–	4. 93%	89.6%
7.	Cement Mortar	–	5.52	88. 0%.

Sd/-
(HEAD)
DEPARTMENT OE CHEMISTRY
FACULTY OF ENGINEERING.
UNIVERSITY OF JODHPUR
JODHPUR.

परिशिष्ट "अ"

Table-2

DEPARTMENT OE CHEMISTRY
FACULTY OF ENGINEERING UNIVERSITY
OF JODHPUR,
JODHPUR.

TABLE 2 Jan 9, 1982

Parcentage of Cno and sio 2 in verious cement : Sand

Volumatic mixtures (Dry) The values are computed on the basis of the results and chemical andalysis reported in Table 1 add vt of 1 vol. cement = 7. 15 g .
vt of 1 vol. send = 9. 40 g basts

(REPRESTATIVE sample)

Typical cement sand volumetric ratio (D is cement sand).		Weight in typical mixure (gm) Total wt. of Dry. mix.	CaoS	io 2	Calculated precentage Cao	Suo 2
1.	1	16.55	3.70	11.00	22.36	66.46
1	2.	25.95	3.80	20.21	14.66	77.07
1	3	35.35	3.94	29.42	11.15	83.22
1	4	44.75	4.00	38.63	8.94	86.32
1	5	54.15	4.09	47.84	7.55	88.34
1	6	63.55	4.12	57.05	6.40	89.29
1	7	72.95	4.21	66.26	5.78	90.82
1	8	82.35	4.33	75.47	7.26	91 65

ABSTRACT OF REPORT :

Cement send volumetic ratio of various cement mortar sample is of Bhaisa Singh (Sirohi Irrigation ProJect)

Sample No.		Cement		Sand
5.	Cne : Four	1	:	4
6.	One : Seven	1	:	7
7.	One : Six	1	:	6

Sd/—

(Head)

Department of Chemistry

Faculty of Engineering

University of Jodhpur

Jodhpur.

(436)

परिशिष्ट 18

अतारांकित प्रश्न संख्या 734 की सूची

जिला पाली की बाली पंचायत समिति में सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बनाये गये तथा वर्ष 1982–83 व 1983–84 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाये गये बांधों व एनीकटो में से वर्ष 1983 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए कार्यों की सूची।

क्र. सं.	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त होने से हुए नुकसानों की राशि (लाख रु. में)	क्षतिग्रस्त कार्यों की मरम्मत हेतु बजट आंवटन (लाख रु. में)
	बांध		
1.	दातीवाडा	0.50	0.50
2.	बोकी का बाला	0.30	0.30
3.	लाडाडा	0.90	0.90
4.	मिठडी	0.70	0.70
5.	जूना मालारी	0.50	0.50
6.	सोनवा	0.80	
7.	बामणिया	0.10	
8.	कामोटी	0.60	0.60
9.	पिपला	0.40	
10.	सेवाडी	0.20	
11.	रघुनाथ पुरा (तृतीय)	0.30	
12.	बलराजा की घूणी	0.30	
	ऐनीकट		
13.	मालनू	0.10	
14.	करांडो की वाव	0.40	
15.	बिसलपुर	0.15	
16.	उरना	0.15	
17.	सरवाजा	0.20	
18.	कुरग	0.10	
19.	सामियां वाला	0.15	
		6.85	3.50

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 735 की सूची

बीसलपुर सिचाई एव पेयजल योजना के मुख्य-मुख्य आंकडे :–

1.	(ए) कुल जल ग्रहण क्षेत्र	26677 वर्ग कि. मी.
	(ब) स्वतन्त्र जल ग्रहण क्षेत्र	16693 वर्ग कि. मी.
2.	बांध की कुल जल क्षमता	703 मिलियन घन मीटर
3.	बांध की उपयोगी जल क्षमता	618 मिलियन घन मीटर
4.	मृत संचय	85 मिलियन घन मीटर
5.	जल की वार्षिक उपयोगिता	
	(1) सिंचाई के लिये	425 मिलियन घन मीटर
	(2) पेयजल व्यवस्था हेतु	240 मिलियन घन मीटर
		योग 665
6.	वार्षिक अनुमानित सिंचाई	60000 हैक्टेयर
7.	वार्षिक पेटा काश्त	2100 हैक्टयर
8.	कुल अनुमानित लागत	91.60 करोड़ रुपये
	(1) लागत में सिंचाई सैक्टर का हिस्सा	70.38 करोड़ रुपये
	(2) लागत में पेयजल सैक्टर का हिस्सा	21.22 करोड़ रुपये
9.	लाभ-लागत अनुपात	1.76:1
10.	अनुमानित सिंचाई से लाभान्वित होने वाले गाँवों की संख्या :—	
	(1) जिला टोंक की देवली, मलोगढ़ एवं टोंक तहसीले	= 331
	(2) बूंदी जिले की तहसील	= 11
	(3) सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर	= 181
		योग=523

438

1	2	3
11.	डूब में आने वाली भूमि 16080 हैक्टेयर	
22.	डूब में आने वाले गाँवों की संख्या :–	
	देवली तहसील जिला टोंक	= 19
	टोडारायसिंह तहसील जिला टोंक	= 4
	केकड़ी तहसील जिला अजमेर	= 2
		योग = 25

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न संख्या 739 की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड संख्या	तहसील	विशेष
1.	चावण्डिया	221	जमवा रामगढ़	यह ग्राम पारम्पिरिक (टी. एस. एस.) आगुमेन्टेशन योजना स्वीकृत है। धन उपलब्धि के अनुसार योजना पर कार्य किया जायेगा।
2.	थोलाई	191	,,	,, ,,
3.	गठवाडी	10	,,	इस ग्राम की पी. एण्ड. टी. स्वीकृत हो गई है। बजट प्रावधान के अनुसार कार्य करवाया जायेगा।
4.	बूजविद बर	228	,,	यह ग्राम पारम्परिक (टी. एस. एस.) आगुमेन्टेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। धन उपलब्धि के अनुसार योजना पर कार्य किया जायेगा।
5.	डांगरवाडा	184	,,	यह ग्राम समस्या रहित है, अतः कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।
6.	नौरंगपुरा	100	विराटनगर	यह ग्राम पारम्परिक (टी. एस. एस.) आगुमेन्टेशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। धन उपलब्धि के अनुसार योजना पर कार्य किया जायेगा।
7.	भामोद	109	,,	यह ग्राम समस्या रहित है, अतः कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट 21

अतारांकित प्रश्न संख्या 740 की सूची

नाम जिला	पंचायत समिति	अब तक स्वीकृत उपकेन्द्र
बाड़मेर	सिवाना	10
	शिव	9
	बाड़मेर	11
	धोरीमन्ना	11
	बालोतरा	12
	सिन्धरी	13
	बायतू	9
	चौहटन	17
	योग	92

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 741 की सूची

चिकित्सक जिनको राज्यादेश संख्या एफ 1 (133) चि. स्वा./81/ग्रुप-2 दिनांक 2--3-82 के द्वारा चयनित वेतन शृंखला स्वीकृत किया गया है।

---

1. डा. आर. के. कल्ला
2. ,, सी. एल. हर्ष
3. ,, एम. एल. शर्मा
4. ,, आर. एस गौड़
5. ,, श्रीमती भुवनेश्वर ठाकुर
6. ,, सतीश कुमार
7. ,, डी. एन. भट्टाचार्य
8. ,, बी. सी. घोष
9 ,, आर. सी. दास गुप्ता
10. ,, बी. एन. कुन्दु
11. ,, एस. जी. सिन्हा
12. ,, एस. डी. गुप्ता
13. ,, एन. सी. साहसिकदर
14. ,, डी. एन. दत्ता
15. ,, जी. एस. चटर्जी
16. ,, एम. एम. दत्ता
17. ,, पी. के. नन्दी
18. ,, डी. के. दत्ता
19. ,, ए. एस. गुप्ता
20. ,, एस. के. घोष
21. ,, एच. पी. नन्दी
22. ,, एस. दत्ता
23. ,, डी. एम. दास
24. ,, एस. के. माथुर
25. डा. जी. चतुर्वेदी
26. ,, पी. एम. पुरोहित
27. ,, जी. डी शर्मा
28. ,, पी. एन. माथुर
29. ,, एम. एम. गुप्ता
30. ,, जे. चक्रवर्ती
31. ,, एस. सी. शर्मा
32. ,, ए. बी गुप्ता
33. ,, एस. एम. सेठी
34. ,, एस. बी. बक्सी
35. ,, पी. आर. शर्मा
36. ,, आर. के. माथुर
37. ,, पी. एस. अग्रवाल
38. ,, एल. सी. जोशी
39. ,, जे. एस. आहुजा
40. ,, बी. के. गुप्ता
41. ,, सी. एस. भाटी
42. ,, श्रीमती के. राबत
43. ,, ए. एम. कोचर
44. ,, आर. के. शर्मा
45. ,, आर. के. कामलीवाल
46. ,, पी. सी. सैन
47. ,, एम. जे. एम. अन्सारी
48. ,, हरीश चन्द्र

49. डा. जी. के. गोठवाल

50. डा. बी आर. कुन्डु

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा. /81/ग्रुप–2 दिनांक 19-6-82

1. डा. एम. आर. मजूमदार

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./ग्रुप–52, दिनांक 19-6-82

1. डा. दर्शन सिंह

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./ग्रुप–2/81/दिनांक 5-7-82

1. डा. एस. सी. जैन

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./ग्रुप–2/81 दिनांक 8-10-82

1. डा. एम. एल. अग्रवाल
2. डा. श्रीमती पुष्पा जैन

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./ग्रुप–2/81 दिनांक 11-11-82

1. डा. एस. बी. मिश्रा

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./ग्रुप–2/81 दिनांक 7-12-83

1. डा. आर. एस. माथुर
2. „ एस. के. भार्गव
3. „ पी. एस कच्छावा

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./81/ग्रुप–2 दिनांक 8-12-82

1. डा. एन. के. कट्टा

आदेश क्रमांक एफ 1 (133) चि. स्वा./80/ग्रुप–2 दिनांक 3-2-84

1. डा. आर. के. गर्ग
2. „ जी. एल. गहलोत
3. „ जी. पी. माथुर
4. „ पी. एन. स्वामी
5. „ के. डी. शर्मा
6. डा. एल. के भार्गव
7. „ ए. के. छंगाणी
8. „ ए. के. व्यास
9. „ इन्द्र सिंह
10. „ फतेह सिंह

सी. ए. एस. चिकित्सक जिनको राज्यादेश संख्या एफ 1 (133) चि. स्वा./ग्रुप 2/81 दिनांक 13-8-1982 के द्वारा चयनित वेतन श्रृजन दिया गया है।

1. डा. डी. एन. सिन्हा

2. डा. बी. एल. चौधरी

3. डा. सुदर्शन सिंह
4. ,, हरि किशन
5. ,, एन. जी. दास
6. ,, वी. एस. राठौड़
7. ,, आर. के अग्रवाल
8. ,, मो. हबीब
9. ,, एस. एल. गर्ग
10. ,, एम. आर. हलदर
11. ,, एस. आर. कुन्दु
12. ,, आर. एन. हलदर
13. ,, सुभा भातरा राह
14. ,, एम. सी. घोष
15. ,, एम. डब्लू. फजल
16. ,, कुलदीप प्रकाश
17. ,, बी. के. बंसल
18. ,, मिसेज टी. बी. माथुर
19. ,, मिसेज एच. सोलंकी
20. ,, के. सी.
21. ,, जी. एस. चौहान
22. ,, एम. एस. शर्मा
23. ,, एम. ए. सुधान
24. ,, मिसेज आर. सी. एस. सी.
25. ,, आर. के पुरोहित
26. ,, वी. के. जोशी
27. ,, वी. के. शर्मा
28. ,, मिसेज लाजवन्ती
29. ,, एच. सी. मलकार
30. ,, टी. सी. नामदीन
31. ,, जी. एम. शर्मा
32. ,, एल. सी. पुल
33. डा. एम. एन. हुसेन
34. ,, डी. ए.
35. ,, के. एम. शर्मा
36. ,, मिसेज एल. माथुर
37. ,, जी. आर. बीजेन
38. ,, आर. एल. पुरोहित
39. ,, आर. सी माथुर
40. ,, केवल चन्द्र
41. ,, पी. आर. तलुकदार
42. ,, ए. एन. शर्मा
43. ,, एन. एस. सांखला
44. ,, एन. एल. भारद्वाज
45. ,, एस. के. गुप्ता
46. ,, एम. पी. पाण्डे
47. ,, ए. एन डेरा
48. ,, ओ. पी. लान
49. ,, श्रीमती उषा यागिनी
50. ,, पी. एस. रघुवंशी
51. ,, एस. सी. जैन
52. ,, एस. शर्मा
53. ,, ए. एस. चौहान
54. ,, ए. पी. पारीक
55. ,, यू. के. लोहरा
56. ,, आर. एल. शेखावत
57. ,, आर. आर. पटवा
58. ,, जी. आर. चौधरी
59. ,, डी. के. वर्मा
60. ,, एस. एस. राठावत
61. ,, एस. एल. अग्रवाल

62, डा. एस. बी. भारद्वाज
63. ,, श्रीमती ए. के. वर्मा
64. ,, जी. एस. गोस्वामी
65. ,, के. आर. माथुर
66. ,, जी. पी. गुप्ता
67. ,, डी. एल. सोलंकी
68. ,, एम. सिंह
69. ,, एस. एन. माथुर
70. ,, ए. एन. कन्दुपुरी
71. ,, एस. के. माथुर
72. ,, मगन राम
73. ,, मिस लीला सजना
74. ,, किशन दत्त
75. ,, ओ. पी. कल्ला
76. ,, बी. एस. भाटी
77. ,, पी. एम. मडायी
78. ,, के. के. अग्रवाल
79. ,, इन्द्रजीत सिंह
80. ,, बसन्ती लाल सोनी
81. ,, बी. एस. यादव
82. ,, बी. एल. पारीक
83. डा. आर.के. शर्मा
84. ,, साही राम
85. ,, बी. एल. कोठारी
86. ,, एस. एल. सिंघवी
87. ,, आई. एस. सिंधु
88. ,, मिस एस. मित्तल
89. ,, जे. के. पटेल
90. ,, एम. यु. गूरी
91. ,, एन. एस. चौहान
92. डा. मिस आर. के. गुजराल
93. ,, एन. एस. भन्डारी
94. ,, एम. पी. तन्वार
95. ,, आर. सी. टिन्कर
96. ,, एन. के. शर्मा
97. ,, एच. एस. बन्दावत
98. ,, मिस पदमा बच्चानी
99. ,, जी. भोमिया
100. ,, देवेन्द्र कुमार
101. ,, बी. एल. चौरासिया
102 ,, एम. पी. पारीक
103. ,, आई. सी चौधरी
104. ,, एम. के. सिंघल
105. ,, एस. के. बिज
106. ,, मिस उमा गुप्ता
107. ,, बी. के. बिश्नोई
108. ,, एस. पी. सिंह
109. ,, के. एन आर्य
110. ,, सुभाष चन्द्र
111. ,, ए. आर. शर्मा
112. ,, मिस कमला शारदा
113. ,, एस. एल. अग्रवाल
114. ,, ए. एम. मेहता
115. ,, एस. के. ककड़
116 ,, एम. एल. गुप्ता
117. ,, श्रीमती प्रकाश मनी महात्मा
118. ,, बी. पी. शर्मा
119. ,, आर. एन. दीक्षित
120. ,, बी. एल. चौधरी

121. डा.बी. एल. खरोड़िया
122. ,, ए. के. भाष्कर
123. ,, वी. एल. भटनागर
124. ,, सी. एम जैन
125. ,, के. एल. थन्कर
126. ,, डी. जी. कप्तान
127. ,, ए. डी. पुरोहित
128. ,, मिसेज उमा जैन
129. ,, पीं. आर. जैन
130. ,, एस. के. एस. चौहान
131. ,, डी. के. जैमिनी
132. ,, जे. एच. एच.
133. ,, जे. एल. वैद
134. ,, एम. एल. बाफना
135. ,, के. एल. बाठिया
136. ,, ऐ. जी. छीपा
137. डा .जी. आर सिंघल
138. ,, के. सी. शर्मा
139. ,, आर. एस. राठौड
140. ,, सी. एल. भन्डारी
141. ,, सन्तोष जन
142. ,, आर. के. शर्मा
143. ,, एल. एस. केवलरमनी
144. ,, एम. के. बन्सल
145. ,, जी. सी. शुक्ला
146. ,, एच. के. माथुर
147. ,, नथमल दुग्गड़
148. ,, जी. एम. सिंह
149. ,, एच. एस. विश्नोई
150. ,, मोहन सिंह
151. ,, एन. एल. भारद्वाज
152. ,, एस. एल. गहलोत
153. ,, बी. के. खन्ना

सी. ए. एस. चिकित्सको की सूची जिनको आदेश क्रमांक एफ/(133) एम. पी एच./81 प्र.प–2 दिनांक 23-12-83 के द्वारा चयनित वेतन श्रंखला स्वीकृत की गई है।

1. डा. अमरनारायण माथुर
2. डा. अपूर्व के. चटर्जी
3. डा. ए. एन. चटर्जी
4. डा. टी. आर. सिकदर
5. डा. डी. आर. जैन
6. डा. मोहन हीरानन्दानी
7. डा. मोहम्मद सिमसूजुहा
8. डा. व्रजकिशोर शर्मा
9. डा. शंकर लाल
10. डा. समीर कुमार सेन
11. डा. चिरंजीलाल पालीवाल
12. डा. (श्रीमति) राजेश माथुर
13. डा. सिकन्दरलाल साहनी
14. डा. (श्रीमति) कमला साहनी
15. डा. लक्ष्मीनारायण बी. अग्रवाल
16. डा. श्री प्रकाश पारीक
17. डा. बलराम मजूमदार
18. डा. किशोरीलाल शर्मा
19. डा. मनमोहन सिंह पहवा
20. डा. पुरुषोत्तमलाल बंसल
21. डा. जमना प्रसाद बोहरा
22. डा. जगदीश चन्द्र देवपुरा
23. डा. (श्रीमति) मीना अरेन
24. डा. नरपतराज भण्डारी
25. डा. (कुमारी) शारदा भटनागर

५५८

26. डा. कमलकुमार बाकलीवाल
27. डा. मूलचन्द व्यास
28. डा. शेख जलालुदीन
29. डा. (कुमारी) राणुका चौधरी
30. डा. प्रमोद कुमार पुरोहित
31. डा. विश्वनाथ शर्मा
32. डा सुरेश चन्द बंसल
33. डा. स्वरूप राम चौधरी
34. डा. परेश्वर मोनी
35- डा. जय करण वारण
36. डा. विजय कुमार
37. डा. मोहनलाल मोटियानी
38. डा. भूरेसिह इन्दा
39. डा. (कुमारी) प्रतीमा भादवार (जैन)
40 डा. हरदीप सिह खाग
41. डा. धीरेन्द्र सिह राजवंशी
42. डा. लक्ष्मीनारायण श्रीमाली
43. डा. अवतार सिह
44. डा. राजेन्द्र कुमार मलिक
45. डा. गणेश शंकर अग्रवाल
46. डा. धर्मवीर कोचर
47. डा. नरेश बाबू सक्सेना
48. डा. हरीसिह फोजदार
49. डा. सुरेश चन्द जोशी
50. डा. राधेश्याम पारासर
51. डा. आर. पी. टोगरा
52. डा. किशन चन्द नागपाल
53. डा. सुभाष चन्द भार्गव
54. डा. (श्रीमति) शशि दयाल
55. डा. कन्हैयालाल बापना
56. डा. गोपाल राम धवल
57. डा. नन्द कुमार जोशी
58. डा. सतेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ
59. डा. राजेश चन्द नाग
60. डा. तेजसिह उज्जवल
61. डा. जयप्रकाश वर्मा
62. डा. शंकर लाल माथुर
63. डा. खान सिह भण्डारी
64. डा. नरेन्द्र कुमार शर्मा
65. डा. रामदयाल माली
66. डा. रवीन्द्र कुमार भार्गव
67. डा. सुरेश चन्द माहेश्वरी
68. डा. हरी शंकर सोनी
69. डा. प्रकाश चन्द सेठी
70. डा. रवीन्द्र नाथ हर्ष
71. डा. महेन्द्र सिह त्यागी
72. डा. विरेन्द्र कुमार क्षेत्रपाल
73. डा. अमरजीत सिह गुलेरी
74. डा. सांवरमल गुलेट
75. डा. (श्रीमति) शैलबाला
76. डा. नारायण स्वरूप शरीन
77 डा. धनरूप चन्द माथुर
78. डा. दिनेश चन्द शर्मा
79. डा. राम प्रताप चौधरी
80. डा. (श्रीमति) सन्तोष शर्मा
81. (श्रीमति) नीलम भम्बानी
82. डा. पी. एम. जैन
83 डा. रामकुमार गोदारा
84. डा. (श्रीमति) के. सी. देवकी
85. डा. मनोहरलाल पालीवाल
86. डा. मदन गोपाल तम्बोली
87. डा मुकुट विहारी लाल भटनागर

88. डा. जगमोहन लाल अग्रवाल
89. डा. कृष्ण बिहारी मेरटवाल
90. डा. सुरेश चन्द शर्मा
91. डा. (कुमारी) कमला भटनागर
92. डा. हरी कृष्ण गुप्ता
93. डा. सोहनराज वर्मा
94. डा. (कुमारी) शुभ कुमारी कोचर
95. डा. भवरसिंह देवड़ा
96. डा. केदार नाथ सोनी
97. डा. कृष्ण कुमार गुप्ता
98. डा. सुरेन्द्र सिरकारा
99. डा. कैलाश चन्द जैन
100. डा. (श्रीमति) निर्मला जिन्दल
101. डा. (श्रीमति) त्रिवेणी शर्मा
102. डा. बसन्ती लाल चोबीसा
103. डा. विजय कुमार मल्होत्रा
104. डा. (श्रीमति) चन्द्रप्रभा भारद्वाज
105. डा. सतीश कुमार खींची
106. डा. विनोद कुमार अरोड़ा
107. डा. (श्रीमति) शांता नाहर
108. डा. सत्यनारायण शर्मा
109. डा. वासुदेव चटर्जी
110. डा. (श्रीमति) लीला जैरथ
111. डा. जगदीश भंसाली
112. डा. रामलाल सिंह
113. डा. अजीज सिंह
114. डा. तेज वासुदेव
115. डा. रामवतार शर्मा
116. डा. राजेन्द्र सिसोदिया
117. डा. चन्द्रप्रकाश बरवा
118. डा. (श्रीमति) प्रतिभा भार्गव (गर्ग)
119. डा. एम. एम. भण्डारी
120. डा. (श्रीमति) शकुन्तला अग्रवाल
121. डा. (कुमारी) कृष्णा जोशी
122. डा. पदम चन्द जैन
123. डा. जयसिंह शेखावत
124. डा. कृष्ण कुमार पारीक
125. डा. आनन्द कुमार पुरोहित
126. डा. (कुमारी) उर्मिला कातिल
127. डा. भगवतीलाल पगारिया
128. डा. ख्याली लाल कुमावत
129. डा. केशव कोटवानी
130. डा. दयाल जी. गिदवानी
131 डा. ओम प्रकाश गर्ग
132. डा. बृजराज सिंह
133. डा. विरेन्द्र कुमार बापना
134. डा. (श्रीमति) सन्तोष शर्मा
135. डा. डूगरसिंह पगारिया
136. डा. बलदेव कृष्ण देवड़ा
137. डा. (श्रीमति) सुमनलता गहलोत
138. डा. राजाराम हेडा
139. डा. सुरेश चन्द शर्मा
140. डा. हरी प्रसाद गुप्ता
141. डा. श्रीनाथ गोयल
142. डा. सुरेन्द्र मोहन शर्मा
143. डा. सुरेश चन्द माथुर
144. डा. किशनलाल अरोरा
145. डा. घनश्याम गुप्ता
146. डा. कमलेश कुमार पुरोहित
147. डा. खान अब्दुल सलाम
148. डा. सुरेश विष्णु गुप्ता
149. डा. (कुमारी) सुमन भटनागर
150. डा. मूल चन्द वर्मा

५४८

—: पदोन्नति की सूची :—

क्र. संख्या	नाम सी. ए. एस.	पद जिस पर पदोन्नति की गई है
1.	डा. (श्रीमति) रानीबाला खन्ना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायना)
2.	–,,– मधु सिमलोत	–यथा–
3.	–,,– अरुना अग्रवाल	–यथा–
4.	–,,– सन्तोष गांधी	–यथा–
5.	–,,– उमा सिंघल	–यथा–
6.	–,,– शकुन्तला अग्रवाल	–यथा–
7.	–,,– सी. के. शर्मा	–यथा–
8.	–,,– रेवन्त सिंघवी	–यथा–
9.	–,,– कुसुम गुप्ता	–यथा–
10.	—,,— वीना कपूर	—यथा—
11.	—,,— सी. पी. सक्सैना	—यथा—
12.	—,,— आभा गोदारा	—यथा—
13.	डा. कुशलसिंह गहलोत	—यथा—

कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)

1.	डा. एस. एन. खत्री	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)
2.	डा. एस. एल. शर्मा	—यथा—
3.	डा. एम. पी. पाण्डा	—यथा—
4.	डा. एम. एल. डांगी	—यथा—

कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्कीन वी. डी.)

1.	डा. एम. एल. खत्री	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्कीन वी. डी.)
2.	डा. जय गोपाल अरोड़ा	—यथा—

कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)

1.	डा. एन. सी. शाह	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी)

1	2	3
2.	डा. प्रमोद भटनागर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)
3.	डा. वेद प्रकाश गुप्ता	-यथा-

कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)

1.	डा. एस. एल. कौशिक	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)
2.	डा. एम. के. सिंघल	—यथा—
3.	डा. एम. सी. मारु	—यथा—
4.	डा. धनराज छेलानी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)
5.	डा. के. सी. जैन	—यथा—

कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक्स)

1.	डा. एस. वी. जैन	कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थो)
2.	डा. आर. एस. वर्मा	—यथा—
3.	डा. एम. एम. एल. पारीक	-यथा-
4.	डा. तपन बर्नजी	-यथा-
5.	डा. के. एन. शर्मा	-यथा-
6.	डा. एन. के. नरवानी	-यथा-

कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी)

1.	डा. बाबसिंह	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)
2.	डा. आर. जी. साहनी	-यथा-

पदोन्नति की सूची

क्र. सं.	नाम डाक्टर	पद जिस पर पदोन्नति की गयी है।
1.	डा. एम. पी. शर्मा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/

450

1	2	3
		उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण)
	2. डा. एस. एल. गुप्ता	,,
	3. डा. के. एन. सक्सेना	,,
	4. डा. ए. सी. मेहता	,,
	5. डा. बी. एल. राय	,,
	6. डा. पी. पी. गुप्ता	,,
	7. डा. एन. बी. पुरोहित	,,
	8. डा. ए. आर. सक्सैना	,,
	9. डा. एस. डी. पारीक	,,
	10. डा. जी. एस. गहलोत	,,
	11. डा. जे. एम. लोढ़ा	,,
	12. डा. के. एन. थेघानी	,,
	13. डा. पुखराज ओझा	,,
	14. डा. एस. एल. मोहता	,,
	15. डा. (मिस) पी. के. सोलंकी	,,
	16. डा. (श्रीमति) पी. के. सोलंकी	,,
	17. डा. बी. आर. मजूमदार	,,
	18. डा. एस. एल. सिसोदिया	,,
	19. डा. बी. के. पाटनी	,,
	20. डा. वी. के. लोहरा	,,
	21. डा. पी. के. खुल्लर	,,
	22. डा. एन. के. जोशी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथियेलोजी)
	23. डा. पी. सी. बाहेती	,,
	24. डा. आर. सिघवी	,,
	25. डा. यू. के. लोहरा	,,
	26. डा. आर. के. अग्रवाल	,,

1 2	3
27. डा. एस. के. शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेथियेलोजी)
28. डा. वी. एस. नरूका	"
26. डा. एम. एल. अग्रवाल	"
30. डा. पी. पी. गोयल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पेडिये.)
31. डा. एस. पी. यादव	"
32. डा. जी. पी. गुजराल	"
33. डा. ए. के. अमेता	"
34. डा. पी. पी. गर्ग	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)
35. डा. एम. बी. मिश्रा	"
36. डा. टी. पी. माथुर	"
37. डा. बी. एस. भाटी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थीया)
38. डा. ए. के. शर्मा	"
39. डा. पुखराज चौहान	"
40. डा. (मिसेज) ए. बी. माथुर	"
41. डा. (मिसेज) स्वप्ना मेंहदी	"
42. डा. ए. के. मित्तल	"
43. डा. ए. एल. परमार	"
44. डा. वनमाली शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी. बी.)
45. डा. के. सी. जैन	"
46. डा. आई. एम. पन्डालिया	"
47. डा. जे. एम. व्यास	"
48. डा. यू. एस. लोढ़ा	"
49. डा. एम. एल. खण्डेलवाल	"
50. डा. एस. के. कामरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ओपलोमोलोजी)
51. डा. एस. के. जयरथ	"
52. डा. डी. एस. राठौड़	"

452

1	2	3
53.	डा. जे. सी. जाया	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ग्रोपलोमोलोजी)
54.	डा. डी. एस. बावलिया	,,
55.	डा. एम. एम. गौतम	,,
56.	डा. एम. एम. सिंह	,,

पदोन्नति की सूची

क्र. सं.	नाम डाक्टर	पद जिस पर पदोन्नति की गई है।
1.	डा. ग्रार. एस. माथुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त)
2.	डा. पन्तराम साहू	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)
3.	डा. सोहनराज वर्मा	,,
4.	डा. के. के. मिश्रा	,,
5.	डा. जे. सी. वार्ष्णेव	,,
6.	डा. एन. के वैद्य	,,
7.	डा. ग्रार. के. जोशी	,,
8.	डा. एम. ग्रार. डागा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थेलिया)
9.	डा. एच. एस. सिसोदिया	,,
10.	डा. एम. यू. ग्रन्सारी	,,
11.	डा. एस. के. मित्तल	,,
12.	डा. वी. के. भार्गव	,,
13.	डा. (मिसेज) नीलम भम्भाणी	,,
14.	डा. (मिसेज) के. सी. देवकी	,,
15.	डा. (मिसेज) निर्मला ग्रग्रवाल	,,
16.	डा. (मिसेज) प्रतिभा गर्ग	,,
17.	डा. (मिसेज) नन्दूकुमारी डांगी	,,

1	2	3
18.	डा. (मिसेज) विमला शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (एनेस्थेसिया)
19.	डा. (मिसेज) पी. के. राठौड़	"
20.	डा. एस. एल. पारीक	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनाकलोजी)
21.	डा. (मिसेज) पूर्णिमा माथुर	"
22.	डा. (मिसेज) पुष्पा माथुर	"
23.	डा. (मिसेज) आभा गोदरा	"
24.	डा. (मिसेज) सी. पी. सक्सेना	"
25.	डा. बी. एस. राठौड़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)
26.	डा. जी. पी. माथुर	"
27.	डा. एस. एम. सैनी	"
28.	डा. एम. बी. बक्शी	"
29.	डा. पी. आर शर्मा	"
30.	डा. आर. के. खरोलीवाल	"
31.	डा. ए. एन. कोचर	"
32.	डा. एस. सी. जैन	"
33.	डा. बी. एल. चोरडिया	"
34.	डा. महेश उपाध्याय	"
35.	डा. एम. एस. शर्मा	"
36.	डा. जे. पी. वर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)
37.	डा. ओ. पी. गर्ग	"
38.	डा. जी. एन. पुरोहित	"
39.	डा. एस. सी. मेहन्दीरत्ता	"
40.	डा. पुरुषोत्तम	"
41.	डा. एम. एल. खण्डेवाल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी. बी.)
42.	डा. एम. सी. शाह सिकंदर	"

(454)

1	2	3
43.	डा. ए. पी. एस. रघवंशी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (टीबी)
44.	डा आर. आर. पटवा	,,
45.	डा. हितेश कुमार माथूर	,,
46.	डा. एम. के नरवानी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक्स)
47.	डा. के. सी. जैन	,,
48.	डा. एच. एन. शर्मा	,,
49.	डा. आर. सी. पाण्डे	,,
50.	डा. आर. आर. नागोरा (एस. सी.)	,,
51.	डा. के. सी मित्तल	,,
52.	डा. पी. के. गुप्ता	,,
53.	डा. बी. एल. खण्डेलवाल	,,
54.	डा उमानन्द त्यागी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)
55.	डा. एन. के. शर्मा	,,
56.	डा. जे. के. मल्होत्रा	,,
57.	डा. देवव्रत आर्य	,,
58.	डा. जे. एस. राठौड	,,
58.	डा. के. सी. चौधरी	,,
59.	डा. एम. बी. सक्सेना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैडियाटिक्स)
60.	डा (मिसेज) उर्मिला कटयाल	,,
61.	डा. के. डी. गुप्ता	,,
62.	डा. एस. एम. अली	,,
63.	डा. महेन्द्र सिंह	,,
64.	डा. एम. एल. गर्ग	,,
65.	डा. सी. बी. दास गुप्ता	,,
66	डा एस. के. लोढा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (आपथलिमो.)

1	2	3
67.	डा. एच. एम.नागपाल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (ग्रापथलनो.)
68.	डा. वाई. डी. शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)
69.	डा. ओ. पी. कल्ला	"
70.	डा. इन्द्रजीत सिह सलूजा	"
71.	डा. बनवारी लाल खरडिया (एस. सी.)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)
72.	डा. बी. एल. चौरसिया	"
73.	डा. आत्माराम शर्मा	"
74.	डा. बी. एल. चौधरी	"

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 742 की सूची

1. बांसवाड़ा
2. डूंगरपुर
3. बून्दी
4. धोलपुर
5. बाड़मेर

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 747 का विवरण

नकल खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) ग्राम—नरायना तहसील—फुलेरा जिला जयपुर

जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्टियां							सम्वत् 2040 की गिरदावरी के अनुसार प्रविष्टियां									
							क्षेत्रफल सहित फसल का ब्यौरा						संख्या एवं क्षेत्रफल			
							खरीफ			रवी						
नाम सहित खेतों की संख्या	क्षेत्रफल	चक (वृद्धि) दर	जमाबन्दी की संख्या	प्रविष्टियों सहित खातेदार/ गैर खातेदार का नाम	उप कास्तकार का नाम तथा उसके पिता का नाम आदि और निवास और कब्जे की शर्तें	सिचाई स्रोत तरीके सहित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	फसल का नाम	सिंचित	असिंचित	सिंचित	असिंचित	न जोते गए क्षेत्रफल का ब्योरा	टिप्पणियां तथा अधिकांश व उसे किराए तथा राजस्व आदि में परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2302	6/3	बारादीर	116	कैलाश शंकर पिता हरवगस व रामप्यारी पत्नि हरवगस जाति दरोगा सा. देह			बाजरा मोठ	— —	4/3 2)		—	—				

1 2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2309	31/2	बारादीर 116 कैलाश वैगरह			मूंग	—	31)		—	—				
1		ब. ख. 2302												
2309	2)	बारादीर 116 वगरह—सदर			ग्वार	—	2)		—	—				

1. श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक मू. अ./84/202 दिनांक 6.4.84 की अनुपालना में निःशुल्क जारी गई।

2. श्रीमानजी पटवारी हलका आज दिनांक छुट्टी पर होने के कारण जमाबन्दी उपलब्ध नहीं लागू हो सकी। अतः कार्य को आवश्यक देखते हुए खसरा गिरदावरी की ही नकल जारी कर श्रीमान जी की सेवा में पेश है।

रामकुमार दिलोई
6.4.84
पटवारी हल्का
बरेना 1/4 त. फुलेरा
जयपुर [राज.]

नकल असल से की गई जो सही सनद रहे।
सही प्रतिलिपि
रामकुमार दिलोई
6.4.84
पटवारी हल्का
नरेना 1/4 त. फुलेरा
जयपुर [राज.]

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 749 की सूची

URBAN IMPROVEMENT TRUST UDAIPUR

Name of work :- List of Hand Pump installed the year 1982- 83

Name of Agency :- M/S. Drill Tube well Drilling Construction, 36-B, Shakti-nagar Udaipur.

Dt. of Commencement 12-4-1982.
Dt. of completion 11-5-82.

S. No.	Name of Scheme	Qty.
1.	O. T. C. Extn. near P. No. 108	1 Nos.
2.	O. T. C. Extn. near P. No. 56	1 ,,
3.	O. T. C. Extn. near P. No 223	1 ,,
4.	O. T. C. Extn. near Park P. No. 284	1 ,,
5.	O. T. C. Extn. Scheme near P. No. 115	1 ,,
6.	Ambamata P. No. 68–B	1 ,,
7.	Yadav colony, Ambamata	1 ,,
8.	Eklavya colony near P. No. 69	1 ,,
9.	Bhupalpura (Shikarpuri colony)	1 ,,
10.	Bhupalpura near Hanuman ji ka Mandir near M. B. Collage.	1 ,,
11.	P ground Near P. No. 75 .	1 ,,
	KATCHI BASTI	
12.	Pabada village near H. No. 30/823	1 ,,
13.	Ganeshpura UIT P. No.	1 ,,
14.	Savina Khera Devi Temple.	1 ,,
15	Savina Khera House No. 34/611	1 ,,

460

Name of Agency :- M/S. Kalioga Rig Industrise
Tube well Contractor, 40-.MI. G. H.
New Santosh nagar, Hyderabad.

Dt. of Commencement 12-4-1982.
Dt. of Completion. 10-6-82.

1	2	3
16.	Shiksha Bhawan	1 Nos.
17.	Chetak Circle necm Tree.	1 ,,
18.	General Hospital Opp. Ladies out door.	1 ,,
19.	Ashoka nagar Turniug Point M. B. Collage.	1 ,,
20.	Panchiwati near Neem Tree.	1 ,,
21.	Partap nagar R. H. B. Area.	1 ,,
22.	Partāp nagar (Old) near school.	1 ,,
23.	Meti Magri.	1 ,,
24.	Mechalla Magra near pa.k.	1 ,,
25.	Bhupalpura P. No. 157-156	1 ,,
	KATCHI BASTI	
26.	Sunderwas Chauraya,	1 ,,
27.	Bhupalpura (Bhatt ji ki Bari)	1 ,,
28.	Bhupalpura P. No. 193-194	1 ,,
29.	Kharol near Hanuman ji ka tample.	1 ,,
30.	Kailash colony near Power house.	1 ,,

Name of Agency : M/S. Quality Tube well.
Dt. of Commencemeut 12-4-82.
Dt. of Completion 8-6-1982

1	2	3
31.	Kishanpole (North) K. Basti.	1 Nos.
32.	Kishanpole (South) K. Basti.	1 Nos,
33.	H.M. Sector No. 11-13	4 „
34.	Goverdhan Villas K. Basti.	1 „
35.	Tekri K. Basti.	1 „
36.	Mali Colony.	1 „
37.	Thakker Bapa Colony K. Basti.	1 „
38.	Dheber colony	1 „
39.	Gadriyawas.	1 „
40.	H. M. Sector No. 12	1 „
40.	Savena Village.	1 „
42.	H. M. Sector No. 14	1 „

Name of Agency : Samar Drilling.

Dt. of Commencement 14-4-82.

Dt. of Completion. 25-4-82.

43.	H. M. Sector No. 3	1 Nos.
44.	H. M. Sector No. 4 near kotbadi Tree	1 „
45.	S/W Corner of Sahitaya Akadami.	1 „
46.	N/S Corner of main Park.	1 „
47.	H.M. Sictor No. 4 Near P. No. 317	1 „
48.	H.M. Sector Na. 4 R. H. B.	1 „
49.	H. M. Sector No. 5 R. H. B. Area.	1 „
60.	„ 5 Phase II R. H. B. Area.	1 „
51.	„ 5 Ima 25 R. H. B. Area.	1 „

1	2	3
52.	H. M. Sector No. 5 Phase III RHB Area (Temple)	1 Nos.
53.	„ „ 6 main road.	1 „
54.	„ „ 12 in Junction of 60.	1 „
55.	„ „ 9 near UIT Quarter.	1 „
56.	„ Central Aera.	1 „
57.	Savina Village.	1 „
		60 Nos.

Total expenditure on 60 Nos. Hand Pump Rs. 6, 97, 621, 35

हस्ताक्षर
Secretar.,
Urban Improvement Trust,
Udaipup.

URBAN IPMROVEMENT TRUST, UDAIPUR

Name of work : Datails of Hand Pump installed in 1983-84.

Name of Agency : Udaipur DrilleR.

Dt. of Commetcement 24-8-1983.

Dt. of Completion 7-10-1983.

S. No.	Name of Scheme
1.	H. M. Sector No. 3 P. No. 291
2.	„ „ 4 Sham-Shad.
3.	„ „ 5 Phase III
4.	„ „ 5 Phase III (Park)
5.	„ „ 5 Phase III (Park)

1	2
6.	H. M. Sector No. 6 (Hudco)
7.	„ „ 6 near Kiosk.
8.	„ „ 5 P. No. 2 Ga-15
9.	„ „ 8 (P.No. near Park)
10.	„ „ 4 near R.H.B.
11.	Machalla Magra P. No. 25.
12.	Machalla Magra West side NHW Opp.Park
13.	„ Opp. Temple.
14.	H.M. Sector No. 9 Salumber Road.
15.	„ „ 11 near Park.
16.	„ „ 11 near Milk Booth.
17.	„ „ 13 House of Sh. Raj nath.
18.	„ „ 4
19.	Mogra wadi.
20.	Adrash Bazar.
21.	H. M. Sector No. 11 near Milk Booth.
22.	Bhopa Magri.
23.	Purohitan ki Magri.
24.	Khempura Rly. crossing.
25.	Panerion ki Magri.
26.	Savina Village.
27.	Goverdhan Villaas K. Basti.
28.	Kishadpole K. Basti. Near Plot No. 12
29.	Partap nagar 'C' Class.
30.	Partap nagar 'C' Class.
31.	Partap nagar Googla magra.
32.	Bohra Ganesh ji.

1	2
33.	Dheber Coolny.
34.	Near Cotton Mill.
35.	Ashok nagar P. No. 154.
36.	Ashok nagar P. N. 256.
37.	Sham Shan Ghat near M. K. Verma I a k.
38.	Sardarpura Park S/W Corner.
39.	Bhupalpura near P. N. 166.
40.	Bhartiya Lok Kala Mandle (Madhuwan).
41.	pologround near P. No. 43.
42.	Nathdwara Road (Ahinsapuri).
43.	Moti Magri near Plot No. 66
44.	Chetak Circle. City Bus Stop.
45.	Ajenta Hotel Street H. No. 384/10.
46.	Hospital Area near Mental Ward.
47.	Ambaogarh K. Bsati Area.
48.	Kalbeliya Colony P. No. 423.
49.	Ambamata Scheme p. No. 457,
50.	Rani Road near Park.
51.	Panchwati P. No. 46
52.	C. T. C. Extn. Scheme (HUDCO)
53.	Ambamata Scheme.
54.	Near BaramPoie Gate
55.	Ambamata Scheme near P. No. 368.
56.	Bhupalpura Khempura colony 243.
57.	Bhulpura P. No. 413.
58.	Bhupalpura P. No. 88 Dairy Road.
59.	Ashok nagar near P. No. 119.
90.	Ashok nagar Dhabai ji Bari.

1	2
61.	Shakti nagar (Bilochistau colony).
62.	Banswala ki Pole (Sinshi Bazar)
63.	Premidwara near Govt. Dispensary.
64.	Teliwara.
65.	Maldas street near Neem Tree.
66.	Vidya Bhawh Rural Institute Gate.
67.	Neemachmata near P. N. 81.
68.	RagunathPura K. Basti.
69.	Krishnapura Alipura near P. No. 133 K. Basti.
70.	H. M. Sector No. 11 near P. No.

Total expenditure 70 Nos, Hand Pump Rs. 6, 97, 621, 35

हर्ष शर्मा
Secretary,
Urban Improvement Trust,
Udaipur

परिशिष्ट 26

अतारांकित प्रश्न संख्या 750 का विवरण

(विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद्, अजमेर

संशोधित आम सूचना

दिनांक 12-9-83.

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान के क्रम में दिनांक 3-9-83 द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में निम्न संशोधन किया जाता हैं। यह संशोधन कार्यक्रम को कतिपय और विस्तृत एवं सुलभ बनाने हेतु किया गया हैं। इस कार्यक्रम में भवन निर्माण प्रकरण, पुराने कब्जों का नियमन, स्टेट ग्राण्ट एक्ट के अन्तर्गत भू-खण्डों का नियमन बिखरे भू-खण्ड तथा खांचा भूमि का निष्पादन, परमार्थित शैक्षणिक एवं अन्य संस्थाओं को भू-आवंटन, विकास योजनायें, सड़कों एवं नालियों का निर्माण तथा मरम्मत शौचालयों तथा मूत्रालयों का निर्माण तथा मरम्मत, सफाई एवं विद्युत व्यवस्था, पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों का चयन, आवारा पशुओं की व्यवस्था तथा करों एवं शुल्कों की वसूली कार्यों का निपटारा किया जायगा। अतः जनता से निवेदन हैं कि वह परिषद् को यथा संभव सहयोग देकर लाभांवित हों।

दिनांक	हल्का नं.	शिविर का स्थान	विवरण
15-9-83	1 एवं 2	माकडवाली रोड पर प्याऊ के पास	
16-9-83	3 एवं 4	शास्त्री नगर शॉपिंग सेन्टर के पास	
17-9-83	5 एवं 10	पटेल मैदान में	
22-9-83	6	सुभाष बाग	
23-9-83	7 एवं 40	मोती कटला चौक	
26-9-83	8	मैगजीन के बाहर	
28-9-83	9	गांधी भवन	
30-9-83	11	कुन्दन नगर में श्री तोषनीवाल के मकान के पास	

1	2	3	4
3-10-83	12	गुलाब बाडी तेजाजी के चौक में	
5-10-83	13	मयूर कॉलोनी	
6-10-83	14	दादावाड़ी प्रागंण में	
10-10-83	26 एवं 17	प्रकाश रोड़	
11-10-83	18 एवं 19	गूजर धरती	
12-10-83	15	तोपदड़ा में गवर्नमेंट स्कूल के सामने खेल का मैदान	
13-10-83	20 व 21	भजन गंज सर्किल	
19-10-83	22 व 24	नसीराबाद रोड़ चुंगी चौकी के पास	
20-10-83	25 व 26	भगवान गंज चौक	
21-10-83	27 व 28	पहाड़ गंज में सीता गोशाला के पास	
22-10-83	29 व 30	केसरगंज चक्कर	
23-10-83	31, 32 व 33	ट्राम्बे स्टेशन	
27-10-83	41 व 42	मर्मयो के नोहरे में	
7-11-83	23	तबीजी चौक स्कूल के पास	
8-11-83	34, 35 व 36	इमाम बाड़ा	
9-11-83	37, 38 व 39	मंदूड़ी मोहल्ला चौक	
11-11-83	43	लोंगया क्वाटर के प्रागंण में	
14-11-83	44	गुरनारी मोहल्ला	
15-11-83	45	रामनगर में हजारीमल छोगालाल की बगीची के पास	

नोट:—उपरोक्त शिविरों का समय प्रात: 9 बजे से अपरान्ह 1 बजे तक एवं मध्यान्ह 3 बजे से सायं 6 बजे तक होगा।

डा. धनश्याम दास शर्मा
स्वास्थ्य अधिकारी.

एन. मेघनाणी
सहायक अभियन्ता

एम. यू. सिद्की
आयुक्त,

एस. एस. जैन
प्रशासक,

परिशिष्ट 'II'

नगर परिषद् अजमेर

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 15-9-83. को सम्पन्न हुए अधिवेशन क कार्यों का विवरण

वार्ड नं. 1 व 2 माकड़वाली रोड़

क्रमांक	विषय	अभियान में निष्पादित कार्य
1	2	3
1.	**निर्माण संबंधी नवीन कार्य**	
	(क) सड़के (रनिंग मीटरों में)	33001 या 1005.84 मीटर
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	8001 या 243.84 मीटर
2.	**मरम्मत कार्य**	
	(क) सड़के (रनिंग मीटरों में)	2001 या 60.96 मीटर
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	1001 या 30.84 मीटर
2.	भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	6 स्वीकृत, 5 वापिस 2 प्राप्त हुए 1 नोटिस, 3 पुरानी फाईलों के संबंध में =17 कुल मामले
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	40 ट्रक 20 टन
	(ख) नालों से कितनी टन मिट्टी कचरा साफ किया गया	लगभग 20 टन
	(ग) कितनी गंदी नालियों की सफाई की गई	80 प्रतिशत (200 मीटर)

1	2	3
	(घ) सार्वजनिक सूखे शोचालयों को सस्ते सुलभ फ्लश शोचालयों में बदलने की संख्या	विचाराधीन है।
4.	**विद्युत प्रसार**	
	(क) नई विद्युत लाईन जो डलवाई गई (रनिंग मीटरों में	300 या 91.44 मीटर
	(ख) नई विद्युत खम्बे की संख्या	3
5.	कूडे मलबे के ढेर उठाये गये (टनों में)	210 ट्रक
6.	नाले नालियों की सफाई (मीटर में)	200 मीटर
7.	वृक्षारोपण अभियान में जो पेड़ लगाये गये	10 ट्री वार्ड सहित
8.	विधवाओं-अपंगों-वृद्धावस्था आदि के पेंशन प्रकरण निपटाये गये।	दो अर्जियां प्राप्त हुई जो निपटाई गई

प्रशासन शहरों की ओर, दिनांक 16-9-83 को समाप्त होने वाले कार्य विवरण

वार्ड संख्या 3 व 4 शास्त्री नगर शापिंग सेन्टर के पास

1.	**निर्माण संबंधी नवीन कार्यः—**	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	200 मीटर्स
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	600 मीटर्स
2.	**भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**	14 भवन मानचित्र का निष्पादन किया गया।

1	2	3
3. सफाई व्यवस्था		
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	4 ट्रक (32 टन कचरा एवं सिल्ट)
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गयी	3000 मीटर्स
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	4 शौचालय, 2 मूत्रालय
4. विद्युत प्रसार		
	(क) नये विद्युत खम्भे (संख्या)	29 ब्रेकिट नये लगाये
5. कच्ची/गन्दी बस्तियों की सफाई (संख्या)		4 गणेशगढ़, नई बस्ती, लोहाखान व भोपों का बाड़ा
6. बल्व पाइन्ट जो लगवाये गये		150 बल्व नये लगाये।

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 17-9-83 को सम्पन्न
कार्य का विवरण

वार्ड नं. 5 व 10 पटेल मैदान में

1. मरम्मत कार्य :—		
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	100, (30.48 मीटर)
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	100 (30.48 मीटर)
2. भवन निर्माण संबंधी प्रकरण		7 स्वीकृति, 1 वापिस, 1 रिजेक्ट, 1 कम्परोमाइज (कम्पाउन्डिंग) (कुल 10)
3. सफाई व्यवस्था		
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	10 ट्रक 50 टन

1	2	3
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	1000 मीटर
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	2 शौचालय, 9 मूत्रालय
4.	**विद्युत**	
	(क) बल्ब पाइन्ट जो लगवाये गये	495 बल्ब बदले गये
5.	**वृक्ष लगाये गये**	20 वृक्ष लगाये

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 22-9-83 को सम्पन्न
कार्यों का विवरण
वार्ड नं. 6 सुभाष बाग

1.	**मरम्मत कार्य**	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	लगभग 10 स्थान रोड की पेच मरम्मत
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	2 मीटर विभिन्न नालियों की मरम्मत
2.	**भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**	5 मामलों का निस्तारण
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	70 टन
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	500 मीटर
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	4
4.	**विद्युत प्रसार**	
	(क) नई विद्युत लाइनें जो डलवाई गई (रनिंग मीटरों में)	100 मीटर तार बदला गया
	(ख) नये विद्युत खम्भे (संख्या)	5 ब्रेकिट लगवाये गये

(472)

1	2	3
5.	**विद्युत (कच्ची बस्ती में)**	
	(क) बल्ब पाइन्ट जो लगवाये गये	70 बल्ब बदले गये
	(ख) ट्यूब लाइट पाइंट जो लगवाये गये	16 ट्यूब लाइट लगाई गई
6.	**आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)**	25 आवारा जानवर
7.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	10,000/- दस हजार लगभग

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 23-9-83 को सम्पन्न
कार्यों का विवरण

वार्ड न. 7 एवं 40 मोती कटला चौक

1.	**मरम्मत कार्य**	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	50 मीटर रोड़ (पेच वर्क)
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	25 मीटर नाली रिपेयरिंग
2.	**भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**	
		3 स्वीकृति, 1 रिजेक्ट, 1 वापिस 2 डी. टी. पी. वापिस किये (कुल 7)
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	40 टन
	(ख) कितनी गन्दी नालियों की सफाई की गई	3000 मीटर नालियों की सफाई वार्ड 7 व 40 नोवन स्प्रे

(473)

1	2	3
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालयों/ मूत्रालयों की सफाई कराई गई	4
4.	**विद्युत (कच्ची बस्तियों में)**	
	(क) बल्ब बदली	104 बल्ब बदले गये
	(ख) ट्यूब राड बदली	34 ट्यूब राड बदली गई
5.	**आवारा जानवर जो पकड़े गये**	72 आवारा जानवर पकड़े
6.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 9300/-
	(ख) गृहकर के कितने प्रकरण निपटाये गये	3 गृहकर के प्रकरण निपटाये

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 25-9-83 को सम्पन्न हुए कार्यों का विवरण

वार्ड न. 8 मेगजीन के बाहिर

1. **मरम्मत कार्य**

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	100 मीटर रोड़ पेच वर्क
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	50 मीटर नाली सुधार

2. **भवन निर्माण संबंधी प्रकरण** — स्वीकृत 5
वापस 2
कुल 7

1	2	3

3. **सफाई व्यवस्था**

(क) कितने टन कचरा उठाया गया	80 टन
(ख) कितनी लम्बी नालियाँ साफ	12,000 मीटर
(ग) कितनी गन्दी नालियों को सफाई की गई ?	12,000 मीटर नोवान व डी टी टी छिड़काव
(घ) कितने सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की सफाई कराई गई ?	5 मूत्रालय ! शौचालय

4. **विद्युत**

(क) बल्व बदली किये गये	95
(ख) ट्यूब बदली की गई	55
(ग) वायर बदली की गई	39

5. **करों व शुल्कों के प्रकरण**

(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 9700/-
(ख) अन्य करों रे वसूली चुँगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 930/- लगभग

वार्ड न. 9 गांधी भवन कैम्प

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 28-9-83 को सम्पन्न कार्य का विवरण

1. **मरम्मत कार्य**

(क) सड़कें (रनिंग मीटरो में)	100 मीटर पेच रिपेयर मदार गेट क्षेत्र
(ख) नालियाँ (रनिंग मीटरों में)	50 मीटर ड्रेन काफ्स रिपेयर

2. **भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**

स्वीकृत 9
वापिस 3

1	2	3
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	100 टन कचरा उठवाया गया
	(ख) कितनी लम्बी नालियाँ साफ कराई गई ?	5000 मीटर नालियों की सफाई एवं डी. डी. टी. पाउडर का स्प्रे करावया गया ।
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की सफाई कराई गई	6 मूत्रालय 4 शौचालय
	कुओं व बावड़ियों की सफाई	12
	(घ) कीटाणु नाशक दवाईयों का छिड़काव	90 कमरे 30 भवन
4.	**आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)**	15 कुत्ते पकड़वाये गये 70 आवारा जानवर पकड़े गये ।
5.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 6512.95 सिर्फ
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 1165.00 सिर्फ
6.	**अन्य प्रकरणों के बारे में की गई प्रगति**	
	(क) बल्ब बदले गये	100
	(ख) ट्यूब राड बदली गई	25
	(ग) तार बदली किया गया	22 मीटर
7.	(क) कमरों में किटाणुनाशक दवा छिड़कवाई	144 कमरें
	(ख) कुओं में दवा डलवाई गई	23
8.	**मलेरिया विभाग द्वारा—**	
	(1) कमरों में दवा छिड़कवाई	345
	(2) नाली व खड्डों में दवा छिड़कवाई	62
	(3) घरों की टंकियों में दवा छिड़कवाई	159

(476)

वार्ड 11 कुन्दन नगर कैम्प

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 30-9-83 को सम्पन्न कार्य का विवरण

1	2	3
1.	**मरम्मत कार्य**	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	75 मीटर रोड़ पेच वर्क कराया
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	30 मीटर नाली मरम्मत
2.	**भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**	स्वीकृत 1
		वापस 4
		जानकारी एवं पत्र चाहे गये 2
		कुल 7
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	60 टन
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ करवाई गई	6000 मीटर
4.	(क) कितने सार्वजनिक शौचालय	4
	(ख) मूत्रालयों की सफाई कराई गई	1
5.	(क) कुओं में दवा	10
	(ख) कमरों में डी डी टी और नोवान	135
6.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 6878.91
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 2253.50
7.	**विद्युत (कच्ची बस्तियों में)**	
	(क) ट्यूब लाइट बदली की गई	36

1	2	3
	(ख) बल्ब बदले गये	53
	(ग) तार बदले	15 मीटर
8.	आवारा पशु जो पकड़े गये	14 कुत्ते 50 आवारा जानवर

वार्ड सं. 12 गुलाब बाड़ी

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 3-10-83 को सम्पन्न कार्य का विवरण

1.	**मरम्मत कार्य**	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	75 मीटर रोड़ पेच रिपेयर
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	35 मीटर नाली रिपेयर
2.	**भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**	6 स्वीकृत 1 वापस 5 अस्वीकृत 12
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	72 टन
	(ख) कितनी लम्बी नालियाँ साफ कराई गई	7000 मीटर
4.	**विद्युत**	
	(क) ट्यूब लाईट बदली की गई	20 ट्यूब लाईट बदली गई
	(ख) बल्ब जो लगवाये गये	82 बल्ब बदली कराये 43 मीटर तार बदली कराये 5 ब्रेकिट नये लगाये गये।
	(ग) वृक्ष लगाये गये (संख्या)	210 वृक्ष लगवाये गये।

478

1	2	3
5.	**आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)**	16 कुत्ते पकड़े गये । 20 आवारा जानवर
6.	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 8945.13
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 3701.00
7.	**अन्य प्रकरणो के बारे में की गई प्रगति**	
	(क) घरों में स्प्रे कराया	242 भवन
	(ख) कुओं में कीटनाशक दवा गिराई	13 कुऐं

वार्ड 13 मयूर कालोनी

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 5-10-83 को सम्पन्न कार्य का विवरण

1.	**मरम्मत कार्य**	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	150 मीटर
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	10 मीटर नाली व क्रास रिपेयर
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	स्वीकृत 2 निरस्त 1 डीटीपी 1 4
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	80 टन
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	8000 मीटर

1	2	3
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की सफाई कराई गई	6 शौचालय 1 मूत्रालय
	(घ) कुओं में दवाई छिड़कवाई	18 कुएँ
	(ङ) मकानों में नुवान व डीडीटी	120 कमरे व 40 मकान
4.	विद्युत	
	(क) मरकरी लाईट बल्व बदलवाया	1
	(ख) ट्यूब लाईट रोड बदलवाई गई	28
	(ग) बल्ब बदलवाये गये	136
	(घ) तार बदलवाया गया	47 मीटर
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	18 कुत्ते 40 आवारा पशु
6.	वसूली	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 11,169-83
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 4973-10

वार्ड नं. 14 दादाबाड़ी कैम्प

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 6-10-83 को सम्पन्न कार्य का विवरण

1.	मरम्मत कार्य	
	(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	100 मीटर पेच रिपेयर
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	9 मीटर कासिंग के साथ
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	1 स्वीकृत

1	2	3
3.	सफाई व्यवस्था	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	50 टन
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	6000 मीटर
4.	कितने सार्वजनिक शौचालय	1 शौचालय
	मूत्रालयों की सफाई कराई गई	1 मूत्रालय
5.	विद्युत	
	(क) ट्यूब लाईट जो लगाये गये	10
	(ख) बल्ब बदली की गई	67
	(ग) तार बदली की गई	25 मीटर
6.	**वसूली**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 18,297-81
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त	रु. 5726-43
7.	अन्य प्रकरणों के बारे में की गई प्रगति	
	(क) मकानों में डी. डी. टी. कराया स्प्रे	190 कमरे 50 मकान
	(ख) कुओं में दवाई गिरवाई	19
	आवारा पशु जो पकड़े गये	21 कुत्ते 30 आवारा जानवर

वार्ड 16 व 17 प्रकाश रोड़ कैम्प

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 10-10-83 को सम्पन्न कराये गये कार्य का विवरण।

मरम्मत कार्य

1.	(क) नालियां (रनिंग मीटरों में)	15 मीटर

1	2	3
	(ख) अन्य	शौचालय की रिपेयरिंग एवं 10 मीटर नाले की दिवाल मरम्मत कराई गई व मेनहाल मरम्मत।
2.	भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	7 नक्शे स्वीकृत 5 अस्वीकृत 2 वापस --कुल 14
3.	सफाई व्यवस्था	
	(1) कितने टन कचरा उठाया गया	100 टन
	(2) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	11000 मीटर
	(3) कितने सार्वजनिक शौचालय। मूत्रालयों की सफाई कराई गई	8 शौचालय, 6 मूत्रालय
4.	कीटाणुनाशक दवा डलवाई	227 मकानों में
	(2) कुएं साफ कराकर दवाई डलवाई एन. एम. ई. पी. द्वारा	16
	(3) मकानो में दवा छिड़कवाई	156
	(4) नालों में दवा डाली	28
	(5) घर की टंकियों में दवा छिड़कवाई	135
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	15 कुत्ते, 20 आवारा पशु
6.	करों व शुल्कों के प्रकरण	
	(1) वसूली :-	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 10,415.48

1	2	3
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	7,816.87
7.	अन्य प्रकरणों के बारे में की गई प्रगति	
	(1) बल्ब बदली किये गये	38
	(2) ट्यूब रोड बदली किये गये	11
	(3) तार बदली किया गया	115 मीटर

वार्ड 18 व 19 गूजर धरतो

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 11-10-83 को सम्पन्न कराये गये कार्य का विवरण।

1.	मरम्मत कार्य	
	(क) सडकें (रनिंग मीटरों में)	10 मीटर, सीमेंट पेचवर्क 25
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	25 मीटर नाली व क्रास रिपेयरिंग शौचालय। मूत्रालय की मरम्मत कराई गई।
2.	भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	6 स्वीकृत 2 अस्वीकृत 5 लौटाये 1 डी. टी. पी. —कुल 14
3.	सफाई व्यवस्था	
	(1) कितने टन कचरा उठाया गया	60 टन
	(2) कितनी लम्बी नालिया साफ कराई गई	1200 मीटर

1	2	3
	(3) कितने सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों की सफाई कराई गई	8 शौचालय, 6 मूत्रालय
4.	विद्युत	
	(क) ट्यूब रोड बदली की गई	9
	(ख) बल्ब बदली की गई	104
	(ग) तार बदली की गई	46 मीटर
	(घ) ब्रेकिट नये लगाये गये	2
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	19 कुत्ते, 18 आवारा पशु
6.	वसूली	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 11,175.89
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 2553.35
7.	कुओं में दवा डलवाई गई	16
	(ख) घरों में दवाई छिडकवाई डी. डी. टी. व नुवान	196
9.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन द्वारा	
	(1) नाले नालियों एवं खड्डों में दवा डलवाई	53
	(2) मकानों में स्प्रे करवाया	123
	(3) मकानों का टंकियों में दवा डलवाई	30

वार्ड 15 तोपदड़ा

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 12-10-83 को संम्पन्न किये गये कार्य का विवरण।

1	2	3
1. मरम्मत कार्य		
(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)		200 मीटर रोड़ पेच रिपेयर
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)		10 मीटर नाली 6 क्रास रिपेयर
2. भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	16	3 स्वीकृत, 7 अस्वीकृत, 6 लौटाये
3. सफाई व्यवस्था		
(1) कितने टन कचरा उठाया गया		40 टन
(2) कितनी लम्बी नालिया साफ कराई गई		5500 मीटर
(3) कितने सार्वजनिक शौचालय,		5 शौचालय
मूत्रालयों की सफाई कराई गई		2 मूत्रालय
4. (अ) किटाणुनाशक दवा डी. डी. टी. व नुवान		125 कमरे
(ब) कुओं बावडी में दवा डलवाई		15 कुए
4. (क) ट्यूब रोड बदली की गई		17
(ख) बल्ब बदली की गई		77
(ग) तार बदली की गई		34 मीटर
(घ) ब्रेकिट लगवाये गये		4
5. आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)		10 कुत्ते, 15 आवारा जानवर
6. करों व शुल्कों के प्रकरण		
(1) वसूली :–		

1	2	3
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	8290.07
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	2352.30
7.	मलेरिया विभाग द्वारा	
	(1) मकानों में दवा छिड़कवाई	240 कमरें
	(2) नालों खड्डों में दवा छिड़कवाई	47
	(3) घरों की टंकियों में दवा छिड़कवाई	45

वार्ड 20 व 21 भजन गंज सर्किल

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 12.10.83 को सम्पन्न कराये गये कार्य का विवरण

1. मरम्मत कार्य

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	150 मीटर
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	15 मीटर नाली व क्रास रिपेयर
2. भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	5 स्वीकृत 2 अस्वीकृत 14 लौटाये 1. डी. टी. पी. —कुल 22

3. सफाई व्यवस्था

(1) कितने टन कचरा उठाया गया	40 टन
(2) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	4000 मीटर
(3) कितने सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की सफाई कराई गई	2 शौचालय, 3 मूत्रालय

1	2	3
	(4) कीटाणुनाशक दवा व डी. डी. टी.	234 कमरों
	कुओं में दवा डलवाई	1 कुआ
4.	विद्युत	
	(क) ट्यूब राड बदला की गई	13
	(ख) बल्ब बदली की गई	184
	(ग) तार बदली की गई	75 मीटर
	(घ) ब्रेकिट लगाये	2
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	18 कुत्ते
6.	वसूली	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 11595.78
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 2470.15
7.	मलेरिया विभाग द्वारा	
	1. कमरों में दवा छिड़कवाई	222
	2. नाली व खड्डे में दवा छिड़कवाई	50
	3. घरों की टंकियों में दवा डाली गई	55

वार्ड नं. 22 व 24 नसीराबाद रोड चुंगी के पास

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 19-10-83 को सम्पन्न कार्य विवरण

1.	मरम्मत कार्य	
	1. सड़कें (रनिंग मीटरों में)	150 मीटर

1	2	2
	2. नालियां (रनिंग मीटरों में)	15 मीटर नाली व क्रासिंग
	2. भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	21 (4 स्वीकृत, 4 अस्वीकृत, 13 लौटाये)
	3. सफाई व्यवस्था	
	1. कितने टन कचरा उठाया गया	35 टन
	2. कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	4000
	3. कितने सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	4 मूत्रालय
	4. कुओं व बावडीयों की सफाई	25
	5. कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव कमरों में	215
	4. विद्युत प्रसार	
	1. नई विद्युत लाईन डलवाई गई (तारबदली)	76 मीटर
	2. नये ब्रेकिट लगाये गये	6
	3. ट्यूब लाईट राड बदली किये गये	50
	4. बल्ब जो बदली किये गये	163
	5. आवारा जानवर जो पकड़े गये (संख्या)	12 कुत्ते
	6. करों व शुल्कों की प्रकरण	
	1. गृहकर से वसूली (रुपये)	9828.77
	2. अन्य वसूली चुंगी अतिरिक्त (रुपये)	1344.77

वार्ड 25 व 26 भगवान गंज चौक

"प्रशासन शहरों की ओर" दिनांक 20-10-83 को सम्पन्न कराये गये कार्य का विवरण।

1. मरम्मत कार्य—

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	150 मीटर

488

1	2	3
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	20 मीटर नाली व क्रासिंग रिपेयर साथ में 100 मीटर नई सड़क बनवाई रामगंज नई बस्ती।
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	2 स्वीकृत, 1 अस्वीकृत, 6 लौटाये — कुल–9.
3.	सफाई व्यवस्था—	
	(1) कितने टन कचरा उठाया गया	50
	(2) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	3500
	(3) कितने सार्वजनिक शौचालय/ मूत्रालयों की सफाई कराई गई	6 शौचालय, 2 मूत्रालय
4.	विद्युत—	
	(क) ट्यूब राड बदली की गई	46
	(ख) बल्ब बदली की गई	372
	(ग) तार बदली की गई	68
	(घ) नये ब्रेकिट लगवाये	5
	(ङ) वृक्ष लगाये गये (संख्या)	50 (आदर्श नगर)
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	18 कुत्ते, 10 आवारा पशु
6.	वसूली—	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 11049·55

1	2	3
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 9812-95
7.	(क) कमरों में किटाणुनाशक दवा	195 कमरें
	(ख) कुओं में दवा डलवाई	28 कुएँ

मलेरिया विभाग द्वारा—

(1) कमरों में दवा छिड़कवाई	240
(2) नाली व खड्डों में दवा छिड़कवाई	27
(3) घरों की टंकियों में दवा छिड़कवाई	90

वार्ड 27 व 28 पहाड़गंज सीता गौशाला के पास

"प्रशासन शहरों की ओर" दिनांक 21-10-83 को सम्पन्न कराये गये कार्य का विवरण।

1. विकास योजनायें—

(1) निर्माण सम्बन्धी कार्य—

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	100 मीटर सड़क खटीक मोहल्ला, पहाड़गंज व पुलिया की दीवालें मलूसर रोड पहाड़गंज, गूजर मोहल्ला।

2. मरम्मत कार्य—

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	150 मीटर रोड पेच वर्क
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	15 मीटर, पेच वर्क

3. भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण

9 स्वीकृत	
1 अस्वीकृत	कुल–18.
8 लौटाये	

1	2	3
4.	सफाई व्यवस्था—	
	(1) कितने टन कचरा उठाया गया	30 टन
	(2) कितनी लम्बी नालिलां साफ कराई गई	2500
	(3) कितने सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	6 शौचालय, 3 मूत्रालय
5.	विद्युत—	
	(क) ट्यूब राड बदली की गई	20
	(ख) बल्ब बदली किये	196
	(ग) तार बदली गई	75
	(घ) नये ब्रेकिट लगवाये	3
6.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	17 कुत्ते, 18 आवारा पशु
7.	वसूली—(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	10790--97
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	3321--99

वार्ड नं. 29 व 30 केसरगज चौक

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 22-10-83 को सम्पन्न कार्य विवरण

1. मरम्मत कार्य

1. सड़कें (रनिंग मीटरों)	20
2. नालियां (रनिंग मीटरों में)	20 मीटर

(५९१)

1	2	3
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	13 (1 स्वीकृत 12 लौटाये)
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	1. कितने टन कचरा उठाया गया	60 टन
	2. कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	7000 मीटर
	3. कितने सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालयों की सफाइ कराई गई	5 शौचालय 12 मूत्रालय
	4. कमरों में किटाणुनाशक दवाईया छिड़काई	190
	5. कुओं की सफाई एवं दवाई गिरवाई	18
4.	**पर्यावरण सुधार योजना**	
	1. ट्यूब राड बदली की गई	25
	2. बल्व बदली	174
	3. तार बदली	22 मीटर
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	12 कुत्ते, 10 आवारा पशु
6.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 10391.12
	(ख) अन्यकरों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 2000.10
7.	**अन्य प्रकरणों के बारे में की गई प्रगति**	
	एन. एम. ई. पी. द्वारा	
	1. कमरों में दवा छिड़काई	828
	2. नाली व खड्डों में छिड़कवाई	16
	3. घरों की पानी की टंकियों में दवा गेरी	45

५९२

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 23-10-83 को

सम्पन्न कार्य विवरण

वार्ड नं. 31, 32 व 33 ट्रांम्बे स्टेशन

क्रमांक	विषय	अभियान में निष्पादित कार्य
1.	**भवन निर्माण संबंधी प्रकरण**	2 स्वीकृत
2.	**सफाई व्यवस्था**	
1.	कितने टन कचरा उठाया गया	80 टन
2.	कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	4500 मी.
3.	कितने सार्वजनिक शौचालय/मुत्रालयों की सफाई कराई गई	5 शौचालय व 7 मुत्रालय
4.	किटाणुनाशक दवा कमरों में छिडकवाई	350
5.	कुओं व बावडी की सफाई एवं दवा छिडकवाई	14
3.	**पर्यावरण सुधार योजना**	
1.	ट्यूब राउ बदली की गई	13
2.	बल्ब बदली किये गये	277
3.	तार बदली किये	43
4.	बेटर होल्डर	3
4.	**आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)**	19 कुत्ते, 11 आवारा पशु
5.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
(क)	गृहकर से वसूली (रुपये)	रुपये 1197.09

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 27-10-83 को
सम्पन्न कार्य का विवरण

वार्ड नं. 41, व 42 ममंयों के नोहरों में

1	2	3
1.	**मरम्मत कार्य**	
	नालियां (रनिंग मीटरों में)	15 मी. क्रास रिपेयर
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकलण	26 (9 अस्वीकृत, 14 लोटायें 3 डीटीग्रों)
3.	**सफाई व्यवस्था**	
	1. कितने टन कचरा उठाया गया	40
	2. कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	1500 मी.
	3. कितने सार्वजनिक शौचालय/मुत्रालयों की सफाई कराई गई	25 शौचालय 8 मूत्रालय
	4. किटनाशक दवा छिड़कवाई	108
	5. कुओं में दवा गिरवाई	17
4.	**विद्युत प्रसार**	
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये, (संख्या)	9 कुत्ते
	1. ट्यूब राड बदली की गई	15
	2. बल्ब बदली की गई	175
	3- तार बदली की गई	85
6.	**करों व शुल्कों के प्रकरण**	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	14732.00 रुपये
	(ख) अन्यकरों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	417.35 रुपये
7.	**अन्य प्रकरणों के बारे में की गयी प्रगति**	

एन. एम. ई. पी. द्वारा

५९५

1	2	3
	1. नाली एवं खड्डों में दवा गिरवाई	8
	2. घरों की टंकियों में दवा गिरवाई	95

वार्ड 23 तबीजी चौक के पास

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 7-11-83 को सम्पन्न कराये गये कार्य का विवरण।

1	मरमम्त कार्य	
	(क) सड़क (रनिंग मीटरों में	150 मीटर
	(ख) नालिया (रनिंग मीटरों में)	15 मीटर नाली व क्रास रिपेयर
2	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	4 मानचित्र स्वीकृत। 4 अस्वीकृत। कुल 21 13 लोटाये
3	सफाई व्यवस्था—	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	35 टन
	(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	4000 मीटर
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालय मूत्रालयों की सफाई कराई गई	4 मूत्रालय
4	कमरों में किटाणुनाशक दवा छिड़कवाई गई	215 कमरें
	(2) कुओं में दवा गिरवाई गई	25 कुए
5	विद्युत—	
	(क) ट्यूब राड बदली	50
	(ख) बल्ब बदली करें	143
	(ग) तार बदली गई	76 मीटर
	(घ) नये ब्रेकिट लगाये	6
6	आवारा पशु जो पकड़े गये	12 कुत्ते

1	2	3
7	वसूली	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रू. 9828.77
	(ख) अन्य करों से वसूली चुगीं के अतिरिक्त (रूपये)	रु. 1344.77

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 8-11-83 को
सम्पन्न कार्य का विवरण

वार्ड नं. 34, 35, 36 इमाम का बाड़ा

1.	मरम्मत कार्य	
	(क) सड़के (रनिंग मीटरों में)	50
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	20
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	7 स्वीकृत, 2 लौटाये
3.	सफाई व्यवस्था	
	(क) कितने टन कचरा उठाया गया	50 टन
	(ख) कितनी लंम्बी नालियां साफ कराई गई	8000 मीटर
	(ग) कितने सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	2 शौचालय
4.	पर्यावरण सुधार योजना	
	(1) ट्यूब रोड बदली गई	13
	(2) बल्ब बदली की गई	272
	(3) तार बदली की गई	58
	(4) ब्रेकिट लगवाये	—
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	24 कुत्ते
6.	करों व शुल्कों के प्रकरण	

1	2	3
	1. गृहकर से वसूली (रुपये)	रुपये 2316.93
	2. अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त	रुपये 1599.84
7.	अन्य प्रकरणों के बारें में की गई प्रगति	
	1. किटाणुनाशक दवा छिडकवाई	150
	2. कुओ में दवाई गिरवाई	18

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 9-11-93 को
सम्पन्न कार्य का विवरण

वार्ड नं. 37, 38 एवं 39 मूदंड़ी मोहल्ला चौक

1.	मरम्मत कार्य	
	(क) सड़के (रनिंग मीटरों में)	50
	(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	50
2.	भवन निर्माण सम्बन्धी प्रकरण	7 स्वीकृत
3.	सफाई व्यवस्था	
	1. कितने टन कचरा उठाया गया	40
	2. कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई	11000 मीटर
	3. कितने सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालयों की सफाई कराई गई	1 शौचालय 3 मूत्रालय
	4. किटाणुनाशक दवा कमरों में छिड़कवाई	137 कमरें
	5. कुओं में दवा गिरवाई	12
4	पर्यावरण सुधार योजना	
	1. ट्यूब रोड़ बदली की गयी	47
	2. बल्ब बदली किये गये	142
	2. तार बदलवाया	10
5.	आवारा पशु जो पकड़े गए (संख्या)	10 कुत्ते

1	2	3

6. **करों व शुल्कों की प्रकरण**

(क) गृहकर से वसूली (रुपये) रुपये 2342.49

(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये) रुपये 3302.50

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 11-11-83 को
सम्पन्न कार्य का विवरण

वार्ड नं. 43 लौंगिया क्वार्टर के प्रांगण में

1. मरम्मत कार्य

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	100
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	30

2. भवन निर्माण संबंधी प्रकरण	4 स्वीकृत

3. सफाई व्यवस्था

(1) कितने टन कचरा उठाया गया	70 टन
(2) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गयी	5000 मीटर
(3) कितने सार्वजनिक शौचालयों/ मूत्रालयों की सफाई कराई गई	3 शौचालय, 5 मूत्रालय

4. पर्यावरण सुधार योजना

(1) ट्यूब राड बदली की गई	9
(2) बल्ब बदली किये गये	113
(3) तार बदली की गई	35

5. आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	9 कुत्ते, 10 आवारा पशु

6. करों व शुल्कों के प्रकरण

(1) गृहकर से वसूली (रुपये)	437.534

४९८

1	2	3
	(2) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	2612.75

7. **अन्य प्रकरणों के बारे में की गई प्रगति**

(1) कीटाणुनाशक दवा छिड़कवाई 52
(2) कुओं में दवाई गिरवाई 7

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 14-11-83 को
सम्पन्न कार्य का विवरण

वार्ड नं. 44 गुरनानी मौहल्ला

1. **मरम्मत कार्य**

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में) 100 मीटर
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में) 50 मीटर

2. **सफाई व्यवस्था**

(1) कितने टन कचरा उठाया गया 30 टन
(2) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गई 4000 मीटर
(3) कितने सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की सफाई करवाई गई 3 शौचालय 2 मूत्रालय

3. **पर्यावरण सुधार योजना**

(1) ट्यूब रोड जो बदली गई 22
(2) बल्ब जो बदली किये गये 144
(3) तार बदली की गई 38 मीटर

4. **आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)** 9 कुत्ते

1	2	3

5. करों व शुल्कों के प्रकरण

(1) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 2740.06
(2) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 1135.75

6. अन्य प्रकरणों के बारे में की गई प्रगति

(1) कीटाणुनाशक दवा छिड़कवाई	97 भवनों में
(2) कुओं में दवा गिरवाई	6

प्रशासन शहरों की ओर दिनांक 15-11-83 को सम्पन्न कार्यों का विवरण

वार्ड नं. 45 रामनगर हजारीमल छोगालाल की बगीची

1. मरम्मत कार्य

(क) सड़कें (रनिंग मीटरों में)	50 मीटर्स
(ख) नालियां (रनिंग मीटरों में)	20 मीटर्स

2. भवन निर्माण संबंधी प्रकरण — 2 स्वीकृत, 2 अस्वीकृत

3. सफाई व्यवस्था

(क) कितने टन कचरा उठाया गया	20 टन
(ख) कितनी लम्बी नालियां साफ कराई गयी	1500 मीटर

5. विद्युत (गंदी/कच्ची बस्तियों में)

(क) ट्यूब रोड बदली कराई	47
(ख) बल्ब बदली कराई	150
(ग) तार बदलवाया	39 मीटर

500

1	2	3
5.	आवारा पशु जो पकड़े गये (संख्या)	22 आवारा जानवर, 10 आवारा कुत्ते
6.	करों व शुल्कों के प्रकरण	
	(क) गृहकर से वसूली (रुपये)	रु. 4915.42
	(ख) अन्य करों से वसूली चुंगी के अतिरिक्त (रुपये)	रु. 1202.21
7.	अन्य प्रकरणों के बारे में दी गई प्रगति	
	(क) कीटाणुनाशक दवा छिड़कवाई गई	45 कमरों में
	(ख) कुए साफ करवाये	6

List of Works Combleted

S. No.	Name of work	work order Amount.
1.	Reconstruction of Broken wall of thir puling at Choriasiya was village.	6930/
2.	Repair to the wall of Culvert at Chirstion Basti, Shrinagar roa'ɔ ward No. 14 New	20-12-02
3.	Ramodelling deePing of repairs to drain at Pal Beechla locality in ward No. 10 New.	5705.40
4.	Repair of Pitching in Nullah at Bhambhi Basti, Bhopon Ka Bara.	3675.00
5.	Providing steps & ranp at the	

1	2	3
	Culvertat pal Beechala near Ishwar Basti Temple.	2140.56
6.	Raisingup the wall and drasns or patches at Andhari Pulia, Dhobi Chat.	8858.35

Asstt. Engineer,
Municipal Council, Ajmer.

List of work in Progress

S. No.	Name of work	Work Order Amount
1.	Laying 25 mm thick Carpet at Nagra, Madhv Kunj.	34255.97
2.	Const. of drain alongwith gurden up to Nullaha at Link road, Christionganj.	7235.50
3.	Const. of retairing of wall pulia on shamshan Ghat roat at Bhopon ka Bara.	4950.00
4.	Repairs reconstration of drain of cement cuttings at sunder Vills	9349.55
5,	Laying 25 MM thick carpet in ward. No. 12 from Tejaji Temple to Rly. Crossing at Kalyani Pura.	34848.00
6.	Providing stone pavement at Gavenpura in the back of Khandelwal Misthan Bhandar,	5520.92
7.	Providing rai s on culvert over Nullaha at pal Beechla near Ishwar Basti ward No. 16 New.	2033.10

902

1	2	3
8.	Repairs to street with C. C. at Ishwar Basti ward. No. 14	2418-02
9.	Const. of drain Cemi Circular ward No. 15 New at Dhobi Ghat Road street at Subhash Colony.	8767-44
10.	Providimg rails on culvert at Dhobi Ghat Road ward No, 15 New	1840-00
11.	Laying 25 mm thick carpet in Mistri Mohalla, Gulab Bari.	6486-50
12.	Remoing of drain at Pal Beechla road ward No. 15 New.	2553-32
13.	Const. of drain from Hand pump near H, No, 226/41 from the existing drain at Inderkot,	5746-20
14.	Const. of drain from well near Hatai to temple at Balupura Village Adrash Nagar, Ajmer.	14484-68
15.	Const. of repairing wall near H. N, 30/22 at Adrash Nagar.	9720/-
16.	Laying 25 MM thick carpet over W. B. m. Surface from the house of Shri O. P. Kulshristh to Balupura road,	11811-00
17.	Improvement and raising of existing road at go a Collony Angira Nagar.	22088-99
18.	Const. of w. B. M. road from Balupura road to Reger Basti at Balupura Village.	15419-55

1	2	3
19.	Const. of W. B. M. road from House No. 115/22 (from existing road) to St. Peftes School at Singar Chari.	13,800-00
20.	Const. of 8 letrins in Nia Mohalla Lakhan Kotri Ajmer.	28569-50
21.	Providing stone pavement stret at Peela Miyan Ka Takia W. No. 15	22554-36
22.	Const of Pucca streets alogwith side drain at Ram Gung Nai Basti.	39910-50
23.	Const of W. M.B. road at Govind Nagar near Kalimata Ka Temple Longya.	18974-04
24.	Const. of W. M. B. road drain from H. No. 357/24 to 342/24 at Tabi jr Village	30,000-00
25.	Const of drain near H. No. 24/50 to 24/79 at Subhash Nagar Ajmer.	37,020-00
26.	Repairing and reconstraction the lanes at Issia Mohalla colony near of Radha saran street Hill.	16818-00
27.	Improvement of drain from Inderkote Kamani gate to Chunpuchan gali at Nala Bazer, Ajmer.	42,000-00
28.	Const. of a brain from house of Smt, Vimla Advocate up to culvert road Mcw ward. Now. 45	9210-75
29.	Con.t. of a drain in gali No. 1, H. N. 32 behing house of Shri D. D. Sharma at Ramnagar.	9210-75
30.	Repairs of recrection of broken drain the main road Ram nagar road.	18421-50

1	2	3
31.	Cons. of pucca drain on the remaining portion in Khatik Mohalla pahar Ganj.	7524-00
32.	Const. of pucca flooring with steps on the remaining hill portion at Khatic Mohalla Pahar Ganj ward No. 28	7050-00
33.	Re-constraction of broken drain in both sides round at sita Govshala road to culvart.	14632-00
34.	Repairs of drains under Ajay Nagar Culvart.	5,999-50
35.	Const. of Pucca Chock at Mundri Mohalla Near House No. 321/37 Ajmer.	12489-86
36.	Removal of rain water malwa from main malusar road.	6250-00
37.	Improvement of drain Const. of road near Vedut Satsun Bhavan. Ajmer.	24,720-00
38.	Const of W. B. M. road behing Malusar.	7,316-00
39.	Const. of retaing wall in road sides with steps repair seraction of fooring of side Lane at Bara Peer Hill, Ajmer.	4,800-00
40.	Const. of walls for rubbish defut L. Kha Road. Ajmer.	5880-00
41.	Repairs froming mesonary stepes at Shishakhan road removal of malwa near side the wall H. No. 02	7200-00
42.	Repairs craising up road from well	

1	2	3
	to culvert at Bhagwanji.	16520-00
43.	Reconstraction of broken drain 13 Qr.. at Pahar Ganj.	1154-79
44.	Const. of sides road culvert cerfings etc. ward. No. 44	13475-00
45.	Coust. of chok at Kakra gali at Kayasth Mohalla H. No. 152/38 to 132/38	6225-42
46.	Const. of drain (Improvement) at Kayasth Mohalla Near Nimchabutra.	9733-59
47	Repairs Const. of drain at Teen Tang ki Chatri Asha Gunj, Ajmer.	10,000-00
48.	Removal of malwa from street at Regar Mohalla near Shisha Khan Throught Donkey,	6250-00

Asstt. Engineer.
Municipal Council, Ajmer.

List of Work Under Consderation

S. N.	Name of work	Estimate Cost
1.	25 MM thick carpect patch repair work at Vinad Nagar Bhagavan Pura.	1000/-
2.	Laying 25 MM thick carpet patch repair, at Dhola Bhata.	4100/-
3.	Levelling and dressing of road at Kundan Nagar Near House of Shri A. K. Kapoor.	3500/-
4.	Laying 25 MM thick carpet Patch repair work ward No. 15	2400/-
5,	Laying 25 MM thick carpet at Naya Ghar, Gulab Bari ward No. 12 near Balaji Temple..	10000/-

1	2	3
6.	Providing drain crossing at Dhola Bhata ward No. 12	3100/-
7.	Repair to the existing septic tank at Kamla Bavri, Ajmer.	6100/-
8.	Repair to latrines at Bhagwan Gunj, Ajmer.	11300/-
9.	Const. of steps hear house No. 44/380 at Baboo Garh.	3500/-
10.	Reconstractin of brokan drain on main Bara Peer Hill road Sight land of Harrijan Basti, Ajmer.	15250/-
11,	Constracton of a retaning Wall at Babu garh Hill Ajmer.	15000/-
12.	Const of a wall at Patel Stadium Near Garib Nawaz Gate, Ajmer.	4800/-
13.	Constraction of 4 Seated lealerens near longi a HosPital, Ajmer.	11910/-
14.	Improvement of drain near Jhulelal Mandir Slaughter House, Kamela Ajmer.	10325/-
15.	Providing & Fixing Bariea at Octori Out Post at Jaipur Road, Ajmer.	7200/-
16.	Repair of the existing latrines at Lakha bao Improvement of drains.	20100/-
17.	Improvement of drain from Lange Khana to Pannigram chowk H. No. 457/34 to 410/34 Imanbara, Ajmer.	14900/-
18.	Improvement of drain near Hata up to the house of Altaf Hussain at Imambara Ajmer.	15170/-

1	2	3
19.	Repairs recrection of drain infornt of pagoria Bhawan Maltcx Factory Pushker Road, Ajmer.	7400/-
20.	Const. of a pucca flooring inside the lanes of 13 quarter Pahar Ganj Ajmer.	70300/-
21.	Const. of a drain near house of Shri Baboolal Choudhry of Narhingh pura Ram nagar.	3500/-
22.	Removal of mawa from main Bara Peer Hill road near latrines, mali Mohalla ward No. 32.	4100/-
23.	Const. of a shed of Shivganj aya Bazar near School. Ajmer.	10200/-
24.	Repairs of widing of drains road cutting at Asha Gunj area ward No. 27	8000/-
25.	Const. of four latrines at Tramway Station Harijan Basti, Ajmer.	15000/-

Asst. Engineer,

municipal Couneil, Ajmer.

परिशिष्ट 27

अतारांकित प्रश्न संख्या 752 का विवरण

क्र. सं.	दिनांक	आय
1.	20-1-82 से 15-3-82 तक	1001/- रु.
2.	20-1-83 से 5-4-83 तक	1401/- रु.
3.	20-1-84 से 15-3-84 तक	1001/- रु.
		कुल 3403/- रु.

परिशिष्ट 28

पंचनामा

अतारांकित प्रश्न संख्या 756 की सूचीयां

'अ'

आज दिनांक 13-1-84 को ब्लोक गेघा खो के अन्तर्गत खोटर के खरले के जंगल जो भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य के अन्तर्गत हैं, का निरीक्षक निम्नांकित कर्मचारियों एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ किया गया।

1. श्री कोशल कुमार कोटिया, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक
2. अम्बिका शरण, मण्डल वन अधिकारी चित्तोड़गढ़
3. श्री श्याम सिंह, प्रधान पंचायत समिति भैंसरोड़गढ़
4. ,, भागचन्द भील, वार्ड 4 या ग्राम पंचायत राजपुरा ग्राम दूधिया तलाई
5. ,, दुर्गा शंकर क्षे. व. अ. भैंसरोड़गढ़
6. ,, कुंज बिहारी उप क्षेत्रीय भैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य
7. ,, मोहन लाल व्यास वन रक्षक भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य
8. ,, कालू राम मीणा स. वन पाल राजपुरा [उदयपुरिया]
9. ,, नन्दलाल मेहरा वन रक्षक, नाका अमर निवास, कोटा
10. ,, डाल चन्द पालीवाल बन रक्षक, चित्तोड़गढ़
11. ,, जमुना लाल जाट 28 वर्ष, बहेलिया
12. ,, मन्ना लाल, जाट 30 वर्ष बहेलिया
13. ,, भीम राज भील 30 वर्ष नि. दूधिया तलाई
14. ,, जयरूप लाल भील 20 वर्ष नि. दूधिया तलाई
15. ,, पन्ना भील उम्र 40 वर्ष नि. दूधिया तलाई

खोझर वाले की कराई [ridge] के ऊपर दो कोयले के ढेर देखे, जो करीबन 80 बारिश के बाद ताजा बने हुए कोयले के थे । जो बोरी है। इस ढेर तक ट्रक आने के पट्टियों के निशान देखे गये। जिससे आभास होता है कि कुछ दिन पूर्व ही ट्रक इस ढेर तक आया था। इसकी पुष्टि श्री कालू राम मीणा के कथन से होती है, जिसने बताया कि एक ट्रक कोयला 31 ता. दिसम्बर की रात को आया और 1 ता. को सुबह भर कर गया। गाँव दूधिया तलाई के मोतबिरान ने भी ट्रक भर कर जाने की पुष्टि की। श्री कालूराम ने बताया कि इस घटना के 8-10 दिन पूर्व भी ठेकेदार द्वारा 2 ट्रक कोयले का निकास करना गाँव वालों से पूछ-ताछ करने पर विदित हुआ।

श्री कालूराम एवम् अन्य लोगों की निशादेही पर खोभर खरले में सरसरी तौर पर निरीक्षण करने पर संलग्न लिस्ट के अनुसार ठेकेदार द्वारा काटे गये 69 उन्हत्तर पेड़ो की शुमारी की गई। इन काटे गये वृक्षों के ठूंठों में से अधिकांश सूखे व कुछ हरे दरख्तों के ठूंठों की गिनती व नपती की गई। खोभर खरले में ऊपर से नीचे तक ताजा बनाई हुई पगडंडी थी, जिसके जरिये काटी गई लकड़ी भट्टों तक लाने एवं भट्टियों से पठार तक कोयला ऊंटों के जरिये ले जाना प्रकट हुआ। खोभर नाले की तलहटी में डूब क्षेत्र के किनारे, फर्दन फर्दन कोयले की भट्टीयां देखने में आई। अधिकांश भट्टियों का कोयला ढेरों के रूप में स्कीम किया हुआ था। एक कोयले का बड़ा ढेर [2-3 ट्रक] गत वर्ष का है। शेष कोयला इसी वर्ष बरसात के बाद बनाया गया है। डूब क्षेत्र में पानी के अन्दर काफी संख्या में सूखे पेड़ एवं ठूंठे खडे हुए है। जिससे विदित होता है कि अधिकांशतया कोयला सभी पर जंगल क्षेत्र से लाई गई लकड़ी का बनाया गया है, तथा डूब क्षेत्र की लकड़ी काट कर लाने के कोई निशानात पर मोके पर देखने में नहीं आये। कोई भी नाव या चेन पुली आदि मोके पर नहीं थी, श्री कालू राम एवम् अन्य ग्रामवासियों ने बताया कि आज सुबह तक ठेकेदार के मजदूर इस खरले की तलहटी में आज तक काम कर रहे थे, किन्तु मण्डल वन अधिकारी के दौरे की सूचना किसी प्रकार से मिल जाने के कारण सारे श्रमिक मय ऊंटों के मोके से चले गये हैं। इसी प्रकार का काम ठेकेदार द्वारा अन्य खरलों में भी करना ग्रामवासियों ने जाहिर किया, किन्तु दिन ढल जाने के कारण अन्य स्थानों का निरीक्षण करना सम्भव नहीं हो सका अम्बिका सरस्त,

दिनांक 13-1-84 को खोभर के खरले में निरीक्षण के दौरान कटे हुए पाये गये पाये गये पेड़ों की सूची

1	2	3	4	5
1.	नीम	basal girth	75" or 188 cm.	
2.	तन्दू	"	14"	
3.	सिरन्डी	"	17"	गीली
4.	गीली	"	21"	सूखी
5.	बीली	"	29"	"
6.	बीली	"	32"	"
7.	बीली	"	22"	"
8.	[illegible]बड़ा	"	28.5"	हरा

1	2	3	4	5
9.	धावड़ा	basal girth	32"	सूखी
10.	गुरजन	"	41"	"
11.	गुरजन	"	48"	"
12.	खेर	"	16"	हरा
13.	खेर	"	13"	"
14.	खेर	"	28"	"
15.	खेर	"	23"	"
16.	बीली	"	12"	सूखा
17.	खेर	"	53"	"
18.	खेर	"	13"	सूखा
19.	खेर	"	17"	"
20.	बीली	"	18"	"
21.	खेर	"	13"	"
22.	खेर	"	14"	"
23.	खेर	"	48"	"
24.	नीम	"	56"	"
25.	काला सिरस	"	46"	"
26.	खेर	"	15"	"
27.	खेर	"	12"	"
28.	खेर	"	12"	"
29.	खेर	"	22"	"
30.	धोकड़ा	"	18"	हरा
31.	धोकड़ा	"	15"	हरा
32.	खेर	"	22"	"
33.	खेर	"	18"	"
34.	खेर	"	17"	"
35,	तेन्दु	"	17"	"

(512)

1	2	3	4	5
36.	खेर	basal Girth	31"	हरा
37.	खेर	"	18"	"
38.	खेर	"	15"	"
39.	तेन्दु	"	15"	"
40.	तेन्दु	"	16"	"
41.	धोकड़ा	"	19"	"
42.	खेर	"	13"	"
43.	कडथला	"	42"	"
44.	रादडा	"	23"	"
45.	खेर	"	23"	"
46.	गीली सूखी	"	29"	"
47.	सूखी लकड़ी	"	1.5"	"
48.	खेर सूखा	"	29"	"
49.	खेर	"	12"	"
50.	तेन्दु	"	29"	"
51.	गुरजन	"	49"	"
52.	गुरजन	"	36"	"
53.	गुरजन	"	36"	"
54.	वीली	"	36"	"
55.	खेर गीला	"	15"	"
56.	खेर गीला	"	13"	"
57.	तेन्दु गीला	"	15"	"
58.	खिरनी सूखी	"	17"	"
59.	धोकड़ सूखा	"	13"	"
			9"	
			8"	

1	2	3	4	6
60.	धोकड सूखा	basal girth	32"	हरा
61.	खेर सूखा	,,	43"	,,
62.	धावड़ा सूखा	,,	18"	,,
63.	खेर	,,	12"	,,
64.	खेर	,,	13"	,,
65.	धोक	,,	9"	,,
66.	धोक	,,	10"	,,
67.	धोक	,,	9"	,,
68.	खेर	,,	12"	,,
69.	खेर	,,	10"	,,

514

परिशिष्ट—"ब"

क. सं.	शिकायत कुनिन्दा (जनप्रतिनिधि का नाम)	शिकायत पत्र का क्रमांक एवं दिनांक	शिकायत	विभाग में शिकायत पत्र प्राप्ति की तिथि	शिकायत प्राप्ति जीव पर विभाग कार्यालय (मुख्य वन प्रतिपालक) द्वारा की गई कार्यवाही, उठाये गये कदम, का विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्री साले भाई बोहरा सरपंच ग्राम पंचायत मण्डेसरा, पंचायत समिति भैंसरोडगढ, जिला-चित्तोड़गढ	क्रमांक पत्र 1/83-84/85-95 दिनांक 15-8-83 जिलाधीश, चित्तोड़गढ को सम्बोधित तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय (मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक) को पृष्ठांकित मय प्रति. पंचनामा अवैध कटान	बीड का लाखेत के जंगल (भैंसरोडगढ अभयारण्य क्षेत्र) में अवैध लकड़ी कटाई एवं कोयला बनाई के कार्य के बारे में ।	19-8-83	इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 18298 दिनांक 19-8-83 द्वारा वन्य जीव प्रतिपालक, कोटा को, प्राप्त अलोच्य शिकायत पत्र एवं संलग्न पंचनामें की प्रतिलिपियां प्रेसित कर तुरन्त मौके पर पहुंचकर जांच करके तथा अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही कर न्यायालय में चालान प्रेषित करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये। अभ्यारण क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा अवैध कटाई रोकने को पाबंध किया गया। उप मुख्य

1	2	3	4	5	6
					वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर को भी साथ ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने हेतु उक्त पत्र पृष्ठांकित किया गया। इस पर उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर व वन्य जीव प्रतिपालक कोटा ने 21-8-83 एवं 22-8-83 को श्याम सिह को प्रधान, पंचायत समिति भैर सरोड़ गढ़ एवं श्री साले भाई सरपंच. ग्राम पं. मंडेसरा की शामलात में भैरसरोड गढ़ अभ्यारण्य के वन क्षेत्र में अवैध कटान को मौका निरीक्षण किया। श्री साले भाई सरपंच द्वारा 300 वृक्षों को ताजा कटान दिखाया गया। जिसकी विभागिय कार्यवाही की गई। उक्त मौका निरीक्षण के पश्चात् स्थानीय कर्मचारियों का अवैध कटान की रोकथाम हेतु पाबन्ध किया गया एवं नाजायज कोयला बनाया जाकर निकास नहीं किया जाय इसके लिए व्यवस्था की गई, उक्त आशय के विस्तृत प्रतिवेदन उक्त दोनों अधि-

516

1	2	3	4	5	6
					कारियों, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर व वन्य जीव प्रतिपालक, कोटा की ओर से क्रमांक जांच/83-84/1982 93 दिनांक 1.9.83 व एफ व. जी. प्र. 83/84/719 दिनांक 30.8.83 प्रस्तुत हुए ।
2.	श्री श्यामसिंह महेछा प्रधान पंचायत समिति भैंसरोडगढ, जिला-चित्तोड़गढ ।	क्रमांक/5/निल/ दिनांक 11.1.84	भैंसरोडगढ अभयारण्य में लकड़ी की अवैध कटाई राणा प्रताप सागर बांध के क्षेत्र की लकड़ी की आड में ठेकेदार द्वारा लकड़ी का कटान व कोयला बनाकर निकास करने के बारे में ।	11-4-84	दिनांक 11-1-84 को श्री श्याम सिंह महेछा, प्रधान पंचायत समिति मैसरोडगढ़ ने इस कार्यालय में स्वयं ने लिखित शिकायत रुबरू प्रेषित की कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारन में काफी अवैध कटाई चल रही हे एवं राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र की आड में ठेकेदार लकड़ीयां काट कर भट्टियां लगा रहा है व कोयला निकास कर रहा है । उक्त पत्र की प्रतिलिपि क्रमांक/मु. व. जी. प्र./विविध/83-84/321-22 दिनांक 13-1-84 के द्वारा उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदपुर को

1	2	3	4	5	6
					प्रेषित कर तत्काल कार्यवाही कर सूचित करने हेतु लिखा, तथा इसकी प्रतिलिपी श्री महेछा, प्रधान को भी सूचनार्थ भेजी गई। तत्पश्चात् इस संबंध में उपरोक्त प्रधान ने फिर से पत्र दि.31-1-84, जो नीचे क्रम संख्या 3 पर उल्लखित किया जा रहा हैं, प्राप्त होने पर, इस कार्यालय से पत्रांक एफ2(13)83-84/विविध/मु.व.जी.प्र./1382 दिनांक15-2-84 से, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर को उनके नामजद लिखा गया कि वे इस बारे में अवैध कटान रोकने सम्बन्धित की गई कार्यवाही तथा आगे जाने वाली कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन भिजवायें।
3.	श्री श्यामसिंह महेछा प्रधान पंचायत समिति भैंसरोडगढ जिला–चित्तोड़गढ़	क्रमांक/निल–1 दि. 31-1-84	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य राणा प्रतापसागर बांध के डूब क्षेत्र में अवैध कटाई एवं	6-2-84	उक्त श्री श्यामसिंह प्रधान, पंचायत समिति भैंसरोडगढ ने, दिनांक 11-1-84 से पूर्व शिकायत पत्र का संदर्भ अंकित कर, पुनः सूचना दी कि राणा प्रतापसागर बांध डूब क्षेत्र में

1	2	3	4	5	6
			बगैर टी. पी. के कोयला निकासी के बारे में ।		अभी भी अवैध कटाई जारी है एवं इस पर, इस कार्यालय से पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 7-2-84 के द्वारा प्राप्त उपरोक्त शिकायत पत्र की प्रतिलिपि सहायक वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा को प्रेषित कर उन्हें तुरन्त मौके पर पहुंचने व इस संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये । तदन्तर, उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर को भी उनके नामजद विशिष्ठ रूप से पत्र क्रमांक एफ 2 (13) 83-84/विविध/मु.व.जी.प्र./1382 दिनांक 15-2-84 के द्वारा, उक्तांकित शिकायत पत्र तथा पूर्व में प्राप्त शिकायत पत्र दिनाक 11- -84 की प्रतियां प्रेषित कर, निर्देश दिये गये कि प्रधान पंचायत समिति भैंसरोडगढ द्वारा उल्लेखित शिकायत बिन्दुओं के बारे में की गई कार्यवाही तथा आगे की जानेवाली कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा अवैध कटान तत्काल रोकने की कारगर व्यवस्था की जावे ।

1	2	3	4	5	6
4.	श्री श्याम सिह महेजा प्रधान पंचायत समिति मैंसरोड़ गढ़, जिला चित्तोडगढ,	पत्रा./84/320 दिनांक 14-2-84 जिलाधीश चित्तोडगढ को सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठकित	मैंस रोड गढ अभ्यारण्य राणा प्रताप सागर बांध के डूब क्षेत्र से अवैध कटाई एवं बगैर टी. पी. के कायला निकासी के बारे में	20-2-84	यह आलोच्य पत्र, पूर्व शिकायत संबंधित उपरोक्त पत्र दि. 31-1-84 (क्र.स. 3) के संदर्भ में पृष्ठांकित कर प्रेषित किया गया है। तथा उक्तांकित पूर्व पत्र दिनांक 31-1-84 पर क्र. सं. 3 के प्रकोष्ठ सं 6 पर अंकित किये अनुसार प्रकरण में हाल ही में कार्यवाही की जा चुकी थी।
5.	—„—	क्रमांक शून्य दिनांक शून्य	मैंसरोडगढ अभ्यारण्य (प्रतापसागर बांध डूब क्षेत्र में) चराई, पेड काटने, प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा रास्ता बना लेने, पहाडी ढलानो पर पेड काटकर कोयला चढाने आदि की शिकायत के बारे में।	19-3-86	प्रधान पंचायत समिति, मैंसरोडगढ द्वाराप्रकोष्ठ चार में अंकित किये परिवादों के निराकरण के 'क्रम' में उल्लेख 'गिया' गया है कि उनके द्वारा अपर मुख्य वन संरक्षक (विकास) वन संरक्षक, पूर्वी वृत्त, कोटा, मण्डल वन अधिकारी, चित्तोडगढ व उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर से मौके पर निरीक्षण दिनांक 8-3-84 को कराया गया। अंकित की गई अनियमितताओं के निराकरण हेतु अभ्यारण्य में पदस्थापित वर्तमान कर्मचा-

1	2	3	4	5	6
	—		—	—	रियों को स्थानान्तरीत कर कर्तव्य निष्ठों को लगाये जाने के सुझाव दिये गये । इस क्रम में समुचित कार्यवाही कर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एक 6(3) प्रेस्था/84/3180-88 दि. 19-3-84 से पदस्थापित उप क्षेत्रीय भैंसरोडगढ को स्थानान्तरित किया जाकर उनके स्थान पर प्रथम श्रेणी क्षेत्रीय को पदस्थापन कर दिया गया है। इस प्रकार उचित व्यवस्था कर दी गई है।

परिशिष्ट 29

अतारांकित प्रश्न संख्या 757 की सूची

परिशिष्ट I

वर्ष 1983-84 में औषध क्रय मद में व्यय की गयी राशि का त्रैमासिक विवरण

क्र. सं.	नाम औषध (कच्चे द्रव्य)	राशि (रुपयों में)
1	2	3
	प्रथम त्रैमास (1 अप्रेल, 83 से 30 जून, 83)	
1.	कपूर	13646.00
2.	गिलोय	545.70
3.	धनियां	3406.32
4.	दूध	2800.00
5.	गौ मूत्र	800.00
6	कटेली	108.00
7.	शतावरी	433.84
8.	ऊपले (छाणे)	24224.90
9.	लकड़ी	900.00
10.	जौ, राई, सरसों	52.00
11.	हांडी	900.00
12.	खादी कपड़ा	370.00
13.	बिजली का बिल	2673.55
14.	रद्दी	742.25

1	2	3
15.	रेल्वे चार्जेज-मजदूरी	276.85
16.	प्लास्टिक के डिब्बे, गोबर, खोपरे का तैल	26209.30
		78088.71

द्वितीय त्रैमास (1 जुलाई, 83 से 30 सितम्बर, 83)

1.	घृत	3944.33
2.	गुलाब फूल	2149.20
3.	अदरक ताजा	1392.30
4.	दूध	5194.60
5.	अरलू छाल	283.50
6.	ककड़ी के बीज	103.68
7.	कुचला	1281.74
8.	सिन्दूर	4294.05
9.	पोदीना सूखा	259.20
10.	शतावरी	1556.11
11.	खूरेटी बीज	457.08
12.	निशोथ छाल	1559.25
13.	कपड़ा	427.00
14.	खोखे	440.00
15.	कागज कटिंग	454.00
16.	ग्वार पाठा	2100.00
17.	सरसों	49.00
18.	खादी कपड़ा	513.90
19.	उपेले (छाणे)	3094.80
20.	हार्ड कोक	1942.25

1	2	3
21.	नमक	45.00
22.	रद्दी	2705.70
23.	नींबू	3925.00
24.	हांडी	2210.00
25.	बिजली का बिल	3225.75
26.	बेण्डेज	249557.50
27.	प्लास्टिक के डिब्बे, चमेली पत्र, नीम पत्र, करंज पत्र	8331.35
28.	कत्था	81394.55
29.	ईखमूल	104.00
30.	स्प्रीट	16500.00
31.	खोपरे का तैल	70.70
32.	ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज, मजदूरी	96.25
33.	अगरकाला, मुग्धपर्णी. सरसों, कुटकी, जीवक, मैदा, गोखरू, अरलू छाल, थोहर का दूध	3728.75
34.	कटेरी छोटी, गोला, आदि	1165.85
		404556.39

तृतीय त्रैमास (1 अक्टूबर, 83 से 31 दिसम्बर, 83)

1.	सनाय	11334.60
2.	कुटकी	3524.30
3.	दूध	7760.00
4.	खड़िया मिट्टी	2020.00

(524)

1	2	3
5.	जामुन मींगो	55.20
6.	नाग केसर	1829.40
7.	कूडा छाल	2410.65
8.	खादी	2516.25
9.	गो मूत्र	1026.00
10.	शेख नाभि	5396.70
11.	रद्दी	2370.20
12.	बैसलीन	10877.00
13.	पीली सरसों	24.00
14.	हांडी	2040.00
15.	बिजली का बिल	1296.75
16.	लकडी	1440.00
17.	सिन्दूर	4843.80
18.	गन्धक, आवंला सार	6930.00
19.	अफीम	31175.15
20.	घृत	624.00
21.	कास्टीक सोडा, खोपरे का तैल	237.50
22.	नीम पत्र, चमेली पत्र, करंज पत्र, भृंगराज पत्र, गो मूत्र	371.70
23.	सोडा, खोपरे का तेल	82.00
24.	रद्दी, घास पैंकिंग	584.50
25.	दूध, गोबर	1970.00
26.	खोपरे का तेल, मुल्तानी मिट्टी	79.65
		102819.35

1	2	3
	चतुर्थ त्रैमास (1 जनवरी, 84 से मार्च, 84)	
1.	बहेडा छाल, चव्य, लाजवंती बीज, दरयायी नारियल,	14983.67
2.	कपीला	43635.97
3.	वार्यविडग, हंसराज, बहेडा छाल	12965.67
4.	अरलू छाल,	20.00
5.	जायफल, दालचीनी, रसोत, मोम आदि	64202.35
6.	सिन्दूर, कबाब चीनी, जदवार, इन्द्र जो कटू	23602.32
7.	आम्बा हल्दी, रेवत चीनी	2999.75
8.	अरारोठ	32.50
9.	गौ मूत्र, कपड़ा, पी. पी. कैप	811.40
10.	पोदीना हरा, रद्दी	588.00
11.	कोटन	240535.25
12.	अभ्रक पत्र	2662.60
13.	बहेडा छाल	4014.35
14.	लाईसेन्स फीस	1660.00
15.	साबुन	10495.63
16.	नींबू	8977.50
17.	सैंदा नमक	51.00
18.	लकड़ी	960.00
19.	पदमाख	97.50
20.	लोध	52.00
		433348.44

परिशिष्ट II

वर्ष 1983-84 में क्रय की गई कच्ची औषधियों से निर्मित् औषधियों का विवरण

क्र. सं.	निर्मित औषधि का नाम	उपयोग ली गई कच्ची औषधि का नाम
1.	संजीवनी वटी	गिलोय, गौमूत्र, वायडिंग
2.	गंधक शोधन	घृत, दुग्ध
3.	नारायण तेल	शतावरी
4.	त्रिभुवन कीर्ति रस	अदरक
5.	शिरशूल हर वटी	कपूर
6.	कर्पूर धारा	कपूर
7.	च्यवनप्राश	खरेटी बीज
8.	रोगन गुल	गुलाब के फूल
9.	सफूफ चुटकी	पोदीना सूखा
10.	अमर सुन्दरी वटी	अकरकरा
11.	जात्यादि तेल	चमेली पत्र, अनन्तमूल, कुटकी, करंजपत्र, नीम पत्र, पदमाख, लोध
12.	दशमूल क्वाथ	गोखरू, अरड़ू छाल, कटेरी छोटी रेवत चीनी
13.	वेदना नाशक	आम्बा हल्दी
14.	चन्द्रप्रभा वटी	अतीसकटु
15.	ब्रह्म रसायन	मुग्दपर्णी, ऋष्मक, ईखमूल, नरकटमूल, जीवक जीवन्ती, जडडाम, अगरकाला, आँवला हरा, मेदा, कुशमूल, खरेरी बीज, घृत।

1	2	3
16.	कर्पूर रस	इन्द्र जौ कटू
17.	लवंगादी वटी	कत्था
18.	शिवा गुटिका	कुटकी, ऋष्मक, मैदा
19.	अश्व कंचुकी रस	जल मगरा
20.	पंचगुण तेल	नीम पत्र, निगुड़ी पत्र
21.	अर्क विशुचिकान्तक	पोदीना हरा
22.	गोजिन्ह्वादि क्वाथ	सौंफ
23.	कृष्ण मरहम	सिन्दूर
24.	रज: प्रवर्तनी वटी	हीराकसीस
25.	शंख भस्म	शंख नाभि, नींबू
26.	गौदन्ती भस्म	ग्वार पाठा
27.	मण्डूर भस्म	ग्वारपाठा
28.	कपर्द भस्म	नींबू
29.	ताम्र भस्म	नींबू सेंधा नमक
30.	पुष्यानुग चूर्ण	जामुन मींगी, नाग केसर
31.	लवण भास्कर चूर्ण	नाग केसर
32	लवंगादि चूर्ण	नाग केसर
33.	कूटज चूर्ण	कूडा की छाल

528

परिशिष्ट 30

अतारांकित प्रश्न संख्या 759 की सूची

मिश्रित दूध हेतु दुग्ध उत्पादकों को देय मूल्य

वसा रहित ठोस दिनांक (1 से 15 मार्च)

वसा %	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
4.0	211	213	214	216	217	219	220	222	223
4.1	213	215	217	218	220	221	222	224	226
4.2	216	217	219	220	222	223	225	226	228
4.3	218	220	221	222	224	226	227	229	230
4.4	220	222	223	225	226	228	229	231	232
4.5	222	224	226	227	229	230	232	233	235
4.6	225	226	227	229	231	232	234	235	237
4.7	227	229	230	232	233	235	236	238	239
4.8	229	231	232	234	235	237	238	240	241
4.9	232	235	235	236	238	239	241	242	244
5.0	234	235	237	238	240	241	243	244	246
5.1	246	238	239	241	242	244	245	247	248
5.2	238	240	241	243	244	246	247	249	251
5.3	241	242	244	245	247	248	250	251	253
5.4	243	344	246	247	249	251	252	253	255
5.5	245	247	248	250	251	253	254	256	257
5.6	247	249	251	252	253	255	256	258	260
5.7	250	251	253	254	256	257	259	260	262
5.8	252	253	255	256	258	260	261	263	264
5.9	254	256	257	259	260	262	263	265	266
6.0	256	258	260	261	263	264	265	267	269

6.1	259	260	262	263	265	266	268	269	271
6.2	261	263	264	265	267	269	270	272	274
6.3	263	264	266	268	269	271	272	274	275
6.4	265	267	269	270	272	273	275	276	278
6.5	268	269	271	272	274	275	277	278	280

मिश्रित दूध हेतु दुग्ध उत्पादकों को देय मूल्य

वसा रहित ठोस (दिनांक 16 मार्च से)

वसा %	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8
4.0	219	220	222	223	225	227	228	230	231
4.1	221	223	224	226	226	229	230	232	234
4.2	223	225	227	228	230	231	233	234	236
4.3	226	227	229	230	232	234	235	237	238
4.4	228	230	231	233	234	236	237	239	241
4.5	230	232	234	235	237	238	240	241	243
4.6	233	234	236	237	239	241	242	244	245
4.7	235	237	238	240	241	243	244	246	248
4.8	237	239	242	242	244	245	247	248	250
4.9	240	241	243	244	246	248	249	251	252
5.0	242	244	245	247	248	250	252	253	255
5.1	244	245	248	249	251	252	254	256	257
5.2	247	248	250	252	253	255	256	258	259
5.3	249	251	252	254	256	257	259	260	262
5.4	252	253	255	256	258	259	261	263	264
5.5	254	256	257	259	260	262	263	265	267
5.6	256	258	259	261	263	264	266	267	269
5.7	259	260	262	263	265	267	268	270	271

530

5.8	261	263	264	266	267	269	270	272	274
5.9	263	265	267	268	270	271	273	274	276
6.0	266	267	269	270	272	275	275	277	278
6.1	268	270	271	273	274	276	277	279	281
6.2	270	272	274	275	277	278	280	281	284
6.3	273	274	276	277	279	281	282	284	285
6.4	275	277	278	280	281	283	284	286	288
6.5	277	279	281	282	284	285	287	288	290